राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या : 12

सोमवार

20 मार्च, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-60

श्री अध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री नन्दलाल पूनिया।

बेवड़-खुडियाबास-हमीरबास(चूरू) मिसिंग लिंक सड़क निर्माण

61. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील राजगढ़ (चूरू) के ग्राम बेवड़ से खुडियाबास की दूरी 4 किलोमीटर है ?

(2) क्या यह भी सही है कि खुडियाबास से रामपुरा हरियाणा सीमा तक सड़क बनी हुई है, जहां से हरियाणा राज्य हेतु सीधा आवागमन है?

(3) क्या यह सही है कि बेवड़ से खुडियाबास 4 किलोमीटर की दूरी मिसिंग लिंक रोड की परिभाषा में आती है ?

(4) क्या यह सही है कि बेवड़ हमीरबास से जुड़ा हुआ है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त मिसिंग लिंक रोड का निर्माण करने से राजगढ़ तहसील का सीधा सम्पर्क हरियाणा-दिल्ली से हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिसिंग लिंक रोड का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी नहीं। तहसील राजगढ़(चूरू) के ग्राम बेवड़ से खुडियाबास की दूरी साढ़े चार किलोमीटर है।

(2) जी हां।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) जी नहीं। खुडियाबास एवं बेवड़ दोनों ही डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच में सड़क नहीं बनी हुई है।

(4) जी हां।

(5) जी हां। उक्त सड़क का निर्माण राज्य के उपलब्ध संसाधनों व प्राथमिकता पर निर्भर है।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मिसिंग लिंक रोड की परिभाषा क्या है? आपने खण्ड-3 में यह दिया है कि खुडियाबास एवं बेवड़ दोनों ही डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच में सड़क बनी हुई नहीं है। बीच में सड़क बनी हुई नहीं है तो वही तो मिसिंग लिंक रोड होती होगी और आप इसको मान ही नहीं रहे हो कि यह मिसिंग लिंक रोड में आती है।

श्री अध्यक्ष: वह दोनों अलग-अलग जुड़े हुए हैं, यह आवश्यक नहीं मिसिंग लिंक होना। दोनों अलग अलग सड़कों से जुड़े हुए हैं वह।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप मंत्रीजी को निर्देशित करें क्योंकि चूंकि यह सात गांवों का मामला है। आपके विधान सभा क्षेत्र के मंडेला और थिगियास वगैरह गांव के लोगों को राजगढ़ होकर जाना पड़ता है। 80 किलोमीटर की दूरी ज्यादा कवर-अप करनी पड़ती है। यदि यह मिसिंग लिंक रोड साढ़े चार किलोमीटर की बन जाती है तो आपके लोहारू-पादरी-बारड़ा आदि विधान सभा क्षेत्र के लोगों को सीधा जाने का अवसर मिलता है। मैं सीएलपी. लीडर से भी निवेदन करना चाहता हूं, इनका क्षेत्र भी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, क्वेश्चन पूछें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप आज तो मेरे से ही निवेदन कर लो।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): महोदय, आपका क्षेत्र भी लगता है घांघू वगैरह गांव के आदमी गांगियासर होकर जाते हैं। आज उस क्षेत्र में, आप तो राठौड़ हो, राठौड़ और पूनिया भाई-भाई बतावें, आप घोषणा कर दो सात विधान सभा क्षेत्र के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनके क्षेत्र के लिये भी आपको सिफारिश करने की आवश्यकता है क्या? इनके खुद के क्षेत्र के लिये आपको सिफारिश करने की आवश्यकता है? यह खुद ही कर लेंगे।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप निर्देशित करें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ..(व्यवधान) फिर भी मैं निवेदन करता हूं...

श्री अध्यक्ष: मेरा इसमें कुछ नहीं आता।

श्री रामनारायण चौधरी: मंडेला है। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंडेला आता है, इसमें तो आपने कह ही दिया। वह तो आपने कह ही दिया। मंडेला मेरे कहां आता है अब?

श्री रामनारायण चौधरी: वह आगे की बात है, आज के दिन तो आप बिराज रही हो।

श्री अध्यक्ष: मंडेला से इस सड़क का कोई ताल्लुक नहीं है। ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 200 विधान क्षेत्र के ऊपर हैं, कहां एक विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: इस सड़क का मंडेला से कोई ताल्लुक नहीं है। यह झुन्झुनूं जिले में आती ही नहीं सड़क। यह सड़क झुन्झुनूं जिले में नहीं आती।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): झुन्झुनूं में तो नहीं आती लेकिन झुन्झुनूं के उत्तर के लोगों को सीधा हरियाणा में जाने के लिये साढ़े चार किलोमीटर की सड़क बन जाती है तो सीधा रास्ता उनको मिलता है। उनको राजगढ़ जाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वह तो सीधे हरियाणा में वैसे ही जा रहे हैं। पीपरी से हरियाणा तो वैसे ही जाते हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): हरियाणा में दूरी ज्यादा कवर करनी पड़ती है, 80 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ता है। आपके रामपुरा बेरी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चूरू जिले में जाने की आवश्यकता नहीं है, वह सीधे ही जुड़े हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि ..(व्यवधान)

चौ. विनोद कुमार (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट में एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के अंदर 15-20 सड़कें...

श्री अध्यक्ष: हनुमानगढ़ कहां आ गया यहां ?

चौ. विनोद कुमार (हनुमानगढ़): यह लिंक रोड का है साहब, 15-20 सड़कें ऐसी हैं जहां लाखों रुपया खर्च हो गया और कहीं दो किलोमीटर, कहीं ढाई किलोमीटर, कहीं तीन किलोमीटर रेंज के अंदर नहीं बनी हुई है, क्या राज्य सरकार इस वर्ष में उनको बनाने की इच्छा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि मिसिंग लिंक की परिभाषा क्या है, अध्यक्ष महोदय, लिंक मिस हो जाये वह मिसिंग लिंक का आपने जिस सड़क की बात कही है और यह कहा है कि हरियाणा से आवागमन सुगम हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ और हरियाणा के बीच में तीन सड़कें ऐसी हैं जिनके कारण वहां हरियाणा के साथ उनका सम्पर्क और आवागमन सुगम है। जिस सड़क की आपने चर्चा की है यह दोनों गांव अलग अलग सड़कों से जुड़े हुए हैं और हमारी सरकार की नीति भी है कि सबसे पहले जो गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं उन गांवों में सड़क पहुंचाई जाये और इसके बाद जो भी उपलब्ध संसाधन होंगे, उस आधार पर इस सड़क के बारे में विचार किया जायेगा। निश्चित तौर पर यह 27 किलोमीटर की सड़क जो हरियाणा बोर्डर को जोड़ती है, उसके अंदर यह सड़क जुड़ जाये तो उससे इस सड़क का उपयोग हो जायेगा। निश्चित तौर पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हमारे संसाधनों को देखकर फिर विचार करेगी।

श्री नन्दलाल पूनिया: संसाधन तो आप जुटाओ, आप संसाधन जुटाने में माहिर हो साहब, संसाधन आपसे अलग थोड़े ही हैं, संसाधन आपमें निहित हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: आपकी सरकार की जो नीति है, मान्यवर, भारत सरकार का भी महत्वपूर्ण योगदान है, फिर भी आप थोड़ा-सा कर दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन: आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया : आप तिवाड़ीजी के बाद सबसे तेज-तर्रार आदमी हो, आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वह मूल प्रश्नकर्ता हैं। मूल प्रश्नकर्ता को प्रिफरेंस। क्वेश्चन ऑवर में मूल प्रश्नकर्ता को प्रिफरेंस होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की प्रधान मंत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सड़क योजना, जो अटल बिहारी वाजपेयीजी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रारम्भ की थी सन् 2000 में, उसके अंदर 2007 तक 500 तक की आबादी वाले गांवों को जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है और आज बार-बार प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं भारत सरकार का योगदान है, जो पैसा आता है प्रधानमंत्री सड़क योजना में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि जो पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाया गया था भारत सरकार ने, उसी सेस के पैसे से पूरे हिन्दुस्तान के अंदर यह सड़कें बन रही हैं और इसके अंदर जो राज्य अच्छा परफोर्मेंस कर रहा हे उनको ज्यादा पैसा भी मिलता है। हमने 500 तक की आबादी के सारे प्रस्ताव, 837 गांव जो राजस्थान के अंदर है, उनके प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेज दिये हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस योजना का जिक्र यह कर रहे हैं उसके पांचवें चरण के अंदर पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान पहला राज्य है और यह स्वीकृति मिलने के बाद 500 तक की आबादी को गांवों से जोड़ देंगे।

श्री अध्यक्ष: लेकिन अभी तक तो आपके 750 वाले भी नहीं जुडे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, 750 तक की आबादी की स्वीकृतियां जारी हो गयी हैं, उनमें से अधिकतर काम चल भी रहे हैं। लगभग 1500 गांवों के काम चल रहे हैं और 750 की आबादी की स्वीकृति हमने जारी कर दी है। 500 तक की आबादी के प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष: यह 750 वाले कब तक जोड़ देंगे, यह बता दे आप तो? इस फाइनेंशल ईयर में जोड़ देंगे? इस फाइनेंशल ईयर 2006-07 में जुड जायेंगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 1566 गांवों की स्वीकृति 750 की हमें प्राप्त हुई थी, इनमें से 1187 गांवों में कार्य प्रगति पर है और यह सारे काम हम जून माह के अंदर 750 का हमारा लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद 500 तक की आबादी के प्रस्ताव, मैं करेक्ट करना चाहूंगा 3780 गांवों के प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें 1840 करोड़ रुपये का निवेश होगा, 10,777 किलोमीटर सड़क बनायेंगे। यह प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है और उनके लिये जो समिति बनी हुई है उसने उनको अनुमोदित भी कर दिया है। अब मंत्रालय से निकलते ही हम उस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे।

श्री नन्दलाल पूनिया: अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने संसाधनों से पी.एम.जी.एस.वाई. की बात छोड़िये, उसमें आप अव्वल आये, उसके लिये धन्यवाद। लेकिन आप अपने बजट से, अपने संसाधनों से इस मिसिंग लिंक रोड को जोड़ने की इच्छा है कि नहीं?

श्री अध्यक्ष: बता दिया न उन्होंने, आबादी बता दी न। आबादी के हिसाब से जोड़ रहे हैं। नैक्स्ट क्वेश्चन श्री बहादुर सिंह गोदारा।

थिरानी नोहर के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

62. **श्री बहादुर सिंह गोदारा** (नोहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय चिकित्सालय थिरानी में चिकित्सक एवं महिला चिकित्सक के रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिये हर पंचायत हैड क्वार्टर पर स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती हे? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री भवानी जोशी) : (1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (थिरानी चिकित्सालय) नोहर में वर्तमान में एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का रिक्त है जिसे 30.6.2006 से पूर्व भर दिया जावेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 5000 की ग्रामीण जनसंख्या पर सामान्य क्षेत्र में तथा 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। उक्त मापदण्डों के अनुसार ही ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के अलग से मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि नोहर में यह स्थान बहुत अर्से से रिक्त पडा है, वहां बड़ी परेशानी हो रही है क्या आप 30.06.2006 से पहले इसको भरने की इच्छा रखते हैं?

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादातर पंचायत हैडक्वार्टर की जनसंख्या तीन हजार से ऊपर है तो फिर आप पंचायत हैडक्वार्टर पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का इरादा क्यों नहीं रखते?

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, विभागीय पदोन्नति के कारण यह पद भर जाना है इसलिए 30.06.2006 के पूर्व भरने का मैंने आश्वासन दिया है कि 30.06.2006 से पूर्व भर दिया जायेगा। भारत सरकार के जो निर्धारित मापदण्ड है उन्हीं के अनुसार से उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या आपका अपना कोई मापदण्ड नहीं है? केवल भारत सरकार के ही मापदण्ड हैं क्या? आप अपने मापदण्ड के अनुसार, तीन हजार की जनसंख्या के हमारे यहां बहुत से गांव ऐसे पड़े हैं जिनकी तीन हजार जनसंख्या है लेकिन वहां कोई उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, क्या आप अपने संसाधनों से खोलने का इरादा रखते हैं?

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार ने नियम बनाये हैं उसकी राज्य सरकार को पालना करना आवश्यक है और हनुमानगढ़ जिले में 150 शैय्या युक्त जिला चिकित्सालय में सिटी डिस्पेन्सरी, हनुमानगढ़ जंक्शन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कनोलकर और उसके आस-पास जो भी है वह सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 50 शैय्याओं के हैं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : मंत्रीजी, माननीय सदस्य तो इतना सा पूछ रहे हैं कि राज्य सरकार की भी कोई हास्पिटल खोलने की गाइड लाइन है क्या? भारत सरकार की तो आप पढ़ कर सुना रहे हैं, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आपकी भी कोई गाइड लाइन है क्या? इतना सा सवाल है और आप केन्द्र सरकार की पढ़ कर सुना रहे हैं।

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : मैं आपको बता रहा हूं कि भारत सरकार के जो नियम हैं उनकी पालना राज्य सरकार को करनी है और उसके नियमों के आधार पर ही उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : भारत सरकार के नियमों की पालना के लिए तो राज्य सरकार है लेकिन क्या ग्रामीण जनता जहां तीन-तीन हजार की आबादी में है उनके पास चिकित्सा सुविधा नहीं है तो क्या राज्य सरकार भी कुछ करना चाहती है कि नहीं? ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : लेकिन क्या राज्य सरकार की भी कोई चिकित्सा व्यवस्था कहीं है? राज्य सरकार का भी प्रावधान है क्या कि कहीं गांव में हास्पिटल खोले जायेंगे और कोई केन्द्र सरकार की गाइड लाइन में नहीं आ रहा और राज्य सरकार को भी यह सोचना है क्या कि किस गांव में चिकित्सा व्यवस्था करनी है?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा बिलकुल सही है कि केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के हिसाब से ही सब-सेन्टर्स खुलते हैं। हमारे जो प्लेन एरिया हैं उनमें पांच हजार, की जनसंख्या पर एक सब-सेन्टर और जो हमारा डिफिकल्ट एरिया, डेजर्ट है या ट्राइबल एरिया है उसमें तीन हजार की पापुलेशन पर एक सब-सेन्टर है और मेरे ख्याल से एक ग्राम पंचायत की एवरेज जो पापुलेशन आज हमारे राजस्थान में है वह पांच हजार के करीब ही है और हर ग्राम पंचायत में एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र आज की तारीख में करीब-करीब मौजूद है अगर किसी माननीय सदस्य के पंचायत में...

श्री निर्भय लाल (रूपवास): मंत्रीजी, नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट, सुनिये प्लीज।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप मेरी बात सुन लीजिए।

अगर माननीय सदस्य के या किसी भी माननीय सदस्य की एक भी ग्राम पंचायत ऐसी बची हुई है जिसमें उप-स्वास्थ्य केन्द्र पूरे पंचायत क्षेत्र में नहीं है तो मैं सदन में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं उसमें प्राथमिकता के आधार पर हम उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोल देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि भारत सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक ही सब-सेन्टर्स खोले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: लिस्ट दे देना कोई आपकी हो तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, मुझे कोई लिस्ट नहीं देनी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बोलो, बोलो। हर पंचायत क्षेत्र में एक।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपसे मैं यह कह रहा था कि भारत सरकार की गाइड लाइन फॉलो करने के लिए आप इसलिए बाध्य हैं कि सारा पैसा सब-सेन्टर्स का आपको भारत सरकार से प्राप्त होता है, नम्बर एक।

नम्बर दो, अगर आप अपने बजट से कुछ प्रावधान कर सकें नये सब-सेन्टर्स खोलने का तो यह जो समस्या आ रही है जो कि माननीय सदस्यों ने कही, इसको शीघ्र दूर किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : नहीं, माननीय सदस्य, मैं इस चीज को छेड़ना नहीं चाहता था पर आप इतने अनुभवी और इस सदन के बहुत पुराने सदस्यों में से हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि पांच वर्ष में जब आप सत्ता में थे ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : और वित्त मंत्री थे।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : और वित्त मंत्री थे लेकिन केवल 75 सब-सेन्टर्स पूरे राजस्थान में आपने खोले पांच साल में और हमने, इनके 75 सब-सेन्टर्स की जगह दो साल में 586 सब-सेन्टर्स खोले हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने सवाल दूसरा पूछा है। यह कह रहे हैं, कि क्या हमने खोले तो आप कौनसा निहाल कर रहे हो?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 586 सब-सेन्टर्स अपने आप में एक रिकार्ड है और सदन में आश्वासन दिया है। 586 सब-सेन्टर्स दो वर्ष के अन्दर हमने खोले हैं और, अध्यक्ष महोदय, मैंने आश्वासन यह भी दिया है सदन में कि अगर किसी ग्राम पंचायत में चाहे कोई भी माननीय सदस्य हो, उनकी एक भी पंचायत ऐसी बची हुई है जिसमें उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है तो मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर उसमें सबसे पहले यह सब-सेन्टर खोल देंगे।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): दायना ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है, आपके पड़ोसी ग्राम पंचायत है।

श्री अध्यक्ष: आप लिख कर दे दीजियेगा। जिसके क्षेत्र में नहीं हो वह लिख कर उन्हें दे दें, उन्होंने आश्वस्त कर दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि क्या यह सही है कि सारा बजट भारत सरकार का, पूरा 100 प्रतिशत भारत सरकार का आता है इसलिए उनकी गाइड लाइन मानने के लिए आप बाध्य हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): भारत सरकार के पास पैसा कहां से आता है?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, भारत सरकार के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तब कितना गेहूं दिया था और आज आपने कितना गेहूं दिया अकाल राहत में?

श्री अध्यक्ष: क्या कर रहे हो आप ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ए.पी.एल. के आपने बंद कर दिये, बी.पी.एल. का आपने आधा कर दिया।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री धर्मपाल चौधरी का स्थगित किया जाता है।

(प्रश्न संख्या-63 स्थगित)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): और भारत सरकार का खजाना भी सारे राज्य सरकारों से ही भरता है, भारत सरकार कोई अलग मानते हो क्या?

श्री अध्यक्ष: नो, नौ। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री धर्मपाल चौधरी, स्थगित किया जा रहा है, नैक्स्ट टर्न पर जवाब मिलेगा अब आपका। ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मैंने जो सवाल पूछा था उसको तो टालने की चेष्टा की जा रही है, उसका तो उत्तर दें। बड़ा साधारणसा सवाल था कि आप उनकी गाइड लाइन मानने के लिए किसलिए मजबूर हो, नम्बर एक। और अगर आप को पैसा प्राप्त होता है तो कुछ आप भी अपने स्वयं के बजट में से प्रावधान कर के क्या नये सब-सेन्टर्स खोलना चाहते हैं? बड़ा साधारणसा सवाल था, उसका भी जवाब नहीं देना चाहते यह।

श्री अध्यक्ष: जैसी आपकी मजबूरी थी वैसी उनकी भी होगी। जैसी मजबूरी आपकी थी वैसी ही उनकी है। ...(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, अब तो गाइड लाइन दे रही है केन्द्र सरकार और पैसा दे रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : इन्होंने कुछ किया ही नहीं, वहां बैठे रहे कुण्डली मार कर और जो पैसा आया वह भी खर्च नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री धर्मपाल चौधरी का स्थगित है, नैक्स्ट टर्न पर जवाब मिलेगा आपको। श्री लक्ष्मीनाराण बैरवा।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अध्यक्ष महोदय, यह पहले भी लगा था ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप तो काले सांप की तरह कुण्डली मार कर बैठे हुए हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो काले सांप क्या अजगर की तरह बैठे रहे ...(व्यवधान) और देखते रहे पैसे को।

श्री अध्यक्षः श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अध्यक्ष महोदय, यह राजस्व विभाग देख रहा है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, अब आप क्यों उठ रहे हैं? श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न से पहले गंगानगर से हैं, इनका भी पुनर्वास को भेज दिया था। इसमें सारा काम राजस्व विभाग देखने लग रहा है, कस्टोडियन भूमि के मामले में राजस्व विभाग ने ही...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने आपसे निवेदन किया है कि यह प्रश्न स्थगित है, नैक्स्ट टर्न पर इसका जवाब आ जायेगा। यह आपको मैंने कह तो दिया।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): नहीं, गंगानगर में, उससे पहले इन्होंने लगाया था वह आ जायेगा, जब जवाब आने से मतलब...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सरकार की तरफ से जब तक जवाब नहीं आता है जब तक आसन को स्थगित करना पड़ता है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): पुनर्वास में जाता ही नहीं, राजस्व में है।

श्री अध्यक्षः नैक्स्ट टर्न में जब इन मंत्रीजी की नैक्स्ट टर्न होगी तो आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जायेगा। श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

डौलीका (दौसा) ग्राम में आवासीय विद्यालय

64. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) (**श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) के स्थान पर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत वर्ष आदिवासी/जनजाति बाहुल्य इलाकों में आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, सिकराय के ग्राम डौलीका के जन-प्रतिनिधियों से डौलीका में आवासीय विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आवासीय विद्यालय कब तक खोल दिया जायेगा?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) जी हां। गत वर्ष सरकार द्वारा किशनगंज तहसील में आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। जिसके निर्माण की स्वीकृति गत वर्ष जारी की जा चुकी है।

(2) जी हां। माननीय विधायक, सिकराय विधान सभा क्षेत्र द्वारा डौलीका में आवासीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं।

आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति एवं राशि भारत सरकार से प्राप्त होने के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आवासीय विद्यालय खोलने के लिए भारत सरकार से कितने प्रतिशत राशि प्राप्त होती है और उसमें कितनी प्रतिशत राज्य सरकार की राशि लगती है और क्या भारत सरकार की राशि नहीं आने पर भी राज्य सरकार कोई विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कनकमल कटारा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसके भवन निर्माण की पूरी राशि आवासीय विद्यालय की भारत सरकार से प्राप्त होती है, उसकी स्वीकृति भी भारत सरकार से ही प्राप्त होती है इसलिए जब प्रस्ताव किये जाते हैं, स्वीकृति आने के बाद में ही उसका निर्माण किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री गोविन्दराम मेघवाल।

नापासर, खाजूवाला व लूणकरणसर (बीकानेर) ग्राम को नगरपालिका बनाये जाने बाबत

65. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नापासर, खाजूवाला व लूणकरणसर पंचायतों को नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री प्रताप सिंह सिंघवी) : पंचायत नापासर व लूणकरणसर को नगरपालिका बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रकरण के सभी पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षणोपरान्त नियमानुसार समुचित निर्णय लिया जायेगा। पंचायत खाजूवाला को नगरपालिका में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस संदर्भ में जिला कलक्टर से क्षेत्र की जनसंख्या के घनत्व, प्रति व्यक्ति आय, राजस्व की उपलब्धता, क्षेत्र की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि खाजूवाला को भी आप जल्द से जल्द म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तित करने का कष्ट करें। यह मेरी मांग है इसमें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जितनी भी नगरपालिकाएं अपग्रेड, नई बनती हैं उनके कई प्रोवीजन होते है। एक तो नगरपालिका जहां बनाई जाती है उसकी कम से कम खुद की रेवेन्यू चालीस लाख रुपया प्रतिवर्ष, अगर वह इन्कम कर लेते हैं तो उनको नगरपालिका में क्रमोन्नत किया जा सकता है। इसके अलावा उसकी पापुलेशन छितरी हुई नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: वह तो आपने बता दिया जवाब में।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): यह नार्म्स में आएगा तब ही खुलेगा न। नार्म्स में नहीं आता है इसलिए अभी खोलने का विचार नहीं है, बनाने का विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपने कहा है, सूचना चाही गई है। जनसंख्या के घनत्व, प्रति व्यक्ति आय, राजस्व की उपलब्धता, क्षेत्र की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति इस बारे में आप ने सूचना चाही है तो वह सूचना आपको अब तक प्राप्त ही नहीं हुई।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): सूचना के लिए कलक्टर को हमने चिट्ठी लिख दी है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कलक्टर साहब ने आपको अभी तक सूचना नहीं भेजी है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह कितनी जानकारी लेंगे ?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): कलक्टर सुनते ही नहीं हैं ...(व्यवधान) आपकी तो इस मामले में कलक्टर सुनते ही नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस किस से जवाब ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप क्यों खड़े होते हैं वह सक्षम नहीं हैं क्या जवाब देने में यह बताइये ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): मैं सक्षम हूं भाईसाहब आप तो विराजो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपस में बात नहीं करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपने मंत्री महोदय, जो इसमें अभी जानकारी में फरमाया कि जनसंख्या के घनत्व का आधार इसका है। क्या यह सही है कि वर्तमान की ग्राम पंचायत नापासर पूर्व की नगरपालिका थी, यदि हां, तो कब और अगर वह नगरपालिका से ग्राम पंचायत में परिवर्तित की गयी तो कब और क्यों? अब उनको पुन: नगरपालिका में परिवर्तित करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष: यह आपका अलग से प्रश्न है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय सदस्य ने जो पूछे हैं वह अलग से प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष: उनका यह अलग से प्रश्न है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): आप मेरे से मिल लेना, मैं इसकी पूरी जानकारी से अवगत करा दूंगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, यह उसी स्थान से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है। आप तो केवल इतना बता दें उस सूचना के लिए समय दिया है क्या कि पांच महीने में, छह महीने में इन बातों का जवाब दें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): मैं आपको बता तो रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत है फिर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): ग्राम पंचायत, नापासर, खाजूवाला एवं लूणकरणसर के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओं के प्रस्ताव भिजवाने हेतु जिला कलक्टर, बीकानेर को विभाग के पत्र क्रमांक 251 दिनांक 27.2006 को लिखा गया है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, यह उसी से संबंधित प्रश्न है जिस स्थान का नापासर का आप जवाब दे रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं उसी संबंध में पूछ रहा हूं कि जब आज उसको नगरपालिका में पुन: परिवर्तित किया जा रहा है तो पूर्व में वह थी यह भी एक ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है यह सूचनाएं जिस दिन आ जाएंगी उस दिन देखा जाएगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सूचना आने दीजिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): इसकी कोई समय सीमा तो निश्चित हो जाए कि कब तक यह प्रस्ताव आ जायेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जिन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो क्या राज्य सरकार संसाधनों की सुनिश्चितता उपलब्ध करते हुए उन ग्राम पंचायतों को नगरपालिका बनाने का विचार रखती है ?

प्रश्न संख्या–66

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल बाहेती। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-67

श्री केसर देव बाबर। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हेमराज मीणा।

आई.पी.डी. योजनान्तर्गत लेप्रोस्कोप खरीद प्रकरण

68. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2002 में लेप्रोस्कोप की खरीद की गई थी? यदि हां, तो कितनी राशि की?

(2) क्या यह भी सही है कि इस खरीद में महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट में दो करोड़ रुपयों का घोटाला बताया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि आई.पी.डी. योजना के तहत नवम्बर, 2002 में दो करोड़ छह लाख रुपये की लेप्रोस्कोप की खरीद की गई जबकि आई.पी.डी. प्रोजक्ट में इस खरीद हेतु कोई प्रावधान नहीं था ? यदि हां, तो उपरोक्त खरीद में किस किस अधिकारी द्वारा कितनी कितनी राशि की किसके आदेश से खरीद की गई ?

(4) सरकार इसके लिए किस किस अधिकारी को दोषी मानती है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री भवानी जोशी) : (1) जी हां। वर्ष 2002 में आई.पी.डी. परियोजना में 100 सिंगल पंक्चर लैप्रोस्कोप क्रय किए गए थे जिनकी कुल लागत राशि रुपए 2.06 करोड़ थी। जिसके विरुद्ध रुपए 1,89,78,300 का भुगतान किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। आई.पी.डी. परियोजना के तहत रुपए 1,89,78,300 राशि के सिंगल पंक्चर लेप्रोस्कोप की खरीद की गई तथा इस हेतु बजट में रुपए 2.70 करोड़ का प्रावधान था।

(4) मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रक्रियान्तर्गत है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा मन्त्रीजी से क्या यह सही है कि महालेखाकार की रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई उसके अन्तर्गत आई.पी.डी. योजना के अन्तर्गत दो करोड़ का घोटाला पाया गया? उस दो करोड़ के घोटाले के अन्तर्गत एंटीकरप्शन को जांच दी गई ? मैं यह जानकारी चाहूंगा मंत्रीजी से कि यह घोटाला होने के बाद भी मंत्रीजी नकार रहे हैं कि जी, नहीं। मैं यह जानकारी चाह रहा हूं माननीय मंत्री जी से आपके मार्फत कि यह घोटाला किन-किन लोगों ने किया, कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं ? कौनसे समय का घोटाला है और कौन कौन से सेक्रेटरी और कौन कौन से डायरेक्टर इसमें शामिल हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आई.डी.पी. योजना किन-किन जिलों में लागू की गई थी ?

श्री अध्यक्ष: मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधीन है इसलिए रिपोर्ट बिना क्या बतायेंगे।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, जिस हिसाब से रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उस हिसाब से राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि आई.पी.डी. योजनान्तर्गत लेप्रोस्कोपी खरीदने का प्रावधान नहीं था? जैसा आडिट रिपोर्ट में है उसके बाद भी अधिकारियों ने, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने, डायरेक्टर ने, सेक्रेटरी ने फाइनैंस के लोगों ने परमिशन देकर लेप्रोस्कोपी के सामान खरीदे गये जबकि उस योजनान्तर्गत यह सामान खरीदने का प्रावधान ही नहीं था। अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी बात प्रकाशित हुई है कि लेप्रोस्कोपी के सामान खरीदे गये ...

श्री अध्यक्ष: अब आप भाषण दे रहे हो प्रश्न तो पूछ नहीं रहे हो।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): पूछ रहा हूं न। क्या यह सही है कि आई.पी.डी. योजनान्तर्गत लेप्रोस्कोपी खरीदने का कोई प्रावधान नहीं था फिर भी क्यों खरीदे गये? क्या यह भी सही है लेप्रोस्कोप खरीदने के लिए बिना मांग, बिना निविदा के सामान खरीदे गये और ऐसी फर्म को ठेका दिया गया जिस फर्म के पास लेप्रोस्कोप बनाने का कोई निर्माण का काम करने का कोई कारखाना नहीं था ? महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट के बाद क्या कार्यवाही राज्य सरकार ने की ? लेप्रोस्कोपी जांच के लिए जनाना अस्पताल में उसकी जांच कराई गई। अध्यक्ष महोदय, यह भी बात सामने आई है उस आडिट रिपोर्ट में कि जनाना अस्पताल में उसकी जांच की गई और जो लेप्रोस्कोपी के सामान खरीदे गये बहुत घटिया सामान हैं और जानलेवा पाये गये, यह रिपोर्ट भी अध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने है। अब यह बात सही है कि आडिट रिपोर्ट आने के बाद एंटीकरप्शन को दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: आप फिर भाषण दे रहे हो।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): लेकिन राज्य सरकार ने इसमें क्या कार्यवाही की? मैं यह जानना चाहता हूं मंत्रीजी से।

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में प्रक्रियान्तर्गत है वहां से जब उसके बारे में कार्यवाही की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न संख्या–69

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही जिले में निश्चित मानदेय पर कार्यरत महिलाओं का मानदेय भुगतान

70. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महिला एवं बाल विकास कार्यालय, सिरोही का जिले में प्रशासनिक तंत्र क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाली महिलाओं को वर्ष 2005

(श्री संयम लोढ़ा)

का मानदेय किस-किस तिथि को प्रदान किया गया ? प्रत्येक स्तर का विवरण माहवार, तिथिवार सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सिरोही जिले में जिला स्तर पर उप निदेशक (आई.सी.डी.एस.) एवं पदेन परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण का कार्यालय स्थापित है। जिले की सभी पांच पंचायत समितियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त जिले में शहरी क्षेत्र की परियोजना आबू रोड इसी वर्ष स्थापित की गई है। इनका विवरण परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है।

(2) विभाग में मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी एवं साथिन को माहवार भुगतान का ब्यौरा परिशिष्ट 'दो' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी के मानदेय का तो आपने हर महीने का भुगतान दो या तीन महीने डिले किया है और जो साथिनों का भुगतान है वह सिरोही तहसील में 6 महीने का बाकी है, आबूरोड़ तहसील का 6 महीने का बाकी है, रेवदर तहसील का 6 महीने का बाकी है, पिंड़वाड़ा का 6 महीने का बाकी है और शिवगंज का 6 महीने का बाकी है। जनवरी का भुगतान भी आपने इसी तरह से पहले 6-6 महीने बाद किये हैं। यह जो साथिनों के भुगतान का डिले है इसके क्या कारण हैं और इसमें कौन जिम्मेदार है ?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह भुगतान देरी का कारण माननीय सदस्य ने पूछा है उसमें सिरोही में डी.डी. कार्यालय में श्रीमती कमला जवाहर लम्बे समय से बीमार चल रही थीं और 26 सितम्बर, 2005 से 16.3.2006 तक अवकाश पर रहीं इसके बाद चार्ज एस.डी.एम. को दिया गया और उसके बाद भी हमने जो विभागीय कार्यवाही की है उसमें दिनांक 10.8.2005 को भी हमने लिखा, दिनांक 13.1.2006 को लिखा और दिनांक 3.3.2006 को भी लिखा और यह भी निर्देशित किया है कि भुगतान अविलम्ब कर हमें सूचित करें और यह लिखा है कि जो देरी हुई है

(श्री कनकमल कटारा)

उसमें संबंधित कर्मचारी जिसने भी लापरवाही बरती है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये भी लिखा है।

श्री अध्यक्षः लिखा किसको आपने? किसको लिखा? किसको लिखा आपने?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सिरोही तहसील में हमने इस बात को लिखा है कि इसका भुगतान परियोजना अधिकारी, सिरोही और उसके साथ ही हमने निर्देश भी दिया है कि जल्दी से जल्दी इसका, लेकिन इसका कारण यही रहा कि कमला जवाहर जो बीमार थीं और उनका निधन हो गया जिसके कारण से हम परेशानी में आये हैं और मैं सोच रहा हूं कि बहुत ही जल्दी जनवरी माह तक इसका भुगतान, वह जो आपने बताया मार्च का, यानि भुगतान..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप जवाब सुन लो उनका, खड़े क्यों हो गये ?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): साथिनों का जो 17.2.2006 तक तो हमारा भुगतान किया जा चुका है और उसके साथ ही यह भुगतान जो कार्यालय से ही किया जाता है वहां और उसके कारण से हमने बार-बार तीन बार लिखा भी है। जल्दी ही फरवरी और मार्च का भुगतान भी हम अविलम्ब करवायेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी सदन को बहुत गुमराह कर रहे हैं। साथिनों के भुगतान के बारें में उन्होंने खुद ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है और बकाया अवधि बतायी है जुलाई, 2005 से जनवरी, 2006 तक यह सिरोही ब्लाक का है। शिवगंज ब्लाक में अगस्त, 2005 से जनवरी, 2006 तक, रेवदर ब्लाक का अगस्त, 2005 से जनवरी, 2006 तक, 6-6 महीने का साथिनों का भुगतान बाकी है और जिस अधिकारी का आप जिक्र कर रहे हैं उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। विधान सभा में हमने प्रश्न लगा दिया, सरकार की जानकारी में सब बातें आ गयीं उसके बाद भी यह संवेदनशील की परकाष्ठा हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं किस बात के आप महिला सशक्तीकरण के दावे करते हो ? साथिनों का भुगतान नहीं कर सके आप 6-6 महीने तक..(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 17.2.2006 का भुगतान डी.डी. कार्यालय, सिरोही के माध्यम से किया गया है और बाकी का ट्रेजरी में गया हुआ है और ट्रेजरी में पास होकर आने के बाद हम तुरन्त उसका भुगतान करवा देंगे..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): या तो फिर आपने गलत उत्तर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप खुद अवलोकन कर लें उत्तर का। छह महीने का भुगतान साथिनों का आज भी बाकी है, यह मंत्रीजी ने लिखित में जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष: हां दिया है जवाब में है आपके। आपके जवाब में यही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह राशि उप निदेशक के पास सरकार की तरफ से होती है..(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान वहीं से होता है तो उसके लिये जो टाइम हुआ है मैंने आपसे निवेदन किया है और हमने निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी उसका भुगतान करा देंगे। बिल पास होते ही इन सबका भुगतान आ जायेगा.. (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.डी.एम. को जब चार्ज दे दिया गया, विभाग को लिख दिया गया, एस.डी.एम. ने भुगतान नहीं करवाया तो क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष: क्यों आप बोल रहे हो, जवाब तो सुन लीजिये उनका। आप स्थान ग्रहण कर लें। जवाब सुन लें उनका।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): डिले किया है, छह महीने लगा दिया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे? कार्यवाही की मंशा रखते हैं क्या, आप तो यह बताइये। छह महीने हो गये तो यह किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है और लापरवाही की है तो आप क्या सज़ा देंगे?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): डिले के कारण भी मैंने बता दिये..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सब एक साथ नहीं..(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मंत्री महोदय, सदन में जो जवाब दिया गया है वह तो गंभीरतापूर्वक आपका जवाब आना चाहिये। आपकी क्या समस्याएं रहीं और क्या बात रही लेकिन जवाब जो दिया, आपने कहा कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि भुगतान कर दिया, यह तो बड़ी गंभीर बात है। इस मामले में तो गंभीरता अपने को रखनी पड़ेगी, नहीं तो सदन की सारी जो व्यवस्था है वह चकनाचूर हो जायेगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिना मतलब की बात कर रहे हैं.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कर लें। जवाब सुन लें उनका। कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य, जवाब सुनिये। आप स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हमने अब तक जो बात थी लेकिन लोकल लेवल पर पेमेंट होता है लोकल लेवल पर जो स्थिति हुई है वह आपसे मैंने निवेदन किया कि जो स्थितियां हुई। उसके बाद भी हमने लिखा है तीन बार और जल्दी से जल्दी उसका हम भुगतान करवा देंगे..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण बात नहीं है। इससे आपकी सरकार की वर्किंग क्या है इसका मालूम पड़ता है। आपने पहले भी छह महीने डिले किया था और उन गरीब औरतों को आप क्या देना चाहते हो? आज भी विधान सभा में क्वेश्चन लगने के बाद भी आपकी हालत है कि छह महीने तक आपने पेमेंट नहीं किया आज भी। आपमें अगर जरा भी नैतिकता है तो इस्तीफा दें आप। आप इस लायक नहीं हो इस डिपार्टमेंट को संभलाने के..(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैंने यह भी निवेदन किया कि विलम्ब जिस कारण से हुआ उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे और भुगतान करवा देंगे। दोषी होगा हम निश्चित रूप से उसकी कार्यवाही करेंगे..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह भाषण हो रहा है क्या? पाइंटेड सवाल करें जवाब देगी सरकार। आप पाइंटेड सवाल करें.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप पहले पूरा प्रश्न सुन लें उनका फिर जवाब दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप साथिनों का भुगतान नहीं कर रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो ? यह 12 महीने से डिले है आपका और आप सरकार चला रहे हो। कौनसी सरकार चला रहे हो आप? यह क्या सरकार चला रहे हो आप? यह क्या सरकार चला रहे हो आप जो महिला सशक्तीकरण के दावे हैं आपके, यह तो सरकार की हालत है और आप कह रहे हैं हम कार्यवाही कर रहे हैं। क्या कार्यवाही कर रहे हो आप?..

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वह स्थितियां मैंने बतायीं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही भी करेंगे। मैंने कह दिया कि इसमें निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही जिसने भी किया है उनके खिलाफ करेंगे। जिन अधिकारियों ने किया है, चाहे किसी ने किया हो, हम निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही करेंगे।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सदस्य के समझने में थोड़ा फर्क है माननीय अध्यक्ष महोदय, गलती करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ? कार्यवाही करेंगे।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, सहयोगिनीयों को मात्र 800, 1000 रुपये महीने का भत्ता मिलता है और वह भी छह महीने तक इनके आई.सी.डी.एफ. नहीं दे, लम्बी छुट्टी पर था तो कोई न कोई तो वहां इंचार्ज होगा और छह महीने तक आठ सौ और एक हजार रुपये उनको भत्ते के रूप में है, वह भी छह-छह महीने तक नहीं दिया, जो भी अधिकारी इंचार्ज था उनके खिलाफ सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है और नहीं की है तो आगे क्या करने का इरादा रखते हैं, वह बता दें आप। छह महीने तक एक हजार रुपये का भत्ता भी नहीं अगर चुकायेंगे तो क्या हालत है फिर इस विभाग की ? कोई इंचार्ज तो होगा?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन कर दिया कि जो स्थितियां थीं यानि हमारे जो डी.डी. लम्बी छुट्टी पर थे उसके बाद में जिस अधिकारी को चार्ज दे रखा था..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में न बोले जवाब सुन लें उनका। बीच में न बोले।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): और एस.डी.एम. को लोकल लेवल पर चार्ज दिया गया था और उसके बाद भी हमने लिखा है तीन बार। मैं आपको पहले भी निवेदन कर चुका हूं और उस बीच में जो भी विलम्ब हुआ, जिस अधिकारी और कर्मचारी ने लापरवाही बरती है उसके खिलाफ निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे और उसका भुगतान करवा देंगे..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): किसने की है? अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जिसके पास, एस.डी.एम. के पास चार्ज था और उसने छह महीने तक

(श्री अमराराम धोद)

पेमेंट नहीं किया उसके खिलाफ अभी तक कार्यवाही क्या की है, वह बतायें। करेंगे, कार्यवाही, प्रश्न आ गया विधान सभा में और अब कह रहे हैं और आज तक क्या कार्यवाही की है जिसके पास चार्ज था, अब तक क्या कार्यवाही की है ? उसने नहीं किया, उसके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की है, वह बतायें..(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि तीन बार हमने उनको पत्र लिखा और कार्यवाही नहीं हुई तो फिर आपके पत्र का क्या हुआ ? आपके आदेश का, तीन बार आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है, आप कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि जो हमने लिखा है निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, इनका सुन लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार द्वारा हर प्रभारी मंत्री हर महीने दौरे पर जाता है। प्रभारी मंत्री दौरे पर जाता है, सेक्रेटरी, इंचार्ज दौरे पर आता है, यह सारे आंकड़े इस सरकार के निकम्मेपन की पराकाष्ठा है। क्या प्रभारी मंत्री करते हैं, क्या प्रभारी सचिव करते हैं और किस बात का जिले के अन्दर जाकर मंत्री दौरा करके आते हैं? छह-छह महीने बहनों को आप आठ सौ, हजार रुपये का भुगतान नहीं कर रहे हो। पहले भी छह महीने डिले किया है।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, भाषण नहीं। मंत्रीजी, ..(व्यवधान) स्थान ग्रहण कर लें। आसन पांवों पर, स्थान ग्रहण कर लें। आसन पांवों पर है..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भाषण की बात नहीं है, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह पूरी सरकार के निकम्मेपन का उदाहरण है..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सरकार के लिये निकम्मापन कहा गया है, यह ठीक नहीं है। सरकार के लिये निकम्मापन कहना ठीक नहीं है, आप इन्हें निर्देशित करें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें। माननीय मंत्रीजी, यह बात तो सही है कि आपके आदेश के बाद आप कहते है मैंने लिखा और लिखने के बाद भी उनको पेमेंट नहीं हुआ, उन

(श्री अध्यक्ष)

दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप कुछ करें तो सही। एक्शन तो लें, कोई कार्यवाही तो करें।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैंने निवेदन कर दिया निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी फरवरी माह तक का हम भुगतान करा देंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): डी.ओ.पी. में किसने दी है यह ? डी.ओ.पी. में किसने दी है यह ?

श्री अध्यक्ष: आप बीच में न बोलें, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्रीजी, योग्यता का परिचय दें और कुछ कार्यवाही करें अन्यथा इस्तीफा दे दें..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): जिन्होंने किया उनके खिलाफ क्या किया वह बताओ न।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण कर लें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): तीन बार लिखने के बाद भी कुछ नहीं होता, उनकी कोई सुनने वाला है कि नहीं है?

श्री अध्यक्ष: गुढामालानी से आने वाले सदस्य स्थान ग्रहण करें। आपका जवाब जो है उसमें एक तरफ तो जवाब में आप छह महीने का बकाया बता रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कर दिया उनको अब हमने, ऐसा पहले देख लिया करें। यह इस तरह..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): स्वीकृति जारी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्वीकृति जारी नहीं, वह कह रहे हैं कर दिया फरवरी में..(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यहां से..(व्यवधान) उसके बाद में..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब में आप 6-6 महिने का बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको अब हमने कर दिया। ऐसा है आप देख लिया करें(व्यवधान) स्वीकृति जारी नहीं हुई, कह रहे हैं कर दिया है (व्यवधान) ऐसा नहीं हो।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भुगतान वहां लोकल लेवल पर करते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मंत्री बना दिया जाये इस विभाग में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलेंगे। यह क्या तरीका है। आसन पांवों पर हैं और आप बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं। मैं मंत्रीजी आपसे निवेदन कर रही हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप बिराजें, वह सी.एम. साहब आ रही हैं, जवाब दे देंगी। सी.एम.साहब जवाब दे देंगी।

श्री अमराराम(धोद): अभी तक 6 महीने तक पेमेंट नहीं किया तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी कुछ इंटरवीन करना चाह रही होंगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ इंटरवीन करना चाहती होंगी, सुनिये, आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में क्या हो रहा है, आपको बैठाया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब देने से पूर्व पूरी स्थिति पर आप खुद इस बात से पहले संतुष्ट हो जाया करें कि क्या स्थिति है और क्या स्थिति नहीं है। यहां पर तो आप 6-6 महीने का बकाया बता रहे हैं, आइंदा के लिए, भविष्य के लिए इसको ठीक तरीके से देखकर पूरी तैयारी के साथ आया करो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि 6 महीने तक जिन्होंने वेतन नहीं दिया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री अध्यक्ष: वह तो कह दिया न उन्होंने।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैंने पूरा बता दिया उसके बाद की स्थिति है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सारी तकलीफ इस बात की है कि जो ब्रेन टयूमर से पीडित डिप्टी डायरेक्टर थे वह छुट्टी पर चले गये इसलिए दूसरे अधिकारी को चार्ज दिया गया। सरकार ने समय पर स्वीकृति जारी की है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): सरकार की यह जिम्मेदारी बनती थी कि किसी दूसरे की ड्यूटी लगाते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह 6 महीने में जरूर है (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, इस तरह से महिलाओं का शोषण होता रहेगा तो क्या होगा ?

श्री अमराराम (धोद): चार्ज जिसके पास था उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? बात यह थी, कि टयूमर था तो उसका क्या(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आठ सौ रुपया दिया उन महिलाओं को वह भी नहीं मिला और भुगतान नहीं किया तो आप उसको ब्याज सहित देने की इच्छा रखते हैं कि नहीं यह बतायें? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह एक जगह की बात नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने प्रभारी मंत्री जिले में लगा रखे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी ने कुछ सुना नहीं है, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: नहीं सुना है तो सुन लें, यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: क्या प्रश्न है और क्या नहीं है, उनको यह पता नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर इस स्थिति में किसी भी तरीके से लापरवाही बरती गयी है तो हम उसका इंतजाम करा लेंगे और जिसने भी किया है उसको दंडित करेंगे। यह तो मैं समझती हूं कि उनके प्रश्न में भी आया ही होगा।

श्री संयम लोढ़ा: नहीं आया है, यही तो बात है। (व्यवधान) यह कोई सही बात नहीं है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इतना स्पष्ट आश्वासन सदन की नेता ने दिया है...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप दंडित करेंगे और सहयोगिनियों को आठ सौ रुपये तनख्वाह (व्यवधान) उस भुगतान को क्या आप ब्याज सहित दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप बिराजें। माननीय सदस्य गण अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वस्त कर दिया है सदन

(श्री अध्यक्ष)

को कि इस बारे में जो कोई दोषी होगा उन्हें दंडित किया जायेगा। यह कह दिया उन्होंने और आप क्या चाहते हैं?

श्री संयम लोढ़ा: यह खाली एक अधिकारी का दोषी होने का मामला नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): सदन को गुमराह किया जा रहा है (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह पूरी शासन व्यवस्था का सवाल है (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद): प्रश्न का उत्तर आ गया है लेकिन अब तक एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है। यह एक दफे की बात नहीं है। 6-6 महीने तक दो दफे नहीं दिया है(व्यवधान) यह राजस्थान के हर जिले का हाल है।

श्री अध्यक्ष: कह तो दिया कि उन्हें दंडित किया जाये। कह तो दिया...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है अधिकारियों को दंडित करने को(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यह केवल सिरोही का ही नहीं राजस्थान के हर जिले का यही हाल है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): राजस्थान के सभी जिलों का हाल है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरे राजस्थान में पेमेंट नहीं हुआ है।

श्री अमराराम (धोद): सहयोगिनियों को समय पर पेमेंट नहीं होता है और उनके साथ यह जो हो रहा है कि इस प्रश्न के आने के बाद में भी उन अधिकारियों को जिन्होंने 6-6 महीने तक एक दफे नहीं दो दफे तनख्वाह नहीं दी उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई। मेरा सवाल है क्या कर देंगे, कब तक कर देंगे यह बतायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पेमेंट हो चुका है (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-71

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री प्रमोद जैन 'भाया'। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

आहोर विधान सभा क्षेत्र के अविद्युतीकृत ग्राम

72. **श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में वर्ष 2001 से 2005 तक कौन-कौनसी योजनाओं के तहत कितने घरेलू/वाणिज्यिक/ औद्योगिक/ कृषि कनेक्शनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से आवेदक कनेक्शन से वंचित हैं एवं क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर के कई गांव विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त वंचित ग्रामों को वर्ष 2006-07 में विद्यतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह) : (1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में वर्ष 2001 से 2005 तक घरेलू/वाणिज्यिक/औद्योगिक/कृषि कनेक्शनों के प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या सूची परिशिष्ट'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक विभागीय औपचारिकतायें पूर्ण कर नियमानुसार कनेक्शन जारी करने की सतत् प्रक्रिया के तहत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। शेष लंबित रहे आवेदनों की श्रेणीवार संख्या उक्त परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र आहोर के कुल 138 गांवों में से 135 गांवों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं। गांव महेशपुरा में कोई विद्युत आवेदन लंबित नहीं है। केवल एक गांव रातानाड़ा अविद्युतीकृत है तथा गांव मोरीटोकरियान वर्तमान में गैर-आबाद है।

(4) जी हां। उक्त शेष रहे अविद्युतीकृत गांव रातानाडा को राजीव गांधी ग्रामीण विद्यतीकृत योजना के अंतर्गत माह मार्च, 2007 तक विद्युतीकृत करना प्रस्तावित है। गांव महेशपुरा में आवेदन प्राप्त होने पर निगम के नियमानुसार विद्युत कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): अध्यक्ष महोदय, जवाब लगभग

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

परिपूर्ण है। खाली मेरा गांव राताना्डा बाकी है उसको जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिफाई कर देना, यही निवेदन था।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इस वित्तीय वर्ष में वह विद्युतीकृत कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश त्रिवेदी।

भीण्डर-रामगढ़ (भीलवाड़ा) सड़क का नवीनीकरण

73. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की भीण्डर-रामगढ़ सड़क एम.डी.आर.-33. के गंगापुर-करेड़ा सेक्शन के बीच किलोमीटर शून्य से 45 तक वर्ष 1991 से आज तक कौन-कौन से किलोमीटर तक नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण का कार्य किया गया ? सूची किलोमीटर सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में (एम.डी.आर.-33) गंगापुर-करेड़ा सड़क आवागमन के योग्य है एवं क्या किसी मशीन द्वारा इस सड़क का लेवल चेक किया गया ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई ? क्या यह सड़क सबसे कम दूरी से चित्तौड़-पाली-जोधपुर को जोड़ने वाली सड़क है ? क्या सरकार उक्त सड़क को मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना एवं केन्द्रीय सड़क निधि योजना के तहत नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाने का विचार रखती है ? क्या वर्तमान में इस सड़क के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अंतर्गत भीण्डर रामगढ़ सड़क (एम.डी.आर.-33) के गंगापुर से करेड़ा सेक्शन की लंबाई 45 किलोमीटर(किलोमीटर 0/0 से 45/0) है। जिसमें सन् 1991 से आज तक किलोमीटर 26/0 से 28/0 वर्ष 1991 में किलोमीटर 28/0 से 45/0 वर्ष 1993 में किलोमीटर 20/0 से 22/0 वर्ष 2003 में नवीनीकरण कार्य किया गया। वर्ष 1991 से आज तक उक्त सड़क के गंगापुर करेड़ा सेक्शन में सड़क चौड़ाईकरण का कार्य नहीं हुआ।

(2) जी हां। वर्तमान में भीण्डर रामगढ़ सड़क (एम.डी.आर.-33) के गंगापुर करेड़ा सड़क आवागमन के योग्य है। इस सड़क पर किसी भी मशीन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

द्वारा लेवल चैक नहीं किया गया है। यह सही है कि उक्त सड़क चित्तौड़-पाली-जोधपुर को जोड़ने वाली सबसे कम दूरी की सड़क का भाग है।

जी हां। सरकार उक्त सड़क का स्टेट रोड फंड/केन्द्रीय सड़क निधि योजना में नवीनीकरण का विचार रखती है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में नवीनीकरण व सुदृढीकरण की कोई स्वीकृति नहीं है। इस सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अध्यक्ष महोदय, एमडीआर रोड के नवीनीकरण के कितने वर्ष में नवीनीकरण होना चाहिए? दूसरा, आपने बताया कि आवागमन के योग्य है और दूसरी तरफ आपने बताया कि उसका कोई लेवल ही चैक नहीं हुआ है। रोड सारे जो चलते हैं वह लेवल से चलते हैं कि अगर लेवल ठीक है तो रोड ठीक है। आपने रोड का लेवल ही चैक नहीं किया। आप किस आधार पर यह कह रहे हैं कि यह रोड आवागमन के योग्य है? इस रोड में पूरे खड्डे पड़ चुके हैं, यह बरबाद हो चुकी है और 1991 से यह नवीनीकृत नहीं हुई और आप इसमें कह रहे हैं कि यह आवागमन के योग्य है। मैं यह मानता हूं कि यह आवागमन योग्य इसलिए है कि हर गाड़ी में फर्स्ट गियर से लेकर के चार, पांच गियर होते हैं। गाड़ी फर्स्ट गियर में भी चलेगी, सेकण्ड में भी चलेगी, थर्ड में भी चलेगी और पहाड़ी पर भी चलेगी। हाई लेवल से चलेगी। लेकिन वह आवागमन योग्य है अगर आप इसको मानते हैं तो यह आवागमन योग्य है बाकी लेवल के आधार पर अगर आप लेवल चैक करेंगे, स्ट्रेंथ चैक करेंगे तो यह रोड खराब रोड है और चित्तौड़ से पाली जाने वाला सबसे कम दूरी के जो इंदौर, एम.पी. से आने वाली रोड है। इसमें 50-60 किलोमीटर की दूरी कम पड़ती है। इस रोड के नवीनीकरण का कार्य आज तक नहीं हुआ जबकि इस रोड से कौन-कौनसी ऐसी रोड भी हैं जो कितने मीटर विड्थ की रोड हैं, एमडीआर में कितनी विड्थ की रोड है, इससे आपने जो लिंक रोड बनायी हैं जो एमडीआर से जुड़ती हुई जा रही हैं वे कौन-कौनसे ऐसे टुकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, भाषण नहीं दें।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): हां, वही पूछ रहा हूं। वह कौन-कौनसी रोड हैं उनकी विड्थ क्या है। क्या आप इसको चौड़ा करके इसको इसी वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण का विचार रखते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सड़कों में अलग-अलग केटेगरी के हिसाब से नवीनीकरण के अलग-अलग मानदंड किये हैं। अगर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग हो तो उस पर चार वर्ष से लेकर छह वर्ष तक के बीच में नवीनीकरण किया जाता है। यह एमडीआर है, मीटर डिस्ट्रिक्ट रोड, इसके नवीनीकरण का कार्य आठ से दस वर्ष के बीच में किया जाता है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): मंत्री महोदय, दस वर्ष में नहीं हुआ है, आप देख लें।

श्री अध्यक्ष: आप पूरा जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सही है कि यह सड़क चित्तौड़गढ़, पाली और जोधपुर को जोड़ने वाली सबसे कम दूरी की सड़क है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे उत्तर में विस्तृत रूप से बता दिया था कि किस-किस किलोमीटर का इस सड़क का कब-कब नवीनीकरण हुआ है। निश्चित तौर पर जो मापदण्ड हैं, उनके अनुसार इस सड़क का नवीनीकरण होना चाहिए पर एम.डी.आर. के नवीनीकरण का कार्य हमें सी.आर.एफ. से जो पैसा मिलता है उससे ही हम करते हैं। सी.आर.एफ. में हमारा पैसा निश्चित तौर पर केन्द्र सरकार देती है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस बार सी.आर.एफ. के जो प्रस्ताव भेजे जाएंगे उसमें निश्चित तौर पर हम इसको भी शामिल करेंगे और आगामी वर्ष में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य सरकार को सड़कों की मरम्मत के लिए भी पैसा मिलने वाला है, उस पैसे का उपयोग करते हुए निश्चित तौर पर आपकी यह सड़क जिसका सवाल आपने उठाया है, इस सड़क की उपादेयता भी है और उपयोगिता भी है, इसके नवीनीकरण कार्य के प्रस्ताव सी.आर.एफ. में अगली बार जब भी हम भेजेंगे, भेज देंगे।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय मंत्री महोदय, मैंने विड्थ के लिए भी निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री मदन राठौड़।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): इसकी विड्थ, क्योंकि मैडम इसमें.. (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आपके खड्डे भर जाएंगे न।

दोषपूर्ण खाद्य तेल पैकिंग से स्वास्थ्य पर प्रभाव

74. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खाद्य तेल पैकिंग में जी.पी. शीट के पीपों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए घातक है? यदि हां, तो किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होकर स्वास्थ्य पर क्या घातक प्रभाव पड़ सकता है?

(2) क्या यह सही है कि तेल मिलों द्वारा उत्पादित द्रव्यों एवं पैकिंग की समय-समय पर जांच हेतु सरकार के अधिकारी नियुक्त हैं? यदि हां, तो लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री भवानी जोशी): (1) पीएफए एक्ट 1954 व 55 के नियम 49(2)(5.vi) एवं (30) के अनुसार खाद्य तेल/वसा की पैकिंग टीन प्लेट से बनी कन्टेनर (पीपा) ब्यूरो आफ इण्डियन स्टेण्डर्ड व इण्डियन स्टेण्डर्ड्स के मानक स्तर की आवश्यकता के अनुरूप होना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों के अनुसार प्रमाणिकता की जांच करती है।

टीन शीट के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कन्टेनर में पैक्ड तेल/वसा लम्बे समय तक रहने पर उसमें बदबू आने लगती है। इस प्रक्रिया को रेनसिडिटी कहते हैं। इस प्रकार के तेल/वसा का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। रेनसिडिटी युक्त तेल के प्रयोग से पेट से सम्बन्धित रोग उत्पन्न हो सकते हैं।

(2) जी हां। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के साथ-साथ राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक: एफ.17 (10) एफ.एस./लीगल/98 दिनांक 08.01.2001 में उद्योग विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को एडिबल ऑयल पैकेजिंग आर्डर, 1988 के अन्तर्गत निरीक्षण अधिकारी को प्रदत्त निर्धारित कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त किए गए हैं एवं इसी अधिसूचना से सभी सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान को एडिबल आयल पैकेजिंग आर्डर, 1998 के अन्तर्गत पंजीयन अधिकारी को प्रदत्त समस्त कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

राज्य में खाद्य तेल/वसा की पैकिंग में अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के

(श्री भवानी सिंह)

अनुसार जांच हेतु लिए गए खाद्य तेल/वसा के किसी भी नमूने में एस्टीमेशन ऑफ मेटल कन्टीमेन्टस नहीं पाया गया है व न ही रेनसिडिटी पाई गई है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य से बाहर से आने वाले तेल पैकिंग की जांच की गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दूसरा, जब यह साबित है कि अन्य प्रकार के कन्टेनर में पैक्ड तेल/वसा हानिकारक है तो आज तक लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? तीसरा, मैंने मांगा था कि रासायनिक प्रतिक्रिया इसकी क्या होती है, कृपया स्पष्ट करें।

श्री भवानी जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे क्या बीमारी होती है, उसका मैंने जवाब दे दिया है कि इससे पेट से सम्बन्धित रोग उत्पन्न हो सकते हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कैमिकल रिएक्शन क्या है?

श्री भवानी जोशी: टीन शीट में लम्बे समय तक रहने से कोई कैमिकल रिएक्शन तो ज्यादा नहीं हो पाता लेकिन समय-समय पर इसकी जांच करवाई जाती है, इन्सपेक्टरों को लगवाकर करवाई है। उसके बाद भी अगर मान लो ऐसी स्थिति सामने आती है और तेल में कहीं बदबू आती है तो उसके खिलाफ विभाग के अधिकारी कार्यवाही करते हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 75 नम्बर का सवाल।

श्री अध्यक्ष: वह प्रश्न पूछ रही हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में जानकारी चाहूंगी क्योंकि जब तेल में कोई सब्जी बनाते हैं और घी रखते हैं तो वह तेल घी की तरह ठस जाता है, उसके बारे में कोई जांच-पड़ताल नहीं हो रही है। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने सब्जी कब बनाई थी? आप सब्जी नहीं बनाती हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): मैं सब्जी तो क्या खाना बनाती

(श्री सूर्यकान्ता व्यास)

हूं। ऐसे मत कहना। आप आओ तो मैं आपको खाना बनाकर खिलाकर बताऊं। मैं खाना बनाती हूं। मैं सही बता रही हूं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके साहब तो हमसे मिलते रहते हैं, वह कहां खाना खिलाते हैं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): हां, तो खाना खिलाऊंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरी बात को मजाक में ले रहे हैं, मैं सही कह रही हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): मैंने सुना है, आप तो कभी किसी को खाना खिलाती ही नहीं हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): कौन कहता है? मैं तो खाना बनाती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आप मेरे और माननीय सदस्य, के बीच में आ रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मजाक में नहीं लें मेरी बात को, मैं वास्तव में सीरियस कह रही हूं कि बाहर से कोई तेल आता है, वह खराब आता है, उसकी जांच-पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसे क्यों होता है?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसके कैमिकल रिएक्शन के बारे में पूछना चाह रहे थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ....।

श्री अध्यक्ष: वह रेनसिडिटी के बारे में पूछ रहे हैं, वह बताएं आप।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेनसिडिटी दो तरह की होती है, एक ऑक्सीडेंटल रेनसिडिटी और दूसरी कीटोनिक रेनसिडिटी। जो ऑक्सीडेंटल रेनसिडिटी होती है उसका कारण तेल में हवा, टेम्प्रेचर, रोशनी, पानी, सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध ताम्बा, निकल, लोहा आदि के रिएक्शन की वजह से होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जो रिएक्शन होता है उसको कीटोनिक रेनसिडिटी कहते हैं। इन दोनों से ही तेल में एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। चूंकि विभाग द्वारा इस तेल के नमूने लिए जाते हैं, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं और इनके पीपे, इनका सब स्टेण्डर्ड, क्योंकि उद्योग विभाग भी इसमें पूरी तरह शामिल है। मैं इतना सा निवेदन

(श्री दिगम्बर सिंह)

करना चाहूंगा कि अब तक तेल और घी के जो नमूने विभाग ने लिए हैं, सन् 2005 में 20,189 नमूने लिए गए थे जिनमें 475 मिस ब्राण्डेड या मिलावटी पाए गए पर रेनसिडिटी का कोई भी केस अभी तक सामने नहीं आया है और 343 में से 80, सन् 2005 में इस तरह के मिस ब्राण्डेड पाए गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस तरह का कोई नमूना नहीं आ पाया है जिसमें रेनसिडिटी का कोई प्रभाव हमें नजर आया हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बाहर से जो तेल आता है, उसकी पैकिंग की जांच की गई? यदि की गई तो क्या उसकी रिपोर्ट है? उसमें कोई दोषी पाया गया? राज्य के बाहर से आ रहे हैं और इसी प्रकार के टीन की पैकिंग में है। ...(व्यवधान) हां, उसमें पशुओं की चर्बी भी है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के बाहर से आने वाली पैकिंग भी वैसी ही है और टीन जो यहां यूज करते हैं उसकी भी पैकिंग वैसी ही है। कुछ समय पहले बिना गैल्वेनाइज्ड स्टील के, बिना अप्रोप्रिएट स्टील के, ब्लैक स्टील की पैकिंग कुछ कम्पनियों द्वारा की गई थी उसके कारण से कोई पी.आई.एल. हुई और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि अब स्टील केस में दुबारा पैकिंग न करें। मेरे ख्याल से हर घर में उन पीपों में जो स्टील के हैं और जिनमें जंग नहीं लगी है, वह उपयोग में आते हैं। अगर ब्लैंक किट, सब जगह बैन कर देंगे तो तेल कम से कम दस रुपए प्रति किलो और महंगा होगा या यह यूनिट जितनी भी लगी हुई है, वह बन्द होगी। हाइपोथीटिकल आधार पर ऐसा एक भी केस आज तक फाइण्ड नहीं हुआ है, हां यदि बाहर से आ रहा है तो हम चैक कर सकते हैं। टैंकर से तेल जा रहा है, बड़े-बड़े कारखाने जितने भी हैं, पैकिंग अच्छी हो लेकिन री-यूजेबल है उसे ले लेना चाहिए। सरसों का तेल हम खुद निकलवाते हैं, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य अभी विराज नहीं रहे हैं, और भी माननीय सदस्य जानते हैं कि अगर तेल निकलवाने के बाद, सैटल होने के लिए उसे डेढ़-दो महीनों तक नहीं रखें और उसको छानकर अगर बाहर नहीं निकालते तो उसमें भी बदबू आने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह मिलावटी हो गया। इसलिए फिल्टराइजेशन प्रोपर होना चाहिए लेकिन उसको सम टोटल एक कर दिया कि किसी भी टीन की पैकिंग का नहीं है, री-यूजेबल नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक भी अगर री-यूजेबल नहीं है तो प्लास्टिक में भी कंटामिनेशन उतना ही आता

(श्री नरपत सिंह राजवी)

है, बिसलेरी के पानी के अन्दर भी आ चुका है। मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा बहस न करके जो भी किसानों के हित की बात हो उसके आधार पर प्रैक्टिकल बात हो। यह तो सही है कि बाहर से अगर कंटामिनेटेड आ रहा है तो उसको जरूर रोकना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री बत्तीलाल मीणा। श्री जुबेर खान।

मंदिर माफी की भूमि पर अवैध कब्जों का नियमन

75. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अनेक जिलों एवं तहसीलों में मंदिर माफी की भूमि पर स्थानीय काश्तकारों का लम्बे अर्से से कब्जा है एवं खेती की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि मंदिर माफी की जमीनों पर अनेक स्थानों पर लोगों ने आवासीय मकान बनाये हुये हैं? यदि हां, तो इन आवासों के नियमन हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार मंदिर माफी की जमीनों के संबंध में कोई नये नियम एवं मानदण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(प्रश्न संख्या-75 स्थगित)

श्री अध्यक्ष: आपका क्वेश्चन पोस्टपोंड है। आपने बहुत लम्बी सूचना चाही थी, वह सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। ...(व्यवधान) श्री बत्ती लाल मीणा।

माडा ग्राम दलपुरा (टोडाभीम) के माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

76. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती के माडा ग्राम दलपुरा के माध्यमिक विद्यालय में मात्र तीन कमरे हैं?

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम के माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण के

(श्री बत्तीलाल मीणा)

लिए दस लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(शिक्षा मंत्री) श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमको स्थानान्तरित कर दिया गया है, वैसे यह जनजाति का क्वेश्चन है।

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती के माडा ग्राम दलपुरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दलपुरा में पांच कमरे हैं।

(2) जी नहीं। इस संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने इस साल बजट में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी के कमरे और भवन बनाने के लिए प्रावधान किया है, अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो इस संबंध में भी शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): मैं उत्तर से संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र सराधना। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से जिला नागौर की तहसील जायल और डेगाना में ओलावृष्टि से ईसबगोल और जीरा की फसल को भारी क्षति होने के संबंध में।

स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य में इस विषय को शामिल कर लिया जाय। ...(व्यवधान) आप आज वक्तव्य देंगे? आप मंत्रीजी, आप वक्तव्य देंगे? इसको भी शामिल कर लीजिएगा।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप समय तय कर दो।

श्री अध्यक्ष: कब देंगे आप?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आज दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: आप जब चाहें अपने वक्तव्य में शामिल कर लीजिएगा।

राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी आपने निर्देश दिये इसका भी उत्तर आ जाएगा, इसलिए आज की बजाय कल का रख दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। यह अभी-अभी आपने निर्देश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, कल इस बारे में मंत्रीजी वक्तव्य देंगे तब आपकी बातों का जवाब आ जाएगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): दो मिनट का समय आप ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब आपने लिख दिया है ईसबगोल और जीरे की फसल को भारी क्षति हो गई है तो और क्या बोलेंगे आप?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर आप सबको ही दो मिनट का समय देते हैं तो फिर मुझे आप दो मिनट के लिए अलाऊ करें।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में क्या बोलेंगे, मुझे आप बताइए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): यही बोलेंगे जो हमारी पीड़ा है, किसानों की जो पीड़ा है वह कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: लिख तो दिया आपने।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): ओलावृष्टि हुई है।

श्री अध्यक्ष: जब वे वक्तव्य देंगे उस वक्त आपका कोई प्रश्न होगा आपको इजाजत देंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपकी आज्ञा हम तो हमेशा ही मानते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह बहुत कम बोलते हैं, दो मिनट दे दें इनको।

श्री अध्यक्ष: (2) श्री हरिमोहन शर्मा एवं 20 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के एक मंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिये गये बयान से कथित साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होने के संबंध में। लगभग ऐसे ही विषय से संबंधित एक अन्य स्थगन प्रस्ताव पर मैं अपनी व्यवस्था दे चुकी हूं लेकिन फिर भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

3. श्री संयम लोढा, सदस्य की ओर से प्रशासनिक असक्षमता के कारण हो रही गोवंश तस्करी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी के चिकित्सालयों में चिकित्साकर्मियों के पद रिक्त होने के संबंध में।
2. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से पूर्व सैनिकों को रोजगार एवं ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में।
3. श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ की कपासन तहसील की अफीम की खेती को वर्षा से हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबध में।
4. श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से चम्बल नदी पर गैन्ता-माखीदा पुलिया का निर्माण करने के संबंध में।
5. श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर की शिक्षण संस्थाओं में पद रिक्त होने के संबंध में।
6. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से जहाजपुर कस्बे में धार्मिक ग्रन्थों का अपमान होने के कारण तनाव की स्थिति पैदा होने के संबंध में।
7. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में तिंवरी-बालेसर एम.डी.आर. सड़क पर गोतावर नदी की क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निमाण करने के संबंध में।
8. डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से विधायक कोष की राशि में वृद्धि करने के संबंध में।
9. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से पुष्कर सरोवर की बिगड़ती स्थिति के संबंध में।
10. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में।
11. डा. ओ.पी. महेन्द्रा, सदस्य की ओर से गंगानगर शहर स्थिति शुगर फैक्ट्री का आधुनिकीकरण करने एवं इसे ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट करने के संबंध में।
12. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से तहसील चाकसू व फागी में मुंसिफ न्यायालय खोलने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री जोगाराम पटेल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जायल और डेगाना तहसील, नागौर जिले में ओलावृष्टि से ईसबगोल व जीरे की फसलों को नुकसान

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्षजी, आपसे निवेदन है नागौर जिले की चार तहसीलों में भयंकर ओलावृष्टि हुई है और वहां के किसानों का जीरा और ईसबगोल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है जबकि माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, आपने कोटा संभाग में, भरतपुर में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने जोगाराम पटेल का नाम पुकार लिया। मैंने जोगाराम पटेल का नाम लिया है, उन्हें पुकारा है, आपको मैंने कह दिया कि जब वे वक्तव्य देंगे उस समय यदि आपको कोई प्रश्न पूछना होगा तो आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): ठीक है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह गंभीर प्रश्न है और क्या गंभीरता दिखाएंगे आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, कोटा संभाग में तो ओला पीड़ितों के लिए कलक्टर्स को रुपया दिया गया है, हमारा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है मंत्री महोदय से अन्य जिलों में दिया है, आप नागौर के अंदर भी शीघ्रातिशीघ्र कलक्टर को आर्थिक रूप से रुपया भेजें जिससे कि वहां तुरंत सहायता दी जा सके, हमारा इस वक्त आपसे यही कहना है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वक्तव्य दे रहे हैं उसका मतलब यही है कि वे सूचना मांगेंगे, उसके बाद ही तो वक्तव्य देंगे। बिना सूचना के थोड़े ही वक्तव्य दे देंगे वे।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है और किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं वक्तव्य दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: जो सूचना प्राप्त करेंगे, सूचना प्राप्त करके ही तो वक्तव्य देंगे।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): बहुत ही गंभीर मामला है। कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में किसानों को मुआवजा मिला है, नागौर में क्यों नहीं मिला?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जब आपकी तरफ से व्यवस्था होगी तब मैं स्टेटमैंट दे दूंगा, किसी भी इलाके के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप दो मिनट मिर्धा साहब की बात सुन लीजिए, इनकी चार तहसीलों में भयंकर नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष: मैं मंत्रीजी की सुनूं या प्रतिपक्ष के नेता की? या तो आप स्थान ग्रहण कर लें, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, पर नागौर जिले में चार तहसीलों में भयंकर रूप से जीरा और ईसबगोल में किसानों का भयंकर नुकसान हुआ है, वह अकथनीय है, अवर्णनीय है, उसकी मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य वहां से आये हैं, वह संक्षिप्त में दो मिनट मंत्रीजी को जानकारी देना चाहते हैं वह दिलवा दीजिए ताकि वक्तव्य में वह बात भी शामिल हो जाए।

श्री अध्यक्ष: अवर्णनीय है तो फिर वर्णन क्या करेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप टाइम दो तो सही। आप दो मिनट का समय दीजिए। आप फरमाएं दो मिनट बोलने के लिए।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं एक साथ इसका स्टेटमैंट दूंगा। राजस्थान भर का ...(व्यवधान) राजस्थान भर का मैं एक साथ स्टेटमैंट जारी करूंगा। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें, मंत्रीजी को सुनें। कृपया स्थान ग्रहण करें, मंत्रीजी बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): महादेव सिंहजी, राजस्थान भर का मैं एक साथ स्टेटमैंट जारी कर दूंगा। आपने बुधवार का समय तय किया है, माननीय सदस्य मेरे चेम्बर में पधार जाएं, लेटेस्ट कोई ओलावृष्टि हुई है उसकी मैं डिटेल कलक्टर से मंगवा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हम किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर रहे हैं। जो सी.आर.एफ. के नोर्म्स हैं सब जगह हमने रिलीफ के काम चालू कर दिये, कोटा में हम अधिक कर रहे हैं, और जगह कम कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री जोगाराम पटेल।

गोवंश की तस्करी बाबत

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, गौवंश की तस्करी के बारे में राजस्थान सरकार ने अजमेर के संभागीय आयुक्त को जांच सौंपी थी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपने सुना नहीं, अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं सुनी?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं संभागीय आयुक्त ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): तीन दिन से इनको जानकारी नहीं मिली कि नागौर जिले में ओले पड़े हैं? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सदन में जब तक आसन के पास जानकारी नहीं आएगी तब तक मैं कोई भी व्यवस्था देने में असमर्थ हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं यही तो निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं ...(व्यवधान) संभागीय आयुक्त ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): मंत्री महोदय को यही पता नहीं है नागौर जिले में ओलावृष्टि हुई है?

श्री अध्यक्षः जब तक रिपोर्ट मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं किसी तरह की बोलने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। पहले मेरे पास रिपोर्ट आएगी उसके बाद मैं उसके बारे में व्यवस्था दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो दीजिए कि सदन में संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट कब रखेंगे? संभागीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, मैं सुना दूं क्या कहा है। संभागीय आयुक्त ने यह कहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जब आसन से व्यवस्था ...(व्यवधान) आप कृपया स्थान ग्रहण करें। जब मैंने कहा है जब आसन ने यह बात कह दी कि जानकारी प्राप्त की जा रही है तो यह सरकार के लिए ओब्लीगेटरी है कि वे जानकारी देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई इतना साधारण सवाल नहीं है संभागीय आयुक्त ने कहा है कि जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से गौवंश की तस्करी हो रही है। उपखण्ड अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपकी भावना समझ रहा हूं, लेकिन आसन से जो व्यवस्था हुई है मैं उसके अनुसार जो मेरे पास सूचना है मैं आपको दूंगा, उसके बाद आप ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हम भी आपसे निवेदन करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: वह देंगे न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब माननीय मंत्रीजी तैयार हैं, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, जिले के कलक्टर की लापरवाही से, एस.डी.एम. की लापरवाही से गौवंश की तस्करी हो रही है।

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं हो, अब कोई अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपको सारा विषय यहीं बोलना ही हो तो और यही व्यवस्था आपकी अच्छी हो तो आपकी मरजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: जब कह दिया मैंने तो इसका मतलब तो आप समझ गये? कह दिया कि जानकारी की जा रही है। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

श्री अध्यक्ष: अध्यक्षीय व्यवस्था को आप हर बार चुनौती देते हैं। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

एक माननीय सदस्य: xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है जो डिवीजनल कमिश्नर हैं उनकी रिपोर्ट का भी उन्होंने रेफरेंस दिया है, डिवीजनल कमिशनर ने अमुक-अमुक ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कोई चैलेंज नहीं है। ...(व्यवधान) अध्यक्षजी सुनना चाहती हैं, आप बात तो सुनिए। डिवीजनल कमिश्नर ने अध्यक्ष महोदय, एकदम स्पेसिफिक रिपोर्ट दी है कि फलां-फलां अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह सब काम हुआ है तो पारदर्शी केस है, उन अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। अब जवाब क्या देगी सरकार ? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो जानी चाहिए थी, गौवंश की तस्करी हुई, डिवीजनल कमिश्नर ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही से हुई है, उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने रिपोर्ट पढ़ ली क्या ? ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसका मतलब है सत्ता-पक्ष गौवंश के बारे में गंभीर नहीं है कि उसकी सुरक्षा हो। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अधिकारियों की लापरवाही है और इसको रोकने की चेष्टा नहीं की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना का जिस दिन यह घटना हुई, हमने सारे प्रदेश की भावना को ध्यान में रखकर जितनी सारी और समय पर जो-जो कार्यवाहियां हो सकती हैं वह सारी की। जांच भी संभागीय आयुक्त को उसी दिन दी। हमने किसी भी प्रकार से इस घटना को कोई रफा-दफा करने के लिए नहीं, वास्तविकता को जानने के लिए और जिस प्रकार का हादसा हुआ उसकी रिपोर्ट के लिए हमने तुरन्त उनको यह जांच सौंपी, उनकी जांच के आधार पर क्योंकि आज ही आपका यह सवेरे 10 बजे स्थगन लगा उसकी सारी की सारी जानकारी और बाकी चीजें जैसा आसन ने व्यवस्था दी है, मैं निश्चित रूप से जैसा भी आसन चाहेगा, मैं अभी उसकी सारी रिपोर्ट क्योंकि जब तक उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आए, मैं एकदम सदन के सामने तुरन्त रखने की स्थिति में नहीं हूं, मंगाकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपके सामने पेश कर दूंगा और फिर आप जैसा चाहोगे, जब चाहोगे जिस प्रकार से भी चर्चा चाहोगे, मैं उसके लिए तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: जब तक रिपोर्ट को मैं नहीं देखूंगी तब तक मैं व्यवस्था देने में असमर्थ हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): गौवंश के बारे में सरकार गंभीर नहीं है। ...(व्यवधान) मेरा सरकार के ऊपर आरोप है कि सत्ता पक्ष गौवंश की सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं है, तस्करी हो रही है, गायों का वध हो रहा है, आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, डिवीजनल कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद भी आप उस रिपोर्ट को लिए बैठे हो और अब तक उन अधिकारियों को सस्पैण्ड कर देना चाहिए था। अब आप क्या जवाब देंगे, मान्यवर?...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपका बहुत सम्मान करता हूं। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जिन-जिन अधिकारियों की लापरवाही है उनको आपने सस्पैण्ड क्यों नहीं किया ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं कि जितनी तुरन्त और जितनी सख्त कार्यवाही इस केस के बारे में हुई है और जिस तरह की प्रक्रिया हमने अपनाई अब तक के राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार की घटना की इतनी तुरन्त सारी जानकारी आज दिन तक कोई भी केस आपके ध्यान में आया हो तो आप सदन में रख दें। इसकी पुख्ता सारी व्यवस्था की, एस.डी.एम. को भी हमने मौके पर बुलाया जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया। हमने डाक्टर, सारी जांच की चीजें हमारे सामने आने के बाद संभागीय आयुक्त को जांच दी और जैसी आसन ने व्यवस्था की उसके अनुसार जैसा आसन चाहे, मैं कोशिश करूंगा कि यह रिपोर्ट जो अधिकृत है, अख़बार के आधार पर मैं न कोई बात कहने की स्थिति में हूं, न मैं कुछ मानने की स्थिति में हूं, अधिकृत रिपोर्ट मैं आपके पास पेश करूंगा फिर आप जैसा आप चाहोगे, किसी भी व्यक्ति को छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। जब हमने आदमी को मौके पर

बुलाकर इस बात का उसका सर्टिफिकेट उसने दिया कि नहीं दिया, दस्तखत उसके हैं कि नहीं हैं, मैं सोचता हूं यह राजस्थान में पहली बार सर्टिफिकेट देने वाले व्यक्ति को मौके पर बुलाकर उसको किया और उसके खिलाफ कार्यवाही की है, बाकी सारा है, मैं आपके सामने पेश करके आप जब चर्चा चाहें, जिस समय चाहें, मैं तैयार हूं इसमें। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री जोगाराम पटेल।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)ः xxx

श्री अध्यक्षः अब क्या कह रहे हैं ? नेता, प्रतिपक्ष बोल लिये, सभी बात हो गई, अब आप क्या कह रहे हैं ? नहीं, गलत बात। अंकित नहीं हो। श्री जोगाराम पटेल।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)ः xxx

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)ः xxx

श्री अध्यक्षः 295 पढ़े जा रहे हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)ः xxx

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)ः xxx

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

लूणी विधान सभा क्ष्ोत्र में चिकित्सा स्टाफ-की कमी

श्री जोगाराम पटेल (लूणी)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत जन हित का महत्वपूर्ण विषय – चिकित्सा सुविधा पर निवेदन है कि पहला सुख निरोगी काया है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है । आधुनिक वैज्ञानिक युग ने विकास के साथ-साथ अनेक बीमारियों को भी जन्म दिया है। जिससे समाज में कई साध्य व असाध्य रोगों ने मानव शरीर पर आक्रमण किया व कर रहे हैं। आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा कर समाज को निरोगी रखना सरकार का कर्त्तव्य है। राजस्थान सरकार अपने इस कर्त्तव्य को बखूबी निभा रही है।

अस्पतालों, सामुदायिक, प्राथमिक व उप केन्द्रों को अपग्रेड करना, चिकित्सा सुविधा से वंचित गांवों में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना, इनमें

(श्री जोगाराम पटेल)

चिकित्सा स्टाफ की समय पर नियुक्ति करना आदि कार्य भी चिकित्सा विभाग व सरकार द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। चिकित्सकों व अन्य चिकित्साकर्मियों के पद रिक्त रहने से आम जन को तो बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है और यहां तक कि कभी-कभी तो प्रसव आदि के दौरान तो जान से भी हाथ धोना पड़ता है।

लूणी विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों व अन्य चिकित्साकर्मियों के बहुत से पद काफी अरसे से रिक्त पड़े हैं। पूर्व में भी मेरे द्वारा इस मुद्दे को सदन में उठाया गया था। लूणी विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों पर इस प्रकार से पद रिक्त हैं:- कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) 1, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) 1, चिकित्सा अधिकारी 1, मेलनर्स द्वितीय 9, लेब टेक्नीशियन 3, स्वास्थ्य निरीक्षक 4, सेक्टर सुपरवाइजर 3, वरिष्ठ लिपिक 1, वाहन चालक 1, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1, उक्त पदों को प्राथमिकता से भरने की कार्यवाही करना जनहित में अति आवश्यक व न्यायसंगत है।

श्री अध्यक्षः श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर।

पूर्व सैनिकों को तत्काल सरकारी नौकरी की व्यवस्था

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि। मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय श्रीमती वसुन्धरा राजेजी का हृदय से आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि मेरे अनुरोध पर इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की विधवाओं एवं सैनिकों को पूर्व में 300 रुपये मासिक दी जा रही पेंशन में खासी बढ़ोतरी कर 800 रुपये प्रति माह कर उनका सम्मान किया है।

मैं माननीया के समक्ष सैनिकों की एक और भीषण समस्या का उल्लेख कर इनके लिए राहत दिलाने हेतु अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी सैनिक 18-19 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती होकर जाता है और 15 वर्ष में सेवानिवृत्त होकर आता है तब उसका भरा-पूरा परिवार, उसके बड़े बच्चे उच्च कक्षाओं की पढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं तथा उस समय पेंशन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है जिससे वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। पूर्व सैनिक को तत्काल स्वरोजगार हेतु ऋण या किसी भी राजकीय कार्यालय में नौकरी नहीं मिलती है जिसके कारण वह स्वयंसेवी संस्थाओं के चंगुल में फंस जाता है और

(श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर)

उसे अर्द्धकुशल श्रमिक के रूप में नाम मात्र का वेतन दिया जाता है। इस प्रकार देश की सेवा में अपना सब कुछ लुटा देने वाले का शोषण किया जाता है।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सैनिक जैसे ही सेवानिवृत्त होकर आता है उसे या तो स्वरोजगार हेतु तत्काल ऋण की सुविधा प्रदान करने के नियम को सरल किया जावे या उसे स्वयं सेवी संस्थाओं के बजाय सीधे ही राजकीय नौकरी में लगाने की व्यवस्था का प्रावधान किया जावे।

श्री अध्यक्ष: श्री बद्रीलाल जाट। (अनुपस्थित) श्री प्रभुलाल वर्मा।

गेन्ता माखीदा (चम्बल नदी पर) पुलिया निर्माण

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत गेन्ता माखीदा (चम्बल नदी पर) पुलिया निर्माण वित्त वर्ष 2006-07 के बजट में बनाने बाबत् सरकार का ध्यानाकर्षित करता हूं।

निवेदन है कि गत 50 वर्षों में मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के विकास हेतु गेन्ता माखीदा पुलिया (चम्बल नदी पर) बनाने की मांग की जा रही है। पीपल्दा (कोटा) विधान सभा क्षेत्र की आम जनता की मुख्य मांग है कि इथवा-इन्द्रगढ़, लाखेरी-सवाई माधोपुर, श्योपुर (मध्य प्रदेश) से जोड़ने वाली इस पुलिया का शीघ्र निर्माण करवाने की कृपा करें जिससे इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा।

माननीय सचिव महोदय से पुरजोर निवेदन है कि गेन्ता-माखीदा (चम्बल नदी पर) शीघ्र ही पुलिया का निर्माण वर्ष 2006-07 के बजट से करवाने की उचित कार्यवाही कर अनुग्रहित करें। मान्यवर, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: आपने जो लिखा था वह बोल दिया। श्री नाथूराम अहारी (अनुपस्थित) आप 295 का मतलब नहीं समझते हैं। 295 में जो आप लिखते हैं केवल उतना ही पढ़ा जाता है और वो आपने पढ़ दिया। उसके बाद भाषण देने की अनुमति नहीं होती है। श्री शिवजीराम मीणा।

जहाजपुर कस्बे में धार्मिक ग्रंथों का अपमान

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो

(श्री शिवजीराम मीणा)

अत्यन्त लोक महत्व का है। मेरे क्षेत्र की नगरपालिका जहाजपुर के अध्यक्ष पद के निर्वाचन दिनांक 22 अगस्त, 2005 को पार्षदों पर धार्मिक दबाव डालने एव प्रलोभन देने के लिए श्री रामकुंवार (पार्षद पति वार्ड नं. 10) एवं श्री पीरू पडियार पार्षद वार्ड नं. 5 द्वारा धार्मिक ग्रन्थ गीता एवं कुरान को थैले (बैग) में रख कर नगरपालिका क्षेत्र के बिन्ध्याभाटा गांव में ले गये। जहां पर इन धार्मिक ग्रन्थों को एक पेड़ के नीचे रख दिया/लटका दिया गया तथा इसके बाद श्री शिवनाथ सिंह के मकान में बारी-बारी से कुछ नव निर्वाचित पार्षदों के सिर पर धार्मिक ग्रन्थ गीता एवं कुरान रखी गई।

इस प्रकार जहाजपुर कस्बे में धार्मिक ग्रन्थों का अपमान हुआ और जिसके कारण कस्बे में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस मामले में थानेदार जहाजपुर द्वारा थाने में मुकदमा नं. 316/05 अन्तर्गत धारा 295(ए), 171(सी)(ई) आई. पी. सी. में दर्ज किया गया था। इसके बाद कस्बे में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक, शाहपुरा एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जहाजपुर के समक्ष थाने में दोषी व्यक्तियों ने अपराध करना स्वीकार भी किया गया था। पुलिस उप अधीक्षक, शाहपुरा की उपस्थिति में बयान दर्ज कर लिये थे एवं शीघ्र कार्यवाही करने के आश्वासन देने के पश्चात् ही मामला शान्त हुआ था किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि 6 माह पश्चात् भी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं कर पुलिस द्वारा अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे क्षेत्र के लोगों में भयंकर आक्रोश है तथा पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है।

अतः मेरा निवेदन है कि उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

बालेसर-तिंवरी एम.डी.आर. सड़क पर क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में बालेसर-तिंवरी एम.डी.आर. सड़क पर गोतावर नदी का क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण बाबत् निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बालेसर-तिंवरी एम.डी.आर. सड़क के बीच में बोतावर राय बरसाती नदी बहती है। उक्त नदी पर अर्द्ध निर्मित 17 वर्षों पुराना पुल अपना अधूरा निर्माण पूर्ण होने का इन्तजार कर रहा है।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

बालेसर-तिंवरी सड़क जो एम.डी.आर. सड़क है, जिसका जिला बाड़मेर, तहसील शेरगढ़, तहसील ओसियां व जिला नागौर से जुड़ाव है। इस सड़क पर बरसात के समय यातायात बन्द हो जाने से गाड़ियों एवं यात्रियों को बालेसर, देचू, फलौदी या बालेसर जोधपुर से घूमकर जाना पड़ता है, जो 150 किलोमीटर लम्बा रास्ता पड़ता है जिससे यात्रियों को भारी असुविधाओं एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस कारण क्षेत्रीय जनता में भारी रोष है। जनता ने कई बार ज्ञापन व आंदोलन किये व राजनेताओं ने भी कई बार इस अधूरे पुलिये को पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया, परन्तु आज दिन तक कोई परिणाम नहीं निकला।

इस सम्बन्ध में पूर्व में बालेसर-तिंवरी सड़क किलोमीटर 14 पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के विकास कार्य की वर्ष 1989-90 में लेखाशीर्ष 3054- 'सड़क एवं सेतु-विशेष मरम्मत कार्यक्रम' में रुपये 7.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस कार्य के विरुद्ध राशि रुपये 4.14 लाख का व्यय हुआ एवं संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। अपूर्ण कार्य का संवेदक पर 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आरोपित की गई। इस कार्य की स्वीकृति बाद 3054- 'सड़क एवं सेतु-विशेष मरम्मत कार्यक्रम' में राशि प्राप्त नहीं हुई एवं कार्य अपूर्ण स्थिति में रहा।

उक्त पुल के पुनः निर्माण बाबत् वर्ष 2004-05 में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर के निर्देश पर अपूर्ण कार्य का विस्तृत तकमीना रुपये 88.14 लाख का तैयार कर श्रीमान् मुख्य अभियंता, सा. नि. वि., राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत किया गया था, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। विस्तृत तकमीने की प्रति अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., जोधपुर के पत्रांक 5143 दिनांक 01.07.2004 द्वारा माननीय मंत्री महोदय के निजी सचिव को प्रेषित की गई।

वर्तमान में उक्त सड़क एम. डी. आर. घोषित कर दी गई है। उक्त क्षतिग्रस्त पुल के पुनः निर्माण हेतु सी.आर.एफ. योजना या अन्य किसी भी योजना के तहत स्वीकृति जारी करवायें जिससे जिला बाड़मेर, तहसील शेरगढ़, तहसील ओसियां एवं जिला नागौर क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

अतः उक्त क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कराने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करवा कर स्थानीय नागरिकों एवं आमजन को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. चन्द्रशेखर बैद।

विधायक कोष की राशि में वृद्धि की मांग

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विधायक कोष की राशि में वृद्धि करने तथा विधायक कोष से कराये जाने वाले कार्य वेबसाइट पर दर्शाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में एमएलए लोकल एरिया डवलपमेंट फण्ड में दी जाने वाली राशि 60 लाख रुपये है। आज राजस्थान की जनता चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, विकास के प्रति निरन्तर उत्तरोतर जागरुक होती जा रही है। एमएलए लैड में मिलने वाली राशि विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में जनता की इच्छा के अनुरूप लोक उपयोगी कार्यों पर खर्च की जाती है। इससे क्षेत्र की जनता में अधिक से अधिक कार्य करवाने का उत्साह व उमंग बनी रहती है। वर्तमान में दी जाने वाली राशि को यदि विधान सभा क्षेत्र के पंचायतों और गांवों में समानतापूर्वक भी वितरित किया जाये तो वह अपर्याप्त रहती है। कोई भी सामुदायिक लाभकारी निर्माण कार्य सम्पन्न करने के लिए न्यूनतम राशि आवश्यक है। यदि विधायक कोष को सामान्यत: विधान सभा क्षेत्र में आने वाले गांवों/शहरी क्षेत्र के वार्डों से विभाजित किया जाये तो प्रतिवर्ष प्रति गांव राशि इतनी कम होती है कि लोगों की इच्छा के अनुरूप वहां पर निर्माण कार्य सम्पन्न होना संभव नहीं हो पाता है। उपरोक्त तर्क को मुद्देनज़र रखते हुए सदन के सभी विधायक मेरी इस बात से सहमत होंगे कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलए लैड) की राशि 60 लाख रुपये से बढ़ा कर कम से कम एक करोड़ रुपये की जावे जिससे जन भावना के अनुरूप अधिकाधिक विकास कार्य सम्पन्न कराये जा सके।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कोष में खर्च की गई राशि का विवरण सरकारी वेबसाइट पर दर्शाया जाए। जैसा कि सांसद लोकल एरिया डवलपमैंट को नेशनल वेबसाइट पर दर्शाया जाता है। इससे क्षेत्र के लोग यह जानकारी भी प्राप्त कर पायेंगे कि किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या विकास कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैं तथा इस योजना के निर्धारित उद्देश्य क्षेत्रीय विकास में असंतुलन दूर करने की भी पूर्ति हो पायेगी। वेबसाइट पर दर्शाने से एक क्षेत्र के विधायक दूसरे विधायकों द्वारा कराये गये कार्यों की जानकारी ले उस ज्ञान का लाभ अपने विधान सभा क्षेत्र में भी उठा पायेंगे।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती।

पुष्कर की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत पुष्कर सरोवर व पुष्कर इन्फ्रास्ट्रक्चर के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पुष्कर की बिगड़ती स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पुष्कर एक अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल व हिन्दुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। पुष्कर का इन्फ्रास्ट्रक्चर इतना बदहाल है कि न तो वहां सड़कें ठीक हैं और न ही पेयजल सहित अन्य रोजमर्रा की आवश्यक सेवाएं सुचारू हैं। सरोवर का हाल तो यह है कि देखरेख के अभाव में सरोवर की स्थिति निरन्तर खराब हो रही है तथा पानी का स्तर गिर रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय जलदाय मंत्रीजी ने नलकूप का लोकार्पण कर अखबारों में फोटो छपवाये हैं कि चार लाख लीटर पानी रोज सरोवर में छोड़ा जायेगा पर स्थिति यह है कि चार लाख तो दूर, चार हजार लीटर पानी भी नहीं छोड़ा जा रहा है और स्थिति यह है कि जलस्तर गिरने से जहां श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान में दिक्कत हो रही है, वहीं सरोवर में मछलियों का जीवन भी दूभर हो रहा है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि:-

(1) सरोवर में जल स्तर बढ़ाया जाये।

(2) सरोवर के फीडर की मरम्मत की जाये ताकि आने वाली वर्षा में बरसात का पानी सरोवर में आ सके, एवं

(3) प्रदूषण नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट के बाद तो यह अति आवश्यक हो गया है कि सरोवर की सफाई के लिए सरकार कोई कारगर कदम उठाये। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वार्षिक प्रतिवेदन में पेज संख्या-70 पर अंकित पुष्कर झील के पानी में डी.ओ. एवं बी.ओ.डी. की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है, जो यह दर्शाता है कि जल की गुणवत्ता ठीक नहीं है, जो एक गम्भीर मामला है। कृपया ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत जोधपुर शहर में बिगड़ती

(श्री सूर्यकान्ता व्यास)

यातायात व्यवस्था के सुधार के क्रम में चर्चा हेतु निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर शहर की पहचान उसकी तंग गलियां और लोगों की अपनायत वाले विशाल हृदय ही है। जनसंख्या के निरन्तर बढ़ते दबाव एवं यातायात साधनों की निरन्तर वृद्धि से जोधपुर शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ा है जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा रही है। मुख्य सड़कों व चारदीवारी के क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण पहले तंग सड़कें और भी छोटी हो गई है।

मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु योजनाबद्ध, आगे की समय की सोचकर ठोस उपाय करें। इसी क्रम में मेरा निवेदन है कि जालोरी गेट से तकिया चांदशाह होकर स्टेडियम सिनेमा तक की जो सड़क बनी हुई है, उस पर अनेक अतिक्रमण है जो पूर्ण रूप से अवैध हैं, उन्हें तत्काल हटाकर उसे सुव्यवस्थित मार्ग का रूप दिया जाये और इस सड़क को सरकारी कार्यालयों के समय पर एक तरफा यातायात में काम लिया जाना उचित होगा जिससे उक्त समय में सोजती गेट के मुख्य सड़क पर यातायात का दबाव अत्यन्त ही कम हो जायेगा। जयनारायण व्यास स्कूल, सिंवाची गेट से जालोरी गेट तक परकोटे से होते हुए सड़क का निर्माण पूरा करवाकर इसे भी सुव्यवस्थित मार्ग का स्वरूप दिया जाये तथा सिंवाची गेट से जालोरी गेट परकोटे पर सड़क मार्ग पर बने अतिक्रमण हटाकर उस सड़क को भी यातायात के काम में लिया जाना उचित होगा। अतः इस मामले में सर्वे करवाया जाकर जो भी अतिक्रमण या अवरोध-बाधा हैं, उन्हें हटाया जाये जिससे कि पांचवीं रोड चौराहा से जालोरी गेट मुख्य सड़क पर यातायात का दबाव भी कम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री ओ.पी.महेन्द्रा।

गंगानगर में शहरी एरिया में स्थित शुगर फैक्ट्री को ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट करना

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत "गंगानगर शहर में स्थित शुगर फैक्ट्री का आधुनिकीकरण कर ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट करने हेतु" विशेष उल्लेख का प्रस्ताव कर रहा हूं।

श्रीगंगानगर शहर में स्थित शुगर फैक्ट्री संयंत्र 102 वर्ष पुराना है। इसे गंगानगर शुगर मिल्स लि0 के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में इसका

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

संचालन राजकीय उपक्रम के तौर पर राजस्थान सरकार के वित्त सचिव द्वारा किया जा रहा है। इस यूनिट की प्रतिदिन गन्ना पिराई क्षमता 1000 टन है। शुगर फैक्ट्री में देशी व अंग्रेजी शराब निर्माण का कार्य भी होता है। फैक्ट्री परिसर शहर में 128 बीघा भूमि में फैला हुआ है। सन् 1935 में जब गंगानगर में शुगर फैक्ट्री स्थापित हुई थी तब गंगानगर एक छोटा कस्बा था, जिसकी जनसंख्या मात्र 15,000 के लगभग थी व फैक्ट्री आबादी से दूर थी। वर्तमान में शुगर फैक्ट्री शहर के बीचों-बीच है व शहर की जनसंख्या 3.5 लाख के लगभग है।

शुगर मिल से तीव्र वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण होता है, शहर की आधी से अधिक आबादी शुगर मिल द्वारा फैलाये जा रहे भयंकर वायु प्रदूषण से पीडित है, लाखों लोगों का प्रदूषण के कारण जीवन दूभर हो गया है, फैक्ट्री के चारों तरफ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अतः मेरी राज्य सरकार से आपके माध्यम से पुरजोर अपील है कि शुगर फैक्ट्री को शहर सीमा से बाहर 25-30 किलोमीटर दूर गन्ना उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट कर इसका आधुनिकीकरण किया जाये।

शुगर फैक्ट्री को शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट करने से अनेक लाभ प्राप्त होंगे:- (1) शहर के बीचों-बीच 128 बीघा बेशकीमती भूमि को बेचने से वर्तमान में लगभग 100 करोड़ रुपये व संयंत्र एवं अन्य सामग्री को बेचकर लगभग 20-25 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं। 70-80 करोड़ रुपये में 2500 टी.डी.सी. क्षमता की नई मिल स्थापित की जा सकती है। (2) शहर को प्रदूषण व यातायात की समस्या से निजात मिल सकती है व 128 बीघा भूमि पर आधुनिक नगर नियोजन व व्यावसायिक केन्द्र स्थापित कर नगर विकास न्यास को करोड़ों रुपये प्राप्त हो सकते हैं जिससे शहर का तीव्र गति से विकास हो सकता है। (3) गंगनहर के पुर्ननिर्माण से पानी की उपलब्धता में वृद्धि हुई है जिससे गन्ना उत्पादन में वृद्धि कर हजारों किसानों को लाभ दिया जा सकता है। (4) सम्पूर्ण गन्ना गेट एरिया में आ जाने से मिल को गन्ने की ढुलाई हेतु दिये जाने वाले भारी भरकम खर्च से निजात मिल सकती है। (5) नई आधुनिक फैक्ट्री लगाने से गन्ने की रिकवरी में वृद्धि होगी जिससे चीनी बनाना लाभकारी होगा। (6) गन्ना उत्पादन लाभकारी होने के कारण हजारों किसान परिवारों व हजारों मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने से राज्य को प्रत्यक्ष लाभ होगा। (7) गन्ने के रस व इसके मोलासिस से इथोनेल

(श्री ओ.पी. महेन््द्रा)

(बायो डीजल) बनाया जा सकता है जो राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो सकता है।

अतः मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र योजना बनाकर शुगर फैक्ट्री को शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट किया जाये व इसे प्रोफेशनल मैनेज किया जाये। सरकार के उपकार के लिए जिले के जन प्रतिनिधि, जिले के किसान, मजदूर व शहर की जनता सदैव कृतज्ञ रहेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

चाकसू एवं फागी में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की मांग

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फागी की तहसील चाकसू व फागी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त दोनों ही तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ न्यायालय नहीं होने के कारण तहसील चाकसू के ग्रामीणों को 60-65 किलोमीटर दूर एवं जयपुर एवं फागी के ग्रामीणों को भी दूदू जाना पड़ता है परन्तु यातायात के साधनों व सड़कों के अभाव में कोर्ट के समय पर आने-जाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कभी-कभी दो-तीन बसों को बदलना पड़ता है जिससे गांवों के गरीब किसानों, मजदूरों को न्यायालय तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है परन्तु जब मुंसिफ न्यायालय का समय सुबह 7.30 से 12.00 बजे तक का होता है तब ग्रामवासियों को सुबह तीन बजे उठना पड़ता है या फिर एक दिन पहले ही जयपुर व दूदू में रात को ठहरना पड़ता है तब जाकर सुबह कोर्ट में समय पर पहुंच पाते हैं। इस प्रकार मुंसिफ न्यायालय के अभाव में ग्रामीण जनता को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है जबकि जिले की करीब-करीब सभी तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ न्यायालय बने हुए हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया व विधि एवं न्याय मंत्री महोदय से निवेदन हे कि विधान सभा क्षेत्र की तहसील चाकसू व फागी में मुंसिफ न्यायालय खोलने की कृपा करें जिससे गांव की गरीब जनता को न्याय पाने में राहत मिल सके। सम्पूर्ण मामला जनहित का है। धन्यवाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री अध्यक्षः मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चार जो पर्चियां प्राप्त हुई हैं, कई बार आप लोगों से निवेदन किया जा चुका है कि पर्चियों में रीसेंट आकरेंस या हाल की घटना हो कोई महत्वपूर्ण, उसका ही जिक्र किया जाना चाहिए लेकिन चाहे जैसी बात को आप लोग लिख देते हैं और उसमें फिर समय लेते रहते हैं।

(1) श्री बत्तीलाल मीणा की एक पर्ची प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि तहसील नादौती मुख्यालय पर सरसों समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु कांटा खोलने के सम्बन्ध में। यह कांटा लगाने के सम्बन्ध में होना चाहिए, कांटे को क्या खोलेंगे आप लोग, कांटा लगाने के सम्बन्ध में,

(2) श्री सांगसिंह भाटी -विधान सभा क्षेत्र, जैसलमेर के राजस्व गांव की घोषणा में राजस्व गांव न दिखाये जाने से किसानों को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में,

(3) श्री संयम लोढ़ा - सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में आरक्षण की पालना न करने के सम्बन्ध में, और

(4) श्री मांगीलाल गरासिया - कोटड़ा में बंद स्कूलों के पोषाहार को बेचे जाने तथा प्रेरक व सह प्रेरक का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण चौधरीः सुखाडिया यूनिवर्सिटी, यह भर्ती कब की है, मान्यवर?

श्री अध्यक्षः क्या पता कब की है यह।

श्री रामनारायण चौधरीः अभी एडवरटाइजमेंट निकला है।

श्री अध्यक्षः श्री बत्तीलाल मीणा। आप अपनी बात तीन मिनट में समाप्त करेंगे।

नादौती तहसील में सरसों तुलाई कांटा

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक प्रकोप के कारण वैसे ही हमारी नादौती तहसील का किसान, वहां बहुत ज्यादा सर्दी मार रही है सरसों को और उसको बेचने के लिए इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहता है। मान्यवर, हिन्दुस्तान में राजस्थान सबसे बड़ा सरसों उत्पादन का

(श्री बत्तीलाल)

केन्द्र है, उसमें ही सवाई माधोपुर और करौली है और मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं उस तहसील नादौती, वहां सबसे ज्यादा सरसों...

श्री अध्यक्ष: पर्ची इस संबंध में है आपकी कि वहां पर सरसों का कोई केन्द्र खोला, उस पर कांटा नहीं है, इसलिए कांटा लगाया जाए, के सम्बन्ध में है।

श्री बत्तीलाल: मैं वही कहना चाह रहा हूं, मान्यवर। ज्यादा सरसों होगी तभी तो कांटा खोला जायेगा। मान्यवर, ज्यादा सरसों पैदा होती है वहां और इतनी सरसों पैदा होती है कि...

श्री अध्यक्ष: सरसों तो ज्यादा पैदा होती है, मान लिया मैंने, लेकिन आपकी पर्ची कांटा लगाने के संबंध में है, तो कांटा नहीं है तो कांटा लगवाने की बात करिये न आप तो।

श्री बत्तीलाल: तो कांटे पर ही तो आ रहा हूं। मान्यवर, कांटा लगवाने के लिए निवेदन है। तो मैं यह चाहता हूं एवं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे किसानों को वहां सरसों स्थानीय तौली जाय और वहां कांटा लगाया जाये क्योंकि जहां पर सरसों नहीं होती है, हमारे एक-एक गांव के बराबर पूरी तहसील में सरसों होती है वहां तो कांटा और जब पूरी तहसील के बराबर एक-एक गांव में सरसों होती है वहां कांटा नहीं। तो मेरा तो विनम्र निवेदन सरकार से यह है, हालांकि इसमें मैं मेरा दोष ही मानता हूं, मैंने सरकार को पहले अवगत नहीं कराया, पर जैसे ही किसानों का डेलीगेशन आकर मुझसे मिला और उन्होंने कहा कि हमारे कांटा होना चाहिए, तो मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं, सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि तहसील नादौती में कांटा खोलें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: आप मंत्रीजी, नोट करिये, कांटा होना चाहिए। यह नोट करें। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल : तौलने का कांटा।

श्री अध्यक्ष: श्री सांगसिंह भाटी। श्री सांगसिंह भाटी नहीं हैं । श्री संयम लोढ़ा। यह एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती कब हुई है?

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अध्यापकों की भर्ती

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय,

(श्री संयम लोढ़ा)

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा इस साल वर्ष 2006 में 3 मार्च को जारी भर्ती विज्ञापन की और आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: भर्ती विज्ञापन ही हुआ है सन, तब तो मुद्दा, विज्ञापन का क्या कर रहे हैं आप?

श्री संयम लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, भर्ती विज्ञापन हुआ है तो फिर भर्ती भी तो होगी।

श्री रामनारायण चौधरी: नहीं-नहीं, रिजर्वेशन का ख्याल नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष: तो तब उठाते यह बात, यह कोई बात हुई?

श्री संयम लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर की 26 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है, एसोसिएट प्रोफेसर की 41 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है और मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि एक भी पद शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए नहीं रखा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हमारे सामने आ चुकी हैं, संविधान के अन्दर क्या व्यवस्था है, वह सामने आ चुकी है और उसके बाद मैं माननीय अध्यक्ष, आर.के. सब्बरवाल वर्सेज स्टेट आफ पंजाब के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले भी जब 6 फरवरी, 1993 को पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी, तब तीन पद अनुसूचित जाति के लिए प्रस्तावित किये गये थे प्रोफेसर के लिए, 6.2.2005 को जब पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी तब 6 पद एसोसिएट प्रोफेसर के एडवर्टाइज किये गये थे एस.सी., एस.टी. के लिए लेकिन एक भी पद भरा नहीं गया, कोई साक्षात्कार नहीं हुआ और इसके बाद भी किसी तरह की भर्ती नहीं की गई। अन्य पदों पर भी, जो आरक्षित वर्ग के पद हैं, उसमें भी जो पद भरे जाने थे वह नहीं भरे गये और आज सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर 26 कार्यरत हैं, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन 26 के अंदर एक भी एस.सी. और एस.टी. का नहीं है। उसके बावजूद अब जो विज्ञापन जारी किया गया है

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी 26 पोस्ट प्रोफेसर की होने के बाद में भी और एसोसिएट प्रोफेसर की 41 पोस्ट होने के बाद भी एक भी पोस्ट एस.सी., एस.टी. के लिए नहीं आरक्षित की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 2003 के अंदर माननीय आज की मुख्य मंत्री और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तन यात्रा लेकर के निकलीं, दलितों और आदिवासियों को एक इस बात का संदेश देने की चेष्टा की कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली हूं लेकिन उसके बाद भी आज जब यह सरकार पोस्ट एडवर्टाइज करती है...

श्री राजेन्द्र राठौड़: काहे पर भाषण हो रहा है, आपने अनुमति दे दी क्या?

श्री संयम लोढ़ा: तो एक विश्वविद्यालय जैसे उच्च संस्थान के अंदर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ...

श्री रामनारायण डूडी: यह पर्ची पर बोल रहे हैं या भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इस बारे में आप स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं कर देता हूं।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा जब-जब मामला आता है एस.सी., एस.टी. के साथ अन्याय क्यों होता है यह?

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी इस बारे में बोल रहे हैं, स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मैं कर रहा हूं।

श्री सुरेश मीणा: माननीय शिक्षा मंत्रीजी बोलेंगे लेकिन बोलने से पहले अभी जो जगह निकली है, उनको पहले ध्यान रखा जाता तो यह जवाब देने का मौका ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष: आपने पर्ची नहीं दी है। यह पर्ची का प्रश्न था। पर्ची में जिसने पर्ची भेजी होती है, केवल उसी को बोलने का अवसर दिया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: नहीं-नहीं, मैं इनकी बात का भी जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हां, ठीक है। सम्भाग का है तो दे रहे हैं जवाब।

श्री घनश्याम तिवाड़ीः हां, पूरा बता रहा हूं। यह मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय में बहुत दिनों से रिक्त पद चल रहे हैं। दिनांक 29.1.2004 को सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 14 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 15 पद व असिस्टेंट प्रोफेसर के 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विश्वविद्यालय ने दिनांक 3.3.2007 द्वारा प्रोफेसर के 27 पद...

श्री अध्यक्षः सात कहां से आ गया, छह की जगह।

श्री घनश्याम तिवाड़ीः मैं बता रहा हूं, 06 है साहब। 3.3.2006 द्वारा प्रोफेसर के 27 पद, राज्य सरकार ने स्वीकृति दी 14 की सिर्फ, उन्होंने 27 पद जारी कर दिये। एसोसिएट प्रोफेसर के 40 पद, जबकि हमने स्वीकृति दी थी 15 की। असिस्टेंट प्रोफेसर के 88 पद जबकि हमने स्वीकृति दी थी 41 पदों की। विज्ञापन जारी कर दिया। इस विज्ञापन में कई प्रकार की त्रुटियां थीं इसलिए, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 18.03.2006 को अग्रिम आदेशों के द्वारा इन पदों को भरने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है और यह आदेश दिये गये हैं कि जो राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत पद इस बार भरने के लिए कहा है उन पदों को एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., इनका पूरा बेकलाग भरकर और इनके हिसाब से भरा जायेगा। अब कितना बेकलाग है वह भी मैं बता देता हूं आपको। अंग्रेजी में हमने सिर्फ 9 पद आरक्षण के आधार पर जारी किये थे, छह जनरल के, एक एस.सी., एक एस.टी., एक ओ.बी.सी., एक एस.सी. का बेकलाग और एक एस.टी. का बेकलाग, इनको भरने के बाद यह पद जारी किये जायेंगे। इसी प्रकार हिन्दी के छह पद जारी किये गये हैं, चार जनरल के, एक एस.सी. का, एक ओ.बी.सी. का, एक एस.सी. का बेकलाग भरने के बाद जारी किया जायेगा। सारे कुल 111 पद हैं जिनमें 75 जनरल हैं, 14 एस.सी. के, 6 एस.टी. के और 16 ओ.बी.सी. के और इसके अलावा 13 एस.सी. का बेकलॉग है, 6 एस.टी. का बेकलाग है। यह बेकलाग भरा जायेगा, इसके बाद इन पदों को किया जायेगा और सारी प्रक्रिया को रोक दिया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय कुछ मामलों में स्वतंत्र है लेकिन राज्य सरकार संविधान के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर दृढ़ है और जो आरक्षित पद हैं और जो बेकलॉग है और जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके हिसाब से भरने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जो 25 प्रतिशत भरने का जारी करेंगे, उस वित्तीय वर्ष में सभी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विश्वविद्यालयों को इसके साथ कि ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. जिनका भी बेकलाग है, बेकलाग पूरा किया जाय और जो भी भर्ती है, वह नियमानुसार की जावे, इसकी राज्य सरकार पूरी व्यवस्था करेगी, माननीय सदस्यों को इसके लिए चिंतित होने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत विस्तृत में बता दिया लेकिन मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह भर्ती की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: इस वित्तीय वर्ष में 25 प्रतिशत भर लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मांगीलाल गरासिया।

डा. सी.पी. जोशी: शिक्षा मंत्रीजी, इसमें एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। इसमें होरिजेंटल रिजर्वेशन और दो चीजें हैं, एक तो विभाग को आधार मानते हैं, एक काडर को आधार मानते हैं। राज्य सरकार की मंशा काडर पर रिजर्वेशन करने की है या डिपार्टमैंट के अंदर रिजर्वेशन करने की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: देखिये अध्यक्ष महोदय, यह विचारणीय प्रश्न आया था इसलिए इन सारे विषयों पर विचार के लिए ही एक बार इस भर्ती को रोका गया है ताकि इस प्रकार का मानस बना लिया जाय कि संविधान के अन्तर्गत काडर को माना जाय, उसको माना जाय, उसको मानकर, इसीलिए इसको रोका गया है, नहीं रोकने का कोई कारण नहीं था। इसीलिए रोककर यह कार्यवाही की गई।

श्री अध्यक्ष: श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री रामनारायण चौधरी: धन्यवाद आपको।

कोटड़ा पंचायत समिति के स्कूलों में पोषाहार का घोटाला

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर भारत सरकार ने शिक्षा का सार्वजनीकरण करके और सार्वजनीकरण करने के बाद में विषय थोड़ा-सा तात्कालिक शिक्षा मंत्रीजी ने माननीय सीपी साहब और माननीय अशोक गहलोत साहब ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में शिक्षा का अलख जगाने की कोशिश की और शिक्षा का अलख जगाकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी स्कूलें खोलने का काम किया । राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला गांव और ढाणी में खोली और खोलने के बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार

(श्री मांगीलाल गरासिया)

ने राजीव गांधी पाठशालाओं का नाम बदलकर प्राथमिक विद्यालय कर लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको उनकी नियति थी मंशा थी उनकी और नियति जिनकी खोटी होती है उनको सबक तो आने वाले टाइम में मिलेगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है पूरे राजस्थान वासी देख रहे हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्षः आप कहां भूमिका में फंस गये? पर्ची है, आप अपने तीन मिनट यों ही खो देंगे।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): मैं तीन मिनट यों ही नहीं खोऊंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में मेरी बात को कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आपकी पर्ची पोषाहार को बेचे जाने के संबंध में है कहां राजीव गांधी पाठशाला की बात करने लग गये?

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा दूरदराज का एरिया है और कोटड़ा दूरदराज के एरिया में...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पर्ची तो मिड-डे-मील पर है और ये कहां भूमिका बना रहे हैं, कहां राजीव गांधी स्कूलें आ गईं?

श्री अध्यक्षः आप स्थान ग्रहण करें। आपके पास केवल तीन मिनट का समय है उस तीन मिनट में आप पोषाहार बेचे जाने की बात करिये आप कहां भूमिका बांधने लगे?

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आधा समय तो आप ही खतम कर लेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा पंचायत समिति जो दूरदराज का आदिवासी अंचल है और उस आदिवासी अंचल में आज भी राज आने के बाद में प्राथमिक विद्यालय कण्वेरिया, थल, पदमावड़ी, उच्च प्राथमिक विद्यालय जालरा, प्राथमिक विद्यालय पलायापिपला, राजीव गांधी पाठशाला धोलीमगरी, प्राथमिक विद्यालय सांवरमाल, प्राथमिक विद्यालय राई और प्राथमिक विद्यालय चांपा की नाल, प्राथमिक विद्यालय कुंतिकाले और प्राथमिक विद्यालय पाटिया राजीव गांधी पाठशाला शिवड़ियों का चौंपक (बेकरिया) में दर्जनों स्कूलें बंद पड़ी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये स्कूलें बंद पड़ने के साथ में यहां पोषाहार जो आ रहा है वो क्या हो रहा है?

(श्री मांगीलाल गरासिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी यहां विराज रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय राई और प्राथमिक विद्यालय चांपा की नाल में जो अध्यापक थे उन अध्यापकों ने 19.11.2005 को जो पोषाहार आया था वो पोषाहार सारा का सारा बेच दिया और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह की स्थिति इन प्राथमिक विद्यालयों में हो रही है जो अभी मैंने आपके समक्ष बोले और दर्जनों स्कूलें बंद हो करके ये स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है।

श्री अध्यक्ष: कोई सबूत है, आपके पास कोई सबूत है बेचे जाने का? कोई सबूत हो तो प्रस्तुत करें।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबूत आप कहो तो मैं टेबल करने के लिए तैयार हूं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका आदेश हो तो मैं टेबल...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप केवल अख़बार की खबर के आधार पर कह रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास?

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अख़बार की नहीं, हमारे पास में इतने लोगों का मामला भी है। लोग जब मेरे पास आये तब मैंने उनको कहा कि इस तरह का मामला है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरह की भयंकर स्थिति कोटड़ा की बनी हुई है। मैं इसके साथ में, आपसे निवेदन करूं कि जो प्रेरक 69 कोटडा पंचायत समिति में और सहप्रेरक 76 हैं उनका भी पेमेन्ट अभी तक नहीं किया गया है। यह बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है और दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सर्वशिक्षा अभियान के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो कक्षा कक्षों का निर्माण हो रहा है उन कक्षा कक्षों के निर्माण का आपसे निवेदन करूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वो जब पोषाहार ही बेच दिया तो प्रेरक और सह-प्रेरक को कहां से भुगतान होगा?

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): सहप्रेरक दूसरे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और प्राथमिक विद्यालय राजीव गांधी पाठशाला अलग होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है पर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इस तरह की स्थिति में हमारे

(श्री मांगीलाल गरासिया)

माननीय शिक्षा मंत्रीजी विराज रहे हैं वो पूरी तरह से खुलासा करने का काम करेंगे और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर सर्वशिक्षा अभियान के तहत जो कक्षा कक्ष बन रहे हैं वो भी पूरी तरह से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गयी। आपने बात कह दी अपनी बस।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): ... ठेके पर चल रहे हैं सभी के सभी सर्वशिक्षा अभियान के कक्षा कक्ष और वहां पर भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री सांगसिंह भाटी।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूगा कि जो भयंकर मामला है और इस भयंकर मामले में आपसे मैं प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जो पोषाहार बेचा जा रहा है... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को दो मिनट कुछ कहने दें। ये आज जो मामला उठा है सारा पोषाहार का है... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ...भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आप कुछ कहना चाहें तो मंत्री महोदय, हम आपसे आशा लगाये बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): कोटड़ा जैसे रिमोट इलाके में सारा पोषाहार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी पर्ची नहीं है । अंकित नहीं हो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री अध्यक्ष: बिना अध्यक्ष की अनुमति के जो कोई बोलेगा वो अंकित नहीं होगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री अध्यक्ष: मैंने मंत्रीजी को कहा है मंत्रीजी इन्होंने आरोप लगाया है कि पोषाहार बेचा जा रहा है उसके बारे में आपके पास जानकारी हो तो बता दीजिये और नहीं हो तो जानकारी करके बता देना। ...(व्यवधान) ठीक-ठीक है आप दे दीजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो तथ्य अभी पर्ची के माध्यम से सदन के सामने रखें और आरोप भी लगाया उसके बारे में जो मेरी जानकारी में है मैं अभी माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वयं ने तारीख 24-2-06 को कलक्टर, उदयपुर को एक पत्र लिखा और उसको यह लिखा कि ''मिड-डे-मील योजना में आने वाले पोषाहार को अध्यापकों द्वारा बेचे जाने की जांच के संदर्भ में उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति कोटड़ा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेवाड़ों का मठ में प्राथमिक विद्यालय राई तथा छापा की नाल दोनों स्थानों पर अध्यापन 15 जुलाई, 2005 से बंद है तथा यहां पोषाहार संलग्न प्रार्थना पत्र के अनुसार बेचा जाना बताया है अतः पूर्णतया जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कराये जाने की चेष्टा करावें। ग्रामवासियों का प्रार्थना पत्र संलग्न है।'' यह पत्र तारीख 24 को दिया गया था और कलक्टर ने उसको इन्डोर्स करके एस.डी.ओ. को भेजा और यह लिखा कि 4 फरवरी पहले-पहले इसकी रिपोर्ट भेजी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पहले तारीख 26.2.2006 को अख़बार में खबर प्रकाशित हुई और समाचार पत्रों में यह खबर इस प्रकार की थी मिड-डे-मील के पोषाहार को सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है इसकी खबर की इस कटिंग के आधार पर हमारे वहां के बी.डी.ओ. ने इसकी जांच कराने का तय किया और उन्होंने तुरन्त दो आदमियों को जांच अधिकारी नियुक्त किया और तारीख 27.1.2006 यानी 26 को अख़बार में छपा और 27 को ही एक कमेटी श्री इलियास अहमद मकरानी, अध्यापक, बड़ली व श्री सोहनलाल प्रधानाध्यापक, गोगरूद को जांच हेतु भेजा गया। इन्होंने जांच करके यह कहा कि इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, स्कूलें बराबर खुल रही हैं और पोषाहार सही वितरित हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एक लाइन बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय ...

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक मिनट पूरा सुनें। प्लीज आप पूरा सुनिये। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा जवाब दे रहा हूं अभी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): पूरा जवाब क्या देंगे आप? ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी ये पूरा सुनें उसके बाद पूछें।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): ये जो बता रहे हैं ये मौके पर ही नहीं गये माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यापकों की तो आप कमेटी बना रहे हो भ्रष्टाचार का मामला है एक मास्टर को भेज रहे हो और कार्यवाही कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुनें तो सही। पूरा सुनें तो सही। एक ही बात को गाये जा रहे हो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मंत्री जी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए... ठीक है हम सुन लेंगे लेकिन आपको ऐसा नहीं कहते कि आप भ्रष्टाचारियों को बचाओगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं कह रहा हूं आप सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। आगे आ रहा है।

श्री अध्यक्षः आप सुनिये। हां, बोलिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये तो अध्यापक से जांच उन्होंने अपने स्तर पर ही करवायी लेकिन जब कलक्टर का पत्र गया तब उन्होंने फिर तारीख 31.1.2006 का पत्र, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर के फैक्स संदेश 31.1.2006 की पालना में बी.डी.ओ. द्वारा कार्यालय पत्र क्रमांक 148 दिनांक 7.2.2006 उक्त प्रकरण की जांच हेतु हरफूल गौतम, पंचायत प्रसार अधिकारी एवं श्री गुलाबचंद मेघवाल, कनिष्ठ लेखाकार को जांच अधिकारी पुनः बनाया गया। पहले अध्यापकों से करायी गयी उस पर आप शंका कर रहे थे कि वो तो अध्यापक थे इसलिए लिख लाये होंगे। इसलिए बी.डी.ओ. ने दुबारा दो अधिकारी भेजे पंचायत प्रसार अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकार इन दोनों को वहां पर भेजा मौक़े पर और उन्होंने जाकर जांच की । उस जांच की रिपोर्ट में भी यह आया, दोनों जांच अधिकारियों ने 8.2.2006 को 1.00 बजे प्राथमिक विद्यालय, राई पहुंच

ग्रामवासी, राई को बुलाया जाकर, विरमाराम, भीमाराम, बाबूलाल, समाराम, सकराराम, उपमाराम एवं पोषाहार पकाने वाली श्रीमती केशीबाई निवासी राई के समक्ष शिकायत पत्र पढ़कर सुनाया जाकर उनसे पूछताछ करने के बाद बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली, बयानकर्ता के आधार पर उक्त शिकायत निराधार, झूंठी बतायी गयी। जांच अधिकारियों द्वारा छात्रों के भी बयान लिये गये जिससे उन्होंने विद्यालय नियमित रूप से खुलना, पोषाहार मिलना बताया। अत: रायी विद्यालय के अध्यापक श्री राम निवास यादव के ऊपर लगाये गये आरोप सही प्रतीत नहीं होते है । इन्हीं जांच अधिकारियों के द्वारा प्राथमिक विद्यालय चापा की नाल में दिनांक 8.2.2006 को चार बजे पहुंचकर सारे विद्यालय का निरीक्षण किया । शिकायत के बारे में जानकारी की गई, ग्रामवासियों को बुलाया गया । ग्राम वासियों में हमीदा वार्ड पंच, लालाराम वार्ड पंच, नानाराम, चरकाराम, रणछाराम, भगजी, शान्ति बाई पोषाहार बनाने वाली महिला थी। उक्त शिकायत पत्र को इन ग्राम वासियों के समक्ष पढकर सुनाया गया। ग्रामवासियों ने अवगत कराया कि अध्यापक श्री कान्तिलाल मीणा नियमित रूप से विद्यालय आते हैं , पोषाहार नियमित रूप से बनता है । पोषाहार बनाने वाली महिला को भुगतान...(व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो यह बात बता रहे हैं मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं । स्थान ग्रहण करें ।

श्री कालूलाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, यह क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता? मैं पढकर सुना रहा हूं आप सुन तो लीजिए उसके बाद पूछ लेना। एक नहीं दो प्रश्न पूछ लेना, घबरा क्यों रहे हो? सुनो तो सही ।

श्री रामनारायण मीणा: अध्यक्ष महोदय, आप तो यह बता दें कि यह ए.सी.डी. से जांच करायेंगे कि नहीं करायेंगे? मिड डे मील का मामला है, आप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच करायेंगे कि नहीं करायेंगे यह बता दें ।

श्री कालूलाल गुर्जर: उक्त शिकायत यहां ग्रामवासियों द्वारा नहीं की गई है । जांच करने पर यह भी पाया गया कि वह शिकायत उस ग्रामवासियों ने भी नहीं की। उन्होंने कहा कि इस पर हस्ताक्षर भी हमने नहीं किये और शिकायत मिथ्या है जो बयान पत्रावली है । इस तरह जांच दल की रिपोर्ट से

(श्री कालूलाल गुर्जर)

यह स्पष्ट है कि राम निवास यादव और कान्तिलाल के विरुद्ध ऐसा कोई प्रमाण या सबूत प्राप्त नहीं हुआ जो शिकायत प्रमाणित करता हो । इसके अलावा भी वार्ड पंच, उस सरपंच, पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा भी जांच की गई और उन सभी ने उक्त शिकायत का खंडन करते हुए उसे मिथ्या और निराधार बताया । मेरे समझ में नहीं आया माननीय सदस्य को उन अध्यापकों से क्या तकलीफ है यह मैं नहीं जानता । (व्यवधान) जांच रिपोर्ट आ गई सारी शिकायत असत्य है ।

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, जांच कराने के बाद मैं आप से... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वहां जाने के बाद वहां कम्प्रोमाइज कराया गया और कम्प्रोमाइज इस तरह से करवाया गया कि आइंदा इस तरह का काम नहीं होगा।

डा.सी.पी.जोशी: अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के विधायक हैं उन्होने जिम्मेदारी से बात सदन में कही है उसको बिलकुल ही नेगलेक्ट कर रहे हैं । इसका मतलब अपने हाउस में अपने जन-प्रतिनिधि की इज्जत को इतनी गिराना चाहते हैं कि जन-प्रतिनिधि सदन में सही बात नहीं कहेगा। मैं समझता हूं मंत्रीजी, आप दुबारा जांच करा लें । एक जिम्मेदार एम.एल.ए. ने बात कही है आप उसको नेगलेक्ट कर देते हैं । अध्यक्ष महोदय, आप कभी कोटडा में आइये, मैं कहना चाहता हूं कि कोटडा जैसे इलाके में राजस्थान सरकार के अधिकारी नहीं जाते मंत्रीजी की क्या बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात खराब कोटडा इलाके के हैं । वहां पर न कोई सुपरविजन होता है, सबसे ज्यादा नेग्लीजेंस वहां पर है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पर है । एक एम.एल.ए. खड़ा होकर बात कह रहा है और हम कह रहे हैं कि घटना ही नहीं हुई है । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं एक एम.एल.ए. की भावना को समझना चाहिये । आदिवासी एम.एल.ए. हैं, कोटडा में कोई सरकार का आदमी जाता नहीं है, वहां की कम्युनिकेशन नहीं है ,वहां जो स्थिति बनी हुई है उसको एप्रिसिएट करने की बजाय दुबारा जांच करा कर ठीक करें बनिस्पत हम कहें कि कोई घटना ही नहीं हुई है । आपकी मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम में गर्म खाना मिल रहा है, आप गये वहां गर्म खाना देखनेके लिये?

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहां झंडे ही नहीं फहराये गये ।

श्री कालूलाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो बात उठाई है और उन्होंने शिकायत की वह शिकायत गांव वालों की शिकायत पर आधारित है । आपने यह कहीं नहीं लिखा कि मंत्रीजी ने जांच की है और उनमें किसी प्रकार का दोष है । आपने गांव वालों की दरख्वास्त को फोरवर्ड किया है और उस पर जांच भी हो गई । अगर आप चाहते हैं ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : बाल की खाल निकाल दी गई है तो भी इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे नहीं फहराये गये ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। कोटडा से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें । ऐसा है माननीय सदस्य ने जो पेपर मुझे यहां पर दिये हैं उनका खुद का भी प्रार्थना पत्र है। अख़बार की कटिंग भी है और अख़बार की कटिंग के साथ ग्रामवासियों का प्रार्थना पत्र भी है और मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है यह जो शिकायतकर्ता है यही वापस सारे के सारे बदल गये हैं । मैं देख रही हूं इनके नाम जो बताये हैं, पहले आप स्वयं इनसे तो आश्वस्त हों ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, राशन बेचता है वह सबके बयान बदला सकता है । 302 में बयान बदला सकता है तो जो राशन बेचेगा वह भी बयान बदला सकता है ।

श्री रामनारायण मीणा: कनिष्ट लेखाकार अधिकारी है क्या? यह कोई जांच है क्या ? क्या किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे, मंत्रीजी ? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी बड़े अधिकारी से जांच करायेंगे क्या ? लेखाकार कोई अधिकारी होता है क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): खुद विधायक वहां गये नहीं और अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं । एक छोटे से अध्यापक को यहां पर दवाब डालकर सस्पेंड करवा दो यह गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री अमराराम धोद: .. आप पक्ष में हो क्या? बच्चों का राशन खाने वाला, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दो हम यह कह रहे हैं कि जहां बयान बदलने का सवाल है ... (व्यवधान) वह राशन खाने वाला है बयान भी बदलवा सकता है । हमारी मांग है कि प्रशासनिक अधिकारी से जांच कराओ ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कल्पनाओं के आधार पर किसी ... (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया: अध्यक्ष महोदय, वहां पर बैठकर कम्प्रोमाइज करवाया गया और कम्प्रोमाइज करवाकर यह कहा गया कि आइंदा हम इस तरह से नहीं बेचेंगे और आइंदा गांव वालों इस तरह से बात नहीं उठाना । (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मिड डे मील में पूरा भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है और आपने उसकी जांच की संसदीय समिति बनाई है, पूरी जांच की समिति बनाई है आपने कि मिड डे मील में कितना भ्रष्टाचार हुआ है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, पहले मुझे सुन लें, पहले आसन को सुन लें, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे कह रही हूं । माननीय मंत्री जी यद्यपि, आपने जांच करा ली...

श्री रामनारायण चौधरी: किस से कराई ?

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं आप बैठे-बैठे बोलने लग जाते हैं बहुत गलत बात है ।

श्री रामनारायण चौधरी: आप ऊपर विराज रही हैं ।

श्री अध्यक्ष: कम से कम आसन को पूरा तो सुना करें आप । मंत्री जी यद्यपि, आपने जांच कराई और जांच कराने के बाद में आपने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि बेचा गया और आपने कहा कि वहां पर पोषाहार नहीं बेचा गया फिर भी यदि जिम्मेदारी के साथ जन-प्रतिनिधि के रूप में विधायक यह बात कह रहे हैं तो दुबारा जांच कराने में क्या आपत्ति है आपको, आप दुबारा जांच करा लें ।

श्री कालूलाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो निवेदन यह किया था कि माननीय सदस्य ने एप्लीकेशन फोरवर्ड की थी । अगर आप कोई तथ्य बतायें मैं जरूर जांच करा लूंगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कहें जिस अधिकारी से जांच भी करा लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये यह भी बता दूं कि कोटडा में केन्द्रीय रसोई घर...

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता भी कुछ कहना चाह रहे हैं । वह नहीं सुनेंगे उनका अधिकार है सदन के नेता के बाद चाहे जब खड़े हो सकते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय सदस्य ने रिक्वेस्ट की है उनके क्षेत्र की ...

श्री कालूलाल गुर्जर: मैं जवाब तो दे दूं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले मंत्री जी को सुन लीजिए उसके बाद आपको जो कहना है वह कहें ।

श्री कालूलाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा जवाब तो पूरा कर लूं फिर प्रतिपक्ष के नेता बोल लेंगे ।

श्री रामनारायण चौधरी: उसी से संबंधित दूसरी बात है । मान्यवर, दूसरे माननीय सदस्य जो आदिवासी क्षेत्र से हैं जिम्मेदारी के साथ बात कही है, जिममेदारी के साथ मांग कर रहे हैं कि उसको एंटी करेप्शन डिपार्टमैंट को दिया जाये सरकार को इसमें क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष: वह कब ना कर रहे हैं?

श्री कालूलाल गुर्जर: इसमें तो कोई ना किया ही नहीं । अध्यक्ष महोदय, न तो मैंने ना किया मैं तो यह कह रहा हूं कि जो आदिवासी इलाके का मामला है और वह अध्यापक भी आदिवासी है और फिर भी जांच कराने के लिये मैंने सदन को आश्वास्त कर दिया है कि हम जांच करा लेंगे ।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) **:** मंत्रीजी, आप किससे जांच करायेंगे, आप कौनसी एजेंसी से जांच करायेंगे यह भी बता दें ।

श्री कालूलाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह जानकारी देना चाहता हूं कि कोटडा में केन्द्रीय रसोई घर हम स्थापित करने जा रहे हैं और उसकी शुरूआत कर दी है । जो केन्द्रीय किचन बनेगा उसी से भोजन वितरित होगा और बढिया भोजन वितरित होगा, मैं बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा हूं।

श्री मांगीलाल गरासिया: अध्यक्ष महोदय, जांच कराई जाए।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप किससे जांच कराएंगे बता दीजिए, आप तो यह बता दीजिए किससे जांच कराएंगे? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य जिस अफसर से चाहेंगे उस अफसर से करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब ठीक है उन्होंने कह दिया। मंत्री जी ने कह दिया कि किसी से भी, आप चाहेंगे उससे जांच कराने को तैयार है।(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ए.सी.डी. से करा दीजिये, क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष: करा देंगे तो, क्या दिक्कत है? आप चाहेंगे उससे जांच करा देंगे। उनको क्या दिक्कत है? श्री सांगसिंह भाटी। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने, एक बहुत गम्भीर मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहूंगा...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लड़कों का भोजन ब्लैक में जा रहा है। कहां से आया, कहां जा रहा है और इतने माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि ए.सी.डी. से करवाये तो उसमें आपको क्या एतराज है ? कह दीजिए खड़े होकर ए.सी.डी. से जांच करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: कह तो दिया कि जांच करा देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी: नहीं कहा साहब, नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जिससे चाहे उससे जांच करा देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी: नहीं कहा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): हर पर्ची का जवाब माननीय मंत्री महोदय को देना जरूरी नहीं है। हर मंत्रीजी को पर्ची का जवाब देना आवश्यक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री रामनारायण चौधरी: आप इनसे बड़े हैं क्या? आप आसन से बड़े हैं क्या?(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जवाब देने के बाद संतुष्ट करना तो जरूरी है। जवाब नहीं देते आप। आपने जवाब दिया और संतुष्ट भी नहीं कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कह दिया, आप जिससे चाहेंगे उससे जांच करा देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी: आप ही यह फैसला कर लीजिए किससे होनी चाहिये। आप ही फैसला कर लीजिए, हम मान जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जिससे चाहते हैं, मांगीलाल जी गरासिया माननीय सदस्य जिससे चाहते हैं उससे जांच करा देंगे। खतम हुई बात। सांगसिंह भाटी। (व्यवधान) स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा: एसीडी से जांच कराओ। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गम्भीर मुद्दा आपके सामने लाना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र का...

श्री अध्यक्ष: आपके पास तीन मिनिट का समय है।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य जनता के लिए इतने गम्भीर, अभी बोल रहे हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है कि सारी पीड़ा जनता की इनको ही लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात पर आइये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): मैं अपनी बात पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात पर आइये।

राजस्व गांव की घोषणा के बाद भी जमीन का प्रबन्ध नहीं

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आज से पांच साल पहले जैसलसमेर विधान सभा क्षेत्र में राजस्व गांव इन्होंने घोषित किये। गांव तो घोषित कर दिये लेकिन एक बीघा उस गांव की जमीन नहीं कटवाई, यह जनता के साथ आप लोगों ने किया है। मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जगह भी राजस्व गांव घोषित कर दिये लेकिन एक बीघा भूमि नहीं काटी। जब किसान वहां जाकर बसने लगे और तहसीलदार, पटवारी के पास गये कि हमें प्लाट काटकर दो हम यहां बसना चाहते हैं, राजस्व गांव हमारा यह है तो उस नाम की वहां एक बीघा जमीन नहीं मिली। वापस चले गये कि यहां तो जमीन है नहीं। गांव का नाम इससे जरूर हुआ है, यह आपके कार्यकाल की बात है और माननीय मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जितने भी राजस्थान में गांव है, इन्होंने सिर्फ राजस्व गांव नाम कर दिये लेकिन जमीन नहीं कटी हुई है उस जगह। रायसिंहपुरा तहसील, पोखरण का गांव, रायसिंहपुरा नाम से गांव काटा गया लेकिन एक बीघा उस जगह बसने के लिए जमीन नहीं काटी है। ऐसे गांव, जिस जगह भी गांव घोषित है उस जगह बसने के लिए आप जमीन कटवाकर लोगों को राहत का प्रबन्ध करावे, धन्यवाद।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य सांगसिंह जी ने बात रखी है, पूरे राजस्थान के अंदर 1 फरवरी,2006 से नवीन इकाइयां, राजस्व इकाइयों को घोषित करने का प्रतिबंध हटा, उसके बाद राजस्थान में करीबन 513 गांवों को अधिसूचनायें जारी की गईं। अभी यह जो मुद्दा उठा रहे हैं कि गांव तो घोषित हो गए मगर आबादी के लिए जमीन का आइडेंटीफिकिशेन नहीं किया गया, मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वो ही पत्रावलियां, सारे एग्जामिन होने के बाद राज्य सरकार इस पर आती है और यह फलां गांव जो कि इनके क्षेत्र के अंदर 65 गांव घोषित हुए हैं, 65 गांव के अंदर अलग-अलग

(श्री रामनारायण डूडी)

जैसलमेर, पोखरण, फतेहगढ़ तहसील और नाचना और मोहनगढ़ जिन गांवों को घोषित किया गया है उनका एक निश्चित रकबा किया गया, वह ढाणियां बसी हुई है जो आलरेडी मजरे के नाम से है और मजरे के बीच के अंदर जो नाम दिया है जैसे इन्होंने अभी निवेदन किया था कि गोविंदसिंहपुरा, जिनकी 4012.47 हैक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है।

श्री सांगसिंह भाटी: रायसिंहपुरा।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): रायसिंहपुरा, आपके पोकरण के अंदर गोविन्दसिंहपुरा हुआ है, नया मलका हुआ है, मलकाकोट हुआ है, हस्तिनपुर हुआ है।

श्री सांगसिंह भाटी: माननीय मंत्रीजी, अभी हुआ है। रायसिंहपुरा सात साल पहले राजस्व गांव हुआ जिसकी जमीन नहीं कटी यही बात है। रायसिंहपुरा की सात साल पुरानी बात है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): जिन गांवों के अंदर जमीन नहीं कटी और घोषित कर दिये गये हैं निश्चित रूप से उनका नाम आप हमें दें ताकि हम आइडेंटीफिकेशन कर उनकी रिपोर्ट मंगा लेते हैं और जो ढाणियां, मजरे नये गांव बनाये जाते हैं और बीच के अंदर बसे होते है, जो खसरे वगैरह गांव की आबादी हेतु, आबादी का क्षेत्रफल बढ़ने पर, विस्तार के बाद में भी जो एक सीमा के आधार पर छोड़ा जाता है उनकी सारी रिपोर्ट हम मंगा लेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके केवल चार नवीन गांव हमारे स्तर पर पेंडिग है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अधिसूचनाएं। श्री प्रभुलाल सैनी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

कृषि विभाग

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कृषि विभाग की 14 अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसचूना संख्या-प.7(18) कृषि/ग्रुप-2/05 दिनांक 26.9.2005 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

2. अधिसूचना संख्या-प.7 (18)कृषि/ग्रुप-2/05 दिनांक 22.10.2005 जिसके द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या-प.6(5) कृषि/ग्रुप-2/99 दिनांक 14.11.2005 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी, बिजोलिया के प्रथम बोर्ड को भंग किया गया है एवम् प्रशासक नियुक्त किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या-प.15(24) कृषि/ ग्रुप-2/85 दिनांक 14.11.2005 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या-प.10(28) कृषि/ग्रुप-2/85 दिनांक 16.11.2005 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर (अनाज) एवम जयपुर (फल सब्जी) के क्षेत्र में आंशिक संशोधन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या-प-10 (2) कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 29.12.2005 जिसके द्वारा मण्डी शुल्क हेतु 'अश्वगंधा' को अनुसूची में शामिल किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या-प-10(28) कृषि/ग्रुप-2/85 दिनांक 10.1.2006 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उप मण्डी यार्डो की स्थापना) नियम, 1987 में संशोधन किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या-प-6(8) कृषि/ग्रुप-2/04 दिनांक 10.1.2006 जिसके द्वारा कृषि उप मण्डी समिति, बांदीकुई के अन्तर्गत गोण मण्डी यार्ड सिकन्दरा की स्थापना की गई है।

9. अधिसूचना संख्या-प-6(40)कृषि/ग्रुप-2/04 दिनांक 10.1.2006 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, टोंक के अंतर्गत सोहेला मिर्च एवम् फल सब्जी गौण मण्डी यार्ड की स्थापना की गई है।

10. अधिसूचना संख्या-प-10(2)कृषि/ग्रुप/-2/75 दिनांक 25.1.2006 जिसके द्वारा मण्डी शुल्क हेतु कतिपय कृषि जिन्सों को अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या-प6(8) कृषि/ग्रुप-2/2000 पार्ट दिनांक 4.2.2006 जिसके द्वारा कोटा में फल सब्जी गौण मण्डी यार्ड की स्थापना की गई है।

12. अधिसूचना संख्या-प-10(2) कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 10.2.2006 जिसके द्वारा चाय पत्ती पर मण्डी शुल्क को स्थगित किया गया है।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

13. अधिसूचना संख्या-प-10(64) कृषि/ग्रुप-2/79/11 दिनांक 10.3.2006 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डोन के नव निर्मित मण्डी यार्ड की स्थापना की गई है1

14. अधिसूचना संख्या-प-6(6) कृषि/ग्रुप-2/99 दिनांक 10.3.2006 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर के अंतर्गत फल सब्जी एवम् अमरूद गोण मण्डी यार्ड की स्थापना की गई है।

श्री अध्यक्षः श्री घनश्याम तिवाड़ी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर अधिनियम,1987 की धारा 32(4) के अंतर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री शांतिलाल चपलोत।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदन (सं.27 से 38)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2005-06 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1996-97) से संबंधित समिति का 27वां प्रतिवेदन ।
2. राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1997-98) से संबंधित समिति का 28वां प्रतिवेदन ।
3. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000) से संबंधित समिति का 29वां प्रतिवेदन ।
4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 के 54वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् समिति का 30वां प्रतिवेदन ।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

5. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994-95) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2003-2004 के 71वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् समिति का 31वां प्रतिवेदन ।

6. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 एवं 1997-98) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2003-2004 के 73वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् समिति का 32वां प्रतिवेदन ।

7. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् समिति का 33वां प्रतिवेदन ।

8. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002) से संबंधित समिति का 34 वां प्रतिवेदन ।

9. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001) से संबंधित समिति का 35वां प्रतिवेदन ।

10. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1994-95) से संबंधित समिति का 36वां प्रतिवेदन ।

11. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1995-96) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2002-2003 के 57वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 37वां प्रतिवेदन ।

12. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1995-96) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 38वां प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्षः याचिकाओं का उपस्थापन। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री शंकर सिंह राजपुरोहितः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न 10 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूंः-

सुकड़ी नदी (आहोर) पर पुल निर्माण बाबत

I ग्राम कवराड़ा तहसील आहोर जिला जालौर से होकर गुजरने वाली सुकड़ी नदी पर पुल का निर्माण करने बाबत् ।

आहोर के ग्रामों में पेयजल सुविधा बाबत

II तहसील क्षेत्र आहोर जिला जालौर के ग्राम चांदराई, कवराड़ा, रोडला, भूति ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत् ।

कवराड़ा ग्राम (आहोर) में ओपन वैल निर्माण बाबत

III ग्राम कवराड़ा तहसील आहोर जिला जालौर में पानी की समस्या के समाधान हेतु ओपन वैल निर्माण करने बाबत् ।

पावटा ग्राम (आहोर) में पानी समस्या बाबत

IV ग्राम पावटा तहसील आहोर में ब्राह्मणों की बस्ती में पानी की समस्या के निराकरण करने बाबत् ।

पादरली ग्राम (आहोर) में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत

V ग्राम पादरली तहसील आहोर जिला जालौर में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत् ।

उम्मेदपुर से मोरूग्राम (आहोर) तक सड़क का डामरीकरण बाबत

VI तहसील आहोर जिला जालौर के ग्राम पंचायत उम्मेदपुर से ग्राम मोरू होते हुए ग्राम अगवरी तक सड़क का डामरीकरण करने बाबत् ।

रायथल ग्राम से मोकलसर ग्राम तक सड़क का डामरीकरण बाबत

VII ग्राम रायथल से मोकलसर तहसील आहोर जिला जालौर के जिला सरहद तक 3 कि.मी. सड़क का डामरीकरण कराने बाबत् ।

भीलों व सरगरों की ढाणी (रायथल ग्राम) में विद्युत व्यवस्था बाबत

VIII तहसील आहोर जिला जालौर के ग्राम रायथल में भीलों व सरगरों की ढाणी में विद्युत की व्यवस्था कराने बाबत् ।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

रामा ग्राम से घुम्बड़ा माताजी मन्दिर तक पक्की सड़क का निर्माण कराने बाबत

IX तहसील आहोर जिला जालौर के ग्राम रामा से घुम्बड़ा माताजी मंदिर तक पक्की सड़क का निर्माण कराने बाबत् ।

रामा ग्राम में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत

X ग्राम रामा तहसील आहोर जिला जालौर में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत् ।

श्री अध्यक्ष: डा. भंवरलाल राजपुरोहित।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न तीन याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :-

मकराना में सड़कों का निर्माण व डामरीकरण बाबत

I विधान सभा क्षेत्र मकराना में कतिपय सड़कों का निर्माण एवं डामरीकरण कराने बाबत् ।

मकराना में नलकूप खोदने बाबत

II विधान सभा क्षेत्र मकराना में ग्रीष्म ऋतु आने से पूर्व नल कूप खोदने बाबत् ।

मकराना शहर में आर.ओ.बी. बनाने बाबत

III मकराना शहर के बीचों-बीच रेल्वे लाईन पर ओवर हेड ब्रिज बनवाने बाबत् ।

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

कतरियासर ग्राम पंचायत में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने बाबत

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चक 3 बी.एम. ग्राम पंचायत कतरियासर में उरमूल सेतु संस्थान द्वारा संचालित मरूशाला के स्थान पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शैयाओं की बढ़ोतरी बाबत

श्री हरीसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 84 शैय्याओं से बढ़ाकर 100 शैय्याओं में क्रमोन्नत करने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम धोद।

धोद की मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण बाबत

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र धोद की मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधयी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 ए के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 (वर्ष 2006 का अध्यादेश संख्या-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। श्री प्रतापसिंह सिंघवी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सम्पत्ति विरुपण निवारण विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक

(श्री हरिमोहन शर्मा)

निवेदन करना चाहता हूं कि खसरा-गिरदावरी में हुई अनियमितता के मामले में आपने यह निर्णय किया था कि आपकी अध्यक्षता में माननीय मुख्य मंत्रीजी, विपक्षी दल के नेता और सम्बन्धित मंत्री को मीटिंग करके जो उसमें गड़बडियां हुई हैं उस मामले में फैसला करेंगे। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि शीघ्रताशीघ्र एक-दो दिन में वह मीटिंग बुलाकर जो भी हुआ है उसका अन्तिम निर्णय आप करवा दें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं इसको जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसकी धारा-3 में जो प्रावधान मंत्रीजी ने विधेयक के माध्यम से रखा है, थूकने और पेशाब करने के बारे में है। मैं यह समझता हूं कि अगर सरकार, यह सोच तो अच्छी है लेकिन थूकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की सरकार की अगर मंशा है तो सबसे पहले तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए था कि नागरिकों को थूकना क्यों पड़ता है? जगह-जगह पर तम्बाकू की यह फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, क्या आपने उसको बंद करने की चेष्टा की? क्या ये गुटके की जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, क्या आपने गुटके को रोकने का काम किया। अब हर चौराहे पर तम्बाकू खाने वाला मिल जाएगा, हर गांव में मिल जाएगा, हर ढाणी में मिल जाएगा, गुटका खाने वाला मिल जाएगा। जब इस तरह की प्रवृत्ति विकसित करने के माध्यम उपलब्ध हैं, उस दिशा में तो आपने चिन्तन किया नहीं और आप सीधा कानून लाकर आ गये कि थूकेगा तो इतने पैसे वे दण्ड देंगे या सज़ा देंगे। पैशाब करेगा तो भी दण्ड देंगे। मंत्रीजी, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी जो आबकारी नीति लेकर आयीं, आपने राजस्थान के हर कस्बे में शराब की दुकानें खोल दीं। एक चौराहे पर अगर व्यक्ति... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप विरुपण पर आइये, आप शराब को छोडिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं स्थापित करुंगा कि मेरा पाइण्ट सही है, आप मुझे इजाजत दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): शराब पीने वाला थूकता नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मंत्रीजी बीच-बीच में कमेण्ट कर रहे हैं और ये भी विराजमान हैं, ये भी सोचते होंगे।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह बतायें कि सरकार ने क्या यह कहा कि पेशाब नहीं करेंगे, पेशाब नहीं करने की रोक लगायी है क्या? यह गुटकों की प्रथा तो आपने चालू की है, 5 साल तक जगह-जगह फैक्ट्रियां आपने लगायीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर आपको इस विधेयक पर बोलना था तो आपको अपना प्रस्ताव देना चाहिए था। अब आपके पास अवसर ही नहीं है। बीच-बीच में बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरे राजस्थान में शराब की दुकानें बढ़ा दीं। जिस शहर के अन्दर, छोटे कस्बे के अन्दर 3 दुकानें थीं, वहां 10 खोल दीं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, आपको तो बहुत अच्छी तरह जानकारी होगी कि बीयर पीने के बाद और शराब पीने के बाद पेशाब करने के लिये जाना पड़ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको भी जानकारी नहीं है क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं भी इस सिस्टम में रहता हूं, इसलिये मुझे मालूम है।

एक माननीय सदस्य: आपको तो मालूम है ना ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब मुझे यह बताओ आप, पेशाब करने पर दण्ड रखना चाहते हैं, आपने कितने टायलेट बनाये? आप इस कानून को लाने से पहले जनता की सुविधा के लिये पूरे राजस्थान के सारे कस्बों में टायलेट बनाते ताकि वह पेशाब करने के लिये जा सकते ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस विधान सभा के चारों ओर, चक्कर काट लें, मैं शाम को घूमता हूं। आपको हर तरफ पेशाब करने वाले, आज भी, लोग खड़े हुए मिल जाएंगे। एम.एल.ए. क्वाटर्स की साइड की जितनी दीवारें हैं, इस विधान सभा की साइड की दीवारें हैं, एक घण्टे तक कोई व्यक्ति खड़ा रहे, कम से कम 5 लोग उसको पेशाब करते हुए दिखेंगे। आपने टायलेट बनाये? आपने टायलेट बनाये नहीं, अब आप कानून ला रहे हो। एक महीने की सज़ा देंगे आप, दूसरी बार करेंगे तो दो महीने की सज़ा देंगे, सौ रुपये का जुर्माना, हजार रुपये का जुर्माना, दो हजार रुपये का जुर्माना। क्या

(श्री संयम लोढ़ा)

लोगों ने इसलिये आपको राज दिया है कि आप नगरपालिका के एक छोटे से अहल्कार को इस बात का अधिकार पकड़ा दें कि वह किसी के खिलाफ भी कोई कार्यवाही कर दे और कह दे कि थूका है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार जो कानून लेकर के आयी है, बिना विचार के लेकर आयी है। बिना सोचे-समझे लेकर के आयी है। मुझे तो इस बात का बहुत खेद है कि अगर इस कानून को आपका बहुमत है और बहुमत के आधार पर आप पारित भी कर सकते हो लेकिन राजस्थान की जनता के लिये बहुत बड़े अत्याचार का कारण यह कानून बनेगा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब यह धारा-3 की उप धारा-2 में जो आपने प्रावधान किया है, अब आपने इसमें सरकारी जो आपके महकमें हैं, अहल्कार हैं, इनको आपने क्यों नहीं इस प्रावधान में शामिल किया? अब यह जयपुर विकास प्राधिकरण जगह-जगह ताबूत खड़े कर देता है, डेयरी फेडरेशन जगह-जगह ताबूत खड़े कर देता है, मर्जी आये जहां पर, एक गिलास दूध पीओ। तो अगर आपकी मंशा साफ थी...

श्री अध्यक्ष: पीओ नहीं, 'पिलाओ'। आप गलत कह रहे हैं, 'पिलाओ' है, 'पीओ' नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी मंशा साफ थी और आप ईमानदारी से इस बात का प्रयास करना चाहते थे कि इस सम्बन्ध में जिस मंशा को लेकर के आप कानून लाये हो, सम्पत्ति का विरुपण निवारण हो, तो आपको इसमें इसको भी शामिल करना चाहिए था। जिससे उनके ऊपर भी एक रोक रहती। मनमाने तरीके से लोक सम्पत्तियों पर इस तरह का विरुपण वह नहीं करते। लेकिन आपकी मंशा साफ नहीं है। आप खाली नागरिकों को दण्डित करना चाहते हो, खाली नागरिकों पर ही प्रभार थोपना चाहते हो लेकिन अपनी एजेंसियों को आप ठीक नहीं रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आपकी एजेंसियां ठीक ढंग से काम करें। अगर आपकी मंशा होती तो आप इसका प्रावधान रखते। इसमें अब यह कानून और रख दिया कि कम्पनी का चेयरमैन, सभापति, निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक सजीव एजेंट जब तक वह यह साबित नहीं कर दें कि अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना किया गया था, अपराध का दोषी होगा। क्या करना चाहते हो

(श्री संयम लोढ़ा)

आप? मुझे समझ में नहीं आता कि यह विधेयक लाने से पहले आपके द्वारा पढ़ा भी गया या नहीं पढ़ा गया । निश्चित रूप से अगर पढ़ा गया होता तो इस तरह के प्रावधानों को लेकर आप यह कानून लेकर नहीं आते ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध करने के प्रयत्न के लिये दण्ड दुष्प्रेरण के लिये-दण्ड ये सारे प्रावधान इन्होंने कर दिये। और अपराध, इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति ऐसे कदम उठाने के लिये सक्षम होगा, नगर पालिका का कोई भी आदमी, लेखन मिटाने या वगैरह करने के लिये, क्या इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इस पर जो आर्फेस किया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा-8 में जो यह प्रावधान किया है, अपराध का शमन करने की शक्ति, नगर पालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी इस अध्यादेश के अधीन ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित की जाए, किसी भी अभियोजन को प्रत्यार्वत करने या किये गये किसी भी अपराध का शमन करने के लिये सक्षम होगा। आपके डिपार्टमेंट की क्या इमेज है। आपके डी.एल.बी. को लोग क्या कहते हैं' दे-ले और भागो। यह तो आपके डी.एल.बी. की इमेज है। आपके जे.डी.ए. की इमेज है, जबरो डाकू आयो। जे से जबरो, डी से डाकू और ए से आयो। आप नगर पालिका के अहल्कार को यह व्यवस्था दे दोगे, वह कहेगा आपने थूका है, ला सौ रुपये। और किस तरह के नगर पालिका क्षेत्रों के अन्दर हालात बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन को लेकर के। किस तरह से लोगों से पैसा नहीं लेते हैं, किस तरह की चौथ-वसूली नहीं होती है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कानून सरकार लायी है, बिना विचार किये लायी है, बिना सोचे-समझे लायी है, बहुत जल्दबाजी में लायी है और नागरिक अधिकारों का बहुत बड़ा हनन, अवमानना और अपमान होने की पूरी सम्भावना इस कानून के बनने के बाद होगी और इसके लिये जो तैयारी इस सरकार को प्रारम्भिक तौर पर करनी चाहिए थी, जो जन सुविधाएं विकसित करनी चाहिए थीं, वह सुविधाएं विकसित नहीं की गयी हैं। और ऐसे खाद्य पदार्थ जो इस अपराध का कारण और निमित्त बनते हैं उनको रोकने का प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को 3 माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकीदास कल्ला। (अनुपस्थित)

श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्रीजी, उत्तर दें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डिफेसमैंट बिल जिस पर आज चर्चा हो रही है, यह इससे पहले जो विधान सभा का चतुर्थ सत्र हुआ था उसमें पेश कर दिया गया था पर इस पर वाद-विवाद नहीं हुआ इसलिए दुबारा से लाया गया है और 17.1.06 को यह राजपत्र में साया भी हो चुका है। इस बीच में समाचार-पत्रों में भी डिफेसमैंट बिल के बारे में आया। विधान सभा के माननीय सदस्यों, माननीय सांसदों को और राजस्थान की जनता को अखबारों के माध्यम से, राजपत्र के माध्यम से इस पूरे कानून के बारे में जानकारी मिल चुकी पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिन तक इस बिल में किसी भी प्रकार की खामियां या कोई खामी, न तो मेरे पास कोई शिकायत प्राप्त हुई है और न ही विभाग के पास प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हैरिटेज का बहुत बड़ा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो दो बातों का ही जवाब दे दो । एक तो डस्ट-बिन का दे दो कि डस्ट-बिन कितनी-कितनी दूरी पर रखवाओगे और एक दे दो यूरिनल का, बस बाकी सब ठीक है आपकी बात। ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): राजस्थान में बड़े पैमाने पर टॉयलेट्स बनाने का काम चल रहा है। सुलभ कॉम्प्लैक्स बन रहे हैं और जहां तक डस्ट-बिन का सवाल है, डस्ट-बिन हमने ज्यादा से ज्यादा रखवाये हैं। फिर भी यदि अगर माननीय सदस्यों को कहीं लगता है कि यहां पर डस्ट-बिन की आवश्यकता है तो वहां पर रखवा देंगे। बात खतम हुई। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कहां रखवाये ? हर चौराहे पर होनी चाहिए डस्ट-बिन। कहां है डस्ट-बिन? कहां है? गलत बात। डस्ट-बिन कहां रखवा दिया?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम जो बातें रखी हैं उनका तो जवाब दिलवा दो। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, दे दिया न। आपके यूरिनल का दे दिया। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या जवाब दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यूरिनल का दे दिया। यूरिनल का जवाब दे दिया, उन्होंने डस्ट-बिन का जवाब दे दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह ऐसा है माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा दुरुपयोग का अस्त्र दे रहे हो आप निचले स्तर को। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विरूपण में आपने दो मुद्दें उठाये हैं। वह डस्ट-बिन का दे दिया उन्होंने कि हर चौराहे पर डस्ट-बिन होगा। क्यों होगा न ? ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जहां पर भी जरूरत होगी, सब जगह रखवाने का प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: और यूरिनल का दे दिया उन्होंने, आपकी दो ही बातें थीं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जितनी भी जहां पर आवश्यकता है, वहां पर सुलभ कॉम्प्लैक्स बनाने की कार्यवाही की जाएगी।... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, तो पहले आप व्यवस्था करें और उसके बाद कानून लाये। ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक माननीय सदस्य के गले में भी लटका दिया जाए।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या है? यह कोई तमाशे की बात नहीं है, जो आप इस तरीके से कह रहे हैं। हां, तो उठायी हुई बात ठीक है उनकी। यह क्या बात हुई?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ... (व्यवधान) गले में लटका देना । ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको एक निवेदन और करना चाहूंगा कि 12वें वित्त आयोग ने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं । नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने आसन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुद्दें उठाये हैं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अमेंडमैंट नहीं है, नेता प्रतिपक्ष अलाउड हैं। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं, जैसे प्रश्न में प्रश्नकर्ता का अधिकार है वैसे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नेता प्रतिपक्ष दे सकते हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, अभी तो जो मूल संशोधन है वह तो आप करें । आप थर्ड रीडिंग में बोलें, बोलना है तो। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनका अमेंडमैंट है? फिर लास्ट स्टेज पर बोल सकते हैं। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं अनुमति से बोल रहा हूं। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बोल रहे हैं पर अनुमति से भी तो नियमों में ही बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने अनुमति हासिल कर ली थी उनसे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अनुमति से भी नियमों से ही बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अनुमति के लिए तो कोई नियम नहीं है, अध्यक्ष के लिए कोई नियम लागू नहीं है, कब अनुमति दी जाए और कब नहीं दी जाए यह ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप लास्ट स्टेज पर पारित होगा उस समय पर बोलिये। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नेता प्रतिपक्ष, आप देखिये कि जब तक अमेंडमैंट नहीं हो तब तक तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलते हैं। हां, लास्ट में आप बोल सकते हैं। ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): थर्ड स्टेज पर आप बोल लेना। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः लास्ट में आप बोलिएगा। ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर और भी खुशी होगी कि 12वें वित्त आयोग में, राजस्थान में सॉलिड बेस मेनेजमैंट पर हम 2 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च करेंगे। इसके अलावा आपको यह सुनकर और भी ताज्जुब होगा कि

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

जो हमने सज़ा का प्रावधान किया है उसमें भारत सरकार की चिट्ठी आयी है, 16 मई, 2005 को, उन्होंने यह लिखा है इस चिट्ठी में कि यह आपने जो सज़ा का प्रावधान रखा है, जुर्माने का प्रावधान रखा है, वह कम रखा है। इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भारत सरकार ने तो लिख दिया, ठीक है । ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तम्बाकू और इन पर टैक्स और बढ़ा दिया, उसको हतोत्साहित करने के लिए । ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बढ़िया है। मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह अमेंडमैंट तो नहीं दिया है। यह एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रिनजेंट है, अभी हमारी पब्लिक इस काम के लिए तैयार नहीं हुई है। यह आप सोचकर करना किसी भी प्रदेश में ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रदेश का साक्षरता का प्रतिशत क्या है ? इस प्रेदश में हालत क्या है? क्या कानून ला रहे हो आप? लोग समझते नहीं, लोग जानते नहीं हैं, हद हो गयी आपकी। ... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): जिस प्रदेश के 60 प्रतिशत लोग अनपढ़ हो, उनको आप यह कहो कि तुम यहां पर पेशाब मत करना, मैं आपको ही निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के आसपास भी कोई टॉयलेट-बॉथरूम नजर नहीं आता है, कहीं भी सड़क पर । ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): एक मिनट विराजो तो सही आप चपलोत साहब, एक मिनट।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): कहीं पर भी सड़कों पर भी बॉथरूम बने हुए नहीं है, उसका पहले इन्तजाम तो करो आप। ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उसका बनवा देंगे। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका कोई अमेंडमेंट थोड़े ही है जो आप बोलने खड़े हो गये बीच में ही। ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिट्ठी पढ़ना नहीं चाहता था। ... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मेरा अमेंडमेंट तो नहीं है फिर भी यह ... (व्यवधान) उसके बारे में सोचा जाना चाहिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपका समय लेना चाहूंगा। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हां।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जो भारत सरकार की चिट्ठी 16 मई, 2005 को आयी है। वह है-

"Subject:- The Rajasthan Prevention of Defacement of Property Bill, 2005 regarding.

The undersigned is directed to refer to the office memorandum No. 16/11/2005/judicial&pp dated March 28, 2005, received from the Ministry of Home Affairs on the subject mentioned above and to say the penalty for defacement of property proposed in the Bill is too lenient. Keeping in view the fact that the state has a large number of heritage buildings, the penalty for offence should be increased to imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to Rs. 1000/- or with both. This will bring to penalty provisions as per with the Goa provision of Defacement of Property Act, 1998." अब क्या बचा है, साहब?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह है भारत सरकार का उत्तर, पूरा पत्र पढ़कर बता दिया। पूरा पत्र पढ़कर बता दिया । ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय, भारत सरकार ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अपनी सरकार का देख लो कि उन्होंने कहा है कि प्रोविजन इसमें पैनल्टी का ज्यादा करो। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): भारत सरकार की ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय, जो लोग अंग्रेजी नहीं समझे हैं उनको आप हिन्दी बता दो, बस बाकी ठीक है। ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): बस, यही मैं निवेदन कर रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दी भी बता देते ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हिन्दी भी बता देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): गांव का आदमी इस कानून को नहीं समझेगा, यह तो जहां दीवार का सहारा मिलेगा, वहीं वह पेशाब करेगा। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इस लैटर का ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मंत्रीजी, आप एक मिनट सुनिये। क्या आप भारत सरकार का पत्र का आदर करते हुए सज़ा का प्रावधान बढ़ा रहे हो ? ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं बढ़ा रहे। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं बढ़ा रहे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नहीं बढ़ायेंगे। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): तो फिर आपको इसको पढ़ने की कहां जरूरत थी?

श्री अध्यक्ष: नहीं बढ़ा रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): जब आप भारत सरकार के पत्र का निरादर कर रहे हैं तो यह ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): यह पढ़ने की जरूरत इसलिए थी कि हमने जो किया है, अच्छा किया है। भारत सरकार तो सज़ा और जुर्माने को और बढ़ाना चाहती है। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसमें आपने कहा कि, पत्र में कहा है भारत सरकार ने, आप मेरी बात को सुन लीजिए, आपने यह बताने के लिए पत्र पढ़ा है कि यह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव पारित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक विचाराथ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड -2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, डाक्टर बुलाकीदास कल्ला। (अनुपस्थित)

श्री जुबेर खान। कोई अमेंडमेंट हो तो बोलेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-3 में जो संशोधन दिया है वह इसलिए दिया है कि इस एक्ट के माध्यम से सरकार ऐसा पावर लेना चाहती है, मान लीजिए कि कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं और हमसे कोई चंदा लेने आ गये और कोई धार्मिक कार्यक्रम के नाते हमने कोई चंदा दे दिया जागरण के लिए दे दिया या और कोई काम के लिए दे दिया और उसमें पोस्टर में उन्होंने छपवा कर और वह पोस्टर मान लीजिए कहीं पर चिपका दिया। हमारी भावना यह कतई नहीं थी कि इसका कोई दुरुपयोग किया जाए । हम इसलिए चंदा देंगे कि धार्मिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जागरण करने जा रहे हैं और कोई रामलीला का संचालन करने जा रहे हैं, कोई नाटक का संचालन कर रहे हैं, उसमें जिस आदमी ने चंदा दिया है, उसको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा क्योंकि उसका नाम पोस्टर में छपा हुआ है और पोस्टर पर नाम किसी का भी छाप दो, इस तरह से इसलिए हमने यह दिया है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेंडमैंट काहे पर है ? अमेंडमैंट काहे पर है और बोल काहे पर रहे हैं? ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमने अमेंडमैंट इसलिए दिया है कि आप उसको ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अमेंडमैंट में तो उन्होंने कहा है कि जुर्माना बढ़ाओ। अमेंडमैंट तो आपने दिया है- जुर्माना कम कर रही है सरकार, जुर्माना बढ़ाओ और बोल रहे हैं दूसरी बात पर । ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सुन लीजिए। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप पहले विधायक दल में तो तय करके आया करो कि इसका विरोध करना चाहिए या समर्थन करना है। ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अमेंडमैंट यह दिया है, आप सुन लीजिए पहले ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, पहले यह तय कर लो कि इसका समर्थन कर रहे हो या विरोध कर रहे हो? ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह कौनसी किताब में लिखा है कि आप यह ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप पढ़ लो न। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): संसदीय कार्य मंत्री, यह कौनसी किताब पर लिखा है कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप पढ़ लो माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेंडमैंट, जिस विषय को लेकर अमेंडमैंट दिया है उसी पर ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बोलेंगे, उस पर भी बोलेंगे। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप कृपा करके बैठो न। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): थर्ड रीडिंग में बोलें, यह समझ में आता है अभी अमेंडमैंट के लिये आपने पुकारा, यह उसी तक सीमित रहें।.. (व्यवधान) आप मुलाहिजा फरमा लें, अमेंडमैंट क्या है इनका। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेंडमैंट जुर्माना करने का भी दिया है, यह इसलिये दिया है कि कल को मैं ही पोस्टर छपवाकर संसदीय कार्य मंत्री का नाम लिखवा देता हूं, यह कोई बात हुई क्या? ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका जो स्कोप है आप उसी तक ही सीमित रहिये ना। आपको जो बात कहनी है वह बाद में कह दीजिये ना। थर्ड रीडिंग में कह देना। ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खण्डशः विचार में जो संशोधन दिया है वही आता है। जनरल बात माननीय सदस्य को करनी है तो थर्ड रीडिंग में, जब पारित का आयेगा, उस समय आप अपनी बात कह पायेंगे। इस समय तो आप अपना जो संशोधन है उसे प्रस्तुत करने की बात करिये। ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: ठीक है अध्यक्ष महोदय। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: जुर्माने की बात कहां से आ गयी?

श्री राजेन्द्र राठौड़: आपने जुर्माना बढ़ाने की बात कही।... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: आप बढ़ाने का विचार रख रहे हैं क्या?... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: नहीं, आप प्रस्ताव तो रखो। ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (स्वायत्त शासन मंत्री): भारत सरकार कह रही है कि जुर्माना बढ़ाओ। ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: हमने तो अमेंडमेंट रख दिया, आप मान लीजिये ना। अगर मान लिया तो हम बोलें ही नहीं। सरकार इस अमेंडमेंट को मानने के लिये तैयार है।... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: जब यह शंका है आपको, इसमें विरोधाभास है, एक तरफ आप कह रहे हो हमको शंका है कि यदि हम चंदा देंगे और दीवार के चिपका देंगे तो दुरूपयोग होगा और दूसरी तरफ आप कह रहे हो ना सज़ा बढ़ाओ, तो सज़ा क्यों बढ़वाना चाहते हो, जब यह शंका है।

श्री जुबेर खान: सज़ा हम वहां बढ़वाना चाहते हैं जिन दीवारों पर जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर लिखा जाना कोई औचित्य नहीं है, कोई मान्यूमेंट है, कोई सार्वजनिक बिल्डिंग है, संग्रहालय है जिसके ऊपर आप लिख देते हैं विश्व हिन्दू परिषद् के नाम से, शिव सेना के नाम से भड़काने वाले नारे, उनके लिये हमारी आपत्ति है कि उनके ऊपर आप सज़ा बढ़ाइये, लेकिन यह नहीं कि आप धार्मिक आधार पर कोई पर्चे चिपका दिये या कोई बात करे उस पर बढ़ा दें। हमारा निवेदन यह है कि हमारा अमेंडमैंट इसलिए दिया है कि इसमें आप श्रेणी अलग अलग करिये। आपको श्रेणी अलग अलग करनी होगी सड़क की। एक तो बाई पास पर या हाइवे की सड़क पर किसी ने चिपका दिया और एक किसी ने मंदिर के ऊपर चिपका दिया, सचिवालय के ऊपर चिपका दिया, किसी संग्रहालय के ऊपर चिपका दिया, इसका फर्क होना चाहिये। आपने एक कर दी, गली को भी उसी श्रेणी में ले आये, संग्रहालय को भी उसी श्रेणी

(श्री जुबेर खान)

में ले आये, सार्वजनिक सम्पत्ति को भी उसी श्रेणी में ले आये । इसको लेकर हमारी आपत्ति है कि आप इस पर जो आपकी भावनाएं हैं या तो यह कहिये कि आपकी भावना जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, ऐतिहासिक भवन हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनको अगर बचाने और संरक्षित रखने की बात है तो वह बात सराहना योग्य है, आप जरूर करिये, लेकिन इस आधार पर यह नहीं कि आप हर जगह करें।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष: आप अपने अमेंडमैंट तक सीमित रहें। आपका जो अमेंडमैंट है उसी तक सीमित रहें। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: ऐसा लगता है कि किसी ने दस्तख्त करवा लिये अमेंडमैंट पर।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मुख्य सचेतक महोदय, उमा भारतीजी राजस्थान में आ रही हैं, क्या उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारे लिखेंगे ? इसके बारे में भी कुछ करोगे क्या ? वह आ रही है बहुत जल्दी।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपका अमेंडमैंट नहीं है। आपका अमेंडमैंट है नहीं, जो आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसलिए आप ऐसा अमेंडमैंट ला रहे हो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इसलिये चाहा कि जितने भी नारे लिखे जाते हैं, वह नारे ऐसे संगठनों द्वारा लिखे जाते हैं जो इस समाज में, इस प्रदेश में वातावरण को दूषित करते हैं, इसलिए हमने कहा कि इसमें आप कठोर सज़ा बढ़ाइये, जुर्माना बढ़ाइये और अगर सरकार संवेदन है तो आप हमारा अमेंडमैंट मान लीजिये, हम तो अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में जो संशोधन डा. बुलाकी दास कल्ला एवं श्री जुबेर खान, माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाय?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया ।

खण्ड-4 से 12 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 12 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 12 स्वीकार किये गये।

खण्ड – 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड – 1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये जायं?

(स्वीकृत)

खण्ड – 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये। श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रस्ताव करें ।

विधेयक का पारण

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: कोई बोलना चाहें तो बोलें। आप बोलें प्रतिपक्ष के नेता। अब आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो बात कही थी उसी का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ था, लेकिन बिल तो पास कर रहे हैं वह दो हैवीवेट मिनिस्टर, एक गवर्नमैंट के चीफ व्हिप, वह भी उछलकर आपत्ति में आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यहां सब उछल रहे हैं, कोई यह ही नहीं उछल रहे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक अद्वितीय दृश्य जो कभी देखने को नहीं मिला, दो हैवीवेट मिनिस्टर, एक सबसे हैवीवेट गवर्नमेंट चीफ व्हिप, आपकी पायलेट कर रहे थे सक्सेसफुली । कहीं कोई कमी नहीं थी, क्या आवश्यकता थी आप दोनों को और तीसरे को कूदने की? आप जम्प कर रहे थे मैं तो उस पर आपत्ति कर रहा था। अध्यक्ष महोदय ने खुद ने जो जानकारी चाही थी मैं तो उसी को समर्थन दे रहा था, लेकिन आपने उछल-कूद करके उड़ा दी। आपने उछल-कूद करके उस बात को उड़ा दिया और अध्यक्ष महोदय से व्यवस्था दिलवा दी।

श्री अध्यक्षः आप बोलना चाहते हैं, जुबेर खानजी?

श्री जुबेर खानः अध्यक्ष महोदय, यह बिल सरकार लेकर आई है, यह सही वास्तविकता है कि आज भी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में आज जो स्थिति बनी हुई है, हम कहीं भी देखें एक तो प्रोपर शौचालय बने हुए नहीं हैं, एक प्रोपर जागरूकता लोगों के अंदर नहीं है। लोग अशिक्षित हैं, बहुत-सी महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानती हैं। यह कानून लाने से पहले हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार को इसका प्रचार-प्रसार अच्छे ढंग से करना चाहिये। जैसा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा आप जब तक इसके आल्टरनेटिव या पर्याय साधन नहीं बनायेंगे तब तक जनता को आप कैसे रोक सकते हैं? यहां ऐसी भी स्थिति है कि छोटी-छोटी नगरपालिकाओं के क्षेत्र में दो-चार मिनट के लिये बस रूकती है और जो बुजुर्ग या बीमारी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको टायलेट के लिये जाने की जरूरत पड़ जाती है। उनकी नजर बस की तरफ ही रहती है। कोई प्रोपर व्यवस्था होती नहीं है, वह कहां जायेंगे और जायेंगे तो आपका धन्धा बनेगा लोगों को ठगने का। नगरपालिका या नगर परिषद् का कोई आदमी खड़ा होगा सिविल ड्रेस में, वह एक मिनट में पकड़ लेगा। एक तरफ उसको बस की चिन्ता रहेगी, इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब तक इसके ऊपर पूरा प्रचार-प्रसार नहीं किया जाये, दूसरे आल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की जाये, लोगों को जागरूक नहीं किया जाये, सरकार वह सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये तो बेकार है।

आज ऐसा होता है कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं बच्चे लोग सब जगह पोस्टर लगा देते हैं, रामलीला के ही लगा देते हैं, भगवती जागरण के लगा देते हैं और भृर्तहरि नाटक के लगा देते हैं तो आप इसको देखें । बगैर इस तरह के कानून को लागू नहीं कर पायेंगे क्योंकि इतने लोगों को आप न दण्ड दे सकते हैं प्रजातंत्र में, न उनको उठाकर बंद कर सकते हैं, न उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। लोगों में रोष व्याप्त होगा, आप इसको लागू नहीं कर पायेंगे। आपने लागू कर रखा है ना सम्पत्ति के ऊपर या राष्ट्रीय मार्गों पर या राजमार्गों के ऊपर जो बिना स्वीकृति के अतिक्रमण करेंगे, निर्माण करेंगे उनको तोड़ेंगे। आज क्या हालत हुई है, आप तोड़ पाये क्या? नगरपालिका या पी.डब्ल्यू.डी. या कोई तोड़ पा रहे हैं? जिस तरह से कब्जा करके दुकानें बना ली जाती हैं बिल्कुल पक्की सड़क पर पार्किंग की जाती है वहां बी.टी. रोड पर वहीं कारखाने खोलकर ट्रेक्टर खुले पड़े हैं। आप जाइये

(श्री जुबेर खान)

शाहपुरा में, पावटा में, कोटपूतली में जब आप दिल्ली जाते हैं तो आधी सड़क पर इंजन खुला पडा हुआ रहता है, आप कार्यवाही कर पा रहे हैं? जबकि आपके नियम हैं, कानून है, दण्ड के प्रावधान हैं, पर आप नहीं कर पा रहे हैं। यही मखौल इस विधेयक का उड़ेगा, इस कानून का उड़ेगा । आप इसको बना लीजिये, पास भी करा लीजिये, लेकिन इसको लागू नहीं कर पायेंगे और वह कानून इस पवित्र सदन से पास मत कराइये जिसको आप लागू न कर पायें। पहले ऐसी व्यवस्थाएं करिये कि हम किस तरह से लोगों को जागरूक करके, उनको समझाइश कराकर आप फण्ड दीजिये न नगरपालिकओं को, नगर परिषदों को और छोटी संस्थाओं को कि इसके ऊपर आप एक साल तक अभियान चलाइये। यह तो आज भी है । एक्ट के बगैर भी ऐसा है कि सार्वजनिक स्थान को आप गलत नहीं कर सकते, उसको भद्दा नहीं कर सकते, उसको गंदा नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थान पर टायलेट नहीं कर सकते। यह तो आज भी प्रावधान हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं । आज जब तक इसको लागू नहीं कर पायेंगे तब तक समाज में जागरूकता और आल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं कर पायेंगे तब तक यह लागू नहीं हो पायेगा। इसका प्रचार-प्रसार करिये। इसको पहले जनता के बीच में जाने दीजिये। जन प्रतिनिधियों के माध्यम से, नगर पालिकाओं के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से कि इसके ऊपर इस तरह का सरकार विचार कर रही है। जिस तरह से आपका जल संग्रहण आन्दोलन चला । जल संगहण चला रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, अधिकारी जा जाकर रैली निकाल रहे हैं और लोगों को जागरुक कर रहे हैं कि पानी का महत्व है। इसी तरह से आप इसके ऊपर भी पहले इस तरह का जन-जागरण चलाइये, अभियान चलाइये तब जाकर के इसको लागू करेंगे तो सही मायने में इस कानून की पालना हो पायेगी नहीं तो आप कागजों में प्रावधान कर लीजिए, इसको आप लागू नहीं कर पायेंगे। यही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः यह अधिनियम गांवों में लागू नहीं होगा केवल शहरों में ही है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हां, शहरों में लागू होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नगरपालिकाएं भी छोटी-छोटी हैं। छोटी-छोटी नगरपालिकाएं भी गांवों की श्रेणी में ही आती हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह वहां भी लागू नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय, यह लागू वहीं होगा कि जहां अधिसूचित किया जायेगा। इस एक्ट के अन्तर्गत सब जगह लागू नहीं है, राज्य सरकार जिन-जिन सम्पत्तियों को लागू करेगी वहीं लागू होगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो बोल सकते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): थर्ड रीडिंग है क्या?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): थर्ड रीडिंग है।

श्री अध्यक्ष: हां, थर्ड रीडिंग है, आप बोल सकते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं इसका स्वागत इसलिए कर रहा हूं कि एक प्रगतिशील कदम है। जिस तरह की सम्भावनाएं आप बता रहे हैं, आखिर हम डवलपिंग कंट्री हैं और डवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं और डवलप्ड कंट्री के साथ-साथ हमारा प्रदेश भी, क्योंकि केन्द्र भी चाहता है कि हर प्रदेश डवलप होने के लिए अपनी-अपनी पूरी ताकत लगाये कानूनी रूप से, व्यावहारिक रूप से, आर्थिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जिस तरह आप कह रहे हैं कानून ही तब बनाओ, दो चीजें हैं, एक तो कानून बनाना और एक कानून को लागू करवाना। यदि हम किसी कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं करवा सकते, उसका अर्थ यह नहीं है कि वह कानून खराब है। यहां हम कानून बना रहे हैं, जब लागू होगा और जिस समय लागू होने में कोई आपत्ति आये उस समय आप इस पर उँगली उठा सकते हैं कि

(समय: 13.51 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ठीक ढंग से लागू नहीं हो रहा है। अब ठीक ढंग से लागू नहीं करवा सकते, अच्छा कानून ही नहीं बना सकते यह तो मैं समझता हूं कि यह विचार उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कोई अच्छा विचार आता है प्रोग्रेसिव सोसयटी कई बार उसका विरोध करती है लेकिन धीरे-धीरे सोसायटी उसका समर्थन करती है। जब सती निवारण कानून आया, कानून के पहले यह विचार आया, राजा राम मोहन राय लेकर आये, उस समय लोगों ने उनका विरोध

(डा. एन.एस. गुर्जर)

किया कि यह कैसी उल्टी-सीधी बात करता है, धीरे-धीरे उस पर कानून बना, कानून बनते ही उस पर लोगों ने आपत्तियां कीं, क्या यह कानून लागू हो सकेगा? आज आप जानते हैं कि वह कानून हर जगह लागू है।

इसलिए कोई भी प्रगतिशील कदम उठाया जाता है प्रारम्भ में तो उसका लोग विरोध करते हैं, इसका भी विरोध होगा। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो जानते हैं आप अमेरीका में जाइये, यूरोप में जाइये, जितने भी डवपल कंट्रीज हैं वहां जाइये वहां पर आप सड़क के किनारे खड़े होकर के पेशाब नहीं कर सकते, आप से पैनल्टी वसूल की जायेगी, वहीं पर पकड़ कर पैसा लिया जायेगा। आप थूक नहीं सकते कहीं, वहां पर प्रोपर हाइजेनिक, वहां पर पर्यावरण की जो स्थिति है प्रदूषण वहां बिलकुल नहीं है क्योंकि उन्होंने वहां इस तरह के कानून बना रखे हैं। शुरू में उन्होंने कानून बनाये तब भी वहां इस तरह की दिक्कतें आयी थीं लागू करने में लेकिन धीरे-धीरे पब्लिक एजुकेट होती गयी।

आज हम लिट्रेसी की बात कर रहे हैं, एक जमाना था जब हमारे यहां पर महिला लिट्रेसी रेट 20 परसेंट थी और एवरेज लिट्रेसी रेट टोटल राजस्थान में 38 परसेंट थी, आज पांच-दस साल के अन्दर ही बढ़ कर के हमारी आज पुरुषों में तो नेशनल एवरेज से ऊपर लिट्रेसी रेट पहुंच गयी और जो एवरेज है वह 65 परसेंट से ऊपर पहुंच गयी। आने वाले पांच साल में आप देखेंगे हमारी यह जो लिट्रेसी रेट है वह 80 परसेंट से अबोव जायेगी। तो धीरे-धीरे लोगों को जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, कानून बनाना पड़ेगा फिर कानून के अनुसार उनको एजुकेट करना पड़ेगा।

हमने पंचायत एक्ट बनाया, देश में पंचायत एक्ट बना, कोई सोच सकता है उस समय भी लोग यह कहते थे, रिजर्वेशन लागू हुआ लोगों ने आपत्तियां दर्ज करायीं कि शिड्यूल्ड कास्ट की महिलाएं, क्या सरपंची करेंगी, वह क्या प्रधानी करेंगी, क्या प्रमुख का काम करेंगी, अनपढ़ महिलाएं कैसे काम करेंगी? आज आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे उनको एजुकेट किया गया और वह पंचायतों और नगरपालिकाओं पर सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं। क्यों?

तो जब भी कोई प्रोग्रेसिव लॉ आता है तो उसका विरोध भी होता है लेकिन धीरे-धीरे लोग उसको एक्सैप्ट करते हैं। तो हम डवलप कंट्री होने जा

(डा. एन.एस. गुर्जर)

रहे हैं। यह आवश्यकता है आज की कि इस तरह के जो कानून हैं वह हमारे देश में बनने चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए जो हम को डवलप कंट्री के रूप में आगे बढ़ा रहा है। आज भारत विश्व की चौथी शक्ति है और तीसरी शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, कल हो सकता है। अभी हमारे वैज्ञानिक जिस तरह की वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री जिस तरह की जगह-जगह परिभाषाएं दे रहे हैं, वह कह रहे हैं कि यह देश तीसरे स्थान पर है, इसके बाद दूसरे स्थान पर भी आ सकता है। हम बढ़ रहे हैं तो हम को जो प्रोग्रेसिव लॉ हैं डवलप कंट्रीज के उनको यहां पर लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और जनता को उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। यदि हम यही सोचें कि यह तो सांपों वाला, सपेरों वाला देश है, यहां कोई सुधर नहीं सकता या जनता मानेगी नहीं, जनता नाराज हो जायेगी तो जनता नाराज होगी तो हम पर होगी, आपसे तो नहीं होगी, कानून तो हम ला रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हो? सत्तारूढ़ दल है उससे नाराज होगी, आपसे तो नाराज होने से रही जो आप क्यों ख्वाहमख्वाह परेशान हो रहे हो? तो आपको तो लाभ होगा जनता नाराज होगी तो।

इसलिए यह जो प्रोग्रेसिव लॉ है, इसका मैं स्वागत करता हूं और इस तरह से यही लॉ नहीं, सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि डवलप कंट्रीज में कौन-कौनसे इस तरह के लॉ हैं और राजस्थान को लीड लेनी चाहिए देश के अन्दर कि कौनसे प्रदेश ने और अच्छे-अच्छे कानून कौनसे बना रखे हैं, वह हम यहां बनायें। इस तरह की लीड लेनी चाहिए राजस्थान को और इस तरह के देख कर यहां कानून बनाये जाने चाहिए ताकि राजस्थान हर चीज के अन्दर आगे हो और राजस्थान प्रगति के ऊंचे स्तर को छुए। पूरे देश को एक शक्ति के रूप में, उभरती हुई शक्ति के रूप में उसको मजबूती प्रदान कर सकें। इसलिए जो कानून आया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और हम सब को सर्वानुमति से इसको पास करना चाहिए, लागू करना चाहिए। धन्यवाद।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए तो सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार अच्छे उद्देश्य की बात कह कर कांस्टीट्यूशन का जो अमेंडमैंट है उसकी स्पिरिट को खतम करना चाहती है। जब 73 और 74 अमेंडमैंट हो गया, सैल्फ गवर्नेंस के आधार पर यह म्यूनिसिपैलिटी को अधिकार है वह म्यूनिसिपैलिटी अपने इलाके में किस तरह से डवलपमैंट करना चाहती है, किस तरह के अपने इलाके अन्दर वह चीज को अच्छा समझती है, बुरा समझती है, नियम और कानून बनाने के सारे

(डा. सी.पी. जोशी)

अधिकार सैल्फ गवर्नेस के बाद 73 अमेंडमैंट के बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं को नियत कर दिये गये हैं, जब पंचायत और नगरपालिकाओं को नियत कर दिये हैं तो हम जो जयपुर का नगर निगम है उसकी जो आवश्यकता है उसका हम कम्पेयर करें गांव की एक डी लेवल की म्यूनिसिपैलिटी पर उसका भी रिक्वायरमैंट वही होगा तो मैं समझता हूं यह एन्क्रोचमैंट है कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन का।

आज सिविल लाइन्स में कोई आदमी जो आपके प्रोविजन हैं उनका वायलेशन करे, नहीं होना चाहिए पर एक कच्ची बस्ती में रहने वाला जो आदमी है, कच्ची बस्ती में रहने वाले आदमी के लिए जो उनकी बेसिक एमिनिटीज हैं उसकी सुविधा नगर निगम ने उपलब्ध नहीं करायी, वहां हम आशा करें कि वो उन चीजों के सम्बन्ध में नहीं करेगा तो मैं समझता हूं कि यह हमने एक यूनिफोर्म फैसला कर लिया है कि जयपुर जैसी नगर निगम, सिविल लाइन जैसा मार्ग और सिविल लाइन की पुलिया पर जैसे हम रंग-रोगन करा रहे हैं वैसा राजस्थान के हर कोने और म्यूनिसिपैलिटी पर हो रहा है इसलिए यूनिफोर्म नियम और कानून लगाने का काम है।

माननीय मंत्रीजी, यह अधिकार आपका नहीं है, यह अधिकार उन चुने हुए प्रतिनिधियों का है, राजस्थान की असेम्बली में चुने हुए प्रतिनिधियों का वह कानून बनाने का अधिकार है। भारत सरकार अपनी कांस्टीट्यूशन में जो उन्होंने लिस्ट बना रखी है कि शिड्यूल के अन्दर सेंट्रल गवर्नमैंट के क्या पावर हैं, स्टेट गवर्नमैंट के क्या पावर हैं, कन्करेंट लिस्ट में क्या पावर हैं उनके नियम और कानून बनाने का अधिकार सरकार और केन्द्र सरकार को है। कुछ कानून केन्द्र सरकार भी बनाती है, राजस्थान सरकार भी बना सकती है पर म्यूनिसिपैलिटी के इस पावर को आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं कि उनको कोई अधिकार नहीं है, हम जो नियम और कानून बना रहे हैं उन नियम और कानून के आधार पर आपको लागू करना पड़ेगा। यह निगेशन है, यह एम्पावरमैंट जो करने का 73 और 74 अमेंडमैंट है उसका निगेशन है। उसका घोर विरोध करते हैं और यही एक हम इस सरकार पर आरोप लगाना चाहते हैं यह सरकार डीसेंट्रलाइजेशन करने की जो पिछली सरकार की पावर थी, जो एक मूव किया था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें, चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार दें, वह अपना अच्छा, बुरा-भला समझें, नियम और कानून बनायें, उसका निगेशन कर के एक हम यहां पर बिल लेकर आ रहे हैं।

अभी शिक्षा मंत्रीजी कह रहे हैं हम नोटिफाई करेंगे कौनसी कमेटी,

(डा. सी. पी. जोशी)

आप कौन होते हैं, भई, यह चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे, जो म्यूनिसिपैलिटी के आदमी जीतकर आयेंगे वह क्या करेंगे? उनका अधिकार नहीं है? हम डाइरेक्शन दे रहे हैं, तुम्हारा भला-बुरा हम समझते हैं, यह कौनसी बिल्डिंग ठीक है, इसका ठीक होगा कि नहीं होगा, यह फैसला करने का अधिकार हम लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी अच्छे विचारों की होंगी, मुख्य मंत्रीजी प्रोग्रेसिव विचारों की होंगी, नाथू सिंहजी प्रोग्रेसिव विचारों के होंगे लेकिन घनश्यामजी और भवानी जोशीजी, आपके यहां यदि यज्ञ होंगे, यहां पर जगह-जगह पर हिन्दुस्तान का आदमी गांव में यज्ञ करता है, वेदी बनाता है, उनको भी रोकेंगे आप? वह नगरपालिका के क्षेत्र में रास्ते में बनाकर नहीं कर सकता। मन्दिर बनाने के लिए पूजा करने का काम करेंगे, वह नहीं करेंगे। आपके इसकी जो वाइडल डेफिनेशन है उसको आपके समझ में नहीं आया। आप आज तो फैसला कर देंगे, उसको पढिये आप कि किन-किन चीजों पर खड़ा होकर देखने पर, मैं कह दूंगा यहां पर प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जाय, आप थूंकने पर टैक्स लगा रहे हैं, पेशाब करने पर टैक्स लगा रहे हैं, टट्टी जाने पर टैक्स लगा रहे हैं, यह सरकार किस-किस तरह का टैक्स लगाना चाहती है? उस आदमी का फैसला करायेगी कि मैंने देख लिया, पेशाब कर रहा है, पैसा ला, मैं कम्पाउण्ड करूंगा, यह अधिकार करने का काम भी कर रखा है। एक साधारण आदमी आज पुलिस से दुःखी है आज पुलिस कैसे चालान बनाती है, कैसे मोटर का, कार का चालान बनाती है, लाइट नहीं है गाड़ी खड़ी कर दो चालान देना पड़ेगा। कभी आपने जाकर देखा है कि पुलिस के आदमी की कितनी एट्रोसिटी है शहर के आदमी की जो व्हीकल लेकर जाता है, आप म्युनिसिपैलिटी के आदमी को भी यह एट्रोसिटी कमिट करने का अधिकार दे रहे हैं और वह म्युनिसिपैलिटी का जो अधिकृत अधिकारी होगा वह मनमाने रूप से पैसा वसूल करेगा, जिससे चाहेगा उसको कम्पाउंड करेगा। वह खुद फैसला करेगा, मैंने देखा है आप यह काम कर रहे थे और यह सफिशिएंट है उसके लिए उसको कोई केस करने की जरूरत ही नहीं है, गवाह की जरूरत ही नहीं है । यह सुओमोटो अधिकार दे दिया आपने वह फैसला कर देगा, पैनल्टी लगा देगा, उसका कोई अधिकार नहीं होगा। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, प्रोग्रेसिव लीडर होने का मतलब नहीं है कि पार्टी प्रोग्रेसिव हो गई है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया है कि घनश्यामजी कैसे मान गये कि पार्टी

(डा. सी. पी. जोशी)

प्रोग्रेसिव हो गई है। आपकी पार्टी की प्रायोरिटी बदल गई क्या, आज तक समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह के विचारों की यह पार्टी....

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हमारी पार्टी तो ...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप इतने प्रोग्रेसिव हैं इसीलिए वहां बैठे हुए हैं प्रोग्रेसिव नहीं होते तो यहां बैठे रहते । इस पार्टी में प्रोग्रेसिव का फैसला मुख्य मंत्रीजी ने कर दिया, कंजरवेटिव का फैसला आर.एस.एस. वालों ने कर दिया, आप तो दोनों में ही नहीं रहे इसलिए वहां बैठ गये तो यह सोचने की आवश्यकता है आज आपकी पार्टी भी नेग्लेक्ट कर रही है इस बात को कि न व्यक्ति बड़ा है न और कोई विचार बड़ा है संस्कारों के आधार पर इस देश में आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी.ओ.डी. म्युनिसिपैलिटी के लोगों की तकलीफें हैं । मन्त्रीजी बताएं कितनी जगह आपने लैट्रीन जाने की व्यवस्था कर दी है? गांव की गरीब औरत लैट्रीन कहां जा रही है? आपने कितना एलोकेशन बंद कर दिया है, आप यह सब व्यवस्था करें उसके बाद नियम और कानून बनाएं, समझ में आता है लेकिन आज भी म्युनिसिपैलिटी जिसका कलक्टर रूरल कलक्टर है वहां आज भी आदमी की बेसिक एमिनिटीज को पूरा करने के लिए सड़क पर जाना पड़ता है, गांव से बाहर जाना पड़ता है । वह सब इस केटेगरी में आयेंगे इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा लीडर की वाहवाही लेकर हम अपनी बात कहना चाहें तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए इसीलिए राजा का राज डुबा है। दरबारी अच्छे थे तो राज चल रहा था, जब दरबारियों ने राय देना खतम किया तो राज डूब गया। इसलिए लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि नाथूसिंहजी जैसे आप गरीब घर से पैदा होकर आए हो, आपकी मां बाप की हालत आपने देखी है, आपने मन में कल्पना की है हम किस घर में पैदा होकर आए हैं, हमारे घर के आस पास की क्या स्थिति है, हमने कभी सोचा कि कभी शहर में पढ़ने जायेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? आज हम प्रोग्रेसिव बनकर बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है इसलिए इसको पास कर देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस राजस्थान में लिट्रेसी परसेंट क्या है, गर्ल्स का लिट्रेसी परसेंट क्या है, एस.सी., एस.टी.ओ.बी.सी. की लिट्रेसी नहीं है। उस इलाके में आप यह चीजें लागू करना चाहते हो तो एक माइग्रेशन करता है। आज हमारा जो सोशल स्टेटस बना हुआ है गरीब घर की औरत की

(डा. सी. पी. जोशी)

शादी शहर में होती है उस गरीब बच्ची को मालूम ही नहीं है कि शहर में कैसे रहना है वह कहीं रुक कर पेशाब करने लगेगी, फाइन लग जाएगा उस पर, आपने अच्छा किया है उनको मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले कितना ही अच्छा लेजिस्लेशन हो, इसको मना नहीं करना चाहता लेकिन पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, आप बैठे हैं आपको राज में दुबारा आना है कि नहीं मुझे पता नहीं पर आपकी पार्टी को राज में आना है तो इसको कम से कम सलैक्ट कमेटी में रेफर करिए, वातावरण बनाएं, स्कूल में जाकर लोगों को बताइये कि स्कूल का बच्चा समझे इस बात को कि वह नागरिक बनेगा तो उनका काम कर सकेगा, नहीं कर सकेगा लेकिन आपने यदि हेस्ट में काम किया तो याद करिए इमरजेंसी में कितना अच्छा लक्ष्य था फेमिली प्लानिंग का। फेमिली प्लानिंग लगाकर क्या किया आपने ? जगह जगह नसबंदी करा दी, इस नाम से सत्ता में आ गये। हम आपको कहना चाहते हैं लगाइये टैक्स आप तो थूकने पर, पेशाब करने पर, टट्टी करने पर टैक्स लगाने वाले सरकार आने वाले पांच साल में नहीं आएगी यह हम कहना चाहते हैं । यह प्रोपोगेंडा करना आपको ही आता है यह प्रोपोगेंडा करना कांग्रेस को नहीं आता है, आप यह बात कहना चाहत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होगी आप इस बात को एडमिट करें महावीरजी आपकी कांस्टीट्यूएंसी में जाकर बोलेंगे कि महावीर प्रसादजी जैन जो आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वह वहीं प्रतिनिधि हैं जिसने यह फैसला करवाया कि पेशाब पर टैक्स लगेगा, टट्टी जाने वाले पर टैक्स लगेगा, फिर फैसलाकर लेना कि फैसला क्या होगा?

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह पैनल्टी है टैक्स का मतलब पैनल्टी है मैं कह रहा हूं आपके सामने टैक्स को वसूल करने कहां जायेंगे, घरों में जायेंगे क्या? पैनल्टी, पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, वह जो पैनल्टी का पैसा ...(व्यवधान) वसूल होगा वह राजस्थान के ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह हमेशा समय निकल जाता है जब बात करते हैं । सलैक्ट कमेटी का मामला निकल गया, पास होने की स्टेज पर कह रहे हैं कि सलैक्ट कमेटी को भेजिए, यह हमेशा देर से बोलते हैं। अशोक गहलोत साहब के मंत्रिमंडल में थे उस समय भी यह बोले नहीं, सारा सैंट्रल पावर उन्होंने वहां पर बीडी में और यहां वहां लाकर कर लिया, उस समय बोले नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने हटा दिया क्या बीडी को ? बीडी हट गयी क्या? दो करोड़ रुपए की अशोक गहलोत ने बीडी बनाई, लाखों रुपए के फैसले उससे हो गये...(व्यवधान) मालूम ही नहीं है आपको तो बोलने का काम करना है, मंत्रिमंडल में हो नहीं ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सारे मंत्रियों के अधिकार छीन लिए आपके सारे अधिकार छीन लिए ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अशोक गहलोत ने जो नियम और कानून बनाये हैं उस बीडी के अन्तर्गत करोड़ों रुपए सैंक्शन कराए हैं ... (व्यवधान) आपको मालूम ही नहीं है उस सरकार के प्रतिनिधि मत बनो जिसका आपको मालूम ही नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उस समय आप बोले नहीं और आज बात करते हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपको मालूम है आज ललितजी कहां बैठे हैं, आपकी राय मानी ललितजी कहां बैठे हैं? उनको पहले बुलाओ आज ललितजी कहां बैठे हैं मालूम है कि नहीं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सब मालूम है सब पता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बस वहीं ध्यान रखा करो अपना, ललितजी का ध्यान रखो आप...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप इस बात का तो ध्यान रखो माननीय महावीरजी निवाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन हुआ था उसमें सबने एकमुश्त यह कहा है कि अशोक गहलोत जैसा राज यह नहीं चल रहा है और तुमको नहीं जीतने देंगे । याद है कि नहीं आपको, जिसमें आप उपस्थित थे । आपके सामने कहा है कल ही की बात है। सारा प्रस्ताव दिया है एक-एक कार्यकर्ताओं ने । आपके मंत्रीजी को चेतावनी दी है फिर भी बोल रहे हो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उन्होंने यह कहा है कि अशोक गहलोत के समय जिस प्रकार कांग्रेस में गुलामी की प्रवृत्ति बढ़ी वह ठीक नहीं है यह कहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अच्छा, अशोक गहलोत का पालन मत करना, बैठो आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि यह सरकार इसको प्रेस्टिज नहीं बनाए। मैंने

(डा. सी. पी. जोशी)

पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को सुबह भी कहा था, फिर दुबारा मैं रिपीट करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सरकार को आप कितना ही अच्छा लेजिस्लेशन लाएं पर उसके लिए वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता है । दूसरा, आपको कांस्टीट्यूशन में डीसैंट्रलाइज करने का जो अधिकार मिला है उसको लोगों को एम्पावर करने की आवश्यकता है । आज लोगों ने नगरपालिका में पैसा खर्च किया, चुनाव जीतकर आए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नगरपालिका का अच्छा बुरा क्या करें, उस अधिकार को भी अपने हाथ में नहीं लें इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह तो आपका आउट डेटेड कांसेप्ट हो गया है । केबल टी वी पर जो इस तरह की व्यवस्थाएं आ रही हैं उनको रोकेंगे क्या? यह आउट डेटेड लेजिस्लेशन लाए हैं लेटेस्ट लेजिस्लेशन लाना है आपको तो आज जो मानसिक वातावरण खराब हो रहा है, केबल टी वी पर हो रहा है उनको रोकने का कोई प्रोवीजन है क्या आपके पास ? यह आउट डेटेड कांसेप्ट लाकर वाहवाही लेना चाहते हो। आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होंगे मांडने मंडाने पर, पुलिया पर रंग कराने के लिए, उसको डी-फेस नहीं करें, हम भी सहमत हैं । आपने अच्छा काम किया वह तो समझ में आता है लेकिन आप एक साधारण आदमी की मूलभूत आवश्यकता जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी लोकल सैल्फ गवर्नमैंट के आदमियों की है, म्युनिसिपैलिटी की है वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करे और जबरदस्ती ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि लोगों पर पैनल्टी लगाने का काम कर दें तो मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र की स्पिरिट के खिलाफ है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि सरकार इसको प्रेस्टीज पाइंट नहीं बनाए और सलैक्ट कमेटी में रेफर करे और धीरे धीरे वातावरण बनाकर इस काम को करे तो इसका कोई लाभ होगा अन्यथा हम तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बड़े शब्दों में धन्यवाद देते हैं ऐसे आप और लेजिस्लेशन लाते रहें जिससे हमको वातावरण बनाने में कोई तकलीफ नहीं रहे, यह राजा का राज, राजेन्द्र सिंहजी और मुख्य मंत्रीजी इनको राज में नहीं रहना है। राजस्थान से एस.टी., एस.सी. के 44 एम.एल.ए. जीतकर आए हैं यह मालूम है आपको 44 एम.एल.ए. जीतकर आए हैं। 1993 में भी 44 जीतकर आए । वह एस.सी., एस.टी. के जो आदमी हैं वह लोग आपका राज बना रहे हैं उन लोगों की यह आधारभूत आवश्यकता नहीं है जिसके लिए आप नियम और कानून ला रहे हो। नियम और कानून लाइये उन लोगों के लिए, उनकी माली

(डा. सी. पी. जोशी)

हालत कैसे सुधरे ऐसे नियम और कानून बनाकर you may add one more feather on your cap now. लेकिन इससे जनता का भला नहीं होगा फिर भी निवेदन करना चाहता हूं अभी भी समय है कि सरकार खड़े होकर सलैक्ट कमेटी को रेफर करे और इन दी ड्यू कोर्स आफ टाइम आप इसको लागू करें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं निवेदन यह करना चाहता हूं आपने 73 और 74 अमेंडमैंट का जिक्र किया है 73 और 74 अमेंडमैंट में कांस्टीट्यूशन में कहीं भी किसी भी स्टेट गवर्नमैंट पर यह रोक नहीं है कि वह इन लोकल सैल्फ गवर्नमैंट जितनी भी बनाई है उनमें कोई सुधार के लिए कानून नहीं बना सकती, कहीं भी यह रोक नहीं है क्योंकि केवल उसमें यह है आज भी उपाध्यक्ष महोदय, हमने पंचायतों को और म्युनिसिपैलिटीज को टैक्स लगाने के अधिकार दे रखे हैं उस कानून के तहत लेकिन क्या आप अच्छी तरह जानते हैं कि लोकल लेवल पर कि क्या कोई पंचायत टैक्स लगा सकती है क्या म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगा सकती है क्योंकि लोकल लोग हैं उन पर दवाब जनता का इतना रहता है कि वह टैक्स नहीं लगा सकती। उनको आखिर सुधारने का जिम्मा किसका है, स्टेट गवर्नमैंट की लायबिलिटी है, सैंट्रल गवर्नमैंट की लायबिलिटी है, कई स्टेट सब्जैक्ट ऐसे हैं जो केवल जिस स्टेट सब्जैक्ट पर केवल स्टेट कानून बना सकता है लेकिन कई अवसर आए हैं जिनके ऊपर केन्द्र सरकार ने उन पर कानून बनाए हैं । इसलिए यह जो तर्क दे रहे हैं यह ठीक नहीं है । इसलिए प्रोग्रेसिव स्टेप है कहीं से शुरुआत हो रही है, शुरुआत होने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कानून लाया जा रहा है यह जहां हम नोटिफाइड जिस इलाके को करेंगे वहीं पर लागू होगा। यह प्रोग्रेसिव बिल है इसको मैं समझता हूं राजस्थान में जिस प्रकार से टूरिज्म बढ़ रहा है, विदेशी सैलानी आते हैं , जिस प्रकार का यहां का हैरिटेज है, उन सबको देखते हुए यह बनाया है, इसको मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्यों को इसको पास करना चाहिए और संविधान के 74 वें संशोधन के मामले में अभी सी.पी. जोशी साहब ने कहा यह बात सही है कि वह संवैधानिक अस्तित्व नगरपालिकाओं को देता है पर सज़ा के या शास्ती के जो प्रावधान हैं यह अधिनियम बना सकते हैं इसमें कहीं कोई रोक नहीं है ।

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006 पारित किया गया।

बहिर्गमन

कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह सरकार इस कानून के माध्यम से छोटी-छोटी नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के ऊपर पेशाब करने के ऊपर, लेट्रीन करने के ऊपर, थूकने के ऊपर टैक्स लगाने जा रही है इसलिये मैं और मेरा दल बहिष्कार करते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): छोटे-छोटे मामलों में बहिष्कार का निर्णय उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है वह शायद यह भूल रही है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। फिर भी वह करते हैं बहुत अच्छी बात है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): उपाध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार की चिट्ठी है। भारत सरकार ने ही चिट्ठी लिखी है। भारत सरकार चिट्ठी लिख रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज एक नयी चीज देखने को मिली। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बुलाकीदासजी कल्ला और इनके सचेतक ने प्रस्ताव किया कि जो दंडनीय प्रावधान इस बिल में यह सरकार लेकर आयी है, वह कम हैं इनको बढ़ाया जाये। इनके प्रदेश अध्यक्षजी यह प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं जो पूरी पार्टी के राजस्थान के अगुवा हैं। इस पार्टी के हालात देखो, इस विधायक दल के हालात देखो जो बहिर्गमन करके थोथी वाहवाही लूटना चाहते हैं इस प्रोग्रेसिव कानून के कारण से। यह किस तरह का आपस के अन्दर इनमें कितना मतभेद और मनभेद है, यह इस बात को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उजागर करता है। जिस तरह इस विषय पर इन्होंने बहिष्कार किया, जिसको खुद इन्होंने अमेंडमैंट लिखकर दिया है कि दंडनीय प्रावधानों को बढ़ाया जाये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान, डा. दिगम्बर सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,73,56,75,000(बारह अरब तिहत्तर करोड़ छप्पन लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

घोषणा

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिये उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत कर दिये जाते है। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिये प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें, जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिये आती है उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत

(श्री उपाध्यक्ष)

किये गये हैं, वे वापस ले लिये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की और से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जायें, ऐसा मेरा निवेदन है।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री बत्तीलाल मीणा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर विचार

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबके काम की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी आसन से व्यवस्था दी है और हमेशा ऐसा ही होता है कि कटौती प्रस्तावों के जो मंत्रीजी यहां जवाब दे देते हैं। बाकी के लिखित में भेज दिये जाते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यह और आप सुनिश्चित कर दें कि लिखित में जवाब कितने दिन में आ जायेंगे ? क्योंकि पिछले अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूं कि दो-दो, ढाई-ढाई महीने बाद तक कटौती प्रस्तावों के जवाब लिखित में गये हैं इसलिये कोई आप एक समय सीमा निर्धारित कर दें कि सात दिन में, दस दिन में मंत्रीजी अपने विभाग से उत्तर प्राप्त करके माननीय सदस्यों को भिजवा देंगे। इतना ही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, निश्चित समयावधि निर्धारित करना संभव नहीं होता है। कई बातों में समय लग जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप तय कर दें, हम दे देंगे जवाब। जो आसन व्यवस्था, तय करेगा सात दिन, दस दिन, तीन दिन, वह करेंगे, दे देंगे जवाब।

श्री उपाध्यक्षः यहां कोई समय निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार समय लग जाता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पिछली बार यह कहा गया था कि एक हफ्ते में भेज दिये जायेंगे इसलिये मैं आपको कह रहा हूं। समय की तो कोई सीमा निर्धारित हो। एक-एक साल में जवाब आयेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। कटौती प्रस्तावों की सैंक्टिटी क्या है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आम तौर पर 48 घण्टे में, तीन दिन में जवाब दे देते हैं लेकिन सात दिन के अन्दर अन्दर जो कटौती प्रस्ताव आये हैं उनका जवाब सबको भेज देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक बात है।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र की सम्पत्ति वहां के नागरिक और उनका स्वास्थ्य है। मान्यवर, जिस राष्ट्र के नागरिकों की कार्य क्षमता जितनी अधिक होगी वह राष्ट्र उतना ही उन्नतिशील होगा। अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी और महामारी यह एक ही शब्द के पर्यायवाची रूप हैं। यदि हम यूं कहें कि एक ही परिवार के सदस्य हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अशिक्षित लोग गरीब होते हैं और गरीब लोग महामारी और भुखमरी से पीड़ित होते हैं। जब हमारे प्रान्त की यह स्थिति पिछले पांच सालों में हो गयी कि हम बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गये। तो बीमारू राज्य की जनता कैसी होगी या हमारे देश की स्थिति कैसे होगी इसका एक नमूना है कि यदि हम जनसंख्या वृद्धि के इतिहास पर नजर डालें तो हमारी स्थिति राज्य की इस प्रकार रही है कि 1901 में हमारी जनसंख्या एक करोड़ थी वह 1950 में एक करोड़ साठ लाख हो गयी। हर दशक में हमारी जो जनसंख्या बढ़ी उसका आंकलन इस प्रकार है- 1951 से 61 में चार लाख प्रतिवर्ष हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई। 1961 से 71 तक हमारी जनसंख्या 5.6 लाख प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। 81 से 91 तक हम दस लाख पतिवर्ष वृद्धि की दर से बढ़े और 91 से 2001 तक हमारी वृद्धि इस प्रकार हो गयी कि हम जनसंख्या के स्तर पर पांच करोड़ पैंसठ लाख पर पहुंच गये। यदि आज हम 2001 में जनसंख्या का मूल्यांकन करते हैं तो हमारी जनसंख्या हमारे प्रान्त की छह करोड़ बत्तीस लाख है। हमारी जनसंख्या का घनत्व जो 1981 में सौ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था वह आज बढ़कर एक सौ पैंसठ प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। खेद की

(श्री बत्तीलाल)

बात है कि पिछले पांच सालों में एक भी डाक्टर की नियुक्ति पिछली सरकार ने नहीं की यह इनकी संवेदनशीलता या जागरूकता का ही प्रतीक है। यह कितने संवेदनशील हैं, कितने जागरूक हैं लोगों के, नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति ? इन्होंने चौपट कर दिया लोगों का स्वास्थ्य। इन्होंने इस तरह की गरीबी पैदा की कि जो हमारे कर्ताधर्ता थे उन्होंने बड़े-बड़े उद्योगों का निर्माण किया जबकि गांधीजी इस बात के खिलाफ थे कि हमारे देश में बड़े उद्योगों का निर्माण न किया जाए। इससे गंदी बस्तियों का निर्माण होगा और बड़े-बड़े शहरों में गांव की जनता पलायन करेगी। उनका विचार था कि हमारे देश में कुटीर उद्योगों का विकास किया जाये जो कृषि के साये में बढ़ सकें लेकिन इन्होंने वह नहीं किया और बड़े कारखाने स्थापित कर दिये। बड़े कारखानों का क्या हाल हुआ कि उनके अंदर जो उनके मालिक थे वह लाभ को लेकर चले गये और हानि को छोड़ गये और जब वह कारखाने आर्थिक अनुमान के अनुसार उपयोगिता-ह्रास लाइन पर पहुंचे तो वह लोग तो ताला लगा करके जा चुके थे लेकिन वह गंदी बस्ती वहीं की वहीं रह गयी थी। मजदूर वहीं रह गये। आज हालत यह है कि आज आप कहीं भी चले जाइये, फैक्ट्रियों में चले जाइये तो मालिक तो अपना लाभ लेकर पहुंच गये लेकिन वह गरीब के लड़के को न शिक्षा है, न दीक्षा है और न ही उनका स्वास्थ्य है। आज आप भीलवाड़ा, बांसवाड़ा जहां पर इन लोगों ने जमकर राज किया उनकी हालत देख रहे हैं तो यह होगा कि मानव कहने को उनको कोई तैयार नहीं। उन लोगों के लिये न खेत है, न पहनने को कपड़े हैं, न रहने को मकान है उनको। कोई यह नहीं सोच सकता कि यह मानव के बच्चे हैं या बंदरों के बच्चे हैं। यह हालत की है उन्होंने देश की। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इतना नैतिक पतन हो गया कि स्वास्थ्य के लिये हमारे वेदों में, बड़े-बड़े धर्म याचन आदि जो नियम बनाये गये हैं लेकिन इन लोगों ने वह सारी शिक्षा हमारी नष्ट कर दी। यदि हम शिक्षा में सुधार करते हैं तो यह कहते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण कर दिया। जब हम लोगों को यह नहीं सिखायेंगे कि यह मानव शरीर बहुत दुर्लभ है । यह बहुत समय की तपस्या के बाद में मिलता है और यह लोगों को शिक्षा के लिए ईसाई मिशनरियों को ले आये । अब गरीब लोग तो यह कहते हैं कि इनका रंग चोखा है । यह गोरे लोग हैं हमको भी ईसाई बनना चाहिए । लेकिन यह थोड़े सोचते हैं कि यह किस तरह का स्लो पायजन हमको दे रहे हैं ।

(श्री बत्तीलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति का क्या रूप है, कैसे मनुष्य को स्वस्थ रहना चाहिए, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए । किस तरह की शिक्षा स्कूलों में रहनी चाहिये । यह सारी बात भूल गये । यह तो क्या करते हैं कि जब देश में गरीबी फैल जाती है या राज्य में गरीबी फैल जाती है तो कहते हैं कि हमारे इतनी महामारी हुई । यह कारणों की तरफ नहीं जाते हैं । जब इन्होंने घूघरी बांटी तो घूघरी खाने वाले बच्चों की हैल्थ कैसी होगी । यह आप अंदाज लगा सकते हैं । पिछले साल हमारी सरकार ने मिड डे मील योजना चालू की है, एक करोड़ लोगों को पौष्टिक आहार, गर्म पका हुआ खाना यह इस बात का प्रतीक है कि हम बीमारियों पर बिलकुल प्रतिबंध लगाना चाहते हैं । जिसका बचपन भूखा हुआ उसकी जवानी क्या होगी?। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं । क्या आप घूघरी खाने वालों से यह आशा कर सकते हैं कि इस तरह के नागरिक आगे जाकर के लड़ेंगे या अच्छे किसान बनेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, जापान जो द्वितीय विश्वयुद्व में नष्ट हो गया था, जिसकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गयी थी । उसने कितनी प्रोग्रेस की है । वह आज वर्ल्ड के नम्बर वन पर है । वहां के एक-एक मजदूर की कार्य क्षमता पांच भारतीयों के बराबर है और हमारे मजदूर इस तरह से हैं कि सुबह ही खाकर जाते हैं उस तरह से काम नहीं कर सकते हैं । उनकी हालत देखी होगी। उनमें चलने-फिरने की शक्ति नहीं है तो उनसे हम क्या आशा कर सकते हैं कि यह हमारे देश में बड़ा भारी प्रोडक्शन करेंगे, अच्छा उत्पादन करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की जो नीति है, हमारी जो शिक्षा नीति है । हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने जो शिक्षा नीति दी है वह इस तरह की है कि हम इस तरह के बालक पैदा करना चाहते हैं जिनके चेहरे पर आभा हो, जिनमें प्रचंड बुद्वि हो, जिसका जीवन स्वावलंबन हो । जिनके शरीर में यथेष्ट बल हो, ऐसी शिक्षा चाहते हैं । यदि इस शिक्षा को हम लागू करना चाहते हैं तो यह कहेंगे कि यह तो संप्रदायवादी हैं । इनको शिक्षा से क्या मतलब, इन्होंने तो शिक्षा का भगवाकरण कर दिया । यदि इस तरह से हमारी परिस्थितियों के हिसाब से हिन्दुस्तान नहीं बनाया जायेगा तो यह देश नष्ट होने के कगार पर पहुंच जायेगा । हमारी परिस्थितियां दुनिया से भिन्न हैं । हमारी भौगोलिक स्थिति भिन्न है । हम दुनिया में अलग तरह के लोग हैं । हमारे एक तरफ हिमालय है जो जड़ी-बुटियों का आगार है, घर है । हमारे गंगा और यमुना में बड़े-बड़े कारखाने लगाकर के अपवित्र कर दिया । कितना

(श्री बत्तीलाल)

प्रदूषण है । आज जब मानव को पीने का शुद्व पानी ही नहीं मिल रहा है तो क्या हम उनसे आशा कर सकते हैं इनका स्वास्थ अच्छा होगा? इन्होंने चालीस साल में देश की हालत यह बिगाड़ दी कि मनुष्य को बिलकुल नंगा करके खड़ा कर दिया कि वह स्वास्थ्यहीन, बुद्विहीन, विद्याहीन, धनहीन जो कह सकते हैं वह सारा इस देश में करके रख दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह बांसवाड़ा के सहरिया किसने पैदा किये? 15-17 साल तक सुखाडियाजी वहां राज करते रहे उदयपुर में और वहां जाकर के कोटला में मैंने देखा उन आदिवासियों को कोई मनुष्य कहने को तैयार नहीं है और वहां हरिदेव जोशीजी बांसवाड़ा में राज करते रहे । वहां डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी लोगों की क्या हालत है ? उनके हम मनुष्य होने की कल्पना करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी सरकार ने जो पिछले दो सालों में काम किया है । इन्होंने एक डाक्टर नियुक्त नहीं किया । हमारी सरकार ने पिछले दो सालों में 558 डाक्टरों की नियुक्ति की, 372 नर्सेज और 70 टयुटर्स इस साल हमारे बजट में 100 चिकित्सक, 200 ए.एन.एम., 700 नर्सेज इतने जो हमारे अस्पताल खोले गये हैं । उनमें पिछली साल करीब 25 सी.एच.सी., 35पी.एच.सी. और 472 के करीब उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं और इस साल हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान रखा है कि हम 10 सीएचसी, 22 पीएचसी और करीब 272 के आसपास उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे। यह बड़ा सराहनीय कदम है । हम रोगों को नहीं रोगों की जड़ को मिटाना चाहते हैं । हम स्वस्थ बालक पैदा करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जो एक पंचामृत मुख्य मंत्री योजना लागू की है । वह बड़ा सराहनीय कदम है । उसमें हम देखेंगे कि मातृ शक्ति संरक्षित हो, प्रसवकाल में बहुत सी माताओं की मृत्यु हो जाती है । अब वह माताएं संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें । बच्चे जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है देखभाल के अभाव में, गरीबी के कारण बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन वह सर्दी के कारण, भूखमरी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । उनके लिये व्यवस्था की गयी है टीकाकरण के लिए, बहुत सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । जो लड़के गांवों में बिना टीकाकरण के रह गये हैं, व्यवस्था इस प्रकार की की है कि कुपोषण के शिकार बच्चे उनके लिये विटामिन की मात्रा देकर के गांवों में बुलाया जाये । ऐसी ही परिवार कल्याण के लिए भी व्यवस्था की जा रही है । जो लोग अपने परिवारों को सीमित रखना चाहते हैं उनके लिए हर तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है ।

(श्री बत्तीलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि हमारी सरकार ने जो राज किया है, हम रोगों की रोकथाम नहीं बल्कि रोगों के कारणों को ढूंढना चाहते हैं । जब स्वस्थ बालक होगा, स्वस्थ बालकों का ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा और स्वस्थ मस्तिष्क में ही बुद्धि रहेगी । जो हमारी भावना है देश के विकास की वह इस तरह की नहीं है जैसे एक नारा था कि हमको दिखाना है एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. और विशेषकर महिलाओं के प्रति दिखावे का मतलब यह नहीं था इनका कि इनका कोई विकास करना है। देखने का मतलब यह था कि इनको आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, एस.टी., एस.सी. को बनाया जा सकता है । आज वही पुराने ढर्रे को लेकर के सदन में बातें उठाते हैं और एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. की बातें बहुत जोर से करते हैं । इन्होंने कौनसे एस.टी. के एरिये का विकास किया है। इन्होंने बजट में जो प्रावधान किये हैं, 40 बजट लगातार इस राजस्थान के बनाये हैं । लेकिन एक पर्टिकूलर एरिया तो हमको बता दीजिये जो यह बता सकें कि हमने यहां का विकास इस तरह का किया । कोई एरिया नहीं है इनका रिजल्ट बिलकुल जीरो रहा है, वोटों की राजनीति, झांसे की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सके । हमको वहां ले चलिये, हमको जाकर के दिखायें कि हमने इस एरिये में एस.टी. का विकास किया है, इस एरिये में ओ.बी.सी. का विकास किया है । हमने इस एरिये की महिलाओं का विकास किया है । इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया । केवल यही किया है कि झांसा देना । इनका रिजल्ट जीरो है । बड़े-बड़े आंकड़ों का मायाजाल है और उन आंकड़ों के मायाजाल में इस तरह से चकाचौंध करके राजस्थान की भोली जनता को यह समझाते रहे कि यही हमारे भाग्य विधाता है । जब इनकी नीतियों को पता पडा तो लोगों ने इनसे पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया । अब यह नीतियों के बल पर कुछ नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस केवल राज कर रही है व्यक्तियों के बल पर, यह सामने जो हमारे विपक्ष के लोग जीतकर आये हैं वह केवल अपने बलबूते पर जीतकर आये हैं । यह नहीं कि वह कोई कांग्रेस की नीतियों पर जीतकर आये हैं । कांग्रेस की नीति तो यह है कि लाभ का निजीकरण और हानि का राष्ट्रीयकरण और उसी का नतीजा है कि आज हमारा देश जो सोने की चिड़िया होता था यहां के लोग दमदार, यहां की जमीन भी बड़ी दमदार, लेकिन हमारे सत्तानिष्ट लोगों की वजह से आज हम देश को भिखारियों के लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य समाप्त करें ।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि हमारी सरकार राजस्थान को गरिमामय राजस्थान बनाये । हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनें । हम उदाहरण स्वरूप बनें । लोग हमारा अनुसरण करें। हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने जो एक बीड़ा उठाया है हरित राजस्थान का, समृद्वशाली राजस्थान का, स्वस्थ राजस्थान का और विकसित राजस्थान का।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, श्री बाबूसिंह राठौड़ । माननीय सदस्य, खतम करें।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): यह हमारी पीड़ा है, गरीब के लिए वास्तव में किसी ने काम करना शुरू किया है सच्चे अर्थों में जिसका रिजल्ट सही आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें ।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात को कन्क्लूड करता हूं । हमारे मुख्य मंत्री महोदया की रहनुमाई में जो इन्होंने काम करना शुरू किया है, हमारा मंत्रिमंडल एक्सट्रा ओर्डिनरी है । हमारे स्वास्थ्य मंत्री सबसे ज्यादा योग्य हैं और अपने काम में मास्टरी रखने वाले हैं। हमारे शिक्षा मंत्री तो ऐसे हैं जो पूरा हिन्दुस्तान उनकी रहनुमाई की दाद देता है । हमारे मंत्रिमंडल के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुर्सी के पीछे नहीं भागते हैं बल्कि कुर्सी उनके पीछे भागती है । हम सौभाग्यशाली हैं राजस्थान के लोग कि हमें ऐसे सुयोग्य मुख्य मंत्री का नेतृत्व मिला । हम यह चाहते हैं कि आने वाले दस-बीस सालों तक हमें इसी तरह का नेतृत्व मिलता रहे । यही मेरी शुभकामना है । आपने बोलने का मौका दिया जय हिन्द, जय भारत ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़ ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहा हूं । मैं सर्वप्रथम जो हमारा बजट भाषण हुआ है, उसमे चिकित्सा के क्षेत्र में जो घोषणाएं हुई हैं उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहता हूं । उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जब वह बजट भाषण पर चर्चा कर रहे थे तो वास्तव में राजस्थान एक अग्रणी राज्य बने और चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हो, सुविधाएं लागू हों । उसी भावना से उन्होंने बजट भाषण पढ़ा और जिस प्रकार से मारवाड़ी में कहा है कि 'पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घरा में माया' । यदि हम निरोगी नहीं होंगे तो माया किस काम की? इसलिए निरोगी होना आवश्यक है और जिस प्रकार का बजट मुख्य मंत्रीजी लाई हैं उसमें स्वास्थ्य की श्रेणी में अग्रणी

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

राज्यों में लाने को उन्होंने संकल्प रखा है और जो अभियान उन्होंने चालू किया है। जिस प्रकार से पहले सर्वशिक्षा अभियान चालू किया था उसी प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में भी पंचामृत अभियान शुरू किया है । उसी प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में भी पंचामृत अभियान शुरू किया है और उस अभियान के अन्दर भी पांच प्रकार की अलग-अलग बीमारियों को लेकर जगह-जगह, गांव-गांव में हर क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र तक, एड-पोस्टों तक जाकर इस प्रकार का अभियान चलाया और उस अभियान के माध्यम से बीमारियां दूर की जायेंगी और मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों में कांग्रेस की सरकार ने एक भी नियुक्ति नहीं दी लेकिन इस बार पिछले समय को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने इसको गम्भीरता से लिया, सरकार ने इसको गम्भीरता से लिया और 558 चिकित्सक, 372 नर्से व 54 नर्सिंग ट्यूटोरियस की नियुक्ति की सहमति दी। अब आगामी वर्ष में भी 100 डाक्टर्स, 200 ए.एन.एम. और 700 नर्सों को नियुक्ति दी जायेंगी, यह बजट में घोषणा की गई है और आगामी वर्ष में तीन सी.एच.सी. पर, 21 पी.एच.सी. पर, 227 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन निर्माण प्रारम्भ कर दिये जायेंगे, इस प्रकार की बजट के अन्दर घोषणा हुई है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं।

इसी प्रकार से वर्ष 2006-2007 में 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शैयाओं की संख्या बढ़ाई जायेंगी। मेरे यहां भी तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, एक बालेसर में है, एक ढेचू में है और एक शेरगढ़ में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर से जो मरीज चलकर आते हैं, वह जोधपुर बालेसर के रास्ते जाते हैं और यहां पर बालेसर सी.एच.सी. 30 शैयाओं की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्रीजी से कि 30 शैयाओं वाले बालेसर सी.एच.सी. को बढ़ाकर 50 शैयाओं वाला सी.एच.सी. किया जाये। मैं विशेष रूप से मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक चिकित्सक को ही चिकित्सा मंत्री बनाया है और वे भली-भांति जानते हैं कि चिकित्सा की किस प्रकार की समस्याएं रहती हैं और उन समस्याओं को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि उन्होंने एक संजीवनी कैम्प का अभियान चलाया है, संजीवनी शिविर चलाया है और संजीवनी शिविर के अन्दर मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में तीन सी.एच.सी. हैं जिनमें से शेरगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय पर और पंचायत समिति बालेसर मुख्यालय पर,

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

दोनों जगह पर सी.एच.सी. है और दोनों जगहों पर ऐसे ही संजीवनी कैम्प का आरम्भ किया और दोनों कैम्प अब छह-छह महीने से लग रहे हैं और उन कैम्पों के अन्दर 40 से अधिक डाक्टर्स जो मेडिकल कालेज से भी हैं, दूसरे बड़े-बड़े अस्पताओं से आकर वहां पर इस प्रकार के कैम्प का आयोजन करते हैं, शिविर का आयोजन करते हैं और भोजन वगैरह की व्यवस्था हमारे वहां के जो भामाशाह लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं, वह व्यवस्था करके इस प्रकार के अभियान को चला रहे हैं कि अब गरीबों को, मरीजों को इस बात का हमेशा इंतजार रहता है कि छह महीने आयेंगे तो हमारी बीमारी का इलाज होगा, वहां पर टैस्ट करायेंगे, वहीं पर हमारा इलाज करवायेंगे। इस प्रकार का इलाज संजीवनी कैम्पों के माध्यम से आपने किया है।

हमारे यहां पर 1956 से भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई चल रही है और मेरे दादोसा खेतसिंहजी राठौड़ भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं, 1956 से भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई चल रही है और 10 दिन तक वह शल्य चिकित्सा इकाई वहां पर सारे बड़े-बड़े टैस्ट करके आपरेशन वहां करते हैं चाहे आंखों के हों, चाहे गुर्दे के हों चाहे दूसरे अन्य कोई हो, लेकिन पहली बार मैंने दिगम्बर सिंहजी से निवेदन किया और उन्होंने इस बात की सहमति दी है और बालेसर में भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई का शिविर लगा और 10 दिन के अन्दर हजारों की संख्या में टैस्ट हुए, वहां आउटडोर हुआ और उसके अन्दर कई बीमारियों का इलाज हुआ। अब जनता में जागरूकता आई और बालेसर में वह चिकित्सा मंत्री रहते हुए भी यह कैम्प नहीं लगवा सके जो सन् 1956 से शुरू हुआ था, पहली बार ऐसे कैम्प बालेसर में भिजवाये, यह फलौदी में चल रहा है, दूसरी जगहों पर चल रहा है। अब लोगों को लगा है कि ऐसे कैम्प बराबर होने चाहिए। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इसके लिए उन्होंने हमको परमिशन दी।

हमारे यहां राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमैंट परियोजना जो पंचवर्षीय चल रही है, उसके अन्दर 472.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2005-2006 के अन्दर 52.79 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। उसमें से मेरे यहां भी बालेसर सी.एच.सी. में 23 लाख रुपये और शेरगढ़ में 10 लाख रुपये का काम चालू हो गया है, उसकी परमिशन मिल गई है और इस प्रकार का बड़ा बजट पहली बार इतने वर्षों से मिला है जिससे हमारे

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

अस्पतालों का कायाकल्प होगा, वहां पर अच्छी सुविधाएं होंगी, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहां भी उन्होंने की है।

दूसरा, सी.एच.सी. तो हमारी बहुत पुरानी हैं बालेसर और शेरगढ़ में लेकिन पहली बार राजस्थान सरकार ने सब जगह जहां सी.एच.सी. है, वहां पर मेडिकल रिलीफ सोसायटी के गठन की शुरूआत की और हमारे यहां भी बालेसर में और शेरगढ में, दोनों जगह मेडिकल रिलीफ सोसायटी का गठन हुआ और उसके साथ-साथ सरकार ने उन मेडिकल रिलीफ सोसायटी को एक-एक लाख रुपया दिया और टेलीफोन लगाने का खर्चा भी सरकार ने वहन किया है। जनता में जागरूकता आई, जनता भी उस मेडिकल रिलीफ सोसायटी से जुड़ी और वहां भामाशाह के सहयोग से, अपना चंदा देकर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और दोनों ही अस्पतालों के अन्दर ऐसी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं और मैं तो कहता हूं कि पहले बालेसर की स्थिति यह थी कि एक भी डाक्टर सी.एच.सी. में नहीं था और सी.एच.सी. की स्थिति यह थी कि जो आपरेशन थियेटर है, उस आपरेशन थियेटर के अन्दर श्वान घूमते थे और वह बैठते थे, उनकी अखबारों के अन्दर फोटो छपी, उनकी सारी न्यूज छपी और आज वह अस्पताल वास्तव में भगवान के मन्दिर जैसे लगते हैं, ऐसी व्यवस्था यह राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी के आने के बाद में हुई है, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

दूसरा धन्यवाद उनको यह देता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 10 सी.एच.सी. पर चिकित्सा अधिकारी स्नातकोत्तर हड्डी रोग के पद स्वीकृत किये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी नेशनल हाइवे 114 पर सी.एच.सी., ढेचू भी है, सी.एच.सी. बालेसर भी है और अभी जो मेगा हाईवे बन रहा है, फलौदी में रामजीगौड़ वाया शेरगढ़, शेरगढ़ में भी सी.एच.सी. है लेकिन मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल हाइवे भी है और स्थिति जैसलमेर में भी यह है कि वहां पर थोड़ी चिकित्सा सेवाओं का अभाव है और वहां से चलकर मरीज सीधे जोधपुर पहुंचता है, बीच में ढेचू आता है, बालेसर आता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल हाइवे पर एक्सीडेंट की वारदातें ज्यादा होती रहती हैं इसलिए यहां भी हड्डी रोग विशेषज्ञ एक ढेचू में भी, बालेसर में भी और शेरगढ़ में भी आप सृजित करवायें जिससे हमारा काम आसानी से हो सके।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

इसी प्रकार से उपखण्ड मुख्यालयों पर स्थित सी.एच.सी. पर चिकित्सा अधिकारी स्नातकोत्तर(निश्चेतन) के 57 पद स्वीकृत किये हैं, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। चालू वर्ष में 125 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र, 34 नये पी.एच.सी., 27 सी.एच.सी. और दो नये शहरी पी.एच.सी. का आरम्भ कर क्रियाशील की कार्यवाही की जा रही है, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में वर्ष 2005-2006 में 227 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 21 पी.एच.सी., तीन सी.एच.सी. और 42 डाक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ और एक जिला मुख्यालय पर नवीन भवन, आवास गृहों के निर्माण हेतु 26 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर है, यह भी एक ऐतिहासिक काम है कि भवन निर्माण का काम भी साथ-साथ चालू किया है। इसके अलावा 1368 उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों के नवीनीकरण का कार्य भी पहली बार हो रहा है। जर्जर अवस्था में जो अस्पताल पड़े थे, चाहे वह उप स्वास्थ्य केन्द्र हों, चाहे वह पी.एच.सी. हो, चाहे वह सी.एच.सी. हो, सभी जगह मरम्मत के इस प्रकार का कार्य चालू करके एक अभिनव प्रयोग राजस्थान की जनता के सामने हमारी मुख्य मंत्री लेकर आई हैं। इससे पहले मैंने तो इतने वर्षों में मरम्मत के काम कभी नहीं देखे हैं, जो काम अब चल रहे हैं।

अब एक ही छत के नीचे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 20 सी.एच.सी. तथा 106 पी.एच.सी. में कुल 126 औषधालयों को स्थानान्तरित करके एक छत के नीचे सारा काम चालू करवाया है, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। वर्ष 2005-2006 में 30 आयुर्वेदिक, 35 होम्योपैथिक, चार यूनानी, कुल 69 नवीन औषधालय खोले गये व 17 'बी' श्रेणी आयुर्वेदिक औषधालयों को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया। मैं भी मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां भी बड़े-बड़े 'अ' श्रेणी के औषधालय हैं, जिसमें शेरगढ़, बालेसर, नाथलाऊ, चामूं, ढेचू, इनको भी आप 'ब' श्रेणी से 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत करें जिससे वहां सुविधाएं ढंग से बहाल हो पायेगी।

वर्ष 2005-2006 में औषधालयों, चिकित्सालयों में 438.76 लाख रुपये औषधि हेतु उपलब्ध कराये गये व भवन निर्माण हेतु 250 लाख रुपये

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

की राशि प्रदान की गई। इसी के साथ 151 लाख रुपये उपकरणों हेतु दिये गये, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिलों में कार्यरत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में 369 चिकित्सक की नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है तथा ए.एन.एम. के अतिरिक्त 570 पद सृजित किये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह व्यवस्था आपने पूरे जैसलमेर और बाड़मेर के लिए लागू की है, यह शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र भी जैसलमेर और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए जिला तो आपने ले लिया। जैसा जैसलमेर जिला है, जैसा बाड़मेर जिला है, वैसा वातावरण, वैसी स्थिति, वैसी मजरे-ढाणियां, वैसी धोरी-धरती, वैसा डेजर्ट एरिया, वह सारा शेरगढ़ में भी है, जिले तो आपने ले लिये, मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोक सभा क्षेत्र लेओ जिससे हमारे शेरगढ़ के लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं हो और वहां भी ऐसे ए.एन.एम. और वहां भी ऐसे उप स्वास्थ्य केन्द्र नये खुल सके और अतिरिक्त ए.एन.एम. लग सके। यह मेरा आपसे निवेदन है कि लोक सभा क्षेत्र जैसलमेर-बाड़मेर पूरा लें जिससे शेरगढ़ भी शामिल हो जाये तो हमें दूर-दराज की ढाणियों में, धोरी-धरती में नये ए.एन.एम. और उप स्वास्थ्य केन्द्र मिल सके।

कुछ मेरे सुझाव भी हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ मैं सुझाव देना चाहूंगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 में से नौ लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं व अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राज्य की स्थिति यह है कि राजस्थान में एक लाख गर्भवती महिलाओं में से 677 महिलाएं दम तोड़ देती है, जो हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। सबसे कम महिलाएं प्रसव के समय दम तोड़ती है, वह हमारा पड़ोसी गुजरात है जिसमें एक लाख में से 29 महिलाएं दम तोड़ती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ लोग हमारे यहां अनपढ़ हैं और अज्ञानता है, इस कारण से घर में ही प्रसव करा लेते हैं और कुछ जगह प्रशिक्षित चिकित्सकों का नहीं होना भी एक कारण रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी पंचायत मुख्यालयों पर कम से कम एडपोस्ट तो होनी ही चाहिए, पंचायत मुख्यालय पर एडपोस्ट, अभी तो उप स्वास्थ्य केन्द्र पर भी पंचायत मुख्यालय पर नहीं है। पी.एच.सी. पर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां पर आप एक डाक्टर की व्यवस्था करते हैं, उसके साथ-साथ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में एक महिला डाक्टर की

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

नियुक्ति भी, गायनोकोलोजिस्ट भी होनी चाहिए जिससे यह प्रसव वाले मामले में महिलाएं दम नहीं तोड़ें, इस बात का मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व अन्य केन्द्रों पर डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्सों के रहने के लिए आवासीय सुविधा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वहां ठहराव हो, आना-जाना नहीं हो, इस प्रकार का निवेदन करना चाहूंगा। पंचायत समिति मुख्यालय जितने भी हैं उन पंचायत समिति मुख्यालयों पर जो सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र हैं या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं उसमें एक्स-रे, सोनोग्राफी, ईसीजी सहित जांचों के लिए मशीनें व उपकरण व अन्य सामान व मुख्यालय पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए, यह मेरा आपसे सुझाव रहेगा। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र पर एक मेल नर्स एवं एक फिमेल हेल्थ वर्कर पोस्टेड होने चाहिए जिससे वहां सही ढंग से व्यवस्था की जा सके। इस हेतु मैं सरकार को और मुख्य मंत्रीजी को, हमारे मंत्री महोदय, केबिनेट और राज्य मंत्री, इन सब को साधुवाद देना चाहूंगा कि सुरक्षित प्रसव के लिए आपने 10185 दाइयों को प्रशिक्षण दिया है, जो दाइयां सही ढंग से प्रशिक्षित होने के बाद में प्रसव के मामले में सही ढंग से काम कर सकेंगी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद, आभार भी देना चाहता हूं।

कुछ मेरी क्षेत्र की समस्याएं हैं। समस्याएं यह हैं कि जितने भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में जो रिक्तियां हैं, जो खाली पद हैं, उन खाली पदों को भरने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां बालेसर में सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र है और इसमें अभी वर्तमान में कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) खाली है और शेष जो डाक्टर्स लगे हैं वह भी अगेंस्ट पोस्ट लगे हैं जिसमें कनिष्ठ विशेषज्ञ(मेडिकल) खाली है, कनिष्ठ विशेषज्ञ(स्त्री) खाली है, नर्स-प्रथम तीन पद खाली हैं, नर्स-द्वितीय के तीन पद खाली हैं, स्वास्थ्य निरीक्षक की पोस्ट खाली है, महिला स्वास्थ्य दर्शिका खाली है, रेडियोग्राफर पोस्ट खाली है। इसके लिए मैं विशेष आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां शेरगढ़ में और बालेसर में, दोनों सी.एच.सी. केन्द्रों पर एक्स-रे मशीनें लगी हुई हैं, एक्स-रे मशीन का आफिस भी है, वहां रूम भी है, वहां सारी व्यवस्था भी है लेकिन रेडियोग्राफर नहीं होने के कारण वह एक्स-रे मशीनें वहां काम नहीं आती, काम ले नहीं सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सी.एच.सी. में रेडियोग्राफर की व्यवस्था शीघ्र करायें। कनिष्ठ लेखाकार की भी

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

पोस्ट खाली है, मलेरिया निरीक्षक का पद खाली है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तीन पद बालेसर में खाली हैं। इसी प्रकार से सी.एच.सी. बालेसर है उसमें कुछ सुविधाओं के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो नेशनल हाइवे पर है। इसमें तीस बेड से पचास बेड करने का आपसे निवेदन है। आटोएनेलाइजर, फीटर, मानिटर, बायल आपरेटर, सोनोग्राफी मशीन, कार्डयर मानिटर, फिब्रिलेटर मशीन, आक्सीजन सिलैण्डर, सर्जरी का सामान व आपरेशन टेबल, यह सारी सुविधाएं बालेसर में भी और शेरगढ़ में भी करने के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

उसी प्रकार से जो सी.एच.सी. शेरगढ़ है उसमें कनिष्ठ विशेषज्ञ(सर्जरी) का पद खाली है 2002 से, चिकित्सा अधिकारी के तीन हैं व दो खाली हैं। वहां नर्स के पद सात हैं व चार खाली हैं। स्वास्थ्य निरीक्षक पद खाली है 1990 से, चतुर्थ श्रेणी का पद खाली है, इसमें भी आपसे निवेदन करूंगा कि यह भी.. (व्यवधान) धन्यवाद दे दिया और बाकी काम के लिए तो, खाली पद जो हैं वह तो करने पड़ेंगे और इसमें भी मैं आपको कहूंगा कि जो पद खाली हैं (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, जो पद खाली हैं उन खाली पदों पर अभी उन्होंने संविदा के आधार पर सब जगह डाक्टर्स लगाये हैं। मेरे यहां सी.एच.सी., बिराई है जहां कई वर्षों से डाक्टर किसी ने नहीं देखा, वहां संविदा का डाक्टर लगा है, केतूकलां में कभी डाक्टर नहीं था वहां आज संविदा पर डाक्टर लगा है, व्यवस्थाएं तो वैकल्पिक हो गई, लेकिन परमानेंट व्यवस्था की बात करता हूं, पहले तो वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं थी आपके राज के अंदर। (व्यवधान) यह खोले तो हास्पिटल उन्होंने ही हैं सारे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: इनका इलाज ही नहीं करवाया खेतसिंहजी का खुद का ही।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं।

श्री बाबूसिंह राठौड़: दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अभी जो सी.एच.सी., नये सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र खोले हैं उसमें मेरे यहां भी दूसरे में नया सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र खोला, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब नया सी.एच.सी. जो खोला है उसमें नर्स-प्रथम पद एक खाली है, नर्स-द्वितीय स्वीकृत छह पद हैं...

श्री उपाध्यक्ष: यह बता देना आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़: और छहों ही खाली हैं। बी.एस.एस. पुरूष खाली हैं, सेक्टर सुपरवाइजर तीन पद खाली हैं।

श्री उपाध्यक्षः यह बाद में ज्यादा खाली मत बताओ, भरे हुए की बात करो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ः एक-दो मिनट का है। आप तो हमारे जिले के हैं उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा तो, कभी बोलते ही नहीं हैं, जो समस्या है वह बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्षः नहीं, भरा हुआ वाला मामला बताओ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ः नये पी.एच.सी. केन्द्रों की कुछ जरूरत रहेगी जिसमें चांदसमा, खिजां, खारा, चोटाम्बर और बसवा, यह अभी एडपोस्ट हैं, एडपोस्ट को क्रमोन्नत कर पी.एच.सी. में, हास्पिटल बना दें, तो यह आपसे निवेदन रहेगा। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नये एडपोस्ट के लिए मैंने कहा है कि पंचायत मुख्यालय पर नये एडपोस्ट होने चाहिए, मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भी और राज्य में भी कई पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं और एडपोस्ट नहीं हैं। मेरे यहां 43 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र तो है, एडपोस्ट नहीं है। निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम पंचायत मुख्यालय पर एडपोस्ट स्वीकृत करके इस प्रकार का काम आप शीघ्र करायें।

इसी प्रकार से आयुर्वेद औषधालय के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अभी बीस 'ए' श्रेणी के कर रहे हैं उसमें शेरगढ़, बालेसर, नाथराऊ, ढेचू, चांमूं की जरूरत होगी, वह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आयुर्वेद औषधालय जिन्हें बी श्रेणी के खुलवाने हैं उनमें कनोडिया पुरोहितान, शेखाला, बेलवा, केतूकलां, खिरजां, खारा, चामू, गड़ा, सोमेसर, कलाउ और बिरई, यह काम आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। उसी प्रकार से नये उप स्वास्थ्य केन्द्र के केन्द्र सरकार के कुछ मापदण्ड हैं, अब वह आप कांग्रेस के, मेरे प्रतिपक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद, धन्यवाद । बाबूसिंहजी, आप यह सब लिखकर, यह सब लिखित में पहुंचा दो आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ : कि हमें उप स्वास्थ्य केन्द्रों की जरूरत है और केन्द्र सरकार के जो मापदण्ड हैं, उन केन्द्र सरकार के मापदण्ड में तीन हजार की आबादी पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मापदण्ड हैं, मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई, पहले पन्द्रह सौ, फिर एक हजार, फिर साढ़े सात सौ, फिर पांच सौ...

श्री उपाध्यक्षः मंत्री महोदय को लिखित के अंदर दे दीजिये आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ : उसी प्रकार से ढाई सौ, तो ऐसे ही योजना केन्द्र सरकार से लागू कराई जाय, सदन को प्रस्ताव भी लेना चाहिए और ...

श्री खुशवीर सिंह जोजावरः इतने पद खोल दिये हैं, कम से कम इनको भरने की तो व्यवस्था करवाओ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ः ढाई सौ तक जो आबादी है उसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायं और उप स्वास्थ्य केन्द्र के साथ-साथ पांच लाख रुपये भवन निर्माण के लिए भी और कम से कम दो लाख रुपये की बारह महीने तक की दवाइयां फ्री देनी चाहिए जिससे वह उप स्वास्थ्य केन्द्र सही ढंग से डवलप हो जाय, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और कुछ मेरे यहां जो पी.एच.सी. हैं और जहां पर संविदा के आधार पर आपने डाक्टर लगा रखे हैं उन संविदा के डाक्टर्स की जगह पर परमानेंट जो अभी आप नियुक्तियां दे रहे हैं, उन परमानेंट डाक्टर्स को लगाकर के शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में समुचित व्यवस्था करायें। मैं कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्षः डा. श्री सी.एस. बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 के ऊपर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी मेरे पहले जो बोल रहे थे शेरगढ़ से आये हुए माननीय विधायकजी, उन्होंने ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं का जितना अच्छी तरह से विवरण दिया और सारी समस्याओं को एक ही झटके के अंदर आपने उजागर कर दिया, सारी तो पोस्टें गिना दीं उन्होंने और यह कह दिया कि सारी की सारी खाली हैं, तो बड़ी चतुराई से उन्होंने माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को यह बता दिया कि पोस्ट क्रियेट करने से कुछ नहीं होता, उनको भरना भी जरूरी होता है।

श्री सांगसिंह भाटीः आपके रहते हुए कुछ हुआ है क्या?

डा. चन्द्रशेखर बैदः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह सबसे पहले राजस्थान स्टेट जो है वह वेलफेयर स्टेट है और एक अनूठी योजना जो 1999 में केन्द्र सरकार द्वारा चालू की गई मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, इस मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष का गठन इसलिए किया गया जिससे कि राज्य में बी.पी.एल. परिवारों को समुचित चिकित्सा

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सुविधा मुहैया कराई जा सके और इस कोष की स्थापना के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया कि जितना धन आप एकत्र करेंगे उसका पचास प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराया जायेगा। लेकिन साथ में उसमें यह शर्त भी रखी गई कि इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ बी.पी.एल. परिवारों के गम्भीर रोगों से पीड़ित मरीजों की चिकित्सा हेतु ही किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि इस योजना का नाम माननीय मुख्य मंत्रीजी से जुड़ा हुआ है और जीवन रक्षा कोष इसका नाम रखा गया है, इस मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के अंदर 32 करोड़ रूपये की राशि में से 24 करोड़ रूपये, 75 परसेंट से ज्यादा पैसा सिर्फ नॉन बी.पी.एल. परिवारों के इलाज में खर्च किया गया। यह मैं समझता हूं कि इस तरह का कृत्य, मैं यह नहीं कह रहा, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसके अन्दर गंभीरतापूर्वक देखें कि मुख्य मंत्री सहायता कोष क्यों बनाया गया, उसके क्या एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स रखे गये, उसमें किन लोगों को लाभान्वित किया जाना था, उसमें कितने पैसा आपने एकत्र किया, कितना पैसा केन्द्र सरकार से आया, और कितने बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया? सारी स्थिति स्वयं ही उजागर हो जाएगी कि बी.पी.एल. में जो पैसा खर्च होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार का पहला दायित्व है गरीब आदमी के चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना है, पैसे वाला तो कहीं भी चिकित्सा करवा लेगा लेकिन बी.पी.एल. परिवारों के लिए एकत्र किये गये पैसे में से नॉन बी.पी.एल. के ऊपर यह पैसा खर्च करना मेरी नजर के अन्दर आपराधिक कृत्य है, इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सारे खाते निकला कर मैं चाहता हूं चिकित्सा मंत्रीजी जब जवाब दें तो वह यह बताएं कि पिछले साल हमने कितना धन एकत्र किया, कितना केन्द्र सरकार से आया और किस प्रकार उसको खर्च किया गया ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल एक चीज जो बहुत गंभीरता से मीडिया में और सब जगह उठाई जा रही है, वह यह उठाई जा रही है कि लिंगानुपात, अपने राज्य के अन्दर तेजी से उसके अन्दर विसंगति आती जा रही है और आज ही कुछ अखबारों में यह खबर आई और काफी समय से यह चर्चा चल रही है। इसका मैंने पिछले सत्र के अन्दर यह सवाल उठाया था और मुझे जान कर बड़ा दुःख हुआ कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को इस चीज का ज्ञान नहीं था कि चाइल्ड सेक्स रेश्यो क्या होता है? इन्होंने एडल्ट सेक्स रेश्यो

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

तो बता दिया लेकिन चाइल्ड सेक्स रेश्यो नहीं बताया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों के अन्दर जिस तरह से फिमेल फिटिसाइड हो रहा है, बालिकाओं को गर्भ के अन्दर मारा जा रहा है और उसके लिए जो कानून बना हुआ है, इसके लिए कानून बना हुआ है, उस कानून में बाद में संशोधन किया गया और उस कानून के माध्यम से सरकार के पास पूरा हथियार है इसको रोकने का लेकिन आज तक इसके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। यह कह कर बड़ा दुःख होता है पीसीएमपीएनडीटी एक्ट बना हुआ है, प्रि-कन्सेप्शनल एण्ड प्रि-नेटल डाइग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट बना हुआ है और यह चाइल्ड सैक्स रेश्यो कैसे डिस्टर्ब हो रहा है और कौन कौन से जिले इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, सबसे पहले गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़ फिर उसके बाद में झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, पाली ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अपना चूरू भी है क्या?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं, अपना चूरू नहीं है। ...(व्यवधान)...

इसके अन्दर गंगानगर के अन्दर जो अनुपात 894 था वह 2001 के सेंसेस में 852 आ गया, मतलब 42 पाइंट का इसके अन्दर फर्क पडा, एक उदाहरण और देना चाहूंगा मैं कि यह झुंझुनूं के अन्दर जो 1991 के सेंसेस के अन्दर लिंगानुपात का रेश्यो 900 था वह इस बार 2001 के सेंसेस में गिरकर 867 हो गया। यह तो एक समस्या है लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दो साल के अन्दर कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये। क्यों नहीं उठाये? क्योंकि आप देखिए जो सोनोग्राफी की मशीनें पहले बिका करती थी और सोनोग्राफी की मशीन का जो रेश्यो 7 परसेंट हुआ करता था वह आज 90 परसेंट उन बड़ी बड़ी कम्पनियों की सोनोग्राफी मशीन बिक रही हैं। सोनोग्राफी की मशीन बिक रही हैं। आपने कानून बना रखा है कि आपका 'एफ' फार्म भी भरा हुआ होना चाहिए। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं, आपका खुद का ही नर्सिंग होम है, आसपास भी कई नर्सिंग होम है, सारी जानकारी सरकार के पास है कि किस तरह से लिंग का सेक्स डिटरमिनेशन सोनोग्राफी मशीन द्वारा किया जाता है, किस प्रकार उनको नार्मल सोनोग्राफी की जो फीस दी जाती है उससे कई गुना ज्यादा फीस उपलब्ध

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कराई जाती है और एक बार सोनोग्राफी में यह मालूम पड़ गया कि मेल की जगह फिमेल है तो उसका अबोर्शन कराया जाता है तो नर्सिंग होम धड़ल्ले से चल रहे हैं और जो कानून बनाया हुआ है उस कानून की पालना आज तक नहीं हुई। मैं यह चाहता हूं और सरकार से यह निवेदन करता हूं कि आप गंभीरतापूर्वक इस कानून को कठोरता से लागू करें क्योंकि एक ऐसा इकोनामिक विशियस साइकल बन गया, सोनोग्राफी की मशीन, सोनोग्राफी करने वाला डाक्टर, अबार्शन करने वाला डाक्टर और नर्सिंग होम पर सरकार का कोई चेक नहीं है, इससे यह हुआ कि यह लिंगानुपात की जो विसंगति है यह दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सरकार को उसकी ओर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

ऐसी ही आशा की जा रही थी कि परिवर्तन यात्रा के बाद जब माननीय मुख्य मंत्री पहली बार शासन में आईं तो ऐसे लगा कि महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। शुरू के पहले साल में और दूसरे साल में यह आशा की जाने लगी कि कम से कम राज्य के अन्दर जो मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसके अन्दर तो कुछ सुधार किया जाएगा उसके लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गईं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को एक चीज पूछना चाह रहा था कि मैंने तो काफी सख्ती से इस चीज को लागू करने का प्रयास किया और मुझे जहां गड़बड़ मिली उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किये हैं लेकिन अगर माननीय सदस्य की नॉलेज में कोई और भी हो तो आप लिस्ट दे दें, मैं आपको पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं एक को भी नहीं बख्शूंगा।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यहां निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ एक चीज आप बता दें पूरी ईमानदारी के साथ में कि आपके चिकित्सा मंत्री बनने के बाद में कितने तो केस रजिस्टर किये गये? यह किससे छिपी हुई बात है कि हर गली-गली, मोहल्ले मोहल्ले के अन्दर सोनोग्राफी होती है, नम्बर वन। हर जगह हर शहर के अन्दर और जहां भी बड़ा कस्बा है वहां अबोर्शन होते हैं। आपने कितने तो केस रजिस्टर किये? कितने लोगों से 'एफ' फार्म भरवाया हो तो आप अपने उत्तर के साथ बता दीजिएगा कि साहब, पिछले एक साल में हमने इतने फार्म भरवाये।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

जो नियम-कानून के अन्दर बना रखे हैं यह प्रि-कन्सेप्शनल एण्ड प्रि-नेटल डाइग्नोस्टिक टेक्निक के टेस्ट के लिए कानून बना रखा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह तो बहुत सीरियस बात कह दी कि आपकी खुद की नर्सिंग होम में 'एफ' फार्म भरवाया है कि नहीं भरवाया है, यह तो बहुत गंभीर मामला है, इसकी जांच करवानी चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जवाब तो हां में होगा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): चाहे गलत देंगे लेकिन देंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप यह देखिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आशा की जा रही थी कि महिलाओं के लिए कुछ करेंगी और मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट अभी कुछ दिनों पहले कई बार यह चर्चा की गई माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और कई नेताओं ने अलग अलग मंचों से यह कहा कि हैल्थ का पैरामीटर है वह दो ही पैरा-मीटर हैं जिसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है, मेटरनल मॉर्टेटेलिटी रेट क्या है और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है और बीमारू राज्यों की श्रेणी में से बाहर आ गये लेकिन इन दोनों पैरामीटर्स के अन्दर पहले की बनिस्बत कितना इम्प्रूवमैंट हुआ है, यह केटेगरीकली बताना बहुत जरूरी है। एम.एम.आर., अब एम.एम.आर. के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मातृ मृत्यु दर प्रसव के दौरान अभी भी 670 है और जो सर्वे लास्ट में हुआ था उसके बाद में जो रिपीट सर्वे हुए हैं हालांकि वह सर्वे छोटे हैं स्पोरेडिक सैम्पल उसके अन्दर लिये गये हैं लेकिन अभी भी 670 प्रति लाख माताएं जो हैं वह एम.एम.आर. के कारण मृत्यु का ग्रास हो जाती हैं, अब आप यह देखिए कि इसको सिंगल ...

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इससे पहले कितना था ? आपके टाइम का भी बता दें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं यह नहीं कहता पहले कितना था और उसके पहले कितना था, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): केवल इतना बता दें कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इतना बता दें, इतना ही बता दें कि डिक्रिजिंग ट्रेंड है या इंक्रीजिंग ट्रेंड है ?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इसका मतलब यह हुआ कि आप यह देखिए कि पहले 11 हजार महिलाएं प्रसव के कारण हर साल मृत्यु का ग्रास हो

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

जाती हैं और उसको अगर घंटों के अन्दर देखा जाए तो हर घंटे एक महिला प्रसव के कारण मृत्यु का ग्रास हो रही है और सिर्फ इसलिए कि ग्रामीण इलाके के अन्दर समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है इसलिए हर घंटे एक महिला मर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा अभी 11 बजे शुरू हुई और शाम के 7-8 बजे तक हम तो अपनी-अपनी तनख्वाह लेकर के हमारे घर चले जाएंगे लेकिन ये जो 12 महिलाएं इस ड्यूरेशन के अन्दर मर गईं उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? ये सारे पक्ष के माननीय सदस्य कहेंगे कि चिकित्सा मंत्री डाक्टर हैं और डाक्टर होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने विभाग को संभाल रखा है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस ओर उन्होंने क्या ध्यान दिया ? क्या किसी भी एक महिला को मृत्यु के ग्रास में जाने से बचाया जा सका ? मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आपने जो 472 करोड़ रुपये का हैल्थ प्रोजेक्ट बनाया है उसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा प्लान बनाया है जो प्लान 2009 में जाकर के कम्प्लीट होगा लेकिन यह करने में क्या तकलीफ थी कि आप यह तो निर्देश दे सकते हो कि उप स्वास्थ्य केन्द्र में जहां ए.एन.एम. उपलब्ध है, सरकार को मालूम है कि कौनसे गांव के अन्दर कौनसी महिला प्रेग्नेंट है तो ए.एन.एम. द्वारा जांच कराने के बाद में वो उन महिलाओं को चिह्नित कर सकती है कि ये वो महिलाएं हैं जिनके अन्दर ज्यादा रिस्क इन्वाल्व है और इन महिलाओं के अन्दर सोनोग्राफी की जरूरत है।

नम्बर दो, सोनोग्राफी के बाद में यह एंश्योर किया जा सकता है कि उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाई जाए। इसमें तो सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा क्योंकि आजकल जो नियम बने हुए हैं उन नियम के तहत कोई भी महिला किसी भी गांव में प्रेग्नेंट होती है तो पंचायत समिति में उसकी सूचना उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था करने का मैं यह सुझाव देता हूं कि आपका तारानगर के बूचावास गांव में कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेग्नेंसी के अन्दर कोई माइनर एब्नोर्मेलिटी है तो उसको चिह्नित किया जाए, उसकी सोनोग्राफी कराई जाए और उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी चूरू के अस्पताल में करवाई जाए। इस तरह से अगर छोटी सी व्यवस्था कर ली जाए तो बहुत सारी महिलाओं को, अब महिला, बच्चे, माता-पिता, सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। उस महिला का कोई दोष नहीं है, उस महिला का दोष सिर्फ इतना है कि वो वीर भूमि राजस्थान में पैदा हुई। वह अगर केरल में पैदा होती तो नहीं मरती

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

क्योंकि वहां एम.एम.आर. अच्छी है। तो इस ओर बहुत गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरा पैरामीटर, आई.एम.आर.। आई.एम.आर. के अन्दर आपने क्या सुधार किया? आपकी 76 प्रतिशत पापुलेशन ग्रामीण इलाके में रहती है और ग्रामीण इलाके में जो चिकित्सा सुविधाएं आज की तारीख में उपलब्ध हैं, सारे विधायक उससे वाकिफ हैं। कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप कहते तो हैं कि हमने ऐसे सैण्टर बनाये हैं जहां 24 घंटे प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले के अन्दर, किसी ग्रामीण इलाके के प्राइमरी हैल्थ सैण्टर के अन्दर 24 घंटे प्रसव कराने की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। 78 पर-थाउजैंड बर्थ, यह देखिये आप। पूरे हिन्दुस्तान में आप देखेंगे तो our rank is fourth as far as infant mortality rate is concerned. एक लाख 30 हजार बच्चे चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण प्रति साल मौत के ग्राम में चले जाते हैं। इसको अगर आप संख्या में देखें कि प्रतिदिन कितने बच्चे मर रहे हैं तो 356 बच्चे। 356 बच्चे एक दिन के अन्दर सिर्फ इसलिए मर रहे हैं कि उनको प्रोपर मेडिकल एड उपलब्ध नहीं है। इनको घंटे के अन्दर आप फलायेंगे तो यह आयेगा 14 प्रति घंटा। 14 बच्चे प्रति घंटे इसलिए मर गये कि उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो आज आवश्यकता इस चीज की है कि किसी भी तरीके से, किसी भी सहयोग से आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो वह प्रोजेक्ट 2009 के अन्दर पूरा होगा, उस प्रोजेक्ट को पूरा होने तक आप कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कीजिये जिससे कि इन दोनों पैरामीटर्स के अन्दर शीघ्रता से सुधार किया जा सके।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म कहां से आयेगा आपके पास? आपके सबसे अच्छे चिकित्सालय सवाईमानसिंह चिकित्सालय में एंबुलेंस ढंग की उपलब्ध नहीं है। साल में कम से कम दो या तीन बार ऐसे मौके आते हैं जब कोई वी.आई.पी. सवाईमानसिंह चिकित्सालय के अन्दर आता है और यह सुनने को मिलता है कि एंबुलेंस किसी प्राइवेट नर्सिंग होम से मंगवाई गई या एंबुलेंस एस्कोर्ट हास्पिटल से मंगाई गई तो यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। एक तरफ तो हम यह दम भर रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे और दूसरी तरफ आपने ऐसी कौनसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा दी सवाईमानसिंह चिकित्सालय या किसी दूसरे

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

चिकित्सालय के अन्दर जिससे कि आप मेडिकल टूरिज्म के लिए बाहर के मरीजों को आकर्षित कर सकें?

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि टेली-मेडिसन शुरू की जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि घोषणाएं अनेक की गईं और घोषणाएं सही सोच में रखकर की गईं लेकिन साल दर साल, ढाई साल निकल जाने के बाद में नतीजा क्या निकला ? दो साल के अन्दर सिर्फ एक दिन सवाईमानसिंह चिकित्सालय के डाक्टरों को टेलीविजन के सामने गांव के मरीज को, किसी गांव वाले के सामने बिठाकर के बात करवाकर जनता को यह कह कर भ्रमित किया गया कि टेली-मेडिसन की सेवाएं पूरे प्रदेश के अन्दर उपलब्ध होने लगी हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग है और इस भू-भाग के अन्दर हर कोने के अन्दर चिकित्सा सुविधा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराना, हो सकता है पोसिबल नहीं हो लेकिन इस टेली-मेडिसन के माध्यम से दूर-दराज के गांवों के अन्दर जो गरीब आदमी बैठा है उसको बड़े अस्पताल, सवाईमानसिंह चिकित्सालय या दूसरे चिकित्सालयों के माध्यम से टेली-मेडिसन के द्वारा यदि कोई सुविधा पहुंचाई जा सकती है तो इसकी शीघ्र शुरूआत करनी चाहिए। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, इसरो वालों ने आपको ब्लेंक चैक दे रखा है कि आपको किसी भी जगह हमारी सहायता की जरूरत हो तो हम उपलब्ध करवायेंगे। आप तो बस लिंकेज करके दूर दराज के इलाकों में टेली-मेडिसन के द्वारा यह चिकित्सा सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध करवानी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सिर्फ एक चीज के लिए माननीय मुख्य मंत्री को जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बजट भाषण के अन्दर एक योजना का नाम लिया, 'ऑपरेशन जीरो केटेरेक्ट'। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि इस योजना की शुरूआत हमारे ही सदन के किसी माननीय सदस्य ने आज से दो साल पहले ऑपरेशन जीरो केटेरेक्ट के नाम से की थी क्योंकि केटेरेक्ट कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि केटेरेक्ट यह है नहीं कि आज खतम हो गया तो कल पैदा नहीं होगा...

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह मैंने ही कहा था जब आपने सजेशन दिया था।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह मैं कहने जा रहा हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना पहली बार तारानगर विधान सभा क्षेत्र में डाक्टर सी. एस. बैद द्वारा 'आपरेशन जीरो केटेरेक्ट' के नाम से शुरू की गई। इसका सुझाव मैंने माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी दिया था और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे पोजिटिव सजेशन को मानते हुए उन्होंने पूरे राज्य में इस तरह की योजना शुरू करने की घोषणा की है और मैं आशा करता हूं कि आप पूरी गंभीरता से और पूरा इंटरेस्ट लेकर, क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, नेशनल ब्लाइंडनैस कंट्रोल प्रोग्राम से सारा पैसा आ रहा है तो इसको आप तेजी से और इसमें अनलिमिटेड है, केन्द्र सरकार ने यह कह दिया है कि यह योजना अनलिमिटेड है, आप जितना मर्जी चाहें आपरेशन करवायें।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी डिक्शनरी में अगर धन्यवाद का शब्द हो तो वह भी बोल दीजिये, इसमें शरमा क्यों रहे हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं धीरे-धीरे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल ब्लाइंडनैस कंट्रोल प्रोग्राम जो चल रहा है उस प्रोग्राम के माध्यम से केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को अनलिमिटेड पैसा देने की घोषणा कर रखी है। राज्य के सारे ऑप्थेमोलॉजिस्ट यदि 24 घंटे आपरेशन करके सारे राजस्थान के केटेरेक्ट के मरीजों का आपरेशन कर दें तो भी केन्द्र सरकार कहती है कि हम पर्याप्त धन आपको मुहैया करवायेंगे। तो ऐसी स्थिति के अन्दर जब राज्य सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ही नहीं पड़ रहा तो इस योजना को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और यह करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या जिसकी सारे लोग बात करते हैं वह पापुलेशन कंट्रोल की समस्या है। इस पापुलेशन कंट्रोल की समस्या के सम्बन्ध में मैं से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वो उस तरफ जरूर गौर करें कि अपने प्रदेश में अनवांटेड प्रेग्नेंसीज कितनी हो रही हैं? अनवांटेड प्रेग्नेंसी की संख्या बहुत ज्यादा है। अनवांटेड प्रेग्नेंसी का मतलब यह है कि आप यदि बच्चे के माता-पिता से यह पूछें कि तुम यह बच्चा चाहते थे या

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

नहीं चाहते थे तो उनमें से काफी माता-पिता यह कहते हैं कि हमको बच्चे की आवश्यकता नहीं थी लेकिन परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान होने के अभाव के कारण हमारे यह बच्चा पैदा हुआ। ऐसे बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप अगर थोड़ा सा अन्दाज लगाएं कि 18 लाख बच्चे इस तरीके से पैदा होते हैं। मां-बाप नहीं चाहते कि बच्चा पैदा हो फिर भी बच्चा पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार नियोजन के साधनों का प्रचार-प्रसार सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के बच्चों को यदि सही तरीके से परिवार नियोजन का प्रचार-प्रसार करके इस पर रोक लगाई जाए तो 18 लाख अनचाहे बच्चों को पैदा होने से रोका जा सकता है। आगे आने वाले समय से सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि आप कितने ही साधन मुहैया करवा दें, कितने ही हास्पिटल खोल दें, कितने ही प्राइमरी हैल्थ सेण्टर खोल दें, कितने ही सब सेण्टर खोल दें लेकिन पापूलेशन एक्सप्लोजन के कारण ये सारी सुविधाएं अपर्याप्त साबित होगी तो कम से कम इन अनवाण्टेड प्रेग्नेन्सीज को तो आप कठोरता से रोकें, परिवार नियोजन का प्रचार-प्रसार करें और जो लोग वालेण्टरेरी करवाना चाहते हैं, वह मा-बाप कहते हैं कि हम नहीं चाहे थे, जो वॉलेण्टरेरी करवाना चाहते हैं उनको तो परिवार नियोजन के लिए प्रेरित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पिछले दो साल से सबसे ज्यादा दुर्गति यदि किसी कैटेगिरी की हुई है तो वह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की हुई है। आपने मेडिकल रिलीफ कार्ड तो इश्यू कर दिए सारे बी.पी.एल. परिवार और उनके सदस्यों को, अब जरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से पूछा जाए कि गांव में रहने वाले कितने लोग आते हैं डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में और उनसे से कितने लोग आते हैं मेडिकल कालेज से अटैच्ड हास्पिटल्स के अन्दर, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं जो मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हुए चिकित्सालयों में पहुंच पाते हैं। दूसरी बात यह है कि इन बी.पी.एल. परिवारों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार पिछले दो साल से लगातार यह घोषणा कर रही है कि राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी का 25 प्रतिशत पैसा इन गरीब मरीजों के इलाज के लिए देंगे लेकिन इनसे यह पूछा जाए कि कितने प्राइमरी हैल्थ सेण्टर हैं, कितने कम्यूनिटी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

हैल्थ सेण्टर हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं जहां राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी की फंक्शनिंग ऑर्डर के अन्दर है और जहां-जहां वित्तीय स्थिति ठीक है। यह मेडिकल रिलीफ सोसायटी के बारे में है, आपने पिछले साल बहुत अच्छा निर्णय किया कि हम प्राइवेट कोलोबोरेशन के साथ सीटी स्केन और एम.आर.आई. की मशीन लगाएंगे। सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अन्दर आपने चार सौ रुपए के अन्दर सीटी स्केन कराना शुरू किया, नतीजा क्या निकला कि जो गरीब था वह भी चार सौ रुपए दे रहा है और जो अमीर है वह भी चार सौ रुपए दे रहा है। दोनों चार सौ रुपए दे रहे हैं। यदि आप को जो ज्यादा पैसा दे सकता है, उससे ज्यादा पैसा लेकर राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के अन्दर क्यों नहीं डालते? आपको स्वयं को मालूम है, आप स्वयं इस चीज को स्वीकार करेंगे कि पिछले दो साल में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी की हैल्थ पहले के मुकाबले कमजोर हुई है और कमजोर होने के कारण जो 25 प्रतिशत पैसा उसमें से निकाल कर गरीब मरीजों के इलाज के लिए, गरीब मरीजों की जांच के लिए खर्च किया जाता था, उसके अन्दर कमी आई है। बी.पी.एल. परिवारों के लिए पहले यह व्यवस्था थी कि जो दवाइयां सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अगर उपलब्ध नहीं होती थी तो उनकी लोकल परचेज की जाती थी। आप खुद का रिकार्ड उठा कर देख लें। पिछले एक साल में जितना था, पिछले साल में दवाई खरीद की थी उससे चौथाई मात्रा में दवाइयां खरीदी गई हैं। तो यह जो आप कम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी फैसिलिटीज को उसे सबसे पहले बी.पी.एल. परिवारों पर ही क्यों कर रहे हैं?

एक नई अनोखी सुविधा जो सरकार ने उपलब्ध करवा रखी है, आज राज्य सरकार अनेक लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा हेतु दिल्ली भेजती है, मुम्बई भेजती है, आपने रैफरल हास्पिटल बना रखे हैं। भारत के संविधान के तहत हर आदमी को वही सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जिसका सरकार ने निर्णय कर रखा है। जब इन्होंने यह निर्णय कर रखा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कितने बी.पी.एल. परिवारों के लोग हैं, जिनको किसी अस्पताल द्वारा आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज के अन्दर रैफर किया गया? गिने-चुने मरीज होंगे सिर्फ 10 या 15 से ज्यादा को रैफर नहीं किया गया। इससे जाहिर होता है कि सरकार की मन्शा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अन्दर नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान गरीबों की तरफ देना चाहिए।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

माननीय मंत्रीजी, आप जरा ध्यान से सुनें। अभी दो दिन पहले महामहिम उपराष्ट्रपतिजी ने यह कहा कि चूंकि अन्त्योदय योजना की शुरूआत राजस्थान में उनके समय में हुई थी, उन्होंने अब यह कहा है कि चिकित्सा सुविधाएं गरीब आदमी तक पहुंचे उसके लिए अन्त्योदय चिकित्सा सुविधा का भी आरम्भ किया जाना चाहिए। सबसे पहला ध्यान सरकार को यह देना चाहिए कि जो पंक्ति के अन्दर सबसे पीछे खड़ा है, सबसे ज्यादा चिकित्सा सुविधा उसको उपलब्ध कराई जाए।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपको बीच में इण्टरप्ट कर रहा हूं। अब सीटी स्कैन अगर इतने सस्ते दामों पर हो रही है तो भी माननीय सदस्य को आब्जेक्शन है कि ज्यादा पैसे लो और जो आप मेडिकल रिलीफ सोसायटी की बात कर रहे हैं कि उसकी कमर टूट गई है, आज कितने सीटी स्केन सवाई मानसिंह चिकित्सालय में रोजाना होते हैं, आप इसका हिसाब ले लीजिए कि पहले जब सरकारी उसमें होते थे तब कितने सीटी स्केन होते थे और आज कितने होते हैं। आज भी मेडिकल रिलीफ सोसायटी नुकसान में नहीं है क्योंकि आज कोई पेण्डेन्सी नहीं है और आज नम्बर आफ सीटी स्केन पर डे होते हैं आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए, डेढ-दो महीने की पेण्डेन्सी लिस्ट रहती थी और बी.पी.एल. के लिए तो आज भी फ्री हो रहा है। परन्तु जो समर्थ आदमी है उसको भी सस्ती दर पर हो रही है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आब्जेक्शन वाली बात नहीं है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इसमें आपने बिलकुल सही कहा कि कोई पैसे वाला आदमी है उसका भी अगर सस्ती दर पर हो रहा है तो आपको कोई आब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आपको आब्जेक्शन होना चाहिए क्योंकि जो पैसे खर्च कर सकता है उससे ज्यादा पैसा लेकर राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी में डालने में क्या हरज है जिससे एक गरीब मरीज को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तो फिर आप एक लिस्ट मुझे दे दीजिए जो पैसे वाले आएं उनको उसी जगह भिजवा दिया करूंगा जहां ज्यादा पैसे लेते हों।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप तो यह कर दो कि जो नोन बी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

पी एल हैं, जो गरीब नहीं हैं, जो चार सौ की जगह आठ सौ भी दे सकते हैं उनसे क्यों नहीं लो आप आठ सौ रुपए क्योंकि जो अधिक पैसा आप लेंगे वह एक गरीब मरीज की चिकित्सा में व्यय किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर साहब, ऐसा तय करना, बहुत मुश्किल है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां एक बी पी एल परिवार रहता है जो अरबपति है। कई बी पी एल परिवार ऐसे गरीब हैं जो अगर कह दें कि आपके समय के चयनित हैं अगर उनको बी पी एल माना जाए तो सारा बखेड़ा ही हो जाएगा कि आपने बी पी एल का सर्वे कैसे करवाया है, बहुत विचारणीय बिन्दू है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह बात सारे माननीय सदस्यों का पता है कि किसी भी गांव में बी.पी.एल. कार्ड धारी जितने लोग होते हैं उससे चार गुना संख्या में उसी कैटेगिरी के लोग कम से कम और गांव में मौजूद होते हैं जिनके पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं है परन्तु उसी स्तर के गरीब हैं, किसी टैक्नीकल कारण की वजह से उनके पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं है। किसी के नाम अगर एक बीघा, दो बीघा खेत है तो उससे क्या अपने परिवार को वह पाल सकता है, परन्तु उसका बी.पी.एल. कार्ड नहीं बन पाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बी.पी.एल. कार्ड को तो फ्री है ही लेकिन अन्य लोगों को भी सस्ती चिकित्सा उपलब्ध हो, यह कदम तो स्वागत योग्य है। आपको इसके लिए तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो यह कह रहे हैं कि कोई यदि स्वेच्छा से देना चाहे तो स्वेच्छा से देना चाहिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं-नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कह रहे हैं कि आपने इतना किया, बहुत अच्छा, आप क्राइटेरिया बना दें कि इनकम टैक्स देने वाले आदमी को उसमें नहीं रखेंगे, बाकी आपको धन्यवाद। यह तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप यह कैटेगिरी डाल दें कि इनकम टैक्स देने वाले को छूट नहीं मिलेगी, बाकी सबको दीजिए आप। ...(व्यवधान) यह तो उसका सर्टिफिकेट है, उसमें क्या तकलीफ है?

श्री उपाध्यक्ष: आप कनक्लूड कीजिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): हां साहब, कनक्लूड ही कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और चीज है। पहले विधायक को इलाज और सारी जांच सुविधाएं फ्री थी। अब पता है क्या होता है? विधायक जब कोई जांच कराने जाता है तो सुपरिन्टेडेण्ट के पास जाता है कि साहब, यह जांच करानी है तो वह उसमें 'पुअर' लिख देता है तो विधायक गरीब बनकर उसमें जांच करवा रहा है। कोई न कोई क्राइटेरिया तो होगा ही उसमें। ...(व्यवधान)...

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह जानते हुए कि राज्य में चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालना है और बजट के अन्दर यह स्पष्ट बजट प्रावधान होता है।...

जो केन्द्र सरकार भी रिकमण्ड करती है और जो इंटरनेशनली माना जाता है कि कम से कम जीडीपी का 1.6 प्रतिशत पैसा आप चिकित्सा सुविधाओं के अंदर व्यय करेंगे, लेकिन अगर आप यह रेश्यो देखें तो 2004-05 के अंदर यह था .9 परसेंट और उसके बाद आपने जो रिवाइज एस्टीमेट दिया उसके अंदर घटकर हो गया .88 परसेंट। उसके बाद जो एक्चुअल एस्टीमेट आया उसके अंदर यह और घट गया। आपने घोषणा तो ज्यादा की की थी, रिवाइज करके कम कर दिया और एक्चुअल आया वह .84 परसेंट आया। इसी प्रकार इस साल जो घोषणा की है वह घोषणा ही कम की है। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 86 परसेंट ही चिकित्सा सुविधा के लिए खर्च करना बताया है, जो कि बहुत कम है। एक चीज मैं आपके माध्यम से और निवेदन करना चाहूंगा। 2004-05 में जिन बजट प्रावधानों के अंतर्गत पैसा खर्च किया जाना था उसमें मेडिकल कालेज, उदयपुर के अंदर इन्होंने प्रावधान रखा 2.06 करोड़ रुपया और इन्होंने खर्च किया सिर्फ 22 परसेंट 18.68 लाख। एक तरफ तो कहते हैं टेलीमेडिसन लाएंगे, मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा देंगे और सिर्फ 22 परसेंट खर्च करके उदयपुर जैसी जगह, जो कि पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है की मेडिकल कालेज के ऊपर ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए था, आपने सिर्फ 22 परसेंट पैसा ही खर्च किया।

इसी प्रकार डेंटल कालेज, जयपुर, अब जयपुर में इतने डेंटल कालेज खोल दिये, डेंटल कालेज, जयपुर के अंदर तो सारी सीमाएं पार हो गईं। इन्होंने

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

बजट का आउटले किया था 93 लाख का और इन्होंने खर्च किया सिर्फ 3.74 लाख। मतलब जितना आउटले आपने इनिशियली किया था उसका सिर्फ 4.32 प्रतिशत खर्च किया।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट के अंदर जो आउटले बनाएं वह उतना ही आउटले बनाएं जितना आप खर्च कर सकते हो, नम्बर एक। नम्बर दो, रूरल एरिया के अंदर चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा मुहैया कराने के लिए इन्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एस.एम.एस. हास्पिटल के लिए जहां आप एक तरफ कहते हो कि मेडिकल ट्यूरिज्म शुरू की जाएगी तो यहां आप एक रिकार्ड और मंगवा लें सवाई मानसिंह हास्टिल के अंदर कितने उपकरण हैं, उनके अंदर कितने खराब पड़े हैं और कितने की आपने ईयरली कांट्रेक्ट कर रखा है और जिन लोगों से कांट्रेक्ट कर रखा है उनको कितने साल से पैसे नहीं दिये तो आपको खुद को आश्चर्य होगा कि अनेक उपकरण ऐसे हैं जो खराब पड़े हैं, नये उपकरण जुड़ नहीं रहे हैं। मेडिकल ट्यूरिज्म ऐसे बढ़ने वाला नहीं है। ..(व्यवधान).. मैं कन्क्लूड ही कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कि इन सब चीजों के ऊपर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ कितना है? आपके पास कितनी नर्सेज की कमी है सवाई मानसिंह चिकित्सालय में? आज एक-एक वार्ड के अंदर, दो-दो वार्ड के अंदर 30-30, 40-40 बैड के ऊपर सिर्फ एक नर्स आपको उपलब्ध है। खाली बैड की संख्या बढ़ाने से और खाली यह कह देने से कि हम और ज्यादा उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन स्टाफ आपके पास नहीं होगा तो चिकित्सा सुविधाओं में माकूल सुधार नहीं किया जा सकेगा। इतना ही कहकर मैं यह आशा करता हूं कि जो मैंने छोटे-छोटे सुझाव दिये हैं जिससे कि ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है, आप अंत्योदय ग्रामीण योजना के बारे में विचार करें और उसे सख्ती से लागू करें जिससे कि गांवों में रहने वाले गरीब आदमी को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध करायी जा सकेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, डाक्टर साहब। श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस मांग पर कटौती प्रस्ताव है वह मांग राजनीति से बहुत ज्यादा ऊपर उठी हुई मांग है। सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जो यह नहीं चाहता हो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कि किसी भी गरीब को सस्ती और अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं मिले। हमारी सरकार ने यह प्रयास किया तो यह कहना कि जो बी.पी.एल. में नहीं हैं उनसे ज्यादा पैसा लो, यह बहुत आश्चर्य की बात है। हर व्यक्ति हमेशा कम करने की बात करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सरकारी अस्पताल में जो व्यक्ति जाएगा उसको सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल जाए इस बात की आशा वह जरूर रखेगा। इसमें हम खरे उतरे हैं। पहले सीटी स्केन एक हजार रुपये में होती थी और 10, 15, 20 दिन बाद नम्बर आता था, यह हालत थी। कई की तारीख एक महीने बाद होती थी। डाक्टर आज लिख रहा है, मरीज को आवश्यकता आज है। इतनी ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा मरीजों की संख्या कि नम्बर उस दिन लेना बहुत मुश्किल था। हमारी सरकार ने दर भी कम की और ऐसी व्यवस्था कर दी कि सीटी स्कैन जिस मरीज की आज लिखी है वह आज ही जो जाए यह सफल काम यहां हो रहा है। इतना ही नहीं ..(व्यवधान).. एमआरआई मशीन रात को 12 बजे भी जब भी गरीब के प्रति हमारी सरकार चिंतित है। पहले एमआरआई के पांच हजार लगते थे। सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने, हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने हमारी सरकार बनते ही वर्षों से जो फाइल बंद पड़ी थी कि ये मशीनें कांट्रेक्ट पर देनी हैं, ये उपकरण कांट्रेक्ट पर लगाने हैं, पता नहीं पहले वे किसके दबाव में बंद पड़ी थीं, कौनसा दबाव था, कौनसा पैसा था कि जो काम पहले हो जाना चाहिए था, जो फाइल चल चुकी थी हमारे मंत्रीजी ने आते ही आज 2700 रुपये में एमआरआई होती है और वह उसी दिन होती है। इससे ज्यादा सुविधा की कोई उम्मीद करे कि कोई सरकार इससे ज्यादा कर सकती है तो वह उम्मीद भी हम बहुत जल्दी पूरी करेंगे। ..(व्यवधान).. बिलकुल चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे कि अच्छी सुविधा मिले। कोई भूख से मरे यह शर्मनाक बात है, पर यह भी शर्मनाक बात है कि कोई चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में मर जाए, यह भी बहुत गलत बात है। इसके लिए जिस तरीके से हमारी सरकार चल रही है और जो प्रयास कर रही है हमारी सरकार की मंशा बिलकुल साफ है कि जहां तक सरकार की जानकारी में आ जाएगा कम से कम वह व्यक्ति या वह मरीज तो चिकित्सा सुविधा के अभाव में मौत के मुंह में नहीं जाएगा, चाहे सरकारी अधिकारी की जानकारी में आ गया, आज यह नहीं है कि हमारा ढांचा कमजोर है। बहुत अच्छा, मजबूत ढांचा हो गया है, गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं जिसको पता है कि कौनसी गर्भवती महिला

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

है, कौन कमजोर है, कौन एनेमिक है, किसको पौष्टिक आहार की जरूरत है, किसको खून की आवश्यकता है, अगर कोई धात्री माता है तो उसकी जानकारी भी उसको है कि कौन कमजोर है, कौन बीमार है, चाहे छोटा बालक या शिशु है, कौन कुपोषण का शिकार है या किसी बीमारी से ग्रस्त है। सारी जानकारी है और उनके माध्यम से सरकार तक जानकारी पहुंचती है और उसके माध्यम से मरीज भी अस्पताल तक पहुंचता है। उसके ऊपर ए.एन.एम. भी है, वह पूरी व्यवस्था का ध्यान रखती है, कई कंपाउंडर भी गांव में है। तो यह नहीं कि ढांचा ठीक नहीं हुआ, ढांचा बहुत ठीक हुआ है। हो सकता है कुछ कमियां हों, मैं यह नहीं कहता कि आज की तारीख में कोई चिकित्सा के अभाव में मर नहीं रहा है, लेकिन आज की तारीख में जो प्रयास हमारी सरकार कर रही है वह बिलकुल तारीफ के काबिल है, हमारे मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। उससे बढ़कर भी हम कितने चिंतित हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा सम्बल महाभियान के दौरान मात्र बच्चों का नामांकन ही नहीं, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। कोई बच्चा बीमार तो नहीं, किसी की आंखे कमजोर तो नहीं, कोई ऐसे रोग से ग्रस्त तो नहीं है जिसको टीके की आवश्यकता है और उस अभियान के तहत जो बच्चे जानकारी में आये कि इस बच्चे को इस चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है तो वह चिकित्सा सुविधा भी हमारी सरकार ने नि:शुल्क उपलब्ध करायी, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती।

आज मैं यह कह दूं, यह बात सही है कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह भी सही है कि बीमारी उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और उसके मुकाबले जितने संसाधन आज हमारे पास होने चाहिएं उतने उपलब्ध नहीं हैं। यह बात बिलकुल सही है लेकिन कम संसाधन के बावजूद भी जो प्रयास किया जा रहा है उससे प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही है । अभी इन्होंने बी.पी.एल. की बात कही थी इन्होंने कि बी.पी.एल. का जो पैसा था वो अन्य गरीबों में, बी.पी.एल. मरीज के लिए जितनी सुविधा हमारी सरकार ने की सवाई मानसिंह अस्पताल में जो मरीज भर्ती है उसको पहले पैसा पास कराने के लिए आवेदन पत्र लेकर सैकेटेरिएट जाना पड़ता था और एक बार नहीं कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन हमारी सरकार बनते ही वही अस्पताल के कैम्पस में ही एक कमरा वहीं मरीज अपना आवेदन जमा करा दे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं और हाथो-हाथ मंजूरी भी अगर डाक्टर लिख दे तत्काल इमरजेंसी तो एक दिन में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

प्रोविजनल मंजूरी की भी छूट हमारी सरकार ने दी। वरना पहले क्या था मरीज का पैसा पास होने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग जाते थे। मरीज चक्कर लगाता था और आज ऐसे कई केस हो गये जिनका पैसा आज मरीज भर्ती हुआ है और डाक्टर ने इमरजेंसी लिखी है तो उसी दिन वो पैसा मंजूर हो गया चाहे कितना भी बड़ा आपरेशन हो। हम जब-जब भी सत्ता में आये हमने ईमानदारी से इस क्षेत्र में राजनीति से ऊपर उठकर इस बात का हमेशा प्रयास किया कि राजस्थान की जो गरीब जनता है जिसके पास रोटी का पैसा नहीं है, कपड़े का पैसा नहीं है ऐसी जनता को भी चिकित्सा सुविधा निश्चित रूप से मिल जाए और बहुत नजदीक मिल जाए। यह प्रयास आज का नहीं चाहे 1990 की सरकार में ललितकिशोरजी चतुर्वेदी आये तो एक नीति बनाकर कि इतनी आबादी पर एक सब सेन्टर होगा उससे बड़ी आबादी पर एड पोस्ट उससे बड़ी आबादी पर एक पी.एच.सी. और उससे बड़ी आबादी पर सी.एच.सी. उसके बाद में एक रेफरल अस्पताल पूरा एक आबादी के ऊपर निर्भर है, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं कि यह प्रभावशाली मंत्री है, यह प्रभावशाली व्यक्ति है, यह बहुत बड़ा व्यक्ति है इसके क्षेत्र में पहले खोल दो। इस नीति में जो भी आया वहां अपने आप ही पीएचसी खुल गई, अपने आप ही सी.एच.सी. खुल गई, जो चिकित्सालय क्रमोन्नत होना था उस नीति में आते ही अपने आप ही क्रमोन्नत हो गया इतना भेदभाव रहित कार्य इस क्षेत्र में उस समय के काल में हुआ और उसके बाद में चाहे 1994 में राजेन्द्रजी राठौड़ आये जो आज माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं और देखा कि अस्पताल बहुत खुल चुके हैं लेकिन अस्पतालों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इनको अपने पैरों पर कैसे खड़ा करें तो मेडिकल रिलीफ सोसायटी के गठन का जो अभियान चला यह हमारी सरकार के काल में उनकी उपज है ताकि अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर भी जो छोटी-मोटी अपनी आवश्यकताएं हैं अपने स्तर पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उसको सरकार के पास बार बार छोटे उपकरणों के लिए छोटे-मोटे काम के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़े और उसी का परिणाम है कि आज हर अस्पताल में पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और उसके अलावा जो आवश्यक दवाइयां हैं वो मरीज को सस्ती दर पर मिल जाए उसके लिए वहीं मेडिकल रिलीफ सोसायटी की दुकान का गठन, वहीं दुकान खोल दी जो ग्लुकोस की बोतल पहले पच्चीस रुपये में बाहर आती थी वो अन्दर दस रुपये में ही मिलती है। ऐसे पचासों आइटम जो बाहर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बहुत महंगे थे गरीब को वो आइटम सस्ते मिल जाए इसका प्रयास भी हमारे कार्यकाल में हुआ और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आये । यही नहीं उस समय जो डॉक्टरों की भर्ती होनी थी जो कमी थी उसकी पूर्ति भी की उन्होंने की। अस्पताल में जनता की भागीदारी हो, जनता का जो व्यक्ति हैं जो अस्पताल से जुड़े हैं वो भी अपने अनुभव का लाभ या जो अस्पताल की आवश्यकता है उसमें योगदान दें तो उस सलाहकार समिति का गठन भी उस समय हुआ जब माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ मंत्री थे और आज हमारे चिकित्सा मंत्रीजी दिगम्बरसिंह जी जब उन्होंने भी महसूस किया कि उपकरणों की कमी के चलते कई मरीजों को अन्यत्र बड़े अस्पताल में रैफर करना पड़ता है तो मैं मेरे पाली की बात कह दूं मुझे बहुत खुशी है पाली में पहले सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, बहुत कीमती मशीन होती है पाली जिला हैडक्वार्टर दो राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है कोई भी दुर्घटना हुई सिर की चोट लगी चाहे और किसी बीमारी के कारण सीटी स्कैन की आवश्यकता की ज्यों ही जानकारी दी, मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि एक बार कहने पर पाली जिला चिकित्सालय को इन्होंने सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करा दी। उसके साथ टीएमटी चाहे सोनाग्राफी मशीन हो पहले भी दी और अब भी दी । पिछले कांग्रेस के काल की सरकार में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जिला अस्पताल जो बागड़ अस्पताल के नाम से जाना जाता है उसमें पांच फूटी कौड़ी के उपकरण नहीं दिये गये पांच फूटी कौड़ी और हमारी सरकार बनने के बाद जिन-जिन उपकरणों की हमने आवश्यकता इनको बताई कि हमारे मरीजों को इन उपकरणों की आवश्यकता है इस उपकरणों की कमी के मारे मरीज को मजबूरन बाहर जांच करानी पड़ती है, मात्र सवा दो साल में पांच करोड़ के उपकरण, चाहे वो खून की

जांच के हो चाहे अन्य जांचों के हो हमारे मंत्रीजी ने मंजूर कराये। यही नहीं क्या हालत थी हमारे अस्पतालों की पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं छत से पानी टपक रहा है, कहीं छतें गिर रही हैं मरीज अन्दर लेटा है तो मन में भयभीत है कि कोई दुर्घटना न हो जाए, कोई छत उसके ऊपर न गिर जाए। ऐसी स्थिति के जितने भी अस्पताल हैं चाहे छोटे अस्पताल, चाहे बड़े अस्पताल, सारे अस्पतालों में नवीनीकरण का अभियान, नवीनीकरण भी हो जाए और अच्छा बन जाए ताकि मरीज भी महसूस करें कि जिस भवन में इलाज कराने जा रहा है वो उसको देखते हुए ही महसूस करें कि वाकई में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

इलाज यहां अच्छा होगा। यह जो अभियान चलाया उसमें मेरे जिला अस्पताल को भी 3 करोड़ 54 लाख की राशि मिली थी शायद जो अभी बिल्डिंग है उसकी पूरी लागत 3 करोड़ 54 लाख नहीं होगी और उसके नवीनीकरण के लिए उसकी और आवश्यकता की बढ़ोतरी के लिए इतनी बड़ी राशि मंजूर की। मात्र यह नहीं कि मेरे अस्पताल में ही कर दी अपितु राजस्थान के किसी भी अस्पताल में चले जाएं कहीं हो चुका है कहीं हो रहा है और कहीं होने वाला है। माननीय गृह राज्य मंत्री के यहां बालोतरा में 2 करोड़ 4 लाख जहां पिछली सरकार के कार्यकाल में पांच फूटी कौड़ी भी नहीं वहां पांच करोड़ के उपकरण और 3 करोड़ 54 लाख की राशि मात्र भवन के नवीनीकरण के लिए और उसके अलावा जो अप्रूव्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं कि बी.पी.एल. का जो मरीज हैं उसको मेडिसिन उपलब्ध नहीं होती आपके समय की जो अप्रूव्ड लिस्ट थी वो देखें आप और हमारे समय की सूची देखें बहुत सारी ऐसी दवाइयां जिनकी आवश्यकता मरीज को होती थी लेकिन अप्रूव्ड लिस्ट में नाम नहीं होने से डाक्टर चाहते हुए भी लिख नहीं पाते थे। छोटे अस्पतालों में वो सारी मेडिसिन भी स्वीकृत करके उस सूची में दर्ज करायी ताकि उस गरीब मरीज को ये सुविधा मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तेजी से काम हो रहा है, चल रहा है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार की बिलकुल यह मंशा है कि राजस्थान में कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी चिकित्सा सुविधा के अभाव में अपने जीवन से वंचित नहीं हो मेरी जानकारी में जो बातें हैं क्योंकि हमारे चिकित्सा मंत्रीजी करते हैं मैं उनको बिलकुल बताना चाहूंगा कि कुछ कमियां हैं वो भी अगर आप ठीक कर दें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ हमारे प्रदेश की जनता को मिलेगा।

उसमें विशेष तौर से जो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल जिसकी प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा अच्छी है । डाक्टर अच्छे हैं, इलाज अच्छा और सस्ता है । इस कारण मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ गई । अब इतने सारे मरीज है उसकी तुलना में जो संसाधन है वह छोटे पडते हैं । कोई वार्ड ले लो चाहे यूरोलोजी वार्ड ले लो चाहे न्यूरोसर्जरी वार्ड ले लो और चाहे कार्डियोलोजी वार्ड ले लो डाक्टरों की प्रतिष्ठा के कारण इन यूनिटों में बहुत ज्यादा संख्या में मरीज आ रहे हैं । डाक्टर अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से उसका काम भी कर रहे हैं लेकिन जो सुविधा है वार्ड की,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पलंग की उसका दायित्व हमारा बनता है। आज न्यूरोसर्जरी वार्ड देख लो जितने मरीज बैड के ऊपर हैं उससे दुगने मरीज फर्श पर हैं और वह इसलिए कि चाहे बाहर बडे अस्पताल में उसको और सुविधा मिल जाये लेकिन यहां इलाज अच्छा होता है चाहे मेरी बारी देरी से आये पर मैं यहीं के शल्य चिकित्सकों से इलाज कराऊंगा इस उम्मीद के साथ नीचे फ़र्श पर लेटना भी मंजूर कर लेता है, इंतजार करना भी मंजूर कर लेता है । माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से और चिकित्सा मंत्रीजी से मेरा आग्रह रहेगा कि जितनी मरीजों की संख्या बढी है हम उतने संसाधन भी जुटाये और उसके लिये अतिरिक्त पैसे अगर जुटाने हैं वह भी हम जुटाये क्योंकि मरीज की सेवा सबसे पहला काम है, गरीब की सेवा सबसे पहला काम है । कार्डिक सर्जरी के बारे में मैं आपको बता दूं बहुत सस्ती चिकित्सा होती है बाई पास मात्र 35 हजार में । बाहर चले जाओ 1 लाख से कम तो कहीं नहीं होती और मुम्बई और दिल्ली में 2 लाख में । अब 35 हजार में बाई पास होती है तो निश्चित रूप से यहां भीड बढेगी, मरीज ज्यादा आयेंगे और सुविधाएं कितनी चाहे कितना भी प्रयास कर लो जो ढांचा बना हुआ है उसमें अगर डाक्टर अपनी पूरी ताकत भी झोंक दें तो एक साल में 600 से ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी वह नहीं कर सकता । आज आवश्यकता है कि कम से कम 2 हजार ओपन हार्ड सर्जरी इस अस्पताल में हो तो यह वेटिंग कम हो सकती है वरना वेटिंग है दो महीने की चार महीने की छह महीने की । कई बार यह वेटिंग मरीज की जान ले बैठती है । डाक्टर के पास समय नहीं है और तीन महीने बाद हार्ट का मरीज रहेगा या नहीं रहेगा कोई पता नहीं । हमारा मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि जहां इतनी अच्छी और सस्ती चिकित्सा हो रही है कहां डेढ लाख और कहां 35 हजार, यह लाभ जनता को पूरा मिल जाये वरना जिसका नंबर आ गया उसको तो लाभ मिल गया जिसका नंबर नहीं आया उसको मजबूरीवश बाहर एक लाख डेढ लाख में करवाना पडा । राजस्थान की जनता को पूरा लाभ मिल जाये इसलिए मेरा विशेष तौर से आग्रह रहेगा कि कार्डिक सर्जरी का ढांचा कम से कम 2हजार ओपन हार्ट सर्जरी प्रतिवर्ष हो जाये उसके अनुरूप बनाये ।

आज एसएमएस की जो सबसे बडी समस्या पैदा हो रही है पेपर में भी बहुत आ रहा है बढती भीड को कम कैसे करें । यह आजकल रोज के पेपर में चालू हो गया, 4-5 बार आ गया । भीड़ बढेगी मैंने वजह बता दी कि यहां चिकित्सा अच्छी होती है, बहुत सस्ती होती है । मरीज भर्ती हैं तो मिलने वाले

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मिलने भी आयेंगे पर उसके लिये बार बार उपयोग किये जा रहे हैं उससे अस्पताल की जो स्थिति बनती है वह कई बार बडी विचित्र स्थिति बन जाती है । जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं उनका दायित्व है यह उनको ड्यूटी दी गई है कि वह ज्यादा भीड नहीं होने दें । अब वह भीड को नियंत्रित करें तो मरीज उनके ऊपर नाराज, मरीज के अटेंडेंट को अंदर नहीं आने दे तो उनकी बददुआ ले, उनकी गालियां सुने वो और आने दे तो अस्पताल प्रशासन की डांट । इसलिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया कि जितनी बिल्डिंग अभी है वह बिल्डिंग बहुत छोटी है, अपर्याप्त है । इस बिल्डिंग का विस्तार किया जाये और सरकारी अस्पताल है तो निश्चित रूप से मिलने वाले ज्यादा आयेंगे । मिलने वाले ज्यादा आये यह बूरी बात नहीं है लेकिन अनुशासित तरीके से आ जाये इस बात की व्यवस्था करें, इस बात के लिये प्रशासन को भी आप निर्देश दें। हमारा मंत्रीजी से विशेष आग्रह है कि मरीज के साथ आने वाला व्यक्ति वह पहले से ही दुःखी और फिर वहां कोई बहुत ज्यादा सख्ती हो तो उसका दुःख और बढ जाता है, उसका कष्ट और बढ जाता है । इस सिस्टम को थोडा ठीक करने की आवश्यकता है, मिलजुल कर बैठकर ठीक करने की आवश्यकता है, यह मेरा आग्रह मंत्रीजी से रहेगा ।

श्री उपाध्यक्षः आप कन्क्लूड करें आप ।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): कुछ जांचे भी ऐसी हैं जैसे सीटी स्केन हाथों हाथ होना चालू हो गई । एम.आर.आई. उसी दिन हो जाती है और कुछ जांचे ऐसी हैं जो कि कुछ दिन बाद होती है जैसे 2डी इको है । कोई हार्ट का मरीज आज भर्ती होगा डाक्टर ने 2 डी इको लिखी उसमें एक महीने, डेढ महीने बाद की तारीख । वैसे हमारी सरकार आने के बाद दो घंटे समय बढाया है उससे बहुत कुछ राहत मिली है । पहले तीन बजे तक का समय था अब पांच बजे तक का है यहां तक कि हमारे डाक्टर 6 बजे तक भी करते हैं । फिर भी मेरा आग्रह रहेगा जो आवश्यक जांचे हैं वह उसी दिन या दूसरे दिन हो जाये उसके लिये और कोई संसाधन जुटाने की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार जल्दी से जल्दी करे ताकि मरीज को जो जांचे करानी है, बीमारी का इलाज सब बाद की बात है पहले उसकी जांच हो जाये यह व्यवस्था आप निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है कि आप करेंगे । केयूबी एक्स-रे हैं जो पेट का एक्स-रे होता है गुर्दे में पथरी होती है बहुत छोटा एक्स-रे है 25सौ मशीने लगी हुई हैं उसमें भी कई बार 10-10,20-20 दिन की तारीख

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मिल जाती है इतनी सारी मशीने लगी हुई हैं । थोडा प्रशासन को निर्देश दे दें कि जो आवश्यक जांचे हैं वह तत्काल हो जाये चाहे दो चार घंटे अतिरिक्त काम करना पडे लेकिन मरीज को जांच के लिये लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पडे और भर्ती रहकर अनावश्यक भीड नहीं करनी पडे । यह जांचे समय पर हो गई तो कुछ भीड वैसे भी कम हो जायेगी । मेरा यह आग्रह रहेगा जो जांचे देरी से होती हैं उनके लिये जो भी संसाधन जुटाने हो वह जुटाये, जो व्यवस्था करनी है वह करें लेकिन जांच समय पर हो जाये, जल्द हो जाये इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ।

मेरे जिले के अस्पताल में माननीय मंत्रीजी ने बहुत कुछ दिया लेकिन मेरी एक मांग थी एक बहुत बड़ा बिजी क्षेत्र है, मंत्रीजी मेरी बात पर गौर करेंगे अभी वह बिजी हैं, वैसे मंत्रीजी ने मेरे जिला चिकित्सालय के लिये बहुत कुछ दिया है । जितना मांगा है उससे ज्यादा दिया लेकिन मेरा एक बिजी क्षेत्र है जहां पाली की लगभग 1/3 आबादी है और बीच में एक अडचन और है कि एक रेलवे ट्रेक गुजरता है वहां फाटक लंबे समय तक बंद रहता है, बहुत लंबे समय से मांग है कि वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिटी डिसपेंसरी खोली जाये और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रीजी मेरी मांग को पूरा करेंगे । पाली चूंकि दो नेशनल हाइवे के बीच में बसा हुआ है दोनो तरफ से नेशनल हाई वे निकलता है इस वजह से दुर्घटनाओ के केसेज कुछ ज्यादा आते हैं । आर्थोपेडिक सर्जन हमारे पास दो हैं लेकिन जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसकी तुलना में थोडे डाक्टर कम पड़ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पडती है, बहुत ज्यादा काम करना पडता है । ट्रोमा वार्ड के लिये एक आर्थोपेडिक सर्जन और दे दें । मेरी बहुत ज्यादा मांगे भी नहीं है मात्र 2 मांगे हैं बाकी छोटी मोटी सब सेंटर है उसके लिये मैं लिखकर निवेदन करूंगा । मेरे सुमेरपुर चिकित्सालय के लिये भी विशेष तौर से आग्रह है । वह मेरे क्षेत्र का है और वहां से बहुत सारे केसेज पाली रेफर होते हैं । जिसमें हड्डी के बहुत सारे केसेज मजबूरीवश पाली जाते हैं । वह काम सुमेरपुर में हो जाये तो हमारे अस्पताल में कुछ बोझ कम पडे । क्योंकि हड्डी के जो एक्सपर्ट हैं वह चाहे जे.एस हो या एस.एस.ए. हो, सुमेरपुर में आप कर दें...

एक पोस्ट कर दें तो वहां से आने वाली भीड़ हमारे पाली में कम जुड़ जाएगी। शिशु रोग विशेषज्ञ भी वहां नहीं है, सारे बच्चे भी बीमार है, मैं तो चार, पांच, छह घण्टे रोजा जाता हूं इसलिए मुझे पता है सुमेरपुर से कितनी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बड़ी संख्या में कैसे पाली आ रहे हैं। बाकी तो वहां के माननीय विधायक कहेंगे लेकिन मैं पाली में हूं इसलिए मुझे पता है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चें,हड्डी के रोगी, चाहे छोटी-मोटी जांच कराने वाले हैं उन सबको पाली आना पड़ता है। सुमेरपुर बहुत बड़ा कस्बा है, नेशनल हाइवे पर स्थित है इसलिए वहां के लिए भी मेरी मांग रहेगी ताकि हमारे चिकित्सालय पर थोड़ा बोझ कम पड़े।

वहां हड्डी विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, टैक्नीशियन की कमी है उसको माननीय मंत्रीजी पूरा करें। अंत में इस उम्मीद के साथ, हमारी सरकार ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया उसी के अनुरूप आज जो आवश्यकताएं हैं, जो संसाधनों की कमी है उसकी पूर्ति की आवश्यकता है उसके लिए भी माननीय मंत्रीजी बहुत कुछ करेंगे इसी उम्मीद के साथ आपने मुझे वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई इस कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत आभार।

मैं समझता हूं कि इस सदन में आज जो विराजे हुए माननीय सदस्य हैं उन सभी की इच्छा रहेगी कि हरैक गरीब व्यक्ति को अच्छी चिकित्सा, ग्रामीण क्षेत्र में जहां से वह आया है, जिस गांव का वह रहने वाला है, उसके आस-पास कस्बे में उसको मिल जाए, यह हम सभी सदस्यों की हार्दिक इच्छा रहती है। इस कटौती प्रस्ताव में हम अपनी राय आज दे रहे हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पिछले सवा दो साल के कार्यकाल में तीन बजट इन्होंने दिये हैं। शिक्षा, महिला और चिकित्साय पर इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि चिकित्सा की सुविधा में राजस्थान अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। पिछडेपन से निपटने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी ने मापदण्ड और कार्य पिछले दो-तीन साल में किये हैं उनको इस सदन के माध्यम से वास्तव में बधाई देनी चाहिये।

राजस्थान हैल्थ सिस्टम, विश्व बैंक के सहयोग से इन्होंने जो लोन लिया है और राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, जो भी उपखण्ड है वहां जो भी हास्पिटल हैं, किस तरह से उस हास्पिटल में अच्छी व्यवस्था, अच्छे

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

उपकरण, अच्छा इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा जाए उसके लिए इस सरकार ने 472 लाख रूपये का ऋण लिया है। यह जो निर्णय हमारे मुख्य मंत्रीजी, चिकित्सा मंत्रीजी ने लिया है यह राजस्थान के पूरे मेड़ीकल लेवल पर, पूरा इतिहास पलट देगा।

मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। बाली में सबसे बड़ा हास्पिटल है राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो 50 बैड का है उस हास्पिटल में भी इस स्कीम के तहत लगभग 65 लाख रूपये इस साल खर्च होंगे। इस प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, डाक्टर्स के रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी, उनके रहने के लिए क्वाटर्स बने। आपरेशन थियेटर नहीं है आपरेशन थियेटर बना और भी ऐसे कई उपकरण नहीं थे तो उपकरण लाये गये इससे यह फायदा हुआ कि जो ग्रामीण जनता है जिसे हमेशा छोटी सी पीड़ा को लेकर जोधपुर और पाली तक दौड़ना पड़ता है उसे वहीं सहायता मिल गई। उसका वहीं इलाज होना प्रारम्भ हुआ। जिला सम्भागीय मुख्यालय पर भीड़ कम हुई है। लोगों के पैसे का खर्चा भी कम आया है। वे सुबह से शाम अपने घर भी जा सकते हैं।

इसी प्रकार से 238 चिकित्सालय आपने चयन किये जैसे बाली, उसको अपग्रेड करने के लिए आपने जो बनाया है मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सही समय पर सुविधा देने के लिए राजस्थान हैल्थ सिस्टम लागू किया है। निश्चित रूप से हजारों गरीबों को इसका फायदा होगा।

दूसरी बात, मातृत्व और शिशु मृत्यु, अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें हमारी रेट, राजस्थान में काफी ज्यादा है। पिछले दो साल में जो प्रयास हमारी सरकार ने किये हैं, अभी हमारी सरकार ने पंचामृत अभियान लागू किया है उसमें बी.पी.एल. ऐसी गर्भवती महिलाओं का चयन होगा जो बी.पी.एल. है, उसके टीकाकरण से लेकर प्रसव तक उसकी पूरी जानकारी इस अभियान के तहत की जाएगी। उसके बाद उसके बच्चे के टीकाकरण को देखा जाएगा। उसकी हैल्थ सही रहे, उसके लिए जो भी विटामिन्स की कोई कमी हो तो उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। एक सम्बल परिवार सामने आये उसके प्रति भी इस योजना में उन्होंने ध्यान दिया।

इसके अलावा राजस्थान में पहली बार 'आशा' के नाम से जो आपने नियुक्ति दी है, मैं समझता हूं कि 18,000 आशाएं आपने नियुक्त की। उसका

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

यही है कि जब भी कोई औरत गर्भवती हो, उसके प्रसव से लेकर बाद तक उसका पूरा ध्यान, टीकाकरण से लेकर दवाइयों तक का ध्यान वह देगी। प्रतिमाह 700 रूपये उस आशा को मिलेगे। उसके बाद जो टीकाकरण करायेंगे उस पर भी उसे 700 रूपये प्रतिचाइल्ड पर उसको मिलेगा। आपने यह आशा लागू की है इससे मैं समझता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगातार मातृ शिशु मृत्यु हो रही है उसमें कमी आएगी। पिछले दो साल हमने जो इससे निश्चित रूप से, पहले तत्कालीन सरकार में जो रेट थी उसमें भी हम तुलना करें तो उसमें काफी फर्क भी आया होगा।

इसके अलावा आपने जो उप स्वास्थ्य केन्द्र पर ऐतिहासिक कदम लिया। आपने हर उप स्वास्थ्य केन्द्र पर ए.एन.एम. को दस हजार रूपये दिये। ऐसी कोई इमरजेंसी में, जहां अगर छोटे गांव, ढाणी में अगर कोई व्यवस्था नहीं हो, दवाइयां नहीं मिले तो उसको पैसे देकर उस व्यक्ति को, उसको पैसे देकर या दवाई उपलब्ध करा सके। अगर कोई ऐसी स्थिति में हो कि पैसे भी नहीं हो और वह दवाई भी नहीं ला सकती और अस्पताल में भी वह दवाई नहीं मिल रही है तो उसमें वह पैसे खर्च करके दवाई लाकर उसको दे दें ताकि उस समय उसका वह समय निकल जाए, यह मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जिससे हजारों ग्रामीण महिलाओं को और वहां पर चयनित परिवारों को बहुत ज्यादा फायदा मिला है।

(समय : 15:56 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा संजीवनी योजना हमारी मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी ने लागू की है। अगर आप गौर फरमाएंगे, यह उस क्षेत्र के लिए है जहां जनजाति क्षेत्र, मरूक्षेत्र है, जहां वास्तव में बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, जहां आवश्यकता है वहां वास्तव में आपने पूरा ध्यान दिया है। आपने डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के जितने भी विशेषज्ञ है उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में है वहां बुलाकर लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देना उनकी सलाह से, कोई बीमारी है और अगर वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं पहुंच सकता, सम्भागीय मुख्यालय पर नहीं पहुंच सके तो विशेषज्ञ वहां आकर उनको सेवा देकर, गरीबों को फायदा देने का आपने निर्णय लिया है यह भी बहुत ही अच्छा निर्णय आपने लिया है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

इसी प्रकार आपने जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मैं समझता हूं कि राजस्थान में 66 हजार राजकीय प्राथमिक विद्यालय है और सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का आपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है.....

मैं समझता हूं कि यह पूरे हिन्दुस्तान में एक अलग से निर्णय लिया गया है। एक छोटे से बच्चे को जो पहली कक्षा में पढ़ रहा है, हो सकता है कि गांव में उसको अच्छा खाने-पीने को नहीं मिले, उसका अच्छा न्यूट्रेशन नहीं हो तो कई बीमारी उसको शुरूआत में लग जाती हैं। उसको देखते हुए आपने जो प्रशिक्षण लागू किया, जो पत्र आपने वितरित किये उसके तहत लोगों को जो फायदा हुआ है। मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं, वह गरासिया, भील, अनुसूचित जाति बाहुल्य एरिया है, मैंने देखा है कि लोगों को, जिस आदमी की नजर बहुत कमजोर थी, उसको चश्मा लगाया गया, जिनके वास्तव में विटामिन की कमी थी, उनको विटामिन दिया जा रहा है। यह आपने जो कदम उठाया, यह भी बहुत सराहनीय कदम है। मैं मेरे क्षेत्र की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में आपने मेरे क्षेत्र में बेड़ा, जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र था, जो लगभग 1960 में खुला था, बेड़ा क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, आपने एक सामुदायिक केन्द्र में इसको क्रमोन्नत किया। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, परंतु मैं मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि आज वहां केवल एक डाक्टर ही है जबकि वहां 5 डाक्टर्स की पोस्टें हैं। इसमें जो आप डाक्टर्स लें उस टाइम इनको भरने की कोशिश करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करुंगा।

दूसरा, आपने जो चामडोली में एक पी.एच.सी. खोला है उसके लिये भी मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, फालना बहुत बड़ा कस्बा है और मैं समझता हूं कि एक इण्डस्ट्रियल टाउन भी है, हमारे क्षेत्र में, और हमारों लोग रोज कमाने के लिये आते हैं और दूर-दराज से आकर पूरे दिन वहां कमाकर शाम को घर लौटते हैं, एक बहुत बड़ा कस्बा है। वहां आज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की काफी आवश्यकता है, अगर इस पर आप गौर फरमाएंगे तो जैसे इस बजट में रखा गया है कि जन सहभागिता के आधार पर हम वहां खोलेंगे तो जितनी भी बिल्डिंग के जो एक्सपेंसेज हैं, या इन्फ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में जो भी पैसे लगेंगे, मैं निश्चित रूप से, हमारे जो प्रवासी दिल्ली या मुंबई में रहते हैं उनकी मदद लेकर मैं बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिये आपको जरुर इसमें मदद दिला सकता हूं। इस पर आप थोड़ा विचार करें।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

बाली में जो आज पुराना सामुदायिक केन्द्र है इसको सौ बैड में आप क्रमोन्नत करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे जिले में बाली में सबसे ज्यादा बी.पी.एल. परिवार हैं, आज हमारे बाली विधान सभा क्षेत्र में 11 हजार से ज्यादा बी.पी.एल. परिवार हैं। मैं समझता हूं कि पाली पहुंचना तो उनके लिये, दुर की बात है उनमें ऐसे कई परिवार हैं जो कि आज तक पाली देखा ही नहीं है। मैं आपसे यही अनुरोध करुंगा कि ऐसे लोगों को अगर लाभ मिल जाए चिकित्सा सुविधाओं के लिये, पाली कैसे जाते हैं उनको यह भी मालूम ही नहीं है। पहली बात तो पाली पहुंचने के लिये उनको काफी प्रयास करने पड़ते हैं तब तो उनके गांव से निकलकर वे बाली आते हैं और अगर वे पाली जाएं तो मैं समझता हूं इस बीच में उनकी हालत बहुत गम्भीर हो जाती है उनके परिवार को बहुत दुःख झेलना पड़ता है। इसलिये इस बाली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50-100 बैड में क्रमोन्नत करवाने में जरा आप मदद करवाएं, यह मेरा आपसे निवेदन है।

एक दूसरी बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है जो हमारे पूरे जिले में लगातार बढ़ती जा रही है, आज हमारे इस पूरे बाली में एड्स के मरीज बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमारे लोग ज्यादातर मुंबई, चैन्नई, पूना इस तरफ कमाने जाते हैं। वहां कमाने जाते हैं और वहां से इस बीमारी को लेकर आते हैं। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि जो लोग कमाने जाते हैं, जब वापस आते हैं तो बीमारी को लेकर आते हैं। कमाने के लिये वे जाते हैं तो कमाकर तो कुछ लाते नहीं है, उसके बदले इस बीमारी को लेकर आते हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ऐसे एड्स पेशेण्ट हैं उनको आप बी.पी.एल. की सूची में, अगर आप सम्मिलित कर लो, क्योंकि जब आदमी एड्स से इंफेक्टेड हो जाता है उसकी बाडी में जो इम्युनिटी पावर है, वह खतम हो जाती है। वह काम करने के लायक नहीं रहता है। जितने दिन निकलते हैं उसकी बाडी में जो इम्युनिटी है उसको हर छोटी सी बीमारी भी बहुत जल्दी लग जाती है। उसका परिवार जो उसकी वाइफ है उसके भी यही बीमारी रहती है। 2 साल, 3 साल होते हैं तो उसका शरीर दिन कटते-कटते एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है कि न तो कमाने के लिये उसके पास ताकत होती है न उसको कमाने ले जाने के लिये लोग-बाग़ तैयार होते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करुंगा कि अगर इनको बी.पी.एल. की सूची में आप शामिल कर लेते हैं तो यह आपके जहां भी डिविजनल हैड-क्वार्टर पर जहां भी इनको दवाइयां मिलती हैं, क्योंकि कमा तो

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

सकते नहीं वे और उनकी जिन्दगी ऐसे ही काटते हैं। दवाइयां भी इतनी महंगी आ रही हैं कि वे खरीद भी नहीं सकते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

और बी.पी.एल. की सूची में अगर आप शामिल करेंगे तो काफी जनों को इसका फायदा होगा और हम जो प्रयास कर रहे हैं कि गरीब व्यक्ति को चिकित्सा मिले, उसमें भी एक अच्छा कदम होगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): हमारा भी तो नम्बर है, बीच वालों का।

श्री सभापति: आप बैठिये। हां, आयेगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 पर चल रही चर्चा में बोलने का आपने मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

सभापति महोदय, राज्य के अन्दर स्वास्थ्य की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जो साधन और संसाधन जुटाये गये हैं, उन साधनों और संसाधनों का, डाक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग्स का सही रूप से इस्तेमाल नहीं होने के कारण ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्र के जो मरीज हैं वह समुचित इलाज के अभाव में भटकते रहते हैं। मेरा यह बात कहने के पीछे मकसद यह नहीं है कि मैं विपक्षी पार्टी का सदस्य हूं, मगर वह हकीकत है, जिस हकीकत को हम क्षेत्र में समय-समय पर आम जन से रुबरु होते हुए, दौरा करते हुए देखते हैं। वह हकीकत भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं।

डाक्टरों के पद जो सी.एच.सी. और पी.एच.सी. पर प्रावधान किये गये हैं, ए.एन.एम. जो लगाये गये हैं, कम्पाउण्डर्स लगाये गये हैं लेकिन मौके पर वहां कितने उपलब्ध रहते हैं, वास्तव में मरीजों को वे कितनी सुविधाएं दे पाते हैं, इसका आंकलन समय-समय पर मेरे ख्याल से माननीय मंत्रीजी करते रहे होंगे। मेरी जो जानकारी है, वह मैं आपको प्रेषित करना चाहता हूं और निवेदन

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

करना चाहता हूं कि आप कुछ और सुधार लाएंगे। सर्वप्रथम, मेरा इसमें निवेदन यही है कि आज सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे निजी क्षेत्र में चल रहे अस्पताल हों या सरकारी अस्पताल हों, इनमें आने वाले मरीजों को सही वातावरण में इलाज की सुविधा मिले। निजी अस्पतालों पर हम अंकुश लगायें कि वे जो टेस्ट के नाम पर ले रहे हैं, भर्ती के नाम पर ले रहे हैं, आपरेशन के नाम पर ले रहे हैं उसके साथ-साथ हमारे सरकारी अस्पतालों में जो डाक्टर्स की तनख्वाह पर भारी पैसा खर्च किया जा रहा है, जो पैरा मेडिकल स्टाफ वहां पर डेप्युट किया गया है, उसकी तनख्वाह पर भारी पैसा खर्च किया जा रहा है और दवाओं की उपलब्धता कराने के नाम पर जो राज्य सरकार का करोड़ों रुपये का बजट है उस बजट का सही उपयोग हो। आज डाक्टर्स पी.एच.सी. में उपलब्ध नहीं होते और उपलब्ध होते भी हैं तो एक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई डाक्टर तो अपना ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में डेपुटेशन करवा लेता है, किसी डाक्टर की तनख्वाह किसी पी.एच.सी. के नाम पर उठती है और वह किसी सैटेलाइट हास्पिटल के अन्दर अपना समय व्यतीत कर रहा होता है तो यह सब जो व्यवस्थाएं हम करते हैं, यह व्यवस्थाएं आम-जन को पीड़ा पहुंचाने में एक कदम अपना आगे बढ़ा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की सी.एच.सी. लूणकरणसर, सी.एच.सी. नापासर और सी.एच.सी. खाजूवाला, सी.एच.सी. को स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि नजदीकी शहर के जो बड़े अस्पताल हैं उन पर पेशेंण्ट्स को नहीं जाना पड़े और वहां पर उनके माकूल इलाज की व्यवस्था हो। लूणकरणसर की हम सी.एच.सी. की बात करते हैं तो वहां पर पद तो आपने स्वीकृत किये। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को, क्योंकि इनकी यह नाराजगी थी कि धन्यवाद नहीं दिया जाता, तो धन्यवाद इस बात का कि आपने एक एनस्थेस्टिक की पोस्ट को वहां क्रियेट किया, मैंने पिछली बार जो आपसे मांग की थी। लेकिन धन्यवाद देने के साथ में मंत्री महोदय वह वहां पर उपस्थित हो तो उस धन्यवाद का मजा है और डाक्टर की पोस्टिंग का मजा है। पोस्ट तो कर दिया गया लेकिन डाक्टर का कहीं दूर-दूर तक पता नहीं है। इसके साथ-साथ आपने डाक्टर वहां पर लगा दिये। एक पेडिएट्रिक की पोस्ट के दो जी.एस. वहां पर है, गायनी के अन्दर दो जी.एस. वहां पर हैं, उसके अलावा आपने एस.एम.ओ. वहां पर दे दिया, एम.ओ. एक भी नहीं है। 30 बैड हास्पिटल नाम दे दिया।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

पैरामेडिकल स्टाफ कुछ पता नहीं। अब अगर वहां पर डाक्टर मरीज को भर्ती करें तो किसके बूते पर भर्ती करें ? रात को मरीज के पास कौन रहेगा। उसकी रात को देखरेख कौन करेगा ? यह एक समस्या खड़ी हो जाती है। मेरे कई साथी मांग कर रहे थे कि हमारे अस्पातल की बैड संख्या 30 से 50 और 50 से 100 कर दी जाए और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने तो अपने जिले के अन्दर 500 बैड का अस्पताली वहां पर बना लिया। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): 300 का 500 कर दिया आपने। ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): चलिये 300 सही।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इतना तो असत्य मत बोलो, दो सौ का असत्य। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान नहीं करें। ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मैं इस मांग को अगर यहां पर करूं कि मेरे क्षेत्र की सी.एस.सी. के अन्दर बैड क्षमता को बढ़ाया जाए तो वह मांग करने से पहले मैं वह स्थिति देखता हूं कि वहां पर इन्डोर पेशेंट की सुविधा तो एक की भी नहीं है तो बैड बढ़वाकर क्या करेंगे?

माननीय मंत्री महोदय से यही मांग करूंगा कि पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर आप उपलब्ध कराएं जिससे वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को वहां पर इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध करा पाये। डाक्टर्स का ठहराव वहां पर हो। रात्रि में वह वहां पर ही रुके, जिससे उनको वहां पर पोस्ट करने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। सी.एच.सी. नापासर की स्थिति यह है कि महज शहर से 27 किलोमीटर दूर है और उसके आसपास अनेकों बड़े गांव हैं। उन गांवों के मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सी.एच.सी. नापासर की वहां पर व्यवस्था की और हालत यह है कि एक शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अभी, विराजमान नहीं है, यहां पर, वे बयान कर रहे थे कि वह स्थिति वहां पर है, निश्चित रूप से वहां पर चौपाये तो उस अस्पताल परिसर के अन्दर उपलब्ध रहते हैं और वह जो मानव है, उनके इलाज की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है और डाक्टर दूर-दूर तक नजर नहीं आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

जो इलाज के अन्दर एक दौहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है। हम एक बी.पी.एल. पेशेंट का इलाज करने की बात करते हैं और उसको हम नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराने की बात करते हैं। आम जन को भी हम इलाज कराने की बात करते हैं। जब तक हम इस बात की गहराई में नहीं जाएंगे कि राजकीय अस्पतालों में जो व्यक्ति इलाज के लिए आ रहे हैं उसको एक समुचित वातावरण में इलाज की सुविधा मुहैया करवाये और बी.पी.एल. परिवार को हम प्राथमिकता से नि:शुल्क इलाज उपलब्ध करवाये। उसके साथ अन्य आने वाले मरीजों को भी अगर हम उसी पी.एस.सी. और उसी सी.एच.सी. या उसी हास्पिटल के अन्दर प्रेस्क्रप्शन लिखने के साथ-साथ में अगर दवा भी उपलब्ध करवाये तो इसमें कौनसी समस्या सामने आ रही है? मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मेडिकल कालेजेज से रिलेटेड जो हास्पिटल है, उन हास्पिटल के अन्दर आपने और व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। कई स्थानीय स्तर पर वहां पर जो डाक्टर्स हैं, चाहे वह प्रिंसिपल मेडिकल कालेज रहे हो, उन्होंने भी अपने अथक प्रयासों से उन अस्पतालों में कई ऐसे दानदाताओं को अपने साथ जोड़कर अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा लेकिन मेरा यह निवेदन है कि अगर हम हर आने वाले व्यक्ति को वहां वही दवा उसी अस्पताल परिसर में उपलब्ध कराते हैं तो एक और तो उसको गुणवत्ता से भरी दवा मिलेगी। बाजार में वह 17 दुकानों में भटक रहा है और एक दवा हो सकती है कि दस रुपये की हो, उसको बाजार में वह सौ रुपये में खरीद रहा है। उसको अगर वहां पर डाक्टर एक स्टेण्डर्ड की मेडिसन लिखे और उस मेडिसन को अस्पातल में उपलब्ध कराया जाए।

इसके साथ-साथ दूसरा मेरा निवेदन है कि हम वैसे तो बात करें वह कितनी भी करें, वह अन्तहीन है। आज यह वक्त आ गया है कि हम यह तय करें कि हमें एक तो खुश करना है हमारे मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों को या हमें उनसे सेवाएं लेनी हैं? आज एम्स का उदाहरण ले लीजिए। माननीय सभापति महोदय, वहां पर कोई डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस करने के लिए अलाउड नहीं है और एम्स का जो इलाज का स्टेण्डर्ड है वह सारा हिन्दुस्तान जानता है कि वह कितना उच्च कोटि का है। क्यों नहीं हम यह व्यवस्था हमारे राज्य में भी लागू करते कि राजकीय सेवारत हर डाक्टर, कम्पाउण्डर और उसकी अधीनस्थ स्टाफ की प्राइवेट प्रेक्टिस को बेन किया जाए और हम उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करायें। उनको आप किसी भी तरीके से और अलाउंस दे दीजिए लेकिन उसको बराये महेरबानी आप वास्तव में गरीब का इलाज

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

करना चाहते हैं, आप वास्तव में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अन्दर एक सही वातावरण देना चाहते हैं तो आप इस प्राइवेट प्रेक्टिस को बंद करवायें। यह बंद होते ही आपका अस्पताल का वातावरण सुधर जाएगा। आदि शिकायतों का समापन हो जाएगा। आज जितनी भीड़ डाक्टर की आउटडोर में वहां पर होती है, ठीक उतनी ही भीड़ ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अगर आपको ध्यान हो माननीय सदस्य, तो आपकी सरकार ने एक बार प्रेक्टिस बेन करने का प्रावधान किया था और उसके बाद दुबारा क्यों शुरू हुई यह भी शायद आपकी जानकारी में होगा। इसको बेन करना इतना आसान काम नहीं है और पहले जब-जब भी प्रयास किये गये इसमें सफलता मिली नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आपका फरमाना सही है मंत्री महोदय, आपने मेरी बात को नोटिस किया इसके लिए धन्यवाद लेकिन मैंने आपको यही निवेदन किया तो हम उनको खुश कर लें या हम इलाज की व्यवस्था कायम कर लें। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, क्या उनकी अच्छाइयां रही, क्या उनकी बुराइयां रही मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। हम आज के वातावरण की बात कर रहे हैं। जब राजकीय सेवा में कोई व्यक्ति आया है आगे बढ़कर वह अपनी सेवा दे रहा है और उस सेवा का पारिश्रमिक राज द्वारा चुकाया जा रहा है तो फिर यह प्राइवेट प्रेक्टिस वर्ड कहां आ जाता है? यह सत्य है कि आज अस्पतालों के आउटडोर का समय होने के बाद डाक्टर के घर पर जो भीड़ लगती है उस भीड़ से आप नावाकिफ हो, यह मैं नहीं मानता। कुछ तो ऐसे डाक्टर्स हैं लाइक हम डेंटिस्ट लेते हैं, डेंटिस्ट तो मेरे ख्याल में जहां-जहां पर भी पोस्टेड हैं, कोई भी अस्पताल में इलाज नहीं करता। सबके घर पर ही चेयर है। वहां पर वह पेशेंट को सिम्प्ली घर का एड्रेस बेशक बताना चाहते हैं । इसी तरीके से हम आथोलॉजी को भी ले लें, उसके अन्दर भी यही स्थिति है। आज मेरा निवेदन है कि इन व्यवस्थाओं को देखें। मुख्य रूप से हम इस इलाज की बात को देखें । उसके साथ-साथ हम अपने क्षेत्र की मांग को भी देखें।

आज मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर स्थान-स्थान पर जो डाक्टर्स आपने अपाइंट किये हैं, उसके साथ गायनोकलोजिस्ट भी वहां पर हो। पी.एच.सी. में आपने जो व्यवस्था की है उन व्यवस्थाओं को आप बढ़ायें।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

छत्तरगढ़ तहसील मुख्यालय की बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि लम्बे समय से वहां पर मांग चल रही है कि एक डाक्टर है, एक महिला चिकित्सक वहां पर हो, इस मांग के ऊपर आप गौर फरमायें, मैं यह कहना चाहूंगा।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इन पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं और अनेकों लोग महज इलाज के अभाव में अकाल मौत के शिकार होते हैं। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्राथमिकता से अपने अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम हर वर्ष हजारों लोगों के जीवन को बचा पाएंगे। इसी क्रम में मैं उदाहरण देना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कस्बे महाजन का, वह एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अन्दर बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं अगर उस अस्पताल में भी हम पी.एच.सी. को क्रमोन्नत करके सी.एच.सी. बनायें और वहां पर आर्थोपेडिक और सर्जरी के डाक्टर इन सबको अपाइंट करें तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी व्यवस्था वहां पर बनकर सामने आएगी। सामने ही महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जो अपने आप में सेना की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार मैं खाजूवाला जो सीमांत क्षेत्र में स्थित है, वहां पर डाक्टर्स के पद तो बहुत हैं लेकिन किसी डाक्टर का पता लगता है कि डाक्टर की पोस्टिंग तो वहां पर है लेकिन हमारे माननीय विधायक अभी विराजमान नहीं है, किसी डाक्टर को तो डूंगरगढ़ में पदस्थापित कर दिया गया है और किसी डूंगरगढ़ वाले डाक्टर की तनख्वाह वहां पर उठ रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। हम उन अस्पतालों की कल्पना क्या करें, स्वीपर की सुविधा नहीं है। अगर डाक्टर कहीं पर सेवा देना चाहते हैं तो, अगर कहीं पर उसने अपने आपरेशन थियेटर को कायम भी कर रखा है और ऑपरेशन की सुविधा भी है तो उसके बाद उसको क्लिन करने की व्यवस्था का कोई इन्तजाम नहीं है।

मेरा सार में निवेदन यह है मंत्री महोदय, कि आप बड़ी गहराई के साथ समस्याओं का समाधान करने में अपनी जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हम कुछ इन बातों पर गौर फरमायें और प्राथमिकता से एक यह प्राइवेट प्रेक्टिस पर अगर बेन करने के ऊपर आप कोई कदम उठाएंगे तो धन्यवाद के पात्र होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): बीच वालों को बड़ी मुश्किल से समय दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा पर मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिया था उसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा।

मोटे रूप में चिकित्सा विभाग के अंदर दो-सवा दो वर्ष के कार्यकाल के अंदर काफी कुछ सुधार हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चिकित्सा के हर मामले में सुधार करने का प्रयास किया गया है। चाहे जांच की मशीन की बात हो, चाहे बी.पी.एल. के इलाज की बात हो, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी की बात हो, हर क्षेत्र में चिकित्सा विभाग ने, सरकार ने उपलब्धि हासिल की है, इसमें जितनी तारीफ की जाये, उतनी कम है। मोटे रूप में जितना साधन प्रान्त की जो वित्तीय स्थिति है, उस हिसाब से अगर पूर्व के कार्यकाल को देखा जाये तो बहुत कुछ सुधार हुआ है। सभापति महोदय, गांव से लेकर ढाणी तक चिकित्सा विभाग ने जनता की सार-संभाल की है। एक बात तो मुझे पता है आपका हाथ घंटी पर है, मैं विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा पर मोटे रूप में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से आपने राज संभाला है तब से राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य की सार-संभाल की है चाहे किसी रूप में की हो।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने काफी कुछ सुधार कर लिया पर एक चीज का सुधार ना तो पहले हो पाया, न आज हुआ है। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में कितने ही उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलें, कितनी पी.एच.सी. खोल दें जब तक डाक्टर, नर्स, कम्पाउंडर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहेंगे तब तक प्राइवेट डाक्टरों को हम गांवों से या शहरों से उखाड़ फेंकें, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि हम इस चीज में कामयाबी हासिल कर लेंगे। सभापति महोदय, रिकार्ड के अंदर डॉक्टर पी.एच.सी. में लगा हुआ है पर डाक्टर एक एक महीने तक गांव में जाता नहीं है। हाजिरी रजिस्टर में 15-20 दिन बाद आकर वह साइन कर देता है और हाजिरी करने के पीछे स्वास्थ्य विभाग इस बात से भी भली-भॉति परिचित है कि सी.एम.एच.ओ. अगर वह सख्त हो, अगर वह मौके पर छापे मारे, गांवों में निरीक्षण करे तो उनकी मर्जी के बिना छुट्टी लिये बिना कोई भी नर्स, कम्पाउंडर, डॉक्टर गैर-हाजिर नहीं रह सकता। सभापति महोदय, मेरा

(श्री रामप्रताप कासनिया)

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि अगर आपने स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण जनता की सेवा करनी है तो आप एक चीज का संकल्प लें कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कम्पाउंडर, नर्स, डाक्टर की, जिनकी भी पोस्टिंग हैं, वह गैर-हाजिर नहीं रहने चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं एक सुझाव यह भी देना चाहूंगा कि विधायक, जिला प्रमुख या प्रधान को किसी भी को आप यह छूट दे दें, नियमों में कोई प्रावधान देदें कि कोई भी जन-प्रतिनिधि जायेगा तो उसको गैर-हाजिरी लगाने की पॉवर होगी तो इससे भी इसमें काफी सुधार हो सकता है।

सभापति महोदय, सफाई के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जगह पर हम रहते हैं, एम.एल.ए.क्वार्टर के अंदर रहते हैं उस ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हजारों-लाखों रूपये की दवा हर हफ्ते सरकार की खर्च हो रही है उसके बावजूद भी मच्छरों की भरमार है। हमारे ही क्वार्टरों की यह हालत है तो दूसरी जगह तो आप स्वयं अदांज लगा लें। इसी तरीके से चाहे छोटी नगर पालिकाएं हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। मच्छरों की जो भरमार है उससे अनेक प्रकार की बीमारियां, मलेरिया फैलता है, इसकी रोकथाम करने का भी आपको प्रयास करना चाहिये। मैं कोई यह नहीं कह रहा हूं कि यह कोई मच्छर अभी पैदा हो गये, मच्छर बहुत पुराने पैदा हुए हैं, पर इन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है इसके अलावा सभापति महोदय, मैं आपको एक ओर निवेदन करना चाहूंगा। मैंने खुद देखा है कई बार हमारे क्वार्टरों पर दवाई छिड़कवाने का प्रयास किया तो मिट्टी का तेल, प्योरली मिट्टी का तेल, मैंने स्वयं देखा है दवाई के अंदर, जो मच्छरों के छिड़काव के अंदर लाये, उसमें मिट्टी का तेल है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: वह तो दवाई से मंहगा है।

श्री रामप्रताप कासनिया: मुझे पता नहीं दवाई से महंगा होगा पर मिट्टी का तेल नहीं हो उस दवाई में तो मेरे पास सैम्पल भी पड़ा है।

श्री सभापति: आप तो काम की बात करो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिये कह दूं यह घर में अपन फिनिट वगैरह करते हैं तो यह भी मिट्टी के तेल में मिलाया जाता है तो मिट्टी के तेल के बिना तो बन ही नहीं सकता।

(श्री दिगम्बर सिंह)

आप उसको पी मत जाना, यह मिलावट वाला मामला नहीं है। यह तो मच्छरों के लिये है, इसके लिये आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। ..(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी: एम.एल.ए. को तो मच्छरों से बचाओ। ..(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: मंत्री महोदय, अभी अख़बार में पढ़ा था कि जब डी.डी.टी. का बैग खोला तो उसमें जिंदा मच्छर निकले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मच्छर यह कह रहे हैं कि एम.एल.ए. से बचाओ। ..(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह: आपकी जानकारी के लिये मैं एक और बाता बता दूं कि यह डी.डी.टी. कभी राज्य स्तर पर नहीं खरीदी जाती। यह आपकी सरकार बनी है तो ऐसा तो नहीं है कि डी.डी.टी. की जगह कुछ और ही सप्लाई करना शुरू कर दिया हो, एक बार जांच कर लेना।

श्री रामप्रताप कासनिया: सभापति महोदय, इसके साथ मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पद रिक्त पड़े हैं नर्सों के, डॉक्टरों के, कम्पाउंडरों के वह भी भरे जायें। ..(व्यवधान) जहां नर्स होगी वहां नर्स लगेगी, जहां कम्पांउडर होंगे, वहां कम्पाउंडर लगेंगे।

श्री सभापतिः आप वाइंड-अप करें।

श्री रामप्रताप कासनिया: अभी तो कुछ बोलना ही शुरू नहीं किया। हमारा दल 20 आदमियों का है। हमने बजट में भी टाइम नहीं लिया।

श्री सभापतिः आपको दस मिनट हो गये हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया: सभापति महोदय, इसके साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पीलीबंगा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर खोतावाली गांव और डाबा गांव में पी.एच.सी. मंजूर हुए दस-दस वर्ष हो गये, लेकिन वहां भवन नहीं है और भवन का निर्माण होना चाहिये। दोनों ही गांवों में भवन बनाने की निहायत जरूरत है, आप इस तरफ ध्यान देंगे, ऐसा मेरा मानना है।

सभापति महोदय, इसके साथ – साथ परिवार नियोजन के बारे में इस सदन में हर माननीय सदस्य चर्चा कर रहा है। मेरा आपके माध्यम से पूरे सदन से यह निवेदन है कि जब तक इस प्रदेश में, इस प्रान्त में पक्ष-विपक्ष मिलकर एक बच्चे का प्रावधान नियमों में नहीं होगा, तब तक चाहे हम कितना ही कुछ कर दें, काम नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पांच-पांच बच्चे,

(श्री रामप्रताप कासनिया)

तीन-तीन बच्चे एक साथ पैदा हो रहे हैं तो परिवार नियोजन बहुत निहायत जरूरी है। इस देश का, इस प्रान्त का भला अगर करना है चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. हो, चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, जब तक हम जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी रूप में सफल नहीं हो पायेंगे, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे और कोई विभाग हो, मोटी बात यह है कि जनसंख्या पर कंट्रोल करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, कहावत है कि फाड़ते नै सींड़तो कठे नावड़ै, कोई आदमी कपड़ो पेर कर और एकदम इयां फाड़ दे तो बीनै सींड आळो कठे नावड़े। दस व्यक्तियों की हम व्यवस्था करते हैं और पचास व्यक्ति और पैदा हो जाते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से ही निवेदन है कि जहां तक प्राइवेट डाक्टरों पर पाबंदी लगाने की बात है, जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं करायेंगे, प्राथमिक उपचार की जो सेवा है वह हर गांव में जब तक हम उपलब्ध नहीं करवा दें तब तक हम इन पर रोक नहीं लगा सकते। प्राइवेट डाक्टर सभी कोई बेकार हों, ऐसा मेरा मानना नहीं है और आप सब भी जानते हो कुछ लोग इनमें ऐसे जरूर हैं।

एक कहावत है, थोड़ा समय का अभाव है, अगर आप अनुमति दें तो निवेदन करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में कोई एक पशुओं का डाक्टर थैला लेकर घूम रहा था, उसके साथ एक थैला उठाने वाला कम्पाउडर था। तो एक ऊंट बीमार था, ऊंट के गले में तुम्बा फस गया। बागड़ी ही आण द्यू मैं, हिन्दी ठीक कोनी लागे। तुम्बो फस ग्यो ऊंट कै गळा मैं तो डाक्टर साब देखकै और बोल्यो, ऊंट खटे चर्यो हो? क, के ठा जी, खेतां मैं गयोड़ो हो। बोल्यो, तुम्बा कै खेत मैं चर्यो हो के, जणा बो धणी बोल्यो कि चर सकै है खेत मैं। तो बणनै डाक्टर पकड़ के इयां रड़कारै मुक्को मार्यो, बो तुम्बो नीचे गयो। तो झोळो चकणे आळो हो बो देख्यो डाक्टरी करनै मैं तो इत्तो ही काम है, बस ओ ही है इलाज। बो नुस्खो चक के और झोलो लेकर गांव-गांव फिरन लाग ग्यो कि मैं डाक्टर, मैं डाक्टर, इलाज करा ल्यो। इयां कोनी कयो मैं पशुआं को इलाज करूं हूं। कोई कै बूडळी बीमार ही, कंठा मैं गांठ ही तो कै, आओ बैदजी, म्हारे घरें, मा बीमार है देखो। तो मा नै देखण लाग्यो जणा बो इयां कर के औरे अठे बा गांठ ही, कै बूडळी, तुम्बा कै खेत मैं चरी ही के? कै तेरो रब नीकल्यो है,

(श्री रामप्रताप कासनिया)

डाक्टर है कै तु जानवर है, खेत मैं कदी बूडली तुम्बा चरा करे है। कै थारे क्यूंही कोनी लागै, ओ टूणों है, इयां की इयां ही कै दियो लारै। मैं बोलूं नै कि तुम्बा कै खेत मैं चरी ही के, थे कह दियो कि चरी ही। तो बा आ बात कै दी। पण अयां रड़का कै और मुक्को मार्यो, बूडळी मरगी। तो मरने कै बाद मैं बीकी खूब पिटाई करी और पिटाई कर के, पहले आग गोबर की हांडी ले जावता, आग तिल्लाऊं कोनी लगावता, बीनै पीट के और बा हांडी बीका मोडा पर चका दी तो मोडो बीको बळग्यो। बो हांडी छोडै, जब तो बे लठ कन्ने राखै, बोले जानऊं मार देंगा नीचे रख दियो तो ठीक कोनी है। तो बीको मोडो बळग्यो, दूसरे बो गांव मैं झोलो लेकर फेर फिरै, में बैद, मैं बैद। आ लम्बी कहानी है, मनै ठा है सदन आ बात जयादा...

श्री सभापतिः माननीय श्री बीरूसिंहजी राठौड़।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कुल-मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह के जो डाक्टर दो-चार महीने सीख कर के अपने आप को डाक्टर साबित करते हैं वो नुकसान करता है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): सभापति महोदय, मांग संख्या-26 पर बोलने का आपने मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। वैसे तो मेरा विधान सभा क्षेत्र, बनीपार्क मतदाताओं के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। पांच लाख आठ हजार मतदाता हैं इसके अन्दर, नगर निगम के 70 में से 20 वार्ड हैं, लगभग दस हजार कॉलोनी, 30 कच्ची बस्ती, 12 गांव और चालिसों ढाणी है। जयपुर का लगभग चालीस परसेंट इलाका मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। आज की तारीख में मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपका पूरा एस.एम.एस.आता है, आपका महिला चिकित्सालय, सांगानेर आता है, लगभग 22 आपकी डिस्पेंसरीज हैं, 15 इसके अन्दर आयुर्वेदिक हैं, 6 के आस-पास होम्योपैथी हैं, जयपुरिया अस्पताल है। तुलनात्मक रूप से अगर इसका पूरा सर्वे किया जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में काफी कमियां मेरे को देखने को मिल रही हैं फिर भी मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करता हूं, आप नाराज नहों। माननीय घनश्यामजी के प्रयास से, माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से एस.एम.एस. का पिछले 50 साल में जितना काम नहीं हुआ है, करोड़ों का

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

काम आज की तारीख में एस.एम.एस.में चल रहा है और माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के प्रयास से एक नया अस्पताल भी मेरे वार्ड नम्बर 13 में मानसरोवर के अन्दर खोल दिया गया है, उसका काम आपका जल्दी ही चालू हो जायेगा।

चिकित्सा मंत्रीजी, मैं इसका भी आभार व्यक्त करूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र है उसका वार्ड नम्बर 20 है, उसमें बरकत नगर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है उसको आपने 'ए' श्रेणी में बढ़ा दिया है, काम भी चालू हो गया था, आपका सहयोग करते हुए उसका विकास करने के लिए मैंने विधायक कोटे से पांच लाख 60 हजार जारी कर दिये हैं, उसका काम जल्दी चालू हो जायेगा आपका।

मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र को तीन पार्ट में बांट रखा है। पहला झोटवाड़ा क्षेत्र है जो कि आज की तारीख में उप नगर के रूप में विकसित हो चुका है और मेरे जितने भी कांग्रेसी मित्र हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि परम आदरणीय इन्दिरा गांधी आपकी प्रेरणा की स्रोत रही हैं, उनको प्रणाम करना चाहूंगा, अब स्वर्गीय हो गयी हैं, 19.11.1985 को वहां पर सैटेलाइट का उदघाटन किया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हीरालाल देवपुरा और जब उन्होंने उद्घाटन किया तो चिकित्सा मंत्री थे, यह फोटो मेरे पास है, पिछले 21 साल से यह सैटेलाइट बना नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय सदस्य, करेक्ट कर लें, उद्घाटन नहीं शिलान्यास किया होगा।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): शिलान्यास, उद्घाटन, भूमि पूजन, मैंने तो नाम लिखा नहीं है, आप दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी से सर्वे करवा लें, वहां पर आज पत्थर लगा हुआ है और मेरे को चिंता है कि कोई पत्थर नहीं उखाड़ कर ले जाए, उसकी सुरक्षा के लिए मुझे पूरी व्यवस्था करनी पड़ रही है।

यह सैटेलाइट अगर पूरा डवलप हो जाता है तो एस.एम.एस. पर मरीजों का जितना भी दबाव है वह कम हो जायेगा। यह बिलकुल हमारे सेंटर में है जैसे आपका आमेर विधान सभा क्षेत्र का वार्ड नम्बर दो और वार्ड नम्बर 70, इसी प्रकार से किशनपोल विधान सभा क्षेत्र का वार्ड नम्बर 68 और 69 और विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क का वार्ड नम्बर एक, वार्ड नम्बर तीन, चार, पांच, वार्ड नम्बर सात, आठ, वार्ड नम्बर नौ और दस, ऐसे लगभग 12 वार्ड

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

इसमें कवर होते हैं और आज ढाई से तीन लाख की आबादी है इसलिए चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, मैं पिछले दो साल से प्रयास कर रहा हूं, और इसका मैंने 295 भी लिख कर दे दिया है। मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी दिया है। चिकित्सा मंत्रीजी को भी दिया है। अगर यहां पर सैटेलाइट अस्पताल बना दिया जाए तो मेरी आधी समस्या का समाधान हो जायेगा।

इसके अलावा मेरा वार्ड नम्बर तीन है जहां पृथ्वीराज नगर के नाम से एक पूरी स्कीम वहां पर कटी हुई है। लगभग ग्यारह हजार बीघा के अन्दर है। वहां पर नेशनल हाई-वे का पूरा रोड बना हुआ है। आधे भाग में तो आपका वैशाली नगर आता है और आधा भाग है उसके अन्दर आपका पृथ्वीराज नगर आता है। उसमें लगभाग 600 कालोनियां हैं, अगर वहां पर चिकित्सालय खोल दिया जाए तो उसके आधार पर भी एस.एम.एस.के ऊपर काफी आपका दबाव कम हो जायेगा।

इसी प्रकार एक मेरे क्षेत्र है महेश नगर। महेश नगर के अन्दर भी मेरे वार्ड नम्बर 11, वार्ड नम्बर 14 और वार्ड नम्बर 15 हैं, इसकी भी लगभग डेढ़ लाख की आबादी है। लगभग बाइस सौ वर्ग गज की वहां पर जमीन खाली है, कुछ बांग्लादेशी ने वहां पर कब्जा कर रखा है, उस जमीन को खाली करा कर अगर यहां पर भी एक अस्पताल खोल दिया जाए तो उसके आधार पर भी हमारा एस.एम.एस. पर दबाव काफी कम हो सकता है।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो जयपुरिया अस्पताल है, उसको अगर जिला अस्पताल घोषित कर दिया जाए तो एस.एम.एस. पर काफी दबाव कम हो सकता है। इससे जितना हमारा इलाका कवर होता है, जैसे सांगानेर का काफी इलाका इसमें कवर होता है, दुर्गापुरा का काफी इलाका इसमें कवर होता है, मालवीय नगर का काफी इलाका कवर होता है और टोंक फाटक का काफी इलाका कवर होता है। अगर इसको जिला अस्पताल घोषित कर दिया जाए तो एस.एम.एस.पर आपका काफी दबाव कम हो सकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो 30 कच्ची बस्तियां है। मेरा निवेदन है कि उन 30 कच्ची बस्तियों के अन्दर अगर एक मां ने बच्चे को जन्म दिया होगा और मेरी स्पष्ट धारणा है कि इस संसार का जो सबसे पवित्र शब्द है उसको मैं 'मां' के नाम से पुकारता हूं और 'मां' का मतलब होता है समर्पण की पराकाष्ठा। उस कच्ची बस्ती में जो मां रहने वाली है उनके बच्चों का इलाज ठीक प्रकार से कैसे हो इसके लिए भी सरकार को अलग से योजना

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

बनानी चाहिए और मेरा तो यह सुझाव है कि दो महीने में, तीन महीने में, चार महीने में अगर वहां कैम्प लगाया जाए तो जो बिलकुल गरीब मां है, जो कच्ची बस्ती में रहती है उसके बच्चों को भी ठीक प्रकार से हम व्यवस्था कर सकते हैं।

एक सुझाव मेरा और भी देना चाहूंगा आपको कि वर्तमान समय के अन्दर हम पर्यावरण की बात करते हैं, मेरा तो ऐसा सुझाव है सरकार से कि राजस्थान में जितने भी अस्पताल हैं, जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं अगर उनके कैम्पस में दो प्रकार के पेड़ों को लगा दिया जाए तो आपको विदेशों से आक्सीजन आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक पौधा तुलसी को बताया गया है और तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कि चौबीस घंटे आक्सीजन देता है। इसी प्रकार पीपल का पेड़ है वह भी चौबीस घंटे आक्सीजन देता है । अभी जर्मनी के अन्दर एक शोध हुआ है कि तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा उसके आस-पास के सात किलोमीटर के इलाके को शुद्ध करता है । इसलिए मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसमें ज्यादा ...

(समय:16.40 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

आपके पैसे भी नहीं लगेंगे अगर अस्पताल के कैम्प्स के अन्दर तुलसी और पीपल के पेड़ लगा दिए जाएं तो आपकी काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाकी डिमांड्स मैं लिखित में चिकित्सा मंत्रीजी को दे दूंगा। समय का अभाव है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, भारत माता की जय।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती वंदना मीणा।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 के तहत मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दो साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य के बारे में जो सरकार ने काम किया है वह तारीफ के काबिल है और उसके साथ-साथ शिक्षा का भी जो काम बच्चों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य के बारे में किया है उसके लिए भी सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में चिकित्सा संबंधी कुछ समस्याएं बताना चाहूंगी।

(श्रीमती वन्दना मीणा)

मेरी विधान सभा में मात्र एक सैटेलाइट हास्पिटल है । हिरण-मगरी उदयपुर में करीबन दो लाख की आबादी है और उसके साथ-साथ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। नगरपरिषद के 18 वार्ड हैं परन्तु वहां समस्या है । मैं चाहती हूं कि यह सैटेलाइट बनने के बाद न तो वहां एक्स- रे मशीन है, न एम्बुलैंस है, न किसी प्रकार के उपकरण हैं न जाने क्यों माननीय मंत्रीजी ने इस बारे में देख-रेख नहीं की।

श्री अध्यक्ष: कांग्रेस पार्टी को तो कोई रुचि नहीं है क्या, ऐसा लग रहा है कोई रुचि नहीं है।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सैटेलाइट हास्पिटल में अभी नगरपरिषद द्वारा पच्चीस लाख की एक्स-रे मशीन दी गयी है और मेरे विधायक फण्ड से एम्बुलैंस के लिए भी मैंने बजट दिया है लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि दो लाख की आबादी के बीच में इतना बड़ा हास्पिटल है और उदयपुर जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। महाराणा भोपाल हास्पिटल के बाद सैकिण्ड नम्बर सेटेलाइट हिरण मगरी आता है। महाराणा भोपाल में मरीज जब बहुत ज्यादा होते हैं और उसके बाद दूसरे नम्बर पर सैटेलाइट आता है। यहां सारे उपकरणों की व्यवस्था की सुविधा हो जाए ताकि आधे मरीज इधर आ जाएं और उनको राहत मिले । इसके साथ यहां पोस्ट का भी अभाव है, कई पद खाली भी हैं उनको नितान्त रूप से भरा जाना चाहिए। दन्त चिकित्सक नहीं है, नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है, नर्सिंग अधीक्षक प्रथम व नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय भी नहीं है और स्वीपर्स भी नहीं हैं, रेडियोग्राफर भी नहीं हैं । इसी तरह काफी पद खाली हैं उनको भी भरा जावे और इस हास्पिटल को राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजक्ट में लिया जावे यह मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है ।

मेरे विधान सभा में दो पंचायत समिति हैं गिर्वा और बडगांव। बडगांव में भी एक पी.एच.सी. के लिए पूर्व में माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था, गिर्वा पंचायत में एक पी.एच.सी. खोला जाए, वहां पर करीबन दस हजार की आबादी है और वहां से नाथद्वारा उदयपुर हाई-वे-रोड निकलता है । ऐसी स्थिति में जब कोई दुर्घटना होती है और गंभीर हालत में उदयपुर हास्पिटल में लाना पड़ता है अगर वहां एक पी.एच.सी. भी खुल जाए तो तुरन्त उसी वक्त ऐसी घटना हो, उस समय राहत मिल जाए। उसके साथ-साथ गोरधन विला जो वार्ड सात है वहां भी पांच पंचायतें आस-पास पड़ती हैं आबादी के बीच में और बीस

(श्रीमती वन्दना मीणा)

हजार की आबादी है । यह सरकार से मेरी मांग है कि वहां भी एक सैटेलाइट खोला जाए ताकि वहां की जनता को राहत मिले । वहां पर जमीन भी उपलब्ध है और उसके साथ हिरण मगरी में जो सैटेलाइट है अभी पचास बैड का वर्तमान में है और उसको पचास से सौ बैड का किया जाए, ऐसी मेरी मांग है । मैं ज्यादा न कहते हुए यह जो कम मांगें हैं इस पर भी माननीय मंत्रीजी गौर करेंगे तो मैं सोचती हूं कि वहां की जनता को समस्याओं से न जूझना पड़े और उनको राहत मिले। सारे आस-पास जनजाति के लोग रहते हैं, मध्यम वर्ग के भी लोग रहते हैं और कोई भी भारी समस्या होती है तो महाराणा भोपाल हास्पिटल में जाना पड़ता है इस वजह से यह सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं यह मेरी मांग है । छोटी जगह जो उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं इसके लिए तो मैं लिखित में अवगत कराऊंगी पर इस समस्या पर गौर करें। न जाने माननीय मंत्रीजी की क्यों नाराजगी है, अभी दो साल हुए हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिया है इस वजह से मैं यह निवेदन करूंगी ...

श्री अध्यक्षः आप इतना तेज बोल रहे हैं कि आवाज मुझ तक आ रही है, माननीय चन्द्र शेखर बैद, आप इतना जोर से बोल रहे हैं कि आवाज मुझ तक आ रही है।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण): यह मेरी मांग जो हैं छोटी-मोटी, वह मांग पूरी करें । इन्हीं आशा के साथ मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्षः श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 की चर्चा पर बोलने के लिए आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि पंचायत समिति, कोटडा और गोगुन्दा का एरिया दूर-दराज का ग्रामीण आदिवासी अंचल का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में दूर-दराज के होने के नाते, बिखरी हुई आबादी होने के नाते यहां पर स्वास्थ्य संसाधनों का बहुत बड़ा अभाव रहा है और इस अभाव का खामियाजा एरिये में रहने वाले लोगों को भुगतान पड़ता है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि ग्रामीण अंचल को एक तरफ ऊपर उठकर देखा जाये और दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र को देखा जाये। ग्रामीण अंचल के बनिस्बत शहरी क्षेत्र में जिस तरह से पी.एच.सी., सी.एच.सी.

(श्री मांगीलाल गरासिया)

और मातृ शिशु स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र स्थापित करके और अपग्रेड करके एडपोस्ट कायम किये जाते हैं और रैफरल हास्पिटल किये जाने के साथ ही कई तरह के ऐसे काम शहरी एरिये में किये जाते हैं उसी तरह से ग्रामीण अंचल पर भी ध्यान दें क्योंकि वहां पर कमी खामी का बोझ गरीब आदिवासी एरिये के लोगों को सहना पड़ता है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा जहां पर ए.एन.एम., सब सेंटर बने हुए हैं, अधिकांश में उनके रेजिडेंस भवन, क्वार्टर नहीं बनने के कारण भी उस एरिये में तकलीफे हैं। ऐसे दूर-दराज के एरिये को चिंहित करके, ऐसे गांव और ढाणियां जहां पंचायत मुख्यालय से दूर आपने जिस तरह से उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाये हैं वहां ए.एन.एम. क्वार्टर बनाये जायें। ऐसे दूरगामी क्षेत्रों में एडपोस्ट कायम की जाये और वहां पुरूष स्टाफ लगाया जाये तब जाकर वहां रहना संभव हो पायेगा वरना वहां कभी संभव ही नहीं है। दूर-दराज के एरिये में ग्रामीण अंचल में इस तरह की समस्याएं आया करती हैं, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, अनुरोध करूंगा कि जो बेकरिया पी.एच.सी. बनी हुई है वहां जिन डाक्टर साहब का रहना होता है वह दिन में एक-दो घण्टे रहकर फिर गायब हो जाते हैं और जब भी लोगों को मिलते हैं तो पिये हुए मिलते हैं। दारू पिये हुए होने के कारण वहां पर रस्साकशी हो जाती है और जो मरीज वहां आते हैं उनको एक तरफ तो यह समस्या और दूसरी ओर उनकी मार झेलना पड़े तो क्या उनकी स्थिति बनेगी ? माननीय जोशी साहब उस एरिये से वाकिफ हैं इसलिये मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एरिये में जहां शिक्षा का प्रतिशत कम है और इस तरह की समस्या से जूझना पड़े, इस तरह की बात से मैंने माननीय मंत्री महोदय को भी अवगत कराया था परन्तु अभी तक समाधान नहीं हो पाया और स्थिति वहां पर भी गंभीर बनी हुई है। वहां पर कोई एक्सीडेंट केस हो जाते हैं तो एम.एल.सी. रिपोर्ट बनाने में भी तकलीफें होती हैं और रिपोर्ट नहीं बन पाती है। मरीजों को फिर जाकर जनरल हास्पिटल में भटकना पड़ता है। यह दिक्कत भी उस एरिये में अधिकांश हुआ करती है। इस तरह की समस्याओं को देखते हुए आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उप स्वास्थ्य केन्द्र पीपरमाल जो गोगरुन का क्षेत्र है, टेपरजा, पंचायत मीरपुर का उप स्वास्थ्य केन्द्र है और पालसा गोगरुन का उप स्वास्थ्य केन्द्र है, इन तीनों उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कभी ए.एन.एम. आयी ही नहीं और न मालूम टेपरजा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर तो खिड़की भी कोई खोलकर ले गये और किवाड़ भी ले गये और दिक्कत यह आयी कि वहां

(श्री मांगीलाल गरासिया)

दो साल में एक दिन भी यदि ए.एन.एम. जाती तो शायद उन लोगों के लिये टीकाकरण की बात हो, गर्भवती महिलाओं को सहारा मिलने का मामला हो, कुछ भी सकारात्मक परिणाम नहीं आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के दूर-दराज के एरिये में आप तो एडपोस्ट कायम करें और वहां पुरूष वर्ग का स्टाफ लगाया जाये जिससे कि वहां पर रह सकें। विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पी.एच.सी. गोगुन्दा, सायरा, पदरड़ा बेकरिया, कोटड़ा और पड़ावलीकलां का जो एरिया पड़ता है, यहां सर्जन का पद रिक्त है। डाक्टरों के पद रिक्त हैं। यहां पर कभी पोस्टें भरी ही नहीं गयीं और अभी तकलीफ, उस एरिये में हालत गंभीर बनी हुई है। उन लोगों को 50-50 किलोमीटर दूर जनरल हास्पिटल, उदयपुर, महाराणा भोपाल जनरल हास्पिटल में आना पड़ता है, यह भयंकर समस्या उस एरिये में है, मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो अधिकांश पद रिक्त हैं उन्हें भरे जाने की कार्यवाही करावें। अभी उदयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्य महोदया ठीक कह रही थीं कि दो वर्ष में कभी उन्हें लाभ नहीं दिया गया तो मैं मानता हूं कि इस तरह से आप न करते हुए जितने भी माननीय सदस्य इस विधान सभा में आते हैं उनको निगाह में रखते हुए पक्षपातपूर्ण रवैये से ऊपर उठकर चिकित्सा में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उसमें आप ध्यान देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पदरड़ा सी.एच.सी. और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है। यह क्षेत्र पूरा ही आदिवासी अंचल से घिरा हुआ है और पूरी 14 पंचायतों का एक तरह से मुख्यालय के रूप में है। उस एरिये में गरीब परिवार ज्यादा रहते हैं। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आपको जब पूर्व में भी कहा जा चुका है, निवेदन किये जाने के बावजूद भी और प्रार्थना-पत्र ग्रामीणों की ओर से भी आपको दिया है, मैंने भी आपको निवेदन कर दिया है, वहां पर रैफरल हास्पिटल हो जाये तब जाकर उस एरिये के लोगों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल पायेगा। ग्रामीण अंचल से माननीय मंत्री महोदय, आप वाकिफ हैं कि जब सर्प काट लेता है तो तुरन्त उनको राहत की आवश्यकता होती है। सर्प जैसे भयंकर विषैले जानवरों से तत्काल तब्दीली लाने की आवश्यकता महसूस की जाती है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि ए.एफ.वी. इंजेक्शन नहीं रहने से पी.एच.सी. में बहुत बड़ी तकलीफें होती हैं। यह इंजेक्शन फ्रिज में रहता है इसलिये वहां अवेलेबल नहीं होने से तकलीफ है। सी.एच.सी.,पी.एच.सी. और एडपोस्ट पर ए.एफ.वी. का इंजेक्शन रहे तो दूर दराज के लोगों को सर्प व विषैले जानवरों के काटने से राहत मिल सके।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

बी.पी.एल. के लोग दूर-दराज के एरिये में जब पी.एच.सी., सी.एच.सी. में आते हैं और वहां पर उनको बी.पी.एल. के रूप में मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के जरिये जो फायदा मिलना चाहिये, या फिर दूसरे बी.पी.एल. कार्डधारी के रूप में उनको जो मुफ्त इलाज के रूप में दवाएं मिलनी चाहिये वह कभी-कभी मिल नहीं पाती हैं और तकलीफ होती है। कभी-कभी उस एरिये में बी.पी.एल. कार्ड गुम होने के बाद जब सरपंच साहब या सैक्रेटरी लिखित में देते हैं तब भी उनको अमान्य कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह से जो भयंकर बीमारियों के इलाज के लिए उनका एकमात्र सहारा होता है इसमें उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, काआपरेट करना चाहिए । उनका पूरा सहयोग करना चाहिए तभी जाकर के बी.पी.एल. के लोग उसमें लाभान्वित हो सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि मेरा जो क्षेत्र है कोटडा का एरिया, वह दूरदराज का एरिया होने के नाते, एक पंचायत का जो क्राइटेरिया है, सर्किल है वह बिखरी हुई आबादी के हिसाब से उसमें बहुत दूर-दूर तक गांव बसे हुए हैं और उसमें भी एक-एक पंचायत का 17-18 किलोमीटर तक एरिया लंबा होता है । इस तरह के जो दूरदराज का एरिया है और 9-10 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है उसमें मैं यह कहूंगा कि हम उप स्वास्थ्य केन्द्र केवल पंचायत मुख्यालय पर बनायेंगे तब तो नहीं लगता कि उस एरिये के लोगों को फायदा मिल पायेगा । वहां पर दूरदराज के एरिये को देखते हुए और क्षेत्रफल में जो पंचायतें बड़ी हैं उस क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र और एड पोस्ट को दूरी के हिसाब से मापदंड बनाते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए और इस तरीके से उस एरिये में मेवाड़ों की मठ पंचायत का चांपा की नाल का एरिया, राइका का एरिया जो दूरदराज में हैं और जो पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें जिस तरह से उप-स्वास्थ्य केन्द्र बनाये हैं उनको तो एड पोस्ट में परिणित कर दिया जाये । वहां जो दूरदाराज की ढाणियां हैं चांपा की नाल और राइका वहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र कायम करायें जिससे कि उस एरिये में रहने वाले लोगों को फायदा हो सके । इसी तरह से पंचायत भुतबड़ का जो क्षेत्र है कुर्रा और माजोड़ा का क्षेत्र है यह पाली जिले के बोर्डर पर है और ना तो पाली जिले में उनको गिना जाता और ना ही उदयपुर जिले में, इस तरह का बेतुका एरिया है और उसमें कुर्रा और माजोड़ा में और चित्रावास में जो कडेछ का एरिया पड़ता है रिछवड़ा का एरिया पड़ता है वहां पर भी उप स्वास्थ्य केन्द्र बनावें ।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष: बढ़ा हुआ ही है। वह तो दस बजे, दस तय कर दिया बी.एसी. में ।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): दस बजे तक ।

श्री अध्यक्ष: बी.एसी. में तय हो गया था दस बजे तक का।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं जिस एरिये का जिक्र कर रहा हूं उसको चारों तरह से वंचित रखा गया है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, यह तो बातों में लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन में बैठते नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): न बैठते हैं और ना ही पढ़ते हैं (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): उस एरिये के लिये महती जिम्मेदारी लेकर के माननीय मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देकर के इस क्षेत्र को जोड़े जाने की आवश्यकता है। देवराना (राचछ) मनराय (मेवाडों का मठ) और रातोड़ा (करदा) का क्षेत्र, भाडेर, (उखलियाद) और थल एवं पदमावड़ी पड़ावली का क्षेत्र है यह एरिया भी अलग-थलग है इसलिए उस एरिये में भी नये उप स्वास्थ्य केन्द्र कायम किये जायें। ऐसा क्षेत्र जहां ट्राइबल सब प्लान का एरिया भी है, दूरदराज का आदिवासी अंचल का क्षेत्र है ऐसे क्षेत्र में ही नहीं परंतु गोगुंदा और कोटडा के जो पंचायत मुख्यालय हैं वहां पर सभी जगह एड पोस्ट कायम किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद औषधालय जो पदराड़ा में बना हुआ है और आपने 'ए' श्रेणी में कायम किया है । सायरा, उसके लिए तो मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं । लेकिन आयुर्वेदिक औषधालय पदराड़ा का भवन बिलकुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । इस तरह के जो आयुर्वेद भवन औषधालय के रूप में पदराड़ा है उनको भी आप 'ए' ग्रेड में करते हुए भवन निर्माण कराने का काम करेंगे तो उस एरिये के लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह क्षेत्र पूरा ही अरावली श्रृंखलाओं का एरिया है औषधिक पौधे बहुतायत में वहां पर हैं । औषधि के पौधे होने की वजह से अनुरोध करूंगा कि वहां एक औषध पौधशाला कायम की जाये । तभी जाकर के पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में यह औषधियां कायम रह सकेंगी ।

श्री अध्यक्षः आपको बोलते-बोलते 17 मिनट हो गये हैं। बहुत-से माननीय सदस्यों को इस बारे में कुछ कहना है । अब आप कनक्लूड करें ।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं बैठ जाऊं?

श्री अध्यक्षः नहीं, कनक्लूड करें ।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): मैं एक मिनट में ही बात खतम कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्षः आप कनक्लूड करें ।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो उस एरिये में नीम-हकीमों की संख्या इतनी बढ़ रही है और उनके बढ़ाने से लोगों को तकलीफे उठानी पड़ती हैं। हाई डोज का इंजेक्शन जब लगा दिया जाता है और उसके बाद कहीं भी व्यक्ति को दूसरी सी.एच.सी. या पी.एच.सी. पर ले जाते हैं तो उनको रिलीफ नहीं मिल पाती है । इस तरह से उस एरिये जो सामल गांव हैं, पदराड़ा पंचायत का जो गांव है उसमें नीम हकीम के माध्यम से जब दवा दी गयी और एक मरीज की मृत्यु हो गयी तो उनको जेल में हवा खानी पड़ी लेकिन अभी भी वही प्रक्रिया चल रही है और इस तरीके से उस एरिये में बहुत ज्यादा इस समस्या से लोग ग्रसित हैं । इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा और आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप हैल्थ क्लब स्थापित करके चिकित्सा जगत में आमूलचूल परिवर्तन करके उस एरिये को उत्थान और प्रगति के पथ पर आगे लाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हैं। धन्यवाद, जय हिन्द ।

श्री अध्यक्षः श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने पिछले दो साल से अब तक स्वास्थ्य के बारे में जो सुधार करने का प्रयास किया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा । उन्होंने राज्य को अन्य राज्यों से भी प्रथम नम्बर पर आने के लिए, माताओं और जो नवजात बच्चे हैं उनको बचाने के लिए एक योजना बनाकर के जो प्रयास किया है वह भी बहुत ही सराहनीय है ।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्ष में एक भी डाक्टर या एक भी कर्मचारी को चिकित्सा विभाग में नहीं लगाया था । वर्तमान में माननीय मंत्री महोदय ने 558 डाक्टर, 426 नर्सों तथा 54 नर्सिंग ट्यूटर और इस वर्ष में 100 डाक्टर, 200 ए.एन.एम. और 700 नर्स का जो प्रस्तावित किया है वह बहुत ही सराहनीय है और इस तरह से जो कमी है डाक्टरों की वह पूर्ति हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, टेलीमेडिसन से दूरदराज के गांवों में रहने वाले जो बड़े हास्पिटलों का लाभ नहीं ले सकते थे। उसके माध्यम से उन ग्राम वासियों को बहुत लाभ मिलेगा ।

और अच्छी जानकारी करके वहां चिकित्सक गरीब व्यक्तियों का इलाज कर सकेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उच्च शिक्षा मंत्रीजी को कि एस.एम.एस. में 100 करोड़ का प्रावधान रखकर निर्माण कार्य वहां करा रहे हैं। एस.एम.एस. गरीबों का हॉस्पिटल माना जाता है, इसमें राजस्थान के ही नहीं, हरियाणा, एम.पी., उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के लोग भी इलाज करवाने के लिए आते हैं। अनेक लोग एक्सीडेंट होकर यहां न्यूरो सर्जरी में आते हैं, उनकी हालत सीरियस होती है लेकिन आई सी.यू. में कम बैड की वजह से उनको भर्ती नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से बर्न यूनिट में भी बैड्स की बहुत कमी है और इसकी वजह से आपस में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी व्यवस्था के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था से अण्डरग्राउण्ड बनाकर बर्न यूनिट, कैन्सर और आई सी यू और ओ पी डी की जो व्यवस्था उसमें की है इसका बहुत बड़ा लाभ आम जन को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कोटा हॉस्पिटल में भी 10 करोड़ की व्यवस्था की है और उसमें भवनों की जो कमी थी उसको दूर करने की कोशिश की है, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।

राजस्थान में अन्धता को दूर करने के लिए, आज गांवों में मोतियाबिन्द के सैंकड़ों लोग मिल जाएंगे और माननीय मंत्रीजी ने मोबाइल सर्जिकल यूनिट और निजी सहयोग से जगह-जगह पर जो शिविर लगाए हैं, उनके माध्यम से भी जो मोतियाबिन्द के मरीज थे उनको काफी लाभ हुआ है।

हॉस्पिटल में डायलिसिस की जो बहुत कमी थी, डायलिसिस हो सके उसके लिए डे केयर सेंटर खोलने का आपने जो प्रस्ताव रखा है वह सराहनीय है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको अतिशीघ्र खोला जाए

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

क्योंकि वर्तमान में किडनी के बहुत ज्यादा पेशेंट गांवों से भी आने चालू हो गए हैं इसलिए एस.एम.एस. में जल्दी ही डे-केयर सेंटर खोला जाए।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाले सी.एच.सी. में जो हड्डी रोग विशेषज्ञ डाक्टर लगाएं हैं उसके लिए तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें एक एनेस्थेसिया वाले डाक्टर की भी नियुक्ति की जाए जिससे यदि वहां आपरेशन करना पड़े तो उसके अभाव में जो आपरेशन नहीं हो सकते, वह भी हो सकें।

मानसरोवर में एस.एम.एस. की तर्ज पर एक हॉस्पिटल खोलना प्रस्तावित है। मैं उसके लिए माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि एस.एम.एस. की भारी भीड़ को देखते हुए वहां एक हॉस्पिटल खोला जाना बहुत आवश्यक था। जनजाति बहुल क्षेत्रों के हॉस्पिटल्स में विषय विशेषज्ञ डाक्टरों को लगाकर वहां गरीबों का इलाज कराने की आपके मन में है, आपने उन डाक्टरों को लगाया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही एक ही छत के नीचे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपेथी के सारे डाक्टरों को एक ही जगह बैठा कर इलाज कराने का आपने जो सोचा है उससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। पंच कर्म पद्धति के माध्यम से भी आपने इलाज कराने की सोची है। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनका एलोपैथी में इलाज नहीं हो पाया लेकिन आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसन के माध्यम से उनका बहुत अच्छा इलाज हुआ है।

साथ ही मेरा निवेदन है कि एस.एम.एस. बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें जो कमियां हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी के सहयोग से माननीय मंत्री महोदय ने जो ट्रोमा यूनिट की व्यवस्था की इमर्जेन्सी वार्ड पर उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा और साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि एस. एम.एस. हॉस्पिटल की चाहे बर्न यूनिट हो, वहां के डाक्टरों का खुद का यह कहना है कि 60 प्रतिशत मरीज मात्र इसलिए खतम हो जाते हैं कि इन्फेक्शन इतना जल्दी फैलता है कि 40 से 50 प्रतिशत तक जो मरीज जल जाता है उसको भी बचाया जा सकता है, उसके लिए यदि सेपरेट रूम हो, एक-एक व्यक्ति के लिए आई.सी.यू. जैसी व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों को बचाया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि उसके लिए एक-एक सिंगल व्यक्ति के लिए सिंगल रूम की व्यवस्था आई.सी.यू. जैसी होना बहुत जरूरी है तभी जाकर उन मरीजों को बचाया जा सकता है।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न्यूरो सर्जरी वार्ड में एक्सीडेंट होकर जब मरीज आता है, ट्रोमा वार्ड में लेने के बाद जब उसे इस वार्ड में भेजा जाता है तो उसके दोनों तरफ के रूम, दूसरे और तीसरे में कोई व्यवस्था नहीं होती बल्कि एक टेबल होती है जिस पर उसको डाल दिया जाता है चाहे दो मरीज हो, चाहे तीन या पांच या छह हो, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्यूरो सर्जरी वार्ड की हालत बहुत अच्छी नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाए, वहां जब डाल देते हैं, मैं कहता हूं कि पूरे आठ-आठ घण्टे तक वह उस कमरे में पड़ा रहता है और उनको वहां पर पलंग पर भी नहीं लिया जाता है, ऐसी अवस्था में यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय, उसकी अलग से न्यूरो सर्जरी वार्ड में जिससे लोगों को, यहां पर ज्यादातर कौन आदमी आता है, गरीब आदमी एक्सीडेंट होकर, रोड से उठाकर, लाकर यहां डाल दिया जाता है। साथ ही मेरा सुझाव है कि न्यूरोलॉजी वार्ड में आई.सी.यू. जैसी व्यवस्था होनी चाहिए।

हड्डी वार्ड में भी पेशेन्ट्स के लिए अलग-अलग हाल होने चाहिए, लोगों को एक ही रूम में, यह भी पता नहीं लगता कि यह कौनसे डाक्टर का पेशेंट है और यह कौनसे का, बेड्स के नीचे पेशेंट पड़े रहते हैं और ऐसी हालत आज की नहीं है यह दशा बहुत पुराने टाइम से हो रही है और इस समय वाहनों की गति को देखते हुए जो ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेरा सुझाव है कि इसमें या तो अलग-अलग कोई व्यवस्था हो, जो नए कोटेज वार्ड के साथ में भवन बना है उसमें अलग से कोई यूनिट हड्डी वार्ड की और दो डाक्टरों की व्यवस्था की जाए तो उसमें कोई व्यवस्था हो सकती है यहां लोगों की बहुत बुरी हालत होती है, उन लोगों को नीचे डाला जाता है। इसलिए एस. एम.एस. के हड्डी वार्ड की व्यवस्था को सुधारा जाए। यूरोलॉजी में भी ऐसी ही व्यवस्था है।

साथ ही मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, उसमें आई.सी.यू. की व्यवस्था भी की है। वर्तमान में आई.सी.यू. की जो व्यवस्था है उसमें या तो वहां कोई इमर्जेन्सी केस आ जाए या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के जान-पहचान का आ जाए तो वहां पहले से भर्ती मरीज चाहे कितना ही गम्भीर हो उसको हटा दिया जाता है, चाहे इससे उसकी डेथ ही क्यों न हो जाए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आई.सी.यू. में रूम्स की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए जिससे गरीब व्यक्ति का बच्चा या कोई गरीब मरीज हो उसको भी बचा सके।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

कोटेज वार्ड में जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर आज चूहे अन्दर घुस जाते हैं, वहां पर उन्होंने घर बना रखा है, दरवाजे टूटे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस थोड़े से बजट की कोई आवश्यकता है उसमें वहां व्यवस्था की जाए, कोटेज वार्ड की अच्छी दशा होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने एक ऐसा प्रावधान किया है कि यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके माता-पिता या उसके परिवार वाले यदि कहते हैं कि उसके पोस्टमार्टम की कोई आवश्यकता नहीं है।

पोस्टमार्टम के चक्कर में उस व्यक्ति को जयपुर से जोधपुर जाना है तो वह लेट हो जाता है। मैं कह रहा हूं पोस्टमार्टम नहीं करने का प्रावधान कर दिया तो यह कोई जरूरी नहीं है, पुलिस को ऐसा आदेश दिया जाए कि यदि वे पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहें और वे लिखते हैं तो लिखकर उनको दे दीजिए जिससे लोगों को बहुत जल्दी निपटारा हो सके।

मेरा निवेदन है कि एस.एम.एस. में डाक्टर्स की जो हालत है वह शुरू से ही है, आज से नहीं है। आपने अभी कुछ डाक्टर्स की व्यवस्था की है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा एक डाक्टर के पास में 60-60, 70-70 मरीज हैं जबकि एक डाक्टर मुश्किल से 30 मरीज को ढंग से देख सकता है। आप डाक्टरों की संख्या बढ़ाएं। नर्सिंग स्टाफ ज्यादा से ज्यादा 10 मरीजों को एक साथ देख सकता है जबकि 70-70 को संभालने के लिए एक नर्स की ड्यूटी लगा रखी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप नर्सिंग स्टाफ की ज्यादा संख्या बढ़ाएं और डाक्टर्स की आप संख्या बढ़ाएं जिससे कि सुविधा हो सके।

जितने भी प्राइवेट हास्पिटल हैं उनमें गरीब व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में वहां मिलेंगे, एस.एम.एस. में तो मिलते ही हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में वे लोग वहां जाते हैं चाहे गरीब क्यों न हो, वे अपना गहना बेचकर भी इलाज कराने के चक्कर में रहते हैं। मेरा इसके लिए सुझाव है, कोई भी मना नहीं करेगा, अगर आप कोई फीस लेंगे, टोकन फीस प्रति मरीज भी आप रखें तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी आपको फीस देने को तैयार है एस.एम.एस. में। जिससे उस व्यक्ति का अच्छा इलाज हो सके और आप अच्छे डाक्टर्स की व्यवस्था कर सकें, अच्छे नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था कर सकें। अच्छी व्यवस्था करने पर आप उससे एक फीस तय कर दें कि यह डाक्टर की फीस होगी, यह नर्स की फीस होगी, यह कम्पाउंडर की फीस होगी जिससे वे

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

लोग उनको ढंग से देख सकें, तरीके से इलाज हो सके, यह मेरा सुझाव है। आप निश्चित रूप से ऐसा करते हैं तो माननीय सदस्यों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जब वे प्राइवेट हास्पिटल में जाकर वहां पर हजारों रुपया देकर आते हैं तो वहां पर आप टोकन-मनी फीस के रूप में लेते हैं तो यह बहुत सराहनीय कार्य होगा। यदि ऐसा आप करेंगे तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे क्षेत्र में बस्सी सी.एच.सी. है। आसपास के सारे मरीजों की संख्या को देखते हुए इसको रैफरल हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कानोता एक बहुत बड़ा कस्बा है, वहां पर हीरावाला इण्डस्ट्रियल एरिया है, बहुत से मजदूर वहां पर इण्डस्ट्रियल एरिया में हैं, लेकिन वहां कानोता में कोई पी.एच.सी. नहीं है। वहां भी एक पी.एच.सी. स्वीकृत कर मुझे व्यक्तिशः अनुगृहीत करें। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जो ऐसे डाक्टर हैं जो फर्जी तरीके से बैठे हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट हो गये हैं। माननीय सदस्य, आपको बोलते 15 मिनट हो गये, कृपया कनक्लूड करें।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): बस एक सेंकड में। जो ऐसे व्यक्ति हैं उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा तीन हजार ऐसे डाक्टर हैं, जो करीब 50 वर्ष, 35 वर्ष, 20 वर्ष तक के गांवों के अंदर ऐसे दूरदराज एरिया में बैठे हुए हैं जो वहां पर प्रेक्टिस करते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि ये कभी बंद भी नहीं हो पाएंगे, ऐसे कई व्यक्ति हैं या तो उनको लिस्टेड करें जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके और ऐसे व्यक्तियों को लिस्टेड नहीं करें तो आप कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें। आए दिन यह उठता है, लेकिन इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे डाक्टर्स को लिस्टेड कर दीजिए ताकि यह तय हो जाए कि इसके बाद में कोई रहेगा तो उसके खिलाफ आप एक जनरल आदेश जारी कर दें। आज मेरे क्षेत्र में ऐसे करीब 6 डाक्टर हैं, तुंगा पी.एच.सी. में इतने मरीज नहीं आते, 6 डाक्टरों से ज्यादा उस व्यक्ति के पास क्यों जाते हैं, क्या कारण हैं? ऐसे डाक्टरों के लिए भी आपको निश्चित रूप से कोई व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अनुपस्थिति अनुमति

चांदनाथ श्री, सदस्य

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री चांदनाथ, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 4 मार्च, 2006 से सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई। श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

मांग संख्या-26 पर विचार

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 के पक्ष में बोलने का समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पक्ष में नहीं अपने कटौती प्रस्तावों पर।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मांग संख्या-26, अपने कटौती प्रस्ताव के बारे में जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों में माननीय वसुंधराजी ने और सभी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे-अच्छे निर्णय लिये गये। पूरे राजस्थान में, आज जैसे चिकित्सा विभाग का दिन है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे निर्णय लिये गये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब परिवर्तन यात्रा की और स्कूलों में जाकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के जीवन स्तर को, उनके स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता करते हुए जो निर्णय लिये, शिक्षकों की भर्ती तो शिक्षा मंत्रीजी ने की, मगर चिकित्सा कार्ड मुख्य मत्री शिक्षा संबल प्रोग्राम चला उसमें चिकित्सा कार्ड लाखों की संख्या में पूरे राजस्थान में बालकों को वितरित किये गये, वास्तव में उनकी जो मंशा थी कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ी है वह ग्रामीण इलाके से जो पीढ़ी आने वाली है वो भी मजबूत और सुदृढ़ बने ऐसा उन्होंने निर्णय किया, वास्तव में उनको साधुवाद। साथ ही ग्रामीण इलाके में महिलाओं को, प्रशिक्षित दाइयों को जो अपाइंटमैंट दिया गया उससे प्रसव के समय जो महिलाओं की मृत्यु हो जाया करती थी उस पर रोक लगेगी।

सरकार की मंशा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा हो, मगर सब काम के लिए सरकार के भरोसे बैठे रहना भी उचित नहीं होगा। समाज में इस

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

प्रकार की धारणा भी बननी चाहिए कि डाक्टर टाइमली आये। डाक्टर और शिक्षक जिस उद्देश्य से आये, अपने उद्देश्य को पूरा करें। डाक्टर बनते हैं तब तो वे शपथ लेते हैं कि हम अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखेंगे, मगर जब उनको ग्रामीण इलाके में अपाइंट कर दिया जाता है तो वे कोई न कोई व्यवस्था मैनेज करके शहर की ओर भागने में लगे रहते हैं। उससे यह होता है ग्रामीण इलाके में डाक्टर रहना ही नहीं चाहते। पता नहीं क्या कारण है? कारण सब जानते हैं। एक बहुत बढ़िया शिक्षा नीति शिक्षा मंत्रीजी ने बनायी कि शिक्षक कम से कम इतने समय तो ठहराव करेगा ही करेगा। इसी तरह की एक नीति चिकित्सा के क्षेत्र में भी होनी चाहिए कि ग्रामीण इलाके में कम से कम डाक्टर की पोस्टिंग हो तब वह वहां ठहराव करे ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधाओं का पूरा फायदा मिल सके। साथ ही चिकित्सा मंत्रीजी की काफी मंशा है जब मैं इस विधान सभा में चुनकर आई थी तब मैंने उनसे मांग की, उस हिसाब से प्रत्येक जगह पर मेरे यहां महिला चिकित्सक भी लगी। आज रानी में बहुत अच्छी स्थिति है, लेडी डाक्टर है और वहां पर आउटडोर, इनडोर भी बढ़ गया है, सादड़ी में भी अच्छी व्यवस्था है मेरे यहां जो देसूरी उपखण्ड है वहां पर जो लेडी डाक्टर और जितने पद स्वीकृत हैं वहां पर लेडी डाक्टर का भी पद है, चिकित्सक वहां पर ठहरना नहीं चाहते। इसके लिए मैं चाहूंगी पूर्व में भी दो वर्षों में पैरामेडिकल स्टाफ को लगाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है और अभी भी बजट में 100 चिकित्सक और 200 व 700, ऐसे करके काफी चिकित्सक लगाने का प्रावधान रखा गया है। उससे पैरा मेडिकल स्टाफ में पूरे राजस्थान में जो भी कमी-बेशी होगी वह दूर होगी मगर जो वहां पर पोस्टें हैं वह तो भरी जानी चाहिए। इस सदन में मैं सीधे अपनी मांग पर आऊंगी कि देसूरी में माननीय मंत्रीजी ध्यान दें। जब आपने सत्ता संभाली तब वहां पर पोस्ट क्रिएट कर दी, वह डाक्टर और लेडी डाक्टर, कपल था वह पता नहीं किस प्रकार से वापस चला गया? इसमें आपके स्टाफ को भी कसने की जरूरत है क्योंकि हम तो अपाइंट करवा देते हैं फिर हम डाक्टर को हाथ जोड़े तो नहीं फिर सकते कि आप कृपा करके हास्पिटल में रहें, हमें से पब्लिक से हमेशा रूबरू होना पड़ता है उन्हें चिकित्सा सुविधा चाहिए, कम से कम उनके लिए भी कुछ नीति बनाने और उनको कसना चाहिए कि वह अपने जिस उद्देश्य से आते हैं उसको निभाएं और जहां पर उनको अपाइंट किया जाए वहां वह लगे रहें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि जिक्र किया इसके लिए तो सामाजिक रूप से हम सभी को चेतना जगाने की आवश्यकता है, सरकार बहुत

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

से निर्णय करेगी, बहुत से अभूतपूर्व निर्णय किए जाएंगे और उनके निर्णय भी आएंगे मगर जब तक सामाजिक रूप से चेतना जाग्रत नहीं होगी तब तक उसका सही रिजल्ट नहीं आएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में भी मैं मंत्री जी के बराबर सम्पर्क में रही हूं और बराबर लिखती रही हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सादड़ी जो नगरपालिका क्षेत्र है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रणकपुर वहां आया हुआ है और उस हिसाब से उदयपुर के दो रास्ते उधर देसूरी नाल और रणकपुर नाल करके दो हैं वहां पर आए दिन एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, उस हिसाब से वहां जो शैय्याओं की संख्या है वह बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि वहां पर शैय्याओं की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 की जाए। वहां पर आउट डोर 2004 में 56376 थे और कुल इनडोर रोगियों की संख्या 1881 थी, 2005 में आउट डोर 62552 और इनडोर 2278 है। इस हिसाब से वहां पर यह सादड़ी जो कस्बा है वहां पर यह हास्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यहां पर बैड की आवश्यकता है इसको बढ़ाया जाए साथ ही मेरे देसूरी विधान सभा क्षेत्र में जैसा कि बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे उधर जो भामाशाह बंधु हैं, प्रवासी बंधु हैं बाली और पूरे गोड़वाड़ बैल्ट के बाम्बे में रहते हैं, सभी जगह पर वह सरकार को निजी जैसा कि सरकार की मंशा भी है और बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है निजी सहभागिता से अगर ऐसा किया जाए तो वह सरकार को पूरा सहयोग देंगे। गिरेली गांव जो है वहां पर दानदाताओं ने उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन बना भी दिया है। मैं आपके माध्यम से चाहती हूं कि वहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन तो उन्होंने बना दिया बाकी पोस्ट क्रिएट कीजिए। उप स्वास्थ्य केन्द्र के साथ ही ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नर्स की या डाक्टर की?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): एएनएम की। साथ ही देसूरी विधान सभा क्षेत्र में चाचोड़ी गांव है, 5 हजार की वहां पर आबादी है, वहां पर भी भामाशाह बंधु अपनी तरफ से उप स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर उसी का क्रमोन्नत करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना है, वहां पर भी भामाशाह बंधु आपको बिल्डिंग बनाकर देने को तैयार हैं, डाक्टरों के लिए आवास बनाकर देने के लिए तैयार है, आप तो सिर्फ पोस्ट क्रिएट कीजिए। बिजोणा में भी उप

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

स्वास्थ्य केन्द्र है उसको भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वहां पर भामाशाह बंधु तैयार हैं, ऐसा का ऐसा ही निवेदन मैंने कृषि मंत्रीजी से भी किया था और धन्यवाद देना चाहूंगी उनको भी यहां पर जिक्र करना जरूरी समझती हूं, उनको कहा था मैंने कि आप वहां पर पशु चिकित्सालय रख दीजिए और उन्होंने पोस्ट क्रिएट कर दी और वहां पर आज की तारीख में भवन बनना शुरू हो गया है। मैं कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र की तो बात कहती हूं कि वहां पर आप पोस्ट क्रिएट करेंगे तो आपको बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे भामाशाह बंधुओं को मोटिवेट करेंगे तो निश्चित रूप से वह बिल्डिंग बनाएंगे और सरकार को भी इसमें काफी फायदा होगा। आपके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भार भी नहीं पड़ेगा।

अन्त में, मैं अपने एक देसूरी विधान सभा क्षेत्र में धाणेराव ग्राम पंचायत है वहां पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की भी बहुत आवश्यकता है इसके लिए भी मैं आपसे आग्रह करूंगी। जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, इन सभी पांच बिन्दुओं पर दिये हैं, इनके बारे में मैं निरन्तर लिखती रही हूं और उसके बारे में आप मेरे को जब अपना जवाब दें तो मुझे बतायें। इसके बारे में मैंने सब जगह यह जितनी भी मांग रखी हैं, आप निश्चिन्त रहें यहां पर निजी सहयोग से दानदाता आपको भवन बनाकर देने के लिए तैयार हैं, आप बस पोस्ट क्रिएट कर दीजिए, वह आपके ऊपर भार नहीं पड़ेगा क्योंकि सब डिपार्टमैंट्स में जहां पर भी मैंने जो कुछ भी मांगा, वहां पर मुझे सब कुछ मिला है और आपके डिपार्टमेंट से कुछ मिला नहीं है इसलिए अब दो साल में मेरे को कुछ नहीं मिला है। आपने पाली में 19 उप स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत किये हैं। ...(व्यवधान)... घोषणा करनी पड़ेगी साहब, आपको आज।

श्री अध्यक्ष: नाम ही आपका लक्ष्मी है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी आपने क्रमोन्नत किये हैं पाली जिले में, बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए और पाली का जो बांगड़ हास्पिटल है वहां पर सारी सुविधाएं आपने दे दी क्योंकि वह हमारे पाली जिले का मुख्य हास्पिटल है, वहां पर आते-आते देसूरी नाल में एक्सीडेंट होते हैं और रणकपुर नाल में एक्सीडेंट हो जाते हैं, पिछली बार भी गुजरात की एक बस आ गई थी वह भी पूरी बस, उस एक्सीडेंट में काफी लोग इंजर्ड हुए थे और वहां जाते-जाते बेचारे भगवान के घर चले जाते हैं इसलिए

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

बहुत दूर पड़ता है, यहां पर सादड़ी में यह बैड की संख्या बढ़ जाय और उसके बारे में जो भी सुविधा आप हमसे चाहोगे निजी सहयोग से वह हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसमें हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और जहां पर जो दानदाताओं ने अपनी तरफ से जो भवन बनाए हुए हैं, कृपा करके वहां पर पोस्ट क्रिएट कर दीजिए क्योंकि कुछ भामाशाह बंधु आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं और वे कल सुबह 9 बजे आपसे मिलेंगे। वह भी इसी वजह से आए हुए हैं कि हमको कम से कम मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से मिलवा दीजिए, हम भवन बनाकर दे दें और वहां पर पोस्ट क्रिएट ही न हो और फिर वह भवन हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई, हम भवन बनाएं और उसका रख रखाव ही न हो तो फिर उनका भी दिल दु:खता है इसलिए आप कम से कम इस बात के लिए निश्चिन्त रहिए, हम निजी सहयोग से सब कुछ करवाएंगे, बाकी आप पोस्ट क्रिएट कर दीजिए।

आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बृज किशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा और स्वास्थ्य की मांग संख्या- 26 के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपकी आज्ञा के बाद मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में जब मंत्रीमण्डल का गठन किया और उस मंत्रीमण्डल में हमने पाया कि एक जवान, एक योग्य और एक पेशे से डाक्टर को स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग का भार दिया था लेकिन उसी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए स्वास्थ्य मंत्री को जब यहां के राजस्थान के प्रमुख चिकित्सक मात्र 1500 रुपये लेकर अस्वस्थता का प्रमाण पत्र दे-दें तो यह सोचने का विषय होता है कि क्या ऐसे मंत्री के होते हुए भी राजस्थान में भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होंगी चूंकि बजट पास करना है और बजट पर वाद विवाद और सुझाव, कटौती प्रस्ताव देना एक आम बात है इसलिए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं, मैं आशा तो करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन सुझावों पर गौर से विचार करेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा और बहुत जबरदस्त तरीके से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

राजस्थान की एक नाक एस.एम.एस. हास्पिटल है और हमें आज गर्व है वहां एस.एम.एस. हास्पिटल में कार्यरत डाक्टर्स पर। उस एस.एम.एस. हास्पिटल में धारकर जैसे डाक्टर, पानगड़िया जैसे डाक्टर, सी एस शर्मा जैसे डाक्टर और और बहुत-से ऐसे डाक्टर हैं जिनके ऊपर राजस्थान को गर्व है। ऐसे डाक्टर्स के होते हुए मैं सुझाव देना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी कि डाक्टर्स के ऊपर सिर्फ मरीजों का भार डालिये। मैं सुझाव देना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टर्स पर एडमिनिस्ट्रेशन का भार मत डालिये क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन का भार डाक्टर्स पर डालते हैं तो निश्चित रूप से जो उनकी कार्य क्षमता है, जो उनके काम करने की क्षमता है उस पर असर आता है। एस.एम.एस. हास्पिटल जयपुर राजस्थान की एक नाक है और एस.एम.एस. हास्पिटल जो 1936 में बना था और जहां पर 1606 शैय्याएं हैं, 1013549 आउटडोर पेशेंट हैं, 102539 इंडोर पेशेंट हैं और टोटल साल भर की संख्या 1116088 है। ऐसे एस.एम.एस. हास्पिटल में 35539 मेजर आपरेशन होते हैं और 110288 माइनर आपरेशन होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब इतना भार एस.एम.एस. पर है और हमारे डाक्टर्स कुशलता से उसको अंजाम दे रहे हैं तो ऐसे हास्पिटल को हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम एम्स का दर्जा उसको दे सकें। एम्स का दर्जा देने के बाद, हमें जहां पर एस.एम.एस. हास्पिटल में कुछ चीजों की कमियां हैं उन कमियों पर भी ध्यान देना होगा। ये कमियां डाक्टर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से है। इसमें मेरा निश्चित मानना है कि अगर यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या दूसरी एजेंसी के जरिये कराया जाए तो निश्चित रूप से एस.एम.एस. हास्पिटल को एम्स का दर्जा मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन कमियों पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर आज शर्म से सिर झुक जाता है कि जब किसी वी.आई.पी. को ट्रीटमेंट के लिए जयपुर से या राजस्थान से बाहर भेजना पड़ता है तो हमें बाहर से किसी एंबुलेंस को मंगाना पड़ता है। एंबुलेंस कोई बहुत कोस्टली नहीं है। अगर एक क्रिटिकल केयर एंबुलेंस का इंतजाम हो तो निश्चित रूप से राजस्थान एस.एम.एस. का जहां नाम बढ़ेगा वहीं लोगों को सुविधा भी मिलेगी।

साथ ही साथ आउटडोर पर बहुत प्रेशर होने की वजह से और आउटडोर्स का निर्माण किया जाना चाहिए। कभी-कभी सुनने को मिलता है कि कुछ इगोईस्ट डाक्टर्स, कुछ इगोईस्ट हैड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने चैम्बर में

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

बैठकर आउटडोर करना चाहते हैं। ऐसे डाक्टर से भी हाथ जोड़कर के निवेदन करना चाहता हूं, आपको खासतौर से कहना चाहता हूं कि ऐसे डाक्टर्स भी आउटडोर में बैठकर अगर मरीजों का इलाज करें तो लोगों को ज्यादा सुविधा मिल पायेगी।

श्री अध्यक्ष: मोबाइल किसका बज रहा है ?

एक माननीय सदस्य: इन्हीं का बज रहा है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मेरा नहीं है। जहां आउटडोर के मामले में डाक्टर्स में आपसी स्पर्धा नहीं हो, अच्छे आउटडोर्स और खुलें तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी।

इसी तरीके से एस.एम.एस. हास्पिटल की बिल्डिंग, एस एम एस हास्पिटल के कुछ कमरे पुराने हो गये हैं, उनकी रख-रखाव पर भी हमें ध्यान देना होगा क्योंकि कई बार ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है कि प्लास्टर गिर जाए, आपरेशन के वक्त, वार्ड के अन्दर मरीज भर्ती है और प्लास्टर गिर जाए, बिल्डिंग में कुछ हो जाए तो उसके रख-रखाव पर भी हमें खासतौर से ध्यान देना होगा।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): मोबाइल के लिए कहा था कि किसी का भी बजा तो यहां रखवायेंगे लेकिन रखवाया नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह पता ही तो नहीं लग पा रहा कि किसका है। पता लग जाए तब तो रखवा लूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उसकी खोज तो मैं कर दूं अगर आप आज्ञा दें तो।

श्री अध्यक्ष: कर दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रखिये मीणाजी।

श्री अध्यक्ष: रखिये मोबाइल यहां पर। जिस किसी का हो यहां रखिये। यह बहुत गलत बात है। बार-बार हिदायत देने के बाद भी आप लोग बंद नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक और है, अभी फिर वो बजेगा।

श्री अध्यक्ष: लेकिन जब आपको यह हिदायत दे दी गई है कि आप यहां पर या तो मोबाइल लाया नहीं करें या लायें तो उसे ऑफ करके रखें तो

(श्री अध्यक्ष)

फिर ऑन क्यों रखते हैं आप? अब मैं जब्त कर लूंगी और दूंगी भी नहीं। आइंदा किसी के मोबाइल की घंटी बजी तो मैं दूंगी नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको ऑक्शन करके कुष्ठ रोगियों को देकर आयेंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आपका सुझाव मंजूर है, स्वीकार है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी को कुष्ठ रोगियों की बड़ी चिंता हुई। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कुष्ठ रोगियों की सुविधाओं के लिए एक प्रश्न दिया था और आप चाहें तो मैं उसको टेबिल करने को तैयार हूं, आपने एक भी सुविधा उसमें से नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष: कट-मोशन तो नहीं है आपका कुष्ठ रोगियों का। यहां तो कट-मोशन पर ही बोलेंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): कटमोशन नहीं है, क्वेश्चन का जवाब आया है। यह तो उन्होंने कुष्ठ रोगियों का जिक्र किया है इसलिए मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष: अभी आप कटमोशन दो पर आये हैं, बाकी आपके कट-मोशन बाकी हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अभी तो मैंने शुरू किया है। लोग बीच में बोले उसका तो मेरे पास क्या इलाज है।

श्री अध्यक्ष: बोलने दीजिये। आप कुष्ठ पर क्यों आ गये, कुष्ठ रोगियों का तो है नहीं आपका।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्रीजी क्यों कुष्ठ रोगियों पर आ गये, मेरे यह समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने सुझाव दिया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं भी उन्हीं के सुझाव को रिपीट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपको तो अपनी सीमा में रहना है, कट-मोशन की सीमा में।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मंत्रीजी की सीमा नहीं है क्या ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, इसी तरीके से एस.एम.एस. में ब्लड बैंक में भी ब्लड देने वालों के साथ धोखाधड़ी की जाती है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: किसके साथ धोखाधड़ी की जाती है ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ब्लड बैंक में ब्लड डोनर्स के साथ धोखाधड़ी होती है उसका भी इंतजाम किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: वह भी आपका कटमोशन तो नहीं है लेकिन बोलिये, बात आपकी सही है। बोलिये आप। यह बताइये कि कैसे हो रही है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, एस.एम.एस. को एम्स के दर्जे के लिए वहां पर क्या कमी है उसको दर्शाने का मेरा फर्ज है। अगर आप...

श्री अध्यक्ष: आप बोलें। कैसे धोखाधड़ी होती है यह तो बताइये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह मैं आपको टेबिल करने के लिए तैयार हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह अख़बार की कटिंग है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अख़बार की कटिंग्स, हमारे पास आपकी तरह डाकूमैंट नहीं है, आप सरकार के डाकूमैंट ले सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पर्सनल नॉलेज के आधार पर कहें। माननीय सदस्य, पर्सनल नॉलेज के आधार पर बोला जाता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप अपनी पर्सनल नॉलेज के आधार पर ही कोई बात कह सकते हैं, अख़बार की कटिंग के आधार पर नहीं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप व्यवधान मंत्री जो हो। मरीजों को ले जाने के लिए ट्रोली और ट्राइसाइकिल और व्हील चेयर की भी कमी है, उस ओर भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए।

पोस्टमार्टम एस.एम.एस.अस्पताल की एक बहुत बड़ी समस्या है और पोस्टमार्टम के लिए प्रोपर, कई बार तो 5-5, 6-6, 8-8 घंटे वेट करना पड़ता है। एक आदमी मर जाये और उसकी परिजन बाहर उसकी लाश लेने के लिए खड़े रहे और पोस्टमार्टम टाइम पर नहीं हो, तो उसके ऊपर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एस.एम.एस. अस्पताल में जितनी भी जांच होती है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, जांच के उपकरण आधुनिक लिये जाने चाहिए।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

स्टाफ का भी ज्यादा दबाव है इसलिए वहां पर स्टाफ बढ़ाया जाना चाहिए और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी तिवाड़ी साहब को कि उन्होंने एस.एम.एस. अस्पताल में एम.आर.आई; मशीन और सीटी स्कैन के मामले में जो कदम उठाये, उससे निश्चित रूप से गरीबों को, आम आदमी को लाभ मिला है। मैं इसके साथ-साथ आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सी.टी.स्कैन, एम.आर.आई. और लीनियर एक्सीलरेटर जैसी मशीनों को और बढ़ाया जाना चाहिए जिससे और लोगों को सुविधा मिल सके।

साथ ही साथ एस.एम.एस. अस्पताल में कुछ डाक्टर्स, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एक-आध डिपार्टमेंट में ऐसे भी देखने को मिले हैं जो आये सिर का इलाज कराने और हाथ की हड्डी कटवानी पड़ी। हाथ की टूटी हड्डी और हाथ की हड्डी तो जोड़ी नहीं, साबुत हड्डी भी निकाल दी गई। ऐसी भी जो अनियमितताएं हो रही हैं, अगर मंत्री महोदय, आप इसको मजाक में ले रहे हैं तो इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। यह एस.एम.एस. अस्पताल की बात है और मंत्रीजी, आपके यहां नर्सिंग होम में होती हो तो मुझे पता नहीं है...

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना कहना चाहता था कि हड्डी अगर टूट भी जाती है तो उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको निकालकर हाथ में थोड़े ही पकड़ा देते हैं किसी को।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): नहीं, साबुत हड्डी को निकाल लेते हैं महाराज, टूटी हुई का तो इलाज ही नहीं करते। अगर आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं, कौनसी तारीख का किस्सा है, किसके साथ हुआ है?

श्री अध्यक्ष: हां, यह तो बता दीजिये आप, यह तो बताना ही चाहिए आपको।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): लीजिये साहब, सुनिये। एस.एम.एस. अस्पताल में डाक्टर का एक और कारनामा, कोर्ट ने जवाब मांगा, 7 जुलाई, 2005 (व्यवधान) आप गये थे, आप व्यवधान मंत्री हो? मैं आपके कहने से नहीं पढ़ रहा हूं। माननीय अध्यक्षजी ने कहा है, उसके आधार पर पढ़ रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्षजी ने पहले व्यवस्था दी है कि पर्सनल नोलेज के आधार पर बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं तो अख़बार की कटिंग के आधार पर यदि वह बोल रहे हैं तो मंत्रीजी उसको करक्ट कर देंगे, उसमें क्या बात हुई।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): करक्ट कर देंगे। एस.एम.एस. अस्पताल में...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य बहुत जागरूक हैं, अपेक्षा यह की जाती है कि जब इनके सामने इस प्रकार का प्रश्न आये, वहां एस.एम.एस. अस्पताल में जाये और वैसे भी ये एस्टीमेट कमेटी के मैम्बर हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उसकी यहां क्या रिलेवेंसी है एस्टीमेट कमेटी में मेडिकल डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन की? वह चीज तो यह कह ही नहीं सकते, आप उसको क्यों याद दिलवा रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इस पर भी आप बोल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एस्टीमेट कमेटी में जो क्रास-एग्जामिनेशन होता है, आप उसको यहां कहलवाना चाहते हो, कानूनी रूप से प्रतिबन्ध है, यह नहीं कह सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो रोकना नहीं चाहता लेकिन यह जो एस्टीमेट कमेटी है...

श्री अध्यक्ष: तो ये प्रतिकार करेंगे, आप क्यों बोल रहे हैं? गलत होगा तो बता देंगे। नहीं, यह बात गलत पाई गई।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं, वह बता देंगे। मैं तो इसमें आपकी जो व्यवस्था है, उसके बारे में बताया है। आप बोलें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर एस्टीमेट कमेटी में जो एग्जामिनेशन करते हैं, वह बात भी यहां नहीं करते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, व्यवस्था गलत मत बताओ आप। एस्टीमेट कमेटी के एग्जामिनेशन की बात यहां नहीं आनी चाहिए और न आ रही है, आप लाना चाहते हो कि एस्टीमेट कमेटी की वजह से आप ऐसी बात कह रहे हो, आप कह रहे हो यह।

श्री अध्यक्ष: आपको बीच में वकालत करने की क्या आवश्यकता पड़ी?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): असल में बात यह है कि मुख्य मंत्रीजी को मुख्य सचेतक की जगह इनको व्यवधान मंत्री बना देना चाहिए तो शायद यह सब बातें बन्द हो जायेंगी।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

एस.एम.एस. अस्पताल में हड्डी विभाग के डाक्टर ने आपरेशन के दौरान एक मरीज की टूटी हुई हड्डी की बजाय साबुत हड्डी निकाल दी। हाईकोर्ट ने इस पर चिकित्सा सचिव और सम्बन्धित डाक्टर से जवाब तलब किया है। मरीज ने इसके लिए 15 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। याचिकाकर्ता रामरती के वकील मेघचन्द राहुल और मंगलचन्द टेलर ने अदालत को बताया कि उसने पैर की हड्डी टूटने पर एस.एम.एस. अस्पताल के हड्डी वार्ड में एक डाक्टर को दिखाया, उन्होंने उस वार्ड में भर्ती कर लिया। आपरेशन के पहले उसके परिजनों को मरीज को डाक्टर के घर ले जाकर दिखाने की सलाह दी गई लेकिन उसके पति ने मना कर दिया। उस पर उन्होंने दुर्भावनावश रामरती की टूटी हड्डी की बजाय सही हड्डी निकाल दी। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए मंगाये गये उपकरण भी काम में नहीं लिये गये। याचिकाकर्त्ता अब न तो खड़ी हो सकती है और न चल फिर सकती है। याचिकाकर्ता ने 15 लाख रुपये का मुआवजा दिलाने के लिए दोषी डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी अख़बार की कटिंग को माननीय सदस्य ने सुनाया, ऐसा लगता है कि वह कोई बोन ग्राफ्टिंग का मामला होगा और कोई काम्प्लीकेशन हुआ होगा तो वह सेटिस्फाई नहीं हुआ पेशेंट, वह कोर्ट में गया होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप जवाब अन्दाजे से मत दो। यह अंदाजे से जवाब देना बेकार है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि यह तो अख़बार की कटिंग है, अख़बार की कटिंग का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा नहीं है। एग्जेक्टली क्या पोजिशन है, यह बताओ आप तो। ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो वैसा होगा तो ऐसा होगा, यह जवाब नहीं हुआ आपका।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता था कि अख़बार की कटिंग की ओथेंटिसिटी क्या है?

श्री अध्यक्ष: आपको अवसर मिलेगा रिप्लाई का तब आप जवाब देना, क्या दिक्कत है। You have the opportunity of reply.

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक और सुझाव देना चाहूंगा। एस.एम.एस. अस्पताल में जहां मालदार मरीज का इलाज जिस भावना से किया जाये, उसी भावना से गरीब का भी इलाज किया जाना चाहिए। मरीज चाहे वह मालदार हो और चाहे गरीब हो, वह पहले मरीज है इसलिए इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मरीजों में कोई मालदार या गरीब का भेद नहीं आये।

पोलीट्रोमा विंग का पुख्ता इंतजाम हो और साथ ही साथ एक्सरे विभाग में जहां हमारे पास एक्सरे मशीनें बहुत पुरानी हैं और वे बाबा आदम के जमाने की हो गई। वैसे भी जहां आपने एम.आर.आई; और सीटी स्कैन में रिवोल्यूशन लाये हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एस.एम.एस. अस्पताल में डिजीटल एक्सरे की मशीन तुरन्त और जल्दी से जल्दी मंगाई जानी चाहिए क्योंकि डाक्टर्स द्वारा इलाज के लिए, डिजीटल एक्सरे के लिए लोगों को बाहर भेजना पड़ता है और डिजीटल एक्सरे बहुत महंगी पड़ती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एस.एम.एस. अस्पताल में डिजीटल एक्सरे की मशीन जल्दी से जल्दी मंगाने की कोशिश करें। एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में जिस प्रकार से भी हमारे पास में दबाव कम हो, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर से कि जयपुर शहर से पचास किलोमीटर के एरिये में जितने ज्यादा सैटेलाइट हास्पिटल्स, अच्छे हास्पिटल्स जब तक नहीं खोलेंगे, आधुनिक उपकरणों को जब तक हम वहां उपलब्ध नहीं करायेंगे, आधुनिक जांच के साधन जब तक उपलब्ध नहीं करायेंगे, तब तक एस.एम.एस. हास्पिटल पर दबाव कम करने की हम सोच भी नहीं सकते और जब तक एस.एम.एस. हॉस्पिटल पर आउटडोर और इनडोर का ज्यादा प्रेशर रहेगा तब तक हमको एम्स जैसा दर्जा मिले, वह हमारे लिए बहुत दूर की बात होगी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के पचास किलोमीटर की परिधि में बड़े टाउन्स, दौसा, चौमूं, शाहपुरा, दूदू, चाकसू ऐसी जगहों पर आप सेटेलाइट हास्पिटल्स और अच्छे हास्पिटल्स की अगर व्यवस्था करेंगे तो निश्चि रूप से एस.एम.एस. पर दबाव कम होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको 24 मिनट हो गये हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा: मैं दो मिनट में कनक्लूड कर दूंगा मैडम अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: हां, कर दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा: 24 मिनट तो हो गये, लेकिन मेरे को चार-पांच मिनट तो जो लोगों ने इंटरप्ट किया उसकी वजह से हुए।(व्यवधान) अब हरिमोहनजी ने किया है कि मंत्रीजी ने किया है, यह तो यह...

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी के लोग ही आपको डिस्टर्ब करें तो कोई क्या करे?

श्री बृजकिशोर शर्मा: नहीं, साहब। मंत्रीजी कर रहे हैं। मेरी पार्टी के लोग तो उनको समझा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप अपनी बात पर आइये।

श्री बृजकिशोर शर्मा: जो तीसरी एक और बात है, राज्य के अंदर लिंगानुपात में अन्तर जो बढ़ता जा रहा है उस पर भी हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आज राजस्थान का नम्बर तीसरा है। हमें इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितने भी डाइग्नोस्टिक सेंटर्स में जो इल्लीगल आपरेशन, इल्लीगल सीटी स्केन और इल्लीगल सोनोग्राफी हो रही है, उसकी वजह से जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं उस पर बहुत सीरियसली हमको एक्शन करना चाहिए और जो अभी लिंगानुपात एवरेज में 909 है उसको किसी तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए।

अंत में कुछ बातें मैं मेरे यहां की कहना चाहूंगा। रामगंज हास्पिटल में पर्याप्त सुविधाएं, जिस तरीके से सांगानेरी गेट और चांदपोल हास्पिटल में मेटरनिटी सेंटर्स में है, पर्याप्त सुविधाएं हैं, लेकिन अगर वहां पर डाक्टर्स और लेबर रूम और वार्ड्स का जिस तरीके से सांगानेरी गेट हास्पिटल और चांदपोल हास्पिटल में है, उस तरीके का इंतजाम वहां कर दिया जाय तो निश्चित रूप से जयपुर के वासियों को इसका लाभ मिलेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सैटेलाइट हास्पिटल नहीं है, अगर आप एक सैटेलाइट हास्पिटल मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोलें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोतीकटला में प्रसव केन्द्र नहीं है। डाक्टर्स हैं, ए.एन.एम. हैं लेकिन प्रसव केन्द्र, लेबर रूम नहीं है और वार्ड नहीं है, अगर लेबर रूम और वार्ड का वहां इंतजाम कर दें तो निश्चित रूप से यह भी वहां के माइनोरिटी के लोगों को एक सुविधा हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र में तहसील हैडक्वार्टर जमुवारामगढ़ है, वहां मेटरनिटी सेंटर नहीं है, महिला चिकित्सालय नहीं है, अगर एक महिला चिकित्सालय पर वहां भी खोल दिया जाय तो जयपुर के ऊपर भी उसका दबाव कम होगा और वहां के लोगों को सुविधा भी

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

मिलेगी। साथ ही एक अंत में, जोरावरसिंह गेट के बाहर एक हास्पिटल है, उसमें किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है, अगर वहां सुविधा बढ़ा दी जाय तो आपकी कृपा होगी। माननीय अध्यक्षजी, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री अतर सिंह भडाना। श्री राव राजेन्द्र सिंह। श्री नरेन्द्र नागर। श्री कन्हैया लाल पाटीदार। श्री रामकिशोर मीणा। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव दिये थे, उन कटौती प्रस्तावों के ऊपर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सरकार बनने के बाद में निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री महोदया और चिकित्सा मंत्री महोदय के प्रयासों से चिकित्सा क्षेत्र के अन्दर उल्लेखनीय कार्य भी हुए हैं और आम आदमी को चिकित्सा सुविधाएं मिल सके, इसके लिए अनेकों योजनाएं भी शुरू की गई हैं। दो-तीन सुझावों के माध्यम से मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। सरकार के द्वारा संचालित जितने भी विभाग हैं उन सब विभागों में सबसे संवेदनशील विभाग यदि कोई है तो वह चिकित्सा विभाग है और आज इस विभाग पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, आम आदमी को सुविधाएं कैसे मिले, आम-आदमी को चिकित्सा योजनाएं कैसे पहुंचे, इन सभी की चर्चाएं आज इस मांग के ऊपर होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन सुझाव मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को रखना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र से पुलिस के माध्यम से कुछ आंकड़े मंगाये कि अपने इस चौमूं विधान सभा क्षेत्र में कितनी दुर्घटनाएं घटीं और कितनी दुर्घटनाओं के अंदर अकाल मृत्यु हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर 481 दुर्घटनाएं पुलिस के अंदर रजिस्टर्ड हुईं और पुलिस का मानना है कि 101 लोगों की मृत्यु उन दुर्घटनाओं के द्वारा हुई और पुलिस का मानना यह है कि यदि उन्हें प्राथमिक सुविधाएं समय के ऊपर उपलब्ध होतीं तो लगभग पचास प्रतिशत लोगों को बचाया जा सकता था और मेरा मानना है कि यदि इन चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाय तो निश्चित रूप से वह पचास प्रतिशत लोगों को बचाने का कार्य आराम से, थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ाने से हो सकता है। अभी पिछले वर्ष के बजट के दौरान मैंने मेरे विधायक कोटे से एक

(श्री रामलाल शर्मा)

एम्बुलेंस चौमूं की सी.एच.सी. में दी और आज उस एम्बुलेंस की स्थिति यह है कि कभी भी दो या तीन चक्कर जयपुर आये बिना वह एम्बुलेंस नहीं रहती और मेरा तो सभी माननीय सदस्यों से एक आग्रह है और मंत्रीजी से भी एक निवेदन है कि आप सभी यदि माननीय सदस्यों को एक पत्र भी लिखें कि जितनी भी अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में जो सी.एच.सी. हैं उन सभी सी.एच.सी. के अंदर अपने कोटे से एम्बुलेंस देकर उन व्यक्तियों की दुर्घटनाओं के दौरान जो अकाल मृत्यु होती है, उनको कम से कम अपन बचा सकते हैं। दूसरा एक और सुझाव मैं आपके सामने मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आक्रोश तब भड़कता है जब ड्यूटी के ऊपर कोई डाक्टर नहीं मिलता। इसलिए मेरा सुझाव है कि जितनी भी सीएचसी हैं, पीएचसी के ऊपर तो संभव नहीं है, जितने भी सी.एच.सी. हास्पीटल्स हैं उन सब सी.एच.सी. में यदि रात्रिकालीन, क्योंकि एक सी.एच.सी. में चार या पांच डाक्टर आसानी से उपलब्ध रहते हैं, यदि चार-पांच में से एक डाक्टर की रात्रिकालीन सेवाएं दी जाये तो यदि प्राथमिक उपचार के लिए कोई डाक्टर उपस्थित रहता है तो परिजनों में यह संतोष जरूर रहता है कि चलो डाक्टर साहब समय के ऊपर मिल गये, आगे मरीज की क्या स्थिति रहेगी, वह इस बात की चिंता नहीं करते। डाक्टर यदि सीट के ऊपर मौजूद है और उन्हें प्राथमिक उपचार मिल जाता है तो परिजनों को संतुष्टि रहती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप कर सकें तो ऐसा एक नियम या आदेश जरूर निकालें कि जितने भी सीएचसी हैं उन सी.एच.सी. में रात्रिकालीन डाक्टर वहां उपस्थित रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी जो समस्या है, हास्पिटल सी.एच.सी. हो चाहे पी.एच.सी. हो, मेन पावर की है।

और जब तक मेन पॉवर नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं रहेगा तब तक किसी भी होस्पिटल की दशा नहीं सुधर सकती। मंत्रीजी से पहले भी मेरी चर्चा हुई थी और एक सुझाव भी हमने दिया था कि जितने भी सी.एच.सी. के नजदीक में नर्सिंग इंस्टिटयूट हैं या नर्सिंग कालेजेज हैं उनके अंतिम वर्ष के छात्र जो वहां पर अध्ययन कर रहे हैं यदि उन छात्रों को राज्य सरकार के द्वारा एक ऐसा आदेशा निकाले कि तब तक उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वो नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्र नजदीकी सी.एच.सी. या पी.एच.सी. के डाक्टर से लगभग दो या तीन महीने का प्रमाण पत्र नहीं लेकर आते तो एक मेन पॉवर हमारी बढ़ेगी और दूसरा उनका प्रैक्टिकल काम करने का अनुभव भी बढ़ेगा इसलिए मेरा एक सुझाव है कि इस

(श्री रामलाल शर्मा)

क्षेत्र में भी मंत्री महोदय निश्चित रूप से गंभीरता से बातचीत करेंगे और मेन पॉवर बढ़ाने का यह अपना सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है ।

एक और सुझाव मंत्री महोदय को मैं देना चाहूंगा कि जो सी.एच.सी. पर रिलीफ सोसायटियां बनी हुई हैं कुछ रिलीफ सोसायटियां इतनी आत्मनिर्भर हैं कि उन्हें आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं होती है और जब भी हमारी रिलीफ सोसायटीज के माध्यम से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम चौकीदार रख सकते हैं, हम चपरासी रख सकते हैं, हम गार्ड रख सकते हैं लेकिन नर्सिंग स्टाफ हम रिलीफ सोसायटीज के माध्यम से नहीं रख सकते । जो रिलीफ सोसायटीज आर्थिक रूप से सक्षम हैं लोग वहां पर सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं तो मेरा सुझाव है कि वहां पर जो छात्र-छात्राएं जिनके पास सर्टिफिकेट है जिन्होंने ट्रेनिंग नर्सिंग की पूरी की है उनको वहां काम करने के लिए चाहे संविदा के आधार पर और चाहे कांट्रेक्ट बेस पर किसी भी तरीके से उन्हें रखने की परमिशन राज्य सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए ताकि वहां पर मेन पॉवर के जो पद वेकेंट रहते हैं यह वहां पर आवश्यकता के अनुसार उनकी स्थानीय स्तर पर व्यवस्था भी की जा सकती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो माननीय मंत्री महोदय की विशेष कृपा रही है एक हौम्योपैथिक होस्पिटल की आपने स्वीकृति दी एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय को 'ए' श्रेणी में क्रमोन्नत करने के आदेश आपने फरमाये, दो सब सेन्टर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोले हैं इसके अलावा जो वेकेंट पोस्ट्स थीं उसके अलावा भी वेकेंट पोस्ट्स तो आपने भरने का कार्य पूरा किया। दो तीन डाक्टर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त भी मेरे सीएचसी चौमूं में लगे हैं मेरा तो मंत्री महोदय से इतना निवेदन है कि तीस बेडेड होस्पिटल है तो तीस को पचास करने के बजाय मेन पॉवर बढ़ाने का काम करें वहां पर चिकित्सा की सुविधाएं यदि ज्यादा देंगे तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि सरकार दिसम्बर, 2003 में बनी थी उस समय चौमूं के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की संख्या लगभग दो सौ, सवा दो सौ थी और आज उस होस्पिटल में लगभग मरीजों की संख्या प्रतिदिन साढ़े पांच सौ के आसपास है और जिस गति से मरीजों की संख्या बढ़ रही है यदि उस हिसाब से सुविधाएं वहां पर और बढ़ा दी जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। अभी मेरे से पूर्व जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जयपुर को केन्द्र मानते हुए पचास

(श्री रामलाल शर्मा)

किलोमीटर की दूरी में यदि सेटेलाइट होस्पिटल खोल दिया जाए तो निश्चित रूप से जयपुर के एस.एम.एस. का दबाव भी कम होगा । मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अगर पचास किलोमीटर नहीं तो तीस किलोमीटर की परिधि में चौमूं है, बस्सी है, चाकसू है, बगरू है और इन सी.एच.सी.ज. को सुविधायुक्त बनाकर और जयपुर के एस.एम.एस. का दबाव कम कर सकते हैं और निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय गंभीरता से इस विषय को लेकर जयपुर के एस.एम.एस. का दबाव कम करने के लिए इन सी.एच.सीज पर सुविधाएं बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक किशनपुरा ग्राम पंचायत है और किशनपुरा ग्राम पंचायत को यदि भौगोलिक स्थिति देखें तो उसके बीस किलोमीटर की परिधि में कोई दूसरी सी.एच.सी. नहीं है । किशनपुरा से इधर आओ तो हस्तेड़ा में पी.एच.सी. है, नीचे अगर पूर्व दिशा में आयें तो गोविन्दगढ़ में है, यदि उत्तर में जाएं तो रींगस में है इसलिए मेरी मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग है कि किशनपुरा ग्राम पंचायत में पी.एच.सी. की स्वीकृति के आदेश इस बजट सत्र में निश्चित रूप से वे करेंगे। दूसरी मांग...

श्री अध्यक्षः आपको बोलते हुए नौ मिनट हो गये एक मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी तो बोलते हैं चौमूं वाले। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः युवा मोर्चे का यहां क्या ताल्लुक है?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का आश्वासन इनके चेहरे की हंसी के माध्यम से मुझे लगता है कि ये मेरी मांग को स्वीकृत करेंगे । आने वाले समय में किशनपुरा में एक पी.एच.सी. और चौमूं के सामुदायिक चिकित्सालय को क्रमोन्नत करना ये दोनों ही मेरी मुख्य मांगें हैं और इन दोनों ही मांगों की स्वीकृति माननीय चिकित्सा मंत्रीजी देंगे। आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्षः इसमें मुझे जो नाम दिये गये हैं, मैं उन्हीं को पुकारूंगी। उसके बाद में आपको समय दिया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): दो मिनट लूंगा माननीय अध्यक्षजी। पांच मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा।

श्री अध्यक्षः अब श्री धर्मेन्द कुमार मोची। नये विधयकों को चाहिए कि वो कटौती प्रस्ताव दें। ...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): दे रखे हैं। कटौती के प्रस्ताव हैं।

श्री अध्यक्ष: कटौती के प्रस्ताव जिन्होंने दे रखे हैं तो आपकी पार्टी से जिनके नाम आये हैं मैं उन्हीं को पुकारूंगी।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): नाम है मेरा। 80 नम्बर पर है नाम है।

श्री अध्यक्ष: जब आपका नाम पुकारा था तब आप सदन से अनुपस्थित थे इसलिए अब आपका नम्बर बाद में आएगा।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): हां तो आपसे निवेदन कर रहा हूं बाद में ठीक है। कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बाद में आएगा आपको समय जरूर देंगे।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव के संबंध में चर्चा के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य की तेजस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे को एक अच्छा बजट पेश करने पर, धन्यवाद देता हूं आम वर्ग इससे खुश है जनता इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है और चिकित्सा सुधार के लिए इस बजट में बहुत कुछ किया गया है। गत वर्ष 558 चिकित्सक, 372 नर्सें और आगामी वर्षों में सौ चिकित्सक, दौ सौ ए.एन.एम., सात सौ नर्सें और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास सराहनीय प्रयास है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का एक नया कदम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को इसका लाभ मिलेगा और इसके साथ-साथ मैं अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा टिब्बी के बारे में चिकित्सा मंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि यह टिब्बी एस.डी.एम. हैडक्वार्टर है और इसके अन्तर्गत तीस पंचायतें आती हैं और जो वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां मात्र एक डाक्टर बैठता है जिसके कारण क्षेत्र की जनता को काफी दुःख तकलीफ होती है और दूरदराज एरिया हरियाणा में जाना पड़ता है या हनुमानगढ़ आना पड़ता है तो मेरा चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टिब्बी...

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्री का नहीं है आज चिकित्सा मंत्री का है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): चिकित्सा मंत्री। चिकित्सा ही बोल रहा हूं। मेरा चिकित्सा मंत्री से निवेदन है कि टिब्बी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का कष्ट करें ताकि क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके इसके साथ-साथ रावसर कस्बा नगरपालिका क्षेत्र है और

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

एसडीएम हैडक्वार्टर भी है और क्षेत्र के आसपास के सौ ग्राम है जो अकालग्रस्त हैं असिंचित क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहां रावसर में उपचार के लिए वो लोग आते हैं बिल्डिंग तो दानदाताओं ने वहां बना दी है कुछ एम.एल.ए. और एमपी कोटे से भी हुई बिल्डिंग हैं परन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर व्यवस्था पूरी नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता को हनुमानगढ़ या हरियाणा में जाना पड़ता है तो मेरा चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि रावसर में रेफरल होस्पिटल बनाया जाए। इसके साथ-साथ तलवाड़ा झील व थालकड़ा ये दोनों बड़े कस्बे हैं इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जरूरत है तो इनमें बनाये जाएं और पूर्व में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हैं उनमें बिल्डिंग नहीं है और वो निजी भवनों में चल रहे हैं जिसके कारण वो भवन खाली करने पड़ते हैं और मेरा निवेदन है कि अब की बार बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए राशि उपलब्ध करायी जाये इसके साथ-साथ रावसर के अन्दर एक तीस लाख रुपये की लागत से बिल्डिंग बनी हुई है जो गैर-आबाद पड़ी है मेरा चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उसके अन्दर यदि आयुर्वेद चिकित्सालय खोल दिया जाए तो क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हनुमानगढ़ जिले में एक मात्र जिला चिकित्सालय है।

वहां पर सीटी स्केन की व्यवस्थान न होने के कारण हमारे क्षेत्र की जनता को बीकानेर या जयपुर आना पडता है । यदि स्वास्थ्य मंत्री महोदय वहां पर सीटी स्केन की व्यवस्था करेंगे तो इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा । आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती ममता शर्मा ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 के कटौती प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया है। उसके लिए धन्यवाद स्वास्थ्य और चिकित्सा के विषय में सुबह से बहस चल रही है और काफी बातें यहां सामने आई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया और उसका जो रिप्लाई दिया उसमें महिलाओं को समर्पित बजट दिया है, ऐसा उनका मानना है । अध्यक्ष महोदय, अगर नारी का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो नारी को नौकरियां देने से और इन सब बातों से क्या मतलब हुआ?

श्री मदन दिलावर: आपका स्वास्थ्य तो ठीक है?

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): मेरा खराब ही कब था? मेरा तो अच्छा ही है लेकिन मैं आम गरीब जन की बात कर रही हूं, ट्राइबल की, एससी की जिनके हालात अच्छे नहीं है, उन महिलाओं के हालात अच्छे नहीं है उनके बारे में बात कर रही हूं । महिलाओं का स्वास्थ्य आज अहम मुद्दा बन गया है मेरा मानना है कि पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है कि प्रसव के दौरान जिस तरह से महिलाओं की मृत्यु दर बढ रही है, पहले भी थी अब भी है लेकिन इसको रोकने के लिये राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है । गांवों में अगर आप जाते हैं तो डाक्टर नहीं है, ए.एन.एम. नहीं है उसकी वजह से सारी समस्याओं का सामना करना पडता है। दूसरी बात यह है कि जिन शहरों में ए.डी.बी. प्रोजेक्ट पहले ही आ चुके हैं उन्हीं शहरों को दुबारा जो पैसा दिया जा रहा है उससे न तो ठोस कचरा प्रबन्धन का कार्यक्रम जिला हैड क्वार्टर पर चल रहे हैं और ना ही नालियां बन रही हैं। जिन शहरों का पहले विकास हो चुका है उनके बदले अगर विकास पर पैसा, क्योंकि सफाई का सीधा-सीधा संबंध स्वास्थ्य से है, मेरा मानना है कि अगर स्वास्थ्य को ठीक करने के लिये सफाई पर राज्य सरकार पूरा पूरा ध्यान देगी तो कहीं न कहीं इसके सफल नतीजे सामने आयेंगे ।

कुपोषण की समस्या जबरदस्त है। कुपोषण की वजह से बाडी में रजिस्टेंस पावर खतम हो जाती है और वह चाहे महिला प्रेगनेंट होती है तब भी या कोई बीमार होती है तब भी उसको बहुत जल्दी से वह पकड लेती है । इसके लिये राज्य सरकार को गंभीर रूप से सोचना चाहिये कि गांवों में और छोटे शहरों में जहां पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां के लिये डाक्टर की, ए.एन.एम. की, कम्पाउंडर की पूरी-पूरी व्यवस्थाएं हों ।

दूसरी बात पूरे राजस्थान में भ्रूण हत्या जो हो रही है इसके मामले में भी सरकार को बहुत गंभीर होना पडेगा । क्योंकि 6 साल की जो कन्याएं हैं, बालक हैं उनमें जो घटता लिंगानुपात है उस पर सरकार को चिंतित होना चाहिये क्योंकि मैं मानती हूं कि कई महिलाएं अपना सैलफ सलेक्ट अबोर्शन भी करवाती हैं वह बात और है लेकिन इसमें अवेयरनेस लाने के लिये सरकार को और ज्यादा प्रयास करने चाहिये वरना जो बच्चियां हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है यह एक बहुत चिंता का विषय है । मेरा मानना है कि जो सीटी स्केन मशीन हैं उन पर किस तरह से आप लगाम लगा सकते हो चाहे तो अचानक छापा मारकर या किसी भी वेश में जाकर कैसे भी उनसे यह बात करें तो अपने आप ही आपके सामने मुद्दे आयेंगे लेकिन अगर आप

(श्रीमती ममता शर्मा)

इस मामले में कोई कोशिश ही नहीं करोगे तो मेरा मानना है कि आप इसमें सफल नहीं हो सकते हो और दिन प्रतिदिन बच्चियों की संख्या कम होती जा रही है । 22 जिलों में तो लिंगानुपात बहुत ज्यादा गिर चुका है । जो जिले बाकी हैं उन पर भी ध्यान दीजिए और जो जिले बहुत ज्यादा गिर चुके हैं उन पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ।

तीसरी बात पूरे राजस्थान में जो बी.पी.एल. कार्डधारी हैं उनको बहुत समस्या का सामना करना पडता है । पहली बात तो जब बी.पी.एल. का चयन होता है तभी चयन गलत होता है । ज्यादातर पसर्टेंज अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो बडे बडे आदमी हैं जिनकी 20 बीघा जमीन है, घर में एम्बेसेड़र कार है और वह आपको पता लगेगा कि वह बी.पी.एल. हैं । खास तौर से एसटी, एससी के गरीब तबके के लिये जो बना है वह पूरे-पूरे लाभान्वित हो, हमारे पूरे राजस्थान के लिये यह एक कहना है ।

श्री हेमराज मीणा: यह सर्वे आपके राज में ही हुआ था ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): अभी भी हुआ है और उस सर्वे में भी यह ज्यादा गडबड घोटाले हुए हैं और पिछले राज को ही चलाते रहोगे तो इसी में यह तीन साल बचे हैं यह भी निकल जायेंगे । इसलिए आने वाले कल की बात कीजिए। हमें आने वाले कल के लिये क्या करना है और अपना भविष्य सुधारना है। वरना बिगड तो रहे ही हैं इसमें कोई दो राय नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, टेली-मेडिसिन के लिये मुख्य मंत्रीजी ने बहुत घोषणाएं की हैं और वह घोषणाएं केवल ढकोसला बनकर रह गई, एक शोपीस बनकर रह गया। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि कितने टेली मेडिसिन के केस इस राजस्थान गवर्नमेंट के टाइम में अभी हुए हैं । क्योंकि मान लीजिए बूंदी में या झालावाड में या नागौर में कहीं भी किसी को हार्ट अटैक होता है वहां वह इक्युप्मेंट ही नहीं है, डिजीटल सीटी स्केन ही नहीं है, दूसरी मशीने ही नहीं है जिनके द्वारा वह यहां ई-मेल करें और मैं तो यह भी पूछना चाहूंगी कि डा.मधोक, डा.पनगडिया, डा.धारकर इन से पूछो कि इन्होंने कितने केसेज किये हैं? मेरे ख्याल से अगर आप लगायेंगे तो पांच केसेज भी सामने नहीं आयेंगे ।

श्री अध्यक्ष: यह तो न्यूरोसर्जन हैं आप हार्ट की बात कर रही हैं । धारकर वगैरह तो न्यूरोसर्जन हैं ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): सारा इलाज तो यही लोग देखते हैं वहां तो एक जो एम.डी. बैठा हुआ है वह तो इलाज नहीं कर सकता और वह कोई जानकारी देना चाहेगा और उसका रिप्लाई लेना चाहेगा तो मैं यह पूछना चाहती हूं आपका जो टेली-मेडिसिन है उसमे कितना काम हुआ है । मेरे ख्याल से तो एक ढकोसला बनकर रह गया और आज तक कुछ भी नहीं हुआ । जब तक कि फुली इक्युप्ट जिले के हास्पिटल नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा । इस पर भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये। लास्ट टाइम एक कांफ्रेस की थी लंदन में जिसमें प्राइवेट डाक्टर को इन्वाइट किया गया था और वह इन्वीटेशन इसलिए दिया था कि मेडिकल ट्युरिज्म को हम बढावा देना चाहते हैं और वह कांफ्रेस केवल इसीलिए हुई थी कि मेडिकल ट्युरिज्म को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में लाया जाये । लेकिन वह मेडिकल ट्युरिज्म हर तरफ से दम तोड रहा है क्योंकि सरकारी अस्पतालों की तो हिम्मत नहीं है कि मेडिकल ट्युरिज्म में कुछ कर सके लेकिन अगर प्राइवेट हास्पिटल को आप इन्वाल्व करेंगे तभी कुछ हो पायेगा । इसके लिये आपका ट्युरिस्ट डिपार्टमेंट, हैल्थ डिपार्टमेंट, आपके मंत्री गण और विपक्ष से भी दो सदस्यों को लेकर एक कमेटी बने ताकि उस पर कांफ्रेंसेस हो, उस पर संगोष्ठियां हो और फिर उस का यह निकले कि किस तरह से हम मेडिकल ट्युरिज्म को राजस्थान में लाना चाहते हैं। आपके गुजरात, मुम्बई, साउथ इंडिया,दिल्ली यहां पर मेडिकल ट्युरिज्म आ चुका है और उसकी वजह से राज्यों की हालत में सुधार हुआ है, डवलपमेंट हुआ है, फाइनेंशियली वह लोग बहुत ज्यादा साउंड होते जा रहे हैं । क्योंकि जब एक पेशेंट बाहर से आता है तो उसके साथ कम से कम 2-3 जने साथ में आते हैं तो वहां के जों लोकल लोग हैं उनको रोजगार भी मिलता है, उनको फेसिलिटी भी उपलब्ध होती है तो मेडिकल ट्युरिज्म की जब आप बात करते हैं तो अभी भी आपने कुछ नहीं किया इस घोषणा के पुलिंदे को थोडा सा खोलने की कोशिश कीजिए, मेरा यह मानना है । मेडिकल ट्युरिज्म तो क्या लेकिन ट्युरिज्म के लिये राजस्थान गढ है और मैं मानती हूं मंत्री महोदया यहां विराजमान हैं वह खुद चाहती है कि इसको आगे से आगे बढावा दिया जाये लेकिन क्यों नहीं हो रहा है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है । मैं चाहूंगी जैसे यूके ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, साउदी अरब, सिंगापुर, थाइलैण्ड ले लीजिए यह लोग बहुत रिच हो गये हैं मेडिकल ट्युरिज्म की वजह से तो हम क्यों नहीं अपने राजस्थान में इसको ज्यादा से ज्यादा बढावा दें तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं हमें इसका लाभ मिल पायेगा । उदयपुर

(श्रीमती ममता शर्मा)

जयपुर के दो हास्पिटल ऐसे हैं जिसमें मेडिकल ट्युरिज्म आ सकता है । मैं पूछना चाहती हूं कि आपने कभी उनसे लायजन किया, कभी नहीं किया । जब तक आप उनसे लायजन नहीं करोगे तब तक आप इसको बढावा भी नहीं दे पायेंगे । जैसे आपने इण्डस्ट्रीयल पालिसी बनाई है, जैसे आपने माइन्स पालिसी बनाई है उसी तरह से मेडिकल ट्युरिज्म पर भी एक पालिसी बनाइए और एक कमेटी गठित करके इस पर कोई न कोई काम करेंगे तो मेरा मानना है कि हम लोग कहीं न कहीं सफल हो पायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, बढती जनसंख्या पर सरकार की कोई चिंता सामने नजर नहीं आ रही है । सुबह भी माननीय सदस्यों ने बढती जनसंख्या की बात की थी ।

बढ़ती जनसंख्या के लिए, मैं मान रही हूं हम टी.वी. देखते हैं, टी.वी में भी आप काफी एड दे रहे हैं! अखबारों में भी दे रहे हैं और वैसे भी जगह-जगह लिख रहे हैं लेकिन इसकी अवेयरनेस अभी गांवों में नहीं है जब तक गांव में, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिकियेशन ही नहीं है। गांवों में और ज्यादा अवेयरनेस लाने के लिए, जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार को बहुत प्रयास करने चाहिये, मेरा ऐसा मानना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे भी बताना चाह रही हूं जितने भी जिला हैडक्वार्टर है उनकी हालत यह है कि रैफरल हास्पिटल आपने दे रखे हैं कम से कम उनको ए ग्रेड हास्पिटल दीजिए, तो उनको कोई सुविधा मुहैया हो सकेगी1 वहां पर हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। जब तक बूंदी से कोटा रैफर किया जाता है पेशेंट बीच में ही दम तोड़ देता है। नेशनल हाइवे पर जितने भी जिला मुख्यालय आ रहे हैं वहां वही बात ले देकर टयूरिस्ट की भी है, आपके लोकल जाने वाले यात्री हैं उनकी भी है। एक्सीडेंट होता है, ट्रोमा हास्पिटल की कोई सुविधा नहीं है । ट्रोमा वार्ड नहीं है, तो इसमें आप और कुछ नहीं तो ट्रोमा वार्ड तो दीजिए जिसमें वह जाकर इलाज करा सके। एक एम्बुलेंस, ऐसी बड़ी एम्बुलेंस मिले। यहां एस.एम.एस. में ही ढंग की एम्बुलेंस नहीं है। कई दवाइयां ही उपलब्ध नहीं रहती। अभी सी.एस. की तबीयत खराब हुई तो कई दवाइयां उपलब्ध नहीं थी। सरकार को इन सब बातों को गम्भीरता से लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती ममता शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी खतम करने वाली हूं। मुझे पता था कि आप कहेंगे कि जल्दी करो। आजकल फास्ट लाइफ में...

श्री अध्यक्ष: यह तो है, आपका कोई कटमोशन तो है नहीं। आपका कोई कटमोशन नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा: मेरा है ना। अध्यक्ष महोदय, मेरा कटमोशन चार दिन पहले का दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपने चाहे कितने ही दिन पहले दिया हो, कटमोशन की जो लिस्ट है उसमें आपका कोई कटमोशन नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, तो नाम...

श्री अध्यक्ष: खैर, अब बोल रही है तो बोलिए, अब है तो नहीं इसमें।

श्रीमती ममता शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह जो फास्ट लाइफ है और स्ट्रेस है इसकी वजह से लोगों को हार्टअटैक हो रहे हैं इनके लिए सरकार को मैं बार-बार निवेदन करूंगी कि बड़े-बड़े हास्पिटल और जो छोटे-छोटे हास्पिटल हैं इनमें भी हार्ट स्पेशलिस्ट दें।

दूसरी बात, मैं कुछ फैसेलिटिहीज ट्राइबल एरियाज के लिए भी मांगना चाहूंगी। जो ट्राइबल हैं, मेरे एरिया में खासतौर से भील ट्राइबल हैं और उनमें टीबी की बीमारी बेहद घर कर चुकी है। वहां डाक्टर नहीं होने के कारण, उनमें अवेयरनेस नहीं होने के कारण, कुछ शर्म होने के कारण कि हम कैसे डाक्टर को यह बात कहेंगे कि हमको यह बीमारी है तो इनमें अवेयरनेस लाने के लिए भी कोई न कोई ऐसे प्रोग्राम किये जाए, ऐसी बात की जाए ताकि उनको यह सब सुविधा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसी भी गांव की आबादी जो तीन हजार से ऊपर हैं वहां कम से कम दो डाक्टर और एक लेडी डाक्टर की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। सात हजार की आबादी में मेरे यहां केवल एक डाक्टर है1 नमाना कस्बा है बहुत बड़ा, जो बरड़ का स्वागत द्वार कहलाता है, केवल एक डाक्टर। जब वह भी नहीं होता, पेथोलोजी लैब की कोई सुविधा नहीं है। कम से कम ऐसा तो हो कि मलेरिया की जांच हो जाए, पेशाब की जांच हो जाए। अगर इतना सा भी हो जाता है तो आदमी को सीधा भागकर बूंदी नहीं आना पड़ता। 15-15,20-20 किलोमीटर जब तक पेशेंट आता है तब तक उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जो सी.एच.सी. है, सी.एच.सी. तो देनी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय शायद नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तालेड़ा बहुत बड़ा कस्बा है जिसकी आबादी दस हजार है, वहां सी.एच.सी. होनी चाहिये। जो डाबी एरिया है, जहां कम से कम 48 प्रतिशत ट्राइबल है वहां

(श्रीमती ममता शर्मा)

आपको पी.एस.पी. देनी चाहिये1 नमाना वगैरह में एक डाक्टर, एक लेडी डाक्टर की व्यवस्था क्योंकि आज भी आज ग्रामीण इलाके में जाते हैं तो, बिना लेडी डाक्टर के महिलाएं बहुत ज्यादा कष्ट पा रही है।

मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, मेरे यहां बूंदी हास्पिटल है उसमें ना तो सीनियर गाइनिकी स्पेशलिस्ट है ना जूनियर गाइनिकी स्पेशलिस्ट है। मैं चाहती हूं कि कम से कम आप दोनों जल्दी दें। माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, मैंने अपनी बात कही शायद आपने नहीं सुनी है लेकिन मंत्रीजी नोट कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि इन बातों पर जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री प्रहलाद गुंजल

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवम सफाई की मांग संख्या 26 पर चर्चा हो रही है। कटमोशन पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण मांग पर इस सदन में चर्चा हो रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचकांक खाली जी.डी.पी. के आधार पर नहीं आंका जाता। उस राष्ट्र का लोक स्वास्थ्य और उसका शैक्षणिक स्तर उसकी प्रगति के मापदण्ड तय करता है। लोक स्वास्थ्य अपने आप में समाज की, राष्ट्र की दौलत है, पूंजी है और इसमें छीजत आना मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय क्षति के समान है। आज बहुत महत्वपूर्ण मांग पर काफी गम्भीरता पूर्वक चर्चा करते हुए सभी माननीय सदस्यों ने वर्तमान के संदर्भों में हमारी दशा और दिशा चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार की होनी चाहिये, काफी मौलिक विचार अपने इस सदन को दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य के महत्व को समझकर भारत सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई और राजस्थान की सरकार ने 1983 में इसको एडाप्ट किया। 1983 में एडाप्ट करने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाने का उद्देश्य चाहे वह भारत की सरकार के द्वारा बनाई गई हो चाहे, राजस्थान की सरकार ने उसको स्वीकार किया हो, राष्ट्र के, समाज के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक नागरिक को मिले, इस उदेश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा नीति बनी और उसमें प्रावधान किये गये। हम अगर ईमानदारी से समाज के प्रत्येक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो फिर हमें जी.डी.पी. का तीन प्रतिशत इस पर अनिवार्य रूप से खर्च करना पड़ेगा। किसी राज में कितना खर्च हुआ राष्ट्रीय नीति के मापदण्डों के अनुसार किस-किस सरकार में बजट प्रावधानों को किस प्रकार से तय किया गया मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता।

कमोवेश पिछले दस सालों में लगातार हम एक प्रतिशत से ज्यादा राशि जी.डी.पी. की लोक स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर पाये लेकिन आज माननीय अध्यक्ष महोदय जमीनी हकीकत के बारे में विचार करना पड़ेगा। हम लोक स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की चर्चा कर रहे हैं तो उस समय हम इस मौलिक विचार से दूर नहीं जा सकते कि हमारे सामने की जमीनी हकीकत क्या है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जो पेशे से भी अच्छे चिकित्सक है, अपने अनुभव के आधार पर अपनी बात कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष: आप अपने प्रस्तावों पर आइये, भूमिका मत बांधो।

श्री प्रहलाद गुंजल: मैं उसी पर आऊंगा। अब आपने बोलने से पहले ही विचार के प्रवाह को रोक दिया।

श्री अध्यक्ष: मैंने टोका नहीं है। मैंने याद दिलाया है कि कटौती प्रस्ताव तो रह जाएंगे और भूमिका बांधते रहेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल: प्रवाह खतम हो गया।

श्री अध्यक्ष: इसलिए याद दिलाया है कि आप कटौती प्रस्ताव पर आइये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर आऊंगा। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमको आज सदन में चर्चा करते समय जमीनी हकीकत को स्वीकार करने की चर्चा करनी चाहिए। यह लम्बे समय से लगातार चर्चा होती है और हर साल हम आंकड़ों की एक लम्बी-चौड़ी फैहरिस्त सदन में चर्चा करके रखते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने इस जमीनी हकीकत को स्वीकार करे अपने बजट में उल्लेख किया कि चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान वर्तमान स्वास्थ्य सूचकांकों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे है। यह चिन्ता का विषय हो सकता है लेकिन यह हमारी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

संकल्प शक्ति को बढ़ाता है और उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया कि हम कृण्वन्तो विश्वमार्गोयम, हम समस्त विश्व को निरोग करें, इस भावना के आधार पर चिकित्सा के क्षेत्र में समाज को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये आगे बढ़ेंगे। मैं आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के चिकित्सा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को कि राजस्थान जो भौगोलिक दृष्टि से इस देश का सबसे बड़ा प्रान्त है, आधा तो हमारा भौगोलिक क्षेत्र मरु और पठारी है, हम खाली चिकित्सा की बात नहीं करें। इनके सामने पानी-बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी एक बहुत बड़ा चुनौती का काम बना हुआ है। लेकिन पहली बार पिछले बजट में उस मरु क्षेत्र में जाकर उसके दरवाजे पर चिकित्सा पहुंचाना, इस सोच के आधार पर राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने काम किया। और जो घोषणाएं पिछले बजट में की थीं, मैं आंकड़े नहीं बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो घोषणाएं, पिछले 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसका विवरण भी हमारे सामने है और ढाई साल का वर्तमान सरकार का विवरण भी हमारे सामने है।

श्री अध्यक्ष: आप यह एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलना, अब आप अपने कट-मोशंस पर आएं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य बोले हैं, सबने अपनी बात को पारदर्शी तरीके से कहा है, मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप अभी तक भूमिका ही बांध रहे हैं और कट-मोशंस पर आ ही नहीं रहे हैं। आपका समय शुरू हुआ था 6.34 पर, 9 मिनट तो अपने भूमिका में लगा दिये हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): सदन में सभी सदस्यों ने टेली-मेडिसिन के बारे में चर्चा की है। निश्चित रूप से टेली मेडिसिन आज के युग की आवश्यकता है। इसका लाभ आम व्यक्ति को मिलना चाहिए। मैं चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि टेली मेडिसिन से पूरे जिलों को जोड़ने का उनका कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन वर्तमान के इस दौर में हमें इस आवश्यकता को समझना पड़ेगा और इस आवश्यकता को समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम इसको ब्लाक लेवल की सी.एच.सी. तक पहुंचाने का प्रयास करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो सुविधाएं आज से 20 साल पहले 30 साल पहले राजस्थान के प्रत्येक जिले को

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मिल जानी चाहिए थीं, हार्ट-अटेक की प्राब्लम हो, चाहे सी.टी. स्केन का मामला हो, चाहे ब्लड केमेस्ट्री की जांच का मामला हो या दिमाग की ई.ई.जी. का मामला हो, अगर राजस्थान के किसी भी कोने में मरीज को तकलीफ का सामना करना पड़ता था तो मेडिकल चिकित्सा इकाई के अलावा उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। पहली बार राजस्थान के चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं, और यह समय की आवश्यकता है, कि केवल 10 जिलों को जोड़ने से काम नहीं चलने वाला है, राजस्थान के प्रत्येक जिले को, जिला अस्पताल को टी.एम.टी. की सुविधा होनी चाहिए, राजस्थान के प्रत्येक जिला अस्पताल को सी.टी. स्केन की सुविधा होनी चाहिए, वहां पर ई.ई.जी. की सुविधा होनी चाहिए, वहां पर टी.एम.टी., ई.ई.जी. के कलर डाप्लर की सुविधा होनी चाहिए। वहां पर ब्लड केमेस्ट्री की सुविधा होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि इसको नीचे तक ले जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं जिस महत्वपूर्ण बात को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं, बहुत सारी चिन्ता पिछले दो साल में की है लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज हमारे सामने जो अहम प्रश्न खड़ा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम चिकित्सा सुविधाओं को ठीक तरह से उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आज हमको इस दिशा में महत्वपूर्ण विचार करना पड़ेगा कि लगातार हम यह तय करते हैं कि जिस डाक्टर की पहली पदोन्नति होगी, गांव में उसकी सेवा ली जाएगी। क्यों नहीं गांव के व्यक्ति को भी विशेषज्ञीय सुविधाएं मिलनी चाहिए। गांव में आप डाक्टर की पोस्टिंग करने से पहले जो लगातार कई वर्षों से हमारे सामने यह बात आती है, गांव में डाक्टर जाते नहीं हैं, गांव में डाक्टर टिकते नहीं हैं और गांव के व्यक्ति को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज डाक्टर की पोस्टिंग से पहले, सी.एच.सी., पी.एच.सी. खोलने से पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कीजिए। डाक्टरों को रखने की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कीजिए और देर सवेर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन स्थितियों के चलते हुए हमको यह भी विचार करना पड़ेगा कि डाक्टरों की गांव में रुकने की, नहीं यह प्रवृत्ति बनी रही तो हमको शहरी चिकित्सा सेवाएं और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का कैडर अलग अलग करना पड़ेगा। जब तक हम इस कैडर को अलग-अलग नहीं करेंगे, आज 2 प्रकार की भ्रांतियां इस सेवा में बनी हुई हैं कि शहरों में जिनकी पोस्टिंग है उनको इंसेंटिव मिलता है और गांव में जिनकी पोस्टिंग है वह महसूस करते हैं

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कि हमको पोस्टिंग के नाम पर सज़ा मिल रही है, किसी तरह का इंसेंटिव नहीं। आज सरकार को व्यवाहारिक रूप से अगर डाक्टर की मानसिक स्थिति इस प्रकार की तैयार करनी है कि वह गांव में रहकर सेवा दे तो उसको उस तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। उसकी सेवाओं में इंसेंटिव्ज का प्रावधान जब तक नहीं किया जाएगा तब तक डाक्टर गांव में रहने की मानसिकता तैयार नहीं कर पायेगा। हम बहुत कुछ प्रयास करने के बावजूद भी गांव के व्यक्ति को सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। मैं समझता हूं कि बहुत सारी बात, आज के इस अवसर पर मैं करना चाहता था लेकिन प्रारम्भ से ही आपने समय-सीमा में बांध दिया।

श्री अध्यक्ष: You have already taken 13 minutes. अब आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं इन पर हमको गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। पिछली बार आपने कट-मोशन पर आने की बात कही है। राजस्थान में बजट की घोषणा के अनुरूप माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज खोलीं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने कोटा जिले में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली और दोनों में आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र की जरुरत को समझा। मैं उसके लिये आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन मैं लगातार पिछले 2 साल से इस बात को आपके समाने रख रहा हूं कि कई बार आपका जो हास्पिटल्स के बैड्स को क्रमोन्नत करने का क्राइटेरिया है, उसके बारे में आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। मेरी रामगंज मण्डी में पिछले कई सालों से 50 बैड का अस्पताल है और आपका क्राइटेरिया है कि जब तक 2 साल तक 50 बैड फुल नहीं होंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर गायनिक की सुविधा नहीं है, आपके वहां पर बच्चों का डाक्टर नहीं, वहां पर सर्जरी की सुविधा नहीं, एनेस्थिसिया का डाक्टर नहीं, केवल इतने बड़े अस्पताल में मेडिसिन की एक यूनिट काम करती है। मेडिसिन की यूनिट के काम करते हुए 50 बेड लगातार भरे रहें, यह सम्भव नहीं है। जब आप इस क्राइटेरिया को पूरा करना चाहते हो तो फिर आप वहीं पर सर्जरी की सुविधा दें, आप वहां पर एनेस्थिसिया की सुविधा दें, आप वहां पर गायनिक की सुविधा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दें, आपके वहां पर बच्चों के डाक्टर की सुविधा दें और आज के इस मौके पर मैं राजस्थान के चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि गायनिक बच्चों के डाक्टर की और एनेस्थितिया के डाक्टर की डिमाण्ड बढ़ती जा रही है। हमको यह विचार करना पड़ेगा कि संसाधनों के अभाव में हम गायनिक के डाक्टर नहीं लगा सकते हैं, हम एनेस्थिसिया के डाक्टर नहीं लगा सकते हैं तो जितने डाक्टर्स हमारे पास वर्तमान की व्यवस्था में मौजूद हैं, क्यों नहीं आप उनको एनेस्थिसिया की ट्रेनिंग देते हैं, क्यों नहीं आप उनमें से किसी को गायनिक के लिये परिपक्व करते हैं? यह व्यवस्था आप जब तक लागू नहीं करेंगे, गायनिक के डाक्टर भरे जाएंगे, एनेस्थिसिया के डाक्टर भरे जाएंगे, इसके अभाव में राजस्थान का व्यक्ति, गांव का व्यक्ति चिकित्सा के अभाव को कितने सालों तक झेलता रहेगा? (व्यवधान) आज सरकार को इस दिशा में बढ़ना पड़ेगा कि जो मौजूदा डाक्टर हैं, उनको एनेस्थिसिया की ट्रेनिंग दें।

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट ले लिये आपने। आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं, अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

जो मौजूदा डाक्टर आज आपके पास हैं, उनको गायनिक की ट्रेनिंग दें और इसके आधार पर चिकित्सा की सुविधाएं गांव में उपलब्ध कराने का प्रयास करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोटा जिले का दूसरा सबसे बड़ा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब क्या बाकी रह गया? कनक्लूड करो। 16 मिनट ले लिया आपने। अब क्या बाकी रह गया? ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): कस्बा रामगंजमण्डी है। उसको 50 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नत किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में चेचक बहुत लम्बा-चौड़ा एरिया है। खनन का एरिया है।

श्री अध्यक्ष: क्या करें इनका?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): वहां की पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपने 16 मिनट ले लिये हैं। आप प्लीज एक मिनट में भाषण समाप्त कर दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी तो बेटरी चार्ज हुई है इनकी। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी तो बेटरी चार्ज हुई है साहब।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश की पालना कर रहा हूं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप यह कहकर और उन्हें उकसा रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं उकसाने में तो नहीं आऊंगा पर अब आपके आदेश की पालना करते हुए मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः करो।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र की मौलिक समस्याओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से भी माननीय मंत्री महोदय को कहा है। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह क्राइटेरिया चेंज करें। हम सुविधाओं के अभाव में, क्राइटेरिया का ईमानदारी से पालन जब करायें जब पूरी सुविधाएं हम दें और इसलिए इस क्राइटेरिया को नजरन्दाज करते हुए क्षेत्र की महती आवश्यकता को समझते हुए मैं नहीं समझता कि मेरे अलावा और जगह भी कहीं राजस्थान में इस प्रकार की आवश्यकताएं होंगी और आप बहुत गम्भीरता से प्रयास कर रहे हैं। मेरे रामगंजमण्डी के अस्पताल को 50 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नत किया जाए और चेचक की पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाए और एक ऐसे इलाके में जहां कि 40 परसेंट आबादी आदिवासी भील समाज की है, रामपुर में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। 6 पंचायतों के, मैं उनसे आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर पी.एच.सी. खोली जाए और अन्त में मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोटा के मेडिकल कॉलेज को इस बार बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है लेकिन 10 करोड़ रुपये का प्रावधान पर्याप्त नहीं है।

श्री अध्यक्षः बहुत अच्छा, धन्यवाद।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अब भी उस बिल्डिंग को पूरा करने के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि की और आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी जब भी एप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब देंगे तब मेडिकल कालेज के बारे में अपनी राशि बढ़ाये जाने के संदर्भ में और आज जो मैंने मेरी डिस्पेंसरीज के क्रमोन्नत करने के बारे में निवेदन किया है, उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ अपनी बात कहेंगे। आपने अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, ठीक है। श्री दाताराम गुर्जर।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 के कटमोशन पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ रहना मनुष्य के प्रथम सुख में माना जाता है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि सही काम करेगी और वह अपने जीवन के सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से कर सकेगा। आज सरकार ने बजट में भिन्न-भिन्न प्रकार की चिकित्सा के लिए पैसे भी दिये और डाक्टर्स को भरने की व्यवस्था की, घोषणा की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी दिक्कत एक ही आती है कि बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जिनमें डाक्टरों की पूर्ति नहीं है। कहीं कम्पाउंडर्स नहीं हैं। इस व्यवस्था को एक बार सुचारू रूप से कर दिया जाए तो गांवों में चिकित्सा सुविधा लोगों को उपलब्ध हो सकती है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने एस.एम.एस. के ऊपर जो दबाव की बात कही है, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि हर जिला मुख्यालय के ऊपर अगर चिकित्सा व्यवस्था सही कर दी जाए तो जिलों से जो दबाव एस.एम.एस. हॉस्पिटल में आता है वह निश्चित रूप से कम हो सकता है और यहाँ जयपुर शहर के जो भी माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटलों को अगर क्रमोन्नत किया जाए या उनमें सुविधाएं बढ़ायी जाए तो एम.एम.एस. में दबाव कम हो सकता है लेकिन एक बात यह मानी जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनको कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? एक व्यक्ति 200 किलोमीटर से चलकर इलाज के लिए यहां पर आता है अगर उसको जिला मुख्यालय पर सुविधा उपलब्ध हो जाए तो निश्चित रूप से कम खर्चे के ऊपर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकता है और जहां सब डिवीजन मुख्यालय के ऊपर जो सी.एच.सी., पी.एच.सी. है, उनके ऊपर भी चिकित्सकों की सही व्यवस्था हो। कई बार देखने में यह आता है, मैं मेरे क्षेत्र की बात कहूं कि वहां चिकित्सकों की वैसे

(श्री दाताराम गुर्जर)

भी कमी है और जो है उनमें से कई बार वहां के डाक्टर्स को कैम्पों में लगा दिया जाता है। एक हॉस्पिटल में पूरी तरह से डाक्टर नहीं हो और उनमें से भी कैम्पों में लगा दिया जाए तो जो गांव से कोई पेशेंट दिखाने के लिए आये और उसको जब मालूम पड़े कि डाक्टर उपलब्ध नहीं है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसलिए इस बात का विशेषकर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसे मुख्यालयों के ऊपर उनका, वहां पर डाक्टर्स का रहना जरूरी है और कई डाक्टर अपने अस्पताल के समय के अलावा उनका ठहराव नहीं होता है। अब ठहराव होना बहुत जरूरी है क्योंकि ईमरजैंसी केसेज कई ऐसे आते हैं, उस समय अगर उसको सही समय पर उपचार नहीं मिलता तो बड़ी घटना भी कई बार घटित हो जाती है। यहां पर इस कटमोशन के माध्यम से मैंने मेरे क्षेत्र में कई जगह अस्पताल खोलने की बात कही है और इस बार बजट में सरकार ने और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जन-सहभागिता के द्वारा अस्पताल खोलने की बात कही है। मेरे क्षेत्र में लोयल गांव ऐसा है कि वहां आज से सात साल पहले दानदाताओं ने करीबन 25 लाख रुपये खर्च करके एक भवन का निर्माण करवाया लेकिन गत सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की और पिछली बार के इसी कटमोशन के माध्यम से मैंने निवेदन किया था अगर कोई भी दानदाता अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से कोई भवन जनता के उपयोग के लिए बनाये और उसमें सरकार कोई विशेष ध्यान नहीं दे तो उसमें उनकी रुचि निश्चित रूप से कम हो जाती है। ऐसे में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जहां भवन पहले से दानदाताओं ने, भामाशाहों ने उपलब्ध कराया है, वहां पर प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सालय खोला जाए।

एक एम्बुलेंस के बारे में निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में एम्बुलेंस बहुत पुराना है। वैसे मेरे से पूर्व के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि नया एम्बुलेंस देने के लिए विधायक कोष से हम पहल करेंगे लेकिन जो एम्बुलेंस पुराने हैं उनके रख-रखाव के लिए भी सरकार अगर अलग से व्यवस्था करे तो वे भी काम में आ सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मैं अभी होली के ऊपर जब गांव गया तो चेचक के पेशेंट भी कई दिखने को मिले। जो बीमारी बहुत सालों पहले एक तरह से सम्पूर्ण रूप से लुप्त हो गयी थी, नष्ट हो गयी थी, उसका दुबारा से इस प्रकार से प्रभावित

(श्री दाताराम गुर्जर)

होना, यह बहुत बड़ी गम्भीर बीमारी के रूप में मानी जाती है। दो पेशेंटों से मैं मिला हूं। निश्चित रूप से सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस बीमारी को फैलने से पहले ही इसके उपचार के कड़े उपाय करके रोकथाम करने का प्रयास करना चाहिए और एक यहां गांवों में चिकित्सा व्यवस्था की बात है। सब सेंटर तो लगभग माननीय मंत्रीजी ने बताया कि सभी पंचायत मुख्यालयों पर खोले गये हैं लेकिन कम से कम चार-पांच पंचायत मुख्यालयों के ऊपर एक चिकित्सालय होना बहुत जरूरी है। जब शिक्षा की दृष्टि से सब जगह शिक्षा के उचित माध्यम सरकार ने बनाये हैं तो उसी प्रकार से चिकित्सालय भी जरूरी है और हमारी सरकार ने पहली बार विद्यालयों के अन्दर सभी छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर और एक स्वस्थ जीवन के लिए सबसे बड़ी पहल की और इसको इस बार इसी शिक्षा सत्र से चालू करके एक अच्छा कदम रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दो-चार पंचायतों के बीच में कम से कम एक चिकित्सालय जरूरी है।

बसई ग्राम में माननीय मंत्रीजी पिछले साल पधारे थे वहां के हमारे एक भामाशाह जिन्होंने मंत्रीजी को बुलाया था और उस समय इन्होंने घोषणा भी की थी शय्या वृद्धि की, इस बार के बजट में प्रावधान भी रखा गया है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस ओर ध्यान देकर बसई ग्राम में शय्या वृद्धि की घोषणा अपने जवाब में करेंगे।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री दाताराम गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, एक होम्योपैथिक चिकित्सा के ऊपर हमारी सरकार ने निश्चित रूप से ध्यान दिया है और ऐलोपैथी के बजाय होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा निश्चित रूप से अच्छी साबित हुई है। आज अगर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को ज्यादा बढ़ावा दिया जाये तो निश्चित रूप से साइड इफेक्ट की जो बीमारियां होती हैं वह कम हो सकती हैं।

श्री अध्यक्ष: अभी तो आप एलोपैथी सिस्टम की तारीफ कर रहे थे और अब आप होम्योपैथी पर आ गये।

श्री दाताराम गुर्जर: सरकार ने इस बजट में रखा है, तारीफ की बात नहीं है, चिकित्सा की कोई भी पद्धति हो, आवश्यक है 'ए' ग्रेड से जो भी मिले।

(श्री दाताराम गुर्जर)

एक सरकार ने राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलप करके जो चिकित्सालय चालू हैं, उनमें भवन निर्माण की जो व्यवस्था की है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। एक सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जो हार्ट वॉल्व का ऑपरेशन किया जाता है उसमें कुछ कमियों का कई मरीजों के माध्यम से ज्ञान हुआ कि उनके ब्लड और पैसे जमा करवा लिये जाते हैं और छह-छह, सात-सात महीने के बाद की तारीख दी जाती है। कई बार तो यह होता है कि वह पेशेन्ट छह महीने पकड़ता नहीं है और यह गंभीर रूप की बीमारी है इसलिए इसमें सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिये। जो व्यक्ति अपनी बीमारी के इलाज के लिये गांव से कर्ज लेकर पैसा इकट्ठा करके लाता है और उसका छह महीने तक ऑपरेशन नहीं होता उस पेशेन्ट के परिवार के साथ क्या बीतती है। इस पर निश्चित रूप से माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्रीजी को विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: यह चिकित्सा शिक्षा क्यों देंगे? यह तो चिकित्सा मंत्रीजी ही रह गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: यह मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्षः आप दे दो।

श्री दाताराम गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, गौ-धन को बचाने के लिये हमारी सरकार ने पंचगव्य की औषधि की महत्ता को समझा और इस बजट में इसकी व्यवस्था जो प्रस्तावित है, इसके लिये निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि पंचगव्य के माध्यम से जो दवाइयां बनेंगी, उससे निश्चित रूप से गो-पालन के ऊपर लोगों की रूचि बढ़ेगी और निश्चित रूप से गौ-माताओं को भी सम्मान मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आप दुबारा नहीं टोकें, इसके पहले आपने समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई पर चर्चा कर रहा है। मैं भी आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आज राजस्थान में चिकित्सकों की और चिकित्साकर्मियों की जो कमी है, यह सही है कि पहले से कमी चली आ रही

है और आज भी है। आप प्रयास भी कर रहे हैं। आर.पी.एस.सी. के जरिये भर्ती करने का काम भी किया है। यह निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसको आप पूरा करें, लेकिन यह कमी पूरी हो भी नहीं सकती। इसके लिये मैं आपको दोष भी नहीं देता। लेकिन जो हमारे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज हैं उनके स्ट्रेन्थन करने का सवाल है, लेकिन जो व्यवस्था है कहीं पैथोलॉजी का लैब है और वहां लैब टैक्नीशियन नहीं है। जहां पैथोलॉजी का लैब नहीं है वहां टैक्नीशियन है। इस व्यवस्था को तो कम से कम आप सुधार सकते हैं। कहीं एक्स-रे मशीन है वहां रेडियोग्राफर नहीं है, जहां रेडियोग्राफर लगा हुआ है वहां पर एक्स-रे मशीन नहीं है तो इस व्यवस्था को आप सुधारने का प्रयास करें। जयपुर के एस.एम.एस. में मुझे करीब दिन में एक बार तो जाना ही पड़ता है। ...(व्यवधान) जो कांस्टीट्वेंसी के पेशेन्ट आते हैं उनको देखने के लिये, सम्हालने के लिये जाना पड़ता है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो स्वस्थ हो न ?

मोहम्मद माहिर आजाद: मैं तो स्वस्थ हूं, जांच के लिये पर मुझे भी जाना पड़ता है ।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसी कौनसी बीमारी आपको लग गयी? ऐसी कौनसी बीमारी आपने लगा ली, जो रोज जाना पड़ता है?

मोहम्मद माहिर आजाद: मतलब, हॉस्टिपल में आप नहीं गये? मेरी पूरी बात अगर आप सुनते तो आपको खड़ा नहीं होना पड़ता। मैं कुल-मिलाकर यह कहना चाहता हूं कि जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय की व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार किया है और सफाई भी रही है। वहां की मशीनें चाहे वह गामा कैमरा था, चाहे दूसरी थी, उसके लिये सुपरिन्टेन्डेन्ट को भी, आपको भी, मेडिकल एजूकेशन मिनिस्टर साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हम कितने भी सब-सेन्टर खोल दें, कितने ही प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोल दें, कितने ही ब्लॉक डिस्पेंसरीज, रेफरल हॉस्पिटल खोल दें, यह सब नाकाफी है जब तक हम पापुलेशन को कंट्रोल करने के लिये कोई कारगर काम नहीं करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं माननीय कटारिया साहब यहां बैठे हैं और अध्यक्षजी, आप खुद भी इस बात की गवाह हैं, 1990 में तत्कालीन चिकित्सा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मंत्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी ने एक स्टेडी ट्यूर करने के लिये कुछ सदस्यों को इण्डोनेशिया, बंगलादेश और ईरान भेजा था–''टू विजिट लेटेस्ट टेक्निक फोर फैमिली वेलफेयर'' वह वहां उसका अध्ययन करके आये। कोई आदमी अगर यह बात कहता हो कि जनसंख्या वृद्धि का किसी जाति और धर्म से कोई ताल्लुक है, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या को सीमित रखने का सवाल शिक्षा पर है चाहे वह मुसलमान हो, चाहे हिन्दू हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो। जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है उसका परिवार आपको सीमित मिलेगा, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, अपेक्षाकृत पढ़े-लिखे के बनिस्पत उसका परिवार बड़ा मिलेगा। यहां रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, उनके भी दो बच्चे हैं, मेरे भी दो बच्चे हैं।

श्री मदन दिलावर: लालूजी भी पढ़े-लिखे हैं, उनके कितने बच्चे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप क्या बात करते हो बीच में ?

मोहम्मद माहिर आजाद: आप तो बैठ जायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदमी की भावना को, फ्लो को यह खतम कर देते हैं। आदत पड़ रही है, कुछ कीड़ा लग रहा है आपके। मैं जो निवेदन करना चाहता हूं गंभीरता के साथ, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि मेरे स्वयं के दो बच्चे हैं, मैंने 1985 में ऑपरेशन कराया, चाहे कितना भी समाज के लोग विरोध करें। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के दो बच्चे हैं। मुझे यह कहने में कोई एतराज नहीं है हमारे ही वर्ग के कामां से आने वाले सदस्य थे हाजी चाव खां जी, जो 1980 में एम.एल.ए. रहे, सारे सदन को सुनकर आश्चर्य होगा, आपको मालूम है उनके कितने बच्चे हैं, 34 बच्चे, बोलिये आप, ऑन रिकार्ड बात बता रहा हूं। यह स्थिति है इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसका ताल्लुक ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: आपके समाज में ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे कम पैदा करो, आप कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वह बोल रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं, गंभीरता से बोल रहे हैं क्या बीच में आकर बोलने लग जाते हो?

श्री बंशीलाल खटीक: कथनी और करनी में फर्क है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब मेहरबानी करके आप शांत रहें।

मोहम्मद माहिर आजाद: मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता

हूं पहले हम कहते थे परिवार नियोजन, फिर उसका नाम बदलकर कर दिया परिवार कल्याण, फिर हमने पैसा खर्च किया जनसंख्या नियन्त्रण पर और अब हम इस पर आ गये जनसंख्या स्थिरीकरण जो है, उसी पर स्थित रहें, उससे आगे नहीं बढ़ें। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज हमारी जो भी कार्यवाही कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं?

नसबन्दी का उदाहरण आप देख लें पुरूष नसबन्दी में एक प्रतिशत और महिला नसबन्दी में 99 प्रतिशत, क्यों इसमें फर्क है? हमको इस चीज में भी जाना पड़ेगा। आज क्या वजह है कि आन्ध्र प्रदेश जो टार्गेट 2006 में अचीव करने जा रहा है, राजस्थान वह टार्गेट 2011 में अचीव करेगा। कहीं न कहीं हमारी कमी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इण्डोनेशिया और बांगलादेश जहां आज परिवार कल्याण, परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी जानकारी के लिये नहीं भेजें तो कम से कम आन्ध्र प्रदेश आप अपनी एक टीम भेजकर वहां जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी जानकारी आप जरूर हासिल करवाइये। चाहे सदन के सदस्यों की समिति आप वहां भेजिये।

अब स्थिति क्या कर दी आपने? यहां राजस्थान में पूर्व मुख्य सचिव श्री मिट्ठालाल मेहता की अध्यक्षता में एक राजीव गांधी पापुलेशन मिशन संस्था बनी हुई थी वह काम करती थी, एन.जी.ओज. से सम्पर्क करती थी आप जब से राज में आये हो आपने उस समिति को भंग कर दिया। आज एन.जी.ओज. की जो हाई पावर कमेटी थी उसकी कोई मीटिंग नहीं हो रही है इसलिए में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों को आप नोट करें। हम तो यह चाहते थे कि आपने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय के सदस्यों के लिए दो बच्चों की बंदिश जो लगा दी, हम चाहते थे कि विधायक और सांसद भी उस परिधि में आयें, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी उस परिधि में आये।

श्री अध्यक्ष: लोक सभा ला सकती है यह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि एम.पी. ने इस पंचायती राज और स्थानीय निकायों के लिए जो दो बच्चों की अनिवार्यता कानून था उसको वापस ले लिया? ...(व्यवधान) यस, आप सही कह रहे हो।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

यह क्या सुदर्शनजी की घोषणा के बाद वापस लिया है कि आप दो-दो, तीन-तीन, पांच-पांच बच्चे पैदा करो? क्या आप भी राजस्थान में इस कानून को वापस लेने का इरादा रखते हैं?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना पड़ेगा, बारबार सुदशर्नजी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप कृपया शांत रहें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसके पास कोई है क्या? ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि माननीय सुदर्शनजी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री अध्यक्ष: आपने जो कुछ कहा अंकित नहीं हुआ और मैं आपसे बहुत नम्र शब्दों में निवेदन कर रही हूं कि आप इस प्रकार से उत्तेजित होकर के ख्वाहमख्वाह खड़े नहीं हुआ करें और अननेसेसरी कुछ न बोला करें।

अभी क्या चार्ज लगाया उन्होंने, उन्होंने पूछा उसको डिनाई कर देंगे, मंत्रीजी को जब मौका मिलेगा डिनाई कर देंगे। खतम हुई बात।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं जब एम.पी. ने इस कानून को वापस ले लिया...

श्री अध्यक्ष: ले लिया होगा, उससे क्या मतलब? एम.पी. ने लिया होगा, उससे क्या मतलब है? एम.पी. ने ले लिया होगा। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कल को जामा मस्जिद के इमाम ने क्या कहा, यह बात आयेगी, यह मामला है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या राजस्थान भी उसका अनुकरण करेगा क्या?

श्री अध्यक्ष: एम.पी. ने लिया होगा, राजस्थान ने तो नहीं लिया न, एम.पी. ने ले लिया होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजस्थान में तो आप वापस नहीं ले रहे हो, यह मैं कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम अपना काम करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरी बात तो पूरी सुनिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): न हम अब्दुल्ला बुखारी से प्रेरित हैं और न हम और किसी से हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, अगर हम को पूरी बात कहने की छूट ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है तो ऐसे कैसे काम चलेगा?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : लेकिन आप अपनी बात कहो, बीच में कहीं लाओ, उत्तेजना फैलाओ, अब वह कहेंगे अब्दुल्ला बुखारी ने क्या कहा फिर कोई मोहम्मद साहब ने क्या कहा, कुरान में क्या लिखा है, ऐसी बातें क्यों करते हो?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर वो कहेंगे तो सुन लेंगे उसको भी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह राजस्थान विधान सभा है, माननीय सदस्य को यह भ्रम हो गया कि एम.पी. में खड़े हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जिनका कोई मतलब ही नहीं हो उन बातों को करने से क्या फायदा?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या सुदर्शनजी ने नहीं कहा क्या कि भाई, ज्यादा पैदा करो? ...(व्यवधान) अब यहां मामला आता है तो आप डरते भी हो। कहते भी हो, डरते भी हो। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आरोप लगा रहे हैं ख्वाहमख्वाह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे पाइंट पर आता हूं। अब आप विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) मुसलमान समाज यह कहता है बुखारी साहब कि चार तो बीबियां रखो और एक-एक के बारह-बारह करो तो उन्होंने कहा, हम घट जायेंगे इसलिए कहा है उन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, अध्यक्ष महोदय।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): घोषणा कर दो कि भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने जो दो बच्चों का कानून बनाया था, वापस ले लो आप। वापस ले लो न।

एक माननीय सदस्य: हां, समय आने पर ले लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो लेना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उनको चिंता यह है कि यदि जनसंख्या घटती है तो फिर पाकिस्तान की मांग करेंगे। यह है खतरा।

श्री अध्यक्ष: आप भी क्या बोल रहे हो? ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपके खुद के कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं, आपके तो बताओ। अपनी बताओ, खुद के कितने हैं? अब चुप, अब बोलती बंद। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): चार हैं चार। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): चार, खुद की तो सोचो।

एक माननीय सदस्य: जनसंख्या का संतुलीकरण करना पड़ेगा, मुसलमानों के ज्यादा और हिन्दुओं के कम, यह सहन नहीं होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके दो होते हुए भी आपने कहा हिम्मत चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): विराजिये आप। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि कई बार बातें हुईं और यह चीज आयी कि हम को सीमित परिवार के लिए पाठ्यक्रम में दसवीं क्लास से ही शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि जब बच्चा मैच्योर हो और वैवाहिककाल में आये तो उसके कुछ समझ में आये।

जम्मू-कश्मीर में, केरल में और कई राज्यों में इस तरीके का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। मैं भी, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी राजस्थान में इस तरीके का पाठ्यक्रम लागू करिये ताकि पहले से ही आदमी की मानसिकता सीमित परिवार रखने की बन जाए। ...(व्यवधान)

यह मेरा कटौती प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय देखेंगे कि आप देखेंगे? आप अध्यक्षजी के पी.ए. हो क्या?

श्री अध्यक्ष: कटौती प्रस्ताव है उनका।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा कटौती प्रस्ताव है यह, मैं कानून की जानकारी रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट चिकित्सकों के ऊपर रोक लगाने की बात कही थी, आपने उसको डिनाई किया। हम रोक लगाने की बात नहीं करते, इससे

चिकित्सा व्यवस्था चरमरा जायेगी लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उन पर किस तरीके से आप नियंत्रण रखें इसके लिए तो आपको कोई प्रभावी नीति बनानी चाहिए कि प्राइवेट हास्पिटल जनता की लूट नहीं करे। उनके लिए भी आप कोई दर फिक्स करें कि इस चीज की इससे ज्यादा रेट नहीं ली जायेगी। इस तरीके का आपको काम करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो बहुत प्राचीनकाल की हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और यूनानी भी है। हमको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और यूनानी चिकित्सा पद्धति पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए। इसको एक तरह से पृथक् नहीं कर देना चाहिए। आज आयुर्वेद चिकित्सकों के कितने पद कब से खाली पड़े हैं? आज यूनानी चिकित्सालय की क्या-क्या स्थिति है? पहले राजस्थान में तीन यूनानी चिकित्सालय थे, दो जयपुर में और एक जुबेरिया चिकित्सालय, जोधपुर में। जोधपुर का चिकित्सालय बंद पड़ा है, जयपुर के दो चिकित्सालयों में एक में 50 और एक में 40 की सीट। दूसरी विसंगति, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): जोधपुर का कौनसा बंद पड़ा है, यह जानकारी के लिए बताएं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जुबेरिया मेडिकल यूनानी कालेज।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): गलत, गलत।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बंद है, हैल्थ मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिए। यह प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़िये, दो ही चल रहे हैं, एक में 50 सीट है एक में 40 सीट। एम आई राइट?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बंद नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इनसे कहला दीजिए न, यह रिपोर्ट है। यह किताब मेरे हाथ में रही।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): बंद वाली बात मत कहो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बंद नहीं है, हम तो रोज देखते हैं न। बंद नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो यह बैठे हुए हैं आयुर्वेद मंत्रीजी, इनसे कहला दीजिए चालू है। वह कहेंगे यह रिपोर्ट ऑथेंटिक होगी या यह।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब मैं जवाब दूंगा तो आपकी एक-एक बात का जवाब सदन में दे दूंगा, आप निश्चिन्त होकर बोलिये। आप चिंता नहीं करें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक है। यह आपने इस पुस्तक में लिखा है कि दो यूनानी महाविद्यालय चल रहे हैं, एक राजपुताना मेडिकल कालेज यूनानी कॉलेज एक राजस्थान यूनानी कालेज, एक में 50 सीटें हैं राजपुताना में और राजस्थान में यूनानी कालेज में 40 सीटें हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जोधपुर का कहां लिखा है? यह कहां लिखा है इसमें, बताओ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जब दो ही चल रहे हैं तो तीसरा आटोमैटिक ही बंद हो गया है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बंद का कहां लिखा है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह जवाब वो दे देंगे, कह दिया फिर आपको क्या परेशानी हो रही है?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, देश की आजादी के वक्त यूनानी चिकित्सालय कितने थे और आज कितने हैं, जरा इस पर सोचिये। क्या आप राजस्थान में यूनानी मेडिकल कालेज गवर्नमैंट का भी खोलने का कोई एक-दो का इरादा रखते हैं या यूनानी डिपार्टमैंट पृथक् बनाने की बात है? यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा शिक्षा दी जाती है वह संस्कृत में और हिन्दी में दी जाती है और यूनानी की जो शिक्षा दी जाती है वह अरबी में, फारसी में और उर्दू में दी जाती है। आज आपने यूनानी चिकित्सालयों के अन्दर आयुर्वेद के कम्पाउंडर लगा रखे हैं, हकीमजी पर्ची लिखता है उर्दू की और वह आयुर्वेद का कम्पाउंडर पढ़ नहीं पाता, इससे विसंगतियां पैदा होती हैं इसलिए आपको इसकी तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अब जवाब देने क्यों उठते हैं बार-बार?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने यूनानी चिकित्सा की इतनी चिंता जाहिर की है, मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि पांच साल जब आप सत्ता में थे तब कितने यूनानी चिकित्सालय आपने खोले?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं सत्ता में एक दिन भी नहीं रहा, मैं जिस दिन सत्ता में होऊंगा उस दिन करूंगा कलम से, कहूंगा नहीं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप नहीं थे पर मैं आपको यह बता दूं, अध्यक्ष महोदय, कि इन दो वर्ष के अन्दर...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, आपका काम जानकारी देने का है जानकारी पूछने का नहीं है। आप सदस्यों से पूछ रहे हो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको बताना चाहता हूं दो वर्ष के अन्दर हमने 14 यूनानी चिकित्सालय खोले हैं 14 और पांच वर्ष में एक यूनानी चिकित्सालय भी शायद आप लोगों ने नहीं खोला था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 50 चिकित्सालय सन् 2000 के बजट में तत्कालीन आयुर्वेद मंत्री श्रीमती इन्दिरा मायारामजी ने खोलने की घोषणा की थी, 50, आपने कितने पद लगाये, आपके आज भी कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं यूनानी चिकित्सकों के, कितने आयुर्वेद चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यहां से कांग्रेस को देशद्रोही कहते थे उस समय की बात है क्या यह? ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):घोषणाओं का हुआ क्या ?

श्री जोगाराम पटेल: कार्यान्वित कितनी घोषणाएं हुईं ताकि पता लग जाए कि कथनी और करनी में कितना अंतर है यह बता दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप एक बात बता दीजिए, इतने सत्ता पक्ष के सदस्य बोले हममें से एक ने भी आज इंटरप्ट किया, अगर एक शब्द भी बोला हो तो आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए और मैं एक मैम्बर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा हूं पचास-पचास खड़े हो रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें, बीच में व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य, गलत बात है यह।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह अपने हिडन एजेंडे पर काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आपके सदस्य ही डाल रहे हैं आपको व्यवधान।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि 'पहला सुख निरोगी काया' और 'एक तंदरुस्ती हजार नियामत',

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दिया तले तो कम से कम अंधेरा नहीं होना चाहिए। आज राजस्थान के चिकित्सा मंत्री भरतपुर से बने हैं। आज भरतपुर संभाग बन चुका है और आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र के वोटर भी हैं। आप वहां की सारी स्थिति को जानते हैं। आप देखिए धारीवालजी शिक्षा मंत्री बने उन्होंने कोटा में विश्वविद्यालय खोल दिया, जोधपुर के खेतसिंहजी विधि मंत्री थे उन्होंने वहां विधि विश्वविद्यालय खोल दिया। भरतपुर अब संभाग बन गया है तो अध्यक्षजी के माध्यम से मेरा आपसे निवेदन है कि आप भरतपुर में भी एक मेडिकल कालेज कम से कम खोलने की घोषणा आज कीजिए, नहीं तो भरतपुर की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): घनश्यामजी करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): घनश्यामजी और दोनों मिलकर के मेरा तो दोनों से ही निवेदन है कि भरतपुर संभाग बन गया है आप बता दीजिए राजस्थान का कोई भी संभाग ऐसा हो जहां मेडिकल कालेज नहीं हो तो आप बता दीजिए, यह न्याय की मांग है और इसलिए भरतपुर संभाग में, मैं नहीं कहता आप भरतपुर प्रायोरिटी पर लें, आप अलवर लें, धौलपुर लें, आप कहीं भी लें इससे हमको एतराज नहीं है। पूर्वी राजस्थान के पांच-छह जिलों के मैम्बर यहां बैठे हैं लेकिन हमारा यह निवेदन जरूर है कि जब शिक्षा की डिमांड होगी हम दूसरी बात करेंगे लेकिन आज कम से कम अध्यक्षजी के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर संभाग में एक मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा आज-आज कीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि हम राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए जनसंख्या को स्थिरिकरण के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सब मिलकर के कारगर कदम उठायेंगे। जिस किसी का भी सहयोग उसमें लेना पड़े वह सहयोग लेंगे नहीं तो सारे हमारे संसाधन बेकार हो जायेंगे, हम जनसंख्या को नहीं रोक पायेंगे। इसी निवेदन के साथ माननीय अध्यक्षजी आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

शासकीय संकल्प

पोंग डैम में पानी नहीं छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ अनुमति चाहूंगा कि अभी सदन की नेता और मुख्य मंत्रीजी के कक्ष में सर्वदलीय बैठक हुई थी और उस बैठक में पंजाब द्वारा पोंग डैम से पानी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आता है, नहीं छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की थी। एक सर्वसम्मत संकल्प पारित करने का निर्णय हुआ है। आपकी आज्ञा हो तो सिंचाई मंत्रीजी उसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी दे दें। प्रतिपक्ष की तरफ से कल्लाजी या दूसरे माननीय सदस्य दे दें और फिर एक संकल्प सदन की नेता की तरफ से आ जाए। आप अगर अनुमति दे दें विषय बड़ा गंभीर है इसलिए आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नहरी क्षेत्र के किसानों की मांग थी कि इस बार पूरी फसल के लिए पानी का रेगुलेशन तय कर दिया जाए। नहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में पोंग डेम से लेवल प्लस जो उस दौरान गत वर्ष के इन्फ्लोज रहे हैं उसके आधार पर कैलकुलेशन करके 29 मार्च तक का पानी देने का हमने एक प्रोग्राम जारी किया है। इन्फ्लो गत वर्ष 69 परसेंट था, इस वर्ष 37 परसेंट होने की वजह से कुछ हमारी कैलकुलेशन में कमी रही और उसकी वजह से हमको पचास हजार क्यूसैक्स पानी सात दिन के लिए और आवश्यक है। इसके लिए पोंग डेम का लेवल जो तय किया गया था उस समय 1301 को आधार माना था। हमने भी बार-बार रिक्वेस्ट की है कि यह लेवल लगभग जहां-जहां जब-जब आवश्यकता पड़ी उसको डाउन किये जाने की परम्परा रही है। किसी भी स्टेट को आवश्यकता होती है तो उसको डाउन किया गया है अगर हम 2005 का लें तो यह 1295 तक गया। इसके पहले 1290 गया, 2003 में 1297 गया, 2002 में 1297 और 2001 में 1289 गया, इसके पहले 1270-72 तक भी यह लेवल जा चुका है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की बी.वी.एम.बी. से भी हमने बार-बार बात की। पंजाब के मुख्य मंत्रीजी को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट की कि हमारे किसानों को सात दिन का पानी और सिंचाई के लिए देना है इसलिए यह हमको इतना रिलीज किया जाए। इसके बाद भारत सरकार के प्रधानमंत्रीजी को भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चिट्ठी लिखकर उनसे आग्रह

(श्री सांवर लाल)

किया कि हमको यह पानी दिया जाए। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हालांकि हमने लगभग 19 लाख क्यूसैक्स पानी नहरी क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध कराया है पर चूंकि गेहूं की फसल है और उन किसानों की मांग है। हालांकि बरसात भी हुई है, रेगुलेशन हमने जारी किया इसलिए उनकी मांग है कि आखिर पानी एक बार हमको सात दिन के लिए दिया जाए तो इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सारी कोशिश की और उसके बावजूद भी बात जब पार नहीं पड़ रही है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चिन्ता करके सर्वदलीय बैठक अपने कक्ष में बुलाई और माननीय जितने भी प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कल्ला साहब, सी.पी. जोशी साहब, प्रद्युम्न सिंहजी और दूसरी पार्टी के हमारे मीणा साहब और सारी पार्टियों के लोग थे और इन नेता लोगों का एक ही संकल्प था कि माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से एक संकल्प विधान सभा में प्रस्तुत किया जाए, उसे सर्वसम्मति से पास किया जाए जिससे नहरी क्षेत्र के किसानों की जो फसल है उसके लिए सात दिन के लिए पानी की जो आवश्यकता है वह पानी छुड़वाने की व्यवस्था की जा सके। इसलिए मैं आपकी जानकारी में सारे तथ्य लाना जनहित में उचित समझता हूं और इसी आधार पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया भी गया। उसके बाद एक संकल्प माननीय मुख्य मंत्री महोदया प्रस्तुत करेंगी। इससे पहले प्रतिपक्ष के जो भी माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें उनको आप अनुमति दें।...

श्री अध्यक्षः संकल्प से पहले देंगे या बाद में ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहले विचार रखेंगे।

श्री अध्यक्षः श्री बी. डी. कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने किसानों के हित में जो बातें रखीं मैं उनका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। इस प्रदेश में बारह जिले ऐसे हैं जो एरिड जोन में आते हैं और उसमें खास तौर से हमारा डेजर्ट का हिस्सा ज्यादातर उसमें आता है और एरिड जोन में एक्स्ट्रीम एरिडिटी है। अभी फसलें खड़ी हुई हैं एक पानी की आवश्यकता है। पोंग डैम के बारे में सिंचाई मंत्री जी ने बताया 1977 से लेकर 2005 के मध्य 19 वर्ष तक पोंग डैम का लेवल 1301 तक ही रहा लेकिन दस वर्ष तक 1301 से नीचे भी गया है और यह आवश्यकतानुसार नीचे जाता रहा है। मैं समझता हूं कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जो

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

फसलें खड़ी हुई हैं उन फसलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन पंजाब सरकार से अनुरोध करना चाहता है कि वह किसानों के हित में पानी रिलीज करे क्योंकि एक पानी के कारण पूरी की पूरी लाखों हैक्टेयर भूमि में जो फसलें खड़ी हुई है वह बर्बाद न हो इसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर पंजाब सरकार से आग्रह करें कि वह जनहित में इसके बारे में विचार करे और विचार कर राजस्थान के किसानों को बी.वी.एम.बी के माध्यम से जहां उन्हें अनुरोध करना है, अनुरोध करके वह पानी राजस्थान के किसानों को रिलीज करें।

राजस्थान में एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है और तीसरी तरफ यह गहरा संकट हो जाएगा यदि फसलों को पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा यह अनुरोध है कि पंजाब हमको पानी दे ताकि किसानों की खड़ी फसलों को बचाया जा सके। इस सम्बन्ध में मैं इतना जरूर चाहूंगा - मुख्य मंत्रीजी इस सदन में हमने पहले भी एक प्रस्ताव पारित किया था उस सम्बन्ध में भी आप प्रकाश डालें कि आपने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के हितों के बारे में क्या-क्या कार्यवाही की और किस तरीके से इस सदन ने जो आपको अधिकार दिए थे कि आप इस रावी और व्यास के समझौते के आधार पर राजस्थान का जो हिस्सा हमको मिल रहा है उसके बारे में पूरी पैरवी करने के लिए जो-जो आपने कदम उठाए हैं, इस बारे में भी प्रकाश डालें तो मैं समझता हूं कि यह सदन उससे विदित होगा और सदन को जानकारी मिलेगी। इसके साथ-साथ इस रावी और व्यास समझौते में जो बी.वी.एम.बी. में हमारे अधिकारी जाते हैं कहीं भूलवश हमारे अधिकारियों ने तो कोई गलती नहीं की, उनको कहीं मना तो नहीं लिया कि वह 1301 तक का लेवल रखना है, यदि इस प्रकार की भी कोई बात हुई है तो उसको भी हमको चैक करना चाहिए। हमारे अधिकारी जाकर आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कहीं केलकुलेशन में, गणना में कहीं गलती हुई है तो उनके खिलाफ भी आपको एक्शन लेना चाहिए कि हमारा जो भी हिस्से का पानी है वह हमें मिले।

चूंकि, पंजाब जो है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंन अलग हैं और हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है उसके आधार पर पानी की गणना में कहीं कोई गलती हुई है तो उसको आइंदा के लिये ध्यान रखना चाहिये। हम लोगों को अधिकारपूर्वक यह बात कहनी पड़ेगी कि राजस्थान का हिस्सा जितना हमारा

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

एक तरह से निश्चित है, उस निश्चित हिस्से के आधार पर हमको बराबर पानी मिलता रहना चाहिये और मैं यह भी चाहूंगा जैसा मैंने आपको बताया है कि आप यह भी बतायें कि पूर्व में जो हमने संकल्प पारित किया उसके आधार पर आपने क्या-क्या उपाय किये जिसके कारण राजस्थान के हितों की रक्षा हो सकी है। धन्यवाद।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई बातें इसके साथ-साथ उठायी हैं और मैं संकल्प पारित करने से पहले बस थोड़े से शब्दों में उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि जो संकल्प हम लोगों ने पिछले साल सर्व-सम्मति से पास किया था, माननीय सदस्य जानते हैं कि वह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमने अच्छे से अच्छे वकीलों को लगाया है जो इसकी पैरवी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है हमको कि हो सकता है इसके अंदर कोई गलती कैलकुलेशन में हुई, हो सकता है। मैं तो यह समझती हूं कि छह महीने का रेगुलेशन हम लोगों ने किया। पानी की फ्लो यानि, जो आवक है उसके ऊपर निर्धारित हम लोगों ने केलकुलेशन करने की कोशिश की और मैं समझती हूं कि अगर आप इसका रिकार्ड भी देख लें तो सिर्फ एक हफ्ते का पानी कम पड़ रहा है और यह तो मैं समझती हूं कि एरर, ह्यूमन एरर कहूं, छह महीने का कोई हिसाब किताब आवक के ऊपर लगाये और बहुत एग्जेक्ट हो वह तो मैं समझती हूं कि हो भी नहीं सकता है। परन्तु इतना अच्छा इन लोगों ने किया कि 6-7 दिन का ही, और मैं तो नहीं समझती हूं 6-7 दिन की बात रही है कोई उसमें एरर भी नहीं है, पानी कम आया है किसी समय के अंदर उसका अगर आप कैलकुलेशन कर लो तो कोई प्राब्लम नहीं है और मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगी कि फिफ्टी थाउजेंड क्यूसैक्स बहुत ज्यादा नहीं है और इसके पहले 1301 से लेकर 1290, 1290 से 1269 तक हम लोग इस पानी के लेवल को ले लिये हैं। जैसे अभी सब बताते हैं यह तो किसी भी सरकार के समय में यह बात हुई है और यह कोई सदन का या मंत्रिमंडल के लेवल की बात भी नहीं थी। यह तो वैसे के वैसे उसी लेवल के ऊपर सुलटायी जाती थी। मैं समझती हूं कि यहां तक अगर बात आ गयी है और इतने कम पानी के ऊपर आ गयी है इसके अन्दर तो खाली कम्पनसेशन वाली बात है और यह तो होता रहता है कि कभी-कभी सरकार ने अगर ज्यादा विथड्राअल किया तो उसके अंदर डिप्लेशन के अंदर पानी वापस दे दिया जाता है नेक्सट सीजन के अन्दर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तो कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं और मैं तो समझती हूं कि आज किसानों की फसल बचाने का काम यह बहुत बड़ी एक समस्या है जिसके लिये हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिये। खड़ी फसल है इसको बचाना हम सबका कर्त्तव्य बन जाता है। अच्छी क्रोप है, कहां-कहां, कहीं-कहीं इसका नुकसान भी हुआ है जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा पानी बरसा है और ओलावृष्टि भी हुई है परन्तु इसके साथ-साथ जो फसल अभी बची हुई है और उसमें हम लोग पानी सही दे देते हैं तो उन लोगों की जान वह बच जायेगी। मुझे खुशी है कि यहां सब लोगों ने मिलकर चिन्ता व्यक्त की है और मैं इतना ही कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, कि मैं सदन के सम्मुख एक संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: तो आप बीच में नहीं, सदन की नेता बोल रही हैं तो बीच में क्या बोल रहे हैं आप? सदन की नेता को कम्पलीट करने दीजिये, कौनसा तरीका है आपका यह?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अब इतने सीरियस मामले में... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब माननीय जल संसाधन मंत्री ने यह कहा कि मुख्य मंत्रीजी ने चिट्ठी लिखी पंजाब के सी.एम. को तो मैं यह जानना चाहता हूं आपने खुद ने बात क्यों नहीं की ? आपने बात की कि नहीं ? आपने बात उनसे की कि नहीं ? आपने बात क्यों नहीं की उनसे ? ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो चीज सर्वदलीय मीटिंग में, यह नयी परिपाटी प्रतिपक्ष के नेता, यह क्या रच रहे हैं आप सदन में? सर्वदलीय बैठक में जो तय हो गया वह बिलकुल फेल कर रहे हो आप। मतलब किस तरह से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में खड़े हो जाते हैं, सदन की नेता को कम्प्लीट कर लेने दीजिए। बैठिये आप तो।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खाली चिट्ठी से क्या होता है आप फोन से भी बात कर सकती थीं, आप जानकारी ले सकती थीं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ऐसा है माननीय सदस्य, फोन से भी बात हुई है, आपकी जानकारी में ले आता हूं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन के सब माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि यह संकट सबका है और मैं जानती हूं कि सबको इसकी चिन्ता है इसलिए इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करेंगे। और संकल्प है –

'राजस्थान विधान सभा का यह सदन पंजाब सरकार से अनुरोध करता है कि राजस्थान के किसानों के व्यापक हित को देखते हुए उनकी खड़ी फसलों के लिए अविलम्ब पोंग डेम के स्तर को 1301 फीट से पूर्व की भांति नीचा कर आवश्यक पानी उपलब्ध करवाये। '

श्री अध्यक्ष: सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया जाता है। डाक्टर भंवरलाल राजपुरोहित।

मांग संख्या-26 पर विचार

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मांग संख्या- 26 पर अपनी बात शुरू करता हूं। यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शब्द है...

श्री अध्यक्ष: 7.37 हो गये हैं, मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि छह-सात मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें क्योंकि बोलने वाले अभी काफी हैं।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ ज्यादती होगी। हम नये सदस्य हैं, हम पर यह लिमिटेशन क्यों लगाती हैं? हम तो वैसे ही आप हमको कम बोलने की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बोलो। इसी में समय गंवा देंगे।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मैं संक्षेप में बात कहना चाहूंगा क्योंकि आपने बैन लगा दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इस शब्द पर मेरी एक आपत्ति है, इसका नाम होना चाहिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। स्वास्थ्य जब नहीं है तो फिर काहे की चिकित्सा। स्वास्थ्य खराब रहेगा तो फिर चिकित्सा शुरू होगी। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात 'पहला सुख निरोगी

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

काया' से शुरू करता हूं। यदि हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे तो किन कारणों से स्वस्थ रहेंगे, मैं इस पर मेरी बात कहूंगा और फिर चिकित्सा की बात कहूंगा।

मान्यवर, राजस्थान के अन्दर आज जो स्थिति है, हम अरबों रुपये जो चिकित्सा के ऊपर खर्च कर रहे हैं मेरा सुझाव है कि चिकित्सा के बजाय हम स्वास्थ्य को ठीक करें और स्वास्थ्य ठीक करने के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं मैं उस पर जाऊंगा। आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है जल सेवन से, खाद्यान्न से और प्रदूषण से। अब मैं इस बात पर आता हूं कि हमारी सरकार पानी की तरफ ध्यान देती है। यदि राजस्थान में फ्लोराइडयुक्त पानी नहीं हो, फ्लोराइड की व्यवस्था ठीक हो, फ्लोराइड नहीं हो, यह व्यवस्था हो तो जितनी इससे होने वाली बीमारियां हैं, वे ठीक हो सकती हैं। बीमारियां पैदा ही नहीं हो सकती तो हमारा पहला काम यह होना चाहिए कि फ्लोराइड एरिये में व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए हमें फिल्टर पम्प लगाने चाहिए जिससे सबको स्वच्छ पानी मिले।

दूसरा, खाद्यान्न के बारे में कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में खाद्यान्न की स्थिति आप किसी से भी छिपी हुई नहीं है। खाद्यान्न में आज कितनी मिलावट हो रही है, हमें सरकार को इसकी चिन्ता करनी चाहिए। इस बात का ढर्रा चल रहा है, ठेठ से। खाद्यान्न में आज हर चीज में मिलावट, आज मिर्च में रंग, अरंड काकड़ी के बीज, धनिये में लीद और घी के अन्दर आलू , अब स्वास्थ्य कैसे नहीं खराब होगा? मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि यह टिन के टिन कहां से आ रहा है? राजस्थान में कितनी ही गायें मर चुकी हैं और वैसे तो कोई लिमिटेड आदमी ही रखते हैं, वह घी कहां से आ रहा है? सरकार को चिन्ता करनी चाहिए कि यह हजारों टिन आ रहा है और खराब घी वालों को जो एसेंस मिलाकर, आलू मिलाकर, यह कोई बंद नहीं हुआ है। सरकार को चौकन्ना होना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि आप में और हमारे में यह फर्क है। हम चौकन्ने हैं। मैं इस सरकार को यह बात कहना चाहता हूं। चौकन्ना रहने से हमारे स्वास्थ्य में फर्क पड़ेगा।

फिर प्रदूषण है। प्रदूषण आपसे छिपा हुआ नहीं है। आज जहां-जहां शहर है, चाहे गांव है, सब जगह पर पानी की व्यवस्था हो गयी है।

और पानी की व्यवस्था न आपसे छुपी हुई है। यह पानी की नालियां

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

सारी की सारी गंदी पड़ी हैं और ऐसी कौनसी नालियां हैं जो कांच की तरह रहती हैं? उन गंदी नालियों में मच्छर पैदा हुए बिना रहते नहीं हैं। हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। हम हजारों रूपया मलेरिया पर खर्च करते हैं दवाइयों में, हम क्यों नहीं मलेरिया के रोकथाम के लिए पाउडर का डस्टिंग नियमित रूप से कराते हैं तो पैदा ही नहीं होंगे। मैं इसके साथ-साथ यह बात कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को खुद कह रहा हूं कि हर गांव में यह अंग्रेजी बबूल हो गयी हैं। इसमें इतने मच्छर हो जाते हैं, मच्छरों को कोई रोकता नहीं है, कोई डस्टिंग करता नहीं है। मलेरिया के कारण हरेक ही कितना परेशान है? कितने हिन्दुस्तान के लोग परेशान हैं? दवाइयां ले-लेकर के परेशान होते हैं। आज कितने प्रतिशत लोग बीमार हो जाते हैं? हर गांव में बीमार होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं सरकार को कि इस बबूल को कटाये और इस पर डस्टिंग कराये तब जाकर के स्वास्थ्य की बात करे। हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तब हमें मेडिकल की जरूरत पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मेडिकल के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या किया अब क्या सूची आयी हुई है। 558 चिकित्सक लगा दिये...(व्यवधान) मैं तो हाउस को सुनाना चाहता हूं, चाहे न सुनें, मैं तो भींत को भी सुना दूंगा। मैं तो यह सोचकर आया हूं कि मुझे भीत को सुनाना है, लेकिन सुनाना है बात यह है (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार ने 558 चिकित्सक, 372 नर्सेज, 54 नर्सेज ट्यूटर आदि-आदि लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा अस्पताल बता दीजिये जहां डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं करते हैं? हम क्यों नहीं सीरियस होते हैं इस मामले में, यह डाक्टर प्रेक्टिस करते हैं और पैसा मरीजों से छीनते हैं और तो और पैसे यूं नहीं लेते हैं तो क्या करते हैं कि यह जांच कराते हैं। जो बाहर दुकानें खुली हुई हैं वहां उनका पर्सेन्टेज बंधा हुआ है। सरकार इस बात पर ध्यान दे। यह हर जगह हो रहा है। आप यह मत समझें कि यह नहीं हो रहा है। यह सब जगह हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए, तब यह समर्थ सरकार है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हं कि इन डाक्टरों की फीस पर आप कितनी ही कोशिश कर लीजिये यह आज तक ढर्रा चल रहा है। जो डाक्टर या कालेजों में प्रोफेसर बैठे हैं वह जाना नहीं चाहते हैं। उनको उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी उपयोगिता के हिसाब से गांवों में भेजिये उनको सख्ती से भेजिये उनको, जब जाकर के जनता को पता लगेगा कि कोई

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

सरकार बनी है और सरकार यह एक्शन ले रही है क्योंकि आप बहुत अच्छा समाज दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ चूंकि, आपने टाइम लिमिटेड कर दिया है बाकी तो सरकार टीकाकरण कर रही है, वैसे हर सरकार करती है टीकाकरण, हम तेजी से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम नये हास्पिटल खोलें, सुविधाएं दें तो बहुत अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब मेरे एरिये पर आ जाता हूं, मकराना पंचायत समिति, मकराना विधान सभा क्षेत्र में सी.एच.सी. मकराना है और यह इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां उद्योग हैं, वहां खाने हैं। लोगों की आये दिन, किसी की हड्डी टूट जाती है, कोई आदमी गिर जाता है, कोई मर जाता है। मकराना शहर में आर्थोपैडिक का डाक्टर नहीं है, गायनिक की डाक्टर नहीं है। वहां इस डस्ट से लोगों के मोतियाबिंद हो रहा है। वहां आंखों का डाक्टर नहीं है, वहां डाक्टर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कहना चाहूंगा सरकार से कि वहां पर नेत्र का डाक्टर होना आवश्यक है, गायनिक का डाक्टर आवश्यक है, आर्थोपैडिक का डाक्टर आवश्यक है और चूंकि वहां पर एक्सीडेंट होते हैं इसलिए सर्जरी का डाक्टर होना चाहिए। इस पर आप ध्यान दें। सरकार की बहुत मेहरबानी हुई कि मकराना समिति में आपने दो अस्पताल खोले। हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने सी.एच.सी. मकराना खोली। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वहां पर आज एक भी डाक्टर नहीं है। डाक्टर आये हैं आपके पास मैं, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने 500-500 डाक्टर लिये हैं। आप कृपा करके इधर कृपा दृष्टि कीजिये और वहां डाक्टर लगायें क्योंकि मकराना में डाक्टर की आवश्यकता है। वहां पर आर्थोपैडिक डाक्टर की आवश्यकता है क्योंकि वहां पर माइनिंग एरिया है। लोगों के डस्ट जाती है आंखों में इसलिए आई डाक्टर की आवश्यकता है और गायनिक की आवश्यकता है। सर्जरी के डाक्टर की आवश्यकता है। मेरे वहां दो डाक्टर की जगह खाली है एक है जाखरी गांव में उसको भराने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह बात कहना चाहूंगा कि सरकार नि:संकोच होकर के जो यह एडलटेशन करते हैं और इस प्रकार का व्यवहार करते हैं और जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं यह एडलटेशन करते हैं, यह घी में, दूध में, मसालें में इसको आप देखिये और दूसरा जो डाक्टर

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

प्रेक्टिस करते हैं उनको देखें और जो डाक्टर बिना वजह किसी को जांच के लिए लिखते हैं उनको देखें और मैं अंत में मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आप एक प्रेक्टिस रखें कि एक महिने में एक-दो राउंड कीजिये बड़े-बड़े अस्पतालों में राउंड कीजिये और छोटे-छोटे गांवों में जाइये। आपको पता लग जायेगा, आप तो खुद डाक्टर हैं कि यह अनावश्यक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं जांच के लिए। कितना भारी बन जाता है उस पेशेंट के लिये उस भार को देखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री रणधीर सिंह भिण्डर। (अनुपस्थित)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): हमारा नम्बर था, फिर मेरा नम्बर कट हो गया था क्या , यह जो गैर पार्टी के लोग हैं, जो न इधर हैं, न उधर हैं। अब कटमोशन पर ही बैठे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कई बार लोग अमेंडमैंट मूव तो कर देते हैं अमेंडमेंट लेकिन वह बोलने में इंट्रेस्टेड नहीं होते हैं इसलिए आपने चूंकि, लिख कर के नहीं भेजा कि मुझे भी बोलना है। लेकिन अब मैंने नाम पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय मैंने कट मोशन दे रखा है। मेरा भंवरलालजी के बाद में नम्बर था। मैं तो सोच रहा था कि मेरा नम्बर आयेगा।

श्री अध्यक्षः नाम होगा (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): दोनों पार्टियों के लोग बोल लेते हैं और बीच वालों का नम्बर वैसे ही निकल जाता है।

श्री अध्यक्षः आपने नहीं लिखकर के भेजा है कि मुझे बोलने का समय दिया जाये। आपने लिखकर के नहीं भेजा है (व्यवधान) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 28- चिकित्सा के बारे में मेरी बात रखना चाहती हूं।

श्री अध्यक्षः आप बोलने में इंट्रेस्टेड हैं क्या? बात करनी है आपको तो। अमेंडमैंट तो कोई है नहीं, इसलिए लास्ट में।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मथुरादास माथुर अस्पताल के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कार्डियिक सर्जरी इसलिए नहीं हो पा रही है कि यहां कोई सर्जन नहीं है। वहां तुरंत सर्जन की समुचित व्यवस्था की जाये और उसके साथ ही स्टाफ भी तुरंत लगाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि जोधपुर शहर में गांधी अस्पताल है उसको जिला अस्पताल करने के लिए मैं काफी लंबे अरसे से मांग कर रही हूं उसको भी मेरी बात का थोड़ा ध्यान दें। गांधी अस्पताल में शिशु और आई.सी.यू. हैं उसके अंदर चार-चार बैड की व्यवस्था की जाये ताकि जोधपुर की जनता को उसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के अंदर वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में गुर्दा रोग व पथरी रोग के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां यूरोलाजी व नेफ्रोलाजी की कमी काफी समय से महसूस की जा रही है। यहां केवल एक कैट स्कैन मशीन है जो कि कम पड़ रही है। इसलिए दोनों अस्पतालों में कैट स्कैन डिजिटल एक्सरे मशीन व उम्मेद अस्पताल में एक सोनोग्राफी मशीन लगाने की व्यवस्था करें। (व्यवधान)

(समय 19.49 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूं मेरे सामने बूंदी से आयी हुई विधायक महोदय ने कहा कि मुख्य मंत्री ने खाली घोषणाएं की हैं मैं इनको याद दिलाना चाहती हूं कि 21 जुलाई, 2003 में जोधपुर शहर के अंदर तीन डिस्पेंसरीज हैं बहुत बड़ी-बड़ी उनमें से एक तो महिला बाग़ डिस्पेंसरी वहां पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने अपना स्टोन लगाया और वहां सेटेलाइट हास्पिटल तय करके आये थे और घोषणा करके आये और स्टोन लगाकर के गये। लेकिन मैंने वहां जाकर के देखा तो वहां जाले लगे हुए हैं और न कोई स्टाफ है, न वहां कोई अधिकारी हैं। जो पुराने अधिकारी हैं वही डाक्टर्स हैं। राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी जो कहती हैं वह करती हैं। आपने जो बात कही है इसलिए कह रही हूं नहीं तो मेरे को तो इस बात का कुछ नहीं है। कहना मगर जो घोषणाएं आपके राज में हुई हैं हमारे यहां तो जो कह देते हैं वह काम हो जाता है। जो बात मैं अभी कहूंगी इसको आप देख लेना पूरी होकर के रहेंगी।

एक माननीय सदस्य: यह काम कराने का बढ़िया तरीका है (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)ः सफाई तो करवा लीजिये, जाले तो साफ करा लें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)ः क्या कहा ? वापस बोलिये तो।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)ः आप उसकी सफाई तो करवा लीजिये, जाले तो साफ करा लें। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)ः हम तो करवाएंगे ही, आपके मुख्य मंत्री थे, ऐसा ही करके गए। अब हम तो करवा ही रहे हैं। माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है...।

श्री सभापतिः आप तो आसन को सम्बोधित करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)ः माननीय सभापति महोदय, जोधपुर शहर की मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूं। शहर के अन्दर नवचौकिया डिस्पेन्सरी है, वहां पर पूर्व मंत्री थे राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, वे वहां गए और प्रसूति गृह की घोषणा की और सारी व्यवस्था कर दी। कुदरती उनका राज चला गया और उसके बाद ...(व्यवधान)... आप टोका-टोकी मत करो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)ः राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ नहीं, राजेन्द्र चौधरी, मैं तो यह कह रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)ः मैंने राजेन्द्र चौधरी नहीं कहा है, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ कहा है। चौधरी का मैंने नाम लिया ही नहीं है, मैंने राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ कहा है। ...(व्यवधान)... आप मेरी बात तो सुनिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)ः अच्छा ठीक है।

श्री सभापतिः आप बीच-बीच में व्यवधान न करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)ः उन्होंने यह किया। उसके बाद में जब आपकी सरकार आ गई। उसके टाइम उन्होंने यह तक व्यवस्था की कि वहां डाक्टर वगैरह लगा दिए, कर दिए। मगर बाद में आपकी सरकार आने पर वहां जो डाक्टर लगे हुए थे उन सबको हटा दिया गया। इससे वहां की जनता को भारी तकलीफ हुई। मगर पिछले दो साल में हमारी सरकार आने के बाद में वहां काफी कुछ सुविधा हुई है। इसलिए मैं मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने आने के बाद स्वयं सारी व्यवस्था की है।

मैं ऐसी ही एक बात और बता देती हूं कि जोधपुर शहर के अन्दर सारे राजस्थान में आप कहीं भी जाइए लेकिन जोधपुर के अस्पताल जैसे अस्पताल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे और जोधपुर के अस्पतालों में

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जिस प्रकार की सुविधाएं हैं और जिस प्रकार से वहां के चिकित्सक काम करते हैं वैसे मेरे अन्दाज में कहीं नहीं मिलेंगे। मैं कोई एस.एम.एस. हास्पिटल या अन्य किसी जगह की कोई बुराई नहीं कर रही हूं मगर मैं खुद क्योंकि जोधपुर की हूं इसलिए जोधपुर की बात करूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं नवचौकिया डिस्पेन्सरी की बात कर रही थी। मैं आपसे मांग कर रही हूं कि यह बहुत पुरानी डिस्पेन्सरी है और वह करीब 25-30 हजार की आबादी का क्षेत्र है, वहां 20 बैड की व्यवस्था करें ताकि वहां सुचारु रूप से कार्य चल सके। शहर से गांधी अस्पताल और उम्मेद अस्पताल जाने में काफी असुविधा रहती है, इसलिए मेरी आपसे मांग है कि वहां 20 बैड की परमीशन दें तो वहां की जनता को काफी कुछ लाभ मिलेगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): धन्यवाद क्या माननीय सभापति महोदय, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और आपने धन्यवाद दिला दिया मुझे।

श्री सभापति: जो कुछ आपको कहना था, सब कह दिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): नहीं, मैंने तो अभी तक अपनी बात कही ही नहीं।

श्री सभापति: दस मिनट से ज्यादा का समय हो गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): दस मिनट तो हुए ही नहीं, यह तो बीच में बोल-चाल में ही बात चली गई, मेरी तो बात ही नहीं हुई।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने सभी डाक्टरों की डी.पी.सी. कराकर प्रमोशन दिया है, यह प्रमोशन काफी अरसे से रूके हुए पड़े थे और लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर शहर के अन्दर गांधी अस्पताल के अन्दर आर्थोपेडिक डाक्टर की कमी है और उसकी जगह खाली है, उसको थोड़ा तुरन्त भर दें तो वहां के लोगों को काफी कुछ राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कि जोधपुर शहर के अन्दर आपने जो कुछ भी कार्य किए उसकी तो मैं सराहना करती हूं लेकिन मेरी दो-चार बातें हैं उनको आप बहुत ध्यान से सुनकर पूरा करें। एक तो वहां पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर की व्यवस्था करें। ...(व्यवधान)...कभी डाक्टर गांधी अस्पताल से मथुरादास अस्पताल जाते हैं और कभी मथुरादास अस्पताल से गांधी अस्पताल, यदि किसी की मौत हो जाती है तो वहां डाक्टर का इन्तजार करना पड़ता है, यदि यह व्यवस्था हो जाए तो काफी कुछ राहत मिल सकेगी। इसके लिए कभी प्रिंसीपल साहब को परेशान करना पड़ता है कि जल्दी डाक्टर को बुलवाओ, यदि यहां का यहां हो जाए मथुरादास अस्पताल में तो ठीक है।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री हेमराज मीणा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): आपने तो कुछ बोलने ही नहीं दिया और धन्यवाद दे दिया, हमारी पूरी मांग ही नहीं रखने दी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी मांग पूरी हो जाएगी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): मांग भी रखी तो पोस्टमार्टम करने की रखी और तो कुछ रखी नहीं।

श्री सभापतिः प्लीज, आप विराज जाएं, आपने अपनी पूरी बात रख दी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): क्या मांग पूरी हो जाएगी।

श्री सभापतिः धन्यवाद, धन्यवाद, माननीय श्री हेमराजजी मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-26 पर बहस में अपने आप को सम्मिलित करते हुए अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। वैसे तो राजस्थान में जब से यह सरकर बनी है और सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब से अपना कार्यभार सम्भाला है, चिकित्सा के क्षेत्र में आशातीत प्रगति की है। हास्पिटल खोले हैं, डिस्पेंसरियां खोली हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं, मेरे क्षेत्र में भी काफी कुछ काम हुआ है।

सभापति महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं चिकित्सा मंत्रीजी को जिन्होंने कांग्रेस के जमाने में मेरे यहां दो डिस्पेंसरियां खुली थीं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले थे लेकिन उनमें स्टाफ की व्यवस्था नहीं थी और अकाल के समय में डेप्यूटेशन पर स्टाफ लगाकर उनको चलाया था। जब उस आदिवासी एरिये में क्राइसिस आया, 25 लोग भूख से मर गए उस समय वहां कांग्रेस के जमाने में बहुत मुश्किल के बाद केवल दो डिस्पेंसरियां डेप्यूटेशन पर चालू की थीं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को जिन्होंने

(श्री हेमराज मीणा)

दो डिस्पेंसरियां तुरन्त मंजूर की और उनको चालू किया, वहां पोस्टिंग भी की। मैं इस बात की भी बधाई दूंगा कि मेरे यहां चिकित्सा भवन के भी निर्माण कार्य हुए हैं, 50-50 लाख रुपए इन्होंने चिकित्सालयों के लिए भी दिए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि विकास के मामले में कोई कमी नहीं है, वैसे भी माननीय मुख्य मंत्रीजी की कांस्टीट्यूएंसी है, इस नाते भी खूब पैसा मिला है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है लेकिन मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र दूर-दराज का है, ट्राइबल बहुल है, वहां आपने अभी 15-16 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं लेकिन वहां पर ए.एन.एम. की पोस्ट नहीं है, उप स्वास्थ्य केन्द्र जो पहले से चल रहे थे वहां भी ए.एन.एम. की जगह खाली पड़ी है, डाक्टर की पोस्टिंग हो गई लेकिन वह जोइन नहीं कर रहा है, क्योंकि वह ट्राइबल का एरिया है। जिन डाक्टर की आप वहां पोस्टिंग करते हैं वह शहर में तबादला कराकर आ जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वह अपनी सेवाएं नहीं देता है। मेरी असली वेदना यह है जो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र जो खाली पड़े हुए हैं, सरकार बनते ही आपने जगह भरी, ठेके पर भी लिए, ठेके पर अपॉइण्टमैण्ट भी जारी हो गए लेकिन चार-चार, छह-छह महीने बाद वे ट्रांसफर होकर वहां से चले गए। मेरे यहां जो उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं उन पर ताले लगे हुए हैं।

सभापति महोदय, मेरे यहां किशनगंज में एक रैफरल हास्पिटल है, वहां सात-आठ आदमियों की पोस्टें हैं लेकिन आठ डाक्टरों में से केवल एक डाक्टर ही उस हास्पिटल को चला रहा है, एक डाक्टर है जो उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी का चार्ज सम्भालता है, उस नाते काम देखता है और वह जगह भी खाली है। सभापति महोदय, चिकित्सा की सुविधाएं बहुत अच्छी की, राजस्थान हैल्थ डवलपमैण्ट सिस्टम के माध्यम से वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर लेकिन चिकित्सा के इस क्षेत्र को हमने सुदृढ़ करने का पूरा प्रयास किया है लेकिन आज स्थिति यह है कि शाहबाद रैफरल हास्पिटल, ब्लाक पी.एच.सी भी है, सब डिवीजन हैडक्वार्टर भी है, दो चिकित्सकों के भरोसे चल रहा है, जहां आठ-आठ डाक्टर होने चाहिए, वहां केवल दो डाक्टर हैं, वे भी पार्ट टाइम रहते हैं, एक छुट्टी चला जाता है तो एक चलाता रहता है।

(श्री हेमराज मीणा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी तक भी यह संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि उस ट्राइबल एरिया में चिकित्सा और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए या तो उस ट्राइबल एरिया के लिए अलग से ए.एन.एम. की भर्ती निकालें ताकि उनका निश्चित समय के बाद ही ट्रांसफर हो, बार-बार ट्रांसफर न हो ताकि दूर-दराज के इलाके में चिकित्सा की सुविधा मिल सके। इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि डाक्टर का डेप्यूटेशन तो हो गया लेकिन पद खाली पड़े हैं। मेरे यहां किशनगढ़ में एक डाक्टर है लेकिन उसका डेप्यूटेशन मांगरोल में है।

मैंने सी.एम.एच.ओ. को कहा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनीं कि वह डेपुटेशन पर मांगरोल में है और वहां एक डाक्टर से चल रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहूंगा किसी भी प्रकार से इस अव्यवस्था को दूर किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं।

आज जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, एड्स का कार्यक्रम है उसमें भारत सरकार से भी पैसा हमको मिल रहा है और हम इस पैसे को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। आज स्वयंसेवी संस्थाओं पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जितना फर्जीवाड़ा इन स्वयंसेवी संस्थाओं में है शायद किसी में नहीं है, इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से एड्स के साथ-साथ राजस्थान हेल्थ डवलपमैंट सिस्टम के माध्यम से बारां जिले में 16 करोड़ रुपया आया है, जैसी मुझे जानकारी मिली है, लेकिन आज वे भी जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो सारे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चला रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं का पिछला इतिहास क्या है, क्या वे चला पाएंगे, उनकी कोई लाइबिलिटी है क्या? जिस तरह से डी.पी.ए.पी. में कई संस्थाओं ने काम किया, लेकिन कई स्वयंसेवी संस्थाएं ब्लेकलिस्टेड हो गईं, आज उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। तो उसमें भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। कौन वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे हैं? राजस्थान के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है और उस पैसे को लेकर हम राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहते हैं, लेकिन उस सुदृढ़ व्यवस्था को अच्छा चलाएं इसके बारे में भी गहराई से विचार करना पड़ेगा। वैसे तो आपने 10 लाख रुपया मेरे शाहबाद हास्पिटल के लिए भी दिया है। 10 लाख रुपया देने

(श्री हेमराज मीणा)

से वहां एक वार्ड बन रहा है, लेकिन मेरे यहां पर स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ की कमी के कारण से बहुत दिक्कतें उस क्षेत्र में हो रही है। ट्राइबल का एरिया है, आपको मैं जानकारी दूंगा कि पिछली बार भी कांग्रेस के जमाने में ध्यान नहीं दिया, 22 आदिवासियों की मौत हुई थी, बहुत जोर से मैंने मामला उठाया, हमारी सरकार ने बहुत कुछ उस इलाके में किया है। पैसे की कोई कमी नहीं है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, लेकिन उस इलाके में सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिसको आप पोस्ट करते हैं वह येन-केन-प्रकारेण व्यवस्था करके तबादला कराकर वहां आ जाता है।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय श्री जुबेर खान।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): सभापति महोदय, यह बहुत बड़ी तकलीफ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा बारां जिले का बहुत-बड़ा डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल है।

श्री सभापतिः अब आप वाइंड अप करें।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): बारां हास्पिटल के लिए 'अ' श्रेणी करने का प्रस्ताव हमारे माननीय मंत्री महोदय के यहां विचाराधीन है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्रीजी बारां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है उसको 'अ' श्रेणी का हास्पिटल करें ताकि वहां की चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ रूप से चल सके, क्योंकि बारां हैडक्वार्टर है, किशनगंज, शाहबाद, छबड़ा, छीपाबड़ौद सबका केन्द्र स्थान है। तो उस चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए यह भी आवश्यक है कि हमारा बारां का चिकित्सालय 'अ' श्रेणी का हो।

मेरी मंत्रीजी से एक मांग और है। माननीय मंत्रीजी तो शायद चले गये, चिकित्सा राज्य मंत्रीजी हैं। मेरे क्षेत्र में एक पी.एच.सी. की आवश्यकता है खण्डेला पी.एच.सी. के प्रस्ताव सी.एम.एच.ओ. के माध्यम से राज्य सरकार के यहां विचाराधीन है।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय श्री जुबेर खान।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): मैं निवेदन करना चाहूंगा आप उस पी.एच.सी. को मंजूर करें। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने दोनों पार्टियों को छोड़कर बीच में किसी को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के ऊपर जो चर्चा हो रही है, मैं कोई लम्बी बात नहीं कहूंगा क्योंकि काफी समय से चर्चा चल रही है। हमने तो निवेदन किया था कि जवाब भी करा दीजिए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़ी भारी प्रशंसा की, पिछले दो-तीन सालों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मामले में काफी काम हुए हैं।

मैं जो प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है इसके माध्यम से एक-दो चीज निवेदन करना चाहूंगा कि क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि आज पांच करोड़ से ऊपर की जनसंख्या सिर्फ 220 चिकित्सालय पूरे राजस्थान में कार्यरत हैं। अगर आप देखें तो उसमें जो सबसे ज्यादा हैं, जो 12 हजार की संख्या दे रखी है उसमें से 10512 तो सब सेंटर हैं जहां सिर्फ एक ए.एन.एम. रहती है और आप भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रामीण एरिया में दूर-दराज में तो ए.एन.एम. के पास दो-तीन सेंटर का चार्ज होता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति हो रही होगी?

आज आप आंकड़ों से भी देखें तो लगभग एक अस्पताल जिसको अस्पताल कह सकते हैं जहां दो-चार डाक्टर मौजूद होते हैं, कुछ सुविधाएं मौजूद हो सकती हैं वहां ढाई लाख से ऊपर की जनसंख्या पर एक अस्पताल है आज की तारीख में इस प्रांत में। यदि आप इन एडपोस्ट और सब सेंटर को निकाल दें जहां कि ए.एन.एम. कार्यरत है। यह स्थिति हमारे यहां बनी हुई है और अगर इनको जोड़ें तो 27 वर्ग किलोमीटर में एक अस्पताल आता है जिसमें सब सेंटर भी आएंगे, उप स्वास्थ्य केन्द्र, एडपोस्ट और छोटी-मोटी सुविधाएं भी आएंगी। इससे अंदाजा लगा लें पूरे राजस्थान के 220 से क्षेत्रफल को डिवाइड करें तो मेरे ख्याल में कम से कम 100 किलोमीटर के ऊपर एक बड़ा अस्पताल इस राजस्थान में कार्यरत है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट रखा गया है आप ताज्जुब करेंगे कि चिकित्सालय उपकरण, आज नये लेटेस्ट उपकरण आ रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं हम टेलीमेडिसन फेसेलिटी दे रहे हैं, 2004-05 में चिकित्सालय उपकरण पर शून्य राशि इस प्रान्त में खर्च की गई है। यह मैं नहीं यह किताब कह रही है जो सरकार ने और विभाग ने दी है। आप 2005-06 में देखें तो इन्होंने प्रावधान रखा था चिकित्सालय उपकरण खरीदने के लिए 273 लाख और जनवरी, 2006 तक सिर्फ 57 लाख रुपये खर्च किये गये

(श्री जुबेर खान)

हैं। आप इससे देख लीजिए कितनी संवेदनशील सरकार है चिकित्सा और सुविधाओं के ऊपर जिसके लिए सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बार-बार भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार की प्रतिबद्धता और सरकार की संवेदनशीलता कितनी है गांव में रहने वाले गरीब किसान, मजदूर की चिकित्सा और सुविधाओं के लिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। उपकरण कार्यालय व अन्य के लिए जहां 406.50 लाख रुपये का प्रावधान किया वहां जनवरी, 2006 तक 57.97 लाख खर्च किये। अब दो महीने में क्या खर्च करेंगे, आज मार्च आ गया, आज 20 मार्च हो गई, आप देख लें क्या खर्च होगा? ज्यादातर पैसा लैप्स होगा। कंसलटेंट सेवाओं का देख लीजिए। जहां इन्होंने 12.60 लाख का प्रावधान रखा था और जनवरी, 2006 तक 27.96 लाख रुपये खर्च कर दिये। 12 लाख के विरूद्ध 27 लाख कंसलटेंसी के ऊपर खर्च कर दिये। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं यह सरकार और यह विभाग किसके प्रति वफादार है, किसके प्रति इनके मन में सोच है? कंसलटेंसी के लिए जनवरी तक दुगुना बजट खर्च कर दिया और जो सुविधाएं खरदीनी चाहिए थीं, उपकरण खरीदने चाहिए थे सरकारी अस्पतालों में ताकि गरीब लोगों को पर्चियां रेफर करके प्राइवेट में न जाना पड़े वहां इनका प्रतिशत देख लीजिए। आप अंदाजा लगाएंगे 406 लाख में 57 लाख रुपया कितना प्रतिशत बनता है?

यही हालत आगे और देख लीजिए। प्रशिक्षण कराने के लिए इन्होंने 198 लाख रुपये रखे और सिर्फ 53 लाख रुपये जनवरी, 2006 तक खर्च किये। आप इनको कुल देखें, कुल विनियोग लागत जो कि इनको सुविधाओं के लिए खरीदना चाहिए था 4741.85 लाख रुपये में से सिर्फ 18.90 करोड़ खर्च किये गये हैं। आज इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कार्यालय संचालन में खाली खर्चा होता है, प्रावधान रखा 134.38 लाख रुपये और अब तक जनवरी तक खर्चा किया है 144 लाख रुपये। आप देखिए कंसलटेंसी कार्यालयों के संचालन पर खर्चा तो बढ़ता जा रहा है और जो आधारभूत सुविधाओं पर खर्चा होना चाहिए था उपकरणों पर और सुविधाओं पर खर्चा होना चाहिए था उस पर ये 25-30 परसेंट से ज्यादा खर्च नहीं कर पाये। कामनवेस्ट फैसलिटी का किराया 1.5 लाख का प्रावधान रखा और खर्च कर दिया 4.12 करोड़ रुपये ...(व्यवधान) आपने रखा ही 1.5 और 4.12 खर्च कर दिया। इसी तरह से उपकरण के रख-रखाव में आपने रखा 62 और खर्च कर दिया 51 ।

(श्री जुबेर खान)

इसी तरह से आप देखें कि फर्नीचर के रख-रखाव में इनको खर्च करना चाहिए था 2005-06 में 34.9 लाख रुपये और खर्च कर चुके हैं अब तक 40.80 यानी 10 लाख रुपये, इससे आप इनकी कटिबद्धता देख लीजिए। टोटल अगर आप बजट का देखें तो 5289 लाख में से 2351 लाख रुपये इन्होंने सिर्फ अभी तक खर्च किये हैं। यह तो मैंने उदाहरण दिये कि बजट के प्रति कितने संवदेनशील हैं और वाहवाही लूटने में कितने माहिर हैं। इसके अलावा एक निवेदन और करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि माननीय मंत्रीजी भी एक ग्रामीण और पिछड़े इलाके से आते हैं, आज भी हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में दूरदराज के गांव हैं, जहां के मैं उदाहरण दूंगा, अपने मेवात क्षेत्र का ही आप ले लीजिए, नागौर ले लीजिए, कामां ले लीजिए, गोविन्दगढ़ ले लीजिए, कठूमर ले लीजिए, लक्ष्मणगढ़ ले लीजिए, जहां से डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर 60-70 किलोमीटर पड़ते हैं वहां आपके डाक्टर नहीं हैं क्योंकि कोई ठहरना नहीं चाहता। ट्रांसफर कराने शहरों में आ जाते हैं, मेरा निवेदन है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका हुआ है मेवात का, चिकित्सा सुविधाओं के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, बेरोजगारी के हिसाब से, चिकित्सा स्वास्थ्य के हिसाब से, आप मेवात विकास योजना वालों के साथ कोर्डिनेट करके उस एरिया में मोबाइल हास्पिटल्स की आपको सुविधा रखनी पड़ेगी क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी, सीकरी, गोविन्दगढ़ से आदमी अगर भरतपुर जाना चाहेगा, तीन घंटे से पहले नहीं पहुंच सकता। अलवर जाना चाहेगा तो दो ढाई घंटे से पहले नहीं पहुंच सकता, वहां स्थिति यह हो सकती है, बरसात में तो जो हालत होती है, मुझसे ज्यादा आप स्वयं जानते हैं क्योंकि आप वहां पैदा हुए हैं, पले-बढ़े हैं। इसके साथ ही, मेरा आपसे एक निवेदन और है कि आप जो नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जनसंख्या पर जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे, जनसंख्या जुडी हुई है अशिक्षा से, न यह किसी जाति से जुडी हुई है और न किसी धर्म से जुडी हुई है, आपके इलाके में और हमारे इलाके में हर जाति के ज्यादा बच्चे मिलेंगे इसलिए कि वहां अशिक्षा है और जो पढ़ लिख गये उनको तो समस्या है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, सुविधा कैसे दिलाएंगे और माननीय, सत्ता पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य जिनके विचार संकीर्ण हैं, वह तो यह कहते हैं कि यह तो जनसंख्या किसी खास समुदाय से बढ़ रही है। आप सभापति महोदय, मैं चैलेंज देकर यहां कहना चाहता हूं कि आप जयपुर का ही उदाहरण ले लीजिए, जयपुर में जितनी कालोनियां बन रही हैं, पृथ्वीराज

(श्री जुबेर खान)

नगर की तरफ चले जाइए, वैशाली नगर की तरफ चले जाइए, मानसरोवर की तरफ चले जाइए, मालवीय नगर की तरफ चले जाइए, सांगानेर की तरफ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए आपको भी पता होगा यह जनसंख्या में कितने प्रतिशत परिवार किसी अल्पसंख्यक समुदाय के रहते होंगे। आज बड़े-बड़े स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलते। आज कान्वेंट स्कूल देख लीजिए, महाराजा कालेज देख लीजिए, महारानी कालेज देख लीजिए, राजस्थान कालेज देख लीजिए, कामर्स कालेज देख लीजिए, आपके टी.पी.एस. देख लीजिए, सेंट एंसलम देख लीजिए, सेंटपॉल देख लीजिए, एस.एम.एस. देख लीजिए, महाराजा देख लीजिए, जेवियर देख लीजिए, आज बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, कहां से बच्चे आ रहे हैं ? जनसंख्या नहीं बढ़ रही है क्या, आप बता दीजिए महावीर प्रसादजी, आज नहीं आप पता करके बता दीजिए कि किन जातियों के और किन-किन धर्मों के कितने कितने बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, आज इस समस्या को इस तरह नहीं देख सकते, यह समस्या विस्फोटक है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे तत्कालीन मुख्य मंत्री और आज के महामहिम उप राष्ट्रपति जिन्होंने यह पहल की जब यहां पंचायती राज और नगरपालिका एक्ट बन रहा था तो जनसंख्या के ऊपर पाबंदी लगायी कि दो बच्चों से ज्यादा जिसके होंगे उनको चुनाव में अवैध घोषित किया जाएगा, चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आप पहल करिए, दो बच्चों से ज्यादा जिनके बच्चे होंगे वह सरकारी नौकरियों में उनको पदोन्नति नहीं होगी, उनको सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा की कोई रियायत नहीं मिलेगी, आप यह भी करिए कि आप पहल करिए कि राजस्थान में जिस तरह माननीय भैरोंसिंह के नेतृत्व में 1994-95 में पहल की थी, आप भी पहल कीजिए कि राजस्थान में अगर आप रोक भी नहीं लगाना चाहें तो जिनके कम बच्चे हैं उनको इंसेंटिव देने की योजना तो बनाइए, कोई न कोई तरीका अपनाइए कि आप कितनी ही सड़क बना लीजिए, कितने ही अस्पताल खोल लीजिए, कितनी ही एम्बुलैंस लगा लीजिए, कितने ही वेटरिनरी डाक्टर लगा लीजिए, कितने ही आयुर्वेद के डाक्टर लगा लीजिए, जब तक आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे, आप लोगों को सुविधा नहीं दे पाएंगे। अब यह मत सोचिए कि इमरजेंसी में एक बार जनसंख्या नियंत्रण के चक्कर में सरकार चली गई तो हर बार चली जाएगी। अब परिस्थितियां बदल गई हैं आम आदमी की भी मानसिकता यही बन गई है कि इस देश के विकास के लिए, इस प्रांत के विकास के लिए जनसंख्या पर

(श्री जुबेर खान)

नियंत्रण अति आवश्यक है उसके लिए आप कानून बनाइए। आप 370 की बात करते हैं, सिविल कोड की बात करते हैं, आप बनाइए कानून, कि कोई भी परिवार, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी जगह के आदमी दो से ज्यादा बच्चे होंगे उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, आप पहल करिए और यह कानून बनाइए, देखिए कैसे जनसंख्या नियंत्रण नहीं होता।

श्री सभापति: धन्यवाद। अब आप समाप्त करिए प्लीज।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, अगर आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा चिकित्सा मंत्रीजी से कि आप जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक जनता के साथ न्याय नहीं होगा, चाहे आंकड़े आप कितने ही कह लीजिए, कितने डाक्टर हैं, कितनी सुविधाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए इसके आप कदम उठाइए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई न कोई पहल करिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति: माननीय श्री सुरेश चौधरी।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय सभापति जी, विशेष कृपा के लिए धन्यवाद। मैंने कटमोशन दिये थे लेकिन उसमें छपने में थोड़ा हो गया। राजस्थान की इस सबसे बड़ी पंचायत में सुबह से ही मांग संख्या- 26 चिकित्सा लोक स्वास्थ्य सफाई पर चर्चा हो रही है और कई तरह के अच्छे सुझाव पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से आए हैं और माननीय चिकित्सा मंत्री जी जो खुद ही एक मेडिकल लाइन से हैं, मेडिको रहे हैं, इस लाइन को अच्छी तरह समझते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। ...(व्यवधान)... क्योंकि मैं इस समय इनको बॉस नहीं कह सकता हाउस में हूं।

श्री सभापति: आप तो मुद्दे पर आओ, मुद्दे की बात करो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): तो माननीय चिकित्सा मंत्रीजी इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं मेरा एक निवेदन है कि प्रतिपक्ष की तरफ से जो कुछ रचनात्मक सुझाव आए हैं कंस्ट्रक्टिव सजेशंस जो हैं उनको भी मानने में अपने को संकोच नहीं करना चाहिए और मैं आपसे एक खास उम्मीद यह भी रखता हूं और प्रतिपक्ष के जो सदस्य हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि इतने डाइनेमिक और एनर्जेटिक हैल्थ मिनिस्टर अगर आने वालो तीन साल में

(डा. सुरेश चौधरी)

लगातार इनके पास पोर्टफोलियो यही रह गया। ...(व्यवधान) भविष्य संभावनाओं पर होता है, अगर पोर्टफोलियो यही रह गया तो राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। मैं एस.एम.एस. का स्टूडेंट रहा हूं, माननीय सभापति जी, 1984 से लेकर 1990 तक उस समय के एस.एम.एस. की हाल और आज करीब-करीब रोज जाना पड़ता है कांस्टीट्यूएंसी के पेशेंट्स आते हैं उनके लिए और आज की हालात का उस समय का जो संतोकबा दुर्लभ जी अस्पताल जो एक नम्बर का अस्पताल फाइव स्टार हास्पिटल माना जाता था राजस्थान का, आज वो की वो ही स्थिति उस एस.एम.एस. अस्पताल की है, इसके लिए माननीय चिकित्सा मंत्रीजी माननीय मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर साहब, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट साहब, यहां के प्रिंसिपल मतलब, मुख्य मंत्रीजी साहब बधाई के पात्र हैं और सब को धन्यवाद राजस्थान की गरीब जनता की तरफ से। पैसा वाला सक्षम व्यक्ति तो कभी भी कहीं भी इलाज करवा सकता है लेकिन जहां तक बात है बी.पी.एल. की, जहां तक बात है गरीब परिवार की उसको तो सबसे बड़ी राहत मिलती है, वह इसी सवाई मानसिंह अस्पताल में मिलती है और कई सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की इस बात पर कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय पर मरीजों का लोड़ इतना ज्यादा है, कई सुझाव भी आये, माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिये, गुंजल साहब ने भी सुझाव दिये उसमें था कि जो पेराफेरी पर हमारा मेडिकल सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स का उनका अगर सुदृढ़ीकरण किया जाए उसमें अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाए, निश्चित रूप से जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय पर जो मरीजों का लोड है उसमें काफी कमी आएगी। इस दो साल में स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के हिसाब से देखें तो राजस्थान में दो साल में पीछे का, कहीं पांच साल में आपका यह नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी उसमें सुविधाएं नहीं थी, एक मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत ने चालू किया था और उसको आपने आगे बढाया और और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं, मेरे कुछ सुझाव हैं इसी से जुड़े हुए, रिहेबिलिटेशन एक ब्रांच है इसमें स्वास्थ्य सलाहकार मण्डल अपनी बैठक थी, माननीय मंत्रीजी मैंने आपसे निवेदन किया था।

रिहेबिलिटेशन में पी. जी. 1984 में शुरू हो गई थी और अब तक करीब 36 कंडीडेट इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। 6 प्रतिशत पापुलेशन

(डा. सुरेश चौधरी)

इंडिया की विकलांग है और मेरे ख्याल से फ्लोरोसिस, फ्लोराइड की वजह से राजस्थान में इसकी पर्सेंटेज और भी ज्यादा होगी, निश्चित रूप से और ज्यादा है यह। मेरा यह सुझाव है कि क्यों न हम जो 36 कंडीडेट हमारे पास स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं रिहेबिलिटेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन करके उनको डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में मेडिकल आफिसर की एक पोस्ट को जे.एस. में कन्वर्ट करके वहां उनको लगाया जाए। उससे फायदा क्या होगा कि जो गरीब आदमी है, विकलांग है, उसके एक तो गरीबी की मार ऊपर से विकलांगता की मार, उसको कहां आना पड़ेगा? न आपके डिविजनल हैडक्वार्टर पर मेरे ख्याल से इस तरह की सुविधाएं है, वह जयपुर आता है। सबसे ज्यादा उसको नुकसान अर्थ का उठाना पड़ता है और उसके बाद में शारीरिक विकलांगता का शारीरिक कष्ट होता है तो मेरा एक सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल जहां भी है वहां एक जे.एस. के रूप में रिहेबिलिटेशन में जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसकी नियुक्ति की जाए। (समय समाप्ति सूचक घंटी) दो मिनट में कर दूंगा।

दूसरा, इसमें 1998 में बी.जे.पी. गवर्नमेंट में आज के माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, मंत्रीजी, आपने एक समझौता करवाया था जो इन-सर्विस डाक्टर्स हैं उनके और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में टाइम बाउंड प्रमोशन का। लेकिन आज स्थिति यह है कि 29-29 साल की सर्विस के बावजूद मात्र एक प्रमोशन लेकर के वह रिटायर हो जाता है, कइयों का प्रमोशन भी नहीं होता है। उसमें 8-16-24 का ग्रेड दिलाने की बात थी टाइम बाउंड प्रमोशन में। मेरी आज के माननीय मंत्रीजी से, मेरे ख्याल से आपसे बढ़िया माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, उन चिकित्सकों में व्याप्त कुंठा को कोई नहीं समझ पायेगा क्योंकि आप खुद एक मेडिको हैं। तो मेरी एक मांग है कि उनका टाइम बाउंड प्रमोशन किया जाए।

तीसरा, मेरे खयाल से जो मैं अभी सुझाव देने वाला हूं, इस सदन का हर माननीय सदस्य इससे सहमत होगा और 12वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में भी मैंने यह बात उठाई थी कि हर विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर एक कम्प्लीट हास्पिटल की अवधारणा अपन लेकर के चलें। हर विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर एक इस तरह का चिकित्सालय हो जिसमें वहां आर्थोपेडिक सर्जन भी हो, वहां आप्थोल्मोलॉजिस्ट भी हो, वहां गायनोकोलॉजिस्ट भी हो, वहां पीडियाट्रिशियन भी हो, वहां एनेस्थेटिस्ट भी हो। हर सी.एच.सी. पर आपको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि वहां एक जनरल सर्जन, जहां

(डा. सुरेश चौधरी)

भी गायनोकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग है वहां पर आप एक एनेस्थेटिस्ट की भी पोस्टिंग, जो फ्रेश निकले पी. जी. करके निकले उनको करवाई जाए या एक सुझाव इधर से आया था कि अगर हमारे पास एनेस्थेटिस्ट सब्जैक्ट स्पेशलिस्ट कम हैं तो क्यों न हम इस तरह का कर दें कि बीच के जो सिम्पल मेडिकल आफिसर हैं, एस.एम.ओ. हैं उनको 4-6 महीने की एक ट्रेनिंग देकर के ट्रेंड किया जाए ताकि गरीब लोगों को सी.एच.सी. लेवल पर ही आपरेशन की सुविधा मिल जाए।

आर.एम.पी. की काफी बात आती है कि इन पर पाबंदी लगाई जाए, इन पर यह किया जाए। मैंने प्रथम विधान सभा सत्र में भी यह मांग की थी कि इनको एक निश्चित अंतराल की सब्जैक्ट स्पेशलिस्ट से ट्रेनिंग दिलाकर क्योंकि आज हमारा मेडिकल हैल्थ सिस्टम इतना ज्यादा नहीं है कि हम गांवों में सब्जैक्ट स्पेशलिस्ट उपलब्ध करवा देंगे, मेरा सुझाव एक यह है कि जो गांव में 10-10, 15-15 साल से जो नौजवान प्रेक्टिस कर रहे हैं उनको एक सी.एच.सी. लेवल पर सब्जैक्ट स्पेशलिस्ट से ट्रेनिंग दिलवाकर उनको एक अधिकृत प्रमाण-पत्र दे दिया जाए ताकि वो काम कर ले।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापतिः समाप्त करें।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मेरे एक भादरा सी.एच.सी. जिसमें मैंने एक दानदाता को तैयार करके 30 बैड का एक वार्ड बनवाया है और हकदार है वह सी.एच.सी. कि उसको 30 के बजाय 50 बैड का कर दिया जाए, इसमें गवर्नमैंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जो स्टाफ बढ़ेगा वह बढ़ेगा, भवन की उपलब्धता है वह हमने बनवाकर तैयार कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में...

श्री सभापतिः माननीय श्री सुन्दर लाल। समाप्त करें। माननीय श्री तगारामजी।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): पिछली बार यूनानी और आयुर्वेद चिकित्सालय खोलकर इन दोनों समुदायों को इतनी बड़ी राहत दी उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापतिजी, आपने बोलने के लिए वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय श्री तगारामजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य हैं वो बोल नहीं पाये जल्दी-जल्दी में, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य इशारा कर रहे थे कि कोई बाल उड़ जाए तो उसकी भी कोई व्यवस्था मंत्रीजी करवा दें तो हो जाए।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या -26, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापतिजी, कितने मैम्बर और बोलने वाले हैं यह तो बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप नहीं चाहते क्या ? इतने महत्त्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): चाहते हैं। आपने यह तय किया था कि जुबेर खानजी आखिरी वक्ता होंगे, आप भी कम कर दीजिये, हम कम कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर आपकी मन्शा है तो सभापति महोदय, आप तय कर लें। हम तो चाहते हैं कि ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार आयें पर प्रतिपक्ष अगर...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप अंदर कुछ और बाहर कुछ क्यों कहते हो ? जो बात है वह सही कहो न जो फैसला हुआ है। और कितने हैं मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, इसको चलाते रहिये 10 बजे तक आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ठीक है, अगर आसन की आज्ञा हो तो साढ़े आठ बजे मंत्री महोदय तैयार हैं वो जवाब दे देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): अभी-अभी तो सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य...

श्री सभापतिः अब आप अपनी बात कहें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): कह रहे थे कि व्यवधान नहीं डालते हैं फिर मेरे उठते ही व्यवधान की क्यों इनको जंची। मैंने आज व्यवधान डाला नहीं, माहिर साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनका नाम प्रोफेसर तगारामजी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ये तो मंत्री बनने वाले हैं, क्यों इनको बुलवा रहे हो आप।

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो एक बजट, दूसरा बजट, तीसरा बजट, तीन बजट जो आये हैं, माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी के राज संभालने के बाद में, उनमें से एक से बढ़कर एक बजट प्रस्तुत हुए, पास हुए और विकास भी हुआ और साथ ही जब आज मांग चिकित्सा और स्वास्थ्य की चल रही है तो मैं आपके माध्यम से यह भी बधाई देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय को कि आपने चिकित्सा मंत्री के रूप में एक योग्य और विशेष रूप से योग्यता प्राप्त किये हुए चिकित्सक महोदय को ही मंत्री पद सौंपा, इन सभी के लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जो भी चर्चा हुई, उस चर्चा में बहुत ही मूल्यवान सुझाव सभी ने दिये और बार-बार यही उम्मीदें की जा रही है कि और सुविधाएं बढ़ाई जाएं, और बढ़ाई जाएं। यह भी बात सत्य है परन्तु इन दो वर्ष में, ढाई वर्ष अभी हुए नहीं है, कई मेरे माननीय मित्रों ने कहा कि ढाई साल हो गये, ढाई वर्ष में तो अभी बाकी है परन्तु इन दो वर्षों में भी जिस कदर, जिस मन्शा से और जिस उमंग और दिलेरी से वसुन्धरा सरकार ने सभी विभागों में सभी तरह से जिस प्रकार प्रगति की है उससे हमको यह सोचना पड़ेगा कि पिछली सरकार ने पिछले समय में कितना काम किया। साथ ही जितनी पहले की कमी हैं उनको पूरा करते हुए हम आगे कैसे बढ़ें इसमें तो आप सोचते रहिये और देखते रहिये कि आगे क्या होने वाला है। क्या होगा वह तो समय ही बतायेगा। कभी-कभी यह बात आती है कि आप तो ढाई-तीन साल की बातें कर रहे हो और आगे की बात कर रहे हो तो वह भी आप मान लीजिये कि वसुन्धराजी की जिस तरह की कार्यशैली है, जिस तरह का उनका पूर्व पैतृक अनुभव है उन सबको लेकर के आप मान लीजिये कि यह कारवां चलता रहेगा। यह रूकने वाला नहीं है। नेतृत्व जब दूरदर्शी हो और प्रभावशाली हो तो फिर मैं रेलवे का उदाहरण दूं कि रेल चलती है वह इंजन के बल पर चलती है और इसी तरह से जो भी सदन, जो भी सरकार चलती है, वह भी नेता के बल पर चलती है। हमारा नेतृत्व बहुत ही कुशल है और कुशल नेता के नेतृत्व में यह राजस्थान आगे बढ़ेगा और दिन-दूनी रात-चौगुनी प्रगति करेगा। मैं पर्ची के माध्यम से मेरे खुद के क्षेत्र की बात पर आता हूं। मैं इस बात के लिए तो बधाई दूं कि मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी कि आपने इन दो सालों में कई प्रकार की चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, प्राथमिक

(श्री तगाराम चौधरी)

चिकित्सा केन्द्र हो या उप स्वास्थ्य केन्द्र हो, इनकी भी कोई कमी नहीं रखी है और बजट देने में भी कोई कमी नहीं रखी है परन्तु चिकित्सक की कमी तो है। परन्तु यह अभी की नहीं है, बहुत पुरानी कमी है, पहले से है जिसको बैकलाग बोलते हैं, बैकलाग पदों का लम्बे समय से इस तरह से सता रहा है, उनको भरा जाये और मैं बहुत कम समय लूंगा, आपको घंटी बजाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे बोलता भी नहीं हूं, मैं ज्यादा बोलता ही नहीं।

श्री सभापतिः वह तो आपको मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया सदन में।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इसलिए फिर मैं एक और निवेदन करूंगा मेरे वहां के उप स्वास्थ्य केन्द्रों का, मंत्री महोदय से कई बार आग्रह किया कि आप मेरे वहां पधारिये, वहां की स्थिति देखिये तब आपको बाद में पता पड़ेगा, कितना वह क्षेत्र है, वह हर प्रकार से उपेक्षित रहा हुआ क्षेत्र है हमारा और सीमावर्ती है, रेगिस्तानी है, खारे पानी का क्षेत्र है, सारी असुविधाएं भरी हुई हैं परन्तु तेल निकला। मैंने कहा, तेल भी आपको दिखाऊंगा, कुए भी दिखाऊंगा, आप वहां पर जरूर पधारें, पता नहीं चिकित्सा और तेल का मेल नहीं है, इसके कारण से आपने यात्रा नहीं की। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं चिकित्सा मंत्रीजी, आप वहां का कार्यक्रम रखिये और वहां की स्थिति देखिये तो हमको बल मिलेगा।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय श्री बंशीलालजी खटीक।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं एक निवेदन और करूं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का चयन करने में पूर्ववर्ती सरकार ने, तत्कालीन अशोकजी की सरकार ने जो एक मापदण्ड बनाया, पता नहीं किस तरह का था और अंक दे दिये...

श्री सभापतिः अब आप समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं समाप्त क्या करूं, बात तो अब शुरू होगी तो मैं आपको यह स्मरण कराऊंगा कि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्री, जो राजस्थान के होनहार मुख्य मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं का यह उद्गार है कि अन्त्योदय को पहले लिया जाये और उसमें ऐसा हुआ बहुत कम है। अभी तक चयन हुआ है उसमें इस प्रकार की गलतियां रही हैं। उनको भी पुनः किस प्रकार से सुधारा जायेगा तब जाकर चिकित्सा में भी जो मेडिकल रिलीफ सोसायटी हैं, उसमें बी.पी.एल. को सुविधा दी जा रही है, उन

(श्री अध्यक्ष)

(श्री तगाराम चौधरी)

सुविधा वास्तव में पहले से गरीब, मुझे इसका अच्छा अनुभव है, वह वंचित रह गये हैं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, बंशीलाल खटीक तैयार है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से पहले हम बोलेंगे। हम जरूर बोलेंगे। हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम निवेदन कर रहे हैं कि या तो आप मना कर दीजिये, आप सदन में मत आइये, हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार हुआ क्यों है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप हम पर नाराज नहीं हों। माननीय सदस्य, यह आसन की व्यवस्था है। आसन सर्वोपरि है। आसन का सम्मान करना आपका और हमारा सबका दायित्व है। आसन के अनुशासन से हम सब बंधे हुए हैं। आसन ने नाम पुकार लिया, आसन की व्यवस्था है।

श्री सुरेश मीणा (करौली): हम आसन से निवेदन कर रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, अभी सदन में संसदीय कार्य मंत्रीजी ने और प्रतिपक्ष ने तय किया था कि 8.30 बजे मंत्रीजी का जवाब आ जाये।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय सभापति महोदय, हम भी हमारे क्षेत्र की समस्या रखना चाहते हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय सभापति महोदय, पक्ष और प्रतिपक्ष समझौता कर ले, इस बात का मतलब नहीं है। सदन के अन्दर पूरी बात आनी चाहिए और सभी माननीय सदस्यों को मौका मिलना चाहिए, इसी बात के लिए समय बढ़ाया गया था 10 बजे का और समय सबको मिलना चाहिए।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय सभापति महोदय, हमको समय नहीं दिया जाता है और दिया जाता है तो दो मिनट।

श्री सभापतिः माननीय श्री सुरेश मीणा। आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 पर...

श्री सभापतिः आप बिराजे। माननीय श्री सुरेश मीणाजी, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): मेरा नाम पुकारा था माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापतिः अब आप बिराज जायें। आपको आवाज दी थी, आप उस समय वहां नहीं थे। आप बाहर थे। आप सीट पर नहीं थे।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): नहीं, मैं आ गया था। मैं आपकी बात सुनकर आ गया था।

श्री सभापतिः मैंने जिस समय आपका नाम पुकारा, आप नहीं थे। उस समय आप सीट पर नहीं थे। इनके बाद में आपको भी दो मिनट बुला लेंगे।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 पर...

श्री सभापतिः अब आप बिराज जायें, अब आप बिराज जायें। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन है कि आप एक बार बिराज जायें। मैंने आपका नाम पुकारा था, आप नहीं थे।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): मैं आ गया था। मैंने आपके लास्ट शब्द को सुना और मैं आ गया।

श्री सभापतिः इनके बाद में दो मिनट आपको भी बुला दिया जायेगा। आप बिराजें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सभापति महोदय, मैं दो मिनट में तो खतम कर देता हूं पहले। दो मिनट में खतम कर देता हूं। बाद में इनको बुला लेना।

श्री सभापतिः राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसी को नहीं बुलायें, आप तो मंत्रीजी का जवाब करा दो। इनका विरोध तो यह था कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): इनको भी अपनी बात कहनी है। आप तो अपनी बात कह गये।

श्री सभापति: अब आप बिराज जायें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। पांच मिनट और एक सैकण्ड भी नहीं लूंगा।

श्री सभापति: मैं मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य को बैठाइये। इनके बाद में आपको बुला दिया जायेगा। माननीय श्री सुरेश मीणा। (व्यवधान) प्लीज।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, व्हिप की बात नहीं मानेंगे ये, मार्शल बुलाना पड़ेगा।

श्री सभापति: आप बिराजें।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय सभापति महोदय, हम जब बोलने खड़े हुए तो हमको बड़ी मुश्किल से तो बोलने का टाइम दिया है और मांग संख्या-26 चिकित्सा व स्वास्थ्य पर बोलने का मौका इस विधान सभा में दिया है, इसके लिए मैं मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज सुबह से हम सभी माननीय सदस्यों की बात सुनते चले आ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा जब जन्म हुआ था उस समय गांव की एक अनपढ़ दाई ने मुझे जन्माया था/ जब मैं बड़ा हुआ, मेरे बच्चा जब पैदा हुआ तो उसी दाई ने मेरे बच्चे को जन्माया और यही स्थिति रही तो वही दाई मेरे बच्चे के बच्चे को जन्माएगी। इतनी बड़ी प्रोग्रेस इस राजस्थान में हुई है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस राजस्थान में चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, हर सदस्य सत्ता का होता है वह सत्ता की बड़ाई करता है और विपक्ष में होता है वह उनकी इस तरह की बात करता है लेकिन हकीकत की बात पर कोई नहीं आता। माननीय सभापति महोदय, इस देश में, इस राज में 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है और गांव में लोग निवास करते हैं। उन गांवों में चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? कहीं भी गांव में आज तक एम.बी.बी.एस. डाक्टर वहां रूकता नहीं, वहां कोई अच्छा अस्पताल नहीं। उससे स्थिति यह होती है कि जब कोई भी महिला बीमार होती है या कोई भी महिला के बच्चा होता है या तो वह मर जाती है या वह बच्चे को जन्म देती है जैसे जानवर देता है, उस तरह से वह जन्म देती है। मैं राजस्थान की माननीय मुख्य

(श्री सुरेश मीणा)

मंत्रीजी से और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि हकीकत में...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): कटौती प्रस्ताव पर है क्या यह भाषण कि औरत जन्म देती है जानवर की तरह, यह कोई जवाब है क्या इनका। (व्यवधान) कटौती प्रस्ताव यह है क्या इनका, आप पढ़ो तो सही पहले। क्या बात करते हो आप। सभापति महोदय, आपने परमिशन कैसे दी है ऐसे बोलने की।

श्री सभापति: आप विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): आप आसन की व्यवस्था करिये। नहीं साहब, यह बात, आप यहां सभी बैठे हैं माननीय सदस्य, आप यह शब्द नहीं, ऐसे शब्द तो नहीं सुनेंगे।

श्री सुरेश मीणा: माननीय सदस्या, आप जोधपुर में रहती हैं, जोधपुर में। गांवों में मेरे साथ चलिए, स्थिति क्या है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हकीकत बात बता रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: यह आप अपशब्द काम में नहीं लेंगे, यह अपशब्द काम में मत लो आप।

श्री सुरेश मीणा: हकीकत आज, माननीय सभापति महोदय, मैं बता देना चाहता हूं आपको। यही स्थिति है गांवों में आज।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: आप जानवर की तरह कैसे कह रहे हैं।

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री सुरेश मीणा: हकीकत को जानें। आज शहरों में तो जिस गली में जायेंगे उस गली में ही डाक्टर का घर मिलेगा लेकिन गांवों की स्थिति बता रहा हूं। मैं, चिकित्सा मंत्रीजी, निवेदन करना चाहता हूं कि हर ग्राम पंचायत पर एक-एक एम.बी.बी.एस. डाक्टर को अनिवार्य किया जाय कि वहां पर रहेगा, एक-एक डाक्टर, निवेदन है मेरा आपसे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपने मुद्दे की बात बता दो।

श्री सुरेश मीणा: तो यह क्या है? हम यही तो बात कर रहे हैं, सभापतिजी। आज गांवों में महिलाओं के आपरेशन बहुत ज्यादा होते है। उन महिलाओं के आपरेशन होने के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो अच्छी हृष्ट-पुष्ट महिलाएं होती हैं वह बारह महीने बाद बिलकुल थक कर

(श्री सुरेश मीणा)

तरह-तरह की बीमारियां उसके हो जाती हैं क्योंकि आपरेशन होने के बाद उसको तो गांव में खेत में भी काम करना पड़ता है, सारी जगह काम करना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गांव की महिला का आपरेशन न करके वहां के मर्दों का आपरेशन किया जाय। यह मेरा आपसे निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आज अस्पतालों की स्थिति यह है कि हर डाक्टर...

डा. सुरेश चौधरीः सुरेशजी, आपने करवाया है क्या?

श्री सुरेश मीणाः मैं करवाऊंगा।

डा. सुरेश चौधरीः तो वह करवा कर फिर सुझाव दो न।

श्री सुरेश मीणाः आज डाक्टरों की स्थिति यह है कि एक गरीब जब डाक्टर के पास जाता है तो हास्पिटल में उसको नहीं देखता, वह उससे कहता है कि घर आइये। घर जाता है गरीब और घर जाता है तो जब तक उसको फीस नहीं देता, चाहे वह मर जाय लेकिन उसको देखता नहीं है डाक्टर, सरकार भी उसको तनख्वाह देती है, गरीब जितनी बार उसको चैक करायेगा उतनी बार ही उसको फीस देता है, इस प्रकार की व्यवस्था पूरे राजस्थान में कर रखी है।

श्री सभापतिः आप, प्लीज, बैठे-बैठे आपस में बात मत करिये।

श्री सुरेश मीणाः इसलिए माननीय सभापतिजी, इन डाक्टरों ने जो इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, इसको भी खतम किया जाय, ऐसी व्यवस्था करें माननीय मंत्रीजी।

श्री सभापतिः ठीक है, धन्यवाद।

श्री सुरेश मीणाः अब धन्यवाद तो है ही, साहब। माननीय सभापतिजी, बड़ी मुश्किल से तो बोलने का मौका देते हैं हमको, दो-दो घंटे तक लोग गप मारते हैं, वह तो मारते हैं और हम जब बोलने के लिए खड़े होते हैं, गांव की बात करते हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जाता है। गप मारते हैं दो-दो घंटे तक, कोई भी गांव की बात नहीं करता, शहरों की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि शहर में तो हास्पिटल बहुत बन चुके, प्राइवेट हास्पिटल्स की बहुत संख्या है लेकिन अब आने वाले समय में जो भी प्राइवेट हास्पिटल खुले, उसको ग्रामीण एरिया में खोला जाय जिससे गांव के लोगों की देखभाल हो सके।

श्री सभापतिः ठीक है। माननीय श्री बंशीलाल खटीक। अब आप विराजें। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा: प्राइवेट यदि खुलते, यहां नहीं खुल रहे?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 पर आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया पर मेरी बात आप तक पहुंच नहीं रही...

श्री सुरेश मीणा: माननीय सभापति महोदय, मेरे करौली जो हास्पिटल है उसमें पांच डाक्टरों की जगह खाली पड़ी हुई है...

श्री बंशीलाल खटीक : बीच के अंदर थोड़ा अवरोधक माननीय सदस्य के द्वारा हो रहा है, आप तक बात पहुंची या नहीं पहुंच रही, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी सीट से एकदम नीचे बैठ जायें।

श्री सुरेश मीणा : भई, मैं तो खड़ा हुआ हूं, मुझे बैठाने वाले आप कौन होते हैं? मेरे से तो सभापतिजी कह देंगे तो बैठ जाऊंगा। मैं आपके कहने से नहीं बैठता।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, जब-जब भी मैं बोलता हूं, या तो लास्ट में बोलता हूं या बीच में अवरोध कोई न कोई पैदा हो जाता है। मेरा दुर्भाग्य है, मेरी बात सही तरीके से ढंग से नहीं रख पाता हूं। कारण यह मेरा भी दुर्भाग्य हो सकता है या अगले वाले का कोई सौभाग्य हो सकता है।

श्री जुबेर खान: सभापति महोदय, ऑन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर।

श्री सुरेश मीणा: माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का व्यवहार यदि होता है तो यह तो बहुत बुरी बात है, क्या है यह, क्या व्यवस्था है यह। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, विराजिये।

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय सभापति महोदय, आपके और मेरे बीच में प्रक्रिया और नियमों के हिसाब से कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी पालना होनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान: करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात खतम नहीं की और राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री सभापति: आपका नाम पुकार लेंगे, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान: जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है, आप व्यवस्था करिये। यह कोई किसी के रहमोकरम पर नहीं हैं कि जब चाहे कोई माननीय सदस्य सदन में इस तरह की व्यवस्था करेगा।

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय उप सचेतक महोदय, यह सदन प्रक्रिया नियमों से चलता है, जब माननीय सभापति महोदय ने मेरा नाम पुकार लिया, उनके कहने से मैं खड़ा हुआ हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री सुरेश मीणा: जब आपने मेरा नाम पुकारा है और मैं बोल रहा हूं, उससे पहले ही माननीय सदस्य खड़े कैसे हो गये।

श्री बंशीलाल खटीक : xxx (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। मेरा निवेदन है, अगर आपका नाम पुकार लिया और एक-आध मिनट में यह खतम करें तो आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत है।

श्री सुरेश मीणा : माननीय सभापतिजी, जब मैं बोल रहा हूं तो पीछे से माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आप बैठिये, मैं उनके कहने से बैठूंगा या आपके कहने से बैठूंगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप एक मिनट में खतम करें।

श्री सुरेश मीणा: आपने मुझे समय दिया है इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेश मीणा: जय भीम, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। अब माननीय बंशीलालजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़: गागर में सागर भरना है आपको।

श्री बंशीलाल खटीक: थोड़े में सब कुछ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: हां, थोड़े में सब कुछ।

श्री बंशीलाल खटीक: और मेरे स्वार्थ की बात, मेरे स्वार्थ की मतलब मेरे क्षेत्र के स्वार्थ की बात। ज्यादा मैं आंकड़ों में...

श्री राजेन्द्र राठौड़: वह मंत्रीजी को लिखकर दे देना आप।

श्री बंशीलाल खटीक: नहीं, बोलना तो पड़ेगा, लिखने से तो, ताकि सनद रहे।

डा. बुलाकीदास कल्ला: ऐसा है माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपके कंट्रोल में नहीं हैं यह।

श्री बंशीलाल खटीक: कैसे कंट्रोल में नहीं है, यह बैठ गया। कैसे कंट्रोल में नहीं हैं, हम आज्ञा का पालन करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: देखो, कैसे बैठे हैं। देखो अब।

श्री जुबेर खान: यह बैठे ही रहें, तब बात माने जब नहीं बोलें और बैठे ही रहें।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी: सभापति महोदय, अगर चूड़ी को उसी स्थान पर घुमाया जाय तो वही आवाज बार-बार निकलेगी। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य कभी-कभी बोलते हैं और उस कभी-कभी में भी आप तो... (व्यवधान) विपक्ष के नेता भी रहे हैं, दयावान हैं...

श्री सभापति: अब आप बैठे-बैठे बातें न करें। माननीय मंत्री महोदय, आप विराज जायें। आप शालीनता से अपनी बात बता दें।

श्री बंशीलाल खटीक: जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सभी अवरोधों को पार करते हुए जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं और आज मांग संख्या-26 के ऊपर जबकि मुझे पर्याप्त समय चाहिए था पर माननीय आसन का आदेश मेरे शिरोधार्य है और यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है और जो ज्यादा जानने वाले ही इस सदन की गरिमा को बिगाड़ते हैं, यह सुन कर मेरे दिल को आघात लगता है कि हम नये सदस्य, जबकि आप तीन-तीन, चार-चार बार इस पवित्र सदन में आ चुके हैं उसके बावजूद भी नियम और प्रक्रियाओं से नहीं चलते हैं वह, इसलिए मुझे दर्द होता है, माननीय सभापति महोदय, मैं और नहीं बोलूंगा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह बात कहने का काम आसन का है, आप तो अपने मुद्दे की बात बताओ ना।

श्री बंशीलाल खटीक: पर माननीय सभापति महोदय, मुझे टोक दिया जाता है जो वह कहते हैं...

श्री सभापति: कोई नहीं टोकेगा आपको, आप तो अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मांग संख्या-26 यही है।

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय सभापति महोदय, किसी के सामने अंगुलि करने से पहले तीन अंगुलियां इधर आती है, यह सबक इनको सीखना

(श्री बंशीलाल खटीक)

चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा-सीधा मेरे लक्ष्य पर आ जाता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा जो दो वर्ष का यह कार्यकाल निकाला गया, मैं समझता हूं कि यह स्वर्णिम कार्यकाल निकला है और आगे भी हमारा यह कार्यकाल बहुत ही अच्छा निकलेगा और सब के सहयोग से, पूरे मंत्रिमण्डल के सहयोग से माननीय मुख्य मंत्री महोदया जो आज उच्च कदम विकास की ओर, इस राजस्थान को एक विकास की ओर अग्रसर कर रही है, यह इसलिए बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक जिला चिकित्सालय है, उस जिला चिकित्सालय के आस-पास पूरा ग्रामीण अंचल जुड़ा हुआ है और वह सौ बेड का ही है। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं

(समय : 20.49 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि वह जो जिला चिकित्सालय है और उसमें सौ बेड है, वह सौ बेड पर्याप्त नहीं हैं, उनको दो सौ बेड में परिवर्तन किया जाय ताकि मेरे क्षेत्र की जनता उस चिकित्सालय से अच्छा लाभ ले सके। दो सौ बेड होने से उसमें हमारे क्षेत्र की गरीब जनता उस जिला चिकित्सालय आयेगी और दो सौ बेड का लाभ उठा पायेगी क्योंकि उदयपुर जाना हमारी गरीब जनता के बस की बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है। पूर्व का जिला चिकित्सालय था वो अभी एक नयी बिल्डिंग में चला गया है और एक पूर्व के जिला चिकित्सालय की जो बिल्डिंग है उसमें एक राजसमन्द पंचायत समिति मुख्यालय होने से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलने की कोशिश करें। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, जब वहां जिला चिकित्सालय का माननीय मुख्य मंत्री महोदया उदघाटन करने पधारी थीं तो साथ में आप भी पधारे थे । माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने घोषणा की थी ...(व्यवधान)... मान लो आप ने नहीं की तो भी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व की बिल्डिंग में आप इसी बजट में स्वीकृति दे देंगे तो मैं मेरी जनता को अच्छा संदेश दे पाऊंगा और मेरी जनता के द्वारा सरकार की वाहवाही होगी। हमारे यहां कुरज और बनेड़िया में उप स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है। वामणिया कलां, जुणदा

(श्री बंशीलाल खटीक)

खेड़ी, सादड़ी, बराई, सकरावास, गोगाथला, लापसा, जितावास और खटूकड़ा, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय की गति बहुत तेज है मैं जल्दी बोलूंगा जो भी है आप सहन कर लेना। केलवा कुवारियाखुर्द में पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में बदला जाए, मेरा आपसे यह निवेदन है। मेरे जिला चिकित्सालय में नेत्र चिकित्सक की कमी है, चर्म रोग विशेषज्ञ की कमी है, शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी है, सीनियर मेडिकल आफिसर की कमी है, मेडिकल आ फिसर की कमी है, दंत चिकित्सक की कमी है। 11 नर्स ग्रेड सेकंड के पद खाली हैं, फर्स्ट ग्रेड के दो पद खाली हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इन सभी पदों को भरते हुए जिला चिकित्सालय का जो स्वरूप होना चाहिए उसे आप प्राथमिकता दें। माननीय सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी में ऐसा ही होता है माननीय क्षमा करें। समय देंगे तो मैं अच्छा बोल दूंगा। ...(व्यवधान)... आराम से बोलूंगा मुझे क्योंकि वो थोड़ा घड़ी का आमना सामना हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक कुआरिया उप तहसील है उसमें हास्पिटल में मदर एंड चाइल्ड सेन्टर की स्थापना की जाए इसकी भी मांग हो रही है जब मंत्री महोदय पधारे थे तो हमने आपसे डिमाण्ड की थी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका मैं बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मेरी बात रखने का जो मौका दिया मैं आपका और सदन का बहुत-बहुत आभारी हूं मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिन्द। वन्दे मातरम। और जनसंख्या के बारे में एक-दो ...।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या के बारे में बहुत कहा जाता है कि जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए जो जनसंख्या का संतुलन है उस संतुलन को बराबर देखते हुए जनसंख्या को कम करना चाहिए। देश जब आजाद हुआ उस समय हर वर्ग की जनसंख्या को देखे जाए तो एक वर्ग की जनसंख्या बहुत ही राजधानी एक्सप्रेस की तरह बढ़ रही है और एक वर्ग की जनसंख्या एकदम धीमी है तो यह संतुलन रखना चाहिए । मैंने जो बात की है उसको पूरा सदन समझे क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ रही है जिनकी बढ़ रही है उनको रोका जाए जिनकी घट रही है उनको बढ़ा दिया जाए। यह मेरा मानना है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, कोई इंजेक्शन तैयार करें बढ़ाने के लिए।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं सिर्फ एक बात का धन्यवाद करना चाह रहा हूं बस माननीय मंत्री महोदय बोलें उससे पहले पूरा सदन देख रहा है और इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा राज्य मंत्री को कि कितना समन्वय के साथ सदन में दोनों एकजुट एक जगह बैठ करके और किस तरह से पूरे सदन की बात सुनते हुए और चर्चा में भाग ले रहे हैं। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान की स्वास्थ्य समस्याएं जितनी भी हैं आप दोनों निश्चित रूप से हल करेंगे क्योंकि अखबारों में बहुत छपता रहा है कि चिकित्सा मंत्रीजी राज्य मंत्री जी से नाराज हैं और राज्य मंत्रीजी चिकित्सा मंत्रीजी से नाराज हैं। आज ये प्रमाण है आप दोनों का वास्तव में आप सदन में एकजुटता के साथ जिस तरह से आप काम कर रहे हैं राजस्थान की स्वास्थ्य की समस्याएं आप हल कर पाएंगे। धन्यवाद।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो खुश हो ?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): बहुत खुश। मुझे तो बहुत खुशी है। मुझे तो खुशी है इस बात के लिए।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा जिन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुर्वेद विभाग की मांगों पर चर्चा करते हुए अपने सारगर्भित भाषण में मेरा व सरकार का मार्गदर्शन किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज 27 माननीय सदस्यों ने सदन में अपने विचार रखे और 53 माननीय सदस्यों ने 191 कटमोशंस के माध्यम से अपनी बात रखी । मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आलोचना और समालोचना के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं में किस तरह से गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए और नर में नारायण को ढूंढते चिकित्सा जैसे पवित्र कार्य में कार्यरत चिकित्साकर्मी की सेवाओं के संदर्भ में अपने सुझाव दिये। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली 28 तारीख से सत्र की शुरूआत हुई और आज 20 तारीख है, मैं इस बात के लिए प्रतिपक्ष के और पक्ष के हमारे सभी माननीय सदस्यों को

(डा. दिगम्बर सिंह)

धन्यवाद देना चाहूंगा कि चिकित्सा जैसे विभाग को आप लोगों ने सब ने राजनीति से ऊपर उठकर देखा और उसके लिए जो भी अच्छे सुझाव लगे वो सुझाव इस सदन में रखे इसके लिए भी बहुत-बहुत आभार अपना देना चाहूंगा अपना प्रदर्शित करना चाहूंगा और मैं तो चाहता हूं कि भविष्य में भी आप लोगों का मार्गदर्शन मुझे मिले तो राजस्थान की गरीब जनता की सेवा करने की और मुझे प्रेरणा मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात इससे शुरू करना चाहूंगा माननीय हरिमोहनजी जरा सुन लेना 'हर आदमी में होते हैं दस-बीस आदमी जिसको भी देखना कई बार देखना।' उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का सरोकार प्रदेश के आम आवाम से है जैसा कि हम सब जानते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने देश का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो हमारा देश में आठवां स्थान है। राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियां और यहां के सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण जहां एक और प्रदेश के ठेठ रेगिस्तानी इलाकों के गांवों में बैठे गरीब किसान तक इन सेवाओं को पहुंचाना जहां हमारा लक्ष्य है वहीं पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र के अशिक्षित एवं उस व्यक्ति के पास भी सुविधा पहुचाना है जो अपनी जीवनशैली व खानपान के कारण जाने-अनजाने में अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है। मुझे यह कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारी लोक- परोपकारी सरकार की स्वस्थ, उन्नत और विकसित राजस्थान की परिकल्पना है। राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर अपन पुरानी बात ध्यान करें मेरे पास आंकड़े हैं 1965-66 के जब पूरे राजस्थान में केवल 690 उप स्वास्थ्य केन्द्र थे और 230 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होते थे। एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान में नहीं था। आज जब रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मुझे लगा कहीं 1965 का रिकार्ड तो इनके हाथ नहीं लग गया क्योंकि आपने कहा कि ढ़ाई-ढाई लाख कल पापूलेशन तक एक अस्पताल हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि पूर्ववती सरकारों ने भी चिकित्सा के क्षेत्र में ध्यान दिया, चिकित्सा का विस्तार किया और आज 10512 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। 1713 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा 325 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं । उपाध्यक्ष महोदय, 1965-66 में 12241 टोटल बैड स्ट्रेंथ पूरे राजस्थान की हुआ करती थी और आज 2005-06 में यह बैड स्ट्रेंथ 40 हजार से भी ऊपर है यह निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत चिकित्सा के क्षेत्र में है । चिकित्सा संस्थानों में भी निरन्तर बढोत्तरी के बावजूद मुझे यह

(डा. दिगम्बर सिंह)

कहते भी संकोच नहीं है कि एक तरफ दूरदराज के मरू क्षेत्रों में सेवाओं को पहुंचाना आज भी जटिल कार्य है वहीं दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या ने सरकार के सभी प्रयासों को बौना कर रखा है और मुझे बहुत खुशी हुई पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने इस जनसंख्या वृद्धि पर अपनी चिंता व्यक्त की और इसको कैसे स्थिर किया जाये इसके प्रयास भी सरकार निश्चित रूप से कर रही है। इसमें क्या प्रयास हमने किये हैं यह भी मैं आगे आपको निवेदन करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस राजस्थान की चर्चा कर रहा हूं जिसकी प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि करीब 14 लाख है । अर्थात् राज्य की जनसंख्या में प्रतिमाह 1.17 लाख और प्रति दिवस 3900 और प्रति घंटे 163 व्यक्ति बढते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस वर्ष का जो नारा है 'Working together for health' इसका मैं बताना चाहूंगा कि स्वस्थ राज्य की परिकल्पना और पीड़ित मानवता की सेवा के लिये सबको साथ लेकर कार्य करने के नारे को केन्द्र बिन्दु रखकर इस वर्ष प्रभावी चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये प्रभावी प्रयास किये जायेंगे और इसी क्रम में वर्ष 2006-07 में 132 स्वास्थ्य केन्द्र निजी सहभागिता से खोले जायेंगे और इसमें 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 100 सब सेंटर इसमें नये स्थापित किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम चाहे कितने भी नारे दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन का चाहे कोई भी संदेश रहा हो हमें यह चीज स्वीकार करनी होगी कि हमारी मातृ एवं शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है । जिसका जिक्र तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तृत रूप से किया । नगर और बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बहुत विस्तृत चर्चा की । आप सब लोगों की पीड़ा और हमारे पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इस बात को बहुत प्रभावी ढंग से रखा । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की इनफेंट मोटेलिटी रेट 75 है जबकि राष्ट्रीय औसत 60 है और मेटनल मोटेलिटी 677 है जबकि राष्ट्रीय औसत 408 है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस जटिल समस्या से निजात पाने के लिये सन् 2011 तक राष्ट्रीय औसत के स्वरूप लक्ष्य अर्जित करने के लिये हमने कार्य योजना बनाई है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2011 तक निश्चित रूप से राजस्थान की आइ.एम.आर., एम.एम.आर. राष्ट्रीय औसत के बराबर होगी या उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: और 2011 तक यही चिकित्सा मंत्री रहेंगे ।

मोहम्मद माहिर आजाद: आप गारंटी ले रहे हो क्या यह ?

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह राजस्थान का आम आवाम गारंटी ले रहा है ।

मोहम्मद माहिर आजाद: आपकी खुद की है क्या ?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप मेरे बहुत काम आओगे आप ही ले लो गारंटी ।

उपाध्यक्ष महोदय, सुरक्षित प्रसव की दृष्टि से राज्य में प्रत्येक सवा लाख की आबादी पर एक बीइएमओसी तथा पांच लाख की आबादी पर एक सीइएमओसी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा यह बीइएमओसी तो हम यूनिट तैयार कर रहे हैं जहां पर नार्मली डिलेवरी की बेसिक सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हो और जो हमारी काम्प्रेसिव आफसेटिक यूनिट हम तैयार कर रहे हैं जिसे सीईएमसी मैं बोल रहा हूं उसमें सर्जरी की सारी व्यवस्थाएं इमरजेंसी में सीजीरियन सैक्शन की व्यवस्थाएं होंगी। एनस्थेटिस वहां पर उपलब्ध होगा, वहां पर सर्जन उपलब्ध होगा, वहां पर ब्लड स्टोरेज की फैसिलिटी होगी यह हमने निर्णय लिया है और इसमें हमारा काम भी काफी कुछ हो गया है । इसके तहत वर्ष 2005-06 में 131 बीइएमओसी हमारे तैयार की है और 49 सीइएमओसी स्थापित किये जा चुके हैं और वर्ष 2006-07 में 48 बीइएमओसी और तैयार करने का हमारा प्रावधान है ।

सारे माननीय सदस्य करीब-करीब इस बात से वाकिफ भी हैं कि हमारे पास एनेस्थिसिया के डाक्टर जो बेहोशी में काम करते हैं उन डाक्टर्स की कमी हैं। हमारे पास गायनोलोजिस्ट की कमी है और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन आज हो रहा है आज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एम.डी., एम.एस. करने के बाद सरकारी नौकरी की तरफ आने की इच्छा करते हैं जो डाक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे हम अपनी व्यवस्थाओं को कैसे सुदृढ करें और कैसे सुधारे इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एनेस्थेटिस के लिये हमने अपने डाक्टर जो उसी जगह पोस्टेड हैं जहां हम यह आफसेटिक यूनिट तैयार करना चाह रहे हैं वहीं के एमबीबीएस डाक्टर को 18 सप्ताह की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और अप्रैल 6 से राज्य के सभी मेडिकल कालेजों में यह ट्रेनिंग का काम शुरू हो जायेगा और इसके साथ-साथ एक और आश्वासन मैं सदन को देना चाहूंगा सारे माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं कि इन

(डा. दिगम्बर सिंह)

चिकित्सकों को जो हम ट्रेनिंग दिलायेंगे इनको संभवत: तीन वर्ष से पहले उस जगह से ट्रांसफर नहीं करूंगा । चूंकि एनेस्थेसिया का काम यह लोग करेंगे तो यह 18 सप्ताह का पूरा एज पर लॉ जो हमारी मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया है वहां के हिसाब से हमने 18 सप्ताह की ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा है और साथ-साथ इन डाक्टर्स को हैल्थ इंश्योरेंस का कवर भी दिया है । बाइ चांस कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो इनको कम से कम हैल्थ इंश्योरेंस के जरिये कभी प्रॉब्लम नहीं आये और इनको कवरेज देने का निश्चय हमारी सरकार ने किया है । उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गायनोलोजिस्ट की बहुत शॉर्टेज है। जब भी किसी माननीय सदस्य से बात होती है तो सबकी एक समस्या रहती है कि महिला चिकित्सक नहीं है, महिला चिकित्सक नहीं है। महिला चिकित्सक से सबका भावार्थ यह है कि गायनोलोजिस्ट होनी चाहिये परन्तु गायनोलोजिस्ट की कमी हमारे पास है । मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य में स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से प्रसूति के सारे मामले जिला मुख्यालय एवं अन्य उच्च स्तरीय संस्थाओं को रैफर करने पड़ते हैं तथा राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण जनता को निजी चिकित्सालयों में जाना पड़ता है । इस समस्या के निराकरण के लिये राज्य में कार्यरत एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों को 16 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है तथा अब तक 8 चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है । यह चिकित्सक चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जो हमारी सीईएमओसी है उनमें प्रसूति संबंधी आपरेशन करेंगे और फोक्सी के द्वारा इनको ट्रेनिंग का काम हमने शुरू करवाया है । इसी प्रकार कम जटिल प्रसूति केसेज हैं जो नार्मली डिलीवर हो सकते हैं उन डाक्टर्स के लिये हमने तीन सप्ताह का प्रशिक्षण आरंभ किया है और अब तक 19 डाक्टर्स को हम इसमें ट्रेंड कर चुके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सभी जिला मुख्यालयों पर महिलाओं एवं बच्चों के लिये आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ किया जायेगा । प्रत्येक उप खंड अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की आपातकालीन सेवाओं एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थित चिकित्सा केन्द्रों पर मूलभूत आपातकालीन मातृ शिशु सेवाएं सुनिश्चित की जायेंगी ।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य की बहुत बड़ी चिंता थी की

(डा. दिगम्बर सिंह)

गरीबी की रेखा के नीचे जो जीवन रक्षा कोष का बजट हमने ए.पी.एल. में लगा दिया इस तरह की कोई बात आपने अपने संबोधन में रखी थी ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली 19 वर्षीय और इससे अधिक आयु की बी.पी.एल. महिला अथवा सरपंच द्वारा प्रमाणित निर्धन महिला, मैं इस बात को बहुत धीरे-धीरे इसलिए पढ़ रहा हूं कि हर माननीय सदस्य को इसकी जानकारी हो तो हमारे गरीब मरीजों को इसका फायदा मिले। जब से हमने यह योजना शुरू की है बहुत कम महिलाओं को इसका फायदा मिल पाया है क्योंकि मुझे लगता है हमारे काफी प्रचार प्रसार करने के बावजूद पूरी जानकारी नीचे के स्तर तक नहीं गई है।

माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जानकारी गांव में घर-घर तक पहुंचाये। अपने क्षेत्र में जब भी कोई प्रवास हो, जब भी कोई कार्यक्रम हो इस बात को गांव के लोगों की जानकारी में जरूर लाये और यह केवल बी.पी.एल. महिलाओं के लिए नहीं है बल्कि सरपंच अगर सर्टिफाइड कर देता है कि महिला निर्धन है तो उसको भी यह राशि देय होगी।

इसमें आपको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में यह 700 रूपये, आज अस्पताल जाने में महिला प्रसव के लिए इसलिए घबराती है कि उसको लगता है कि मैं अस्पताल जाऊंगी तो मेरे पैसे खर्च होंगे, यह सरकार उनके पैसे खर्च नहीं करा रही बल्कि 700 रूपये उस महिला की खुराक के लिए उसके खानपान, उसको खर्च के लिए देगी। यह केवल दो जीवित जन्मों के लिए है क्योंकि हम जनसंख्या के कन्ट्रोल की बात करते हैं इस पर भी कहीं न कहीं हमको वो तो लगाना पड़ेगा।

मुझे बड़ा दुःख है यह कहते हुए, यह 700 रूपये ग्रामीण क्षेत्र में है और शहरी क्षेत्र में 600 रूपये है। अगर कोई महिला जिसकी होम डिलीवरी होती है, घर पर प्रसव होता है उसको भी 500 रूपये का प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत है।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसी योजना है जिसको गांव-गांव में घरे-घर तक अगर आप लोग पहुंचा देंगे तो राजस्थान के गरीब को इससे बड़ी राहत हम और कुछ नहीं दे सकते।

मुझे यह कहते हुए तकलीफ हो रही है कि इस योजना में फरवरी

(डा. दिगम्बर सिंह)

2006 तक सिर्फ 1384 महिलाओं ने लाभ लिया है और 7582 महिलाएं पंजीकृत हुई है। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस योजना को अपने क्षेत्र में यथा-सम्भव प्रचारित करें जिससे गरीब जनता को इसका लाभ मिले।

आपातकालीन प्रसूति सेवाओं के लिए निजी अस्पताल, नर्सिंग होम को जोड़ा जा रहा है। इसके तहत ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराने पर हम प्राइवेट हास्पिटल को 1500 रूपये का पेमेंट करने का प्रावधान उन गरीब मरीजों के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इनका सही ढंग से प्रचार प्रसार होगा तो, हमारी मेटेनल मोलटरी और इनफेट मोटेलिटी रेट नेट कम आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इस वर्ष चिकित्सा, नर्सिंग स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी का आवास निर्माण, पेयजल, शौचालय सुविधा एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर 24 घण्टे आपातकालीन सर्जरी, प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाएगी।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि चूरू जिले में कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। डा. वैद साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चूरू में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के अलावा दो सेंटर हैं सुजानगढ़ और एक कोई और जिसका नाम मैं स्लिप कर गया हूं, जहां पर यह सारी सुविधाएं आज हम दे रहे हैं।

राज्य में 30 हजार महिलाओं का आशा सहयोगी के प्रशिक्षण का चयन कर लिया गया है और वर्ष 2006-07 में इन्हें 22 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि इनकी सेवाएं दूरस्थ इलाके में उपयोग में ली जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यह आशा योजना, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता होंगी जो एक हजार की जनसंख्या पर एक का सलेक्शन किया। आशा सहयोगी क्योंकि सहयोगिनी पहले से ही हमारे कार्यरत है और उनका भी काम करीब-करीब वह ही है और आशा और सहयोगिनी दोनों को मिलाकर इस कार्यक्रम का तय किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह उस घर की बहू होगी और चूंकि वह घर में अंदर तक घुसकर महिला के बीच में बात कर सकती है। महिला को प्रेग्नेंसी का रजिस्ट्रेशन से लेकर महिला को कम से कम तीन बार डाक्टर के पास ले जाकर चैक करवाये, उसको दो टीटनेस के टीके लगवाये।

(डा. दिगम्बर सिंह)

उसको आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दे और उसके प्रसव का समय हो तो उसको अस्पताल लेकर जाए। उसको भी हमने 600 रूपये का पैकेज तय किया है, पेमेंट कर रहे हैं, यह सार्थक प्रयास हमने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 26 जनवरी, 2006 को मुख्य मंत्री पंचामृत अभियान प्रारम्भ किया है। इस अभियान के तहत मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण सेवाओं से वंचित लोगों को पांच सेवाएं जैसे- सुरक्षित मातृत्व, स्वास्थ्य नवजात शिशु, टीकाकरण, शुष्क पोषण तत्व की कमी को पूरा करने के साथ-साथ स्वस्थ परिवार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान ऐसी जटिल समस्या की और आकर्षित करना चाहूंगा, जिस प्रकार कई माननीय सदस्यों ने, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने,बूंदी से आने वाली माननीया सदस्या, नगर से आने वाले माननीय सदस्य और डाक्टर सुरेशजी ने, काफी लोगों ने इस पर चर्चा की है और मैं इसको एक गम्भीर चुनौती के रूप में मानता हूं और यह शाश्वत सत्य है कि पिछले दशक में जहां एक ओर विज्ञान और तकनीकी ने नये आयाम स्थापित किये हैं वहीं चिकित्सा विज्ञान ने भी कई सौपान चढ़ने का काम किया है। और यही कारण है कि जटिल से जटिल चिकित्सा परीक्षण के परिणाम में चंद क्षण लगते हैं और बेहतर तरीके से उसके परिणाम मिलते हैं। इससे कई असाध्य रोगों का इलाज सम्भव हुआ है वही कई जटिलताएं भी सामने आई हैं।

भ्रूण परीक्षण की चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि भ्रूण परीक्षण बहुत थोड़ी देर में किया जा सकता है और सेटडेटरमेशन की इस तकनीक के कारण देश प्रदेश में लिंग अनुपात बिगड़ता जा रहा है। इस प्रवृति को रोकना नितान्त आवश्यक है, इस हेतु जन-चेतना एवं जन-जागरण की आवश्यकता है वहीं पी. एण्ड डी.टी. एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का भी मैं आपको आश्वासन देता हूं।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि आपने इस पर क्या कार्यवाही की है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपंजीकृत, जो रजिस्टर्ड नहीं थी, तीन संस्थाओं की मशीन को हमने सील किया, बंद किया, उनको जब्त किया है। इस अधिनियम

(डा. दिगम्बर सिंह)

के रिकार्ड संधारण सही नहीं करने पर तीन डाइग्नोस्टिक सेंटर के पंजीकरण रद्द किये और एक डाइग्नोस्टिक सेंटर, आपको सुनकर तकलीफ तो जरूर होगी, के द्वारा अधिनियम के विरूद्ध विज्ञापन देने के कारण उस संस्थान की मशीन का पंजीकरण रद्द किया एवं संस्थान के विरूद्ध न्यायालय में इस्तगासा पेश किया।

चूंकि, बी.पी.एल. की आपको बहुत परेशानी थी कि बी.पी.एल. का, मुख्य मंत्री सहायता कोष का सारा पैसा एपीएल में लगा दिया। मैं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी दूं कि इस तरह की दो योजनाएं हमारे राज्य में संचालित है। एक का नाम है मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष और एक का नाम है मुख्य मंत्री सहायता कोष। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, इसमें गवर्नमैंट आफ इण्डिया और राजस्थान का, राजस्थान इसमें दो हिस्से का हिस्सेदार है, गवर्नमैंट आफ इण्डिया एक हिस्से की हिस्सेदार है। मुख्य मंत्री सहायता कोष यह केवल गवर्नमैंट आफ राजस्थान का है और बी.पी.एल. के ऊपर वाले जो लोग हैं, यह पहले भी निवेदन कर चुका हूं और अब भी कहना चाहता हूं कि यह भी केवल उन लोगों का पैसा मुख्य मंत्री कोष का खर्च हुआ है जिनकी आमदनी दो हजार रूपये से महीने की ज्यादा नहीं है क्या आप उनको बहुत धनाढ्य और धनवान लोग मान रहे हैं, केवल दो हजार रूपये महीना, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में अभी भारत सरकार से कुछ पैसा आना बाकी है।

वहां से 798.19 लाख रुपये आने थे, 591 लाख रुपये आये हैं, अभी 207.19 लाख रुपये वहां से आना अभी बाकी है, जिसके लिये पत्र दिया है और शायद जल्दी आ जाएंगे। मुख्य मंत्री सहायता कोष से, जो केवल स्टेट लेवल का हमारा कोष है उसमें जो कुल व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं वह हैं 10435 और उन पर जो खर्चा हुआ है वह है 3163 लाख। तो मैं आपकी जानकारी के लिये क्योंकि यह पैसा हमने बर्बाद नहीं किया, बल्कि गरीब लोगों की सेवा पर ही इस पैसे को लगाया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अवैध रूप से भ्रूण परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला, चिकित्सालय, निजी चिकित्सालय और चिकित्सक के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही कराऊंगा और आवश्यकता पड़ने पर उनका पंजीकरण भी निरस्त करवाऊंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सच है कि परिवार कल्याण के कार्य से लेकर....

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय मंत्री महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा आपसे कि मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में 60 प्रतिशत जो पैसा है, वह तो आप देते हैं, 40 प्रतिशत पैसा मरीज को खर्च करना पड़ता है तो वह पैसा भी आपका खर्च नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गरीब अपाहिज मरीज के पास 40 प्रतिशत पैसे की व्यवस्था ही नहीं है तो आप पूरा पैसा क्यों नहीं, जिसकी आमदनी 2000 रुपये है, यह भी कर दीजिए आप गरीब आदमी के लिये, वह गरीब बी.पी.एल. के लिये होगा।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सच है कि परिवार कल्याण के कार्य से लेकर मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम तक टीकाकरण से लेकर कुपोषित बच्चों को माइक्रो न्यूट्रियेंट आदि देने तक आदि-आदि सभी कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे छोटी इकाई उप स्वास्थ्य केन्द्रों व प्रसाविकाओं के माध्यम से संचालित होती है। अब कई माननीय सदस्यों ने अनेक स्थानों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग रखी। हमारी सरकार ने विगत सवा दो वर्षों में राज्य के ठेठ ग्रामीण क्षेत्रों में 586 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं और इस वर्ष भी सौ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की हमारी योजना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उन्होंने कितने खोले, यह भी बता दें।

श्री उपाध्यक्षः वह ध्यान है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं क्यों बताऊं कि आपने केवल 75 ही खोले 5 साल में, मैं नहीं बताना चाहता हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो इतना ही बता दें कि हमारे यहां खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): जुबेरजी, आप तो हमारे लिये लक्की हैं, आप जीतते हैं तो हमारा राज आता है और आप हारते हैं तो राज चला जाता है, इसलिये आपके जरुर खोलेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं यह भी उल्लेख करना उचित समझता हूं । प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपनी मांगों पर चर्चा करते हुए कई बातों पर टीका-टिप्पणी की। अब वही बात आ गयी, इसलिये इसको, क्योंकि उस समय केवल 75 सब सेण्टर खोले थे और अभी हमारे 586 खुल गये तथा सौ हम इस वर्ष में खोल देंगे। 686 सब सेण्टर

हमारे हो जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के पुराने स्वास्थ्य भवनों की हालत ठीक नहीं है। क्योंकि ये भवन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं इसलिये उनका रख-रखाव उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है इसलिये हमने राज्य के प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र को 10 हजार रुपये की राशि आबंटित की है। यह राशि ए.एन.एम. और वहां के सरपंच के जोइण्ट अकाउण्ट में हमने जमा करवायी है। वहां के पूरे सब सेण्टर्स पर वहां के फर्नीचर की रिपेयर पर, वहां सब सेण्टर पर छोटे-मोटे इक्विपमेंट की जरुरत पर, वहां के रंग-सफेदी की कोई छोटी-मोटी मरम्मत की जरुरत पर, तो यह एक अनटाइड फण्ड हर सब सेण्टर पर 10 हजार रुपये दिये हैं। यह पहली बार मेरे ख्याल से राजस्थान में कम से कम उस ए.एन.एम. के पास कुर्सी साबुत मिल जाएगी, मरीज को बैठाने का स्टूल साबुत मिल जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है कि ए.एन.एम. और चिकित्सक उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में नहीं रहते हैं। इस बात को मुझे भी कहने में संकोच नहीं है और यह आदत कोई आज नहीं बिगड़ी है। यह धीरे-धीरे करके जो आदत बिगाड़ी गयी, क्योंकि मैंने भी नौकरी की है, मुझे तो मालूम है। (व्यवधान) आज की परिस्थिति में इसके लिये महसूस किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहले यह सुन्दरलालजी थे, आदत बिगाड़ने में।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): ऐसा है, बिगड़ता दिखा तभी तो इधर आया। नहीं तो उधर ही रह जाता मैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब उधर बिगड़ेंगे तो वापस भी आ जाएंगे।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): ऐसा है कि 3 पार्टी तो बदल ली, अब क्या बदलोगे, आप भी यूं ही हो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज की इस परिस्थिति में इसके लिये यह आवश्यकता महसूस हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले चिकित्सकों को कुछ इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी से भी बात की है एवं शीघ्र ही नीतिगत निर्णय लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के गठन का मार्ग प्रशस्त

(डा. दिगम्बर सिंह)

करेंगे। इससे चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों का ठहराव सुनिश्चित हो सकेगा। (व्यवधान) हम चाहते हैं कि रुरल हैल्थ सर्विसेज बिलकुल अलग से हों, जिससे एक बार ग्रामीण स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनसे हमको निजात मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों में ठहराव सुनिश्चित करने के लिये इन संस्थानों को हमने यह भी तय किया है कि हमारी हर पी.एच.सी. को, सी.एच.सी. को इस वर्ष तक टेलीफोन से जोड़ देंगे। सब में टेलीफोन होगा। क्योंकि आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाए, टेलीफोन से भी जानकारी की जाए तो चारों तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे तभी मुझे लगता है कि इनका ठहराव सम्भव हो पायेगा और इन सबको मानिटरिंग करने के लिये विभाग में पृथक से एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जिसका प्रभारी कोई ज्वाइण्ट डाइरेक्टर लेवल का अधिकारी होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार के जो नार्म्स हैं हमारे हास्पिटल्स या सी.एच.सी. के लिये, उसके हिसाब से हमारी पापुलेशन के हिसाब से कम से कम 438 सी.एच.सी. हमारे पास होनी चाहिए राजस्थान के अन्दर, परन्तु अभी केवल 325 सी.एच.सी. हैं और इस वर्ष हम 10 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे और 14 अस्पतालों की शैय्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव हमने इस वर्ष में रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, विगत सरकार ने अपने पूरे 5 वर्ष में एक भी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत नहीं किया था और हमने इन सवा दो साल के अन्दर 39 सी.एच.सी. खोले हैं और 10 सी.एच.सी. इस वर्ष में खोलेंगे। बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या बहुत चिन्तित थीं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 5 वर्ष के अन्दर इन्होंने केवल 19 पी.एच.सी. खोली थीं और हमने सवा दो साल में 39 नई पी.एच.सी. खोली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की चिन्ता हमारी सरकार ने, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। हम भी जानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में से कम से कम 40 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कि दिखने में ही एनेमिक लगते हैं, जिनको खून की कमी दिखने में ही लगती है। जिनको छोटी-मोटी बीमारी होती है, उनका पता ही नहीं लग पाता है और उनको कभी जवानी प्राप्त नहीं होती और सीधे ही बुढापे में प्रवेश कर जाते हैं। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने 66761 राजकीय विधालयों के 63 लाख 63 हजार बच्चों का स्वास्थ्य निरीक्षण किया और उसमें चिकित्सा अधिकारियों

(डा. दिगम्बर सिंह)

ने, जहां एनेमिक बच्चे थे उनको माइक्रो न्यूट्रियेंट भी सप्लायी किये और इस तरह के बीमार और जो माल-नरिष्ड बच्चे थे, 20 लाख से ज्यादा साढे बीस लाख के करीब बच्चे ऐसे थे जिनके इलाज की और माइक्रो-न्यूट्रियेंट की व्यवस्था की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मुझे खुशी भी हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बच्चे अपनी मां से कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। छोटा बच्चा कुछ कह नहीं सकता। मां अनपढ़, बाप अनपढ तो वह कोई कुछ समझ नहीं सकते पर हमने यह जानकारी करके बताया कि इस बच्चे की आंख कमजोर है। इस बच्चे को चश्मे की आवश्यकता है इसलिए इसके सिर में दर्द होता है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के 5814 बच्चों को हमने उनके लिए चश्मे की व्यवस्था की है। कई बार छोटे बच्चे केवल पेट में कोई कीड़े होने की वजह से भी अनियमित रहते हैं, जिसकी जानकारी उन लोगों को नहीं होती है। परिवार वालों को नहीं होती है और केवल एक गोली देने की आवश्यकता होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस गोली का नाम माहिर साहब को भी बता दो। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दे ही दो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप यदि आज्ञा दें तो अभी मैं दिलवाकर आऊं। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): देखिये आप गोली-ओली तो दें या मत दो लेकिन संसदीय कार्य मंत्रीजी, आज आप मुख्य मंत्रीजी को हैल्थ मिनिस्टर साहब की परफोरमेंस की जानकारी दे देना। ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं ही देख रही हैं, आप चिन्ता मत करो। ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सर्वाधिक जानकारी अगर राठौड़ साहब को है तो दिगम्बर सिंहजी की है और दिगम्बर सिंहजी की है तो राठौड़ साहब की है, यह गलतफहमी में मत रहना। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इन दोनों की इनको है। ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन घूमता हुआ हरिमोहनजी भाई साहब के घर पहुंच गया। भाई साहब और भाभीजी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। खाने की दोनों थाली रखी थी और हरिमोहनजी खाना खा रहे थे। भाभीजी वैसे ही बैठी हुई थीं। मैंन कहा कि भाभीजी आप क्यों नहीं खाना खा रहे तो उन्होंने कहा कि खा तो लूं पर दांतों का सैट एक ही है। यह खा लें उसके बाद खा लूंगी। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसका मतलब जो डेंटल सर्जरी की बात आपने कही, सही नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मेरे लिए तो ठीक हो सकता है लेकिन मेरी श्रीमतीजी के लिए तो 100 परसेंट गलत है।

(समय: 21.31 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आज माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान जिन विषयों पर चिन्ता व्यक्त की गयी उनमें चिकित्सा कर्मियों के पदस्थापन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 369 चिकित्सकों की सूची प्राप्त होते ही उनका पदस्थापन कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में काफी कुछ चिकित्सकों की पूर्ति हो जाएगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विभागीय भवनों के विस्तार के बारे में राज्य में वर्ष 2005-06 में 251 चिकित्सा संस्थानों एवं 22 ... (व्यवधान) 42 चिकित्सा कर्मियों के आवास के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ की गयी। वर्ष 2006-07 में भी गत वर्ष की भांति 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 227 उप स्वास्थ्य केन्द्र नये भवनों का निर्माण कार्य हाथ में लेना प्रस्तावित है।

राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमैंट प्रोजेक्ट के माध्यम से चिकित्सा संस्थानों के भवनों के नवीनीकरण कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2005-06 में 43 चिकित्सा संस्थानों के भवनों का नवीनीकरण कार्य आरम्भ किया गया है, इसमें से रेलमगरा, झाड़ोल, रेवदर, सीकर, टोंक, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, सोजत, फलोदी, माण्डलगढ़, बालोतरा, अरनोद, आहौर, कुशलगढ़,

(डा. दिगम्बर सिंह)

रामगंजमण्डी, मनोहरथाना, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आसपुर, कोटड़ा, गंगापुरसिटी, शाहबाद, बयाना, नैनवां एवं खेरली मण्डी के कार्य आगामी छह माह के अन्दर पूर्ण हो जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात कहने की बहुत खुशी है कि अगर कोटड़ा जैसी जगह पर आज जाकर देखें वहां की बिल्डिंग की स्थिति तो कभी वहां के क्षेत्र के लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह की सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग यहां कोटड़ा में कभी बनेगी। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फागी, बस्सी, चाकसू, कुम्हेर, नगर, सालाबास, कुचेरा, पीसांगन, जवाजा, झालरापाटन, देवगढ़, आमेट, रैफलर हॉस्पिटल, ओसियां, तारानगर, डूंगरगढ़, ब्लॉक पी.एच.सी. बनाठ एवं परियोजना कार्यालय भवन जयपुर का कार्य भी प्रगति पर है।

वर्ष 2006-07 में राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमैंट प्रोजेक्ट के माध्यम से 79.69 करोड़ रुपये की लागत से 99 चिकित्सा संस्थानों के निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में। वर्ष 2005-06 में राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमैंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 301 चिकित्सा संस्थानों पर कचरा निस्तारण सुविधा के हेतु निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। 1368 सब सेंटरों की मरम्मत हेतु 10 हजार रुपये की दर से 1.36 करोड़ रुपये हमने पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर कर दिये हैं और यह 1368 सब सेंटर्स की, उनकी भी रिपयेरिंग का काम अभी प्रगति पर है।

नवीन पदों के सृजन के बारे में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2005-06 में जिला बाड़मेर और जैसलमेर में, मैं जैसलमेर गया और वहां की जो मैंने स्थिति देखी, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को आकर निवेदन किया और मुझे बहुत खुशी है कि दो जिलों में 570 ए.एन.एम. को हमने भर्ती किया और आज वह मरू का क्षेत्र जो बहुत ही डिफिकल्ट हमारे लिए एरिया था आज वहां के लोगों को कम से कम तसल्ली है, हमारे माननीय सदस्य जो भी जैसलमेर और बाड़मेर से आये हैं, वह भी बहुत काफी प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं। वर्ष 2006-07 में 100 नवीन चिकित्सों के पद भी सृजित किया जाना प्रस्तावित है। हण्ड्रेड मेडिकल आफिसर्स के और इसी वर्ष ए.एन.एम. के 200 और नर्स ग्रेड सैकिण्ड के 700 पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): हमारे लिए भी कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह आयेगा तो पढ़ देंगे। आयुर्वेद का आयेगा तो वह भी कर देंगे। ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी उपकरणों की बात भी काफी चर्चा में रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नवीन उपकरणों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक चिकित्सा उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराकर सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्ष 2005-06 में 10 चिकित्सालयों जैसे- भरतपुर, अलवर, सीकर, गंगानगर, बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा, बारां, ब्यावर एवं सवाईमाधोपुर में 22 करोड़ रुपये की लगत से सीटी-स्केन, सोनोग्राफी, ई.ई.जी. मशीन और पैथोलॉजी लेब में आटो एनेलाइजर्स ट्रेड मिल, यह सारे वहां पर उपलब्ध कराये गये हैं और यह सुविधा केवल मेडिकल कॉलेज के स्तर पर पहले हुआ करती थी, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल साहब ने यह बात भी रखी थी तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो शेष 16 डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बचे हैं, इनके वहां झुन्झुनूं और चूरू में भी, दोनों जगह, यह वर्ष 2007-08 तक यह सारी सुविधाएं इन बाकी 16 डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में उपलब्ध हो जाएगी। अब बजा तो दो। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-06 में राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमैंट प्रोजेक्ट के माध्यम से 1.20 करोड़ रुपये की राशि व्यय करके 238 चिकित्सा संस्थानों में पुराने फर्नीचर एवं चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत करायी गयी। यह पहली बार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन अस्पतालों में आज पुराने बैड, पुराना फर्नीचर, कुर्सी, टेबल, स्टूल, वहां की पुरानी कोई एक्स-रे की मशीन खराब थी, सोनोग्राफी की मशीन खराब थी, यह सारे इक्विपमेंट, फर्नीचर, यह मुझे कहते हुए खुशी है कि सारे के सारे हमने राजस्थान में यह रिपेयर करा दिये हैं। वर्ष 2006-07 में 13.65 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमैंट प्रोजेक्ट के माध्यम से विविध चिकित्सा संस्थानों में 15 सोनोग्राफी की नयी मशीनें आएंगी, 70 एक्स-रे मशीन, 100 डेंटल एक्स-रे मशीन, 10 वेंटीलेटर, 74 ई.सी.जी मशीन, 200 डिफ्रीबिलेटर, 101 कार्डिक मॉनिटर, 27 ब्लड गैस एनेलाइजर तथा 24

(डा. दिगम्बर सिंह)

एण्डोस्कॉप उपलब्ध कराये जाएंगे। आपके हर जिला अस्पताल में करीब-करीब एक एण्डोस्कॉप होगा और मैं आपको इसके साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमने यह भी प्रावधान रखा है कि केटेरेक के ऑपरेशन के लिए जो आज लेटेस्ट टेक्निक है फेको की, हमने वर्ल्ड-बैंक के अधिकारियों से बात करके और हमने उनको तैयार किया है। 20 हमने फेको मशीन की व्यवस्था भी की है तो हमारे जो आई के अच्छे सेंटर्स हैं, मैं समझता हूं कि उसमें भी जो लेटेस्ट टेक्निक है हमारी फेको की, वह भी हम उपलब्ध करा देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में ट्रेनिंग और री-ओरिएंटेशन एक बहुत इम्पोर्टेण्ट पार्ट है और इस वर्ष हमने इसमें काफी अच्छा काम किया है। वर्ष 2005-06 में राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमैंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को क्लिनिकल टेक्निकल रैफरल, मैनेजेरियल क्वालिटी इम्प्रूवमैंट, बेस मैनेजमैंट इक्विपमैंट मैनेजमैंट एवं मेंटिनैंस के क्षेत्र में स्किल अपग्रेडेशन हेतु 150 ट्रेनिंग सैशन आयोजित करके 3690 चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को हमने प्रशिक्षण दिया है। वर्ष 2006-07 में प्रोजेक्ट के तहत करीब पांच हजार चिकित्सकों एवं पैरा-मेडिकल को उक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त उनके बिहेवियर चेंज और कम्युनिकेशन नेशनल यूज ऑफ ड्रग्स के लिये हमने उनको प्रशिक्षण देना तय किया है।

विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को प्रोफेशनल अपडेटिंग रिफ्रेशिंग एवं विश्व संगठन के मापदण्डों के अनुसार उपचार में एकरूपता लाने के लिये एक पुस्तक "स्टेण्डर्ड ट्रीटमेंट गाइड लाइन्स" का प्रकाशन हमने करवाया है और इस क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की 'टेलीमेडिसिन' की कि एक दिन झालावाड़ दिखाया और उसके बाद से वह बंद कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण परियोजना टेलीमेडिसिन की है और जिस दिन पूरे जिलों में शुरू हो जायेगी उस दिन ग्रामीण क्षेत्र की जनता को इसका सीधा-सीधा लाभ होगा, इस बात की कल्पना बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो वर्ष पूर्व भी यह कहा था कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सुविधाएं, उनका कंसल्टेशन उपलब्ध करवायेंगे और वह संजीवनी

(डा. दिगम्बर सिंह)

कार्यक्रम जो शुरू किया था वह इसी के तहत शुरू किया था और अब टेलीमेडिसिन की परियोजना का उस दिन इनोग्रेशन का कार्यक्रम था, झालावाड़ से उसको जोड़ा गया था, परन्तु पूरे जिलों में हमारा यह काम चल रहा है और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से पूरे जिलों में हैडक्वार्टर को हम जोड़ देंगे और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि बहुत-से ऐसे माननीय सदस्य हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से काफी दूर रहते हैं और अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उनके क्षेत्र के हैं तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं कि इस टेलीमेडिसिन की महत्वाकांक्षी परियोजना के द्वितीय चरण में राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अर्थात्, 237 सी.एच.सी. को जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज से हम जोड़ देंगे और इसके लिये 17 करोड़ रुपये की राशि व्यय होना अनुमानित है। इस परियोजना से ग्रामीण अंचल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी पहल होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश में पहला राज्य होगा जहां पर प्रतिवर्ष और हमारी.. (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता का तो क्या कहूं मैं, क्या कहूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिले का मामला है इसलिए आप कुछ कहते नहीं हो। हम होते तो आप कह देते।

डा. दिगम्बर सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में गरीब मरीजों को निःशुल्क उपचार के नाम पर, एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, माननीय सदस्य रियायती दरों पर भूमि प्राप्त करने के बाद भी गरीबों का निःशुल्क इलाज नहीं करने वाले निजी क्षेत्र के चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम की जांच कराई जायेगी। जिनके लिये आगामी चार माह में एक सघन अभियान चलाया जायेगा। जांच में जिन चिकित्सालय में अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप बी.पी.एल. अथवा निर्धन मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाना नहीं पाया जायेगा, उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप नेता प्रतिपक्ष को भी शामिल कर लेते हैं।

डा. दिगम्बर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा

(डा. दिगम्बर सिंह)

कि भविष्य में अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप निर्धन, गरीब मरीजों का नि:शुल्क एवं रियायती दरों पर उपचार उपलब्ध हो सके। अध्यक्ष महोदय, राज्य में मेडिकल ट्यूरिज्म की प्रबल संभावनाएं हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है और इसको ध्यान में रखते हुए राज्य में व्यवस्थित रूप से योजना क्रियान्वित करने के लिये, योजना तैयार करने के लिये इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा और यह समिति अपनी रिपोर्ट तीन माह के अंदर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार को अक्सर यह शिकायत मिलती है कि छोटे कस्बों एवं शहरों में सीमित दवा विक्रेता होने के कारण उनके द्वारा मनमानी व जनता का शोषण किया जाता है। यह आम शिकायत माननीय सदस्य की आती है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी अस्पताल और सी.एस.सी. में मेडिकल रिलीफ सोसायटी का गठन अथवा बिना लाभ-हानि की को-आपरेटिव की दुकान प्रारम्भ करने के पीछे सरकार की यही मंशा थी कि जनता को उचित मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध हों। इसका जनहित में और अधिक प्रभावी कार्यवाही के रूप में मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा संचालित लाइफ लाइन ड्रग स्टोर व को-आपरेटिव सोसायटी से अब सिर्फ जेनरिक दवाइयां ही बेचने के लिये उनको अधिकृत किया जायेगा, जिससे काफी सस्ता इलाज एक मरीज को प्राप्त हो। जिन सी.एच.सी. की मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा लाइफ लाइन ड्रग स्टोर संचालित नहीं है, उनके लिये भी सी.एच.सी. में मैं को-ऑपरेटिव सोसायटी की दवा की दुकान खोलने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्य की सी.एच.सी. में सफाई व्यवस्था का स्तर सुधारने के लिये इन संस्थानों में भी सफाई ठेके पर कराई जायेगी। इस हेतु जो खर्चा होगा, वह मेडिकल रिलीफ सोसायटी से ही होगा।

अध्यक्ष महोदय, देश की गरीब एवं ग्रामीण जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरम्भ किया गया है। राज्य स्तर पर दिनांक 30 मई, 2005 को राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा इसका शुभारम्भ किया गया। मिशन का लक्ष्य राज्य में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या स्थिरीकरण और जनसंख्या संतुलन सुनिश्चित करना, स्थानीय महामारियों से संचारी व गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियन्त्रण, रोग प्रतिरक्षण एवं पोषण और जन स्वास्थ्य सेवाएं सभी को सुलभ कराना तथा

(डा. दिगम्बर सिंह)

चिकित्सा व अन्य पद्धतियों को मुख्य धारा में जोड़ना मिशन के संचालन हेतु राज्य स्तर पर माननीय मुख्य मंत्री महोदया की अध्यक्षता में एवं स्वास्थ्य मंत्री की सह-अध्यक्षता में राजस्थान राज्य स्वास्थ्य मिशन गठित किया गया है। इसमें पंचायती राज, महिला बाल विकास योजना तथा वित्त विभाग के अतिरिक्त एन.जी.ओ. की भूमिका सुनिश्चित की गयी है। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी जिला ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जिला प्रमुख होंगे। राज्य में जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण को बल प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के अन्तर्गत आठ जिलों की कार्य योजना का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में किया गया है, शेष 24 जिलों में कार्य योजना का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अंधता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष आपरेशन जीरो केटरेक्ट आरम्भ किया गया। कार्यक्रम प्रारम्भ करते समय राज्य में लगभग पांच लाख व्यक्ति अंधताग्रस्त थे और प्रतिवर्ष एक लाख बीस हजार व्यक्ति मोतियाबिन्द के कारण इस संख्या में जुड़ जाते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2008 तक मोतियाबिन्द के नौ लाख आपरेशन कर राज्य की अंधता प्रसार दर 34 प्रतिशत के स्तर तक कम की जाकर राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी। अब तक 4.95 लाख आपरेशन इस वर्ष किये जा चुके हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्रीजी के जवाब और इस मांग के पारण होने तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: कितने पेज बाकी हैं, यह पूछ लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: नहीं, अभी दूसरे मंत्री भी बोलेंगे। दस बजे तक तो है ही पर मंत्रीजी तो बोलेंगे न।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि मांग के पारण तक सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

मांग के पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 26 पर विचार

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

डा. दिगम्बर सिंह: अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य तो मेरे ख्याल से कहीं चले गये, मुझे एक बात ध्यान आ रही थी।

श्री अध्यक्ष: जो चले गये उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हीं का जवाब दें जो यहां उपस्थित हैं।

डा. दिगम्बर सिंह: उनका जवाब नहीं दे रहा। मैं उनके लिये यह समर्पित करना चाहता था –

"ऐब औरों के गिनाने में महारत है जिसे,

ऐसे हर शख्स को आईना दिखाया जाए।"

श्री अध्यक्ष: मौजू शेर नहीं कहा आपने।

मोहम्मद माहिर आजाद: अध्यक्षजी, इजाजत दें तो मैं एक मौजू शेर कह दूं इस पर।

"खुदा ऐसे हसीरों को रिहाई न दे,

जिन्हें सिवाय अपने कुछ दिखाई न दे,

और खुदा तो एक ऐसे एहसास का नाम है,

कि रहे सामने और दिखाई न दे।"

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्री अध्यक्ष: वाह साहब, बढिया, बहुत अच्छा। आपके पास जवाब हो तो दीजिए वरना तो क्या है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का पाला पड़ा है ऐसे लोगों से जो काम भी करवा लें और बधाई भी न दें।

श्री अध्यक्ष: जिसको जैसा आता है वैसा कह दिया, क्या बात है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय,

'नापिये मत अपनी हलचल से मेरी गहराइयां,

मैं समन्दर हूं, जरा मुझ को समझ के देखिये'

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):

'मैं कतरा हूं लेकिन मेरा अलग वजूद तो है,
हुआ करे भले समन्दर मेरी तलाश में।'

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अब नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, है न?

राज्य के जनजाति एवं मरुस्थली जिलों के दूरदराज के गांवों में निवास करने वाले समुदाय को समुचित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं इसके लिए इन जिलों के चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमित विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक अभिनव कार्यक्रम 'संजीवनी' वर्ष 2004-05 में शुरू किया गया और वर्ष 2005-06 के दौरान जनजातीय मरुस्थलीय जिलों में 50 चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर माह फरवरी, 2006 तक 66 शिविर आयोजित किये जिनमें लगभग 90 हजार लाभार्थी रहे और लगभग 33 हजार बी.पी.एल. लाभार्थी इसमें शामिल थे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बहुत जल्दी-जल्दी कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: अभी तो कई पेज बाकी हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मलेरिया नियंत्रण के बारे में इन दो वर्षों के अन्दर 63.36 परसेंट मलेरिया पोजिटिविटी रेट कम हुई है और मलेरिया का जो खतरनाक स्टेंड है प्लाजमोडियम फाल्सीपेरम, उसका 75.35 परसेंट कम हुई है इन दो वर्षों के अन्दर।

एक माननीय सदस्य: हो गया, हो गया, साहब। बढ़िया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आयुर्वेद पर कुछ बोल दो।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का एक छोटी-सी बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आवास विकास संस्थान को 250 पी.एच.सी. का निर्माण करने के लिए दिया था, आवास विकास संस्थान बंद हो चुकी, राइट्स लाइबलिटीज हाउसिंग बोर्ड पर ट्रांसफर हो चुके हैं और वो अधूरे पड़े भवन हैं, उसके बारे में करेंगे कि नये भवन बनायेंगें ? इस पर थोड़ा बता देते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मंत्रिमण्डल में बता देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यहां तो बहुतों को बहुत कुछ सिखाना है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक जानकारी चाही थी जुबेरिया तिब्बती कालेज, जोधपुर के बारे में, इसमें आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आपका कालेज 1992-93 में ही राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा मान्यता समाप्त करने के कारण बंद है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह इनको बताओ जो कह रहे थे कि चल रहा है। मालूम है मुझे बंद हो गया।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): केवल दो यूनानी चिकित्सालय चालू हैं।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्य आज अब जवाब से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा। आपने जो प्रावधान अभी यहां पर बताये और जो कुछ भी विकास के काम आने वाले समय में होने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में स्नैक बाइट और डाग बाइट के जो केसेज होते हैं उसमें वेक्सीनेशंस उपलब्ध नहीं होते इसलिए आप इसको सुनिश्चित करें कि पी.एच.सी. और सी.एच.सी. पर यह इंजैक्शन उपलब्ध हो और हर व्यक्ति को लगे, इसके अन्दर भेदभाव नहीं हो, सांप किसी अमीर आदमी को काटता है, गरीब को काटता है, यह भेदभाव नहीं होते हुए यह व्यवस्था करायें।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): लगवा देंगे, हुकुम, आपके लगवा देंगे, कोई चिंता नहीं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मेरे तो पहले ही लगे हुए हैं, मैं तो कुत्तों से बच कर ही रहता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से अब तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चिकित्सा के जो भी कार्यक्रम क्षेत्र में चल रहे हैं और अगर वास्तव में हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कुछ लाभ दिलाने के इच्छुक हैं तो इन कार्यक्रमों के भलिभांति प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। लोगों की जानकारी में यह पूरे कार्यक्रम आयें तो निश्चित रूप से गरीब आदमी को बहुत बड़ा फायदा होगा।

मैं अपनी तरफ से एक बार बहुत-बहुत आभार सभी माननीय सदस्यों का व्यक्त करता हूं।

(डा. दिगम्बर सिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त ...

श्री अध्यक्ष: यह तो मुझे कहना है, आप क्यों कह रहे हो?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कटौती प्रस्ताव वापस लें, आप यह कह दें और क्या है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं पांच-सात मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में बहुत रोचक, रचनात्मक चर्चा हुई और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत स्वस्थ चर्चा का आपको जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा चिकित्सा शिक्षा के बारे में सिर्फ 6 मेडिकल कालेज, एक डेन्टल कालेज और दो प्राइवेट...

श्री अध्यक्ष: तो यह तो किसी ने दिया ही नहीं, आपके तो कटमोशन किसी ने दिये ही नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 47 कट मोशन हैं।

श्री अध्यक्ष: कटमोशन तो दिया नहीं। नहीं, बोलिये, बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 47 कटमोशन आये हैं, उन कटमोशन का जवाब भी भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। नहीं, आपके दिये नहीं लेकिन आप बोलिये। बोलिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बोल रहा हूं न, साहब।

श्री अध्यक्ष: हां बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आये हैं, सब के आये हैं, बोले हैं माननीय सदस्य।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा शिक्षा से जुड़े 27 अस्पतालों में 45 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष ओ.पी.डी. में आते हैं, इण्डोर में 6 लाख 60 हजार व्यक्ति प्रति वर्ष भर्ती होते हैं। 6 मेडिकल कालेज, एक डेन्टल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कालेज और इनको सारे में मिलाकर के 2500 के लगभग कर्मचारी हैं हमारे और यह 2500 कर्मचारी मिल कर 45 लाख लोगों की जिस प्रकार चिकित्सा करते हैं, मैं इस सदन के माध्यम से उन सब को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने बड़े क्षेत्र में वह लोग काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी मैंने कहा, बहुत चर्चाएं यहां पर हुई और मैं नोहर से आने वाले माननीय सदस्य को और सभी माननीय सदस्यों को, डाक्टर जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, बेनीवालजी को भी, सी.एस. बैदजी को भी, हमारी तरफ डाक्टर बोले हैं, डाक्टर माननीय सदस्यों ने आज जिस प्रकार की बात कही है, सवाई मानसिंह अस्पताल के बारे में कहा है, माननीय सदस्य सुरेशजी ने कहा कि पहले मैं जाता था संतोकबा दुर्लभजी में देखने को मिलता था, आज वैसे का वैसा वातावरण सवाई मानसिंह अस्पताल में देखने को मिल रहा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सवाई मानसिंह अस्पताल में 15 लाख व्यक्ति ओ.पी.डी. में आते हैं, दो लाख 50 हजार व्यक्ति इन्डोर में भर्ती होते हैं, 60 हजार से अधिक मेजर आपरेशंस किये जाते हैं और एक लाख 25 हजार माइनर आपरेशंस किये जाते हैं और ओपन हार्ट सर्जरी के भी 600 से 700 आपरेशंस सवाई मानसिंह अस्पताल में होने लगे हैं और इमरजेंसी में प्रतिदिन 375 व्यक्ति आते हैं और 80 से 100 व्यक्ति रोज भर्ती होते हैं और एक लाख 40 हजार वार्षिक मरीज एस.एम.एस. हास्पिटल में इमरजेंसी में आते हैं जो हिन्दुस्तान में सर्वाधिक है, सबसे अधिक का रिकार्ड है और उनकी चिकित्सा होती है और एक बहुत बड़ा काम इसके अन्तर्गत है और 40 हजार परिजन रोज अस्पताल में लोगों से मिलने के लिए आते हैं।

इन सारी बातों के बावजूद जिस प्रकार की व्यवस्था वहां पर बनी है, जिस प्रकार का काम वहां पर हुआ है वह काम , अध्यक्ष महोदय, सराहनीय है।

जोधपुर महाविद्यालय में सात लाख पचास हजार और नब्बे हजार इण्डोर में हैं। उदयपुर में पांच लाख और एक लाख इण्डोर में हैं। अजमेर में चार लाख साठ हजार इण्डोर में हैं और कोटा महाविद्यालय में ओ पी डी में पांच लाख पचास हजार और इण्डोर में साठ हजार लोग हैं। इस प्रकार से यह चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र का जो विभाग है इसमें हमारा काम हो रहा है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा तीन नये दंत महाविद्यालयों को हमने एन.ओ.सी. दी है, आधुनिकीकरण के क्षेत्र में हमने बढ़ने का प्रयत्न किया है। इसका एक उदाहरण सबसे बड़ा है, 2003-04 में जब मेडिकल शिक्षा विभाग अलग हुआ इसमें नौ करोड़ रुपये का बजट था। आज अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पैंतालीस करोड़ का बजट का प्रावधान तो इसमें है। दो वर्ष में नौ करोड़ से बढ़ाकर पैंतालीस करोड़ तक हम पहुंचे हैं और यह पैंतालीस करोड़ तो वह हैं जो बजट में हैं इसके अलावा जो हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं इसके अलावा जो पांच सौ बैड का मानसरोवर में हास्पिटल बना रहे हैं उसके लिए अलग से साठ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और एक तरह से इस साल आने वाले वर्ष में एक अरब रुपया चिकित्सा के क्षेत्र में होगा जिसमें दस करोड़ रुपये कोटा के मेडिकल कालेज के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, 1992 से चलती आ रही है कि हम कोशिश करेंगे कि वह मेडिकल कालेज पूरा बन जाए। इस प्रकार का काम हम इसमें करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यहां पर बहुत जोर से उठी। सी.टी. स्केन के बारे में मैं धन्यवाद दूंगा जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य को उन्होंने यहां पर कहा इस बात को, यहां पर इसी सदन में चर्चा हुई थी कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। एम.आर.आई. की मशीन आप दे रहे हैं, वह कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, अध्यक्ष महोदय, सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि सी टी स्केन की पहले पुरानी मशीन थी एस.एम.एस. में वह बार बार खराब होती थी और बार-बार खराब होने से भी हमको प्राइवेट क्षेत्र में कराना पड़ता था। इसके बाद एम.आर.आई. की मशीन आज तक थी ही नहीं। इसको करने के बाद हमने तय किया कि सीटी स्केन और एम.आर.आई. की मशीनें लगाई जाएं और सदन को मैं सूचित कर रहा हूं कि एक वर्ष में 43000 सीटी स्केन वहां पर हुए हैं जिसमें 7000 फ्री सीटी स्केन हुए हैं और इसी प्रकार से 7300 टैस्ट उसके किये गये हैं। इस सारे का मैंने एक वर्णन जितना पैसा लगता था और आज जितना पैसा लगा है उसमें छह करोड़ तिरेसठ लाख रुपये आम जनता की बचत हुई और चालीस लाख सरकार की बचत हुई है। सात करोड़ रुपया एक साल में जनता का बचा है। इससे बड़ा काम और क्या होगा और अध्यक्ष महोदय, यह सुनकर आप आश्चर्य करेंगे इसके कारण से उदयपुर में, इसके कारण से जोधपुर में, सब तरफ से इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रकार की कार्यवाही चालू हो रही है। यह मेरे पास में रसीद हैं। आप देखेंगे यह 5528 की रसीद, एस.एम.एस. हास्पिटल एम.आर.आई. करने के लिए बाहर भेजता था लोगों को तो 5528 रुपये एक एम.आर.आई. के देने पड़ते थे। एस. एम.एस. हास्पिटल के गरीब आदमी को जब बाहर भेजा जाता था 7500 देने पड़ते थे और इसके लिए 5528 देने पड़ते थे। दोनों की मेरे पास रसीदें हैं। आज तेरह सौ और सात सौ रुपये में हो रहा है इतना बड़ा काम और इतना बड़ा फायदा सीटी स्केन की मशीन से और इससे हुआ है और आगे चलकर हम इसका और विस्तार करने जा रहे हैं।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो तीन बातें और कही गयीं। यहां पर कहा गया कि टेली मेडिसन की सेवा जिसके बारे में उन्होंने जवाब दे दिया मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है । सीटी स्केन के बारे में बीस प्रतिशत नि:शुल्क का प्रावधान है और आज जो इंतजार करने की बात है जो डेट दी जाती है एक महीने बाद करेंगे, वेटिंग लिस्ट पूरी समाप्त हो गयी है जिस दिन देता है उसी दिन उसकी सीटी स्केन हो जाती है, उसी दिन एम.आर.आई. हो जाती है और एक प्रकार से बहुत बड़ी सुविधा गरीबों को मिली है ।

यह प्रश्न उठाया गया स्टाफ की कमी है । सही बात है स्टाफ की कमी है लेकिन हमने 161 चिकित्सकों के पद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भरने का तय किया है । उनहोंने एडवर्टाइजमैंट कर दिया है और उन्होंन तिथि तय कर दी है जब उनका इंटरव्यू होगा, इस प्रकार से 161 नये चिकित्सक मेडिकल कालेजों में इस साल लगा दिए जायेंगे। इसी प्रकार से 700 नर्सेज की नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गयी है और वह कार्य भी इस साल कर दिया जाएगा। अभी एक बात उठाई गई बार-बार कि हमारे एम्बुलैंस ही नहीं है । एस.एम.एस. हास्पिटल है मेडिकल कालेज है हमारे एम्बुलैंस नहीं है हमारे कोई भर्ती के लिए बाहर जाता है तो उसके लिए हमको एम्बुलैंस बाहर से मंगवानी पड़ती है । सही बात है दो तीन बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब हमको मंगवानी पड़ी। संतोकबा दुर्लभजी से हमने मंगवाई लेकिन हमारे पास जो एम्बुलैंस है वह खराब नहीं है लेकिन वह हमारे से थोड़ी सी अच्छी थी तो जब वह एम्बुलैंस गयी तो साथ हमारी एम्बुलैंस भी गई लेकिन फिर भी हमने तय कर लिया है कि इसी साल हमने आर्डर दे दिया है कि इसी बजट वर्ष में मार्च में ही तीन क्रिटिकल केयर एम्बुलैंस खरीद रहे हैं जो संतोकबा दुर्लभ जी से भी बहुत बढ़िया एम्बुलैंस होगी और इसी वित्तीय वर्ष में हम उसको खरीद लेंगे । उसके आदेश भी हमने जारी कर दिए हैं ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, एस.एम.एस. की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं । मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि कई बार इस प्रकार की स्थितियां आती हैं कि वहां भीड़ सी हो जाती है । वह चिकित्सालय है हमने पांच-पांच गार्ड का काम करने वाले आदमियों को लगाया है, सुरक्षाकर्मियों को लगाया है, उनको वायरलैस सैट भी दिया है लेकिन मैं सदन के माध्यम से आम जनता से भी आग्रह करूंगा और आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार की व्यवस्था मरीजों के साथ रहने वालों और उनके मिलने वालों के लिए की गई है उसमें हम सब भी सहयोग करें ताकि उस व्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं पड़े। जांच शीघ्रता से हो इसके लिए भी हमने आदेश जारी किए हैं और हास्पिटल के दबाव को देखते हुए हमने एस.एम.एस. हास्पिटल में ब्लाक अलग से बनाने का तय कर दिया है, ओ.पी.डी. अलग से बनाने का कार्यक्रम चल रहा है । नया अस्पताल पांच सौ बैड का मानसरोवर में और नया रिसर्च हास्पिटल 200 बैड का प्रताप नगर में उनके निर्माण का काम प्रारम्भ कर दिया है । इसी प्रकार हमने पोलीट्रोमा, आई.सी.सी.यू., पराप्लाजमा वार्ड ऐसे नये वार्डो का उसमें गठन कर दिया है इसके बाद में जब यह वार्ड उधर चले जायेंगे उसके बाद जो जगह बचेगी वहां न्यूरो सर्जरी और आर्थोपैडिक्स के लिए हमको बहुत ज्यादा जगह मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, कई बार एक बात कही जाती है, वहां पर हम जाते हैं तो मरीज नीचे सोए रहते हैं । मुझे भी दुःख होता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन संतोकबा दुर्लभजी तो किसी को मना कर सकता है, कोई प्राइवेट हास्पिटल तो मना कर देगा कि मेरे पास पांच आदमियों की बैड है मैं छठे को भर्ती नहीं करूंगा लेकिन एस.एम.एस. अस्पताल में तो बस अगर एक्सीडेंट होकर आई है और उसमें सौ आदमी हैं और हमारे पास अगर दस ही बैड हैं तो अस्सी आदमियों को हम किसी को मना थोड़े ही कर सकते हैं? हमको तो गरीब का हास्पिटल है उनको सबको भर्ती भी करना पड़ेगा, उनका ट्रीटमैंट भी करना पड़ेगा, उनको फ्री चिकित्सा भी उपलब्ध करानी पड़ेगी । इसके कारण से कई बार एस.एम.एस. हास्पिटल की हालत है लेकिन उसको सुधारने का हम भी पूरा प्रयत्न करेंगे। जब यह सारे वार्ड हो जायेंगे इससे बाद में होगा।

अध्यक्ष महोदय, आई.सी.यू. भी ज्यादा बड़े होने चाहिए, यह बात यहां पर उठाई गई थी, के.एल. मीणा साहब ने कहा था। इसके लिए हम इस बारे में पृथक से पोलीट्रोमा का वार्ड बना है, बर्न का बना है, नैफ्रोलोजी का बना है मेडिसन के लिए सेमी आई.सी.यू. के वार्ड अगले वर्ष बनाये जायेंगे और पदों को भी क्रमबद्ध तरीके से भरेंगे और मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि इस काम को पूरा किया जाएगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पर्टिकूलर प्रश्न उठाया था उसका भी मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था उदयपुर मेडिकल कालेज में वर्ष 2004-05 में व्यय कम हुआ है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2004-05 में बी ई 93.64 लाख रुपये की थी और 2004-05 में एक्चुअल एक्सपेंडिचर 99.5 लाख रुपये का हुआ है इसलिए इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है । आपको कमी इसलिए नजर आ रही है कि आर.ई. में 110.30 लाख कर दिया गया था इसलिए आपको इसमें कमी नजर आ रही है बाकी इसकी कमी नहीं है । इसी प्रकार से उदयपुर के लिए हृदय रोग के मरीजों के आपरेशन के लिए वेटिंग लिस्ट का मामला उठाया गया था इस संबंध में यह बात सही है कि जयपुर में जो वाल्व चैंज हार्ट का कराता है उसके पेशेंट्स को चार-चार, पांच-पांच महीने की वेटिंग के बारे में था, कल मैंने बात की थी तो मुझे बताया गया कि वह वेटिंग घटकर दो महीने की हो गयी है लेकिन वह भी बहुत ज्यादा है इसलिए हमने तय किया है कि एक हार्ट लंग मशीन खरीदने जा रहे हैं जिससे मरीजों की प्रतीक्षा सूची कम हो जाएगी और उसका भी जल्दी से जल्दी काम होगा।

इसी प्रकार हमारे यहां ग्रामीण से आने वाले सदस्य बृज किशोर जी ने रामरती मरीज की हड्डी के आपरेशन का मामला आपकी आज्ञा से उठाया था। उस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है और उसके आधार पर तुरन्त कार्यवाही निश्च‍ि‍त रूप से की जाएगी।

उदयपुर में मेडिकल कालेज में डी.एम. कार्डियोलोजी, गुलाबजी भाई साहब, आपको सूचना दे रहा हूं कि डी.एम. कार्डियोलोजी कोर्स प्रारम्भ करने के लिए सक्षम स्तर से हमको स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इस सत्र में यह कोर्स उदयपुर में प्रारम्भ कर दिया जाएगा, चपलोत साहब। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमने और भी बहुत सी बातें कही हैं मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन कोटा के लिए मैंने आपको कह ही दिया । इसी प्रकार छहों मेडिकल कालेजों में कैंसर, थेलीसीमिया, गुर्दा आदि रोगों के लिये कीमोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और डायलेसिस आदि प्रक्रियाओं में बार-बार असुविधा रहती है इस हेतु राज्य के सभी छह मेडिकल कालेजों में डे-केयर सेण्टर खोलना इस साल प्रस्तावित हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अन्य राज्यों से निवेश के मामले में मेडिकल और डेंटल कालेजों में बहुत पिछड़ा हुआ है। सारे के सारे दक्षिण भारत के राज्य, अन्य राज्य हमारे से आगे हैं और केवल हमारे यहां पर मैं धन्यवाद

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूंगा, क्योंकि सरकार को दिक्कत है, उन्होंने इस वर्ष ही वह खोला। दो मेडिकल कालेज प्राइवेट आये, कुछ डेंटल कालेज भी आये लेकिन हमारी पूर्ण नीति न होने से हमारा निवेश कम है। राज्य सरकार ने तय किया है कि इस साल हम नयी प्रोत्साहन निवेश नीति बनाकर लागू करेंगे जिसमें राज्य में मेडिकल सैक्टर में और मेडिकल एजुकेशन के सैक्टर में और अस्पतालों के सैक्टर में निवेश को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले। इस काम को करने के लिये हम निरंतर अग्रसर हैं, वह काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्राथमिकता हमने तीन निर्धारित की हैं। पहली प्राथमिकता है चिकित्सकों व नर्सिंगकर्मियों के रिक्त पदों को क्रम तरीके से भरना, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना और आधुनिकतम चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था करना। इन उपकरणों के कारण से हम जिस प्रकार के हार्ट के लिये, कैंसर के इलाज के लिये, अन्य जैसे कैथ लैब की स्थापना जोधपुर में हो गयी है, बाकी सभी मेडिकल कालेजों में अत्याधुनिक ढंग की कैथ लैब स्थापित करने का काम चालू हो गया और कैथ लैब का काम सब जगह पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से हम अन्य सारे जो उपकरण हैं, उन उपकरणों को खरीद रहे हैं।

एक बात की मैं यहां पर घोषणा करना चाहूंगा। सुरेशजी मीणा और अपने मीणा साहब नहीं है, आदिवासी सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता की थी यह जो रिजर्वेशन उनका था प्राइवेट मेडिकल, डेंटल कालेजों में वह रिजर्वेशन एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर निरस्त हो रहा है और 12 परसेंट में जो 45 परसेंट आरक्षण का किया था, मैं आज सदन में घोषणा कर रहा हूं कि राज्य सरकार ने एडवोकेट जनरल की राय प्राप्त कर ली है और राय प्राप्त करने के बाद यह आया है कि यह माइक्रोस्कोपिक डिवीजन नहीं है, यह रिजनेबल डिवीजन है इसलिये इसको किया जा सकता है इसलिये राजस्थान में आदिवासियों को 45 परसेंट आरक्षण का काम जारी रहेगा और इसके लिये राज्य सरकार ने तय भी तय किया है कि वह एक कानून लेकर आयेंगे। हो सकता है इस सत्र में, या अगले सत्र में हम एक कानून लेकर आयेंगे ताकि इसके रिजर्वेशन को कहीं न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके और इस काम को हम पूरा कर सकें, यह भी हमने इसकी प्रक्रिया को पूरा कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, एम्स के लिये हमको भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। सौ एकड़ जमीन दे दी गयी है, डंडे का काम चालू है और भारत सरकार ने एक समिति बना दी है जो जोधपुर में एम्स के निर्माण की कार्यवाही बहुत तेजी से करेगी और इस प्रकार यह काम भी पूरा हो जायेगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बीकानेर तथा अन्य सभी जगह हमने भिन्न-भिन्न प्रकार की बातें की हैं। एक बात सुन कर मुझे बहुत आज प्रसन्नता हुई है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार मैंने देखा कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने आज चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में समालोचना तो जरूर की है लेकिन जो कार्य हुए हैं उनकी प्रशंसा भी की है इसके लिये मैं रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जिस प्रकार का काम हुआ है उस काम के लिये मैं हमारे मित्र डा. दिगम्बर सिंह जी हैं, जिनका बहुत बड़ा, मेरे पास तो पूंछड़ी है, सारा का सारा चिकित्सा विभाग तो उनके पास ही है तो वह सारा जो काम है उस काम के लिये उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिस प्रकार का काम हमारे विभाग में है, मैं उन सभी डाक्टर्स, बहुत बड़ा प्रेशर रहता है मेडिकल कालेज में और जिस ढंग से वह काम कर रहे हैं, अभी एक प्रश्न यहां पर उठाया गया था कि आप यहां पर हैल्थ ट्यूरिज्म की बात करते हैं। हैल्थ ट्यूरिज्म की बात करते हैं लेकिन आपके पास अनुभव क्या है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं हमारे डाक्टर्स को जितना अनुभव है, आप एक सवाई मानसिंह हास्पिटल को ले लीजिये। जहां पर एक लाख से ज्यादा मेजर आपरेशन होते हों जहां पर छह सौ करीब हर साल ब्रेन ट्यूमर के आपरेशन होते हों, जहां पर इतने बड़े आपरेशन होते हों तो कितना बड़ा अनुभव उनके पास है। इसलिये हमने इसको सारा बदलने का तय किया है। तय किया है कि तीन सौ इस प्रकार के काटेज वार्ड बनायेंगे जो काटेज वार्ड बिलकुल आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे और उनका निर्माण काम इसी साल हम प्रारम्भ करेंगे। जो बाहर के लोग यहां पर आयेंगे, हमारे डाक्टर्स का जिस प्रकार का अनुभव है, जिस प्रकार का सेवा का यहां पर चल रहा है और जिस प्रकार की हम व्यवस्था कर रहे हैं तो एक तरह से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दो साल में क्रांतिकारी काम हुए हैं, क्रांतिकारी कदम भी उठाये गये हैं। सत्ताइस के सत्ताइस हास्पिटल्स में नये निर्माण भी किये गये हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसका नक्शा भी बदलेगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा कि बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि सवाई मानसिंह हास्पिटल के सामने जो जगह की कमी पड़ती है इसलिये दो बड़े बंगले जो सामने हैं, राज्य सरकार ने उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल को देने की घोषणा की है और उसके आने के बाद में हमारे उधर भी विस्तार हो पायेगा। इसी प्रकार जो सामने सारी गाडि़यां खड़ी रहती थीं, स्कूटर खड़े रहते थे, अंडर ग्राउंड पार्किंग का काम करीब-करीब पूरा हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
गया है और चार सौ गाड़ियां नीचे आराम से खड़ी रहेंगी और सामने उसका लोन लग जायेगा। एक बहु सुन्दर दृश्य उसका उभरकर आयेगा और फिर मैं बैद साहब, जब यह सारा काम पूरा होगा तब एक फिल्म बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि जब आप उसमें पढ़ाते थे तब एस.एम.एस. कैसा था ? जब आप उसके बाहर आ गये तब एस.एम.एस. कैसा हो गया है, यह मैं आपको दिखाऊंगा तब आपका मन भी प्रसन्न होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा और हमारे सारे चिकित्सकों को ...(व्यवधान) भरतपुर के मेडिकल कालेज के लिये आपने कहा है, आपने प्रस्ताव किया है। अब आज भी इस समय तो तुरन्त आपने किये हैं, वह सारे देखेंगे, कटमोशन में मैं आपका जवाब दूंगा। डिवीजन नया बना है तो डिवीजन में जो-जो चीजों की कमी है, सब डिवीजन में है वह धीरे-धीरे आपके डिवीजन में भी आयेगी। जब आपने डिवीजन बना ही लिया है तो ''मूळा जायेगा सारा ही टोटका करना ही पड़सी' तो काम तो सारे ही होंगे। तो अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार चर्चा हुई है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री ने आग्रह कर ही दिया है कि मांग को पारित किया जाये। सभी जो कटौती प्रस्ताव हैं उनका जवाब दे दिया जायेगा और सभी माननीय सदस्यों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मांग संख्या-26 का पारण

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,73,56,75,000 (रुपये बारह अरब तिहत्तर करोड़ छप्पन लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.18 बजे मंगलवार, 21 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

देवस्थान विभाग की राज्य से बाहर स्थित मन्दिर/परिसम्पतियां

60. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कई मन्दिर और परिसम्पत्तियां देश के दूसरे राज्यों में भी है? यदि हां, तो राज्य के कौन-कौन से मन्दिर व अन्य परिसम्पत्तियां देश के दूसरे राज्यों में हैं ? सूची सम्पत्तियों की अनुमानित बाजार मूल्य सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अब तक राज्य के दूसरे राज्यों में स्थित मन्दिरों व अन्य परिसम्पत्तियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या अब सरकार दूसरे राज्यों में स्थित इन मन्दिरों व अन्य परिसम्पत्तियों के संरक्षण व उपयोग की दिशा में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे?

उत्तर

(1) जी हां।

राज्य सरकार के देवस्थान विभाग के प्रबंधाधीन 41 मंदिर और उनकी परिसम्पत्तियां देश के दूसरे राज्यों उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात, महाराष्ट्र एवं नई दिल्ली राज्य में स्थित है। सूची सम्पत्तियों की अनुमानित बाजार मूल्य सहित निम्नानुसार है

क्र. सं.	जिला	मंदिर/संस्था का नाम	संपदा का विवरण			खुली भूमि	अनुमानति मूल्य
			आवासीय मकानात	व्यवसायिक दुकानें/कोठे	कृषि भूमि		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	म. श्री भैरू जी, जन्तर मन्तर	-	-	-	2066 व. मी.	10 करोड़
2.	महाराष्ट्र अमरावती	मं. श्री हनुमान जी व छत्री राजा मान सिंह प्रथम, अचलपुरा	-	-	-	2 भूखण्ड 86574 व.फु.	5 लाख
3.	औरंगाबाद	मं. श्री हनुमान जी, पडेगाव, औरंगाबाद	-	-	1.27 एकड़		1 लाख
4.		मं. विठ्ठलदास जी, बेगमपुरा	-	-	-	400 व.ग. मंदिर परिसर	1 लाख
5.		मु. श्री तुलजा माता, कर्णपुरा	-	-	-	बावड़ी 1 तथा कच्चा परकोटा	10 लाख
6.		मं. श्री बाला जी, कर्णपुरा	-	-	2.24 एकड़		30 हजार

1	2	3	4	5	6	7	8
7.		मं. श्री वैष्णव बाला जी, कर्णपुरा	-	-	-		-
8.		मं. श्री हनुमान जी, रेलवे स्टेशन	-	-	-		-
9.	गुजरात	मं. श्री मुरली मनोर जी, द्वारका	1	-	-		10 लाख
10.	मथुरा	मं. श्री राधामाधव जी जयपुर मंदिर वृन्दावन	प्रांगण में 86 कमरे 8 हाल 26 बरामदे 3 आवासीय संपदा दिवाने खाने का भवन	1	-	दक्षिण भाग में 136379 व.फ. उत्तर की दि II में 147500 व.फ. मंदिर के पीछे 522220 व.फ. सड़क के बाहर 111779 व.फ. मं. के बाहर 11248 व.फ. के लगभग	51 करोड़
11.		मं. श्री राधाकांत श्री वृन्दावन	प्रांगण में 15 कमरे	-	-	13470 व.फु.	32 लाख
12.		मं. श्री कुशल बिहारी जी बरसाना	प्रांगण में 65 कमरे व 6 बरामदे	-	1.24 हैक्टेयर	12000 व.फु. मंदिर के सामने 1600 व.फु. मंदिर के पीछे	9 लाख

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	एटा	मं. श्री बलदेवजी सोरोघाट सोरो	1 कमरा व खण्डहर हिस्सा	-	-		-
14.	बनारस	मं. श्री रामेश्वर जी जयपुर मंदिर वाराणसी	3 कमरे एक बरामदा	-	-		-
15.		मं. श्री महादेव जी (अलवर मंदिर) वाराणसी	प्रांगण में 20कमरे छोटे बड़े	-	-		-
16.		मं. श्री आदि विश्वेश्वरनाथजी	प्रांगण में 5 कमरे चौक आदि 2 आवासीय संपदा	2	-		50 लाख
17.		मं. श्री डूंगरेश्वरजी बीकानेर मंदिर	-	-	-		-
18.		मं. श्री दिवानेश्वरजी उदयपुर मंदिर	-	-	-		-
19.		मं. श्री अन्नपूर्णा जी जयपुर मंदिर	-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उत्तरांचल हरिद्वार	मं. श्री गंगा मंदिर हरिद्वार (बीकानेर मंदिर)	प्रांगण में 11 कमरे व चौक 2 आवासीय संपदा	9	-		40 लाख
21.	उत्तरका	मं. श्री एकादशरूद्रजी व अम्बिका जी उत्तर काशी	प्रांगण में 12 कमरे व बरामदे 5 संपदा	14	-	-	2 करोड़
22.		मं. श्री जयपुर धर्मशाला उत्तरकाशी	10 संपदा	13 संपदा	-		50 लाख
23.		मं. श्री जयपुर धर्मशाला धरौली	-	-	-	8000 व.फु.	2 लाख
24.		मं. श्री जयपुर धर्मशाला गंगोत्री	-	-	-	4000 व.फु.	1 लाख
25.	नैनीताल	मं. श्री लल्ली-स्मारक बाग भुवाली, नैनीताल	-	-	0.188 हैक्टेयर		3 लाख
		आत्म निर्भर					
26.	उ.प्र. मथुरा	मं. श्री मदनमोहन जी उदयपुर मंदिर मथुरा, स्वामी घाट	प्रांगण में 8 कमरे 1 आवासीय संपदा	3	-	-	5 लाख
27.		मं. श्री चतुरशिरोमणी जी, पत्थरपुरा, वृंदावन	प्रांगण में 6 कमरे 2 कमरे आवासीय 2 चौक	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8
28.		मं. श्री हरि शिरोमणी जी, कालिया देह, वृन्दावन	प्रांगण में 7 कमरे बरामदा चौक एक तरफ खण्डहर हिस्सा 10 आवासीय संपदा	-	-	-	-
29.		मं. श्री गोकला नन्द जी, वृन्दावन	प्रांगण में लगभग 9 कमरे चौक आंगन, मंदिर के बाहर आंगन जिसमें छत्री बनी हैं	-	-		20 लाख
30.		मं. श्री कुंज पार्वती जी, गोपेश्वर रोड़, वृन्दावन	प्रांगण में 3 कमरे व चौक	-	-		-
31.		मं. श्री कुंज बदन सिंह, वृन्दावन	प्रांगण में 5 कमरे	-	-	17163 व.फु.	5 लाख
32.		मं. श्री अजब मनोहर जी, छीपी गली, वृन्दावन	प्रांगण में 12 कमरे छोटे बड़े दो चौक आवासीय संपदा	8	-		-
33.		मं. श्री रूपकिशोर जी, वनखण्डी, वृंदावन	प्रांगण में 5 कमरे	5	-		-
34.		मं. श्री लक्ष्मण जी भरतपुर मंदिर, गोवर्धन	प्रांगण में 6 कमरे चौक	-	-	9000 व.फु. के लगभग	2 लाख

1	2	3	4	5	6	7	8
35.		मं. श्री बिहारी जी भरतपुर मंदिर गोवर्धन	प्रांगण में 4 कमरे 15 आवासीय संपदा	-	-		
36.		मं. श्री किशोर श्याम जी, राधाकुण्ड	प्रांगण में 4 कोटडी 2 आवासीय	4	-	12000 व.फु. के लगभग	2 लाख
37.		मं. श्री कुंज लाल दास जी राधा कुण्ड	प्रांगण में 9 संपदायें	-	-	-	2 लाख
38.		मं. श्री जुगल किशोर जी, बरसाना	प्रांगण में 6 कमरे	3	-		-
39.	बनारस	मं. श्री डूंगरेश्वर जी बीकानेर मंदिर, बनारस	एक कमरा	-	-	-	-
40.		धर्मशाला डूंगरेश्वर जी (मय मंदिर), बनारस	खण्डहर धर्मशाला	1	-		20 लाख
41.		मं. श्री गोरखनाथजी गोरखटीला बनारस	प्रांगण में 20 कमरे 13 संपदायें आवासीय	8	-		20 लाख
	यवतमाल	म. श्री ऋषभदेव जी धुलेव उदयपुर राजस्थान की कृषि भूमि	-	-	29.18 एकड		65 हजार

मंदिर धरोहर जन विश्वास और आस्था का केन्द्र होती है। इसलिये उसका मूल्यांकन रुपयों पैसों में बाजार मूल्य में किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मंदिर के साथ जुडी परिसम्पतियों का अनुमानित बाजार मूल्य अंकित कर दिया गया है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) जी नहीं। यह सच नहीं है कि दूसरे राज्य में स्थित मंदिर एवं परिसम्पत्तियों की उचित व्यवस्था की हुई नहीं है। उपलब्ध संसाधनों को दृश्टिगत रखते हुये श्रेष्ठ व्यवस्था विद्यमान है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं दिल्ली राज्य में स्थित मंदिर एवं परिसम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु सहायक आयुक्त का पद सृजित है जिसका कार्यालय वृन्दावन में है। इसके अतिरिक्त बरसाना, हरिद्वार, उत्तरकाशी एवं वाराणसी में देवस्थान विभाग के प्रबंधक कार्यालय है जो इन मंदिरों की व्यवस्था देखते हैं। इसके साथ ही मथुरा, वाराणसी नैनीताल, उत्तर काशी में देवस्थान विभाग के मंदिरों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए संबधित राज्य के प्रशासनिक अधिकारी प्रशासक नियुक्त है। महाराष्ट्र एवं द्वारिका (गुजरात) में स्थित मंदिरों एवं परिसम्पत्तियों की व्यवस्था सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव के अधीन है तथा मंदिरों में प्रबंधक/ पुजारी/ चौकीदार आदि का स्टाफ नियुक्त है।

(3) दूसरे राज्यों में स्थित इन मंदिरों के संरक्षण का उचित प्रबंध राज्य सरकार द्वारा किया हुआ है। भविष्य में इन परिसम्पत्तियों के उपयोग हेतु 'अपना धाम अपना काम अपना नाम' योजना एवं सुपुर्दगी नीति के तहत कार्यवाही प्रस्तावित है।

अजमेर जिले में विद्युत आपूर्ति

66. **डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेगें:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्तमान में जिला अजमेर व विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व घरेलू बिजली की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार किसानों को घोषणा के अपुरूप बिजली दे रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पूरी रात सिंगल फेस विद्युत् देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला अजमेर एवं पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि हेतु 5-6 घंटे थ्री फेज एवं घरेलू कार्य के लिए 6 घंटे सिंगल फेज बिजली आपूर्ति की जा रही है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2)जी हां। सरकार किसानों को घोषणा अनुरूप बिजली देने का भरसक प्रयास कर रही है।

(3)जी नहीं। विद्युत की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी रात सिंगल फेज देना फिलहाल सभंव नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का बकाया भुगतान

67.**श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) (सीकर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:-

(1) प्रदेश में अब तक कितनी आबादी तक के ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जा चुका है एवं कितने कार्य कहां-कहां पर वर्तमान में चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रधान-मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ठेकेदारों का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो क्यों एवं बकाया भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

(3) अगले वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के तहत किन-किन ग्राम एंव ढाणियों को सड़क से जोडने की योजना है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्तमान में 750 व इससे अधिक आबादी के किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़े हुए गांवों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के तहत वर्तमान में राज्य में कुल 1187 कार्य चल रहे हैं। जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत जिन गांवों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है उनकी सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान परिसीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण

69. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के समीप के क्षेत्रों में भूमि का अन्य कार्यों हेतु उपयोग के लिए भूमि रूपान्तरण किये जाने पर प्रतिबन्ध है? यदि हां, तो किस आदेश से? आदेश/परिपत्र की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की भूमि का भू-रूपान्तरण किया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा किस आदेश से व कब-कब? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कृषि भूमि के रूपान्तरण किए जाने पर या बिना भू-रूपान्तरण आदेश के ही प्रतिबन्धित क्षेत्र की भूमि पर निर्माण कार्य तथा व्यावसायिक गतिविधियों की जा रही है? यदि हां, तो ऐसी भूमि के खसरा नम्बर एवं रकबा सहित ऐसे व्यक्तियों की नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ-11(14) वन/01 दिनांक 26.12.02 तथा संशोधित आदेश दिनांक 22.1.03 की प्रतियां परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' संलग्न है।

(2) जी हां। भूमि रूपान्तरण का पूर्ण विवरण सूची परिशिष्ट ''ग'' संलग्न है।

(3) जी हां। भूमि के खसरा नम्बर, रकबा एवं व्यक्तियों के नाम की सूची परिशिष्ट ''घ''संलग्न है।

(4) जी, हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकरणों मे बिना भूमि रूपान्तरण के निर्माण कार्य एवं व्यावसायिक गतिविधियां की जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

(प्रतिया/सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

शहरी नियोजन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं पर व्यय

71. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(श्री प्रमोद जैन)

(1) शहरी नियोजन हेतु वर्ष 2005-06 में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त प्राप्त राशि में से किस-किस कार्य पर माह जनवरी, 2006 तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त प्राप्त राशि में से कौन-कौन से कार्य माह जनवरी, 2006 तक प्रारम्भ नहीं हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ''शहरी नियोजन हेतु केन्द्र प्रवर्तित ''स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना'' के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में 247.69 लाख रुपये भारत सरकार से शहरी स्वरोजगार, स्वरोजगार प्रशिक्षण, बी.पी.एल. महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बचत एवं साख समितियों में परिवर्तित करने आदि हेतु जनवरी, 2006 में केन्द्रीय अंश के रूप में प्राप्त हुए है तथा एकीकृत लघु एवं मध्यम शहरी विकास योजनान्तर्गत 116.95 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं।

(2) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त राशि की स्वीकृति वित्त विभाग से माह फरवरी,2006 में प्राप्त हुई है तथा एकीकृत लघु एवं मध्यम शहरी विकास योजना के तहत प्राप्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण वित्त विभाग को भेजा हुआ है। स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार प्राप्त राशि का कोई व्यय नहीं हुआ है।

(3) उक्त राशि के विरुद्ध माह जनवरी, 2006 तक कोई कार्य स्वीकृत एवं प्रारम्भ नहीं हुए।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों का नियमितीकरण

77. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में कई निजी खातेदारों, निजी डवलपर्स, कॉलोनाइजर्स तथा गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की मंजूरी के बिना भू-खण्डों के बेचान और आवंटन की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी,2004 से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों की जांच के पश्चात कितनी शिकायतों सही पाई गई? जोनवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवैध बेचान और आंवटन किस-किस जोन में पाये गये और तत्समय संबंधित जोन के उपायुक्त व प्रवर्तन निरीक्षक पद पर कौन कार्यरत थे? क्या सरकार द्वारा इन अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवैध बेचान व आबंटन को बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित कर दिया गया? यदि हां, तो उक्त अवधि में इस प्रकार की किन-किन आवासीय कालोनियों/परिसरों, भूखण्डों को कब व किस नियम के तहत नियमित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण के नियंत्रण कक्ष में दिनांक 01.01.04 से 23.02.06 तक निजी खातेदारों, निजी डवलपर्स, कालोनाइजर्स तथा गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा भूखण्डों के अवैध बेचान और आबंटन बाबत् प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही विवरण जोनवार परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) अवैध बेचान व आवंटन के समय जोन वार पदस्थापित उपायुक्त, प्रवर्तन अधिकारी (प्र.नि) की सूची संलग्न परिशिष्ट ''1'' में अंकित है। प्राप्त शिकायतों पर तत्काल ही प्रभावी कार्यवाही करदी गई थी, अत: इस संबंध में किसी को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है।

(3) जी नहीं। उक्त अवधि में अवैध बेचान व आबंटन का नियमन नहीं किया है और न ही आवासीय कॉलोनियों/परिसरों व भूखण्डों का नियमन किया है।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	दिनांक	जोन	कार्यवाही का विवरण	पदस्थापित उपायुक्त/प्रवर्तन निरीक्षक
1	23.2.06	6	लोहामण्डी के पास अवैध रूप से सालासर विहार के नाम से विकसित की जा रही कालोनी की सड़कों व बाउण्ड्रीवालों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कराया गया।	जगदीश राम भादू/श्री दिनेश शर्मा
2	09.11.04	6	नेशनल हाई वे 11 सीकर रोड़ पर जैतपुरा में शिवाजी प्रोपट्री द्वारा लगभग 10 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से कालोनी काट कर बनाई जा रही सड़कों को लोडर की सहायता से ध्वस्त किया गया।	श्रीमती पुष्पा सत्यानी/ लादूराम मीणा
3	19.3.05	6	ग्राम राजावास चौमूं रोड़ पर करीब चार बीघा भूमि पर नई कालोनी बसाने हेतु बनाई जा रही बाउण्ड्रीवाल को जेसीबी से ध्वस्त कराया गया।	श्रीमती पुष्पा सत्यानी/ लादूराम मीणा
4	24.11.05	7	पांच्यावाला सिरसी रोड़ पर अवैध रूप से बसाई जा रही कालोनी की बाउण्ड्रीवाल व सड़कों को ध्वस्त किया गया।	श्री यज्ञ मित्रसिंह देव/श्री सीताराम शर्मा
5	20.11.04	8	सामूहिक अभियान के तहत मानसरोवर विस्तार में बालाजी नगर एवं मोहन नगर द्वितीय व अन्य नामों से काटी जा रही नई कालोनियां की पत्थर गढी, तारबन्दी एवं 40-50 प्लाटों की बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त किया गया।	श्रीमती सुषमा अरोड़ा/श्री राधेश्याम सेन
6	27.6.05	8	पृथ्वीराज नगर में न्यू सांगानेर रोड़ पर लगभग 15 बीघा, मांग्यावास में लगभग 25 बीघा भूमि पर नई कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई गई बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त कर सड़कों के निर्माण को खुर्द-बुर्द करवाया।	श्रीमती सुषमा अरोड़ा/श्री राधेश्याम सेन

क्र.सं.	दिनांक	जोन	कार्यवाही का विवरण	पदस्थापित उपायुक्त/प्रवर्तन निरीक्षक
7	5.8.05	8	ग्राम बाढ़ मोहनपुरा स्कॉन रोड़ पर 50 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने के बनाई गयी दीवारों को ध्वस्त किया व सड़कों को उखाड़ा।	श्रीमती सुषमा अरोड़ा/श्री ललित पारिक
8	12.8.05	8	पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में ग्राम बदरवास गोपालपुरा 200फीट बाईपास से आगे अवैध रूप से 36 बीघा भूमि में अवैध बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई गयी बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त कर सड़कों को खुर्दबुर्द करवाया।	श्रीमती सुषमा अरोड़ा/श्री ललित पारीक
9	22.8.05	8	सांगानेर सदर थाने के पीछे राजबिहारी कालोनी में 10-15 बीघा में अवैध रूप से बनाई जा रही सड़कें व बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त किया गया।	श्रीमती सुषमा अरोड़ा/श्री ललित पारीक
10	23.9.05	8	सामूहिक अभियान के तहत ग्राम हाज्यावाला में सांगानेर रेल्वे स्टेशन से फागी जाने वाली प्रस्तावित 200फीट सरकारी रोड़ को सम्मिलित कर लगभग 30बीघा भूमि पर अवैध रूप से नई कालोनी/योजना बसाने के प्रयोजनार्थ प्लाट काट कर बनाई गई लगभग 6-7 बाउण्ड्रीवाल, 5 कमरों के निर्माण को ध्वस्त किया गया।	श्री राजेश सिंह/श्री ललित पारीक
11	7.10.05	8	बदरवास में करीब 40 बीघा में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी की बाउण्ड्रीयों को ध्वस्त कराया गया।	श्री राजेश सिंह/श्री ललित पारीक
12	7.10.05	8	हाज्यावाला में करीब 150बीघा में अवैध रूप से बसाई जा रही सोसायटी की बाउण्ड्रीवालों को जेसीबी से ध्वस्त कराया।	श्री राजेश सिंह/श्री ललित पारीक

क्र.सं.	दिनांक	जोन	कार्यवाही का विवरण	पदस्थापित उपायुक्त/प्रवर्तन निरीक्षक
13	19.10.05	8	ग्राम बदरवास में करीब चार बीघा भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी की बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त किया गया।	श्री राजेश सिंह/श्री ललित पारीक
14	24.11.05	8	रामपुरा रोड पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी की बाउण्ड्रीवाल व सड़कें को ध्वस्त किया गया।	श्रीमती रश्मि गुप्ता/श्री ललित पारीक
15	22.12.05	8	मांग्यावास में करीब 40बीघा में अवैध रूप कॉलोनी के लिए बनाई गई बाउण्डीवाल को ध्वस्त किया और सड़कों को खुर्द-बुर्द कराया गया।	श्रीमती रश्मि गुप्ता/श्री ललित पारीक
16	11.05.05	10	नारदापुरा रोड़ पर हाथी गांव के पास अवैध कॉलोनी विकसित करने हेतु बनाई गई चार-पांच बाउण्ड्री को ध्वस्त किया गया।	श्रीमती दुर्गा जोशी/श्री रामप्रकाश शर्मा
17	12.08.05	10	ग्राम लुनियावास में विराट नगर के नाम से बनाई जा रही नई कॉलोनी के बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त कराई गई।	श्री सुखवीर सैनी/श्री रामप्रकाश शर्मा
18	16.08.05	10	ग्राम खानागोरियान में 16 बीघा भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी की दिवारों को ध्वस्त कर सड़कों को उखाड़ा गया।	श्री सुखवीर सैनी/श्री रामप्रकाश शर्मा
19	25.08.05	10	ग्राम लालवास तहसील आमरे खसरा नम्बर 234 जो अवैध कालोनी कि हनिड्यूरेज क्षेत्र के अन्तर्गत आता हैं तथा उक्त पर ंंमाननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश प्रभावी है की लगभग 12 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटे जाने के प्रयोजनार्थ बनाई गई कम्पाउण्ड वालों पर कार्यवाही की गई।	श्री बी.पी. तोमर/श्री रामप्रकाश शर्मा

क्र.सं.	दिनांक	जोन	कार्यवाही का विवरण	पदस्थापित उपायुक्त/प्रवर्तन निरीक्षक
20	08.12.05	10	सामूहिक अभियान का आयोजन कर ग्राम बगराना में पानी की टंकी के पास अवैध रूप से कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ लगभग 1000 बीघा भूमि पर बनाई गई बाउण्ड्री वालों को ध्वस्त कर सड़कों को खुर्द-बुर्द किया गया।	श्री बी.पी. तोमर/श्री रामप्रकाश शर्मा
21	05.12.05	10	एन.एम. मित्तल इन्स्टीट्यूट के पास अवैध रूप से सड़क बनाई जा रही थी जिसे खुर्द-बुर्द की जाकर निर्माण सामग्री जप्त की गई।	श्री बी.पी. तोमर/श्री रामप्रकाश शर्मा
22	06.12.05	10	सामूहिक अभियान के तहत रामगढ़ रोड़ ग्राम लालावास में हबीब गारनेट द्वारा 50-55 बीघा भूमि पर काटी जा रही अवैध कालोनी की सड़क एवं बाउण्ड्रीवालों को सामूहिक अभियान में ध्वस्त किया गया।	श्री बी.पी. तोमर/श्री रामप्रकाश शर्मा
23	16.12.05	10	सुमेल रोड़ ग्राम जामडोली में करीब 4 बीघा भूमि में बसाई जा रही अवैध कालोनी की सड़कों व बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त किया गया।	श्री बी.पी. तोमर/श्री रामप्रकाश शर्मा
24	24.01.06	10	सामूहिक अभियान में केशव पीठ चौराहे के पास महाराणा प्रताप नामक अवैध कालोनी का विकास किये जाने के प्रयोजनार्थ बनाई गई बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त किया गया।	श्री बी.पी. तोमर/श्री राकेश जैन
25	24.01.06	10	लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट के पास दक्षिण दिशा में लगभग 15 बीघा भूमि में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी की बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त किया गया।	श्री बी.पी. तोमर/श्री राकेश जैन

क्र.सं.	दिनांक	जोन	कार्यवाही का विवरण	पदस्थापित उपायुक्त/प्रवर्तन निरीक्षक
26	11.11.04	11	सामूहिक अभियान के दौरान टोंक रोड़ पर स्थित सालासर एन्क्लेव के नाम से करीब 30बीघा कृषि भूमि में अवैध रूप से आवासीय व वाणिज्यिक कॉलोनी के पट्टे काटकर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में निर्माणाधीन दीवार एवं कमरे को लोडर की सहायता से ध्वस्त करवाया गया।	श्री एम.एस. रत्नू/श्री जयसिंह
27	3.1.05	11	ग्राम बिन्दायका में कृषि भूमि पर अवैध बसाई जा रही कॉलोनी की अवैध पत्थर गढी व सीमांकन हटाया गया।	श्री एम.एस. रत्नू/श्री जयसिंह
28	17.5.05	11	अजमेर रोड, भांकरोटा, सिरसी रोड़ से लगती जय विकास कॉलोनी के पास अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई गई रोड को खुर्द-बुर्द किया गया।	श्री एम.एस. रत्नू/श्री रामप्रकाश शर्मा
29	2.8.05	11	मुहाना के पास कपूरावाला में लगभग 50 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई गयी लगभग 15 बाउण्डीवाल को ध्वस्त कर सड़कों को खुर्द-बुर्द करवाया गया।	श्री एम.एस. रत्नू/श्री सीताराम शर्मा
30	22.8.05	11	बाड़ी का बाग गोनेर रोड़ चौकी के रास्ते पर ख.नं. 99.105 में आर.एफ. गौड सरकारी समिति के नाम से भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से पट्टा काटकर करीब 3 बीघा 6 मील पर कॉलोनी बसा रहे थे जिन्हें लोडर की सहायता से ध्वस्त किया गया।	श्री एम.एस. रत्नू/श्री सीताराम शर्मा
31	29.8.05	11	सायपुरा रोड़ पर प्रेम विहार कॉलोनी के नाम से बसाई जा रही नई अवैध कॉलोनी की पत्थर गडी हटवाई गई	श्री एम.एस. रत्नू/श्री सीताराम शर्मा

क्र.सं.	दिनांक	जोन	कार्यवाही का विवरण	पदस्थापित उपायुक्त/प्रवर्तन निरीक्षक
32	20.9.05	11	सहारा सिटी, टोंक रोड़ पर बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा गौतम नगर के नाम से लगभग 40बीघा भूमि पर अवैध रूप से सृजित की जा रही आवासीय कॉलोनी की लगभग 500 बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त कर सड़कों को खुर्द-बुर्द करवाया गया।	श्री एम.एस. रत्नू/श्री सीताराम शर्मा
33	9.11.05	11	टोंक रोड़ बीलवा पेट्रोल पम्प के पास नहर के दाहिने तरफ लगभग 5 बीघा में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी की बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त किया गया।	श्री एम.एस. रत्नू/श्री सीताराम शर्मा
34	10.11.05	11	भांकरोटा जयसिंहपुरा गांव के पास अनाधिकृत रूप से बाई जा रही कॉलोनी की निर्माणाधीन 30 बाउण्ड्रीवालों को एवं एक कोठरी को लोडर की सहायता से ध्वस्त किया गया।	श्री एम.एस. रत्नू/श्री सीताराम शर्मा
35	16.11.05	11	वाटिका रोड सूरजपुरा, भाटावाला, डेयरी योजना के पीछे अवैध रूप से कालोनी बसाने के प्रयोजनार्थ लगभग 50 बीघा भूमि पर बनाये गए दुकानों एवं सड़कों को लोडर की सहायता से ध्वस्त किया गया।	श्री राजेश सिंह/श्री सीताराम शर्मा
36	16.11.05	11	वाटिका रोड़ नहर के पास करीब 15बीघ भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ डलवाई जा रही सड़कों की रोड़ी को जेसीबी से हटवाया गया।	श्री राजेश सिंह/श्री सीताराम शर्मा
37	21.11.05	11	अजमेर रोड़ दहमीकला के पास अनाधिकृत रूप से बसाई जा रही श्याम वाटिका कॉलोनी के द्वारा लगाये गये बोर्ड होर्डिंग्स को लोडर की सहायता से उखाड़ा गया और सामान स्टोर में जमा कराया गया।	श्री राजेश सिंह/श्री सीताराम शर्मा
38	9.12.05	11	टोंक रोड वाटिका रोड पर दुर्गा विहार नाम से काटी जा रही अवैध सोसायटी की दो बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त किया गया।	श्री राजेश सिंह/श्री सीताराम शर्मा

क्र.सं.	दिनांक	जोन	कार्यवाही का विवरण	पदस्थापित उपायुक्त/प्रवर्तन निरीक्षक
39	17.12.05	11	टोंक रोड़ वाटिका रोड़ अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी की बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त किया।	श्री राजेश सिंह/श्री सीताराम शर्मा
40	17.12.05	11	पदमपुरा रोड़ पर विकसित की जा रही कालोनी का बोर्ड जब्त किया एवं अवैध रूप से बनाई गई बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त किया।	श्री राजेश सिंह/श्री सीताराम शर्मा
41	16.1.06	11	वाटिका रोड पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी की निर्माणाधीन ईटों की दीवारों को ध्वस्त कराया गया।	श्री राजेश सिंह/श्री सीताराम शर्मा
42	22.2.06	11	रेनवाल रोड, डिग्गी पर पारदिया अस्पताल के सामने गोविन्द नगर द्वितीय के नाम से करीब 25 बीघा भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी की सड़कों व पत्थर गढ़ी को लोडर की सहायता से उखाडा गया।	श्री राजेश सिंह/श्री सीताराम शर्मा
43	20.3.05	12	कालवाड़ रोड पर राधा विहार कॉलोनी के बराबर में लगभग 8 बीघा कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से कॉलोनी बनाने के प्रयोजनार्थ डाली गई निर्माण सामग्री व रोड बनाने हेतु डाला गया मलवा जे.सी.बी. की सहायता से हटाया गया।	श्री नरेन्द्र सिंह/श्री जयसिंह
44	04.04.05	12	ग्राम बढारना में कृषि भूमि पर नई कॉलोनी बसाने की नियत से की गई जा रही पत्थरगढ़ी सड़क निर्माण एवं डण्डे के निर्माण को ध्वस्त किया गया।	श्री नरेन्द्र सिंह/श्री जयसिंह
45	21.06.05	12	ग्राम बिन्दायका में कृषि भूमि लगभग 3 बीघा में अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई गई 6 प्लाटों की चारदीवारियों के निर्माण को ध्वस्त किया गया।	श्री नरेन्द्र सिंह/श्री जयसिंह

क्र.सं.	दिनांक	जोन	कार्यवाही का विवरण	पदस्थापित उपायुक्त/प्रवर्तन निरीक्षक
46	21.07.05	12	बिन्दायका में कृषि लगभग 3 बीघा पर अवैध रूप से नई कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई गई 6-7 बाउण्ड्रीवालों को लोडर की सहायता से ध्वस्त किया गया।	श्री राजेन्द्र प्रसाद/श्री जयसिंह शर्मा
47	20.09.05	12	रामगढ़ रोड़ पर अवैध रूप से नई कॉलोनी बसाने प्रयोजनार्थ बसाई गई 50 बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त करवाया गया।	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
48	17.10.05	12	ग्राम हीराला में अवैध रूप से नई कालोनी सृजित करने के प्रयोजनार्थ बनाई गई बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त कर सड़क को खुर्द-बुर्द किया गया।	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा/ श्री रामप्रकाश शर्मा
49	26.10.05	12	चौमूं रोड़ पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी की सड़कों को ध्वस्त किया गया।	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा/ श्री रामप्रकाश शर्मा
50	05.12.05	12	ग्राम हीरावाला जमवारामगढ़ रोड़ पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सामने गरीब नवाज नगर एवं अल्लाम नगर में नई सोसायटी के डब्ल्यू.वी.एम. सड़कों के निर्माण को लोडर की सहायता से जोईट आपरेशन के तहत खुर्द-बुर्द किया गया।	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा/ श्री रामप्रकाश शर्मा
51	06.02.06	12	चौमूं रोड़ जेडीए की रमल्यावाला डेयरी स्कीम के पास ग्राम नांगल पुरोहितान में जेडीए की बिना अनुमति के एवं बिना 90 बी की कार्यवाही के सोसायटी द्वारा बसाई जा रही योजना (बालाजी बिहार-45) में लगभग 100 भूखण्डों की बाउण्ड्रीवालों को ध्वस्त किया गया तथा जेडीए में चेतावनी के बोर्ड लगाये गये।	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा/ राकेश जैन

डेगाना (नागौर) तहसील मुख्यालय में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन

78. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(1) जिला नागौर में 132 के.वी ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने के कहां-कहां के प्रस्ताव सरकार के विचारधीन हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डेगाना तहसील मुख्यालय पर 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या सरकार डेगाना में 132 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में भोमियाजी-का-मोड (हैसाब) मेड़ता रोड़ रूण एवं मूण्डवा में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने की योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनका कार्य प्रगति पर है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में विद्युत मांग के आधार पर डेगाना में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में सम्बन्धित क्षेत्र की विद्युत मांग के बढ़ने एवं आर्थिक तकनीकी मानदण्डों पर साध्य पाये जाने पर इस क्षेत्र में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

दीगोद का कोटड़ा दीपसिंह व डूंगरज्या सड़क निर्माण प्रकरण

79. **श्री भरत सिंह** (दीगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में आर.एम.यू.पी. प्रथम व द्वितीय चरण में कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये तथा क्या कार्य समय पर आरम्भ कर पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि सरकार को ग्राम कोटड़ादीपसिंह व डूंगरज्या गांवों की सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा क्या उनकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) सरकार द्वारा कोटड़ाद दीपसिंह सड़क के कार्य का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया व क्या ठेकेदार द्वारा ठेका सबलेट कर बड़ौद ग्राम के निवासी को दे दिया गया? यदि हां, तो ठेका सबलेट करने पर प्रथम ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में आर.एम.यू.पी. प्रथम चरण में 5 कार्य स्वीकृत किये गये, सूची परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है। ये सभी कार्य एक पैकेज नम्बर आर.जे.-23-1 के तहत समय पर प्रारम्भ करवाये गये तथा इस पैकेज में से 3 कार्य पूर्ण किये गये हैं एवं दो कार्य प्रगति पर हैं। संवदेक द्वारा धीमी प्रगति के कारण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हुआ। द्वितीय चरण में 5 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, सूची परिशिष्ट ''ब'' में संलग्न है। इनमें से 3 कार्यों का कार्यादेश दिया जा चुका है तथा शेष 2 कार्यों की दरें अधिक होने के कारण निविदायें पुनः आमंत्रित की गई हैं जो दिनांक 24-03-2006 को प्राप्त की जावेगी।

(2) जी हां। शिकायतें प्राप्त हुई थी। ग्राम कोटड़ादीपसिंह पर नाली निर्माण कार्य को तुड़वाया गया तथा बैलास्ट ओवर साईज था उसे तुड़वाया गया एवं डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य पुनः संवेदक द्वारा ठीक करवाया गया। ग्राम डूंगरज्या की सड़क पर ओवर साईज बैलास्ट को पुनः संवेदक द्वारा तुड़वाया गया।

(3) काटड़ादीपसिंह सड़क का निर्माण का कार्यादेश मैसर्स लटाला कंस्ट्रक्शन कम्पनी, जयपुर को दिया गया है व इस कार्य को सबलेट करने की जानकारी विभाग को नहीं है।

परिशिष्ट ''अ''

आर.एम.यू.पी. प्रथम के अन्तर्गत दीगोद विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र. स.	सड़क का नाम	सड़क की लम्बाई	स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति
1	सम्पर्क सड़क कुराड़ किमी 0/0 से 1/250	1.25	8.38	कार्य पूर्ण
2	सम्पर्क सड़क खजूरी किमी. 0/0 से 1/0	1.00	7.43	कार्य पूर्ण
3	सम्पर्क सड़क कोटड़ादीपसिंह किमी. 3/0 से 5/500	2.50	14.97	डामर का कार्य पूर्ण खरंजा एवं नाली का कार्य प्रगतिरत
4	सम्पर्क सड़क कंवरपुरा से डूंगरजा किमी. 0/0 से 1/500	1.50	9.34	डामर कार्य पूर्ण पटरी कार्य प्रगति पर
5	सम्पर्क सड़क धोती किमी. 3/0 से 5/0	2.00	13.06	कार्य पूर्ण
	कुल योग :-	**8.25**	**53.18**	

परिशिष्ट ''ब''

आर.एम.यू.पी. द्वितीय के अन्तर्गत दीगोद विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र. स.	सड़क का नाम	सड़ककी लम्बाई (किमी.में)	स्वीकृत राशि (लाखोंमें)	वर्तमान स्थिति
1	सम्पर्क सड़क नौताड़ा किमी. 0/0 से 1/0	1.00	8.03	कार्यादेश दिनांक 22-2-06 को जारी किया गया।
2	सम्पर्क सड़क कुराड़िया कलां	1.50	9.54	निविदायें 24-3-06 को आंमत्रित की गई।
3	सुल्तानपुर से भौंरा सड़क किमी. 0/0 से 9/0	3.00	19.08	कार्यादेश जारी किया गया।
4	आंवा से खजूरी बनियानी	4.00	30.92	निविदायें 24-3-06 को आमंत्रित की गई।
5	सारोला से बम्बोरी किमी. 3/0 से 6/0	3.00	19.08	कार्यादेश जारी किया गया।
	कुल योग :-	**12.50**	**86.65**	

महुआ (दौसा) में नेत्र सहायक का पदस्थापन

80. **श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर** (महुआ) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला दौसा के रैफरल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र सहायक के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? तहसीलदार विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह सही है कि जहां नेत्र विशेषज्ञ पदस्थापित हैं वहां पर ही नेत्र सहायक पदस्थापित किया जाता है? यदि हां, तो दौसा जिले में कहां-कहां नेत्र विशेषज्ञ का पद सृजित है, जहां नेत्र सहायक पदस्थापित हैं?

(3) क्या यह सही है कि दौसा जिले की कई तहसीलों में दो-दो नेत्र सहायक के पद स्वीकृत हैं और महुआ तहसील में एक भी पद नेत्र सहायक का स्वीकृत नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार तहसील महुआ में नेत्र सहायक का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला दौसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र सहायकों के स्वीकृत पदों का तहसीलवार/ चिकित्सा संस्थानवार विवरण निम्न प्रकार है:-

तहसील का नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
लालसोट	1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालसोट	1
	2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावरी	1
बसवा	3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसवा	1
सिकराय	4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर	1
दौसा	5 जिला अस्तपताल दौसा	1
	6 जिला मोबाइल यूनिट दौसा	1
	7 प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र भाण्डारेज	1

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला चिकित्सालय में दो, एवं जिला मोबाईल यूनिट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक-एक पद नेत्र सहायक के स्वीकृत करवाए जाने का प्रावधान है उसी के अनुसार चरणबद्ध रूप से पद सृजित किए गए हैं।

(4) जी हां। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत नेत्र सहायकों के पद स्वीकृत करने हेतु राशि उपलब्ध होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महुवा में नेत्र सहायक का पद स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जावेगा।

नागौर जिले में शहीद सैनिक परिवार/ भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं

81. **श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (नागौर): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा युद्ध विरांगनाओं, शहीद सैनिक परिवारों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ एवं सहयोगात्मक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? यदि हां तो नागौर जिले के कितने ऐसे वर्गों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिले में सभी को लाभान्वित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व इन्हें कब तक लाभान्वित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में युद्ध विरांगनाओं, शहीद सैनिक परिवारों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है:-

1. द्वितीय विश्व युद्ध के नोन पेंशनर 223 पूर्व सैनिक एवं 685 युद्ध विरांगनाओं को पेंशन का भुगतान किया जा रहा हैं। (सूची परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' पर संलग्न हैं)

2. 1.4.99 से पूर्व विभिन्न युद्व/ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों की 88 युद्व विरांगनाओं एवं 4 अविवाहित शहीद सैनिकों के माता-पिता को 750/- रूपये प्रतिमाह सम्मान भत्ता के रूप में भुगतान किया जा रहा है। (सूची परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न हैं)

(सैनिक कल्याण मंत्री)

3. 1.4.1999 के पश्चात् 32 सैनिक/अर्द्व सैनिक बलों के कार्मिक शहीद हुए हैं, जिनमें से 30 परिजनों को पैकेज की जो सुविधाऐं दिलवाई जा चुकी है, उसकी सूची परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है शेष 2 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही हैं।

(2) बिन्दु सं. 1 के अनुसार सभी को लाभान्वित कर दिया गया हैं। शेष लम्बित प्रकरण विघालयों के नामकरण के हैं जो उच्च स्तरीय कमेटी के पास विचारधीन हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य के बड़े शहरों को मैट्रोपोलिटन क्षेत्र का दर्जा

82. **श्री जयराम जाटव** (खैरथल): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारत के संविधान की धारा 243-पी (सी) में मेट्रोपोलिटन एरिया की परिभाषा दी हुई है तथा इसके अनुसार 10 लाख की जनगणना अथवा इससे अधिक के क्षेत्र के लिए मेट्रोपोलिटन एरिया घोषित किया जायेगा?

(2) केन्द्र सरकार ने मेट्रोपोलिटन एरिया घोषित करने हेतु किस दिनांक को प्रथम पत्र प्रेषित किया था और इसके पश्चात् कितने पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक 10 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या के लिये कोई मेट्रोपोलिटन एरिया घोषित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों व अब तक मेट्रोपोलिटन एरिया घोषित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त परिभाषा के अनुसार 10 लाख की अथवा इससे अधिक जनसंख्या के क्षेत्र को मैट्रोपोलिटन एरिया घोषित किया जाएगा।

(2) मैट्रोपोलिटन एरिया घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार से प्रथम पत्र दिनांक 14.07.95 को प्राप्त हुआ तथा उसके पश्चात कुल 23 पत्र और प्राप्त हुए हैं। विवरण संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य में अभी तक कोई एरिया मैट्रोपोलिटन एरिया घोषित नहीं किया गया है। मैट्रोपोलिटन एरिया/ समिति बनाने हेतु जयपुर शहर के आस पास की पंचायत समितियों से सूचना प्राप्त की जा रही है। झोटवाड़ा एवं बस्सी पंचायत समिति से सूचना प्राप्त होनो शेष है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात यथोचित अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

भारत सरकार से मैट्रोपोलिटन एरिया घोषित करने हेतु प्राप्त पत्रों का विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	पत्रांक	दिनांक
01	11025/42	22.08.95
02	11025/59	13.12.95
03	11025/42	16.08.96
04	11025/42	06.09.96
05	11025/42	11.03.97
06	11018/10	16.05.97
07	11018/10	13.06.97
08	11025/42	25.07.97
09	1097-2495-पी	16.08.97
10	11025/42	21.8.97
11	11025/42	13.11.97
12	11025/42	19.12.97
13	11025/42	23.12.97
14	11025/42	28.05.98
15	11025/42	09.11.98
16	11025/42	13.11.98
17	11025/42	9-16.12.98
18	11025/20	01.06.99
19	11025/20	01.09.99
20	11025/24	05.07.2005
21	11025/24	01.09.2005
22	11025/24	06.12.2005
23	11025/24	20.12.2005

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय समारोहों हेतु जिला कलक्टर टोंक द्वारा एकत्रित राशि

85. श्री हीरालाल (निवाई): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गणतंत्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस व अन्य राजकीय समारोहों हेतु जिला कलेक्टर्स को राज्य सरकार द्वारा राजकोष से राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो कितनी व इसके व्यय के लिए क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, टोंक द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह, 2006 के लिए विभिन्न संस्थाओं से राशि एकत्रित की गई है? यदि हां, तो किस-किस विभाग व संस्था से कितनी-कितनी राशि ली गई और कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई?

(3) क्या नियमानुसार जिला कलक्टर, टोंक द्वारा राशि एकत्रित की जा सकती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस एवं स्वाधीनता दिवस समारोहों के आयोजन के लिए एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक संभागीय मुख्यालयों पर राशि रुपये 10,000/- एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राशि रुपये 5,000/- जिला कलक्टर्स को व्यय हेतु आवंटित की जाती है। अन्य राजकीय समारोह हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राशि आवंटित नहीं की जाती है। राशि व्यय किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा कोई नियम नहीं बनाये गये हैं, किन्तु समस्त जिला कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। जिला कलेक्टर, टोंक ने अवगत कराया है कि निम्नांकित विभागों/संस्थाओं के माध्यम से जन सहयोग से राशि एकत्रित हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1.	जिला आबकारी अधिकारी, टोंक	5000/-रु.
2.	सहायक श्रम आयुक्त, टोंक	2200/-रु.
3.	केन्द्रीय सहकारी बैंक,टोंक	5000/-रू.

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

4.	सचिव, भूमि विकास बैंक, टोंक	5000/-रु.
5.	जिला परिवहन अधिकरी, टोंक	5000/-रु.
6.	पंचायत समिति, टोंक	3000/-रु.
7.	वाणिज्य कर अधिकारी, टोंक	5000/-रु.
8.	सचिव कृषि उपजमण्डी समिति, टोंक	2500/-रु.
9.	क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक	2500/-रु.
	योग :	**35,200/-रु.**

निम्नानुसार राशि के व्यय की गई:-

1.	समारोह के निमंत्रण पत्र एवं प्रशंसा पत्र प्रिन्टिंग कार्य	3300/-रु.
2.	मुख्य समारोह में पुरुस्कृत किये जाने के लिये प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र फ्रैमिंग कार्य	5035/- रु.
3.	सांस्कृतिक कार्यक्रम में पुरुस्कार एवं अन्य व्यय	5000/- रु.
4.	समारोह पर आयोजित सम्पूर्ण कार्यक्रमों की फोटोग्राफी, विडियो ग्राफी आदि	6930/- रु.
5.	राष्ट्रीय ध्वज क्रय किये गये	3600/- रु.
6.	मुख्य समारोह में विभिन्न व्यवस्था संबंधी क्लिप बोर्ड एवं अन्य व्यय	1139/- रु.
7.	विविध व्यय	2500/-रु.
	योग :	**27504/- रु.**

(3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये हुये हैं। जिला कलेक्टर, टोंक ने अवगत कराया है कि जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय पर्वो पर सभी विभागों का एक जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय समारोह को हर्षोल्लास एवं आकर्षित रूप से आयोजित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार से इस मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है तथा स्थानीय निकाय की स्थिति भी आर्थिक रूप से सुदृढ न होने के कारण टोंक में विभिन्न विभागों के माध्यम से जन सहयोग से राशि एकत्रित की जाती है, जिसकी रसीद संबंधित को दी जाती है तथा एकत्रित राशि का आय व्यय का विवरण अराजकीय रोकड पुस्तिका में रखा जाता है, जिसे विभागीय आंतरिक लेखा जांच दल से अंकेक्षण

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

भी करवाया जाता है। जिला टोंक में जिला मुख्यालय पर आयोजित किये जाने वाले मुख्य समारोह हेतु यह व्यवस्था गत लगभग 22-23 वर्षों से चल रही है। इस आयोजन के पेटे प्राप्त राशि का उपयोग राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित कार्यक्रमों यथा-मुख्य समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, मुशायरा, खेल प्रतियोगिता आदि में किया जाता है।

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

प्रेषित-

समस्त जिला कलैक्टर्स।

क्रमांक-प.10(1)सा.प्र.4/89 जयपुर, दिनांक 7 जुलाई, 1990

विषय :- राजकीय उत्सवों के आयोजन पर व्यय के लिये नार्म्स।

महोदय,

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस एवं स्वाधीनता दिवस समारोहों का आयोजन किया जाता है तथा इन्हीं उत्सवों के आयोजन हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को बजट राशि का आबंटन भी किया जाता है। देखने में आया है कि इन समारोहों के आयोजन हेतु नार्म्स निर्धारित नहीं होने व मार्ग दर्शक निर्देशों के अभाव में विभिन्न जिलों में इन समारोहों पर दिये जाने वाले व्यय एवं व्यय के मदों में एकर रूपता नहीं होतीं।

अतः इन समारोहों के भली प्रकार आयोजन एवं इनमें एकरूपता लाने की दृष्टि से स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों पर केवल गणतंत्र दिवस एवं स्वाधीनता दिवस समारोहों का आयोजन करने हेतु ही बजट राशि उपलब्ध कराई जावेगी जिस का उपयोग टेन्ट व कुर्सियों आदि की व्यवस्था एवं न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये चाय-अल्पाहार आदि के लिये किया जा सकेगा। इन समारोहों के आयोजन पर वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु निम्न नार्म्स निर्धारित किये जाते हैं:-

	अधिकतम राशि
(1) (प्रत्येक संभागीय मुख्यालय यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर पर व्यय हेतु	रु.10,000/-
(2) (शेष प्रत्येक जिला मुख्यालय पर व्यय हेतु	रु.5,000/-

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी जिला मुख्यालयों पर उपरोक्त उत्सवों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थानीय उत्सव का आयोजन भी किया जाता है तो इसके लिये इस विभाग द्वारा कोई राशि आबंटित नहीं की जावेगीं। ऐसे समारोहों पर व्यय हेतु कलेक्टर्स अपने विभागीय स्तर पर स्वयं व्यवस्था करेंगे।

ये नार्म्स वित्त विभाग की आई.डी.सं. 740/वित्त (व्यय-2) दि0 2.5.90 तथा 1490, एफ.सी.एण्ड एस./90 दि.25.6.10 द्वारा दी गई सहमति से जारी किये गये हैं।

भवदीय,

ह.

विशिष्ट शासन सचिव

राज्य की दिल्ली स्थित सम्पति

86. **श्री जीतराम** (मालपुरा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली में राजस्थान सरकार की अचल सम्पति है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी एवं वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है?

(2) क्या सरकार दिल्ली स्थित सम्पति को अपने कब्जे में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सामान्य प्रशासन एवं सम्पदा विभाग के अधीन राज्य सरकार की दिल्ली में जो सम्पतियां हैं उसका विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। बीकानेर हाऊस का आंशिक मांग व उदयपुर हाऊस का कब्जा प्राप्त करने के लिये भारत सरकार व दिल्ली राज्य सरकार से लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

राजस्थान सरकार (सामान्य प्रशान व सम्पदा विभाग) की दिल्ली स्थित सम्पतियों का ब्यौरा

क्र.सं.	सम्पति का नाम	जहां स्थित है	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	बीकानेर हाऊस	शाहजहां रोड, नई दिल्ली।	इस सम्पत्ति का कुछ भाग भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के उपयोग में आ रहा है, जिनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने व इस सम्पति का कब्जा राज्य सरकार को संभलाने बावत भारत सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।
2.	उदयपुर हाऊस	24, राजपुर रोड, नई दिल्ली ।	यह सम्पति वर्तमान में दिल्ली सरकार के कब्जे में है और वर्तमान में रिक्त है। लेकिन ताला श्रम आयुक्त का लगा हुआ है। इस सम्पति का कब्जा राज्य सरकार को दिये जाने वावत दिल्ली सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।
3.	राजस्थान हाऊस	पृथ्वीराज रोड़, नई दिल्ली।	इस सम्पति में राजस्थान का गैस्ट हाऊस चल रहा है और यह सम्पत्ति राज्य सरकार के कब्जे में है।
4.	जोधपुर हाऊस	नई दिल्ली ।	इस सम्पति में राज्य सरकार का गैस्ट हाऊस चल रहा है और यह सम्पत्ति राज्य सरकार के कब्जे में है।
5.	चाणक्यपुरी गैस्ट हाऊस	चाणक्यपुरी नई दिल्ली।	इस सम्पति में राज्य सरकार का गैस्ट हाऊस चल रहा है और राज्य सरकार के कब्जे में है।
6.	सिरोही ट्रस्ट	3 सम्पति करौल वाग, नई दिल्ली, 1 सम्पति कुतुन नई दिल्ली।	सिरोही ट्रस्ट, नई दिल्ली की 4 सम्पतियां महामहिम राज्यपाल महोदय की ट्रस्टीशिप में गठित सिरोही ट्रस्ट के अधीन है।

बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों हेतु नई आबकारी नीति में छूट

87. **श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के आदिवासियों पर नई आबकारी नीति-2005-06 लागू होने के पश्चात् मुकदमे दर्ज किए गए हैं? यदि हां, तो यह वर्ष 2002-03 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बांसवाड़ा के आदिवासियों की रीति-रिवाज के अनुसार नई आबकारी नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हों, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बांसवाड़ा जिले में वर्ष 2002-03 व वर्ष 2005-06 (माह जनवरी तक) में कुल पंजीकृत अभियोगों एवं आदिवासियों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	**कुल पंजीकृत अभियोग**	**आदिवासियों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग**
2002-03	79	105
2005-06(जनवरी तक)	261	161

वर्ष 2002-03 में कुल अभियोगों में आदिवासियों के विरुद्ध 58.66 प्रतिशत अभियोग दर्ज किये गये जबकि वर्ष 2005-06 में 61.69 प्रतिशत अभियोग दर्ज किये गये। इस प्रकार कुल 3.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(2) जी नहीं। बांसवाड़ा में राज्य के अन्य जिलों की भांति देशी मदिरा का भी विक्रय अनुज्ञाधारियों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान किया गया है।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु निविदा

88. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ब्रेवरीज कार्पोरेशन लिमिटेड कम्पनी का गठन किया है? यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या था?

(2) वर्ष2005-06 में उक्त कंपनी ने भारत निर्मित विदेशी शराब का कितना व्यवसाय किस-किस कंपनी से किस-किस ब्राण्ड की कितनी-कितनी

(श्री संयम लोढ़ा)

शराब का किया? इस व्यवसाय को करने के लिए विभिन्न कंपनियों के बीच क्या निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी? किस प्रक्रिया के माध्यम से व्यवसाय के लिए कंपनियों का चयन किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। निगम के गठन का उद्देश्य परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) वित्तीय वर्ष 2005-06 में माह अप्रेल, 2005 से जनवरी, 2006 के मध्य किए गए कंपनीवार व्यवसाय (विक्रय) तथा उनके कुल ब्राण्डवार विवरण सुलभ हेतु परिशिष्ट ''ब'' के रूप में संलग्न है। इस व्यवसाय हेतु निविदा प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होने से निविदा की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, अपितु निगम द्वारा सभी कंपनियों को माह मार्च, 2005 में निगम की ''लिकर सोर्सिंग पॉलिसी 2005-06'' में निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया अनुसार मुख्य दैनिक समाचार पत्रों तथा आबकारी विभाग की वैबसाईट पर सभी निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं से प्रस्ताव मांगे गये तथा उन सभी कंपनियों के ब्राण्डों का व्यवसाय हेतु चयन किया गया, जिनकी पहले से ही राजस्थान या अन्य किसी राज्य में ब्रिकी हो रही थी।

(उद्दश्यों का विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

शहरी क्षेत्र के दुधारू आवारा पशुओं पर रोक हेतु कार्य-योजना

89. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्रों में लोग अपने पशुधनों का दूध निकाल कर उन्हें आवारा छोड़ देते हैं? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि शहरी क्षेत्रों के लोग अपने पशुधनों का दूध निकाल कर उन्हें आवारा छोड़ देते हैं।

इस समस्या के समाधान के लिये नियमित रूप से शहर/कस्बों में आवारा विचरण करने वाले ऐसे पशुओं को पकड़वा कर निकायों के पशुगृहों में बन्द किये जाने के निर्देश सभी निकायों को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त शहर/कस्बों के भीतर संचालित निजी डेयरियों को कस्बे/शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई थी, लेकिन मा. राजस्थान

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 4703/03 में दिनांक 23.08.04 को दिए गए स्थगन आदेश के कारण इन डेयरियों का शहर के बाहर स्थानान्तरण (शिफ्टिंग) करने की कार्यवाही नहीं की गई है।

नैनवां (बूंदी) नगरपालिका के अंकेक्षण आक्षेपों का निस्तारण

90. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 31 जुलाई, 2005 के पूर्व तक विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों एवं विभिन्न जांचों के आधार पर नगरपालिका नैनवां (बूंदी) तथा इसके वार्ड पार्षदों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही प्रशासनिक व विभागीय जांच में तथा विभागीय अंकेक्षण में आये आक्षेपों पर की जाने वाली कार्यवाही में शिथिलता बरती जा रही है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रत्येक जांच कार्यवाही एवं ऑडिट आक्षेपों के विवरण सहित पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जांच कार्यवाही एवं ऑडिट आक्षेप में अब तक हुए निर्णयों पर की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी? पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका द्वारा विगत वर्षों में तालाब, पेटाकाश्त भूमि को जुवारा काश्त पर नीलामी बोली पर दिया जाता रहा है, किन्तु वर्ष 2004 में बोली नहीं लगाने से नगरपालिका को आर्थिक हानि हुई है? यदि हां, तो क्या समय पर काश्त की नीलामी की कार्यवाही नहीं करने के लिए जिम्मेदारी तय की गई है? इस संबंध में दोषी पाये गये कर्मचारी एवं पालिका को हुई आर्थिक हानि की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) शिकायतों, जांच प्रकरणों, निर्णयों एवं ऑडिट आक्षेपों तथा नगरपालिका के हित के विरुद्ध दिये गये निर्णय पर अपील सहित पूर्ण कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी नहीं, 31 जुलाई, 2005 से पूर्व विभिन्न व्यक्तियों द्वारा नगर पालिका नैनवा तथा इसके वार्ड पार्षदों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम में जांच की कार्यवाही समय पर प्रारम्भ कर दी गई थी।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

नगर पालिका नैनवा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री पुखराज ओसवाल, उपाध्यक्ष श्री गिर्राज शर्मा, पार्षद श्री प्रमोद जैन के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच क्षेत्रीय उप निदेशक, कोटा/उपखण्ड अधिकारी, नैनवा से कराए जाने पर जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप प्रमाणित पाए जाने पर प्रकरण में न्यायिक जांच करवाई जा रही है। शेष प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर समुचित कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। इसी प्रकार अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित आक्षेपों का भी परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। प्राप्त शिकायतों के क्रम में की जा रही जांच की कार्यवाही एवं आडिट आक्षेपों का तीन वर्ष का विवरण क्रमशः परिशिष्ट ''अ एवं ब'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जांच प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए है, शीघ्र प्राप्त कर, कार्यवाही की जाएगी तथा आडिट आक्षेपों का भी परीक्षण किया जा रहा है। शीघ्र कार्यवाही कर ली जाएगी।

(3) जी हां। नगरपालिका नैनवां द्वारा विगत वर्षो से तालाब पेटाकाश्त नीलामी पर दिया जाता रहा है, लेकिन, जन प्रतिनिधियों एवं आम जनता के विरोध के कारण तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका द्वारा वर्ष, 2004 में नीलामी की कार्यवाही रोक दी गई, जिसके कारण नीलामी की कार्यवाही नहीं हो सकी। वर्ष 2002-03 में नीलामी 1.57 लाख रुपये व 2003-04 में 2.46 लाख रूपये में हुई थी। इस प्रकार वर्ष 2004 में नीलामी नहीं होने के कारण उक्त राशि की आर्थिक क्षति पालिका को हुई है। जिसके क्रम में तत्कालीन अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) प्राप्त शिकायतों के जांच प्रतिवेदन चूंकि अभी तक प्राप्त नहीं हुए है तथा ऑडिट आक्षेपों का भी परीक्षण किया जा रहा है। अतः शिकायत प्रकरण एवं ऑडिट आक्षेपों में वर्णित तथ्यों के क्रम में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, लेकिन जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त कर एवं आडिट आक्षेपों का परीक्षण कर, यथोचित कार्यवाही शीघ्र करली जाएगी।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थानीय निकायों की साधारण सभा की बैठकें

91. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रवेश में स्थानीय निकायों की महीने में एक

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

एक बार साधारण सभा की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने का प्रावधान है? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थानीय निकायों में नियमानुसार प्रत्येक माह साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाती है एवं कौन-कौन से में नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्थानीय निकायों में नियमानुसार प्रत्येक माह साधारण सभा की बैठक का आयोजन नहीं करने वाले संस्था प्रमुखों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिन निकायों में प्रत्येक माह साधारण सभा की बैठकें आयोजित की जाती है की सूची परिशिष्ट ''अ पर एवं ऐसी निकायों की सूची जहां साधारण सभा की बैठक प्रत्येक माह आयोजित नही होती परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जिन निकायों में नियमानुसार साधारण सभा की बैठक आयोजित नहीं होती उनके संस्था प्रमुखों के विरूद्ध समय समय पर कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट ''अ''

क्र.सं.	नाम नगरपालिका	क्र.सं.	नाम नगरपालिका
01.	गजसिंहपुर	11.	रतननगर
02.	पदमपुर	12.	नोखा
03.	सूरतगढ़	13.	देशनोक
04.	सार्दुलशहर	14.	सुजानगढ़
05.	नोहर	15.	बिलाड़ा
06.	पीलीबंगा	16.	फलौदी
07.	रतनगढ़	17.	जैसलमेर
08.	बीदासर	18.	बाड़मेर
09.	छापर	19.	पिण्डवाड़ा
10.	राजलदेसर	20.	आबू पर्वत

क्र.सं.	नाम नगरपालिका	क्र.सं.	नाम नगरपालिका
21.	तख्तगढ़	44.	नदबई
22.	रानी	45.	राजाखेड़ा
23.	बाली	46.	बाड़ी
24.	सरवाड़	47.	चाकसू
25.	माण्डलगढ़	48.	चौमूं
26.	गुलाबपुरा	49.	किशनगढ़ रेनवाल
27.	जहाजपुर	50.	फुलेरा
28.	परबतसर	51.	साम्भर
29.	नांवा	52.	शाहपुरा
30.	कुचामनसिटी	53.	विराटनगर
31.	डीडवाना	54.	झुन्झुनूं
32.	उनियारा	55.	बग्गड़
33.	कुशलगढ़	56.	खेतड़ी
34.	प्रतापगढ़	57.	मुकुन्दगढ़
35.	बेगूं	58.	सूरजगढ़
36.	रावतभाटा	59.	विद्याविहार
37.	सागवाड़ा	60.	रींगस
38.	राजसमन्द	61.	श्रीमाधोपुर
39.	तिजारा	62.	रामगढ़ शेखावाटी
40.	भुसावर	63.	लक्ष्मणगढ़
41.	कुम्हेर	64.	निवाई
42.	कांमा	65.	मालपुरा
43.	वैर	66.	टोडारायसिंह
		67.	मूण्डवा

परिशिष्ट''ब''

क्र.सं.	नाम नगरपालिका	क्र.सं.	नाम नगरपालिका
01.	श्री गंगानगर	29.	सोजत
02.	रायसिंहनगर	30.	जैतारण
03.	श्रीकरणपुर	31.	फालना
04.	केसरीसिंहपुर	32.	सादड़ी
05.	श्रीविजयनगर	33.	अजमेर
06.	अनूपगढ़	34.	केकड़ी
07.	रावतसर	35.	किशनगढ़
08.	संगरिया	36.	विजयनगर
09.	भादरा	37.	भीलवाड़ा
10.	चूरू	38.	शाहपुरा
11.	सरदारशहर	39.	आसीन्द
12.	तारानगर	40.	गंगापुर
13.	राजगढ़	41.	मकराना
14.	बीकानेर	42.	कुचेरा
15.	डूंगरगढ़	43.	देवली
16.	हनुमानगढ़	44.	उदयपुर
17.	जोधपुर	45.	फतेहनगर
18.	पीपाड़शहर	46.	सलूम्बर
19.	पोकरण	47.	कानोड़
20.	बालोतरा	48.	भीण्डर
21.	जालौर	49.	चित्तौड़गढ़
22.	भीनमाल	50.	निम्बाहेड़ा
23.	सांचौर	51.	छोटी सादड़ी
24.	सिरोही	52.	बड़ी सादड़ी
25.	शिवगंज	53.	नाथद्वारा
26.	आबू रोड़	54.	आमेट
27.	पाली	55.	देवगढ़
28.	सुमेरपुर	56.	डूंगरपुर

क्र.सं.	नाम नगरपालिका	क्र.सं.	नाम नगरपालिका
57.	बांसवाड़ा	87.	जयपुर
58.	कपासन	88.	बगरू
59.	कोटा	89.	पिलानी
60.	कैथून	90.	बिसाउ
61.	सांगोद	91.	खेरली
62.	रामगंजमण्डी	92.	दौसा
63.	बारां	93.	नीम का थाना
64.	अन्ता	94.	नगर
65.	मांगरोल	95.	उदयपुरवाटी
66.	छबड़ा	96.	लालसोट
67.	बून्दी	97.	राजगढ़
68.	केशवरायपाटन	98.	अलवर
69.	कापरेन	99.	बहरोड़
70.	लाखेरी	100.	डीग
71.	इन्द्रगढ़	101.	खण्डेला
72.	नैनवां	102.	चिड़ावा
73.	झालावाड़	103.	लोसल
74.	भवानीमण्डी	104.	भरतपुर
75.	झालरापाटन	105.	खैरथल
76.	पिडावा	106.	बयाना
77.	अकलेरा	107.	मण्डावा
78.	सवाईमाधोपुर	108.	धौलपुर
79.	करौली	109.	नवलगढ़
80.	गंगापुरसिटी	110.	फतेहपुर
81.	हिण्डौन	111.	ब्यावर
82.	टोडाभीम	112.	नागौर
83.	जोबनेर	113.	टोंक
84.	बांदीकुई	114.	लाडनूं
85.	कोटपूतली	115.	मेडतासिटी
86.	सीकर	116.	पुष्कर

कानोता (जयपुर) ग्राम में राजकीय भूमि का आबंटन

92. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम कानोता में जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा कहां तक व कब से लागू है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में चरागाह, सिवाय चक सरकारी भूमि व प्राधिकरण भूमि का अंकन कर सीमा ज्ञान किया गया है? यदि हां, तो रकबा खसरा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस भूमि में से किसी कम्पनी, फर्म ट्रस्ट, मंदिर, विद्यालय, होटल, व्यक्ति को भू-आवंटित किया गया हैं? यदि हां, तो कब, किसे व कितनी दर पर?

उत्तर

(1) ग्राम कानोता तहसील बस्सी की सीमा पूर्ण रूप से जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की अनुसूची 1 की प्रभावी तिथि 12.10.82 से लागू है।

(2) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीमाज्ञान नहीं किया गया है। ग्राम कानोता विधानसभा क्षेत्र बस्सी में जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी कम्पनी एवं ट्रस्ट, मन्दिर, विद्यालय, होटल व्यक्ति को भू-आबंटन नहीं किया है। किन्तु पुलिस थाना कानोता को दिनांक 05.05.1997 को नि:शुल्क एवं रीको ग्राम हारीवाल को दिनांक 17.08.1997 को 90/- रूपये प्रतिवर्गगज से आबंटन किया है।

(भूमि संबंधी विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मानसरोवर (जयपुर) की विशिष्ट पंजीकरण योजनान्तर्गत भू-खण्डों का आबंटन

93.**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मानसरोवर जयपुर में सांसदों, विधायकों एवं अभिस्वीकृत पत्रकारों को ''विशिष्ट पंजीकरण योजना'' में भूखण्ड आबंटन पर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लगी जनहित याचिका का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारण कर दिया गया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मानसरोवर में विशिष्ट पंजीकरण योजना में पंजीकृत व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित स्थान पर मकान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मानसरोवर, जयपुर में सांसदों, विधायकों एवं पत्रकारों को विशिष्ठ पंजीकरण योजना में भूखण्ड आबंटन पर लगी जनहित याचिका का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2005 को निर्णय कर दिया गया है। निर्णय की प्रति संलग्न है।

(2) यह प्रकरण मण्डल स्तर पर विचारधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

आवासन मण्डल सीकर की अनाबंटित दुकानें

94. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर आवासन मण्डल की कालोनिों में कुल कितनी दुकानें (व्यावसायिक) अवस्थित हैं तथा ये दुकानें किन-किन को आबंटित हैं?

(2) सरकार आवंटन रहित दुकानों को कब तक आबंटित करने का विचार रखती है तथा क्या इससे प्राप्त राशि का आवासन मण्डन कॉलोनी की सुविधाओं के विस्तार हेतु उपयोग में लिया जायेगा?

उत्तर

(1) सीकर आवासन मण्डल की कालोनियों में देवीपुरा में 9 तथा शिवसिंगपुरा में 4 कुल 13 दुकाने निर्मित एवं 11 व्यावसायिक भू-खण्ड है।

1- **देवीपुरा कॉलोनी**:-देवीपुरा स्थित 9 दुकानों में से निम्न आबंटियों को नीलामी द्वारा आवंटित की जा चुकी है:-

क्र.सं.	आवंटी का नाम	आवंटित दुकान संख्या	सैक्टर न.
1	श्री गोपाल सिंह पुत्र हीरालाल	दुकान नं.2	सैक्टर नं.2
2	श्री अशोक कुमार पुत्र भंवर लाल	दुकान नं.4	सैक्टर नं.2

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास)

3	श्री रिछपाल पुत्र मोहन लालजाट	दुकान नं.1	सैक्टर नं.1
4.	श्री भागीरथ मील पुत्र श्री देवकरण मील	दुकान नं.2	सैक्टर नं. 1

शेष 5 दुकानों नगर परिषद सीकर के पास है।

2-शिवसिंग पुराः- इस कॉलोनी में 4 दुकानें निर्मित है जिनमें से निम्न 3 दुकानें दिनांक 20.12.04 को आवंटित की जा चुकी हैः-

क्र.सं.	**आवंटी का नाम**	**आवंटित**	**दुकान संख्या**
1	श्री सीताराम अग्रवाल		1
2	श्री सुनीता पत्नी श्री ओम प्रकाश		2
3	श्री ओम प्रकाश		10

(2) शिवसिंगपुरा आवासीय योजना सीकर की शेष रही एक निर्मित दुकान का मार्च, 2006 तक नीलामी द्वारा निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है एवं 11 व्यासायिक भूखण्ड एवं शेष 5 दुकानों को वर्ष 2006-07 में नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा

नीलामी से प्राप्त राशि आवासन मण्डल कॉलोनी की सुविधाओं के विस्तार हेतु उपयोग में नहीं ली जाती है। आवासन मण्डल की कॉलोनी में सुविधाएं प्रदान करने हेतु मूल योजना में स्वीकृत तकनीकी एस्टीमेट के अनुसार ही कार्य करवाया जाता है।

नीलामी से प्राप्त अनुमानित राशि मूल योजनाओं में तकनीकी एस्टीमेट में पहले ही समायोजित कर ली जाती है।

राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जिला बीकानेर के प्रस्तावित कार्य

95. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जिला बीकानेर में कार्य करवाने हेतु कोई स्कीम तैयार की गई थी? यदि हां, तो उक्त में कितना बजट स्वीकृत किया गया तथा किस एजेन्सी/संस्था की देखरेख में क्या-क्या कार्य करवाए जाने थे?

(2) जिला बीकानेर में इस प्रोजेक्ट में कितनी राशि तक का कितना

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? क्या पूर्ण हुए कार्य का परीक्षण किया/करवाया गया है? यदि हां, तो किससे व इसके क्या परिणाम रहे?

(3) क्या उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने की कोई सीमा निर्धारित की गई थी? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

(4) वर्तमान में उक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिला बीकानेर में क्या-क्या कार्य कितनी राशि तक का करवाया जाना शेष है व यह कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बीकानेर शहर के विभिन्न विकास कार्यों हेतु योजना बनाई गई थी। जिसके लिये 103.20 करोड रूपये का प्रावधान किया गया था और वर्तमान में 141.27 करोड रूपये के कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त कार्य आर.यू.आई.डी.पी. की देखरेख में करवाये जा रहे हैं।

(2) बीकानेर शहर में जनवरी 06 तक 101.62 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। कुल 24 पैकेज के कार्यो में से 5 पैकेज के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य फरवरी 2007 तक पूर्ण होने की संभावना है।

जी हां। किये गये कार्यो का परीक्षण विभागीय अभियन्ताओं व कन्सलटेंट इंजीनियरों, इंजीनियर महाविद्यालयों के प्रोफसरों, राईटस एवं डी.जी.एस. एण्ड डी., आदि निरीक्षण एजेंसियों द्वारा किया गया है व परिणाम संतोषजनक रहे हैं।

(3) जी हां। उक्त कार्यो को पूर्ण करने की सीमा अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित है एवं समस्त कार्य फरवरी 2007 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(4) बीकानेर शहर में उक्त परियोजना के अन्तर्गत लगभग 40 करोड के कार्य और करवाये जाने शेष है जो फरवरी 2007 तक पूर्ण होने की संभावना है। विवरण संलग्न है।

आर.यू.आई.डी.पी. के अन्तर्गत बीकानेर शहर में शेष रहे कार्यों पर व्यय की जाने वाली राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	पैकेज संख्या	कार्य का विवरण	बकाया राशि
1.	BIK/WS/01	बीछवाल हैडवर्क्स पर 400 लाख लीटर क्षमता के जल शोधन संयंत्र एवं 20 लाख लीटर क्षमता के जलाशय का निर्माण एवं आई.पी.एस. हैडवर्क्स पर 20 लाख लीटर क्षमता के जलाशय का निर्माण	32.11
2.	BIK/WS/03	बीछवाल पम्पिंग स्टेशन में पुराने पम्पों को बदलकर 6 नये पम्प सैट लगाने का कार्य	37.42
3.	BIK/WS/04	शोभासर हैडवर्क्स पर 400 लाख लीटर क्षमता के जल शोधन संयंत्र एवं 37.5 लाख लीटर क्षमता के जलाशय का निर्माण एवं न्यू मास्टर हैडवर्क्स पर 37.5 लाख लीटर क्षमता के जलाशय का निर्माण कार्य	198.14
4.	BIK/WS/05	शोभासर हैडवर्क्स से बीकानेर शहर तक 1100 एम.एम. आकार की पी.एस.सी.पी. पाईप लाइन कुल लम्बाई 9.3 किमी. डालने का कार्य	139.81
5.	BIK/WS/07	शोभासर हैडवर्क्स एवं न्यू मास्टर हैडवर्क्स पर 3 नये पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण एवं 33 के.वी. क्षमता की ट्रांसमिशन लाईन डालने का कार्य	77.00
6.	BIK/WS/10	बीकानेर शहर में 13 उच्च जलाशय एवं 2 भूतल जलाशयों का निर्माण कार्य	4.17
7.	BIK/WS/11	बीकानेर शहर में विभिन्न आकार की जल वितरण पाईप लाइनें डालने का कार्य	772.78
8.	BIK/WS/12	बीकानेर शहर में 21 किमी. डी.आई पाईप ट्रांसमिशन सिस्टम (फेज-2) डालने का कार्य (शोभासर स्रोत से	251.43

क्र. सं.	पैकेज संख्या	कार्य का विवरण	बकाया राशि
9.	BIK/WS/13	बीकानेर शहर में 2 नये पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण एवं 4 पुराने पम्पिंग स्टशनों के नवीनीकरण का कार्य	44.39
10.	BIK/WW/01	वल्लभ गार्डन में 20 एम एल डी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य	250.88
11.	BIK/WW/03	जयनारायण व्यास कालोनी व आसपास के क्षेत्र में लेटरल, इंटरसेप्टर एवं आउटफाल सीवर डालने का कार्य।	284.77
12.	BIK/WW/05 L.1	सर्वोदय बस्ती, सुभाषपुरा, विवेकनगर, इंदिरा कालोनी, भुटों का बास एवं कोठारी हॉस्पीटल क्षेत्र में लेटरल, एवं इंटरसेप्टर सीवर डालने का कार्य।	208.78
13.	BIK/WW/05 L.2	सादुलगंज, रानीसर बास, समता नगर, गांधी नगर, गांधी कालोनी एवं करणीनगर क्षेत्र में लेटरल, एवं इंटरसेप्टर सीवर डालने का कार्य।	150.28
14.	BIK/WW/06 L.1	पवनपुरी क्षेत्र में लेटरल, एवं इंटरसेप्टर सीवर डालने का कार्य एवं पूर्व में डाली गई सीवर के क्षेत्रों में सीवर कनेक्शन हेतु पीवीसी पाईप डालने का कार्य।	419.67
15.	BIK/WW/06 L.2	पब्लिक पार्क सीवेज पंपिंग स्टेशन के अपग्रेडेशन का कार्य।	64.98
16.	BIK/WW/07	तुलसी सर्किल से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक आउटफाल सीवर डालने का कार्य।	344.14
17.	BIK/DR/01	कलवर्ट नं. 4 से 17 तक डाइवर्जन चैनल का निर्माण कार्य	233.47
18.	BIK/DR/02	कलवर्ट नं. 12 से वल्लभ गार्डन तक सूरसागर नाले की डिसिल्टिंग, डीपनिंग एवं रिमोडलिंग का कार्य	269.74
19.	BIK/DR03	बीकानेर शहर में विभिन्न नये नालों का निर्माण कार्य एवं पुराने नालों की रिमोडलिंग का कार्य तथा ठोस कचरा प्रबंधन हेतु लैण्डफिल साइट के विकास का कार्य।	218.18
		योग :-	4002.14

सहायक अतिक्रमण रोक अधिकारी, नगर सुधार न्यास द्वारा दर्ज प्रकरण

96.**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के विभिन्न नगर सुधार न्यासों में सहायक अतिक्रमण रोक अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने अधिकारी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों पर चयन की क्या प्रक्रिया है? क्या इस के लिये पद विज्ञापित किये गये? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारियों को नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 90, 91 एवं 92 में शक्तियां प्रदान की गई हैं? यदि हां, तो शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त द्वारा कितने प्रकरण पिछले पांच वर्षों में दर्ज किये गये और इन दर्ज प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यासों में सहायक अतिक्रमण रोक अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(2) पद स्वीकृत नहीं होने से कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।

(3) सहायक अतिक्रमण रोक अधिकारियों के पद स्वीकृत नहीं होने के कारण इस प्रकार की शक्तियां दिया जाना संभव नहीं है।

मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की स्कीम नम्बर 3-सी का नियमन

97. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 6 सेक्टर 19 के अंतर्गत मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं. 3-सी, विकास नगर, भगत जी की ढाणी का नियमन किया गया है? यदि हां, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तथा किस-किस खातेदार से किस आधार पर कितनी-कितनी बीघा जमीन का इकरारनामा सोसाइटी द्वारा पेश किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरू खान)

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति की स्कीम 3-सी, विकास नगर, भगत जी की ढाणी का नियमन हेतु समिति द्वारा पेश किये गये इकरारनामे में खसरा नं. 120 के समस्त खातेदारों की सहमति है? यदि नहीं, तो किस आधार पर इसका नियमन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर उपायुक्त जोन 6 के पत्र क्रमांक जा.वि.प्रा./राजस्व/ जोन 6/04 दिनांक 17 मई, 2004 के संबंध में किन-किन खातेदार द्वारा जे.डी.ए. को दिनांक 20 मई, 2004 को जवाब प्रस्तुत किया गया तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण सेक्टर 19 जोन 6 शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना विजयबाडी में कुल कितने सदस्य हैं तथा नियमन क्षेत्रफल कितना व किस-किस खसरे का किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकस प्राधिकरण जोन-6 सेक्टर 19 के अन्तर्गत मोती भवन गृह नि.स.स. की स्कीम 3-सी विकास नगर, भगत जी की ढाणी का नियमन किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 4630.64 व.ग. है। ख.नं. 110 से 121 में श्री राम जमन, भौरीलाल, पांचुराम, छोटुराम पुत्र लक्ष्मी नारायण ही 5/6 रामसहाय, गणेश बंशी, बृजमोहन, बाबूलाल, पि. सुवालाल हि. 1/6 दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से 1/6 के खातेदार श्री छोटूराम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण माली ने ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर के खसरा नंबर 120 में से 01 बीघा का बेचान इकरारनामें के द्वारा समिति को किया गया। इकरारनामा प्रति परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है व योजना मानचित्र की परीक्षण संबंधी रिपोर्ट परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है।

(2) जी नहीं। सहकारी समिति की स्कीम 3-सी विकास नगर, भगत जी की ढाणी का नियमन हेतु पेश इकरारनामें में खसरा नं. 102 में से 01 बीघा भूमि का बेचान सहखातेदार छोटूराम अकेले के द्वारा किया गया है, जिसकी 90 बी की कार्यवाही मौके पर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में पाये जाने पर की गई। शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना विजयबाडी में ग्राम बीड

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सरकारी के खसरा नं. 110 से 121 कुल रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा की 90-बी की कार्यवाही दिनांक 23.12.1999 को भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग पाये जाने पर की गई जिसमें उक्त योजना मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना 3-सी का क्षेत्र भी शामिल है। आदेश दिनांक 23.12.1999 की प्रति परिशिष्ट ''स'' संलग्न है।

(3) जी नहीं। उपायुक्त जोन-6 द्वारा दिनांक 17.05.04 को कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, अपितु दिनांक 15.05.04 को एक पत्र जारी किया है, जिसके संबंध में श्री अर्जुन लाल, नानूराम पुत्रान जमन, गोपाल, पुत्र श्रीराम, भौरीलाल, पांचूराम, छोटूराम पुत्रान लक्ष्मीनारायण रामसहाय, गणेश, बंशी, बृजमोहन, बाबूलाल पुत्र सुवालाल जाति माली नि. भगत जी की ढाणी विकास नगर द्वारा दिनांक 20.05.04 को जवाब प्रस्तुत किया गया। नोटिस दिनांक 15.05.04 को जारी किया गया की प्रति परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है व दिनांक 20.05.04 को खातेदारों द्वारा प्रस्तुत जवाब की प्रति परिशिष्ट 'य' संलग्न है। जिसके संबंध में निर्णय लिया कि भूखण्ड सं. बी-1, बी-2, बी-3, बी-4, के नियमन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों को नियमन योग्य नहीं मानते हुए खारिज किया गया।

(4) जे.डी.ए. सेक्टर नं.19 जोन-6 शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना विजयबाडी में समिति द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1994 की सदस्य सूची अनुसार कुल 160 सदस्य है। सदस्य सूची परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है तथा नियमन क्षेत्रफल 47480.40 व.ग. है, जो ख.नं. 110 रकबा 5507 व.ग. ख.नं. 111 रकबा 6806 व.ग., 112 रकबा 10704 व.ग., 113 रकबा 18471.40 व.ग.,114 रकबा 1909 व.ग., 120 रकबा 4083 व.ग. में नियमन किया गया।

(प्रति/ सूची आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति रहित निर्माण कार्य

98. **श्री संयम लोढा** (सिरोही): नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण का सलाना बजट तैयार किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2005-06 का बजट कितनी राशि का मुख्य बिन्दु क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2005-06 में अब तक कितने कार्य बजट के अनुरूप है तथा बजट के करवाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(3) वर्ष 2005-06 में अब तक कितने कार्य ऐसे करवाए गए जो बजट में नहीं लिए गए लेकिन करवाए गए और क्यों? प्रत्येक कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बिना बजट प्रावधान करवाए जा रहे कार्यों का औचित्य व बजट बनाने का तात्पर्य क्या है?

(5) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण बिना बजट कार्य करने की स्वीकृति देने में सक्षम है? यदि हां, तो किस आधार पर?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2005-06 में 346.20 करोड रूपये की आय एवं 345.94 करोड रुपये के व्यय बजट का प्रावधान किया गया है। बजट के मुख्य बिन्दु जयपुर शहर के अद्य संरचना विकास जिसमें सड़क, पेयजल, सीवरेज, विद्युत, उद्यान, रेल्वे ओवर ब्रिज, इत्यादि का निर्माण कार्य एवं उनके संधारण कार्य प्रमुख हैं।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2005-06 में 862 कार्य बजट के अनुरूप करवाये गये हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बजट प्रावधान के अनुसार ही कार्य करवाये जा रहे है। बजट में नवीन कार्यो हेतु एक मुश्त प्रावधान रखा जाता है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बजट प्रावधान के अनुसार ही कार्य करवाये जा रहे हैं। बजट में नवीन कार्यों हेतु एक मुश्त प्रावधान रखा जाता है।

(5) जी नहीं। प्राधिकरण में बजट के अनुसार कार्य ही करवाये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

मुंडिया पुरोहितान व केस्यावाला (जयपुर) ग्राम के खुदकाश्त भूमि आबंटन प्रकरण

99. **श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मुंडिया पुरोहितना व केस्यावाला तहसील व जिला जयपुर में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जिनकी भूमि पुनर्ग्रहित की गई है उनके द्वारा

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

खुदकाश्त भूमि आबंटन के लिए आवेदन किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस द्वारा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कितने आवेदकों को भूमि आबंटन कर दी गई? शेष को भूमि आवंटित नहीं किये जाने के क्या कारण है व इन्हें अब कब तक भूमि आवंटित कर दी जाएगी?

(3) क्या सही है कि कुछ आवेदनकर्ताओं के आवेदन निरस्त कर दिये गये है? यदि हां, तो क्या निरस्त किये जाने के पूर्व इनका पक्ष सुना गया? यदि नहीं, तो क्यों? इनमें से कितने आवेदनकर्ताओं को आवेदन निरस्त किये जाने की सूचना भेजी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम मुंडिया पुरोहितान के बारे में पूर्व में माननीय विधान सभा सदस्य श्री सुरेन्द्र पारीक द्वारा प्रश्न सं. 431 दिनांक 25.1.05 को पूछा गया था, जिसका जवाब राज्यसरकार द्वारा पत्र क्रमांक-प.14(1) राज.-4/05 दि. 14.2.2005 एवं दि. 29.3.05 को ही दिया जा चुका है।

जी हां। ग्राम केश्यावाला तहसील व जिला जयपुर के जिन जागीरदारों की जागीर पुर्नग्रहण की गई थी। उनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। तथा जिन पर जागीरदारों ने खुदकाश्त भूमि के लिये आवेदन किया गया उनकी सूची परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा ग्राम केश्यावाला के किसी भी आवेदन को भूमि का आवंटन नही किया गया है।

तीनों आवेदकों की स्थिति निम्न प्रकार हैः-

1. श्री कन्हैयालाल-प्रार्थना-पत्र नियमानुसार निरस्त किया जा चुका है।

2. श्री राजकिशोर- प्रार्थना-पत्र नियमानुसार निरस्त किया जा चुका है।

3. श्री गोपीनाथ-प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.5.57 को तहसील को भेजा गया था, लेकिन तहसील कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना-पत्र लंबित होना नहीं पाया गया है।

(3) जी हां। ग्राम केश्यावाला में आवेदनकर्ताओं में से श्री कन्हैलाल व श्री राजकिशोर को नियमानुसार सूचना दी जा चुकी है। श्री गोपनाथ का प्रार्थना-पत्र तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार लंबित होना नहीं पाया गया है।

<u>परिशिष्ट ''क''</u>

सूची भूतपूर्व जागीरदारान ग्राम मूण्डिया कैश्यावाला तहसील व जिला जयपुर के जागीरदारों की जागीर पुर्नग्रहित की गई है

ग्राम केश्यावाला:

1. श्री दाउजी/ घासीराम
2. श्री गोपी/ जगन्नाथ
3. श्री कन्हैयालाल/ हरिनारायण

<u>परिशिष्ट ''ख''</u>

ग्राम केश्यावाला:

1. श्री कन्हैयालाल पुत्र हरि नारायण
2. श्री राजकिशोर पुत्र दाउलाल
3. श्री गोपीनाथ

सीकर में निःशुल्क/रियायती दरों पर भू-आबंटन

100. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सीकर में जनवरी, 2004 से अब तक किन-किन को निःशुल्क या रियायती दर पर एवं सुरक्षित दर पर भूमि का आवंटन किया गया है तथा किन-किन के प्रकरण विचारधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा/तहसील सीकर क्षेत्र में जनवरी 2004 से अब तक 65 संस्थाओं को निःशुल्क/रियायती दर एवं सुरक्षित दर पर भूमि का आवंटन किया गया है जिनका विवरण परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

विचाराधीन प्रकरणों की संख्या 4 है जिनका विवरण परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पूगल व खाजूवाला क्षेत्र बीकानेर की बारानी भूमि का आबंटन

101. **श्री गोविन्द राम मेघवाल** (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्दराम मेघवाल)

क्या सरकार पूगल व खाजूवाला क्षेत्र की बारानी कृषि भूमि का किसानों को आवंटन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। उपनिवेशन क्षेत्र में वर्षा का औसत बहुत कम है जिससे बारानी फसल पैदा नहीं होती है। इस क्षेत्र के मूल काश्तकारों का सिर्फ खेतो से गुजारा नहीं होता है उनका मुख्य आजीविका का साधन पशुपालन है जिसके लिये चारागाह होना आवश्यक है। अतः बारानी भूमि रहना आवश्यक होने से राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में वर्ष 1987 से बारानो भूमि के आवंटन पर रोक लगा रखी है और यदि बारानी भूमि रही तो उस पर उपलब्ध घास से पशुधन रखने में समर्थ होंगे ओर उन्हें आर्थिक रूप से सहारा मिलेगा।

चक-2 एम.एल.(श्रीगंगानगर) स्थित बाबा हरद्वारी नाथ धर्मार्थ ट्रस्ट की अधिग्रहीत भूमि का आबंटन

102. **श्री ओ.पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा श्री गंगानगर तहसील के चक 2 एम.एल. में बाबा हरद्वारी नाथ धर्मार्थ ट्रस्ट की सीलिंग में अधिग्रहित भूमि 25 काश्तकारों को दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 को आवंटित कर राशि जमा करवाने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) ट्रस्ट की उक्त भूमि जिन काश्तकारों को आवंटित की गयी थी, वे कब से भूमि पर काबिज हैं?

(3)सरकार के आदेश के पश्चात् कितने काश्तकारों द्वारा समस्त राशि जमा करवाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें। राशि जमा करवा देने के पश्चात् क्या इनको खातेदारी दी जानी शेष है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 15 काश्तकारों से पूर्व राशि जमा करवा ली गई है। 2 काश्तकारों द्वारा अपूर्ण राशि जमा करवाई गई है। 2 काश्तकारों ने राशि जमा नही करवाई है क्योकि वे पूर्व से ही खातेदार थे एवं मामलों में विभिन्न न्यायालयों में विवाद होने के कारण राशि जमा नहीं करवाई गई है।

(राजस्व मंत्री)

(2) ट्रस्ट की उक्त भूमि जिन काश्तकारों को आवंटित की गई थी, वे वर्ष 1959 से काबिज चले आ रहे है।

(3) 15 काश्तकारों द्वारा समस्त राशि जमा करवाई गई है। सूची संलग्न है उक्त रकबा मास्टर प्लान में आने के कारण सनदें जारी नही की गई है।

बाबा हरद्वारोनाथ एवं मुआवशोनाथ ट्रस्ट के अलोटीयान को सदन जारी किये जाने बाबत जिनके द्वारा समस्त राशि जमा करवा दी गई है की सूची

क्र.सं.	नाम गेरखातेदारान	भूमि	
1.	जयमल राम-पृथ्वीराम-भजनलाल-ओमप्रकाश पि. रामचन्द्र	2 एमएल को	32-15 बीघा
2.	रेखाराम पुत्र प्रतापकुमार	2 एम एल	25-00 बीघा
3.	लिछमादेवी बगेरा	2 एम एल	25-00 बीघा
4.	सहाराम-कैसराराम पि. लाधूराम बगेरा	2 एम एल	20-15 बीघा
5.	रामचन्द्र पुत्र न्योलाराम	2 एम एल	25-00 बीघा
6.	उदाराम पुत्र खुमाराम	2 एम एल	25-00 बीघा
7.	मीरादेवी पत्नी टीकूराम बगेरा	2 एम एल	24-10 बीघा
8.	जेठाराम पुत्र हीराराम	3 एम एल	20-17 बीघा
9.	महाबीर प्रसाद पुत्र दलीपचन्द बगेरा	3 एम एल	25-00 बीघा
10.	राजेन्द्रकुमार पुत्र मनीराम	3 एम एल	25-00 बीघा
11.	कर्मचन्द्र पुत्र मूलचन्द बगेरा	4 छोटी	24-00 बीघा
12.	श्री हनुमान पुत्र जेसा	4 एम एल	25-00 बीघा
13.	मनीराम-जेटाराम-पूर्णचन्द–हरीराम पि. हनुमान	4 एम एल	25-00 बीघा
14.	अमीचन्द-गणपतराम बगेरा पि. मामराज	2 एम एल	8-00 बीघा
15.	भादरराम-गुरूदयाल पि. नन्दराम	3 एम एल	24-10 बीघा

<u>इनके अलावा इनमें समस्त राशि जमा नही हुई है।</u>

1.	लिखमाराम-कानाराम एवं काशीराम	3 एम एल	25-00 बीघा
2.	पि. गोविन्द		
2.	आत्माराम-बुधराम बगेंरा	2 ई छोटी	41-03 बीघा

कार्यवाही ड्रोप की गई राशि देय नही है।

1. 228/91 लालचन्द बगेरा. दि0 27.4.05

2. 249/91 सोहनलाल बगेरा दि0 25.4.05

ह./-

उपखण्ड अधिकारी

श्रीगंगानगर

अतारांकित प्रश्न संख्या-103

(स्थगित)

पचकोडिया (फुलेरा) ग्राम का भूमि प्रकरण

104. **श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले की तहसील फुलेरा के ग्राम मण्डाभीम सिंह में बस स्टेण्ड से ग्राम पचकोडिया की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर की भूमि किन-किन खातेदारों की है तथा उनके खसरा नम्बर क्या-क्या हैं? खातेदार का नाम, खसरा नम्बर व भूमि की मात्रा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर कोई विवाद भी था? यदि हां, तो किस-किस में तथा रेवन्यू अपीलेन्ट अथॉरिटी अथवा जहां दावा हुआ उसका निर्णय क्या रहा? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले की तहसील फुलेरा के ग्राम मण्डाभीम सिंह में बस स्टेण्ड से ग्राम पचकोडिया की ओर जाने वाली वे दोनों और भूमि के खातेदार की सूची मय खसरा नम्बर परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(2) ग्राम मण्डाभीम सिंह केख नं. 388 रकबा 1.09 बीघा भूमि के विरासत का नामान्तरण संख्या 1025 को ग्राम पंचायत द्वारा दि. 21.11.2000 को निरस्त करने पर मृतक के वारिसान, भैरूराम, रामनिवास वगै. जाति खटीक ने उक्त नामान्तकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी, साभर के यहा प्रस्तुत की गई, जो खारिज की जा चुकी है। निर्णय की प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट, जयपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

105. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सामने जयपुर के संबंध में वर्ष 2004-05 में कतिपय विधायकों की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन द्वारा कब-कब और उस संबंध में उन्हें क्या प्रति उत्तर दिया गया? शिकायतों एवं उनके संबंध में दिये गये उत्तर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंजीकृत प्रन्यास श्री दिगम्बर जैन नसियां, दीवान उदयलालजी नसियां ट्रस्ट, सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सामने जयपुर के संबंध में वर्ष 2004-05 में एक संयुक्त शिकायत माननीय विधायक गण श्री माहिर आजाद, श्री सुरेश चन्द मीणा एवं श्री नाथूराम अहारी, द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2004 प्राप्त हुई। शिकायत पर जांच सहायक आयुक्त (मंदिर), जयपुर से कराई गई एवं प्रन्यास के लेखों का वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 की विशेष आडिट चार्टटेड अकाउटेन्ट से कराई गई। माननीय तीनों विधायक गणों को प्रतिउत्तर दिनांक 27.2.06 को भिजवा दिया गया। शिकायत पत्र (परिशिष्ट-क) पर उपलब्ध है एवं प्रतित्तर की प्रति (परिशिष्ट-ख) पर उपलब्ध है। एक अन्य शिकायत माननीय विधायक श्री हीरालाल द्वारा दिनांक 29.3.05 को प्राप्त हुई जो (परिशिष्—ग) पर उपलब्ध है। जिस पर आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, एवं माननीय विधायाक श्री हीरालाल को प्रत्युत्तर दिनांक 1.7.05 को भेजा गया जो (परिशिष्ट-घ) पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट–क

जयपुर, दिनांक 2 अगस्त, 2004

विषय :- दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में

माननीय मंत्री महोदया,

देव स्थान विभाग,

राजस्थान, जयपुर

निवेदन है कि देवस्थान विभाग के अधीन दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट जो कि एक पंजीकृत संस्थान है ने अनाधिकृत/बिना किसी नक्शे के स्वीकृति के सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने स्थित दुकानों के ऊपर दूसरी मंजिल पर दुकानों का निर्माण करवाया है तथा इन दुकानों को नीचे के दुकानदारों को 5 से 10 लाख रुपये की पगड़ी लेकर किराये पर दे दी है। तथा उक्त रकम का ट्रस्ट के खातों में कहीं पर भी इन्द्राज नहीं किया गया है। यह रकम ट्रस्ट के लोगों ने आपस में बांट ली है।

यहां यह भी निवेदन है कि उक्त ट्रस्ट में सचिव व सदस्य भी परिवार के ही व्यक्ति बने हुये हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट द्वारा की जा रही अनियमिततता तथा घोटालों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र मीणा)

(नाथूराम अहारी)

(माहिर आजाद)

परिशिष्ट–ख

राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

क्रमांक : प.5(15)देव/2004 जयपुर, दिनांक 27.2.06

1. श्री सुरेश चन्द मीणा, विधायक,
   एन-37, गांधी नगर, जयपुर।
2. श्री माहिर आजाद, विधायक,
   2352-आजाद हाऊस कोठी यकीन शाह
   घाटगेट, जयपुर।
3. श्री नाथूराम अहारी, विधायक,
   9/4 विधायक नगर (पूर्व), जयपुर।

विषय :- दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ने आपके पत्र में वर्णित बिन्दुओं के संबंध में जांच पश्चात तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है :-

ट्रस्ट द्वारा ऊपर की मंजिल पर निर्मित करवाई गई दुकानों का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 1992 में दी गई स्वीकृति के अनुसार करना बताया गया है जबकि यह मंजूरी सन 1995 में तक की वैद्य थी। इस प्रकार के अवैध निर्माण के विरुद्ध जयपुर नगर निगम/जे.डी.ए. ही कार्यवाही करने को सक्षम है। नवनर्मित दुकानें बिना किसी आधार के पगड़ी लेकर बेचान करने की शिकायत के संबंध में प्रन्यास द्वारा बतलाया गया है कि निचली मंजिल में जो दुकानदार पहले से ही बतौर किरायेदार काबिज थे, उनकी इस संपत्ति पर कि दुकान की छत भी किरायेदारी में शामिल है, का विवाद होने से आपसी विचार-विमर्श कर पूर्व में आधा-अधूरा बना निर्माण पूर्ण कराकर नीचे के दुकानदारों को ही किराये पर दिया गया है। दुकानदारों ने मौके की साक्ष्य में कोई पगड़ी या राशि देने से इन्कार किया है।

उक्त ट्रस्ट में जो सचिव व सदस्य नियुक्त हैं उनमें से संस्थापक परिवार में से श्री प्रकाश चन्द दीवान एवं श्री दीपक कुमार दीवान विधान में दिए गये प्रावधानों के अनुसार आजीवन प्रन्यासी है तथा अन्य नौ प्रन्यासी समाज के व्यक्तियों में से मनोनीत किये हुये हैं। यह स्थिति विधान अनुसार है। लेखों की विशेष जांच चार्टेड अकाउन्टेन्टस से करवाई गई जिस अनुसार सहायक आयुक्त (मंदिर), देवस्थान विभाग, जयपुर द्वारा कोई गंभीर अनियमितता नहीं होना अवगत कराया है।

भवदीय

शासन उप सचिव

परिशिष्ट-ग

जयपुर, दिनांक 29 मार्च, 2005

माननीय मंत्री महोदय,

देवस्थान विभाग,

राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :- दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट, सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने, जयपुर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान दीवान उदयलाल नसियां ट्रस्ट, जयपुर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त ट्रस्ट द्वारा की गयी अनियमिताओं निम्न प्रकार से हैं :-

(1) उक्त ट्रस्ट द्वारा ऊपर की मंजिल पर दुकानों का निर्माण कर अवैध रूप से पगड़ी लेकर बेचान किया गया तथा बेचान में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं अपनायी गयी।

(2) इस ट्रस्ट की सम्पदा के छह परिसरों को ट्रस्ट के अध्यक्ष/उसके परिवारजनों अथवा रिश्तेदारों को किराये पर दिया गया है जो कि विधि सम्मत नहीं है।

इसके अतिरिक्त ऐसी कोई अनियमितताएं हैं जो कि यदि किसी निष्पक्ष ऐजेन्सी से ट्रस्ट के समस्त कार्य कलापों तथा खातों को विशेष जांच कराने पर स्वतः ही उजागर हो जायेगी।

भवदीय,

परिशिष्ट-घ

राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

क्रमांक प.9(16)देव/2005 जयपुर, दिनांक :- 1/7/05

श्री हीरालाल,

माननीय विधायक, (84)

8/24, विधायक नगर (पूर्व), जयपुर।

विषय :- दीवान उदयलाल नसिया ट्रस्ट, सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने, जयपुर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आयुक्त, देवस्थान विभाग ने आपके पत्र में वर्णित बिन्दुओं के संबंध में जांच के पश्चात तथ्यात्मक स्थिति निन्मानुसार है :-

1. ट्रस्ट द्वारा ऊपर की मंजिल पर निर्मित करवाई गई 5 दुकानों का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 1992 में दी गई

स्वीकृति के अनुसार करना बताया गया है जबकि यह मंजूरी सन् 1995 तक ही वैद्य थी। इस प्रकार के अवैध निर्माण के विरूद्ध जयपुर नगर निगम/जे.डी.ए. ही कार्यवाही करने को सक्षम है । नवनिर्मित दुकानों को बिना किसी उचित आधार के पगड़ी लेकर बेचान करने की शिकायत के संबंध में प्रन्यास द्वारा बतलाया गया है कि निचली मंजिल में जो दुकानदार पहले से ही बतौर किरायेदार काबीज थे, उनकी इस आपत्ति पर कि दुकान की छत भी किरायेदारी में शामिल है, का विवाद होने से आपसी विचार-विमर्श कर पूर्व में आधा-अधूरा बना निर्माण पूर्ण कराकर नीचे के दुकानदारों को ही किराये पर दिया गया है। दुकानदारों ने मौके की साक्ष्य में कोई पगड़ी या राशि देने से इन्कार किया है।

2. ट्रस्ट की संपदा के छह परिसरों को ट्रस्ट के अध्यक्ष उसके परिवारजनों अथवा रिश्तेदारों को किराये पर देने के संबंध में जांच करने पर यह त्थ्य सामने आया कि संस्थापक के परिवारजन प्रन्यास के पंजीयन से पूर्व ट्रस्ट के संपदा में निवास कर रहे है। प्रन्यास (अभिलेख) विधान के पैरा संख्या-12 के सब पैरा-16 में यह प्रावधान किया हुआ है कि संस्थापक परिवार के प्रन्यासी अपना सक्रीय योगदान देने के प्रयोजन में समुचित किराया देकर प्रन्यास की संपत्ति में निवास कर सकेंगे। इस प्रकार ट्रस्ट के विधान के अनुसार संस्थापक सदस्यों को किराये पर दी गई संपत्ति विधि सम्मत है।

उक्त प्रन्यास के संबंध में माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रेषित शिकायतों तथा विधान सभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायतों के मद्देनजर ट्रस्ट के कार्यकलापों का स्पेशल आडिट कराने के निर्देश सहायक आयुक्त (मंदिर), देवस्थान विभाग, जयपुर को दिये जा चुके है तथा सहायक आयुक्त (मंदिर), देवस्थान विभाग, जयपुर द्वारा श्री सुरेश कुमार गुप्ता एण्ड कम्पनी (चार्टर एकाउंन्टेण्ट) यू. को. बैक बिल्डिंग, चांदपोल बाजार, जयपुर को नियुक्त किया जा चुका है। विशेष जांच अंकेक्षण के पश्चात प्रनयास के कार्यकलापों एवं लेखों में वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

भवदीय

उप शासन सचिव

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगोद (कोटा) का लम्बित नामकरण प्रकरण

106. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगोद (कोटा) का नाम राजकीय काशीपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगोद (कोटा) रखे जाने के प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय से सरकार के विचारधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्तावनुसार स्वास्थ्य केन्द्र सांगोद (कोटा) रखने का विचार रखती है? यदि हां तो, कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगोद (कोटा) का नाम महाराज श्री काशीपुरी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगोद (कोटा) रखे जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन है। प्रस्तावानुसार राज्य सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम महाराज श्री काशीपुरी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगोद (कोटा) करने का निर्णय विचाराधीन है।

आपातकालीन इकाई सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में आवश्यक सुविधाएं

107. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में राज्य के मुख्य सचिव को दिल का दौरा पड़ने पर इलाज के लिये भर्ती करवाया गया? यदि हां, तो अस्पताल की आपातकालीन इकाई में दिल के इलाज के लिये जीवनरक्षक दवाइयों की क्या व्यवस्था थी तथा तत्काल बाजार से कितनी दवाइयां व उपकरण मंगवाये गये?

(2) क्या सरकार राज्य के मुख्य सचिव के इलाज के दौरान सामने आई अव्यवस्था के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

(3) जिला स्तर के अस्पतालों की कमियों को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के मुख्य सचिव को दिल का दौरा पड़ने पर दिनांक 29.1.06 को चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में लाया गया था। चिकित्सालय की आपाकालीन इकाई में उपलब्ध जीवन रक्षक दवाइयों उन्हें दी गयी। माक्रोड्रिपसेट एवं स्ट्रेप्टोकाइनेज बाजार से क्रय की गयीं।

(2) जी नहीं। मुख्य सचिव के इलाज के दौरान अव्यवस्था नहीं हुई थी, अतः अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) राजस्थान हैल्थ्स सिस्टम्स डवपलमेंट प्रोजेक्ट में राज्य के 28 जिला अस्पतालों को चयनित किया गया है। उक्त अस्पतालों में सर्वे के उपरांत पाई गई कमियों को पूर्ति करने हेतु परियोजना में निम्न मदों में प्रावधान रखे गये हैं :-

1- चिकित्सालय भवनों का रिनोवेशन/एडीशन एवं आल्ट्रेशन कार्य।

2- बी.पी.एल. वर्ग एवं आपातकालीन स्थिति में मरीजों के लिये दवाइयों एवं हास्पीटल सप्लाई उपलब्ध कराने हेतु।

3- फर्नीचर एवं उपकरणों की मरम्मत हेतु।

4- आवश्यकता के अनुरुप अनुपलब्ध उपकरणों को उपलब्ध करवाने हेतु।

5- कचरा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था हेतु पिट्स का निर्माण।

6- चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण का प्रावधान।

7- दस जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, कलर, झेवर ई.ई.जी. मशीन इत्यादि उपकरण 11वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध करवाये गये हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) हेतु रोगीवाहन

108. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़), सीकर : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसर देव बाबर)

(2) इनमें से कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध है? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सीकर जिले के लक्ष्मगढ़ कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये एक एम्बूलेंस आबंटित की गई थी? यदि हां, तो क्या एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़ में उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीणजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक-एक एम्बुलेंस आवंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 325 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है जिलेवार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिन पर एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध है नामों की जिलेवार सूची परिशिष्ट ब पर उलपब्ध है।

(3) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणगढ़ में वर्तमान में एम्बूलेंस उपलब्ध है एवं चालू हालत में है।

(4) जी हां। आगामी वित्तीय वर्ष में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एम्बूलेंस उपलब्ध करवाये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बूलेंस उपलब्ध नहीं है वहां पर एम्बूलेंस उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

परिशिष्ट-अ

जिलेवार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची निम्न प्रकार है

जिले का नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम
अजमेर	भिनाय, पीसांगन, पुष्कर, जवाजा, टाटगढ़, मसूदा, विजयनगर, केकड़ी, सावर, सरवाड़
अलवर	बहरोड़, बडौद, खेडलीमण्डी, कोटकासिम, मण्डावर, किशनगढ़बास, खैरथल, थानागाजी, तिंजारा, भिवाडी, रामगढ़, राजगढ़, टहला, रेणी, मालाखेड़ा, शाहजहांपुर, गोविन्दगढ़, लक्ष्मणगढ़
बारां	किशनगंज, केलवाड़ा, शाहबाद, छबड़ा, छीपाबड़ौद, अन्ता, मांगरोल, अटरू
बाड़मेर	धोरीमन्ना, गुढ़ामलानी, बायतू, दूढा (कवास), शिव, सिवाना, समदड़ी, सिन्धरी, चौहटन, पचपदरा, गडरारोड, कल्याणपुरा, रामसर
बांसवाड़ा	घाटोल, गनोड़ा, बागीडोरा, कुशलगढ़, छोटीसरवन, छोटाडूंगला, तलवाड़ा, आनन्दपुरी, परतापुर, सरेडीबड़ी, पालोदा
बूंदी	कापरेन, लाखेरी, हिण्डौली, तालेड़ा, नैनवां
भरतपुर	रूपवास, बयाना, कामा, कुम्हेर, डीग, पूंछरी का लोटा, भुवासर, नदबई, नगर, सीकरी पटटी
भीलवाड़ा	बनेड़ा कोटड़ी, माण्डल, काछोला, बिजोलियाकलां, माण्डलगढ़, गुलाबपुरा, रायपुर, गंगापुर, सहाड़ा, हमीरगढ़, जहाजपुर, पण्डेर, आसीन्द
बीकानेर	देशनोक, नापासर, खाजूवाला, गजनेर, डूंगरगढ़, नोखा, पांचू, लूणकरणसर
चित्तौड़गढ़	कपासन, निम्बाहेड़ा, कानेरा, भोपालसागर, मण्डफिया, रावतभाटा, राशमी, डूंगला, छोटी सादड़ी, अरनोद, बड़ी सादडी, बेंगू, गंगरार
चूरू	सांखू, राजगढ़, राजलदेसर, सालासर, साण्डवा, बीदासर, रतननगर, दूधवाखारा, तारानगर
दौसा	बांदीकुई, महुवा, मण्डावर, सिकराय, सिकन्दरा, पापडदा, लालसोट

जिले का नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम
डूंगरपुर	बिछीवाडा, सीमलवाड़ा, गलियाकोट, दामडी, आसपुर, पुंजपुर, सरोदा
धौलपुर	बाड़ी राजाखेड़ा, बसेड़ी, सरमथुरा
गंगानगर	पदमपुर, करणपुर, रायसिंहनगर, सादुलशहर, सूरतगढ़, विजयनगर, अनुपगढ़, केसरीसिंहपुर, चुनावड़, घड़साना
हनुमानगढ़	सागरिया, पीलीबंगा, छानीबडी, भादरा, रावतसर, नोडर, फेफाना
जयपुर	बस्सी विराटनगर, अमरसर, शाहपुरा, मनोहरपुर, किशनगढ रेनवाल, सांभर, सांगानेर, दूदू, चाकसू, फागी, जमवारामगढ़, आंधी, आमेर, गोविन्दगढ़, चौमूं
जैसलमेर	पोकरण, साकड़ा, रामगढ़, मोहनगढ़
जालौर	भीनमाल, रानीवाड़ा, सायला, सांचौर, हांडेजा, जसवन्तपुरा, आहोर, सिवाणा
झालावाड़	खानुपर सरोलाकलां, झालरापाटन, भवानीमण्डी, असनावर, बकानी, रटलाई, मनोहरथाना, डग, चोमहला, अकलेरा, पिडावा, सुनेल
झुन्झुनूं	खेतड़ी, मण्डावा, बग्गड़, बुहाना, मण्डेला, चिड़ावा, सूरजगढ़, उदयपुरवाटी, नवलगढ़ चिराना, बिसाऊ, मलसीसर
जोधपुर	बाप, बालेसर, पीपाडसिटी, बिलाड़ा, बोरूदा, भोपालगढ़, आसोप, शेरगढ़, देचू, फलौदी, मथानिया, ओसिया, सालावास, धुंधाडा
करौली	हिण्डोन, भामासलपुर, गुढाचन्द्रजी, सपोटरा, टोड़ाभीम
कोटा	ईटावा, सांगोद, सुल्तानुपर, मोडक, रामगंजमण्डी, कैथून, भीमगंजमण्डी, दादाबाड़ी, रामपुरा
नागौर	कुचामनसिटी, नावां, मकराना, बोरावड़, कुचेरा, मुण्डवा, मेड़तासिटी, रियाबडी, परबतसर, मोलासर, छोटीखाटू, डेगाना, जायल, निम्बीजोधा, लाड़नू, गोटन
पाली	खारची, बाली, बेडा, रायपुर, रोहट, रानी, बगड़ी, सोजतरोड़, तख्तगढ़, समेरपुर देसूरी, सादड़ी, जैतारण निमाज

जिले का नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम
राजसमन्द	खमनौर देलवाड़ा, केलवाड़ा, भीम, रेलमगरा, देवगढ़, आमेट
सवाईमाधोपुर	गंगापुरसिटी, बौंली, बामनवास, खण्डार
सीकर	खण्डेला, पिपराली, अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, रींगस, खाटूश्यामजी दांता, लोसल, खाचरियावास, फतेहपुर, रामगढ़सेठान, गुहाला, पाठन, नीमकाथाना, लक्ष्मणगढ़, कुदन
सिरोही	पिण्डवाडा, शिवगंज, कालन्दरी, रेवदंर, आबूरोड़, माउण्टआबू
टोंक	मालपुरा, निवाई, उनियारा, दूनी, देवली, पीपलू, टोडारायसिंह
उदयपुर	धरियावाद, लसाडिया, रिखबदेवजी, खैरवाड़ा, झाडौल, कोटड़ा, मावली, सनवाद, कुरावद, वल्लभनगर, कानोड़, भीण्डर, झाड़ोल, सराड़ा, सेमारी, सलूम्बर, गोगुन्दा, बडगांव

परिशिष्ट-ब

जिलेवार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची जहां पर एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध है :-

जिले का नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम
अजमेर	भिनाय, पुष्कर, जवाजा, विजयनगर, सावर, सरवाड़, मसूदा,
अलवर	बहरोड़, बानसूर, खेडलीमण्डी, कोटकासिम, तिजारा, रामगढ़, राजगढ़, रेणी, शाहजहापुर
बांसवाड़ा	घटोल, गनोड़ा, कुशलगढ़, छोटीसरवन, छोटाडूंगला, तलवाड़ा, आन्नदपुरी, परतापुर
बारां	केलवाड़ा, छबड़ा, छिपाबड़ोद, अटरू, शाहबाद, किशनगंज
बाड़मेर	धोरीमन्ना, गुढामालानी, बरातू, सिवाना, रामदड़ी, सिंधरी, चौहटन, शिव
भरतपुर	रूपवास, बयाना, कामा, कुम्हेर, डीग, भुसावर, नदबई
भीलवाड़ा	बनेड़ा, माण्डल, बिजोलियाकलां, गुलाबपुरा, गंगापुर, हमीरगढ़, जहाजपुर, पण्डेर, आसीन्द
बीकानेर	गजनेर, खाजूवाला, डूंगरगढ़, नोखा, लूणकरणसर
बूंदी	लाखेरी, हिण्डौली, नैनवां, कापरेन, तालेड़ा

जिले का नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम
चित्तौड़गढ़	बेगू, कपासन, निम्बाहेड़ा, भोपालसागर, रावतभाटा, राशमी, गंगरार, छोटी सादड़ी
चूरू	राजगढ़, राजलदेसर, सरदारशहर, साण्डवा, बीदासर, रतननगर, तारानगर,
दौसा	बाड़ी, महुवा, सिकराय, पापडदा, लालसोट, सिकन्दरा
धौलपुर	बाड़ी, राजाखेड़ा, बसेड़ी
डूंगरपुर	श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, सादुलशहर, सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़
हनुमानगढ़	सांगरिया, पीलीबंगा, भादरा, रावतसर, नोहर
जयपुर	शाहपुरा, अमरसर, किशनगढ़ रेनवाल, सांगानेर, दूदू, फागी, आंधी, आमेर, चौमूं, गोविन्दगढ़ बस्सी, चाकसू
जैसलमेर	पोकरण, रामगढ़
झालावाड़	खानपुर, भवानीमण्डी, बकानी, रतलाई, मनोहरथाना, अकलेरा, पिण्डावा, सुनेल, डग, चौमहला, असनावर, सरोलाकला
जालौर	भीनमाल, सायला, जसवंतपुरा, आहौर, सांचोर
झुन्झुनूं	चिड़ावा, उदयपुरवाटी,
जोधपुर	बालेसर, पिपाडसिटी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, शेरगढ़, धुन्धाड़
करौली	हिण्डौन, गुढाचनद्रजी, सन्गोटरा, टोड़ाभीम
कोटा	सांगोद, कैथून, भीमगंजमण्डी, दादाबाडी
नागौर	कुचामनसिटी, कुचेरा, मेडतसिटी, परबतसर, छोटीखाटू, जायल, लाडनूं, मुण्डावा
पाली	खारची बाली, रायपुर, रोहट, रानी, तख्तगढ़, देसूरी, सादड़ी, निमाज, जैतारण, सोजतरोड़
राजसमन्द	खमनौर, देलवाड़ा, केलवाड़ा, भीम, रेलमगरा, देवगढ़, आमेट
सवाईमाधोपुर	बाली, बामनवास
सीकर	कुन्दर, खण्डेला, पिपराली अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, रींगस, खाटूश्यामजी, दांता, फतेहपुर, रामगढ़ सेठान, गुहाला, पाटन, नीमकाथाना, लक्ष्मणगढ़

जिले का नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम
सिरोही	पिण्डवाड़ा, शिवगंज आबूरोड, माउण्टआबू
टोंक	मालपुरा, निवाई, उनियारा, दूनी, देवली, पीपलू टोडारायसिंह
उदयपुर	धारियावाद लसाडिया श्रषभदेव, खेरवाड़ा झाडोल (फलासिया) कोटाड़ा, मावली, सनवाड़, कुरावद, वल्लभनगर, कानोड़, भीडर, झाडोल (सराड़ा), सराडा सलुम्बर

नोट :- दर्शाये गये दस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में रोगी वाहन उपलब्ध करवाने की स्वीकृति जारी की गई है रोगीवाहन उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

लसाड़िया के चिकित्सालयों में रिक्त पद

109. श्री गौतम लाल मीणा (लसाड़िया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एडपोस्ट है एवं कितने चिकित्सा अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के पद स्वीकृत व रिक्त है? केन्द्रवार व श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के अन्तर्गत 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। उक्त चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का पदवार एवं चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उलपब्ध है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, नर्स श्रेणी प्रथम, मलेरिया निरीक्षक एवं एच.बी.एस. के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद का राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

नर्स श्रेणी द्वितीय, प्रसाविका, लैब टैक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, एवं वाहन चालकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही विचाराधीन है।

परिशिष्ट-'अ'

विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं एड़पोस्ट (उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र) में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का पदवार एवं चिकित्सा संस्थानवार विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की सख्या
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरियावाद	कनिष्ठ विशेष (शल्य)	1	-
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन)	1	-
		चिकित्सा अधिकारी	1	-
		नर्स श्रेणी प्रथम	1	-
		नर्स श्रेणी द्वितीय	5	-
		बीएचएस (फिमेल)	1	1
		वरिष्ठ लिपिक	5	-
		कनिष्ठ लेखाकार	1	1
		कनिष्ठ लिपिक	2	-
		संगणक	1	1
		सहायक रेडियोग्राफर	2	-
		लैब टैक्नीशियन	3	-
		वाहन चालक	1	1
		मलेरिया निरीक्षक	1	1
		वार्डबाय	3	-
		सफाई कर्मचारी	1	-
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लसाड़िया	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-

1	2	3	4	5
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन)	1	1
		चिकित्सा अधिकारी	3	-
		नर्स श्रेणी प्रथम	1	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	5	4
		कनिष्ठ लिपिक	2	-
		सहायक रेडियोग्राफर	1	1
		लैब टैक्नीशियन	1	-
		वाह्न चालक	1	-
		वार्डबाय	2	-
		सफाई कर्मचारी	1	-
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पारसोला	चिकित्सा अधिकारी	2	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-
		प्रसाविका	1	-
		लैब टैक्नीशियन	1	
		वार्डबाय	2	-
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुण	चिकित्सा अधिकारी	1	-
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1
		एलएचवी	1	-
		प्रसाविका	1	-
		लैब टैक्नीशियन	1	-
		वार्डबाय	1	-
		सफाई कर्मचारी	1	-
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालीभीत	चिकित्सा अधिकारी	1	-
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-

1	2	3	4	5
		प्रसाविका	1	1
		लैब टैक्नीशियन	1	-
		वार्डबाय	1	-
		सफाई कर्मचारी	1	-
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुंगाणा	चिकित्सा अधिकारी	2	-
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-
		लैब टैक्नीशियन	1	-
		वार्डबा य	1	-
		सफाई कर्मचारी	1	-
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नया बोरिया	चिकित्सा अधिकारी	1	-
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-
		प्रसाविका	1	-
		लैब टैक्नीशियन	1	-
		वार्डबाय	1	-
		सफाई कर्मचारी	1	-
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवला	चिकित्सा अधिकारी	1	-
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-
		प्रसाविका	1	-
		लैब टैक्नीशियन	1	-
		वार्ड बाय	1	-
		सफाई कर्मचारी	1	-
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाड़ा	चिकित्सा अधिकारी	1	-

1	2	3	4	5
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-
		प्रसाविका	1	-
		लैब टैक्नीशियन	1	1
10	एडपोस्ट (उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र) पारेल)	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1
		प्रसाविका	2	1
11	एडपोस्ट (उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र माण्डवी)	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1
		प्रसाविका	2	-

आहोर के स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद

110. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र व उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक व नर्सिंग कर्मियों के कितने पद स्वीकृत हैं व इनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक का पद कब से रिक्त है?

(3) क्या सरकार महिला चिकित्सक व अन्य नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पद को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आहोर में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग) का पद स्वीकृत है जो दिनांक 16.6.2004 से रिक्त है।

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के पद को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना संभव हो सकेगा। नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र आहोर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण निम्न

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आहोर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	-
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन)	1	-
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1	-
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
	चिकित्सा अधिकारी	3	2
	चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. नेत्र)	1	1
	नर्स श्रेणी प्रथम	1	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	6	3
	प्रसाविका	2	-
उच्ची उप स्वास्थ्य केन्द्र पावटा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-
	प्रसाविका	1	-
उच्ची उप स्वास्थ्य केन्द्र रोडला	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-
	प्रसाविका	1	-
उच्ची उप स्वास्थ्य केन्द्र दयालपुरा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-
	प्रसाविका	1	-
उच्ची उप स्वास्थ्य केन्द्र रामां	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-
	प्रसाविका	1	-
उप स्वास्थ्य केन्द्र		1	-
रायथल	प्रसाविका	1	-
नोसरा	प्रसाविका	1	-

1	2	3	4
बाला	प्रसाविका	1	-
भाद्राजून की ढ़ाणी	प्रसाविका	1	-
नीम्बला	प्रसाविका	1	-
डोडियाली	प्रसाविका	1	-
पांचोटा	प्रसाविका	1	-
सूगालिया जोधा	प्रसाविका	1	-
वेडिया	प्रसाविका	1	-
चुन्डा	प्रसाविका	1	-
बिठुडा	प्रसाविका	1	-
बयाना	प्रसाविका	1	-
कोटड़ा	प्रसाविका	1	-
भैंसवाड़ा	प्रसाविका	1	-
भूति	प्रसाविका	1	-
जोगावा	प्रसाविका	1	-
थावला	प्रसाविका	1	-
काम्बा	प्रसाविका	1	-
सराणा	प्रसाविका	1	-
उम्मेदपुर	प्रसाविका	1	-
सेदरिया बालोतान	प्रसाविका	1	-
चवरछा	प्रसाविका	1	-
छीपरवाड़ा	प्रसाविका	1	-
बावड़ी	प्रसाविका	1	-
जोगणी	प्रसाविका	1	-

1	2	3	4
कवराड़ा	प्रसाविका	1	-
शखवाली	प्रसाविका	1	
चरली	प्रसाविका	1	—
आईपुरा	प्रसाविका	1	-
मोहिवाड़ा	प्रसाविका	1	-
हरियाली	प्रसाविका	1	-
आगवरी	प्रसाविका	1	
नोखा	प्रसाविका	1	-
बाकली	प्रसाविका	1	-
भोरड़ा	प्रसाविका	1	-
कंवला	प्रसाविका	1	-
धाणा	प्रसाविका	1	-
बरवा	प्रसाविका	1	-
खारा	प्रसाविका	1	-
नीलकंठ	प्रसाविका	1	-
वलदरा	प्रसाविका	1	-
मोरू	प्रसाविका	1	-
मादड़ी	प्रसाविका	1	-
जोडा	प्रसाविका	1	-
गुढाइन्द्रपुरा	प्रसाविका	1	-
सनवाड़ा	प्रसाविका	1	-

राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय चौमूं (जयपुर) में चिकित्साकर्मी

111. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय सामुदायिक चिकित्सालयों में किस-किस श्रेणी के कितने कितने चिकित्साकर्मी पदस्थापित किए जाते हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालयों चौमूं में जितने नर्सिंग कर्मी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत थे उतने ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस चिकित्सालय में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नर्सिंग स्टाफ लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 30 एवं 50 शैय्या आयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

पदनाम	**30 शैयाओं के लिए**	**50 शैयाओं के लिए**
कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 (मेडीसन, सजरी)	5 (मेडीसन, सर्जरी, स्त्री रोग, बालरोग नेत्र रोग)
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
चिकित्सा अधिकारी	2	6
नर्सश्रेणी प्रथम	1	2(1F+1M)
नर्सश्रेणी द्वितीय	6	14(4F+10M)
रेडियाग्राफर	1	1
लैब टैक्नीशियन	1	1
डेन्टल टैक्नीशियन	-	1

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदनाम	30 शैय्याओं के लिए	50 शैय्याओं के लिए
फार्मोसिस्ट	1	1
नेत्र सहायक	-	1
वरिष्ठ लिपिक	1	1
कनिष्ठ लिपिक	1	1
वाहन चालक (दर संविदा)	-	-
वार्डबाय	9	10
सफाई कर्मचारी	1	2

(2) निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौमूं में 30 शैय्याओं के अनुरुप नर्स श्रेणी द्वितीय के 2 पद कम स्वीकृत है जिनको आगामी वित्तीय वर्षों में नर्सिंग स्टाफ के पद स्वीकृत कराये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर स्वीकृत करवाया जाना संभव हो सकेगा।

बूंदी जिले की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अवाप्त भूमि का मुआवजा

112. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सर्वाजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण करवाई जा रही सड़कों में काम आ रही किसानों की भूमि की मुआवजा राशि अदा नहीं की जाती है? यदि हां, तो किसानों को हो रही व्यक्तिगत क्षति के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है?

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क निर्माण में काम आने वाली भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित किये जाने के नियम निर्धारित किये हुए हैं? यदि हां, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण के काम में आने वाली भूमि की मुआवजा राशि के निर्धारण की निर्धारित नियमान्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही?

(3) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क (योजनान्तर्गत भण्डेड़ा से गुजरिया खेड़ा (बूंदी) सम्पर्क सड़क में काम आई खसरा नं. 138, 264, 365, 367, 372 ग्राम गुजरिया खेड़ा (ग्राम पंचायत सादेड़ा) तहसील नैनवां की भूमि का मुआवजा कब तक अदा कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क में आ रही भूमि हेतु किसानों द्वारा आपसी सहमति प्राप्त करके ही सड़क निर्माण किया जाता है।

(2) जी हां। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत में सड़क निर्माण हेतु भूमि आपसी सहमति से ली जाती है।

(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भण्डेडा से गुजारिया खेड़ा (बूंदी) समपर्क सड़क में काम में आई खसरा नम्बर-138, 264, 365, 367, 372 ग्राम गुजारिया खेड़ा (ग्राम पंचायत सादेड़ा) तहसील नैनवां में से जिन खसरा नम्बरान के भूमि सड़क में काम आई है उनकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार उनसे पूर्व में ही आपसी सहमति प्राप्त कर ली गई थी। अतः मुआवजा देने का प्रश्न नहीं है।

बाल्यावास-किशनगढ़-रेनवाल (जयपुर) सड़क का डामरीकरण

113. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) किशनगढ़-रेनवाल (जिला-जयपुर) से सुरेरा (जिला-सीकर) एवं किशनगढ़ रेनवाल से बाल्यावास (वाया खारडे) की दूरी कितनी है और वर्तमान में कितने किलोमीटर सड़क का डामरीकरण किया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाल्यावास (जिला-सीकर) से किशनगढ़ रेनवाल तक (खारड़े में) चार किलोमीटर तक डामर की सड़क नहीं होने से बाल्यावास से आगे स्थित गांवों के निवासियों को किशनगढ़-रेनवाल से कुली होते हुये करड़ 18 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है?

(3) क्या सरकार बाल्यावास से किशनगढ़-रेनवाल तक डामरीकरण (खारड़े में) करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) किशनगढ़-रेनवाल (जिला-जयपुर) से सुरेरा (जिला-सीकर) एवं किशनगढ़ रेनवाल से बाल्यावास (वाया खरड़े में) की दूरी क्रमशः 28 किमी. एवं 7 किमी है। वर्तमान में 21 कि.मी. सड़क का डामरीकरण किया हुआ है।

(2) जी हां। बाल्यावास (जिला-सीकर) से किशनगढ़-रेनवाल तक (खरड़े में) की दूरी 7.00 किमी है, जिस पर डामर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, बाल्यावस से आगे स्थित गांवों के निवासियों को किशनगढ़ रेनवाल से कुली होते हुए करड़ जाने पर कुल करड़ तक 16.00 कि.मी. चलना पड़ता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं। बाल्यावास से किशनगढ़-रेनवाल तक डामरीकरण का कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

झाझीरामपुरा (बांदीकुई) ग्राम हेतु सम्पर्क सड़क

114. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कितने गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत सड़कों से जोड़ दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 500 से अधिक आबादी वाले कौन-कौन से गांव सड़कों से जोड़े जाने शेष हैं?

(3) क्या ग्राम झाझीरामपुरा सड़क से जुडा हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत 48 गांव डामर सड़क से जोड़े जा चुके है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) 500 से अधिक आबादी वाले सड़क से जोड़े जाने से शेष रहे गांवों की सूची परिशिष्ट–ब पर संलग्न है।

(3) जी हां।

परिशिष्ट 'अ'

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत डामर सड़क से जुड़े गांवों की सूची

ब्लाक : बांदीकुई

क्र.सं.	गांव का नाम	आबादी	क्र.सं.	गांव का नाम	आबादी
1	धांधोलाई	2232	7	नांगल	1513
2	नारायणपुरा	1977	8	द्वारापुरा	1500
3	कीरतपुरा	1953	9	सोमाड़ा	1479
4	सोडाला	1879	10	केसरीसिंहपुरा	1468
5	मुकरपुरा	1788	11	महुखुर्द	1440
6	भाण्डेडा	1639	12	सुधारनपाड़ा	1390

क्र.सं.	गांव का नाम	आबादी	क्र.सं.	गांव का नाम	आबादी
13	श्यामसिंहपुरा	1275	31	झूथाहेड़ा खुर्द	1019
14	पातरखेड़ा	1246	32	गुढा आशिकपुरा	991
15	सुमेलकलां	1243	33	दुब्बी	975
16	मीनापाडा	1223	34	मीतरवाड़ी	965
17	भावंती	1198	35	चौरवाड़ा	965
18	बडियाल खुर्द	1184	36	बगड़ेड़ा	950
19	जस्सापाड़ा	1179	37	मूडंघीस्या	943
20	महुखेडा	1144	38	भैदाड़ी गुजरान	937
21	नांगल झामरवाड़ा	1117	39	आनन्दपुरा	913
22	काटरवाड़ा	1115	40	नया गांव	906
23	झूथाहेड़ा कलां	1112	41	हरिपुरा	900
24	खूटलां	1104	42	गिरधरपुरा	856
25	किशनपुरा	1096	43	गादरवाड़ा ब्राह्मण	761
26	भोजवाड़ा	1079	44	दिलावरपुरा	749
27	ढ़िगारिया टपपा	1071	45	दुरकी	721
28	बैसला का बास	1071	46	बासड़ा	595
29	चौबड़ीवाला	1055	47	खैरया की ढ़ाणी	405
30	रानी का बास	1020	48	कांकरवास	373

परिशिष्ट-ब

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत डामर सड़क से जोड़े जाने हेतु शेष रहे गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	आबादी	क्र.सं.	गांव का नाम	आबादी
1	आशपुरा	2052	16	मालीबास	649
2	बड़ा बास	1071	17	अलियापाडा	631
3	श्यामपुरा	960	18	ऊरवाडी	630
4	खूंटजाटोली	894	19	मानौता	629
5	गढमैड्या की ढ़ाणी	894	20	हांडली	627
6	थला की ढाणी	832	21	जयसिंहपुरा	623
7	लीलोज का गोला	826	22	शेखपुरा	601
8	महुकलां	785	23	विजयपुरा	597
9	रामपुरा	773	24	धपावन कलां	582
10	नूरपूर बासड़ा	753	25	पापडाकी	579
11	भैदाड़ी मीणा	717	26	रामपुरा	562
12	पाडला	644	27	खारी की झोपड़ी	545
13	गाडंडी	743	28	टिगरिया	540
14	साहूपाड़ा	664	29	खैरपुर	528
15	तुग्गड का बास	651	30	गढ़ दुब्बी	511

चाकल नदी (बूंदी) पर पुलिया/काजवे का निर्माण

115. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कमलेश्वर महादेव प्राचीन धार्मिक स्थल तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी में स्थित है तथा वहां पर सवाईमाधोपुर की तरफ के जाने वाले लाखों दर्शनार्थियों को चाकल नदी के कारण करीब 70 किमी. का चक्कर लगाकर वाया इन्द्रगढ़ होकर जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार मुख्य

(श्री हीरालाल)

मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चाकल नदी पर पुलिया या काजवे बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। कमलेश्वर महादेव प्राचीन धार्मिक स्थल तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी में स्थित है तथा यह डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। इस धार्मिक स्थल पर बरसात के मौसम में सवाई माधोपुर की तरफ से जाने वाले दर्शनार्थियों को चाकल नदी पर पुलिया या काजवे नहीं होने के कारण वाया इन्द्रगढ़ होते हुये 20 किमी. की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।

जी नहीं। मुख्यमंत्री सड़क योजना में नदियों पर पुल या काजवे बनाने का प्रावधान नहीं रखा गया है। चाकल नदी पर पुलिया या काजवे का निर्माण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

रूपवास एवं बयाना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें

116. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास तथा विधान सभा क्षेत्र बयाना में वर्ष 2004-05 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कौन-कौनसी नयी सड़कें बनवाई गई तथा कौन-कौनसी सड़कों की मरम्मत करवाई गई? गांव का नाम, किलोमीटर, सड़क का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रूपवास तथा बयाना में इस वर्ष नई सड़कें बनाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितनी कौन-कौनसी व कितनी-कितनी राशि की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास एवं बयाना में वर्ष 2004-05 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 6 सड़कें बनाई गई जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र रूपवास एवं बयाना में मरम्मत करवाई गई सड़कों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रूपवास एवं बयाना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 15 सड़कें प्रस्तावित है। डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. में 4 सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसकी सूची परिशिष्ट'स पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''अ''

विधान सभा क्षेत्र रूपवास/बयाना में वर्ष 2004-05 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निम्नलिखित सड़कें बनवाई गई

क्र.सं.	सड़क का नाम	गांव का नाम	किमी.	विधानसभा
1	नगला बीजा	नगला बीजा	0.55	रूपवास
2	सिंघाड़ा तरसूमा से चहल	चहल	1.70	बयाना
3	महरावर से चीकरू	चीकरू	6.50	बयाना
4	माचलपुर सड़क से बनौरा	बनौरा	0.95	बयाना
5	बसेड़ी/जगनेर सड़क किमी. 3 से सांगौली	सांगौली	1.30	बयाना
6	माचलपुर सड़क किमी. 6 से बांसराई	बांसराई	1.10	बयाना

परिशिष्ट ''ब''

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मरम्मत की गई सड़कों की सूची

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	सड़क का नाम	श्रेणी	मरम्मत किये गये किमी.	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6
1	रूपवास	भरतपुर बयाना हिण्डौन सड़क	एस.एच.-24	14.00	फतेहपुर खरेरा, उच्चैन, नेकपुर, रहीमपुर, सेरीखुर्द, पनाह, कैमासी
2	रूपवास	भरतपुर रूपवास, सैपउ धौलपुर रोड़	एस.एच.-23	21.00	गहनौली, दौलतगढ़, नगला जरीला, दोरदा, रूपवास, खानवां
3	रूपवास	भरतपुर, बाड़ी, वाया उच्चैन, बारेठा	एस.एच.-43	23.00	मुडेरा, हाटोली, कुन्देर, मिलकपुर, सेवला बारेठा, खातीपुरा

1	2	3	4	5	6
4	रूपवास	बयाना रूदावल रोड़	एस.एच.-45	4.80	भवनपुरा, जरीता, रूदावल
5	रूपवास	रूदावल रूपवास से यू.पी. बार्डर	एस.एच.-45	10.00	निमेरा, मडोली, दाहिना गांव, महलपुर, काछी, कांदोली, घाटा, बोकोली
6	रूपवास	उच्चैन रूपवास सड़क	ओ.डी.आर.-25	14.00	पिचूना, मदरियापुरा, सैंदपुरा
7	रूपवास	ए/आर. टू बारहमाफी वाया मदरियापुरा	वी.आर.	3.00	बारह मासी, गहलड, भैरावली
8	रूपवास	सुखावला से पिचूना सड़क	वी.आर.	3.00	भौंट
9	रूपवास	सम्पर्क सड़क जयचोली	वी.आर.	2.00	जयचोली
10	रूपवास	रुन्दावल से नंगला तुला	वी.आर.	2.00	नंगला तुला, डुमरियां
11	रूपवास	ए/आर. टू खेडली	वी.आर.	3.00	धाना खेडली
12	रूपवास	पहाड़पुर बसई रोड़	वी.आर.	2.00	बसई खोरी
13	रूपवास	धाना खेड़ली मोड टू पहाड़पुर	वी.आर.	2.00	वांसी
14	रूपवास	रूपवास नया गांव सड़क	वी.आर.	8.00	चैंकोरा, शक्करपुर, देवरी नयागांव
15	रूपवास	रूपवास जगनेर रोड़	वी.आर.	3.00	जटमासी
16	रूपवास	घाटोली मैरथा रोड़	वी.आर. एस.एच.-24	3.00	मैरथा इब्राहिमपुर

1	2	3	4	5	6
17	बयाना	भरतपुर बयाना हिण्डौन सड़क	एस.एच.24	9.00	वीरमपुरा लहचौरा कलां बिडयारी
18	बयाना	बयाना रूदावल सड़क	एस.एच.-25	5.00	नंगला खटका, ककलपुरा, सूपा
19	बयाना	बयाना बारेठा सड़क	ओ.डी.आर.	1.00	ब्रहम्बाद
20	बयाना	बयाना बसेड़ी	एस.एच.-43	9.00	सामरी, कोट
21	बयाना	नहलोनी सड़क	वी.आर.	6.00	इमालिया दमदमा काचेरा
22	बयाना	बयाना तालचिड़ी रोड़	वी.आर.	9.00	खरैरी, बागरेन, कालसाड़ा
23	बयाना	खोरा पिदावली रोड़	वी.आर.	6.00	पिदावली, खोरा
24	बयाना	कनावर खटनावली सड़क	वी.आर.	6.00	खटनावली
25	बयाना	सिंघाड़ा शाहपुर सड़क	वी.आर.	1.10	थानाडांग
26	बयाना	बयाना बारेठा सड़क	एस.एच.	2.00	-
27	बयाना	बयाना वैर सड़क	एस.एच.	4.00	कनावर
28	बयाना/ बसेड़ी	बाड़ी बसेड़ी सड़क	एस.एच.	4.00	-
29	बयाना	बसेड़ी बयाना सड़क	एस.एच.	10.00	-
30	बयाना	बसेड़ी जगनेर सड़क	वी.आर.	10.00	सिरौली, जरगा
31	बयाना	बसेड़ी साई सड़क	वी.आर.	2.00	सिटी बसेड़ी
32	बयाना	बसेड़ी बगधन सड़क	वी.आर.	4.00	बगधर
33	बयाना	सम्पर्क सड़क तुलसीपुरा	वी.आर.	2.00	तुलसीपुरा पिपरोन
34	बयाना	सम्पर्क सड़क मगला दरवेश	वी.आर.	1.00	मगला दरवेश
35	बयाना	सम्पर्क सड़क देवपुरा	वी.आर.	2.00	देवपुरा
36.	बयाना	सम्पर्क सड़क बोरैली	वी.आर.	2.00	बौरेली कुनकटा

वर्ष 2004-05 में आर.एम.यू.पी.-प्रथम में रिन्यूअल की गई सड़कों की सूची

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	सड़क का नाम	श्रेणी	मरम्मत किये गये किमी.	मरम्मत किये गये गांवों का नाम
1	2	3	4	5	6
1	रूपवास	बारेढा पहाड़पुर सड़क किमी. 0/0 से 5/0	वी.आर	6.00	पहाड़पुर
2	रूपवास	मैरथा मिलस्वां	वी.आर.	1.50	मिलस्वां
3	रूपवास	उच्चैन रूपवास रोड़	ओ.डी.आर.	1.10	-
4	रूपवास	पहुंच मार्ग बंसी बगरी	वी.आर	0.77	बंसी, बगरी
5	रूपवास	पहुंच मार्ग कुरका	वी.आर	2.10	कुरका
6	रूपवास	उच्चैन पीगोरा रोड़ से सहना	वी.आर	2.35	सहना
7	बयाना	सिटी बयाना सड़क	वी.आर	1.00	बयाना शमशान
8	बयाना	बयाना तालचिड़ी सड़क	वी.आर	9.00	नयागांव कलसाड़ा
9	बयाना	कनावर खटनावली	वी.आर	4.30	कनावर, खटनवली
10	बयाना	मैन चौराहा रेलवे स्टेशन से बसेड़ी	वी.आर	1.00	तिमारिया, बसेड़ी

परिशिष्ट-स

विधान सभा क्षेत्र रूपवास/बयाना में इस वर्ष प्रस्तावित नई सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि	विधान सभा क्षेत्र
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना			
1	बयाना महलौनी रोड़ से इमलिया	28.34	बयाना

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि	विधानसभा क्ष्ोत्र
2	बयाना हिन्डौन रोड़ से पुराहरलाल	95.84	बयाना
3	बयाना बारैठा रोड़ से बंगसपुरा	35.64	बयाना
4	सम्पर्क सड़क ठिकरिया	24.96	बयाना
5	सम्पर्क सड़क कानी	24.70	बयाना
6	बयाना रूदावल रोड़ से सिंगानखेड़ा	13.40	बयाना
7	मावली से तालिमपुर	44.24	बयाना
8	सम्पर्क सड़क कोठीखेड़ा	63.00	बयाना
9	सिकन्द्रा से नहरौली	70.66	बयाना
10	चान्दौली	37.95	रूपवास
11	नगला कल्याण	23.51	रूपवास
12	रूदावल रूपवास से औडेलजाट	45.17	रूपवास
13	जरगा रतनपुर सड़क से भगौरा	16.70	बयाना
14	बसेड़ी जगनेर सड़क से कुईया	36.14	बयाना
15	दोपुरा से झील	12.88	बयाना
डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. सड़्ाक निर्माण योजना			
16	बौरेली से यू.पी. बार्डर तक	51.36	बयाना
17	सम्पर्क सड़क बरई माचलपुर	12.05	बयाना
18	सम्पर्क सड़क नहचौली	12.05	बयाना
19	पिछूना से नंगला पीटू	26.27	रूपवास

आमेर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित दोषपूर्ण सड़कें

117. श्री लालचंद कटारिया (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के मानदण्ड क्या है? पिछले दो वर्ष में विधान सभा क्षेत्र आमेर में इस योजनान्तर्गत बनाई गई सड़कों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों के घटिया निर्माण पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो जयपुर जिले में पिछले दो वर्ष में किन किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण ग्रामीण विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ''स्पेशिफिकेशन फार रूरल रोड्स मैन्यूअल अगस्त, 2004'' के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है। पिछले दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र में आमरे में इस योजनान्तर्गत बनाई गई सड़कों का विवरण प्रपत्र 'अ' में संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में पिछले दो वर्षों में कहीं भी घटिया निर्माण नहीं हुआ है अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रपत्र ''अ''

क्र.सं.	सड़क का नाम
1	छोटा प्रताप कालाडेरा सड़क से खापरिया
2	आकेड़ा डूंगर से सिसियावास
3	बिचपड़ी से बुगालिया
4	जोन डी बाइपास से कालीघाटी
5	चतरपुरा से आछोजाई
6	राधाकिशनुपरा से सिरसी
7	सेवापुरा सड़क से जगन्नाथपुरा

क्र.सं.	सड़क का नाम
8	एन.एच.-11 से मोटू का बास
9	ताला धोला सड़क से स्यारी
10	जालसू से सुदर्शनपुरा
11	एस.एच.-2 ए से चम्पापुरा
12	गजाधरपुरा से सांचोती
13	सम्पर्क सड़क से चक रामसर

सादुलपुर के ढाणी एवं मंजरों का विद्युतीकरण

118. श्री नन्दलाल पूनियां (सादुलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है एवं कितने अविद्युतीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष गांव, ढ़ाणी एवं मंजरों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चूरू के अन्तर्गत कुल 151 गांव है। जिनमें से 148 गांव विद्युतिकृत है। शेष तीन गांव अविद्युतिकृत है। जिनमें आवेदन जमा होने के पश्चात निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करके विद्युत संबंध जारी किये जायेंगे। उक्त गांवों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चूरू में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 27 ढाणियों को माह मार्च, 2007 तक विद्युतिकृत करना प्रस्तावति है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

विद्युत बिलों में उपभोक्तओं की धरोहर राशि के ब्याज का समायोजन

119. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि विद्युत वितरण कम्पनियों में उपभोक्ताओं की जमा धरोहर राशि पर ब्याज देने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से 2006 तक कितनी धरोहर राशि जमा हुई है व इस पर वर्षवार व कम्पनीवाइज उपभोक्ताओं को देय ब्याज की कितनी राशि बनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उक्त ब्याज राशि का भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो कब व कितना व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उपभोक्तओं की उक्त ब्याज राशि का समायोजन उपभोक्ता बिलों में करने को विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत वितरण कम्पनियों में उपभोक्ताओं की जमा धरोहर राशि पर ब्याज देने का प्रावधान है। संबंधित नियमों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2004 से 2006 तक जमा धरोहर राशि एवं उस पर देय ब्याज का वर्षवार एवं निगमवार विवरण निम्नानुसार है :-

निगम	वर्ष 2004 से 2006 तक जमा राशि (रु. में)	देय ब्याज उपभोक्ता को की राशि (रु. में)
जयपुर	214.74 करोड़ (वर्ष 2004-05)	8.97 करोड़
अजमेर	73.15 करोड़	2.55 करोड़
जोधपुर	41.25 करोड़	6.43 करोड़

(3) जयपुर डिस्कॉम द्वारा उक्त ब्याज राशि का भुगतान किया जा रहा है तथा बिलिंग माह फरवरी 06 तक 397.81 लाख रु. का भुगतान किया जा चुका है तथा बाकी ब्याज राशि का भुगतान आगामी माहों में किया जायेगा।

अजमेर निगम द्वारा वृहद औद्योगिक उपभोक्ताओं को उक्त राशि रु.

(ऊर्जा मंत्री)

2.55 करोड़ का भुगतान सितम्बर व अक्टूबर 2005 में कर दिया गया है। एल टी उपभोक्ताओं को ब्याज राशि भुगतान की कार्यवाही आदेश रेवेन्यू-अज- 56 के तहत जारी किया गया है (उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है)

जोधपुर निगम में माह जनवरी 2005 तक प्रतिभूति पर देय ब्याज के पेटे 157.95 लाख रु. का विद्युत बिलों में समायोजन किया जा चुका है तथा शेष उपभोक्ताओं के ब्याज का समायोजन माह मार्च, 2006 तक उनके विद्युत बिलों में किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। जयपुर डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं को देय ब्याज राशि का भुगतान विद्युत बिलों में समायोजन द्वारा ही किया जाता है।

जोधपुर निगम में शेष रहे उपभोक्ताओं को उक्त ब्याज की राशि का समायोजन माह मार्च 2006 तक करने की कार्यवाही की जा रही है।

अजमेर निगम के वृहद औद्योगिक उपभोक्ताओं को देय ब्याज राशि का समायोजन भी उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में माह मार्च/अप्रैल 2006 में किया जाना प्रस्तावित है।

(आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट ''अ''

Photo copy of Clause-18 "Payment of interest on security" of "Terms and Conditions for Supply of Electricity -2004 (TCS-04)

18. Payment of interest on security

The Nigam shall pay to a consumer, Interest on the security deposit at the rate equivalent to bank rate of Reserve Bank of India as on April 1 or the relevant financial year. The interest so calculated shall be adjusted in the electricity charges payable by the consumer from July 1 to September 30 of the following year.

535

परिशिष्ट -

विधान सभा प्रश्न संख्या - 535
द्वारा - श्री प्रेम किशोर शर्मा

AJ-REV. - 56

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD;
HATHI BHATA, CITY POWER HOUSE, AJMER-305001

No. AVVNL / FA & COA / Revenue/F. /D. 2806 Dt. 3-2-2006

The Superintending Engineer (O&M),
Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd;
AJMER / BHILWARA / NAGAUR /
JHUNJHUNU / SIKAR / UDAIPUR /
CHITTORGARH / BANSWARA / RAJSAMAND.

Sub:- Payment of interest of security deposited by other than large industrial consumers.

The coordination committee in its meeting held on 24.1.06 have decided to allow interest on the amount of security deposited by the other than large industrial consumers for the period from 13.08.04 to 31.03.05 @ 6% per annum on the basis of figures available with the computer agencies, with immediate effect. Since figures available with the computer agencies may not be very exact in stray cases, category wise ceiling on the amount of security deposited for the purpose (ceiling amount or amount available with the computer agencies whichever is less) of allowing interest by the computer agencies were also prescribed as under:-

S.No.	Category of consumers	Maximum amount of security on which interest may be allowed.
1.	Domestic	Rs. 1000.00
2.	Non-domestic	Rs. 2000.00
3.	Agriculture	Rs. 1700.00
4.	SIP	Rs. 5000.00
5.	PSI, MIP & ML	As per figures available with computer agencies but individual case to be examined and verified cent percent at unit office level.

Interest so allowed will be treated, as realisation through adjustment under transaction code 54 and will be shown in energy bills and MIS S.2 accordingly. The computer agencies will provide details of security available and interest allowed consumer wise to each unit officer weekly and will further provide totals of such figures unit wise to each Circle Accounts Officer and Corporate Office, monthly.

It is therefore advised to affix a rubber seal in Hindi on each energy bill to be issued to consumers intimating them about the amount of security available. Interest allowed and to approach unit officer in case of variation in the amount of security, if any with original cash receipts and photo copies thereof. Specimen of seal to be affixed by the unit officer is given hereunder:-

इस बिल में आपकी सुरक्षा राशि .... रुपये पर दिनांक 13.08.04 से 31.03.05 तक 6% वार्षिक की दर से देय ब्याज .... रुपये का समायोजन कर लिया गया है। किसी प्रकार का अन्तर पाये जाने की अवस्था में सुरक्षा राशि जमा की मूल रसीदों तथा उनकी फोटोप्रतियों सहित सहायक अभियन्ता कार्यालय से सम्पर्क करें।

2008 12:47 FAX 2131

-2-

Simple interest on security deposited by the consumers under PSL, MIP & Mixed Load categories will be allowed by the computer agencies without any ceiling, figures of interest allowed will be checked and verified in each case by the unit officer prior to issue of energy bills.

Certain consumers may have deposited the higher amount than the ceiling prescribed aforesaid or where interest could not be allowed by the computer agencies due to non-availability of security details with them. The unit officers will allow interest in such cases after due verification from cash receipts provided by the consumers & available records and simultaneously completing the records thereof in a register to be maintained allotting pages therein Under wise for further verification by audit wing / inspecting officer. Interest so allowed to consumers will further be sent through input advice CB-12 to computer agencies under transaction code 54 for incorporating the amount of realisation through adjustment in consumer account accordingly.

By order,

K.S. Kavitya
F.A. & CONTROLLER OF ACCOUNTS
AVVNL, AJMER

Copy to the following for information

राज्य में बिजली उत्पादन की लम्बित परियोजनाएं

120. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में निजी क्षेत्र एवं राज्य की साझेदारी में कितनी एवं कहां-कहां बिजली का उत्पादन हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में लिग्नाइट, गैस, हवा एवं सूर्य की रोशनी से बिजली उत्पादन की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राज्य में निजी क्षेत्र में जैसलमेर जिले में 291.02 मेगावाट, जोधपुर जिले में 2.10 मेगावाट, चित्तौड़गढ़ जिले में 2.25 मेगावाट एवं सीकर जिले में 12 मेगावाट पवन ऊर्जा आधारित एवं श्री गंगानगर जिले में 7 मेगावाट बायोमास आधारित परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा कुल 314.37 मेगावाट विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है।

साझेदारी परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में 972.95 मेगावाट विद्युत का उत्पादन निम्न विद्युतगृहों से हो रहा है :-

			राज्य का हिस्सा	
क्र.सं.	**विद्युत गृह का नाम**	**उत्पादन क्षमता**	**मेगावाट में**	**प्रतिशत में**
1.	सतपुड़ा	312.5	125	40
2.	चम्बल परियोजना			
	(अ) गांधीसागर	115	57.50	50
	(ब) राणाप्रतापसागर	172	86.00	50
	(स) जवाहरसागर	99	49.50	50
3.	भाखड़ा व्यास परियोजना			
	(अ) भाखड़ा	1480.3	225.30	15.22
	(ब) डेहर	990	198.00	20
	(स) पोंग	396	231.66	58.5
	कुल योग	**3564.60**	**972.95**	

(2) राज्य में लिग्नाइट आधारित निम्न परियोजनाओं से बिजली उत्पादन की योजनाएं विचाराधीन है:-

(ऊर्जा मंत्री)

(i) बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना

मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन बरसिंगसर में (2x125 मेगावाट) लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना लगा रही है। इस हेतु मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन एवं कोयला मंत्रालय के साथ एम.ओ.यू. पर दिनांक 10.6.2002 को हस्ताक्षर हुए। प्रथम चरण में मैसर्स एन.एल.सी. बरसिंगसर में बरसिंगसर एवं पलाना ब्लाक्स के लिग्नाइट भण्डार का उपयोग कर 2x125 मेगावाट की यूनिट लगायेगी। इस परियोजना द्वारा उत्पादित होने वाली पूर्ण ऊर्जा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को आवंटित की जा चुकी है। विद्युत क्रय अनुबन्ध पर मैसर्स एन.एल.सी. प्रसारण निगम एवं तीनों विद्युत कम्पनियों के मध्य दिनांक 8.10.2003 को हस्ताक्षर हुए है। मैसर्स एन.एल.सी. द्वारा इस परियोजना हेतु आवश्यक प्रारम्भिक निर्माण कार्य शुरू किए जा चुके है तथा वर्ष 2008 तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

(ii) मरूधर पावर प्रोजेक्ट

मैसर्स मरूधर पावर प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर जिले में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना लगा रही है। इसके लिए मैसर्स मरूधर पावर प्राइवेट लिमिटेड, प्रसारण निगम एवं तीनों विद्युत कम्पनियों के मध्य दिनांक 13.3.2002 को टी.एस.ए. अनुबन्ध पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत कम्पनी 60-70 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट लगायेगी जिसकी क्षमता 150 मेगावाट तक बढ़ायी जा सकती है।

(iii) जालीपा एवं कपूरड़ी

मैसर्स वेस्ट पावर को इन दोनों स्थानों पर विद्युत गृह स्थापना के लिए राज्य सरकार ने दिनांक 28.1.2006 के पत्र द्वारा 500-500 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु पुनः स्वीकृति दी है। इसके तहत मैसर्स वेस्ट पावर को 9 माह की अवधि में कन्सोरटियम का गठन करना होगा एवं राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के साथ पी.पी.ए. हस्ताक्षरित करना होगा। पी.पी.ए. हस्ताक्षरित होने की तिथि से 36 माह की अवधि में परियोजना के प्रथम चरण से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होगा।

(v) गिरल धोलपुर छबड़ा विद्युत परियोजना

गिरल में प्रथम चरण के अन्तर्गत 125 मेगावाट की एक लिग्नाइट आधारित इकाई व 330 मेगावाट की गैस आधारित धोलपुर परियोजना पर

(ऊर्जा मंत्री)

कार्य प्रगति पर है जिनसे क्रमशः सितम्बर 2006 व अगस्त 2007 में उत्पादन प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त गिरल व द्वितीय चरण में लिग्नाइट आधारित 125 मेगावाट की एक अतिरिक्त इकाई को आलोच्य वर्ष में स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सितम्बर, 2008 तक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त छबड़ा तहसील के चौकी मोतीपुरा गांव में कोयले पर आधारित 2x250 मेगावाट की परियोजना को अलोच्य वर्ष में स्वीकृति प्रदान की गई है। इनसे क्रमशः सितम्बर 2008 व दिसम्बर, 2008 तक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है।

(vi) मथानिया परियोजना

राज्य के मथानिया ग्राम (जिला जोधपुर) में 140 मेगावाट क्षमता का सौर मिश्रित चक्रीय पावर प्लान्ट विचाराधीन है। सौर ऊर्जा के अतिरिक्त इस परियोजना में ईंधन एल.एन.जी. गेस का उपयोग किया जायेगा।

गत अगस्त, 2005 में डिपार्टमेंट आफ इकोनोमिक अफेयर्स, नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार परियोजना की Revised Techno Economic Feasibility Report बनवायी जानी है, जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

(vii) गैर पारम्परिक ऊर्जा

राज्य सरकार के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999, 2000, 2003 एवं 2004 में नीतियां घोषित की है। इन नीतियों के तहत अब तक कुल 322.37 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्रों लिए अनुबन्ध हो चुके है तथा 307.37 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके है व 7 मेगावाट क्षमता के बॉयोमास संयंत्र से विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है।

सिकराय (दौसा) में 220 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन की स्थापना

121. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को सिकराय में 220 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि बांदीकुई, मण्डावर, सिकन्दरा व पाड़ला के 132 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशनों को विद्युत आपूर्ति हेतु यह स्थान उपयुक्त

(ऊर्जा मंत्री)

रहेगा? यदि हां, तो क्या सरकार सिकराय में 220 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान विद्युत मांग के अनुसार सिकराय में 220 के.वी. के नये ग्रिड सब स्टेशन की आवश्यकता नहीं है।

सावर (सरदारशहर) ग्राम में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

122. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरदारशहर तहसील के गांव सावर में 33 के.वी. का ग्रिड सब-स्टेशन कब स्वीकृत हुआ? वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है?

(2) उक्त ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण के लिये टेण्डर कब हुये, टेण्डर प्रक्रिया में किस-किस ने भाग लिया, दरें क्या-क्या थी तथा किसके नाम से टेण्डर जारी हुए?

(3) उक्त ग्रिड सब-स्टेशन का कितना निर्माण कार्य हो गया है? इस पर किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? संबंधित ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त निर्माण कार्य पूरा हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

(5) क्या उक्त निर्माण कार्य में विलम्ब हो लिये ठेकेदार दोषी है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(6) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य में विलम्ब से स्थानीय काश्तकारों को कोई नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या इसके लिये काश्तकारों को कोई मुआवजा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरदार शहर तहसील के गांव सांवर में 33 के.वी. सब-स्टेशन

(ऊर्जा मंत्री)

दिनांक 29.6.1999 को स्वीकृत हुआ। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् माह जनवरी, 2003 से दिनांक 23.8.2003 को 33 के.वी. लाइन के तार बार-बार चोरी होने के कारण विद्युत प्रवाह बाधित हो गया एवं शेष लाइन के तार व संबंधित आवश्यक सामान भण्डार में जमा करवा दिया गया।

(2) उक्त सब-स्टेशन के निर्माण के लिए दिनांक 21.10.2000 को निविदायें आमंत्रित की गई टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने वालों, प्रस्तावित दरों तथा किसके नाम आदेश जारी हुये, विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उलपब्ध है।

(3) उक्त सब-स्टेशन का निर्माण कार्य दिनांक 31.12.2002 को पूर्ण कर दिनांक 24.1.2003 को हैण्ड ओवर किया गया। इस पर व्यय होने वाली वर्षवार राशि एवं ठेकेदार को किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। उक्त स्वीकृत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य दिनांक 31.12.2002 को पूर्ण कर दिनांक 24.1.2003 को हैण्डओवर किया गया तथा माह जनवरी, 2003 में चालू कर नियमित विद्युत प्रदाय की गई। तत्पश्चात् दिनांक 24.8.2003 से 33 के.वी. लाइन के तार बार-बार चोरी होने के कारण शेष लाइन के तार एवं संबंधित आवश्यक सामान सुरक्षित भण्डार में जमा करवा दिया गया।

(5) उक्त सब-स्टेशन का निर्माण आदेश में निर्धारित शर्तों/अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया गया। प्रारम्भिक स्वीकृत निविदाकार द्वारा निर्धारित तय शर्तों पर समय पर कार्य पूर्ण न करने पर विभागीय कार्यवाही कर दिनांक 27.3.2002 को उसे ब्लेक लिस्टिड किया गया।

(6) जी नहीं। उक्त निर्माण में विलम्ब से स्थानीय काश्तकारों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उक्त क्षेत्र से संबंधित उपभोक्तओं को अन्य स्रोतों से वांछित विद्युत प्रदाय की जा रही है।

परिशिष्ट-अ

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधुपर

जोधपुर विद्युत वितरण निगम क्षेत्रान्तर्गत सरदारशहर तहसील के गांव सांवर में 33 केवी सब स्टेशन निर्माण के लिए जारी हुए टेण्डर, प्रक्रिया व किस-किस ने भाग लिया तथा दरें क्या थीं एवं कार्य आदेश किसके नाम जारी हुए का विवरण

क्र. सं.	निविदा आमंत्रित दिनांक	कार्य का नाम	निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले संविदा कार	आमंत्रित दरें	स्वीकृत संविदाकार का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	21.10.2000	33 केवी लाइन का निर्माण कार्य	1.मैसर्स करणी माता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी रातानाड़ा, जोधपुर। 2.मै. श्रीराम एण्ड कम्पनी रींगस, 3.मै. सोमेका कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	6% अधिक B.S.R. 15% अधिक B.S.R. 6% अधिक B.S.R.	मैसर्स करणी माता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी रातानाड़ा, जोधपुर। मै. सोमेका कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	दोनों की दरें समान होने के कारण नियमानुसार विभागीय औपचारिकता पूर्ण कर आपसी सहमति से कार्य आदेश दिनांक 30.5.2001 दिया गया।
2	-	33 केवी लाइन का निर्माण कार्य	-	6% कम B.S.R.	मैं. अमित टेडर्स, बीकानेर	मै. सोमेका कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर द्वारा निर्धारित अवधि में नियमानुसार कार्य नहीं करने पर विभागीय औपचारिकता पूर्ण कर मैं. अमित टेडर्स, बीकानेर को दिनांक 30.5.02 को कार्य आदेश जारी किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
3	21.10.2000	33 केवी सब स्टेशन का निर्माण कार्य	1. मैं.मंगलराम एण्ड सन्स, चूरू 2. मैं. श्रीराम एण्ड कम्पनी, रींगस 3. मैं. अमर सप्लाई कान्स्ट्रेक्टर, बीकानेर 4. मैं. करणी माता कनस्ट्रक्शन, कम्पनी रातानाड़ा 5. मैं. मांगीलाल विनोद कुमार, चूरू 6. मैं. सोमेका कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बीकानेर	18.5% अधिक B.S.R. 13.5% अधिक B.S.R. 18.0% अधिक B.S.R. 18.0% अधिक B.S.R. 17.1% अधिक B.S.R. 19.5% अधिक B.S.R.	मैं. श्रीराम एण्ड कम्पनी, रींगस	नेगोसेशन द्वारा श्रीराम कम्पनी को 10 सब स्टेशन का कार्य आदेश दिनांक 23.5.01 को जारी किया लेकिन कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही दरों में कमी होने के कारण इस फर्म द्वारा असहमति प्रदान करने पर शेष कार्य मै. पाण्डे एण्ड कम्पनी द्वारा करवा कर सब स्टेशन दिनांक 24.1.03 को चालू कर दिया गया।
4	-	33 केवी सब स्टेशन का निर्माण कार्य	-	6% कम B.S.R	मैं. पाण्डे एण्ड कम्पनी, बीकानेर	मैं. श्रीराम एण्ड कम्पनी के शेष बचे कार्य शुरू करने से पूर्व निगम द्वारा दरों को पुन: निर्धारण किया गया। जो पूर्व की दरों से कम था इसलिये मैं. पाण्डे एण्ड कम्पनी को विभागीय औपचारिक्ता पूर्ण कर नियमानुसार दिनांक 27.1.2002 को कार्य आदेश दिया गया।

परिशिष्ट–ब

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

1. सांवर 33 केवी सब स्टेशन हेतु अनुमानित प्रस्तावित राशि 33 केवी लाइन हेतु रुपये 35.70 लाख तथा 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु रुपये 22.00 लाख योजना की कुल लागत रुपये 57.70 लाख रुपये थी तथा खर्च की गई राशि 64.27 लाख रुपये हुई। विद्युत निगम द्वारा उक्त सब स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री एवं लाइन तार, बिल इत्यादि ठेकेदारों को वर्ष 2002-2003 में उपलब्ध करवाकर विभागीय नियमानुसार ''लैबर रेट कान्ट्रैक्ट'' के आधार पर कार्य पूर्ण किया गया।

2. मैं. श्री राम एण्ड कम्पनी रींगस को 10 सब स्टेशन बनाने का कार्य आदेश दिनांक 23.5.2001 दिया गया जिसमें सांवर 33 केवी सब स्टेशन का भी कार्य शामिल था। उक्त ठेकेदार द्वारा 8 सब स्टेशनों का कार्य पूर्ण कर दिया गया था। शेष दो सब स्टेशनों जिसमें सांवर 33 केवी सब स्टेशन का कार्य था, शुरू करने से पूर्व निगम द्वारा दरें पुनः निर्धारित की गई थी जो पूर्व दरों से कम थी इसलिए रजिस्टर्ड ठेकेदार मै. पाण्डे एण्ड कम्पनी, बीकानेर को 6 प्रतिशत कम बी.एस.आर. से 33 केवी सब स्टेशन का कार्य करने हेतु दिनांक 27.11.2002 को कार्य आदेश दिया गया जिससे उक्त ठेकेदार द्वारा दिनांक 31.12.2002 को कार्यपूर्ण कर दिया। ठेकेदार द्वारा 33 के.वी. का कार्य पूर्ण करने पर विभागीय औपचारिकता पूर्ण कर भुगतान राशि रुपये 39703 का भुगतान दिनांक 23.3.2003 को कर दिया गया।

3. सम्बन्धित ठेकेदार मै. अमित ट्रेडर्स, बीकानेर द्वारा 33 केवी लाइन का कार्य किया गया जिसका अनुमानित भुगतान 2 लाख दस हजार रुपये करीब हो सकता है। विभागीय नियमानुसार ठेकेदार द्वारा विपत्र पेश न करने से भुगतान नहीं किया गया।

सहायक अभियन्ता

जोधपुर डिस्काम, सरदारशहर

किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत आबंटित राशि

123. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) किशोरी शक्ति योजना राज्य में किन-किन ब्लाक में कब से लागू है तथा इसके अन्तर्गत किन बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है?

(2) जनवरी, 2004 से अब तक उपरोक्त योजना के अन्तर्गत किस-किस ब्लाक में कितनी राशि आबंटित की गई तथा कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया? माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में किशोरी शक्ति योजना राज्य के सभी 237 ब्लाक्स तथा 20 शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत है। सूची परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है। यह योजना वर्ष 2004-05 तक कुल 165 परियोजनाओं में संचालित थी। वर्ष 2005-06 में भारत सरकार द्वारा शेष 92 परियोजनाओं के लिए यह योजना स्वीकृत की गई। इन परियोजनाओं में इसे क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को जीवन चक्र (Life Cycle) के आधार पर जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। योजनान्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर ऐसी बालिकाओं का चयन किया जाता है जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाई है अथवा किसी कारण उन्होंने स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है अथवा विकलांग है या आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है।

(2) सूचना परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। किशोरी शक्तियोजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक परियोजना में बारी-बारी से 20 गांवों को चयन किया जाता है। प्रत्येक गांव से उपरोक्त पात्रता वाली 30 किशोरी बालिकाओं का चयन किया जाता है। इन चयनित बालिकाओं को वर्ष पर्यन्त अलग-अलग गतिविधियों से जोड़ा जाता है। साथ ही उन्हें विभिन्न सम्बन्धित विषयों की जानकारी दी जाती है। इसलिये एक परियोजना में लाभान्वित किशोरियों की संख्या लगभग 600 स्थिर रहती है। बजट का आबंटन वर्षवार किया जाता है, माहवार नहीं किया जाता है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जन श्री बीमा योजना की क्रियान्विति

124. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हेमराज मीणा)

क्या यह सही है कि जनजाति विकास हेतु जन श्री बीमा योजना का क्रियान्वयन स्वच्छ परियोजना, उदयपुर द्वारा किया जायेगा? यदि हां, तो क्यों? सरकार द्वारा जन श्री बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु किन-किन संस्थाओं से आवेदन मांगे गये व किन-किन से कितने आवेदन सरकार को प्राप्त हुए?

उत्तर

जी हां। सहरिया क्षेत्र में जन श्री बीमा योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व स्वच्छ परियोजना को दिया गया है क्योंकि स्वच्छ परियोजना सहरिया क्षेत्र में विगत 6-7 वर्षो से कार्यरत है तथा स्वच्छ के कर्मचारियों की क्षेत्र में उपस्थिति एवं क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारी होने के कारण यह उत्तरदायित्व दिया गया है।

जनश्री बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदन पत्र नहीं मांगे गये हैं क्योंकि स्वच्छ परियोजना को ही इस योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व दिया गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सकों का पदस्थापन

125. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में आयुर्वेद नर्स/कम्पाउंडर की भर्ती की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इसी के अनुरूप आयुर्वेद नर्स/कम्पाउंडर को भी पदस्थापित करेगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य में दिनांक 15 फरवरी, 2006 तक आयुर्वेद नर्स/कम्पाउंडर के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक प्राकृतिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 के नियम 20 के अन्तर्गत आयुर्वद नर्स/कम्पाउंडर के पद, सीधी भर्ती से, आयोग से प्राप्त सूची/नियोक्ता द्वारा मैरिट से भरे जाने का प्रावधान है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) एक ही परिसर में आयुष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजनान्तर्गत राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में से किसी एक पद्धति की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयुर्वेद विभाग के अधीन संचालित इन पद्धतियों के औषधालयों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सें स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय की पालना में वर्ष 2004-05 में प्रत्येक जिले के एक चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उसी स्थान का विभागीय औषधालय स्थानान्तरित किया गया है। वर्ष 2005-06 में प्रत्येक जिले के दो चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जा रही है।

(3) दिनांक 15.2.06 को आयुर्वेद विभागान्तर्गत नर्स/कम्पाउंडर के 831 पद नियमित नियुक्ति हेतु रिक्त थे, जिनमें से 147 पदों पर संविदा पर नियुक्त नर्स/कम्पाउंडर कार्यरत है।

उक्त रिक्त पदों में से 219 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

पाली जिले में आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

126. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला पाली में कितने आयुर्वेद औषधालय किस-किस श्रेणी के कहां-कहां संचालित है? इन औषधालयों में चिकित्सा अधिकारी (वैद्य) कम्पाउंडर के पद कब से रिक्त हैं? सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

पाली जिले में 5 ''अ'' श्रेणी शैय्यावाले चिकित्सालय तथा 132 ''बी'' श्रेणी औषधालय स्वीकृत व संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दी गई है।

इन औषधालयों/चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के 35 पद तथा नर्स/कम्पाउंडर के 40 पद दिनांक 1-3-06 को रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ख में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

आयुर्वेद चिकित्सकों के 109 पद भरने हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। नर्स/कम्पाउंडर के 219 पद भरने हेतु कार्यवाही की जा रही है। चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-क

अ श्रेणी शैय्यावाले चिकित्सालय

1.	पाली	3.	झूठा
2.	सादड़ी	4.	धाणेराव
		5.	नाणा

बी श्रेणी औषधालय

1	आउवा	22.	खुड़ाला
2.	आना	23.	खारड़ा
3.	आनंदपुर कालू	24.	खौड़
4.	आसरलाई	25.	खिंवादी
5.	ईसाली	26.	खैरवा
6.	करणवा	27.	खारिया नींव
7.	कटालिया	28.	खिवाड़ा
8.	कलालिया	29.	खेमेल
9.	कांवलिया	30.	गुरडाई
10.	केकिन्दड़ा	31.	गुढा एंदला
11.	कानूजा	32.	गिरी
12.	कोठार	33.	गजनीपुरा
13.	कोट सांलेकियान	34.	गुडापृथ्वीराज
14.	कुशालपुरा	35.	गुडालास
15.	किरवा	36.	गुडा मेहराम
16.	कुरणा	37.	गैलावास
17.	कालब कलां	38.	गोरिया
18.	किशनपुरा	39.	गुन्दोज
19.	केसूली	40.	धेनड़ी
20.	कराड़ी	41.	चांचोड़ी
21.	कोयलबाव	42.	चावंडिया

43.	चामुण्डेरी	71.	नोवी
44.	छोड़ा	72.	निखुर्द
45.	जैतारण	73.	नारलाई
46.	जोजावर	74.	पांचेटिया
47.	जवाईबांध	75.	फालनागांव
48.	जाणुदा	76.	बगड़ी
49.	टेवाली	77.	बिरांटिया कलां
50.	ठाकूरला	78.	विरांटिया खुर्द
51.	डायलाना	79.	बाबाग्राव
52.	डढ़रिया	80.	बर
53.	डेंडा	81.	बालराई
54.	ढाबर	82.	बिलावास
55.	ढाल	83	बिजोवा
56.	ढालोप	84.	बिरोल
57.	तखतगढ़	85.	बांसिया
58.	था. पालडी	86.	बासनी दधवाडिया
59.	दादाई	87.	बिंजागुडा
60.	दुदौड	88.	बाली
61.	दुजाना	89.	बंडोद
62.	देवली	90.	बीजापुरा
63.	देवरिया	91.	बैड़कलां
64.	दिवांदी	92.	बिसलपुर
65.	धनेरिया	93.	भारूंदा
66.	धणी	94.	भिंवालिया
67.	धाकड़ी	95.	भाटून्डा
68.	नादाना भाटान	96.	भांवरी
69.	नाडौल	97.	भादरलाउ
70.	निपल	98.	मादा

99.	मालनू	116.	वायद
100.	मुण्डारा	117.	विंगरला
101.	माडीगढ़	118.	चौपारी
102.	मोहराई	119.	सुमेरपुर
103.	मारवाड़ जंक्शन	120.	सोजतसिटी
104.	मुसालिया	121.	सोजत रोड़
105..	मांडा	122.	सिवास
106.	रेन्दड़ी	123.	सेहवास
107.	रूपावास	124.	सांवलता
108.	रानीवाल	125.	सिनला
109.	रास	126.	सुरायता
110.	रामसनी बाला	127.	सिंधला
111.	लाम्बड़ा	128.	सेवाड़ी
112.	लाम्बिया	129.	सुभाषनगर, पाली
113.	लुदाड़ा	130.	हाउसिंग बोर्ड, पाली
114.	लौटोती	131.	देसूरी
115.	लिलाम्बा	132.	निमाज

परिशिष्ट-ख

पाली जिले में संचालित आयुर्वेद औषधालय में आयुर्वेद चिकित्सक एवं नर्स/ कम्पाउंडर के रिक्त पदों का विवरण (दिनांक 01.03.06 की स्थिति)

क्र.सं.	स्थान औषधालय	दिनांक/अवधि जब से पद रिक्त है	क्र.सं.	स्थान औषधालय	दिनांक/अवधि जब से पद रिक्त हैं
1	2	3	4	5	6
1	आना	03.06.03	5	कावलियाखुर्द	13.11.05
2	आसरलाई	14.10.98	6	कालबकला	07.10.03
3	ईसाली	15.07.03	7	कराडी	11.02.99
4	कलालिया	22.11.05	8	गुडामेहराम	11.11.05

क्र.सं.	स्थान औषधालय	दिनांक/अवधि जब से पद रिक्त है	क्र.सं.	स्थान औषधालय	दिनांक/अवधि जब से पद रिक्त हैं
9	गेलावास	31.10.05	22	बीजागुडा	20.02.03
10	गोरिया	जुलाई-1995	23	बिसलपुर	10.11.05
11	चाचोड़ी	15.12.05	24	भादरलाऊ	फरवरी-06
12	चावण्डिया	11.11.05	25	मालनू	26.02.03
13	जैतारण	31.08.05	26	मोहराई	28.02.03
14	टेवाली	09.10.04	27	माण्डा	08.11.05
15	डुठारिया	13.11.05	28	रेन्दडी	जुलाई-99
16	डेण्डा	11.11.05	29	लिलाम्बा	11.05.03
17	निम्बाज	मई-05	30	सेवाड़ी	17.07.03
18	बगडीनगर	21.07.05	31	सादड़ी	14.01.06
19	वि. खुर्द	नवम्बर-04	32	झूठा	21.11.05
20	बासिया	11.11.05	33	भीमाणा	नवम्बर-04
21	बासनी	01.12.02	34	सेहवाज	मई-03
			35	थानापाड़ली	जुलाई-04

नर्स/कम्पाउंडर

क्र.सं.	स्थान औषधालय	दिनांक/अवधि जब से पद रिक्त हैं	क्र.सं.	स्थान औषधालय	दिनांक/अवधि जब से पद रिक्त हैं
1	बासनी दधबाडियान	26.06.98	5	केसूली	10.09.01
2	धनेडी	20.03.99	6	लामिया	07.09.01
3	कानूजा (रायपुर)	23.05.99	7	बिंगरला	25.09.1998
4	मादा	08.01.01	8	गुढा मेहरामपुर	25.09.1998

क्र.सं.	स्थान औषधालय	दिनांक/अवधि जब से पद रिक्त है	क्र.सं.	स्थान औषधालय	दिनांक/अवधि जब से पद रिक्त है
9	ढालोप	08.10.01	25	कोठार	06.10.04
10	लुन्दाडा	29.12.01	26	ढाबरकला	06.10.04
11	चामुण्डेरी	23.06.02	27	कुशालपुरा	09.10.04
12	किशनपुरा	22.06.02	28	सोजतरोड़	04.09.01
13	नादाना भाटान	22.09.1998	29	देसूरी	22.11.04
14	भांवरी	28.03.03	30	खारियानीव	25.12.04
15	बिरोल	जुलाई-03	31	निम्बाज	22.01.06
16	लाम्बड़ा	25.05.03	32	दूजाना	20.11.05
17	बायद	18.05.03	33	बडोद	10.11.05
18	निपल	31.07.03	34	भारून्दा	10.11.05
19	डूढारिया	31.07.03	35	ठाकुरला	12.11.05
20	आउवा	31.10.03	36	खुडाला	31.10.05
21	बिराटिया कला	13.08.04	37	डेन्डा	31.10.05
22	डायलाना	31.3.03	38	नाना	31.10.05
23	दिवान्दी	06.10.04	39	कुरना	11.11.05
24	रेन्दडी	06.10.04	40	चावण्डिया	30.09.03

परिशिष्ट-2

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/सहयोगिनी के मानदेय भुगतान की तिथियां वर्ष 2005

क्र. सं.	माह का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/सहयोगिनी के मानदेय भुगतान की तिथियां वर्ष 2005														
		परियोजना सिरोही			परियोजना आबूरोड़ (ग्रामीण)			परियोजना रेवदर			परियोजना पिण्डवाड़ा			परियोजना शिवगंज		
		कार्यकर्ता	सहायिका	सहयोगिनी	कार्यकर्ता	सहायिका	सहयोगिनी	कार्यकर्ता	सहायिका	सहयोगिनी	कार्यकर्ता	सहायिका	सहयोगिनी	कार्यकर्ता	सहायिका	सहयोगिनी
1	जनवरी, 05	02.03.05	02.03.05	02.03.05	14.02.05	14.02.05	14.02.05	04.02.05	04.02.05	31.3.05	26.02.05	26.02.05	26.02.05	07.03.05	07.03.05	07.03.05
2	फरवरी, 05	23.03.05	23.03.05	23.03.05	19.03.05	19.03.05	19.03.05	03.03.05	03.03.05	31.3.05	28.03.05	28.03.05	28.03.05	30.03.05	30.03.05	30.03.05
3	मार्च, 05	27.05.05	27.05.05	27.05.05	03.05.05	03.05.05	03.05.05	17.06.05	17.06.05	01.08.05	26.04.05	26.04.05	26.04.05	07.07.05	07.07.05	07.07.05
4	अप्रैल, 05	27.05.05	27.05.05	27.05.05	03.05.05	03.05.05	03.05.05	17.06.05	17.06.05	01.08.05	14.06.05	14.06.05	14.06.05	07.07.05	07.07.05	07.07.05
5	मई, 05	11.07.05	11.07.05	11.07.05	20.06.05	20.06.05	20.06.05	17.06.05	17.06.05	01.08.05	28.06.05	28.06.05	28.06.05	23.08.05	23.08.05	23.08.05
6	जून, 05	08.08.05	08.08.05	08.08.05	14.07.05	14.07.05	14.07.05	01.08.05	01.08.05	01.08.05	01.08.05	01.08.05	01.08.05	27.08.05	27.08.05	27.08.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	जुलाई, 05	09.09.05	09.09.05	09.09.05	23.08.05	23.08.05	23.08.05	02.09.05	02.09.05	18.10.05	08.08.05	08.08.05	08.08.05	17.11.05	17.11.05	17.11.05
8	अगस्त, 05	27.10.05	27.10.05	27.10.05	12.09.05	12.09.05	12.09.05	18.10.05	18.10.05	18.10.05	23.09.05	23.09.05	23.09.05	17.11.05	17.11.05	17.11.05
9	सितम्बर, 05	27.10.05	27.10.05	27.10.05	14.10.05	14.10.05	14.10.05	22.10.05	22.10.05	03.1.016	25.11.05	25.11.05	25.11.05	09.01.06	09.01.06	09.01.06
10	अक्टूबर, 05	28.11.05	28.11.05	28.11.05	10.11.05	10.11.05	10.11.05	01.12.05	01.12.05	03.01.06	25.11.05	25.11.05	25.11.05	09.01.06	09.01.06	09.01.06
11	नवम्बर, 05	03.01.06	03.01.06	03.01.06	19-31.12.05	19-31.12.05	19-31.12.05	03.12.05	03.12.05	–	29.12.05	29.12.05	29.12.05	09.01.06	09.01.06	09.01.06
12	दिसम्बर, 05	01.02.06	01.02.06	01.02.06	20.01.06	20.01.06	20.01.06	03.01.06	03.01.06	–	18.01.06	18.01.06	18.01.06	02.02.06	02.02.06	02.02.06

साथिन भुगतान की तिथियां वर्ष 2005

क्र.सं.	नाम परियोजना	अवधि	भुगतान तिथि	बकाया अवधि	वि.वि.
1	सिरोही	जनवरी 05 से जून 05	13.12.2005	जुलाई 05 से जनवरी 06	
2	आबूरोड़	जनवरी 05 से जुलाई 05	15.12.2005	अगस्त 05 से जनवरी 06	
3	रेवदर	जनवरी 05 से जुलाई 05	02.12.2005	अगस्त 05 से जनवरी 06	
4	पिण्डवाड़ा	जनवरी 05 से सितम्बर 05	06.12.2005, 23.12.2005, 12.12.2005, 29.12.2005, 13.12.2005, 16.12.2005	अक्टूबर 05 से जनवरी 06	
5	शिवगंज	जनवरी 05 से अगस्त 05	21-12-2005	सितम्बर 05 से जनवरी 06	

परिशिष्ट-2
(तारांकित प्रश्न संख्या-72 की सूची)
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर राजस्थान विधान सभा

जोधपुर विद्युत वितरण निगम क्षेत्रान्तर्गत विधान सभा आहोर में वर्ष 2001 से वर्ष 2005 तक विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त हुए आवेदन तथा जारी किये गये विद्युत कनेक्शनों की वर्षवार तक विभिन्न श्रेणीयों में प्राप्त हुए आवेदन/लम्बित तथा जारी किये गये विद्युत कनेक्शनों की वर्षवार **संख्या सूची**

क्र. सं.	श्रेणी	माह अप्रैल, 2001 से पूर्व लम्बित आवेदन	माह अप्रैल, 2001 से मार्च 2002			माह अप्रैल, 2002 से मार्च 2003			माह अप्रैल, 2003 से मार्च 2004			माह अप्रैल, 2004 से मार्च 2005			वस्तु स्थिति	माह अप्रैल, 2005 से 15 फरवरी, 2006		
			प्राप्त आवेदन	जारी कनेक्शन	लम्बित आवेदन	प्राप्त आवेदन	जारी कनेक्शन	लम्बित आवेदन	प्राप्त आवेदन	जारी कनेक्शन	लम्बित आवेदन	प्राप्त आवेदन	जारी कनेक्शन	लम्बित आवेदन		प्राप्त आवेदन	जारी कनेक्शन	लम्बित आवेदन
1	घरेलू	87	548	538	87	631	637	81	1022	896	144	1179	972	172	सतत प्रक्रिया के तहत आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही कर विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे है।	881	748	166
2	अघरेलू 1. NDS	11	58	56	09	42	35	15	44	51	7	75	74	6		58	53	20
	2. SIP	0	03	03	-	-	-	-	04	03	01	06	05	06		08	08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	कृषि 1. सामान्य	4	38	02	37	37	13	36	40	07	28	48	17	49		70	48	84
	2. SC/ ST	0	04	03	01	02	03	0	01	01	-	08	08	0	राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि निति निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर विद्युत सम्बन्ध जारी किये जा रहे हैं।	10	09	1
	3. स्पेशल श्रेणी	7	09	04	12	54	56	10	15	06	13	18	11	13		26	38	0
कुल योग		109	660	606	146	766	744	142	1126	964	193	1334	1087	240		1053	904	251

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-26

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई

ग्राह्य कटौती प्रस्तावों की सूचना

मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

1. राजकीय चिकित्सालय, शिवगंज की क्षमता 30 से 50 शैय्या करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत घरट, मोरस, वरली, मारयेरा व अन्य चिकित्सा के अभाव में बच्चों की मौतों के संबंध में चर्चा के लिये।
3. सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के कलदरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. सिरोही जिले में चिकित्सा विभाग में रिक्त पद भरने के समबन्ध में चर्चा के लिये।
5. सिरोही के जिला अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से हो रही मौतों से जनता में उत्पन्न आक्रोश के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

6. सरकारी चिकित्सालय दूदू को रेफरल अस्पताल के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।
7. सरकारी चिकित्सालय दूदू में महिला चिकित्सक का पदस्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र दूदू में सभी राजस्व गांवों में चिकित्सा के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र दूदू में कार्यरत ए.एन.एम. व नर्सों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने एवं चिकित्सकों को मुख्यालय पर ठहराव सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री बाबूलाल नागर)

10. विधान सभा क्षेत्र दूदू में उरसेवा भाग में सरकारी चिकित्सालय खोलने एवं ग्राम रेटा मीरापुरा में मीरापुरा की ढाणी में भवन उपलब्ध कराने के बाद भी उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

11. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम खिमेरा, सुई, रूणिमा, बड़ा बास, सेरेरां तथा अर्जुनजर में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. पी.बी.एम. हास्पिटल बीकानेर की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर में अस्थि रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विभिन्न चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

15. सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य पर लिये जा रहे कल्याणकारी प्रयासों पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

16. राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में किये गये कार्यों में सुधार के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

17. सवाई मानसिंह चिकित्सालय में चिकित्सा उपकरणों के रख-रखाव व नई रोगी वाहन मय आवश्यक उपकरण के क्रय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में ''अ'' श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

20. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

22. मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की राशि का दुरुपयोग रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. यूनानी एवं आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाइयों को अत्याधुनिक उपकरणों से सुज्जित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा उपलब्ध निःशुल्क इकाइयों की उपयोगिता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

27. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पंचायत चित्रावास व उखलियात में भाडेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में दूर-दराज के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों में पुरुष वर्ग लगाने एवं सब सेन्टर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पंचायत चित्रावास उखलियात, मेवाडों का मठ, मेरपुर में शिशु एवं प्रसव चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

30. विधान सभा क्षेत्र बाली के राज. सामुदायिक/प्राथमिक केन्द्रों व उप केन्द्रों में रिक्त पड़े चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ के पदों को भरे जाने

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

तथा भीमाणा, कोयलबाव, काकराड़ी, कूरण, गोरिया व लुन्दाड़ा में अतिरिक्त ए.एन.एम. लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र बाली के राज.प्रा.स्वा. केन्द्र फालना की सामुदायिक केन्द्र में तथा राज.सामु.केन्द्र बाली को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी शैय्या संख्या 50 से 100 तक करवाने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

33. राज्य के एड्स संक्रमित रोगियों को बी.पी.एल. में शामिल करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र बाली में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

35. सुमेरपुर चिकित्सालय में हड्डी विशेषज्ञ, शिशुरोग विशेषज्ञ, लेबोरेट्री तकनीशियन, रेडियोग्राफर व पेरामेडिकल स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. सुमेरपुर क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा उपकरण व तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. सुमेरपुर क्षेत्र के सभी चिकित्सालयों में चिकितसाकर्मी के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. तरवतगढ़ जिला पाली के राजकीय चिकित्सालय को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. सुमेरपुर में ट्रोमा यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

40. कोटपूतली में बी.डी.एम. अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) :

41. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में स्थित सी-स्कीम एवं वैशाली नगर में होम्योपेथी चिकित्सालय एवं मुरलीपुरा क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

42. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में स्थित मुरलीपुरा के राजकीय चिकित्सालय में भवन की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में पर्याप्त तकनीकी सुविधा एवं वरिष्ठ चिकित्सकों के पदस्थापन की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के झोटवाड़ा क्षेत्र में राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकर्ता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के महेश नगर, महारानी फार्म, पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में पृथक्-पृथक् डिस्पेंसरियां खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

46. खारची विधान सभा क्षेत्र में ये सब सेन्टर (ए.एन.एम.) नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. खारची विधान सभा क्षेत्रों में विभिन्न चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. खारची विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न चिकित्सालयों में रिक्त पदों से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

49. खारची विधान सभा क्षेत्र के मगरा क्षेत्र में नये सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. खारची विधान सभा क्षेत्र के मगरा क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु जोजावर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं खिवाड़ा में रेफरल चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

51. राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्दवाजी जयपुर में कार्यरत कर्मचारी द्वारा शराब पीकर डाक्टर एवं बीमारों से बदसलूकी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

52. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर (ग्रामीण-उदयपुर) में सेटेलाइट अस्पताल में आवश्यक सुविधा मुहैया करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

53. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सी.एच.सी. को रैफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ब्लाक पी.एच.सी. कोटखावदा में डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्थित/कानोता आगरा रोड़ पर पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. सवाई मानसिंह चिकित्सालय में न्यूरो सर्जरी, हड्डी वार्ड में हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

57. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में रिक्त पदों को पुनः भरने एवं नये पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. अजमेर में स्थित जवाहर लाल नेहरू अस्पताल को सुविधा युक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. अजमेर पूर्व में स्थित सेटेलाइट अस्पताल को सुविधा युक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. अजमेर विधान सभा क्षेत्र के अजमेर पूर्व में स्थित कुन्दन नगर क्षेत्र में एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)

61. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देसूरी में स्टाफ की कमी व एम्बूलेंस की खस्ता हालत पर चर्चा के लिये।

62. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सादड़ी में शैय्याओं की वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. देसूरी विधान सभा क्षेत्र के गिराली गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. देसूरी विधान सभा क्षेत्र के चाचोडी ग्राम पंचायत में उप-स्वास्थ्य केन्द्र में एड-पोस्ट को क्रमोन्नत करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. देसूरी विधान सभा क्षेत्र में घाणेराव ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

66. सरकार द्वारा राज्य में स्थित निजी अस्प्तालों को नियंत्रित करने एवं गरीब लोगों की हो रही लूट को रोकने हेतु कोई प्रभावी नियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. राज्य के अस्पतालों में खराब जांच मशीनों व उपकरणों के ठीक नहीं कराने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बूलेंस उपलब्ध कराने तथा सीकरी व पहाड़ी के चिकित्सालयों को रेफरल अस्पताल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. राज्य में बड़ी संख्या में रिक्त चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विभाग द्वारा यूनानी का पृथक् विभाग बनाने एवं यूनानी एवं आयुर्वेद चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद नहीं भरे जाने से व्याप्त एवं जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) :

71. बयाना विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों के डेपुटेशन निरस्त कर पदस्थापित स्थानों पर लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

72. बयाना विधान सभा क्षेत्र में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिघाड़ा को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

73. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना में सोनाग्राफी मशीन लगवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

74. बैराठ विधान सभा क्षेत्र के विराटनगर कस्बे में निर्मित नेत्र चिकित्सालय के संचालन के संबंध में चर्चा के लिये।

75. राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों द्वारा शिड्यूलड ड्रग्स के स्थान पर लोकल दवाइयां लिखने के संबंध में चर्चा के लिये।

76. सरकार द्वारा निजी चिकित्सलायों में सरकारी कर्मचारियों के इलाज के चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

77. बैराठ विधान सभा क्षेत्र के शाहपुरा कस्बे में स्थापित ट्रोमा अस्पताल के संचालन के संबंध में चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र बैराठ में उप स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन एवं अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना)

79. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना में दंत विशेषज्ञ चिकित्सक हेतु संसाधनों व उपकरण के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना के नेत्र विशेषज्ञ के रिक्त पद को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

81. विधान सभा क्षेत्र खानपुर बिसनखेड़ी, राजपुरा, देवीया में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

82. राजकीय रेफरल हास्पिटल, रामगढ़ (अलवर) में पर्याप्त सुविधायें उपलबध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

83. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के पंचायत मुख्यालय पर रामपुरिया, गादीया एवं दूबलिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

84. सिकराय विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के अधीन नई चिकित्सालय व स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. सिकराय विधान सभा क्षेत्र में स्थापित चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों व स्टाफ की कमी को यथाशीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

86. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में किशनपुरा ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

87. राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय चौमूं को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

88. मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में जिन्दोली, सिहालीकला एवं सरायकला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडीकल अफसरों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. मुण्डावर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये एम्बुलेंस या अन्य कोई वाहन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. मुण्डावर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होने के बावजूद बार्ड बाय और स्वीपर का पद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. मुण्डावर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की संख्या को देखते हुए अधिक बैड्स का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जे.एस. मेडीसन, जे.एस. गाईनी, जे.एस. सर्जरी के रिक्त पद भरने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

93. निर्वाचन क्षेत्र टिबी के कस्बा टिबी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत करने एवं कस्बा रावतसर में रेफरल स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

94. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राजकीय चिकित्सालयों को पर्याप्त भवन व उपकरण उपलब्ध करवाने एवं नवलगढ के ग्राम कोलसिया में नया चिकित्सालय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

95. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा (हनुमानगढ़) के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

96. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बैड के सेटेलाइट अस्पताल व पी.एच.सी. चेचट को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने एवं रानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

97. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के विभिन्न चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था ठीक न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. ग्राम बसई तहसील खेतड़ी के राजकीय चिकित्सालय में शैय्याओं की संख्या कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम गोरीर, लोयल माधोगढ़ में चिकित्सालय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल बाहेती (पुष्कर) :

101. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर (अजमेर) में जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में स्टाफ एवं शैय्या बढ़ाने व सेटेलाइट अस्पताल में स्टाफ की कमी एवं नई बिल्डिंग में स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

102. मकराना, बोरावड़ में सी.एच.सी. में रिक्त पदों को भरने एवं इनमें लेडीज डाक्टर गाईनिक एवं ओर्थोपिडिक विशेषज्ञों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

103. राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय किशनगंज में डाक्टर्स के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त ए.एन.एम. की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में रेफरल हास्पिटल शाहबाद एवं केलवाड़ा में डाक्टर्स एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खण्डेला में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) :

107. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में महाराज की खेड़ी और वाना में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

108. विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में खेरोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे-मशीन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में भीण्डर कानोड़ व वल्लभनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

110. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नैनवा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देई में महिला चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने से प्रसूति महिलाओं को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र नैनवां में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु चिकित्सक एवं पेरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. जिला बून्दी के उप स्वास्थ्य केन्द्र जावरां (खटकड़) में अपर्याप्त सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

113. राजकीय चिकित्सालय नैनवा (बून्दी) में दन्त चिकित्सक का पद सृजित किये जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

114. जिला बून्दी में ग्राम पंचायत मुख्यालय रायथल में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

115. जोधपुर शहर के अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु पर्याप्त पद सृजन करने एवं उपकरण उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (दानुपर) :

116. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राशमी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगरार को 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के गांव यथा- नेवरिया, मेदाखेडी, जालमपुरा, कानपुरा, लालपुरा, मान्यास, देवदा, जीवानायक काखेडा, भाणपी, राज्यास, सरजनियास, खूटीया, ऐरा, सालेरा, सोकिया,

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सुवावा, दुवावा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के गांव यथा अडाना, भीमगढ़, पावली, जाड़ाना, मरमी, नेवारिया, लसाडिया कला, सोमरवालों का खेड़ा, खारखन्दा, सुदरी उण्डवा, रघुनाथपुरा, कुंवालिया, आजोलिया का खेड़ा, सुवानिया, चौगावड़ी, बोलो का सांवता सोनगर, पालका में उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के गांव यथा-रूद, आरनी, सिहाना, बूढ, बोरदा, तुम्बडिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

120. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी (चित्तौड़गढ़) में तीन चिकित्सकों के ओर पद सृजन करने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

121. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में नये उप स्वाथ्य केन्द्र खोलने एवं स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालय लसड़ावन, बाड़ी, मांगरोल, करजू, धोलायानी आदि स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कारुण्डा एवं बम्बोरी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनेरा में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बम्बोरी तहसील छोटी सादड़ी के 40 वर्ष पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बाहेड़ा को 100 शैय्या के सामान्य चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

126. विधान सभा क्षेत्र निवाई में चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल)

127. निवाई स्थित सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में नेत्र विशेषज्ञ के पद को भरने व सोनोग्राफी मशीन की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. सदाअत चिकित्सालय, टोंक में रिक्त पद भरने, जांच मशीनों/उपकरणों को ठीक कराने व चिकित्सालय की व्यवस्था में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. निवाई शहर में ट्रोमा अस्पताल खोलने व खरेड़ा व नटवाड़ा स्थित चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

130. विधान सभा क्षेत्र सुरजगढ़ के ग्राम पंचायत सिघाना तहसील बुहाना (झुंझुनूं) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सुरजगढ के चिकित्सालयों में खराब पड़े वाहनों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र सुरजगढ के ग्राम पंचायत पंचरीबड़ी तहसील बुहाना (झुंझुनूं) में आयुर्वेद चिकित्सक की कमी से ग्रामीणवासियों को हो रही पेरशानी पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र सुरजगढ़ में चिकित्सालयों में चिकित्सा स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. सुरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से गरीब मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

135. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अधिक से अधिक नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

137. विधान सभा क्षेत्र धोद में चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम (धोद)

138. राज्य में मिलावटी खाद्य सामग्री की रोकथाम न होने के परिणामस्वरूप आम जन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में अधिकारी एवं कर्मचारियों का ठहराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र धोद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र धोद में निजी चिकित्सालयों पर नियंत्रण नहीं होने से जनता की हो रही लूट की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद) :

142. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के रेलमंगरा तहसील के कुरज, बनेडिया, राजसमंदनगर, केलवा एवं कुआरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में बामवीया कलां, जुणदाखेड़ी, सादड़ी, भराई, सकरावास, गोगाथला, लापस्या, भावा, जीतावास, खटुकड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. राजसमंदनगर के पुराने चिकित्सालय भवन में सिटी डिस्पेंसरी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के सभी चिकित्सालयों में रिक्त पदों (डाक्टरों) के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

146. राजसमंद आर. के. जिला चिकित्सालय को 100 बेड सेवाओं से 200 बेड शैय्याओं में क्रमोन्नत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

147. विधान सभा क्षेत्र दीगोद (कोटा) के ग्राम कुन्दनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र दीगोद में चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र दीगोद के ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त चिकित्सकों को कोटा शहर में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने से ग्रामीण जनता को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

(श्री भरत सिंह)

150. विधान सभा क्षेत्र दीगोद के सुलतानपुर तथा सांगोद कस्बों में महिला चिकित्सक के रिक्त पदों पर तत्काल चिकित्सक नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र दीगोद के ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

152. विभाग द्वारा चिकित्सालयों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

153. राजस्थान में पुरुष और महिला के घटते अनुपात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के 50 कि.मी. या आस-पास सेटेलाइट अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. जयपुर में महिला चिकित्सालयों में फैली अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

158. जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में लप्रोस्कोप पद्धति से शल्य क्रिया न किये जाने से रोगियों को हो रही परेशानी के संबंध चर्चा के लिये।

159. जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अस्थि रोग विभाग में शल्य क्रिया के लिए लप्रोस्कोप उपकरण उपलब्ध न होने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

160. राजकीय चिकित्सालय पुरानी बस्ती, जयपुर में दंत चिकित्सालय के लिए उपकरण न होने से रोगियों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र हवा-महल में एक भी होम्योपेथी चिकित्सालय न होने से इस पद्धति का लाभ लेने से वंचित हो रहे रोगियों की समस्या पर चर्चा के लिये।

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

162. राजकीय हरिबक्श कांवटिया जिला चिकित्सालय, जयपुर में कनिष्ठ विशेषज्ञ रेडियोलाजी का पद रिक्त होने से रोगियों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

163. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम लाडपुर सब-सेन्टर (ए.एन.एम.) पोस्ट से बढ़ाकर ऐड पोस्ट में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम चतरपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौद में बाल विशेषज्ञ एवं सर्जन का पद स्वीकृत करने की आवयश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र बानूसर के ग्राम नालोता एवं खिवाहेड़ी में सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के भिटेडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन निर्माण तथा हाजीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नितान्त आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) :

168. विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में भारत-पाक सीमा पर स्थित गांव ''हिन्दूमल कोट'' के उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) एवं

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

169. जयपुर शहर में बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर एक महिला चिकित्सालय और खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. सवाई मानसिंह अस्पताल में एक आई.सी.यू. यूनिट और खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. सवाई मानसिंह अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयों की अनुपलब्धता पर चर्चा के लिये।

172. जयपुर शहर में आने वाले राजमार्गों पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रत्येक राजमार्ग पर ट्रोमा अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

173. जयपुरिया अस्पताल जयपुर में को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सार्दुलपुर) :

174. विधान सभा क्षेत्र सार्दुलपुर के राजगढ़ चिकित्सालय में ओरथोपेडिसीयन एवं नेत्र एवं दंत चिकित्सकों के पद सृजित करने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र सार्दुलपुर (चूरू) के ग्राम बीसलाण में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र सार्दुलपुर के ग्राम बास किरताण में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूनी) :

177. विधानसभा क्षेत्र लूणी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप केन्द्रों को क्रमोन्नत करने व नये उप केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र लूणी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुन्दांडा को रोगी वाहन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र लूणी जिला जोधपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सालावास, दुन्दाड़ा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सतलाना, धवा, भटिण्डा, खेजडों की कला, विसलपुर के केन्द्रों के डाक्टरों, नर्सों, लिपिकों, टेक्नीशियन व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सभी रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र लूणी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धवा के, अधूरे भवन कों पूर्ण करवाये जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करोली) :

181. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र करौली में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

183. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतह नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

184. उदयपुर मेडिकल कालेज हास्पिटल में सुपर स्पेशियलिटी में हार्ट आपरेशन की सुविधा प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

185. जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल धौलपुर को ''ए'' ग्रेड में क्रमोन्नत करने, अस्पताल में शैय्याओं की संख्या बढ़ाने तथा धौलपुर शहर की सेपऊ तिराहे के पास, बस स्टेण्ड के पास नई डिसपेन्सरियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम पुरानी छावनी, मैसेना, करीमपुर, कासिमपुर, मौरोली तथा विश्नोदा में चिकित्सा सुविधा हेतु नई डिसपेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल के आई.सी.यू. वार्ड को जनरल में विलय करने तथा अलग से आई.सी.यू. वार्ड में स्टाफ नहीं लगाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

188. धौलपुर सदर अस्पताल में विषय विशेषज्ञ डाक्टरों के पद के स्थान पर विषय विरुद्ध डाक्टर लगाये जाने से तथा नर्सिंग अधीक्षक प्रथम व द्वितीय एवं अन्य डाक्टर के पद नहीं भरे जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

189. धौलपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-3 (एन.एच.-3) पर मिड-वे के आस-पास ट्रोमा हास्पिटल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

190. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से डाक्टरों की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर, रामपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बेड क्षमता बढ़ाने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

तारांकित प्रश्न संख्या-70 का विव

जिले में विभाग का प्रशासनिक

क्र.सं.	नाम पद	वेतन श्रृंखला	उप निदेशक सिरोही			परियोजना सिरोही			परियोजना पिण्डवाडा			परि आबू
								स्वीकृ	कार्यर	रिक्त	स्वीकृ	कार्यर
1.	उप निदेशक-परियोजना निदेशक	10000-15200	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	8000-15500	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1
3.	सहा.बालविकासपरियोजना अधिकारी	5500-9000	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1
4.	लेखाकार	5500-9000	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	पोषहार	5500-9000	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	स्वा. एवं अनुदेशक	5500-9000	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	स्कूल एवं अनुदेशक	5000-8000	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	कार्यालय सहायक	5000-8000	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	सांख्यिकी सहायक	5000-8000	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	शीघ्र लिपिक	5000-8000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	कनिष्ठ लेखाकार	5000-8000	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1
12.	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
13.	पू./महिला पर्यवेषक	3400-5200	-	-	-	6	6	-	9	7	7	5
14.	कनिष्ट लिपिक	3050-4590	1	1	-	1	-	1	3	2	1	2
15.	वाहन चालक	3050-4590	1	1	-	1	1	-	2	1	1	1
16.	च.श्रे. कर्मचारी	2550-3200	-	-	-	1	1	-	3	2	I	2
17.	चौकीदार	2550-3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता	मैट्रिक 1000 नौन मैट्रिक 938	-	-	-	124	121	3	184	175	9	109
19.	आंगनबाड़ी सहायिका	500	-	-	-	124	118	6	184	176	8	109
20.	आंगनबाड़ी सहयोगिनी	500	-	-	-	121	50	71	184	57	127	109
21.	साथिन	500	-	-	-	31	17	14	34	23	11	25
	योग		**11**	**6**	**5**	**412**	**316**	**96**	**608**	**447**	**161**	**366**

परिशिष्ट-1

रण

ंत्र

योजना रोड़ (ग्रा)		परियोजना आबूरोड़ (शहरी)			परियोजना रेवदर			परियोजना शिवगंज			योग		
	स्वीकृ	कार्यर	रिक्त	स्वीकृ	कार्यर	रिक्त	स्वीकृ	कार्यर	रिक्त	स्वीकृ	कार्यर	रिक्त	स्वीकृ कार्यर
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	6	3	3
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	1	3
1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	7	6	1
5	-	4	-	4	8	7	1	4	2	2	36	27	9
1	1	1	-	1	2	1	1	1	1	-	11	26	5
1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	7	6	1
2	-	1	-	1	2	1	1	1	1	-	10	7	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
103	6	100	-	100	155	137	18	83	80	3	755	616	139
104	5	100	-	100	155	138	17	83	79	4	755	615	140
36	73	-	-	-	138	30	108	80	24	56	632	197	435
12	13	-	-	-	37	24	13	24	12	12	151	88	63
267	**99**	**208**	-	**208**	**502**	**347**	**161**	**280**	**202**	**78**	**2387**	**1579**	**808**

रिक्त स्वीकृ कार्यर रिक्त